कृष्ण जनसेवी एण्ड को.,
बीकानेर

डॉ० गिरिजाशंकर

The publication of This Book Has Been Financially Supported By The Indian Council of Historical Research The Responsibility For The Facts Stated Or Opinions expressed Is Entirely That Of The Author And Not Of The Counil

डॉ० गिरिजाशकर शर्मा

प्रकाशक कृष्ण जनसेवी एण्ड को०,
दाऊजी मदिर भवन, बीकानेर-334001

आवरण स्वामी अमित

पारदर्शियां शिवजी एव देवीचन्द गहलोत

सस्करण सन 1988

मुद्रक एस० एन० प्रिटस नवीन शाहदरा, दिल्ली 32

MARWARI VYAPARI by Dr Girija Shankar Sharma

आमुख

यह पुस्तक 'बीकानर मे व्यापारी वग की भूमिका'(सन् 1818 1947 ई०) नाम के मेरे शोध प्रब ध का मूल रूप है जिम सन् 1980 मे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा पी एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया था। यद्यपि यह अध्ययन मुख्य रूप से भूतपूव बीकानेर राज्य के व्यापारी वग तक ही सीमित रखा गया है किन्तु अनेक तथ्या को अधिक उजागर करने के लिए राजस्थान के दूसरे राज्यो के व्यापारी वग के व्यक्तियो को भी यत्र तत्र सम्मिलित किया गया है। इसलिए अगर इस अध्ययन के निष्कर्षों को राजस्थान के समस्त व्यापारी वग के लिए कसौटी माने तो अतिशयोक्ति नही होगी। इम अध्ययन का व्यापारी वग, राजस्थान क मारवाडी व्यापारियो की अग्रवाल, माहेश्वरी व ओसवाल जातियो से सम्ब धित है तथा जहा तक सम्भव हुआ है, मैने अध्ययन का आधार उक्त जातियो के व्यापारी घरानो से सम्ब धित निजी एव राजकीय क्षेत्र मे सग्रहीत मूल अभिलेख सामग्री को ही बनाया है। इसी के साथ व्यापारियो की विविध गतिविधियो की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करन के लिए गौण स्रोतो का भी उपयोग किया गया है। 19वी सदी तक व्यापारी वग अपना कारोबार का लेखा जोखा मुख्य रूप से मुडी अथवा राजस्थानी भाषा मे करता था। इसलिए उनके व्यापारी स्वरूप का समझने के लिए यत्र तत्र मारवाडी भाषा के मूल पाठ का भी उपयोग किया गया है। राजस्थान मे अग्रेजी प्रभुसत्ता के बढते हुए प्रभाव के साथ व्यापारी वग की राज्य एव राज्य के बाहर अग्रेजी भारत मे आर्थिक एव सामाजिक क्षेत्र म जो विकास प्रक्रिया एव भूमिका रही उसका विश्लेषण करना ही इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

इस अध्ययन को दस अध्यायो मे विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय म 19वी सदी के पूर्वार्द्ध मे व्यापारी वग का समुत्थान, साम त वग का पूर्वापेक्षा क्षीण होना, आर्थिक व्यवस्था एव व्याप्त अशा ति का विवेचन किया है। द्वितीय एव ततीय अध्याय म राज्य के तत्कालीन व्यापारिक स्वरूप मे परिवतन व्यापारिक माग, वस्तुए एव व्यापारिक-पद्धति का चित्रण है। साथ ही मारवाडी व्यापारिक वग के निष्क्रमण और व्यापार करने के नए ढग से समारम्भ का उल्लेख है। चौथे एव पाचवे प्रकरण मे राज्य के व्यापारी वग का अग्रेज सरकार तथा राज्य के शासको से सम्ब ध एव व्यापारियो के प्रभावशाली वग के रूप मे उदय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। छठे अध्याय मे राज्य के औद्योगीकरण म व्यापारी वग के योगदान एव औद्योगिक प्रगति का अवलोकन कराया गया है। सातवें अध्याय म राज्य के प्रमुख व्यापारी घरानो का पारिवारिक एव ऐतिहासिक परिचय दिया गया है। आठवा अध्याय भारत के राष्ट्रीय आ दोलन एव राज्य म उत्तरदायी शासन की माग के लिए हुए जन आ दोलन मे मारवाडी व्यापारिया के योगदान से सम्ब धित है। प्रब ध के नवें और दसवें अध्याय मे राज्य के व्यापारिया की शैक्षिक, सावजनिक एव सामाजिक क्षेत्र मे कल्याणाथ देन का गवेपणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही मारवाडी व्यापारी वग के बदलते हुए मूल्य एव बदलती हुई व्यापारिक स्थिति पर एक विहगावलोकन किया गया है। शोध प्रब ध के अ त मे स दभ ग्रथ-सूची और शोध प्रब ध मे उद्धृत क्षेत्रीय शब्दावली का विश्लेपण किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिए शोध सामग्री जुटाने मे राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, अनूप सस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर, प० झाबरमल शर्मा इतिहास सग्रह, जयपुर, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, मारवाडी पुस्तकालय, दिल्ली, बगाल राज्य अभिलेखागार, कलकत्ता, भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइब्रेरी, कलकत्ता, बगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइब्रेरी, कलकत्ता व नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के अधिकारियो और कर्मचारियो ने जो योग दिया है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूगा। इसके साथ ही लोक सस्कृति शोध सस्थान, नगर श्री चूरू के श्री गोविन्द अग्रवाल ने जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए उनका आभारी हू। उन्होंने मुझे अपने यहा सग्रहीत पोतेदार घराने से सम्बन्धित मूल सामग्री का अवलोकन ही नही कराया बल्कि समय समय पर अपने द्वारा सम्पादित एव लिखित पुस्तको को मेरे पास बीकानेर भी भिजवाया जिनका इस अध्ययन म यथा स्थान उपयोग किया गया है।

शोध ग्रन्थ को इस रूप मे प्रस्तुत करने मे मुझे अपने निदेशक, डॉ० एम० एस० जैन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से जो प्रेरणा और मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है, उसी के फलस्वरूप इस शोध-ग्रन्थ को इसके वर्तमान रूप मे प्रस्तुत करना सम्भव हुआ है। उन्होने न केवल धैर्यपूर्वक मार्ग दर्शन ही किया अपितु मुझे विचारो की पूर्ण स्वतन्त्रता दी। इतना ही नही, इस शोध प्रबन्ध के लिए प्राक्कथन लिखकर उन्होने इसके महत्त्व को और अधिक बढा दिया। उनके प्रति कृतज्ञता शब्दो म व्यक्त कर सकना कठिन है।

इस अध्ययन के लिए सदैव मेरा उत्साह सवर्द्धन एव बहुमूल्य सुझाव देने के लिए अपने निकट सम्बन्धियो यथा पितृव्य प० रामेश्वर जी शर्मा, प० भानुप्रकाश जी शर्मा, अग्रज डा० दिवाकर शर्मा व मकरध्वज शर्मा, जीजाजी डॉ० बलराम शर्मा का अतीव आभार मानता हू। अग्रज प्रो० मकरध्वज शर्मा का सहयोग तो मेरे लिए अविस्मरणीय है। श्री जितेन्द्र कुमार जैन, निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर का आभारी हू जिन्होने मेरे साथ विषय के सम्बन्ध मे बराबर विचार विमर्श किया और सुझाव दिये। श्री बृजलाल विश्नोई व विभाग के अन्य सभी सहकर्मियो का आभार माने बिना भी नही रह सकता जिन्होने समय समय पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग के द्वारा शोध सामग्री के सकलन मे सहायता दी। इस अवसर पर मैं श्री सोहन कुमार बाठिया व श्री रावतमल पारख का कृतज्ञ हुए बिना नही रह सकता जिन्होने कलकत्ता प्रवास मे मुझे मेरे विषय से सम्बन्धित व्यापारी घराना के व्यक्तियो से परिचय करवाकर उनके यहा सग्रहीत सामग्री के अवलोकन करवाने मे मदद की। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती इन्दु शर्मा को भी धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता जिसने मेरे इस अध्ययनकाल म मुझे घर की जिम्मेदारियो से मुक्त रखा।

भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के प्रति कृतज्ञ हू जिसने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता प्रदान की। राजमाता वाघेलीजी सुदर्शना कुमारी ट्रस्ट, बीकानेर ने शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु दो हजार की सहायता दी थी सो वह भी धन्यवाद का पात्र है। अध्ययन म कुछ कमिया एव त्रुटिया रह गई होगी। यदि पाठकगण इनकी ओर मेरा ध्यान दिलायेंगे तो मैं उनका आभारी रहूगा। प्रूफ-सशोधन मे अनजाने मे कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिसके लिए विद्वजनो से क्षमा प्रार्थी हू।

अन्त म पुस्तक को वर्तमान रूप म प्रकाशित करने मे श्रीकृष्ण जनसेवी ने जो तत्परता दिखलाई है, उसके लिए मैं उनका आभारी हू।

बीकानेर
19 मार्च, 1988

गिरिजा शकर शर्मा

सादर समर्पित
पिता, सस्कृत मनीषी
स्व० प० विद्याधर शास्त्री
पितृव्य, इतिहासज्ञ
स्व० प० दशरथ शर्मा जिनके
आशीर्वाद से यह प्रस्तुतीकरण
सम्भव हुआ

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिए शोध सामग्री जुटाने म राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, अनूप सस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर, प० झाबरमल शर्मा इतिहास सग्रह, जयपुर, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, मारवाडी पुस्तकालय, दिल्ली, बगाल राज्य अभिलेखागार, कलकत्ता, भारत चैम्बर ऑफ कामस लाइब्रेरी, कलकत्ता, बगाल चैम्बर ऑफ कॉमस लाइब्रेरी, कलकत्ता व नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के अधिकारियो और कमचारियो ने जो योग दिया है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूगा। इसके साथ ही लोक सस्कृति शोध सस्थान, नगर श्री चूरू के श्री गोविन्द अग्रवाल ने जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए उनका आभारी हू। उन्होंने मुझे अपने यहा सग्रहीत पोतेदार घराने से सम्बन्धित मूल सामग्री का अवलोकन ही नही कराया बल्कि समय समय पर अपने द्वारा सम्पादित एव लिखित पुस्तको को मेरे पास बीकानेर भी भिजवाया जिनका इस अध्ययन मे यथा स्थान उपयोग किया गया है।

शोध ग्रन्थ को इस रूप मे प्रस्तुत करने मे मुझे अपने निदेशक, डॉ० एम० एस० जैन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से जो प्रेरणा और माग दशन प्राप्त हुआ है, उसी के फलस्वरूप इस शोध-ग्रन्थ को इसके वतमान रूप मे प्रस्तुत करना सम्भव हुआ है। उन्होने न केवल धैयपूवक माग दशन ही किया अपितु मुझे विचारो की पूण स्वतन्त्रता दी। इतना ही नही, इस शोध प्रबन्ध के लिए प्राक्कथन लिखकर उन्होंने इसके महत्त्व को और अधिक बढा दिया। उनके प्रति कृतज्ञता शब्दा मे व्यक्त कर सकना कठिन है।

इस अध्ययन के लिए सदैव मेरा उत्साह सवद्धन एव बहुमूल्य सुझाव देने के लिए अपने निकट सम्बन्धियो यथा पितव्य प० रामेश्वर जी शर्मा, प० भानुप्रकाश जी शर्मा, अग्रज डॉ० दिवाकर शर्मा व मकरध्वज शर्मा, जीजाजी डॉ० बलराम शमा का अतीव आभार मानता हू। अग्रज प्रो० मकरध्वज शर्मा का सहयोग तो मरे लिए अविस्मरणीय है। श्री जितेन्द्र कुमार जैन निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर का आभारी हू जिन्होंने मेरे साथ विषय के सम्बन्ध मे बराबर विचार विमश किया और सुझाव दिये। श्री बृजलाल विश्नोई व विभाग के अन्य सभी सहकर्मियो का आभार माने बिना भी नही रह सकता जिन्होंने समय समय पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग के द्वारा शोध सामग्री के सकलन मे सहायता दी। इस अवसर पर मैं श्री सोहन कुमार बाठिया व श्री रावतमल पारख का कृतज्ञ हुए बिना नही रह सकता जिन्होने कलकत्ता प्रवास मे मुझे मेरे विषय से सम्बन्धित व्यापारी घरानो के व्यक्तियो से परिचय करवाकर उनके यहा सग्रहीत सामग्री के अवलोकन करवाने मे मदद की। अपनी धमपत्नी श्रीमती इन्दु शर्मा को भी धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता जिसने मेरे इस अध्ययनकाल म मुझे घर की जिम्मेवारियो से मुक्त रखा।

भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली के प्रति कृतज्ञ हू जिसने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशनाथ आर्थिक सहायता प्रदान की। राजमाता बाघेलीजी सुदशना कुमारी ट्रस्ट, बीकानेर ने शोध प्रबन्ध तैयार करने हेतु दो हजार की सहायता दी थी सो वह भी धन्यवाद का पात्र है। अध्ययन मे कुछ कमिया एव त्रुटिया रह गई होगी। यदि पाठकगण इनकी आर मेरा ध्यान दिलायेंगे तो मैं उनका आभारी रहूगा। प्रूफ-सशोधन मे अनजाने मे कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिसके लिए विज्ञजनो से क्षमा प्रार्थी हू।

अन्त मे पुस्तक को वतमान रूप म प्रकाशित करने मे श्रीकृष्ण जनसेवी ने जो तत्परता दिखलाई है, उसके लिए मैं उनका आभारी हू।

बीकानेर   गिरिजा शकर शर्मा

19 माच, 1988

सादर समर्पित
पिता, सस्कृत मनीषी
स्व० प० विद्याधर शास्त्री
पितृव्य, इतिहासज्ञ
स्व० प० दशरथ शर्मा जिनके
आशीर्वाद से यह प्रस्तुतीकरण
सम्भव हुआ

विपय-सूची

प्राक्कथन

राजस्थान के 19वी सदी के आर्थिक इतिहास की एक प्रमुख विशेषता व्यापारियो का निष्क्रमण है। यद्यपि इस प्रदेश से व्यापारी पहले भी निष्क्रमण करते रहे लेकिन 19वी सदी मे यह प्रक्रिया अधिक व्यापक और महत्त्वपूण थी। डॉ० गिरिजाशकर शर्मा ने प्रस्तुत पुस्तक मे इस प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया है। उनका यह निष्कष ध्यान दने योग्य है कि इस निष्क्रमण मे अग्रेजी नीति और सामन्ती अत्याचारो का बडा योगदान था। सामा यत इस क्षेत्र की मरुभूमि और जलवायु को निष्क्रमण के लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन इन तत्वो ने 19वी सदी से पहले अपना योगदान नही दिखाया था। इस सदी मे साम ती क्षेत्रो म अव्यवस्था और अत्याचारी वातावरण ने व्यापारी वग का निष्क्रमण करने पर विवश किया। अग्रेजी आर्थिक नीतियो के फलस्वरूप बहुत से आय के साधन समाप्त होते गए। पारगमन व्यापार का कम होना, इजारेदारी प्रथा का समाप्त किया जाना, बट्टे और हुण्डियो से होने वाली आय का घटना आदि कुछ ऐसी घटनाए थी जिनका प्रभाव व्यापारिक वग पर पडना स्वाभाविक था।

इस नकारात्मक भूमिका के अतिरिक्त अग्रेज प्रशासको ने इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित और सम्प न व्यापारियो को प्रलोभन देकर अग्रेजी भारत म निष्क्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन प्रलोभनो मे न केवल उनको सुव्यवस्थित व्यापार का आश्वासन दिया गया था बल्कि उ ह अपने मुनीमो और गुमाश्तो के स दभ मे पूरी छूट दी गयी। यदि उनके किसी कमचारी ने व्यापार म बेईमानी की तो उ ह उन मामलो मे अग्रेजी यायालयो के बाहर भी अपने झगडा का हल करने का अधिकार दिया गया। इतना ही नही बल्कि अ य किसी सामा य व्यक्ति को प्रतिष्ठित व्यापारियो के विरुद्ध मुकदमा दायर करन के अधिकारो का भी नियन्त्रित किया गया। इन तथ्यो से वह भ्रा ति दूर हो सकेगी कि राजस्थान से व्यापारियो न केवल लोटा डोर लेकर ही निष्क्रमण किया।

19वी सदी के अ तिम दशक और बीसवी सदी के प्रथम दो दशको मे यहा से निष्क्रमण किए हुए व्यापारी काफी सख्या मे उच्च श्रेणी के सम्प न व्यापारी बन गए। यह कैसे हो सका ? डा० शर्मा ने इस प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला है। इन मारवाडियो ने खत्रियो और बगालियो को उनके व्यवस्थित व्यापार से बाहर किया। कम मुनाफे, कडी महनत और कम खच के आधार पर वे कडे से-कडे व्यापारिक सघष म भी विजयी हो जाते थे। इसके अतिरिक्त राजस्थान से निष्क्रमण किए हुए व्यापारियो म एक प्रकार की एकता विद्यमान थी जिससे वे एक-दूसरे की सहायता करन म सकोच नही करत थ। इन गुणो के कारण य व्यापारी नए क्षेत्र म भी सफलता प्राप्त कर सके। यह निस्स देह है कि कुछ व्यापारी सटटे व्यापार म अप्रत्याशित सफलता के कारण बहुत धनी बन गए लेकिन ऐसा होना सामा य नही था। वे सब व्यापारी जो सट्ट व्यापार मे अधिक सफल हुए अपनी सफलता को स्थायी नही बना सके। इन व्यापारियो ने कडे परिश्रम से अपनी सम्पन्नता को स्थापित किया। व्यापारिक क्षेत्र मे आरम्भ म उ ह प्रजातीय विभेद का भी सामना करना पडा। आर्थिक हितो के कारण इन I रियो ने आयात और निर्यात व्यापार म यूरोपीय और अग्रेज व्यापारियो से सीधा सघर्ष नहीं पैदा किया, लेकिन व

प्रजातीय विभेद को समझने लगे। सम्भवत यह उन प्रेरक कारणा म से एक था जिसने इन व्यापारिया को स्वतंत्रता सघष म राष्ट्रीय आदोलन का समथन करने के लिए प्रेरित किया। निष्क्रमण किए हुए इस व्यापारी वग ने भारतीय परम्परा और सस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए सस्कृत शिक्षा, आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहित किया। डॉ० शर्मा ने एक लम्बी सूची इन सस्थाओ की प्रस्तुत की है जो इस क्षेत्र के निष्क्रमण किए हुए व्यापारिया द्वारा स्थापित की गई।

अत्यधिक धनी और सफल हो जाने के पश्चात् य व्यापारी बडे उद्योगपति बनने की अपेक्षा अपने राज्य मे वह सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के इच्छुक दिखाई पडे जो वहा बडे जागीरदारो और ठिकानदारा को उपलब्ध था। वे अपने धन का प्रयोग राजा के अधिक निकट आने, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करन, पैरो म सोने के जेवर पहनने आदि के लिए करते थे। शादी अथवा गमी मे राज्य के महाराजा का उनकी हवली पर जाना उनके लिए बडे सम्मान की बात थी। राजकीय कार्यों म अनुदान देकर, सरकारी ऋणो म धन लगाकर व अवैतनिक तथा सम्मानसूचक न्यायाधीश अथवा कौसिल का सदस्य बनना चाहते थे। इन निष्क्रमण किए हुए व्यापारियो ने ही राजस्थान के विभिन्न राज्यो मे जागीरदारी व्यवस्था के विरुद्ध आदोलन को सबल बनाने म सहायता दी। वास्तव मे इस वग के सदस्यो ने ही उस अत्याचारी व्यवस्था के विरुद्ध सघष को प्रोत्साहन दिया। भारत मे उच्च अग्रेज अधिकारियो से सम्पक होने के कारण वे बडी सरलता से सामन्तो के अत्याचारो से बच सके और कुलीय सामन्तवादी व्यवस्था को तोडने की प्रेरणा प्रदान कर सके। इन व्यापारिया के इस प्रकार के योगदान पर शोध काय की काफी आवश्यकता है। डॉ० शर्मा ने इस क्षेत्र मे भी कुछ मौलिक तत्त्वो की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

राजस्थान के औद्योगिक पिछडेपन मे इस सम्पन्न व्यापारी वग की क्या भूमिका रही? यह प्रश्न जटिल है। इस पिछडेपन के लिए कई वग दोषी थे। अग्रेजी सरकार ने शासक वग पर पूजी उधार लेने और साथ ही अग्रेजी भारत के व्यापारियो पर भारतीय राज्यो मे पूजीनिवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा रखे थे। शासको तथा जागीरदारो के साथ लेन-देन सम्बन्धी व्यापारियो के अनुभव इतने मधुर नही थे कि वे मात्र उन पर विश्वास करके पूजी निवेश कर सकते। शासको ने आर्थिक विकास के प्रति जो नीति अपनाई वह अत्यन्त निराशाजनक और उदासीन थी। एकाधिकार को बढावा देने से राज्य मे आर्थिक प्रगति नही हो सकती थी। इसलिए राज्य के आर्थिक पिछडेपन के लिए नीति निर्धारक तत्त्व—अग्रेज सरकार और राज्य के शासक—उत्तरदायी थे। डॉ० शर्मा ने कुछ अप्रिय सत्य लिखे ह जो औद्योगीकरण सम्बन्धी अध्याय म प्रस्तुत किए गए है। यह तथ्य बाद के युग म भी उतन ही महत्त्वपूण रहे हैं।

इन निष्क्रमण किए हुए व्यापारियो के आदर्शों और मूल्यो मे भी भारी परिवतन हुआ जिसकी ओर डा० शर्मा ने ध्यान आकृष्ट किया है। यह एक गम्भीर समस्या है कुछ तक और उदाहरण देकर लेखक ने यह बताया है कि किस प्रकार उन पुराने मूल्या का ह्रास होता गया जो निष्क्रमण के पूव इन व्यापारियो के लिए आदश थे। अग्रेजी भारत मे इन व्यापारियो ने नए अधिनियम का लाभ उठाकर, दिवाला निकालकर धनी बनने का प्रयत्न किया। पहले दिवालिया बनने को घृणित और अपमानित काय समझा जाता था और कोई भी व्यापारी उस अपमान को सहन करने के लिए तैयार नही रहता था। निष्क्रमण के पश्चात् इस दृष्टिकोण मे भारी परिवतन हुआ। अन्तिम अध्याय मे डॉ० शर्मा ने इस नए मानसिक दृष्टिकोण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और व्यावसायिक इतिहासकारा के लिए एक विचारणीय विषय प्रस्तुत कर दिया है।

यह पुस्तक एक नए क्षेत्र म शोध को प्रोत्साहन देने वाली सिद्ध होगी क्योकि अभी तक विभिन्न व्यापारिक जातियो की सूचिया तो प्रकाशित हुई हैं लेकिन इस व्यापारिक-पद्धति पर बहुत कम काय हुआ है। आशा है कि डॉ० शर्मा अपना अध्ययन इस ग्रन्थ पर ही समाप्त नही करेंगे बल्कि अन्य ग्रन्थो के लेखन म रुचि बनाए रखेंगे।

प्रोफेसर, इतिहास विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3 माच, 1988

डॉ० एम० एस० जन

अध्याय 1

उन्नीसवी सदी के पूर्वार्द्ध मे व्यापारी वर्ग का समुत्थान अग्रेजी प्रभुसत्ता के पश्चात् राज्य मे सामन्तवर्ग का पूर्वापेक्षा क्षीण होना तथा आर्थिक अव्यवस्था और अशान्ति का व्यापक होना

19वी सदी मे अग्रेजी सरकार के साथ सधि स्थापित होने के पूर्व राजस्थान के अधिकाश राज्यो मे कुछ महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावशाली सामन्त अपनी अपनी जागीरो म लगभग स्वतत्र शासक की भाति शासन कर रहे थे। अपनी जागीरो मे उन्ह प्रशासनिक, न्यायिक तथा आर्थिक क्षेत्र मे अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनमे अपने दरबार की स्थापना, सैनिक तथा असैनिक कमचारियो व अधिकारियो की नियुक्ति सम्मिलित थी।[1] इन सामन्तो को अपने जागीर क्षेत्र मे शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने, ग्राम पचायतो के निणयो के विरुद्ध अपील सुनने तथा महत्त्वपूर्ण मामलो मे सीधी सुनवाई करने के अधिकार थे।[2] मृत्युदण्ड व देशनिकाला के आदेश राजा द्वारा ही दिए जा सकते थे।[3] शासक की पूर्व अनुमति के बिना स्थानीय न्यायालयो म सामन्तो के विरुद्ध अभियोग नही चलाया जा सकता था तथा उनका न्यायालयो मे उपस्थित होना आवश्यक नही था।[4] इन सामन्तो की गढी मे शरण लेने पर घोर हत्यारा भी बन्दी नही बनाया जा सकता था।[5] आर्थिक क्षेत्र म सामन्तो के विशिष्ट अधिकारो का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्ह अपनी जागीर की जनसख्या तथा आय म वद्धि करने तथा कर निर्धारण का पूर्ण अधिकार था। बीकानेर राज्य मे सामन्त को पट्टा देते समय इन अधिकारो का पट्टे मे उल्लेख कर दिया जाता था।[6] बीकानेर राज्य म सामन्तो को अपनी जागीर मे हिसाबी हासल वसूल करने का अधिकार प्राप्त था। इसका उल्लेख सामन्तो को मिले प्रत्येक पट्टे मे होता था।[7] उन्ह अपने क्षेत्र के व्यापारियो से रखवाली माछ (सुरक्षा शुल्क) वसूल करने का अधिकार भी प्राप्त था।[8] राज्य के शासक की भाति वे भी जागीर से बाहर के कृषको तथा व्यापारियो को कुछ सुविधाओ का प्रलोभन देकर, अपनी जागीर मे रहने के लिए आमन्त्रित कर सकते थे।[9] व्यापारियो को तो अपनी जागीरो म बसाने के लिए सामन्तो म आपस म होड लगी रहती थी। बीकानेर राज्य मे पोतेदार व्यापारियो को अपने यहा बसाने की चुरू और सीकर सामन्तो की आपसी होड की कहानी काफी प्रसिद्ध है।[10] राज्यो मे बडे सामन्तो को अपने क्षेत्र मे पारगमन पर जगात (चुगी) वसूल करने का अधिकार था। बीकानेर राज्य म महाजन चूरू व साखू आदि ठिकानो को अपने अपने क्षेत्र की जगात वसूल करने का अधिकार प्राप्त था।[11] सामन्तो की स्वीकृति के बिना जागीर क्षेत्र के लोग, अपना मूल निवास छोडकर अन्यत्र कही नही बस सकते थे। इस प्रकार सामन्तो का अपनी जागीर के धनी एव निधन सभी लोगो पर प्रभुसत्ता तथा नियत्रण स्थापित था।[12]

विशेषाधिकार प्राप्त उक्त सामन्त वग राज्यो के शासको के लिए एक बडी समस्या थे। शासको के आदेशो की अवहेलना करना तथा उनसे असतुष्ट हो जाने पर उसके विरुद्ध विद्रोह कर देना सामन्तो के लिए सामान्य बात थी। विभिन्न राज्यो के शासको म परस्पर असहयोग से सामन्तो को परोक्ष रूप मे समथन मिलता था क्योकि एक शासक से कुपित कठोर

व्यवहार के विरुद्ध पडोसी राज्यो के शासको या समथन इन सामन्तो को मिल जाया करता था जो इन विद्रोही सामन्तो को आवश्यक सैनिक मदद ही नही देते बल्कि कभी कभी उनके साथ स्वय भी उनके शासक के विरुद्ध हमला बोल देते थे।[13] बीकानेर मे महाराजा जोरावरसिंह के शासनकाल म भादरा का सामन्त लालसिंह, चूरू का सामन्त सग्रामसिंह व महाजन का सामन्त भीमसिंह राज्य के शासक से असतुष्ट होकर पडोसी राज्य जोधपुर म चले गये और 1740 ई० जोधपुर के शासक अभयसिंह ने उनके साथ बीकानेर पर आक्रमण कर दिया।[14] 1747 ई० म भी महाराजा गजसिंह के शासनकाल मे भादरा व महाजन के सामन्तो ने महाराजा गजसिंह के भाई अमरसिंह के साथ जोधपुर राज्य के सहयोग स बीकानेर राज्य पर इसी प्रकार हमला कर दिया।[15] चूरू का सामन्त पृथ्वीसिंह महाराजा सूरतसिंह स नाराज होकर सीकर (जयपुर राज्य के अधीन) के रामगढ नामक कस्बे म रहता था और 1815 17 ई० के मध्य समय समय पर बीकानेर पर हमले करता रहता था।[16] इनके अतिरिक्त राज्य के अनेक सामन्तो ने शासक की कमजोरी का लाभ उठाकर राज्य की खालसा भूमि पर अतिक्रमण करना और शासको द्वारा पूव निर्धारित खिराज देने म आनाकानी करना आरभ कर दिया। 19वी सदी के आरभ मे बीकानेर राज्य म यह अव्यवस्था सामान्य सी हो गई थी।[17]

बीकानेर के शासक महाराजा सूरतसिंह ने राज्य के उपद्रवी सामन्तो से दु खी होकर सन 1818 ई० मे अग्रेजो के साथ की गई सधि म सामतो के विरुद्ध अग्रेजी सहायता का आश्वासन प्राप्त किया। इसके पश्चात सामतो के विशिष्ट अधिकारो को कम करने का एक निश्चित अभियान आरभ किया गया जो बाद म अग्रेजो के अपने आर्थिक हितो की वद्धि एव राज्य की शासन व्यवस्था पर अग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करन म सहायक हुआ। प्रारभिक समय से ही सामतो के प्रभाव के कारण अग्रेज सरकार राज्यो मे अपनी नीतियो को लागू करने मे कठिनाई अनुभव कर रही थी। उदाहरणाथ अग्रेज सरकार के लिए बीकानेर राज्य का उसके सिध और दिल्ली व्यापार माग पर स्थित होने के कारण काफी महत्त्व था।[18] किन्तु अग्रेजी वस्तुओ के व्यापार की वृद्धि मे इस राज्य की परम्परागत राहदारी दरें उसके लिए एक बाधा बनी हुई थी। अग्रेज सरकार ने 1818 ई० 1844 ई० के मध्य राज्य के शासक पर राहदारी की दरें कम अथवा समाप्त करने के लिए पर्याप्त दबाव डाला किन्तु सामतों की स्वीकृति के बिना राज्य का शासक राहदारी की दरो को समाप्त करने म असमथ दिखाई पडा।[19] आरम्भ म अग्रेज सरकार को यह भी अनुभव हुआ कि शासक विरोधी सामन्त भी शासक के विरुद्ध अग्रेजो का समथन करने के लिए तैयार न थे। जब जोधपुर राज्य के विद्रोही सामत अपने शासक महाराजा मानसिंह की शिकायते लेकर कनल सदरलण्ड के पास पहुचे तब उसने सामतो से पूछा कि महाराजा और अग्रेजो के मध्य युद्ध मे वे किसका साथ देंगे ? इस पर शासक विरोधी सामतो ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ऐसे समय पर महाराजा का साथ देंगे।[20] इनमे परिस्थितियो मे अग्रेज सरकार ने राज्यो मे अग्रेज विरोधी सामत वग को धीरे धीरे प्रभावहीन तथा अपने समथक लोगो को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया जिससे राज्यो म अग्रेजी प्रभाव तथा प्रभुत्व अधिकाधिक बढ सके।

शासको ने भी अपने सामतो की विद्रोही प्रवत्तियो को कुचलने म अग्रेजी सरकार का साथ दिया और अग्रेजी समथन की पूण सभावना ने शासको को अपने सामन्तो की विशिष्ट सुविधाए कम करने के लिए प्रोत्साहित किया। बीकानेर महाराजा सूरतसिंह न उन्नीसवी सदी के आरभ मे अपने सामतो की सैनिक सेवा के बदले मे 60 रुपये और बाद मे उसे बढा कर 125 रुपय प्रति सवार के हिसाब से नगद रकम देने के लिए बाध्य किया।[21] 1868 ई० म राज्य के शासक महाराजा सरदारसिंह ने सामतो के विद्रोह को अग्रेजी प्रभाव एव सहयोग से दबाकर उनको 200 रुपये का प्रति सवार के हिसाब से नगद रकम देने के लिए विवश किया। अत म 1884 ई० राज्य के शासक ने सामन्तो से एक समझौते के अनुसार प्रत्येक सामन्त से उसकी जागीर की वार्षिक आय का एक तिहाई हिस्सा सैनिक सेवा के बदले मे लिया जाना निश्चित किया।[22] इससे सामतो की शक्ति म पर्याप्त कमी आ गई। नगद धनराशि देने के कारण सामतो ने अपने व्यय को कम करने के लिए घुडसवारो और सैनिक दस्तो की सख्या धीरे धीरे कम कर दी जिससे शासक का विरोध करने की उनकी क्षमता समाप्त होती गई। धीरे-धीरे सामन्तो का अपनी गाडियो मे अपराधियो को शरण देने का जो विशेषाधिकार था उसम काफी कमी कर दी गई।[23] राजस्थान के राज्यो और अग्रेजी सरकार के बीच सधिया हो जाने के फलस्वरूप, राज्यो के शासको के आपसी कूटनीतिक

सवधा पर, अंग्रेजी प्रभाव बढता गया और किसी भी शासक के लिए अपने पडोसी राज्य के सामता को सैनिक सहायता दना असभव हो गया । सामतो के राज्य से बाहर जाने के लिए शासक की अनुमति आवश्यक कर दी गई ।[24] इस प्रकार सामतो की शक्ति का अन्य आधार भी टट गया और उनका अपने शासक के विरुद्ध सगठित मोर्चा बनाना भी असभव हो गया ।[25] सामतो का प्रभाव कम करने के लिए उनको प्राप्त न्यायिक विशेषाधिकारो को समाप्त करने अथवा उनमे कमी करने का प्रयत्न अंग्रेजी सरकार के सहयोग से आरभ हुआ । भारत मे अंग्रेजी विधि प्रणाली लागू कर दिये जाने क बाद राजस्थान के राज्यो मे भी ऐसे परिवतन किये गये ।[26] इससे सामन्तो के न्यायिक अधिकार सीमित तथा समाप्त होते गय । बीकानेर राज्य मे 1871 ई० मे आधुनिक ढग के दीवानी, फौजदारी व माल के न्यायालय खुल गए और 1884 ई० मे अंग्रेजी ढग के कानून-कायदे लागू हो जाने के बाद सामान्य न्यायालयो को भी सामता के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई करन तथा उनके विरुद्ध कुर्की के आदेश जारी करने के अधिकार मिल गये । यद्यपि राज्य मे बडे सामत दीवानी मामलो म न्यायालयो मे उप स्थित न होने के विशेषाधिकार का उपभोग करते थे लेकिन उन्हे सामान्य नागरिको की भाति न्यायालया मे शुल्क देने को बाध्य किया गया ।[27] राज्य म सामतो की परिवर्तित स्थिति का अनुमान उनके द्वारा 1872 ई० मे राज्य के शासक के विरुद्ध चाल्स बटन को की गई कुछ प्रमुख शिकायता की सूची मे लगाया जा सकता है (1) फौजदारी मामलो मे दण्डित राजपूता और राठौडो को राज्य की सामान्य जेला मे रखा जाने लगा (2) दीवानी और फौजदारी और राजस्व अधिकारा से वचित कर दन से उनका अपनी प्रजा मे सम्मान कम हो गया, (3) सामतो को अपनी सम्पत्ति वेचने और गिरवी रखने तक के अधिकार सीमित कर दिय गये ।[28]

सामतो की उद्दण्डता तथा स्वतन्त्रता पर नियत्रण करन के लिए उनके आर्थिक विशेपाधिकारो को भी नियन्त्रित किया गया । अनेक सामतो को राज्य की खालसा भूमि पर से अपना अतिक्रमण समाप्त करना पडा और अनेक उद्दण्ड सामता को दण्ड देने के लिए उनकी वशानुगत जागीरो को भी खालसा कर दिया गया अथवा उनमे काफी कमी कर दी गई । बीकानेर मे महाराजा सूरतसिंह एव रतनसिंह के शासन मे अंग्रेजो की सहायता से अनक विद्रोही सामतो को उनकी जागीरा से बेदखल कर दिया गया लेकिन उचित क्षमायाचना और आज्ञाकारिता का आश्वासन देने पर उन्हे ये जागीरें वापस भी कर दी गईं । 1831 मे महाराजा रतनसिंह ने महाजन के सामत वेरीसाल, बीदासर के सामन्त रामसिंह व चाहडवास के सग्रामसिंह की जागीरें खालसा कर दी लेकिन बाद मे उनकी आज्ञाकारिता का आश्वासन मिलने पर उन्हे वापिस कर दी गइ ।[29] 1833 ई० मे इसी महाराजा ने कुमाणे सामन्त लालसिंह की जागीर को खालसा कर दिया ।[30] पिता की मत्यु के पश्चात नये सामन्त को उत्तराधिकार शुल्क के रूप मे अपनी जागीर की वार्षिक आय के बराबर खिराज शासक को देना पडता था। ऐसे सामन्तो से भी जो वार्षिक खिराज देने से मुक्त थे, उत्तराधिकार शुल्क के रूप मे वार्षिक आय का एक तिहाइ नजराना लिया जाने लगा ।[31] बीकानेर राज्य के महाजन जसाणा, बाय, सीधमुख, कानसर, बिरकाली, मघाणा, हरदेसर, कनवारी, साईसर व धाराबरा आदि जागीरो के सामन्तो ने अंग्रेज एजेन्ट को एक प्राथना पत्र दिया जिसम उन्होन राज्य के शासक द्वारा लगाये गये भिन्न भिन्न आर्थिक प्रतिबन्धो का वणन किया । जैसे उनके गावा को जब्त कर लेना, नजरान के रूप म उनसे अनुचित धन वसूल करना और उन पर अनेक प्रकार के नय शुल्क लगाना आदि ।[32] सामता और शासको के मध्य हुए विभिन्न कौलमाना (अनुबन्धा) मे दिय सामता के राजस्व वसूली के अधिकार भी शासक द्वारा सीमित करन के प्रयत्नो की आलोचना की गई ।[33] सामतो को भूमि अनुदान देन के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया । वे किसी भी व्यक्ति को सासन और डोहली के नाम पर भूमि का अनुदान नही दे सकते थे ।[34] सामन्तो का पहले व्यापारियो की सुरक्षा हेतु जो शुल्क लेने का अधिकार था, बाद मे यह अधिकार केवल शासको को दे दिया गया ।[35] सामतो के विशेषाधिकारो को केवल शासको की तुलना म ही नही अपितु उनके जागीरी क्षेत्र म रहने वाले लोगो की दृष्टि मे भी कम करने का भी प्रयत्न किया गया । पहले जागीरो के निवासी अपन जागीरदारो की स्वीकृति के बिना अपना मूल निवास स्थान छोडकर कही अन्यत्र नही जा सकते थे किन्तु ए० जी० जी० सरकार हेनरी लारेंस ने अपने आधीन समस्त रजीडेन्टो और एजेन्टो को विशेष निर्देश दिया कि वे अपन राज्यो के शासको पर दबाव डालकर सामता के इस विशेषाधिकार को समाप्त करवाने का प्रयत्न करें ।[36]

धीरे-धीरे राज्या म सामन्ता के इग विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। इन दोना विशेषाधिकारा के समाप्त हो जाने से सामता की आय का एक प्रमुख स्रोत ही समाप्त नही हो गया बल्कि व्यापारी वग पर उनका प्रभाव भी कम हो गया। कालान्तर म जागीर क्षेत्र के लाग साम ता के विशेषाधिकार की अवहेलना कर, अपनी इच्छानुसार जागीर से बाहर कहीं भी जाने के लिए स्वतत्र हो गय।

साम ता ने अपन सनिक न्यायिक और विशिष्ट अधिकारा की समाप्ति का सहज ही स्वीकार नहीं किया अपितु इस बात का भी प्रयत्न किया कि अग्रेजी नियत्रण मे स्थापित शान्ति-व्यवस्था को भग किया जाये। इन सामन्ता ने जो अभी तक वाणिज्य व्यापार के सरक्षक, शान्ति-व्यवस्था के नियामक तथा न्यायपालक थे, ने अब अपने महत्त्वपूण और प्रभाव का राज्यभर मे लूटपाट मचाने और समस्त राज्य म अशान्ति फैलाने मे लगा दिया। 1829 ई० म महाजन के सामन्त वेरीशाल ने अपने इलाके म बावरी, जोहिये आदि जाति के दो सौ लुटेरा को आश्रय द रखा था जिनके माध्यम स वह बीकानेर क्षेत्र म चारी डकती डलवाया करता था। 1833 ई० मे लाडसर का बीदावत साम त रूपसिंह अपन साथियो क साथ राज्य मे लूटपाट करने लगा। उसने मेहसर, घडसीसर, लूणकरणसर आदि अनेक गावा म लाखा रुपया की सम्पत्ति लूट ली तथा बहुत से आदमियो को मार अथवा घायल कर, राज्य के ऊटो के टाले पकड ल गये। चूरू मे मिर्जामल पातदार के अनेक कागज उपलब्ध हैं जिनम चूरू से भिवानी व चूरू स जयपुर माग पर उसके व्यापारी माल से लदी ऊटा की कतारो को जागीरी इलाको मे लूट लिया गया। यह माल या तो जागीरदारो ने स्वय ही लूटा अथवा उनके इलाके म लूटपाट के निमित्त बसाये गये मीणा ने लूट लिया था।[37] चूरू भादरा, बीदासर, रावतसर भूकरका, अजीतपुरा व कुभाणा आदि जागीरा के साम ता ने धन प्राप्त करने के लालच मे अपने यहां अपराधियो को शरण दनी और उनक माध्यम से राज्य म लूटपाट आरभ कर दी। राज्य म व्यापक अशा ा स्थिति का फायदा उठाकर कुछ पृथक लुटेरो के दलो का गावो म लूटपाट आरभ करने का सुअवसर मिल गया। इन लुटेरो ने अपनी गतिविधिया से सारे राज्य म आतक फैला दिया तथा बाजारो को दिन म भी खुले रूप से लूटने लग।[38] राज्य मे यह अशान्ति और लूटपाट का वातावरण 1828 ई० म आरभ हो गया और उत्तरात्तर व्यापक होता गया। राज्य के प्रभावशाली सामन्त ही जब इस लूटपाट मे भाग लेने लग तब राज्य म पृथक् प्रशासनिक सेवा के गठन के अभाव मे अधिकारिया के लिए इस अव्यवस्था को सुधारना असभव हो गया। इस स्थिति म राज्य म व्यापारी काफी असुरक्षित हो गय और आये दिन व्यापारी काफिले लूटे जाने लगे। अग्रेजी अधिकारियो ने व्यापारियो की लूट की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यो को खरीते (पत्र) लिखे और बीकानेर शासक को उनका माल वापस दिलाने और भविष्य मे ऐसी वारदातें न हाने दने के सदभ मे सुझाव दिये।[39] 1851 ई० के पश्चात यह स्थिति और अधिक बिगड गई और साम तो ने अपनी अपनी जागीरा म व्यापारी वग का कडी यातनाए देनी आरभ कर दी। चूरू के साम त ईश्वरीसिंह ने 1855 ई० म सेठ गजराज पारख व कमच द लोहिये को धन प्राप्त करने के लिए भयकर यातनाए दी थी।[40] इसकी पुष्टि अन्य साधनो के अतिरिक्त बीकानेर के व्यास मथरे के सवत् 1911, चेत सुदी 13 के पत्र से जिसे उसने जैसलमर के केशरीसिंह के नाम भेजा था। इसमे उसने चूरू के किले पर ठाकुर ईश्वरीसिंह द्वारा अधिकार करके साहूकारो की हवेलियो म घुसकर साहूकारो का पकडकर किले मे कैद करके उनसे तीन लाख रुपयो की रामगढ की हुण्डिया लिखवाये जाने का उल्लेख किया ह।

राजस्थान म अग्रेज सरकार की राज्यो के सामन्तो को पहले की अपेक्षा कमजोर करने की नीति का ही एक पक्ष यह भी था कि उसन अपने प्रति निष्ठावान मुत्सद्दी एव व्यापारिक वग के हितो को प्रोत्साहन देना शुरू किया इससे इनकी स्वामीभक्ति और निष्ठा अपने शासको के साथ साथ अग्रेजी सरकार के प्रति बढ सके। इन दोनो ही वर्गों के अधिकाश घराने राज्य की वैश्य जाति से सबधित थे। मुत्सद्दी वग म वे परिवार थे जो राज्य के राजनीतिक, सनिक व प्रशासनिक कार्यों के सचालन से सबधित थे तथा साम तो के समान कुछ सुविधाओ का उपभोग कर रहे थे। दूसरा वग उन व्यापारियो का था जो यद्यपि मुत्सद्दी वग से सबधित होत हुए भी राज्य मे वाणिज्य व्यापार म सलग्न था। उन्नीसवी सदी म किये गय एक सर्वेक्षण स यह पता चलता है कि बीकानेर राज्य के सस्थापक राव बीका क साथ बहुत से मुत्सद्दी व साहूकार जाधपुर से आये थे जिनम से अधिकाश घराना के वशज वाणिज्य-व्यापार म सलग्न रहे तथा कुछ घराने राज्य सेवा म प्रमुख स्थान बनाये

रहे।[41] इसके अतिरिक्त इन व्यापारियो का एक वग उनका भी था जो वाणिज्य व्यापार हेतु निकटवर्ती राज्यो से समय-समय पर राज्य के विभिन्न भागो मे आकर बस गये थे। ऐसे व्यापारियो को सामान्य नागरिक की भाति राज्य की ओर से कोई विशेष सुविधाए उपलब्ध न थीं। केवल राज्य मे आकर रहने पर राज्य की आर से रहने के लिए नि शुल्क आवासीय भूमि व जगात शुल्क मे कुछ छूट देने की परम्परा अवश्य थी।[42] बीकानेर राज्य मे मुत्सद्दी घराना मे अग्रेजी सरक्षण का सवाधिक लाभ वेद मेहता घराने को मिला। इस घराने के सदस्यो ने 1818 ई० से 1887 ई० तक न केवल राज्य म अनेक महत्त्वपूण पद व सम्मान प्राप्त किये वल्कि राज्य मे अग्रेजी हितो की पूर्ति मे भी महत्त्वपूण भूमिका निभाई। यद्यपि इससे पहले उन्नीसवी सदी के पूव भी बच्छावत, मोहता व सुराणा आदि मुत्सद्दी घरानो क सदस्यो ने राज्य मे विशिष्ट महत्त्वपूण योगदान दिया। इनमे 19वी सदी तक मेहता कमचन्द बच्छावत ने राज्य की तत्कालीन राजनीति मे महत्त्वपूण भाग लिया था।[43] बच्छावतो के बाद मोहता घराने के मुत्सद्दियो ने दीवानगिरी का पद ग्रहण किया। इस घराने के दीवान मोहता बख्तावरसिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की।[44] उसने राज्य की तरफ से अनेक युद्धो मे भाग लिया तथा राजा गजसिंह को गद्दी पर बिठलाने मे महत्त्वपूण भूमिका निभाई। मोहता घराने के साथ साथ सुराणा घराने के अमरचन्द सुराणा का नाम भी उल्लेखनीय है। उसने राज्य की ओर से अनेक महत्त्वपूण विजय प्राप्त की और राज्य के विद्रोही सामन्तो को राज्याधीन करन मे सहयोग दिया।[45]

वेद मेहता घराने के मेहता अबीरचन्द ने 1818 ई० मे अग्रेजो के साथ राज्य द्वारा की जाने वाली सन्धि जो मुख्य रूप से सामन्तो की बढती हुई विद्रोही प्रवृत्ति का दबाने के उद्देश्य से की गई थी, की पृष्ठभूमि मे महत्त्वपूण भूमिका निभाई। गोली लगने एव रुग्ण हा जाने के कारण वह अन्तिम समय पर सन्धि पर हस्ताक्षर करने नही जा सका और उसके स्थान पर काशीनाथ ओझा ने इस काय को सम्पन्न किया।[46] इस सन्धि मे अन्य बातो के अतिरिक्त राज्य के व्यापारी वग एव अग्रेजी व्यापारिक हितो का ध्यान रखा गया। सन्धि की छठी व दसवी धारा मे क्रमश व्यापारियो एव अन्य लोगा की सम्पत्ति लूट लिये जाने पर राज्य से लूटी गई सम्पत्ति वापस दिलवाने तथा बीकानेर और भटनेर का व्यापारिक माग काबुल और खुरासाम आदि से व्यापार विनिमय के लिए सुरक्षित एव आने-जाने योग्य बनाने की अपेक्षा की गई।[47] राज्य के साथ सन्धि होने के कुछ ही समय पश्चात जब सीधमुख जसाणा, विरकाली, दद्रेवा, सरसला, जारीया, चूरू, सुलखनिया व नीवा आदि सामतो ने विद्रोह कर दिया तब वैद मेहता अबीरचन्द 1818 ई० मे दिल्ली गया और इन सामन्तो को दबाने के लिए अग्रेजी सहायता प्राप्त की।[48] उसके कार्यो से प्रसन्न होकर 1827 ई० मे अग्रेज गवनर लाड एम्हर्स्ट ने मेरठ म उनको खिल्लत देकर सम्मानित किया।[49] वैद अबीरचन्द की मत्यु के पश्चात उसके बडे भाई महत्ता मूलचन्द के दूसरे पुत्र वेद मेहता हिन्दूमल को 1827 ई० मे राज्य के शासक महाराजा सूरतसिंह ने दिल्ली मे अपना वकील नियुक्त किया। यहा उसका अग्रेज अधिकारियो से गहरा सम्पक हो गया। महाराजा सूरतसिंह की मृत्यु के बाद महाराजा रतनसिंह न 1828 ई० मे गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद महता हिन्दूमल को अपना मुख्यमत्री बनाया और राजमुद्रा लगाने का काय भी उस ही सौंप दिया।[50] कुछ समय पश्चात् महाराजा ने मेहता हिन्दूमल को महाराव' का खिताब देकर उसकी हवेली पर महमान बनकर उसे सम्मानित किया।[51] यहा उल्लेखनीय है कि मेहता हिन्दूमल को उक्त सम्मान उसकी राज भक्ति के साथ उस अग्रेज सरकार के सरक्षण के कारण प्राप्त हुए थे।[52] हिन्दूमल पर अग्रेज सरकार का इतना अधिक विश्वास था कि वह बीकानेर ही नही अपितु राजस्थान के अन्य प्रमुख राज्यो जयपुर और जोधपुर से सबधित गभीर मुकदमो म हिन्दूमल की सलाह स निणय किया करती थी।[53] दूसरी ओर राजस्थान के अन्य शासक भी भारत सरकार के अग्रेज राजनीतिक अधिकारिया के पास अपने उलझे हुए मुकदमो को तय करवाने के लिए हिन्दूमल पर निभर हो गये। उदयपुर के महाराजा सरदारसिंह न हिन्दूमल का 'ताजीम का सम्मान दिया और मवाड राज्य के सबध मे जो भी मुकदमे अग्रेज राजनीतिक अधिकारिया के पास चल रहे थे, उन्हे तय करन का भार उसे ही सौंप दिया।[54] हिन्दूमल ने बीकानेर और अग्रेजी सरकार के बीच सीमा-सबधी झगडो को अग्रेजी इच्छानुसार सुलझाने म मदद की। इस सबध मे उसे अग्रेज राजनीतिक अधिकारिया क अनक खरीते प्राप्त हुए।[55] इसके अतिरिक्त मेहता हिन्दूमल न राज्य म अग्रेजी हिता को ध्यान म रख कर, राहदारी की दरा म काफी कमी

करवा दी।[56] उसका राज्य मे बढे हुए प्रभाव का अनुमान महाराजा रत्नसिंह द्वारा दिये गये एक खास रुक्के स लगाया जा सकता है जिसमे उसने अन्य बातो के अलावा हिन्दूमल के लिए लिखा है—तेरा हम पर हाथ है सिर पर हाथ रखना। तने हमारी जो सेवाए की हैं उनसे हम उऋण न होगे।[57] राज्य मे उसका प्रभाव इसस भी स्पष्ट होता है कि न केवल राज्य का शासक ही उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने उसकी हवेली पर जाया करता बल्कि राजस्थान के अन्य राज्यो के शासक जब बीकानेर आते तब वे भी उसकी हवेली पर जाया करते थे। 1840 ई० मे जब महाराणा उदयपुर बीकानेर आया तब वह महाराजा रतनसिंह के साथ सम्मानाथ हिन्दूमल की हवेली पर गया।[58] 1847 ई० मे मेहता हिन्दूमल की 42 वष की युवावस्था मे मृत्यु हो गई तब भारत सरकार के अनेक उच्च अग्रेज अधिकारियो ने हिन्दूमल की मृत्यु पर शोक प्रकट किया।[59] उसके पश्चात् उसके पुत्र मेहता हरिसिंह को महाराजा रत्नसिंह ने वे सभी मान मर्यादाए प्रदान की जो हिन्दूमल को प्राप्त थी। महाराजा ने उसे अपनी ओर से राजपूताने मे गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के पास वकील भी नियुक्त किया।[60] महाराजा रतनसिंह की मत्यु के बाद महाराजा सरदारसिंह के समय मेहता हरिसिंह का काफी प्रभाव था। उसको राज्य म मुख्य सलाहकार बनाकर राजमुद्रा लगाने का अधिकार दिया गया। राज्य म उसके प्रभाव की पुष्टि महाराजा सरदारसिंह द्वारा हरिसिंह को लिखे एक खरीते से होती है। उसमे अन्य बातो के अतिरिक्त लिखा है कि पुराने सभी साथी बदल गये हैं अब आप ही मुझे सलाह दें। आपकी सलाह के बिना मैं किसी को रुक्का आदि नही लिखूगा।[61] 1857 इ० के विप्लव के समय बीकानेर क्षेत्र से लगे अग्रेजी क्षेत्र हासी हिसार मे विद्रोहियो से अग्रेजी परिवारो को बचाने के लिए, बीकानेर के शासक सरदारसिंह के साथ महाराव हरिसिंह व वैद मेहता राव गुमानसिंह ने भी महत्त्वपूण भूमिका निभाई।[62] 1872 इ० मे महाराजा सरदारसिंह की नि स तान मृत्यु हो जान के पश्चात मेहता हरिसिंह व उसके छोटे भाई मेहता जसवन्तसिंह ने महाराजा डूगरसिंह को राजगद्दी पर बिठाने के लिए अग्रेजी सरकार के समक्ष सफल पैरवी की। इसके उपलक्ष्य म महाराजा डूगरसिंह न इन दोनो को अमरसर व पलाना गाव जागीर मे दिये और राज्य कौंसिल का सदस्य बना दिया।[63] 1877 ई० मे मेहता हिन्दूमल के छोटे भाई मेहता छोगमल ने लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार म बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। महाराजा ने उसे भी कौंसिल का सदस्य बना रखा था।[64] सन् 1887 ई० मे महाराजा गगासिंह के बाल्यावस्था म गद्दी पर बैठने के समय से लगाकर उसकी मृत्यु जो 1943 ई० मे हुई तक वैद मेहता घरान के अनेक सदस्य राज्य सेवा म उच्च पद प्राप्त किये हुए रहे।[65]

वद महता घराने के अतिरिक्त इस समय बीकानेर राज्य म वश्य जाति के अन्य अनेक मुत्सद्दी घरानो के सदस्यो ने भी राज्य म बडे-बडे पद प्राप्त किये। किन्तु अग्रेजी सरक्षण के अभाव म विशेष प्रभावशाली नही बन सके और थोडे-थोडे समय तक अपन पदो पर रहने के बाद शासको द्वारा हटा दिय गये। इनम मानमल रखेचा, रामलाल द्वारकानी, शाह मल कोचर एव धनसुख कोठारी के नाम उल्लेखनीय थे।[66] मुत्सद्दी घराना के समान ही राज्य म वाणिज्य व्यापार म सलग्न एस व्यापारी घरान थ जिनको अपने कारोबार मे अग्रेजी सरक्षण प्राप्त हुआ। इनम मिजामल पोद्दार घराना, बशी लाल अबीरचन्द डागा घराना व अमरसी सुजानमल ढड्ढा घराना उल्लेखनीय है। इनके विषय म अध्याय चार व पाच म विस्तार म चर्चा की गई है।

यहा यह उल्लखनीय है कि उन्नीसवी सदी व इससे पूव राज्य के शासको के विरुद्ध सामन्तो न जब जब विद्रोह किया अथवा शासको को किसी प्रकार की क्षति पहुचाने का प्रयत्न किया तब वैश्य जाति के व्यापारी एव मुत्सद्दी वग के इन लोगो न, एम अवसरो पर न केवल शासको का समथन ही किया, अपितु सामन्तो के विद्रोह को शक्ति स कुचलने एव राज्य मे शान्ति-व्यवस्था स्थापित करने मे महत्त्वपूण भूमिका निभाई। सवत 1882 म ददरेवा का प्रभावशाली जागीरदार सूरज मल विद्रोही हो गया था। उसन पहले अग्रेजी इलाके के गाव बहल के थान को लूट लिया था जिस पर अग्रेजी सना ने उसे वहा स मार भगाया। वहा स भागकर वह चूरू के इलाके मे आगया। उस समय ऐसी आशका हो गई थी कि वह चूरू मे घुसकर चूरू को लूटगा। अत महाराजा सूरतसिंह ने चूरू की समुचित रक्षा-व्यवस्था करने का दायित्व चूरू के प्रमुख व्यापारी मिर्जामल पोतदार को सौंपा। इस प्रयत्न म मिर्जामल न आशातीत सफलता प्राप्त की और महाराजा न उसे

सम्मानित किया। महाराजा सूरतसिंह के शासनकाल मे जब सामतो की विद्रोही गतिविधिया बढने लगी तब इसी भाति मुत्सद्दी वग के अमरचन्द सुराणा ने 1803 मे चूरू के सामन्त को, 1809 ई० मे साण्डवे के विद्रोही सामन्त जैतसिंह को, 1813 ई० मे भूकरका के सामन्त प्रतापसिंह, सीधमुख के सामन्त नाहरसिंह तथा भादरा के सामन्त पहाडसिंह रामसिहोत एव 1814 ई० मे चूरू के सामन्त शिवजीसिंह व पृथ्वीसिंह को शासको की आधीनता स्वीकार कर, पेशकशी दन अथवा राज्य से बाहर भागने को बाध्य किया। 1821 ई० मे सुराणा हुकमचन्द ने बारु के विद्रोही सामन्त जवानसिंह भालदोत को 1829 ई० मे महाजन के विद्रोही सामन्त वेरिसाल व 1833 ई० मे भादरा के विद्रोही सामन्त के विद्रोहो को दबाने म राज्य के शासक की वडी मदद की। इसी भाति दीवान लक्ष्मीचद सुराणा, मोहनलाल मेहता, लालचन्द सुराणा, जालिमचन्द मेहता, केशरीचद मेहता व मेहता छोगमल ने राज्य मे समय समय पर शान्ति व्यवस्था स्थापित करने मे योग दिया।[67]

राज्य मे अग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित होने के पश्चात् राज्य का व्यापारी वग जो सामन्तो को प्राप्त अनेक विशेषाधिकारो के कारण उनसे दबा हुआ था, अग्रेजी सरक्षण के कारण सामन्त वग के बन्धनो से मुक्त हुआ। इसके साथ ही यह वग अग्रेजी भारत मे सफल वाणिज्य व्यापार करने के फलस्वरूप सुसम्पन्न होने लगा और राज्य के शासको की उनकी आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता देने की स्थिति मे आ गया। इससे उसका राज्य म प्रभाव बढने लगा, राज्य की ओर से इस वग के लोगो को बडे-बडे सम्मान एव सुविधाए दी जाने लगी जो पूव मे राज्य के सामन्तो को प्राप्त थी। इसके फलस्वरूप राज्य के इस व्यापारी वग ने अपने आपका एक प्रभावशाली वग के रूप मे प्रस्तुत करने मे सफलता प्राप्त की। इसकी विस्तृत चर्चा अगले अध्याया मे दृष्टव्य है।

सदर्भ

1 बीकानेर रे धणीया री याद ने बीजी फुटकर बाता, न० 22511, पृ० 10 14, राठोडा री वशावली तथा पीढिया, न० 23215, पृ० 40 43 (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी, बीकानर), भाटिया र गावा री विगत वि०स० 1849 (भैया सग्रह, राज० राज्य अभिलेखागार, बीकानर)

2 परवाना बही, बीकानेर वि० स० 1749, प० 8 10, पट्टा बही, बीकानेर, वि० स० 1753, पृ० 6 (राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर)

3 कागदा री बही बीकानर, वि० स० 1839, न० 6, पृ० 11, वि० स० 1840, न० 3, पृ० 39 41, वि० स० 1867, न० 16, पृ० 67, 74, 244 (रा० रा० अ०), पो० क० कनल सदरलैण्ड रिपाट, 7 अगस्त 1847। (राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली)

4 कागदा री बही, बीकानेर, वि० स० 1857 न० 11, पृ० 227, वि० स० 1867 न० 16, पृ० 33 (रा० रा० अ)

5 पो० क० 10 जनवरी, 1834, न० 16-18, 6 माच 1834, न० 7 8 (रा० अ० दि), पाउलट-गजेटियर आफ दी बीकानेर स्टेट, प० 80 81

6 बही नक्ल परवाना महाराजा श्री गजसिंह साहबा री सवत 1749, न० 112, कागदा री बही बीकानर वि०स० 1857 न० 11, पृ० 89 वि० स० 1874 न० 23, पृ० 159 वि० स० 1838, न० 5, पृ० 65, (रा० रा० अ), भैया नथमल का पत्र वि० स० 1861 मिती माह बद 10 (भया जदरायसिंह सग्रह)

7 वही नक्ल परवाना महाराज श्री गजसिंह साहबा री स० 1749, न० 112, वही परवाना सवत 1800 1808, न० 212, वही परवाना सरदारन, सवत 1800 1900, न० 212, बही परवाना सरदारन सवत 1880, न० 4 सामन्तो को दिये गये पट्टे द्रष्टव्य हैं, (रा० रा० अ०), पो० क० 26 अगस्त, 1840, न० 26 (रा० अ० दि०)

8 कागदा री बही, बीकानेर, वि० स० 1854 न० 10, प० 204, एचीसन, ट्रीटीज, एगेजमेन्टस एण्ड सनदस, खण्ड 3 पृ० 23, रुखवाली भाछ री बही, बीकानेर, सवत, 1854, पृ० 1-30, सवत् 1856, प० 1-13, (रा० रा० अ०)

9 पो० क० 26 अगस्त 1840, न० 26 (रा० अ० दि०), अग्रवाल गोविन्द—पोतदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ० 19

10 अग्रवाल, गोविन्द चूरू मण्डल का शोधपूण इतिहास, पृ० 240, शास्त्री, रामचन्द्र, शेखावाटी प्रकाश, अक 8 प० 27, मोदी, बालचद देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 464

11 महाजन के सामन्तो को जगात वसूल करने सम्बन्धी पट्टे, वि० स० 1826 मि० सावण सुद 15, वि० स० 1856, मिती कार्तिक सुदी 12, वि० स० 1841 मिती वैशाख बदी 13, साखू सामन्त को मिला पट्टा, वि० स० 1831, मिती चैत बदी 5, चूरू सामन्त को मिला पट्टा, वि० स० 1851, मिती फागुण सुदी 2, (रा० रा० अ०)

12 शर्मा, कालूराम, उन्नीसवी सदी राजस्थान का सामाजिक आर्थिक जीवन (शोध प्रबन्ध), प० 111

13 चूरू मण्डल का शोधपूण इतिहास, प० 371 372

14 ओझा, गौरीशकर हीराचन्द—बीकानेर राज्य का इतिहास (भाग प्रथम), पृ० 312

15 दयालदास की ख्यात (भाग 2), प० 69 71

16 चूरू मण्डल का शोधपूण इतिहास, पृ० 280

17 बीकानेर राज्य का इतिहास (भाग 2), पृ० 361, 391, 393 395

18 पो० क० 10 अक्तूबर न 4, 1818 न० 4 सी० क० 23 माच, 1844 न० 393 397 (रा० अ० दि०)

19 पो० क० 4 दिसम्बर 1819, न० 8, अगस्त 8 1838, न० 56 59, सी० क० 23 माच, 1844 न० 396 (रा० अ० दि०)

20 अर्जी बही, जोधपुर, न 7, प० 205 (रा० रा० अ०), मारवाड़ की ख्यात, खण्ड-3, प० 383, पो० क० 12 जनवरी 1827, न० 18 (रा० अ० दि०)

21 बीकानेर राज्य का इतिहास (दूसरा भाग), पृ० 618, घोडारेख री बही, बीकानेर, सवत 1875, पृ० 1-45, सवत 1869, पृ० 1 60, सवत् 1880, पृ० 1-10, सवत 1881, पृ० 1-43, निजराणे री बही, बीकानेर, सवत् 1882 पृ० 1-30, सवत् 1883, पृ० 1-43, घोडारेख वा पशकसी री बही, सवत 1895, प० 1 50 (रा० रा० अ०)

22 पा० क० जुलाई 1885, न० 209, इण्टरनल ए अप्रैल 1887, न० 205-220 इण्टरनल 'ए' (रा० अ० दि०)

23 पो० क० 10 जनवरी, 1834 न० 16-18 (रा० अ० दि०), मुशी हरदयालसिंह—तवारीख जागीरदारात, राज मारवाड (जोधपुर 1893), पृ० 633 634 स्टेट कौंसिल, बीकानेर 1901 न० 163 6514 (रा० रा० अ०)

24 एचीसन—ट्रीटीज़ एगेजमेट एण्ड सनदस, भाग 3, पृ० 288-290, स्टेट कौसिल, बीकानेर, 1901, न० 163 65, पृ० 3 (रा० रा० अ०)

25 चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ० 372
1839 ई० मे जयपुर व जाधपुर मे दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित हुइ, पो० क० 10 जुलाई, 1839, न० 37, मारवाड प्रेसी, 80 81 व 102 105 (रा० अ० दि०)

27 पो० क० जुलाई 1885 न० 209, इण्टरनल 'ए' (रा० अ० दि०), स्टेट कौंसिल, बीकानेर, 1901 ई०, न० 163 165, पृ० 3 4 (रा० रा० अ०)

28 कैफियत सरदारा और उमरावा ठाकरा की कप्तान चाल्स बटन न लिखी शिकायत मिती सावण वद 2, सवत् 1929 (गोपालसिंह वेद सग्रह) स्टेट कौंसिल, बीकानेर, 1901 ई०, न० 163-165 पृ० 3 (रा० रा० अ०)

29 दयालदास की ख्यात, भाग 2, पृ० 120 श्यामलदास, कविराजा वीर विनोद, भाग 2, पृ० 511

30 दयालदास की ख्यात, भाग 2, पृ० 123

31 पो० क० जुलाई 1885, न० 209, इण्टरनल 'ए' अप्रैल 1887, न० 205 220 इण्टरनल ए' (रा० अ० दि०)

32 रिपोट आन दी पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रशन आफ दी राजपूताना स्टेट्स, 1870 71, पृ० 212

33 ये कोलनामे 1818, 1827 व 1854 ई० मे हुए थे, एचीसन—ट्रीटीज एगेजमेट्स एण्ट सनद्स, जिल्द 3, पृ० 23, 24 व 30

34 आसोपा—आसोप का इतिहास, पृ० 160, 193

35 एचीसन ट्रीटीज एगेजमेन्ट्स एण्ड सनद्स जिल्द 3, पृ० 24-32, वाप के सामन्त जनमालसिंघ शिवजीसिघोत को मिला पट्टा, सवत 1940, मिती आसोज सुद 4

36 शर्मा, कालूराम (शोध प्रब ध), पृ० 111

37 दयालदास की ख्यात, भाग 2, पृ० 116 117, 122, ठाकुरा राज श्री किसनसिंघजी जाग, सवत 1880, मिती फागण सुदी 2, जयपुर से हुकमचन्द को लिखा पत्र, सवत 1882, मरश्री वष 9, अक 2-3, पृ० 21-22

38 रिपाट ऑन दी पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी राजपूताना स्टटस, 1870 71, पृ० 212, 1877-78 पृ० 238, मुशी ज्वालासहाय वकाये राजपूताना, भाग 3, पृ० 667, पोद्दार व्यापारिया के आपसी पत्र व्यवहार स पता चलता है कि बीमा किया हुआ माल भी लुटने लग गया था। पत्र के अनुसार चूरू क डूगरमल लोहिय का 1450 रुपय का बीमा किया माल, जगमण दास आसाराम का 1050 रुपय का माल व 2500 रुपय की डालमा की जोखम (बीमा लिया हुआ माल) लूट लिय जान का उल्लेख हैं, मरु श्री, जुलाई-दिसम्बर 1982, पृ० 14।

39 अग्रेजी राजनीतिक अधिकारी के महाराजा रतनसिंह के नाम क्रमश दिनाक 24 माच 1831, 1 अप्रल 1831, 18 अप्रैल 1831 एव 25 मई 1831 के खरीत द्रष्टव्य हैं (य पत्र बीकानेर क भूतपूव शासक डॉ० करणीसिंह के निजी कार्यालय म सुरक्षित हैं)

40 व्यास मथरे का जैसलमर के राजश्री केशरी सिंह के नाम सवत् 1811, मिती चेत सुदी 13 का पत्र (राज० रा० अ०), बहादुरसिंह—बीदावतों की ख्यात, पृ० 216 (माइक्रोफिल्म, रा० रा० अभि०, बीकानेर), चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ० 296

41 पाउलेट—गजेटियर ऑफ दी बीकानेर स्टेट, पृ० 1

42 व्यापारियो को दिये गये जगात छूट के अनेक परवाने बीकानेर राज्य की परवाना बही मे उपलब्ध हैं, बही परवाना सरदारान, बीकानेर, सवत् 1800 1900, पृ० 225, (रा० रा० अ०)

43 बच्छावत मेहता कमचन्द के विषय म जयसोम कृत 'कमचन्द्रवशोत्कीतनक काव्यम्' मे विस्तार से चर्चा मिलती है (अनूप सस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर)

44 दीवान मोहता नाथोराय को मिला दीवानगिरी का परवाना सवत 1844, मिती वैशाख वद 6, दीवान मोहता लीलाधर को मिला दीवानगिरी का परवाना सवत् 1888, मिती भादवा सुद 3, दीवान मोहता बख्तावरसिंह को मिला दीवानगिरी का परवाना सवत् 1909, मिती वशाख सुद 2, दीवान मोहता मेघराज को मिला दीवानगिरी का परवाना सवत् 1913, मिती मगसिर वद 11 (ये परवाने मूल रूप मे करणीसिंह मोहता, जो इसी मोहता घराने के वशज है, के निजी सग्रह मे देखे जा सकते हैं),

45 दयालदास की ख्यात, भाग-2, पृ० 103

46 बीकानेर राज्य का इतिहास (दूसरा भाग), पृ० 399

47 एचीसन—ट्रीटीज एगेजमट्स एण्ड सनदस, भाग-3, पृ० 288-290

48 दयाल की ख्यात, भाग 2, पृ० 108

49 वही, पृ० 113

50 दयाल की ख्यात, भाग 2, पृ० 14-19

51 बीकानेर राज्य का इतिहास, दूसरा भाग, पृ० 756

52 मेहता हिन्दूमल का अग्रेज अधिकारियो से व्यक्तिगत सम्पक था। कप्तान हेनरी ट्रेवल की धमपत्नी ने हिन्दूमल के लिए एक बिलायती दुशाला भेजा था, मेहता हिन्दूमल द्वारा कप्तान हेनरी ट्रवल को भेजा निजी पत्र, सवत 1900 मिती चैत सुद 14 (गोपालसिंह वेद सग्रह)

53 ओझा, गौरीशकर हीराचन्द—दूसरा भाग, प० 757

54 श्यामलदास कविराजा—वीरविनोद भाग 2, प० 511, दयालदास की ख्यात, भाग 2, पृ० 134 137

55 मेजर थार्स्वी के मेहता हिन्दूमल के नाम सवत् 1897 मे लिखे खरीत, मिती जेठ सुद 6, मिती जेठ सुद 3, मिती आसोज वद 13, मिती भादवा सुद 6, मिती कार्तिक वद 11, मिती भादवा वद 6, मिती भादवा सुद 15 एव मिती आसाढ सुद 6 (गोपालसिंह वेद सग्रह)

56 पा० क० 26 दिसम्बर 1846 न० 368 369, पार्लियामटरी पपस, 1855 ई०, न० 255, प० 24 25

57 महाराजा रत्नसिंह का महाराव हिन्दूमल को लिखा खास रुक्का, सवत 1886, मिती आसोज सुद 12 (गोपालसिंह वद सग्रह)

58 दयालदास की ख्यात, भाग 2, पृ० 138

59 कप्तान जैक्सन का लिखा खरीता, सवत 1904, मिती माघ सुद 7 (गोपालसिंह वेद सग्रह)

60 ओझा, गौरीशकर हीराचन्द—बीकानेर राज्य का इतिहास (दूसरा भाग), प० 756

61 महाराजा सरदारसिंह का महता हरिसिंह को बिना सवत मिती का लिखा खास रुक्का (गोपालसिंह सग्रह)

62 ओझा गौरीशकर हीराचन्द, भाग 2 पृ० 447

63 रीजेन्सी कौंसिल बीकानेर, 1896-1898, न० 75-79।12, पृ० 15 (रा० रा० अ०)
64 वही, पृ० 8
65 ओझा, गौरीशकर हीराचन्द, दूसरा भाग, पृ० 760 761
66 मुशी सोहनलाल-तवारीख राज श्री बीकानेर, प० 219, एचीसन—भाग-3, पृ० 279
67 पोतदार मिर्जामल का राजगढ से मुहता रूपराम, पडिहार सालमसिंघ आदि को लिखा पत्र, सवत 1881 न० 48, मरुश्री, वष 9, अक 2 3, पृ० 22 23, पोतेदार मिर्जामल को लिखा इकरारनामा, मिती जेठ सुदी 13, सवत 1882, दयालदास की ख्यात, भाग-2, पृ० 96, 101 एव 103, 110, 116 एव 118, 116-155

अध्याय 2

उन्नीसवी सदी मे बीकानेर राज्य के व्यापारी स्वरूप मे परिवर्तन, व्यापारी मार्ग, वस्तुए एव व्यापार-पद्धति

बीकानेर राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 19वी सदी से पूव भी वाणिज्य व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। 12वी एव 13वी सदी मे उस समय का प्रमुख व्यापारी माग योगिनीपुर (दिल्ली) से गुजरात तक इसी राज्य के रेणी नामक स्थान से होकर गुजरता था। यह माग योगिनीपुर से नारायना नरहड, रेणी व नागोर होता हुआ एकलिंगजी या पाली व वाली से होता हुआ गुजरात को पहुचता था।[1] इसी तरह शाकम्भरी व अजमेर से भटिण्डा व दीपालपुर तक का व्यापारी माग भी राज्य के द्रोणपुर, छापर व पल्लू नामक स्थान से होकर गुजरता था।[2] 18वी सदी मे तो राज्य मे से देश के अनेक प्रमुख व्यापारी माग गुजरने लगे जो थोडे बहुत परिवतन के साथ उन्नीसवी सदी के पूर्वार्द्ध तक प्रचलन मे रहे। उस समय का सबसे महत्त्वपूण व्यापारी माग दिल्ली से पाली (मारवाड) का था जो भिवानी, राजगढ, रेणी, चूरू, रतनगढ, सुजानगढ, नागौर व जोधपुर होता हुआ पाली पहुचता था। पोद्दार सग्रह के सवत 1895 के प्रलेखो मे भिवानी से पाली के माग पर जोखो (बीमा) किये हुए आठ ऊट माल के लूट लिये जाने का उल्लेख मिलता है। राज्य की जगात बहियो मे इस माग से व्यापारी वस्तुओ के आन व जाने का काफी उल्लेख मिलता है।[3] एक माग दिल्ली से मुल्तान का जाता था, जो भिवानी, रेणी, नोहर, भटनेर व अनूपगढ होता हुआ भावलपुर से मुल्तान पहुचता था। भावलपुर से टोक जाने वाले व्यापारी इसी माग से बीकानर होकर जाते थे। इसी माग से भावलपुर होता हुआ एक माग सिन्ध को भी चला जाता था।[4] राजगढ स एक शाखा माग रेणी होता हुआ राज्य की राजधानी बीकानेर को पहुचता था तथा यही से दूसरा माग रतनगढ से फलोदी, पोकरण होता हुआ जसलमेर को चला जाता था।[5] बीकानेर से एक माग सुजानगढ व सीकर होता हुआ जयपुर को जाता था।[6] कोटा की ओर स (मालवा क्षेत्र) आने वाला एक व्यापारी माग अजमेर व मारवाड से होता हुआ बीकानेर पहुचता था।[7] बीकानेर स पूगल होकर, एक माग सिन्ध को जाता था।[8] इसी प्रकार एक अन्य माग साभर व डीडवाना से सुजानगढ व राजगढ होता हुआ भिवानी को पहुचता था।[9] बीकानेर की कागद बही मे भिवानी से व्यापारी माल-पाली से साथ सुजानगढ आने का उल्लेख मिलता है।

19वी सदी के पूर्वार्द्ध तक उपर्युक्त प्रमुख व्यापारी मार्गों पर स्थानीय और विदेशी वस्तुओ के आदान प्रदान के कई महत्त्वपूण केन्द्रो का विकास हो चुका था। राज्य मे रेणी, राजगढ, चूरू, नोहर, लूणकरणसर बीकानेर, अनूपगढ़, रतनगढ सुजानगढ़ पूगल महाजन, हनुमानगढ व भादरा व्यापारी केन्द्रो के रूप म विकसित हो चुके थे।[10] इनमे से अधिकाश स्थान तो देश के प्रमुख व्यापारी मार्गों पर स्थित थे तथा शेष राज्य के सहायक मार्गों पर अवस्थित थे। इन सभी केन्द्रो पर राज्य की ओर स जगात चौकियां स्थापित थी जिन्ह स्थानीय भाषा म मण्डी कहा जाता था। बीकानेर राज्य की राजधानी की जगात चौकी को भी मण्डी कहा जाता था।[11] इसके अतिरिक्त इन व्यापारी केन्द्रो की सहायक जगात चौकिया भी थीं जो

राज्य के सीमान्त ग्रामो मे स्थित थी।[12] राज्य को उक्त व्यापारी केन्द्रो से अनेक प्रकार के व्यापारी शुल्को से अत्यधिक आय होती थी।

जगात बहियां मे राज्य के प्रमुख व्यापारिक मार्गो तथा व्यापारिक केन्द्रो के उपलब्ध विस्तृत विवरण से पारगमन व्यापार का अच्छा अनुमान हो जाता है। पूर्वी भारत से रेणी व राजगढ होते हुए खाण्ड, गुड, कपडा (रेशमी व सूती), नील व तम्बाकू आदि मुख्य वस्तुए आती थी।[13] सिन्ध व मुल्तान की ओर से पूगल व अनूपगढ के माग से गेहू, खाण्ड, चावल, रेशम, सूखे मेवे, तम्बाकू, शक्कर, लोहा, सिन्धी नमक, घृत, लकडी के पहिये एव शहतीर, लकडी के पागे एव घोडे आदि जाते थे।[14] नागौर और फलौदी द्वारा मारवाड से बतन, कपडा, किरयाना, गहू, हाथी दात व आल आदि वस्तुए आती थी।[15] जयपुर से सीकर होते हुए सूती छपे वस्त्र रेशमी ताणी, मिणहारी का सामान ऊट पलाण, सागानेरी कागज, ताम्बे व पीतल के बतन व जवाहरात आदि आते थे।[16] इसी प्रकार कोटा व अजमेर की ओर से मारवाड होते हुए मालवे का अफीम, शक्कर, तम्बाकू, रूई व कोटा का कपडा आदि मुख्य रूप से आता था।[17]

राज्य म आयत हाने वाली वस्तुओ के अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुए भी थी जिनका राज्य मे ही उत्पादन होता तथा राज्य से बाहर भेजी जाती थी। इनमे धान, तिल, गुवार, घृत, गूद, नमक, बैल साण्ड (ऊटनी) आदि का पूगल के माग से सिन्ध को निर्यात होता था।[18] मुल्तान की ओर राज्य से ऊन, ऊन के बने लुकारे (एक प्रकार के ऊनी कम्बल) व मिश्री आदि जाती थी।[19] मारवाड को काचरी, खेलरा (एक प्रकार का सूखा साग) धान, खल, सीवल कपास, ऊन, तिल, घृत व साजी आदि वस्तुआ का निर्यात होता था।[20] जयपुर का राज्य से बीदासर के रास्त घृत, धान, तिल, सूती कपडा नमक व तिल आदि जाता था।[21] अजमेर और सरसा मे क्रमश तिल व नमक तथा मेट का निर्यात होता था।[22]

व्यापारी मार्गो तथा आयात नियात की जाने वाली वस्तुओ के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रो के व्यापारी इस राज्य के विभिन्न व्यापारी मार्गो का प्रयोग करते थे। राज्य की स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान वेचने के पश्चात् य व्यापारी अधिकाश माल राज्य से बाहर दूसरे (राज्य) स्थानो पर ले जाते थे। स्थानीय उत्पादित वस्तुए बहुत थाडी मात्रा म ही राज्य के बाहर निर्यात होती थी जिसकी पुष्टि प्राय हर जगात बही से होती है। राज्य मुख्य रूप से पारगमन (ट्रांजिट) व्यापार के लिए ही महत्वपूण था। सन 1848 ई० म बाकानर राज्य की बहतीवान (राहदारी) के रूप मे 1,00,000 रुपये की आमदनी थी जो कुछ राजस्व के एक तिहाई के लगभग थी।[23] जाज थामस ने अपने सैनिक सस्मरणा मे लिखा था कि बीकानेर राज्य मे मुख्य रूप से पारगमन व्यापार हाता था और इसस राज्य का राहदारी के रूप म कभी कभी कुल राजस्व से दुगुना लाभ हो जाया करता था।[24] अर्थात दो तिहाई राजस्व राहदारी से प्राप्त हो जाता था।

19वी सदी के उत्तरार्द्ध मे राज्य के परम्परागत पारगमन व्यापार का पतन आरम्भ हो गया। इसक अनक कारण थे जिनम से अधिकाश भारत मे अंग्रेजी प्रभुसत्ता के बढते हुए प्रभाव स जुडे हुए थे। भारतीय अंग्रजी सरकार न भारत क आन्तरिक व्यापार स अत्यधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया। पारगमन व्यापार का भारतीय राज्या की अपेक्षा अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रो म स सचालित करन का प्रयत्न किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय राज्या म प्रवश करने क लिए अंग्रेजी क्षेत्र म सीमा चुगिया स्थापित कर दी गई।[25] उत्तर भारत के किसी भी व्यापारी का बीकानर अथवा अन्य किसी भी राज्य म प्रवश करन के लिए इन अंग्रेजी सीमा चुगी चौकिया को अवश्य पार करना होता था और उन पर आत व जाते चुगी चुकानी होती थी। इसके फलस्वरूप व्यापारियो को भारतीय राज्या म से पारगमन व्यापार करना काफी महगा पडने लगा। वही पारगमन व्यापार यदि अंग्रजी नियन्त्रित क्षेत्र से किया जाता तो इस प्रकार की चुगी से मुक्त होता था। थोडा अधिक लम्बा माग होने पर भी अंग्रेजी क्षेत्र से होकर माल लाना व ले जाना सस्ता पडता था। इसकी पुष्टि स्वय टाड ने भी अपनी पुस्तक म की है।[26]

19वी सदी के अन्तिम चतुर्थांश म राजस्थान म रेल लाईन के निर्माण से बीकानेर के पारगमन व्यापार एव व्यापार मार्गों पर विपरीत प्रभाव पडे बिना न रह सका। अंग्रेज सरकार उन्ही रेल मार्गों क निमाण का प्राथमिकता द रही

थी जिनसे भारतीय राज्यों का कच्चा माल निर्यात करने में सहायता मिल सके। राजस्थान में राजपूताना-मालवा रेलवे का विस्तार इसी उद्देश्य से किया गया था। अंग्रेज सरकार का मालवा के अफीम पर आधिपत्य एवं राजस्थान के सांभर नमक व्यापार पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण पहले ही स्थापित हो चुका था।[27] सन् 1881 ई० तक इन दोनों क्षेत्रों को राजपूताना मालवा लाईन के माध्यम से पूरी तरह जोड़ दिया गया।[28] उत्तर भारत के व्यापारी जो पहले भिवानी और बीकानेर भाग से होकर मारवाड़ जाते थे, वे अब अपना व्यापार अजमेर और सांभर के रेल मार्ग से मारवाड़ भेजने लगे।[29] इससे बीकानेर *राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारी मार्ग भिवानी से मारवाड़ वाया बीकानेर महत्वहीन हो गया।* इसी प्रकार से हाडौती व मालवा के अफीम के व्यापारी जो पहले अफीम को राजस्थान के अन्य राज्यों में ले जाने के लिए बीकानेर में से होकर गुजरते थे वही राजपूताना मालवा लाईन बन जाने के बाद अफीम को रेल मार्ग से भेजने लगे।[30] इससे हाडौती क्षेत्र से बीकानेर राज्य का परम्परागत व्यापारी मार्ग का भी पतन हो गया।

अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापना के पश्चात् भी बीकानेर में अशान्ति व अव्यवस्था कम नहीं हुई। अंग्रेजी नियन्त्रण की स्थापना से पूर्व राज्य के जागीरदार राज्य में अशान्ति फैलाए हुए थे किन्तु वे अपने निजी आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए इस बात का ध्यान रखते थे कि व्यापारियों के काफिले सुरक्षापूर्वक उनकी जागीर से गुजर जायें। इस नियन्त्रण के पश्चात जागीरदारों की राजनीतिक क्षेत्र में गतिविधियां समाप्त हो गईं और व्यापारियों के काफिलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर आ गया। इन काफिलों के उनके जागीरी-क्षेत्र में लुट जाने पर भी उन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं आता था और बहुधा वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन व्यापारिक काफिलों के लुट जाने की ओर अनदेखी करते अथवा परोक्ष रूप में ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित भी करते थे। परिणामस्वरूप राज्य के वे मुख्य एवं सहायक व्यापारिक मार्ग जो अंग्रेजी संरक्षण से पूर्व तक सुरक्षित थे और जिन पर व्यापारी बिना किसी संकट के यात्रा किया करते थे असुरक्षित हो गये और उन पर लूटपाट बढ़ गई। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में इस स्थिति के बारे में सुजानगढ़ एजेंसी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि बड़े बड़े धाड़वी भिवानी आदि मुख्य स्थानों में अपने गुप्तचर रखते थे जो अपने गिरोह के मुखिया को गुप्त रूप से सूचित करते रहते थे कि आज अमुक स्थान के लिए अमुक माल लदा है जिससे वे लोग उन मार्गों पर पहुंचकर व्यापारियों का माल लूट लेते थे। संवत् 1895 के एक पत्र जिसे चूरू के पोद्दार सेठों को उनके ही द्वारा लिखा था, में भिवानी-पाली मार्ग पर व्यापारी माल को बारोठों द्वारा लूट लिये जाने के उल्लेख के साथ यह भी लिखा कि अब भिवानी-पाली व्यापारी मार्ग भी अन्य मार्गों की भांति बन्द होता नजर आता है।[31] भिवानी मारवाड़ की भांति राज्य से मुल्तान व शिकारपुर के मार्ग पर राठ जाति के लोगों द्वारा लूटपाट करने के कारण ये मार्ग भी असुरक्षित हो गये। जो व्यापारी पहले राज्य में मुल्तान व शिकारपुर से आते थे, उन्होंने राठ लोगों की लूटपाट के कारण इस मार्ग से अपने व्यापारी काफिले लाने व ले जाने बन्द कर दिये।[32] इस प्रकार राज्य के प्रायः सभी परम्परागत व्यापारी मार्गों का महत्त्व कम होता चला गया।

परम्परागत व्यापारिक मार्गों का महत्व समाप्त हो जाने एवं नये-नये मार्गों के अस्तित्व में आ जाने से राज्य के व्यापारिक स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया। राज्य का पारगमन व्यापार जिससे राज्य को राहदारी के रूप में काफी राजस्व प्राप्त होता था वह प्रायः समाप्त-सा हो गया। इसका अनुमान सन 1848 ई० में प्राप्त राहदारी की राशि की सन् 1898 ई० प्राप्त राहदारी की राशि की तुलना से लगाया जा सकता है।[33]

ई० सन	राहदारी के रूप में प्राप्त राशि (रुपयों में)
1848	1,00,000 00
1898	6,498 00

पारगमन व्यापार के समाप्त होने के फलस्वरूप राज्य में व्यापारिक वस्तुओं का आयात एवं निर्यात स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार होने लगा। यद्यपि आयात की जाने वाली वस्तुओं में अंग्रेजी निर्मित वस्तुओं के बढ़ने के

अतिरिक्त पूव की अपेक्षा कोई विशेष परिवतन नही आया, कि तु राज्य से निर्यात की जाने वाली वस्तुओ एव मात्रा मे काफी परिवतन आया। अग्रेज सरकार से नमक समझौता हो जाने के बाद से राज्य से नमक का निर्यात बिलकुल ब द हो गया।[34] इसके अतिरिक्त मिट्टी के (खाना बनाने के काम मे आने वाले) बतन, चमडे का सामान, साल्टपीटर, खाल, हड्डी, ऊन पशुओ का निर्यात भारी मात्रा मे होने लगा।[35] पशुओ के निर्यात का पता सन् 1898 ई० मे उनके बेचे जाने से प्राप्त रकम से भलीभाति लगता है।[36]

पशु	निर्यात करने पर प्राप्त रकम (रुपयो मे)
(1) ऊट	1,63,800
(2) घोडे	22,050
(3) बल	16,50,?80
(4) भैंस	47,130
(5) भेड व बकरी	6,18,184

सब्जी, मुल्तानी मिट्टी (मेट), बाजरा व मोठ अग्रेजी क्षेत्र सिरसा, फाजिल्का, हिसार म बहुतायत से भेजी जाने लगी।[37] राज्य मे आयात और निर्यात के बढ जाने से राज्य की चुगी के मद मे अच्छी आमदनी होने लगी। इसकी पुष्टि सन् 1870 ई० व सन् 1898 ई० मे प्राप्त चुगी की आमदनी से होती है।[38]

ई० सन्	चुगी मे प्राप्त रकम (रुपयो म)
1870	3,06,534
1898	10,43,758

इस समय म नये-नये व्यापारिक मार्गो के अतिरिक्त अनेक नय व्यापारिक केन्द्र भी स्थापित हुए। इनम सरदार शहर, डूगरगढ, नोखा, सरदारगढ, सूरतगढ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।[39] ये नये व्यापारिक केन्द्र की स्थापना व्यापारिक मार्गो पर होने के अतिरिक्त कृषि उत्पादन क्षेत्र के नजदीक थी।

उन्नीसवीं सदी की व्यापारी पद्धति की विशेषता

उन्नीसवी सदी म राज्य का व्यापारी वग पारगमन तथा स्थानीय व्यापार म सलग्न होने के साथ-साथ लेन-देन ब्याज-बट्टा एव हुण्डी चिट्ठी लिखने का काय भी करता था। उनमे से कुछ लोग भू-राजस्व एव सायर वसूली का हवाला अथवा मुकाता (ठेका) लेने के काय म सलग्न थे।

क्रय-विक्रय

बीकानेर गजल एव चूरू म हाटा की प्राचीन विगत से ज्ञात होता है कि सामान्यत व्यापारी लोग अपनी दुकानें बाजार म दोनो ओर लगाये रहते थे।[40] कस्बा एव शहरो मे व्यापारियो की अपनी दुकानें होती थी किन्तु कुछ दुकानें राज्य की ओर से बनाकर व्यापारियो को किराये पर दी जाती थी जिनका राज्य के अधिकारी समय-समय पर किराया वसूल करते थे।[41] हिसाब किताब रखने के लिए ये व्यापारी मुख्य रूप से रोकड खाता, नकल बहियो म व्यवहार गणित का

उपयोग करते थे। ये बहियां मुडिया लिपि में लिखी जाती थी जिस पर मात्रायें और अनुस्वार नहीं लगाये जाते थे। खाद्य सामग्री व अन्य भारी सामान तौलने के लिए मन व सेर का उपयोग करते थे वहीं मूल्यवान सामान के तौलने के लिए तोला मासा व रत्ती का उपयोग कर रहे थे। इसी प्रकार कपड़े आदि को नापने के लिए गज व गिरह आदि का उपयोग कर रहे थे। यहां तक उल्लेखनीय है कि जब भारत की अंग्रेज सरकार ने अपने नाप-तौल निर्धारित किए तो यहां के व्यापारियों ने भी उन्हें अपना लिया। यद्यपि व्यवहार रूप में नाप-तौल का उपयोग 'पाका पद्धति' के अनुसार जारी रखा। उपरोक्त बातों की पुष्टि व्यापारी घरानों की हिसाब किताब की प्रत्यक्ष बही से होती है।[41]

व्यापारियों के यहां अधिकांश माल ऊंटों पर ही आता जाता था किन्तु बैल, बैलगाड़ी एवं टट्टुओं का भी इस कार्य में उपयोग का प्रचलन था।[42] सामान्यतः बाहर से सामान लाने व ले जाने का कार्य बनजारा लोग ही करते थे किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य जाति विशेष रूप से चारण, गुसाई, जाट, रेबारी, कायमखानी आदि जातियों के लोग भी कार्य करते थे। कोटा रिकाड में रेबारियों को ऊंट भाड़े के 5000 रुपये देने का उल्लेख मिलता है। भिवानी से मारवाड़ की ओर बीकानेर होकर जो माग जाता था व बीकानेर से भावलपुर मार्ग पर माल लाने व ले जाने का कार्य मिश्र जाति के लोग जिन्हें 'दीवाना फकीर' कहा जाता था, करते थे। इसी प्रकार फलौदी, जैसलमेर व सिरसे की तरफ आने जाने वाले मार्गों पर मुलार ब्राह्मण व्यापारी माल लाते एवं ले जाते थे।[43] व्यापारी लोग स्वयं भी अपने बालदों के साथ माल लाते व ले जाते थे। अधिकांश व्यापारी अपने बालदों के साथ सुरक्षार्थ चारणों को रखते थे।[44] ऊंटों पर सामान कतारों में आता था और इनके हांकने वालों को कतारिया नाम से पुकारा जाता था। राज्य के बाहर से आने वाले कतारिए पूर्व निश्चित कस्बों के व्यापारियों के यहां माल डाल दिया करते थे। कतारियों द्वारा लाया गया अनाज तथा खाद्य सामग्री 'विलायती माल' के रूप में बिका करता था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यहां का व्यापारी राज्य से बाहर माल ढोने के लिए माल ढोने वाली कम्पनियों का उपयोग भी करने लगा था।[45]

क्रय विक्रय के विनिमय का माध्यम धातु मुद्रा ही था। राज्य में तांबे, चांदी व सोने के सिक्के प्रचलन में थे। जगात बहियों, टकसाल की विगतों में इन सिक्कों का विस्तृत विवरण है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा राजकीय टकसाल में सिक्के घड़वाने की प्रथा के प्रचलन की जानकारी भी मिलती है। बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह ने सेठ दानमल चानणमल को राज्य की टकसाल में सोने के सिक्के घड़वाने पर शुल्क में आधी छूट और इन्हीं सिक्कों को अगर घर के लिए घड़वाये तो शुल्क में पूरी छूट दी थी। चांदी और तांबे के सिक्के घड़वाने पर भी उसे शुल्क में आधी छूट की व्यवस्था थी। राजस्थान में विशेष रूप से कोटा राज्य में व्यापारियों द्वारा टकसाल में तांबे के सिक्के घड़वाने के नाम पर 5 रुपया प्रतिमन शुल्क वसूल होता था। चांदी की सुधाई करवाने पर आठ आना प्रति सेर राशि वसूल की जाती थी।[46] बड़े सिक्कों में रुपया हुआ करता था तथा छोटे सिक्कों में व्यापारी लोग टका, पैसा, छदाम व दमड़ी का प्रयोग किया करते थे तथा सबसे कम मूल्य के सिक्के के रूप में कौड़ी का उपयोग भी होता था।[47] इसके अतिरिक्त राज्य के व्यापारी वास्तविक सिक्कों के साथ साथ हिसाबी मुद्रा का भी काफी प्रयोग करते थे। हिसाबी मुद्रा में दाम, टुकड़ा, दुकानी व फुदिया आदि नामों का उल्लेख मिलता है।[48] 19सवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक राज्य में विभिन्न शासकों के सिक्के कुछ बट्टे के साथ प्रचलित रहते थे। करणशाही गजशाही, सूरतशाही, रतनशाही, सरदारशाही व डूंगरशाही रुपया का प्रचलन था।[49] इनके अतिरिक्त पारगमन व्यापार के कारण बड़े व्यापारी राजस्थान के दूसरे राज्यों के सिक्के भी अपने पास रखा करते थे। एक राज्य का सिक्का दूसरे राज्य में बट्टे एवं बाधे से चलता था। राज्य के सराफ सिक्कों के व्यवसाय में वाद बट्टा व रसकस बैठाकर लाभ उठाते थे। सिक्कों के वजन एवं चांदी की घटा-बढ़ी से उनका भाव भी सदैव घटता बढ़ता रहता था। बड़े व्यापारी घरानों के पास सभी प्रकार के सिक्कों का संग्रह होने के कारण मांग के अनुसार रुपया चुका दिया जाता था।[50] किन्तु उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुद्रा की स्थिति में परिवर्तन आ गया और सन 1893 ई० में अंग्रेजी प्रभाव के फलस्वरूप राज्य में भी अंग्रेजी ढंग का रुपया प्रचलन में आ गया।[51] धीरे धीरे राजस्थान के अन्य राज्यों में भी कलदार रुपये के फलस्वरूप राज्य के सराफ जो सिक्कों का बट्टे एवं बाधे के रूप में व्यापार करते थे, का धंधा चौपट होने की

स्थिति मे आ गया ।

व्यापार विनिमय मे धातु मुद्रा के साथ हुण्डी का भी काफी प्रचलन था । यद्यपि हुण्डी लिखने की परम्परा पहले से ही काफी विकसित थी ।[52] परन्तु उन्नीसवी सदी के पूर्वार्द्ध म तो हुण्डी लिखने का काय काफी महत्वपूण हो गया था। इसका कारण राज्य म आयात एव निर्यात व्यापार म वृद्धि के साथ साथ राज्य के व्यापारियो द्वारा निष्क्रमण कर अग्रेजी भारत एव दक्षिणी राज्यो मे अपने वाणिज्य व्यापार को विकसित करना था । राज्य स निष्क्रमण किए हुए व्यापारी अपना वाणिज्य व्यापार अग्रेजी भारत मे करत थे किन्तु अपने व्यापारी प्रतिष्ठान का मुख्यालय प्राय अपन मूल राज्य म ही रखते थे, जहा से भारत भर मे फैले व्यापार का सचालन करते थे ।[53] इन मुख्यालयो पर हर व्यापारी का अपना दीवानखाना होता था, जहा लेन-देन ब्याज बटटे के साथ हुण्डी चिट्ठी लिखने का काय भी होता था । अधिकाश व्यापारी सुरक्षा एव सुगमता की दृष्टि से अग्रेजी भारत स्थित व्यापारी प्रतिष्ठानो की लेनदारी एव देनदारिया का भुगतान हुण्डी के माध्यम से करना उचित समझते थे । सन 1827 ई० चूरू मिर्जामल मगनीराम के एक ही खाते मे लगभग 16 से 17 लाख रुपया की हुण्डियो का आदान प्रदान हुआ था ।[54] इस समय राज्य के प्रसिद्ध डागा घराने के व्यापारियो की हुण्डियो की समस्त भारत मे भारी पैठ थी ।[55] हुण्डी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती थी, दशनी और मुद्दती या मियादी । दशनी हुडी का रुपया हुण्डी दिखलाते ही देना ही होता था जबकि मियादी हुडी का भुगतान हुडी मे लिखी हुई अवधि के पूरी होने पर होना था । विलम्ब स भुगतान करने पर उतने दिनो का ब्याज देना पडता था । यदि आवश्यकतावश कोई व्यक्ति भुगतान की तिथि से पूव रुपया मागता था तो यह भुगतान करने वाले की इच्छा पर था कि वह चाहे तो उतने दिनो का ब्याज काटकर भुगतान कर द । इस लिए ही हुण्डियो मे कच्ची व पक्की मिती का उल्लेख कर दिया जाता था । हुण्डी की अवधि पूरी होने पर किये जान वाल भुगतान को पक्की मिती भुगतान कहा जाता था । हुडिया प्राय शाह जोग होती थी जिसका भुगतान हर किसी को नही मिलता था । धनीजोग हुडिया भी लिखी जाती थी किन्तु शाहजोग हुण्डी का प्रचलन अधिक था । परन्तु अधिकतर इस समय मुद्दती हुडिया ही लिखी जाती थी क्योकि हुडी को यथास्थान पहुचने म समय लगता था मिर्जामल मगनीराम पोद्दार की वही मे अधिकाश मियादी हुडी का उल्लेख मिलता है । इनम अमतसर की हुडी 27 दिन मियाद की हाथरस व फरुखाबाद की 17 दिन की, जयपुर की 21 दिन की तथा मिर्जापुर की 41 दिन की मियाद की मिलती है । मियादी हुडी का वटटा भी अधिक रहता था ।[56] हुडी के गुम हो जाने पर पैठ और पैठ के गुम हो जाने पर परपैठ' लिख दी जाती थी । पोद्दार सग्रह के अतिरिक्त बीकानेर और कोटा राज्य के अभिलेखो म हुडी के साथ पैठ लिखकर दने का उल्लेख मिलता है । हुडी लिखने वाले व्यापारी रुपया एक स्थान स दूसरे स्थान पर हुडी के माध्यम से भेजकर अच्छा लाभ प्राप्त किया करत थ । यह लाभ हुडी लिखने के कमीशन जिसे हुडावन के नाम से पुकारा जाता था, से प्राप्त किया जाता था । व्यापारी लोग हुडावन की दर हुडी की माग के अनुसार घटाते-बढाते रहते थे । यहा यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी वग यदि आपस म हुडी स लेनदन करते थे तो हुडावन की दर हुडी आना दो आना प्रतिशत ही वसूल करते थे । किन्तु यदि व्यापारी राज्य के शासको से हुडी व्यवहार करत तो हुण्डावन की दर एक रुपये म लेकर नौ रुपय प्रतिशत तक वसूल कर लिया करत थे । बीकानेर म सवत 1751 मे 59 883 रुपये की हुडी पर 4,623 हुडावन के वसूल हुए हैं । इसी प्रकार क्रमश 1852 व 1890 म हजारा रुपयो की हुडिया पर एक प्रतिशत हुण्डावन वसूल किय जान की जानकारी मिलती है । वही जयपुर राज्य म सवत 1742 मे 1140, रुपये हुण्डी पर नौ प्रतिशत हुण्डावन वसूल किये जाने का उल्लेख है । (बीकानेर की जमा खच व लखा बही, सवत 1744 न० 222 व बीकानर की ही लसकरा नू नेणी हुण्डी मेली तेरी विगत री बही, सवत 1726 न० 245 म दशनी व मुद्दती हुडियो का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है । कजा बोहरगान के लखे कोटा, सवत 1886, भण्डार न० 16 बस्ता न० 6 (रा० रा० अ०) मरु श्री—जनवरी-जून 1980, पृ० 14) हुडी लिखने वाल को प्रतिशत आना-दो आना हुडावन दी जाती थी जिसे हुडी लिखत समय हुडी में लिख दिया जाता था ।[57] राज्य सरकार व्यापारिया से हुडावन पर शुल्क भी वसूल करती थी । यह राज्य की आय का एक अच्छा साधन था ।[58] हुडी पर हुडावन लगन के अतिरिक्त ब्याज व आढ़त व दलाली लगन की व्यवस्था भी थी । चूरू के मिर्जामल पोद्दार क पक्ष म लिखी सवत 1827 ई० की एक हुडी म आठ आना

सैकडा आढत का उल्लेख मिलता है। जिन्दाराम मिर्जामल पोद्दार की नाथ बही, सवत् 1871-74 म एक 2,400 रुपयों की हुडी मे साढे बारह प्रतिशत दलाली दलाल सज्जनमल को दिय जान का उल्लेख मिलता है।[59] उस समय हुडी बिक्री का भी चलन था जिसके लिए उसके भाव निश्चित रहत थे। य हुण्डियाँ एक आढतिया दूसरे क नाम और दूसरा तीसरे क नाम बेच दिया करता था। कभी कभी तो एक हुडी को तीस बार बेच लिया जाता था। इन हुडियो की दरें स्थान विशेष की हुडी की माग पर निश्चित रहती थी। राज्य सरकारें भी हुडियो क घटत-बढ़ते भावो पर नजर रखती थी। मारवाडी व्यापारियो की बहियो म अलग-अलग स्थानो की हुडियो के अलग अलग भावो के उल्लेख मिलते हैं। नानगराम मिजामल की सवत् 1883 87 की रजनाव की बही म 2500 रुपयो की जयपुर की, एक हुडी 61 दिन की अवधि की है जिसके 2504 रुपय 11 आना जमा किय गए हैं। दूसरी हुडी मिर्जापुर की 51 दिन की 2 000 रुपयो की है जिस पर 3 रुपया सैकडा बट्टा लगा हुआ है और उसक 1,940 रुपय ही जमा किय गये हैं। तीसरी हुडी 2100 रुपयो की है जिसके पूरे 2,100 रुपये जमा किए गए हैं। चूरू क रामसुखराय केजडीवाल की सन् 1848 ई० की बही म जयपुर की हुडी का भाव 8 रुपया सैकडा और भिवानी हुडी का भाव 7 रुपया सैकडा लिखा है।[60] मारवाडी व्यापारियो द्वारा किए जा रहे हुडी व्यापार की अधिक जानकारी क लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'दी इण्डियन आर्काइव्ज' मे मेरा लेख देखें। उन्नीसवी सदी क उत्तरार्द्ध म हुडी का प्रचलन तथा महत्त्व घट गया क्योकि राज्यो म आधुनिक खजानो और भारत म बैंको के माध्यम से लेनदेन अधिक होने लगा जिसका प्रतिकूल प्रभाव कुछ छोटे व्यापारिक घरानो पर पडा।

ब्याज एव ब्याज दर

ब्याज पर रुपया देने की प्रथा काफी पुराने समय से प्रचलन मे रही है। 19वी सदी के पूर्वार्द्ध म राज्य म रुपया उधार देने का काम अधिकतर साहूकार ही किया करते से।[61] वैसे गृहस्थ एव मठो, मन्दिरो म साधु एव महन्त भी ब्याज पर रुपया देने का काम करते थे।[62] राज्य की ओर से अनेक व्यापारियो को ब्याज-बटटे का काम करन के लिए साहूकारी के पटटे दिये जान की व्यवस्था थी।[63] राज्य सरकार साहूकारो से साहूकारी भाछ नाम से शुल्क वसूल किया करती थी।[64] राजस्थान के सभी राज्यो मे रुपया उधार देते समय साहूकार ऋण लेने वाले से कोई वस्तु गहने आदि रख लेने के बाद ही रुपया उधार दिया करते थे। सवत 1826 म कोटा के शासक ने महादजी सिंधिया द्वारा कोटा पर आक्रमण करने पर अपने 133 गहने साहूकार सा० धनचन्द के पास गिरवी रखकर 2,04480 रुपये उधार लिये। गहने व मकान आदि गिरवी रखन के साथ कभी कभी रुपया उधार लेने वाला स्वय अथवा अपने पुत्र आदि को ऋण न उतारने तक ऋणदाता के सुपुर्द कर दिया करता था। इसे भोगलिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। नगर श्री, चूरू के सग्रह म एक ऐसा ऋण-पत्र देखने को मिलता है जिसमे कुशला नामक गूजर ने 40 रुपया उधार लेकर अपने पुत्र को ऋणदाता के सुपुर्द कर दिया। उधार देते समय एक ऋण पत्र लिख लिया जाता था जिस पर उधारणीक ऋणी तथा साक्षियो के हस्ताक्षर करवा लिये जाते थे। ऋण पत्र मे ऋण दी गई राशि ब्याज दर, अवधि ऋण दाता एव ऋणी के नाम तथा तिथि आदि अकित कर लिये जाते थे। व्यापारी ऋण देकर अपनी बही म इसका सारा विवरण लिख लिया करता था। लेन देन का समय जो तय कर लिया जाता था साधारणतया उसका दोनो पक्ष निर्वाह करते थे।[65] राज्य का शासक साहूकारो से ऋण लेकर राजकीय आदेश का पत्र ऋणदाता को दे दिया करता था जिससे वह निर्धारित क्षेत्र से हासल व अन्य ठौडा (आमदनी के साधनो) से शुल्क की वसूली करके अपने ऋणो की पूर्ति कर लेता था। बीकानेर राज्य की 17वी सदी की एक बही मे बीकानेर के तत्कालीन शासक महाराजा कर्णसिंह द्वारा गुजराती बोहरो से हजारो रुपये उधार लेकर राज्य के गावो को उनके पास गिरवी रखने का उल्लेख मिलता है। बोहरो की जो लम्बी सूची मिलती है उनमे गदाधर जोगेश्वर को 10802 रुपये लेकर 52 गाव बोहरे सन्तोषी को 8,282 रुपये लेकर 16 गाव गुजराती वलभद्र को 3405 रुपये लेकर 6 गाव बोहरे जोगीदास को 5269 रुपये लेकर 9 गाव, बोहरे केसोजी नराइन को 623 रुपये लेकर एक गाव, बोहरे सधारण शकरजी को 1657 रुपये

लेकर 7 गाव, बाहरे राइचन्द को 752 रुपये लेकर 1 गाव व हाथियो के एक सौदागर को 800 रुपये लेकर 5 गाव देने की जानकारी मिलती है । उधार रुपय लेकर जो खत लिखे जाते थे, उनका भी बही के अन्त मे उल्लेख मिलता है। 19वी सदी तक यह प्रथा बीकानेर सहित राजस्थान के प्रत्यक राज्य मे यथावत थी । कोटा के महाराव उम्मेदसिह प्रथम ने प० लालाजी से 507294 रुपये 12 आना उधार लिये और उसकी ऐवज म परगना छीपा बडोद की आमदनी प० लालाजी के नाम तनख्वा कर दी ।[66]

यद्यपि इस समय राज्य मे ब्याज की विभिन्न दर प्रचलित थी किन्तु ब्याज की कुल रकम मूलधन से अधिक नही हो सकती थी । ब्याज दर उधार लेने वाले की साहूकारी के अनुसार घटती बढती रहती थी । शासको को उधार दी गई रकम की वसूली मे जोखिम अधिक रहता था, अत साहूकार लोग उनसे ब्याज भी ऊचा लेते थे । बीकानेर के शासक सूरत सिह ने सन् 1827 ई० मे मिर्जामिल पोद्दार व पुरोहित हरलाल से चार लाख एक रुपये उधार लिये ता उसमे से 25600 रुपया पर 2 रुपये प्रति सैंकडा व 14400 रुपयो पर 1 रुपया सैंकडा प्रतिमास ब्याज निश्चित किया गया ।[67] इसके विपरीत चूरू के पोद्दारो और पुरोहितो के आपसी लेनदेन के कागजो मे ब्याज दर पौने आठ आना सैंकडे का ही उल्लेख मिलता है ।[68] पोद्दारो की एक फम जिन्दाराम जौहरीमल की ओर से भेजे गये एक उतारे (ब्याज, हुडावन व आढत आदि के हिसाब का उतारा हुआ कागज) जो आसौज दूज सुदी 10, सवत् 1879 से लगाकर वैशाख सुदी 4, सवत् 1880 तक के हिसाब का है, मे 132682 ।॥=) ॥ रुपयो का लेनदेन हुआ जिसमे ब्याज आदि की रकम 544॥।) । रुपयो का उल्लेख है। इसके अनुसार ब्याज आदि की रकम निम्न प्रकार से लगाई गई थी

189 ≈) ब्याज आक 39044 ।।)
310) आढत रुपये 124000) दर ।) सैंकडा
28 =) सिकराई रुपये 90000) दर ।-) हजार
26।।) । दलाली रुपये 88050) दर ।-) हजार

परन्तु साधारणतया इस समय समस्त उत्तर पश्चिम भारत मे व्यापारियो ने आपसी लेनदेन मे अधिकतम आठ आना प्रति सैंकडा मासिक ब्याज दर निश्चित की हुई थी ।[69] उन्नीसवी सदी के अन्तिम दशको एव उसके बाद मे राज्य मे ब्याज दर कुछ बढ गई थी । इसकी पुष्टि बीकानेर बैंकिंग एनक्वायरी कमेटी की रिपोट से होती है ।[70]

बीमा-व्यवस्था

उन्नीसवी सदी के प्रथम दशको म राज्य के जागीरदार अपने-अपने क्षेत्र मे व्यापारियो की सुरक्षा का ध्यान रखत थे और उसके बदले मे उनसे सुरक्षा शुल्क वसूल करते थे । सदी के मध्य तक जागीरदारो के उक्त अधिकार समाप्त हो गए थे तथा कुछ अन्य कारणा से व्यापारिक माग पहले की अपेक्षा काफी असुरक्षित हो गय । इससे व्यापारियो ने अपने व्यापारिक माल के बीमे की आवश्यकता को अनुभव किया । राजस्थान के प्रत्येक राज्य के अनेक बडे व्यापारिया ने व्यापारी माल को गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुचाने के लिए जोखा (बीमा) लेना शुरू कर दिया । बीकानेर राज्य म तो राज्य सरकार बीमा व्यवसाय मे सलग्न व्यापारियो स जोखो (बीमा) की चोथाई नामक शुल्क भी वसूल करती थी । राज्य के बाहर के व्यापारी भी जोखो लेने के काय मे व्यस्त थे । उज्जैन के साहू पेमाजी जो बीमा लेने का काम करता था, की जोखो कोटा राज्य म लुट गई जिसका उसको कोटा राज्य ने 800 रुपये का मुआवजा दिया । कोटा राज्य का निमयराम लाखा रुपया का बीमा किया करता था । भावलपुर-बीकानेर और भिवानी-बीकानेर मार्गो पर राज्य के अनेक व्यापारी माल को गन्तव्य स्थानो पर पहुचाने के लिए बीमा (जोखो) लिया करते थे । बीकानेर के जगमन प्रताप सादानी भावलपुर-बीकानेर माग पर बीमा का काम करते थे । बीमा को उस समय जोखा के साथ हुण्डा भाडा नाम से भी पुकारा जाता था ।[71] बीमा लेन के साथ-साथ इस समय 'चोलाई' प्रथा भी प्रचलन म थी । चोलाई लेन वाला व्यक्ति शक्तिसम्पन्न होता था और वह अपनी जिम्मेदारी

हुवाला और मुकाता व्यवस्था

हुवाला और मुकाता व्यवस्था म कोई विशेष अन्तर नही था। पहले राज्य की ओर से अनेक व्यक्तियो, जिनम अधिकाश लाग व्यापारी वग से सबधित होते थे, को खालसा भूमि के कुछ गाव करो की वसूली के लिए हुवाले सौंप दिये जाते थे। हुवाला लेने वाला व्यक्ति हुवालदार के नाम से पुकारा जाता था। इसको राज्य की आर से सौपा गया कर वसूल करने के काय को, एक निश्चित एव निर्धारित समय मे पूरा करना होता था। निश्चित समय म निर्धारित काय पूरा करने पर, वेतन के रूप मे एक निश्चित रकम राज्य की ओर से दी जाती थी।[76] परन्तु धीरे धीरे हुवालदारो ने अपना यह हुवाला उस स्थान के प्रभावशाली महाजनो एव साहूकारो को मुकाते (ठके) पर छाडना शुरू कर दिया।[77] राज्य की जगात एव हासल बहियो से पता चलता है कि भू राजस्व तथा अय सभी प्रकार के व्यापारी शुल्को का मुकता (ठेका) होता था। लूणकरण सर व रेणी की जगात का मुकाता भीमे काठारी किल्याणे मूधडे को क्रमश 9001 व 2001 रुपय म छोडा गया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के समस्त राज्य अपनी आय के साधनो को वसूलने का मुकाता एक गाव अथवा एक परगने से लेकर पूरे राज्य तक का एक ही व्यापारी को द दिया करत थे। सन् 1838 म कोटा राज्य ने अपनी समस्त जगात आय का मुकाता साह कानीराम को 19636 रु० 15 आने मे छोड दिया था। इसी प्रकार सवत् 1893 म बीकानेर राज्य मे महता राव अभयसिह को तीन साल के लिए चूरू को इजारे पर द दिया था।[78] इस व्यवस्था के अ तगत व्यापारी ऊची रकम की बोली लगाकर, राज्य के आय के साधनो की वसूली की निर्धारित अवधि के लिए अधिकार प्राप्त कर लेते थे। मुकाता लेन वाले को मुकाती कहा जाता था। राज्य सरकार इन मुकातिया से अलग से मुकालिता नाम का शुल्क वसूल करती थी। जगात व भू राजस्व के अतिरिक्त पोखोन(पत्थर) मेट (मुल्तानी मिट्टी) व तावा खानो का भी मुकाता होता था। सवत् 1818 म राज्य की मेट की खान का मुकाता 6524 रुपये 8 आना था।[79] सवत 1820 म सेठ सवाईराम दुगड को बीदासर की ताव की खान को 41011 रुपय मुकाते पर दी गई थी। तलबाणे का मुकाता, जुए के काटे का मुकाता, कपडे की दलाली का मुकाता या इसके अतिरिक्त व्यापारी वग के लोग रपोटे का मुकाता, साजी की घडत का मुकाता, ताकडी का मुकाता, कीली का मुकाता, आदि भी लिया करते थे। इस समय राजस्थान की प्रत्येक राज्य मे वहा का महाजन, साहूकार व प्रतिष्ठित व्यापारी मुकातेदार बन गये थे। वे मुकाता लेन के काय मे धन लगाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद समझत थे। इसलिए मुकाता लेने के लिए व्यापारियो मे होड लगी रहती थी।[80] यहा यह उल्लेखनीय है कि मुकातिये अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित समय मे अधिकाधिक शुल्क वसूल करने का प्रयत्न किया करते थे किन्तु उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध म राज्य मे अग्रेजी कानून कायदा के लागू हो जाने से यह व्यवस्था प्राय समाप्त हो गई। राज्य मे सन 1886 ई० मे अग्रेज सरकार की सलाह परपरीक्षण के तौर पर खालसा गावो मे पचवर्षीय भूमि बदोबस्त लागू कर किया गया और सन् 1894 ई० म इसे नियमित बन्दोबस्त (दस वर्षीय) के रूप म लागू कर दिया गया। इससे राज्य मे भू राजस्व वसूल करने की मुकाता व्यवस्था हमेशा क लिए समाप्त हो गई।[81] इसी प्रकार नई चुगी व्यवस्था के अ तगत जगात चौकिया और थाना पर गिरदावर, नायब गिरदावर एव दरोगा आदि जगात वसूल करने के लिए नियुक्त कर दिय। इसस जगात व इसके अ तगत आन वाले व्यापारी शुल्को की मुकाता व्यवस्था समाप्त हो गई।[82] इससे मुकाता लेने वाले व्यापारिया को काफी हानि उठानी पडी और व्यापार के अय साधना का अपनाने के लिए उन्ह बाध्य होना पडा।

व्यापारिक मेले

राज्य मे काफी पुराने समय से धार्मिक स्थाना पर लगन वाले मेलो म व्यापारी लोग अपन माल का क्रय विक्रय करने म सलग्न थे। इस प्रकार के मेला मे गणेशजी जाम्भोजी, भेरूजी, गोगाजी, रामदेवजी, करणीजी व कपिल मुनीश्वरजी आदि देवी दवताओ के नाम उल्लखनीय हैं।[83] य मेल कोलायत, गजनेर, दशनाक, मुकाम, कोडमदेसर, दवीकुण्डसागर सुजान देसर, गागामेडी न ददरेवा आदि स्थाना पर सम्पन्न हाते थ।[84] इन मेलो म राज्य के बाहर के व्यापारी लाग भी अपनी वस्तुआ

का क्रय विक्रय किया करते थे। उन्नीसवी सदी के पूर्वार्द्ध म कोलायत व गजनर के मेला म तो देश विदेश के व्यापारी लोग भाग लिया करते थे। यहाँ रेगिस्तान की उपज के साथ-साथ ऊट व घोडे जो लाखो जगल मे लाय जात थे, बिका करत थे। बीकानेर की तालक मण्डी के जमा जोड की बही से पता चलता है कि राज्य मे गणेशजी एव कपिल मुनीश्वर जी के मेला म राज्य से बाहर के व्यापारी अपना विलायती माल बेचा करत थे। इसी प्रकार राज्य के व्यापारी भी राज्य के बाहर होने वाल व्यापारी मेलो मे भाग लेते थे। बीकानेर, चूरू और नोहर के व्यापारी मारवाड के मेलो म अपना माल बेचने जाया करत थे। राज्य से बाहर के इन मेलो मे कोटा का चादखेडी का मेला, उम्मेदगज का मेला व व्रजनाथजी का मेला व मारवाड के मला मे सिवाना का मल्लीनाथजी का मेला, रामदेवजी का मेला, रामदेवरा मारवाड मुण्डवे का मेला, नागोर का मेला, परबतसर का मेला व कापरडा का मेला उल्लेखनीय थे। कापरडा के मेले मे तो बीकानेर के अतिरिक्त साहपुरा, सादडी, झुझणु, अजमेर, पालनपुर, फतेपुर, सिरोही व जालोर आदि स्थानो के व्यापारी भी आते थे। इसी प्रकार मारवाड मुण्डव के मेले म बीकानेर राज्य के व्यापारियो के अतिरिक्त कोटा, जयपुर, जैसलमेर, किशनगढ, मेवाड, कधार, मुल्तान व सिध के व्यापारियो के आने का उल्लेख मिलता है। पुष्कर के मेले मे तो समस्त राजस्थान के व्यापारी अपना माल बेचने जाते थे।[85] राज्य सरकार भी व्यापारी लोगो को इन मेलो मे भाग लेने हेतु अधिकाधिक सुविधाए प्रदान किया करती थी क्योकि सरकार को व्यापारिक शुल्को से अच्छी खासी आदमनी होती थी। सवत् 1831 म सरकार को इन मेलो से 4561 रुपय 8 आने की आमदनी हुई।[86] इसी प्रकार स सवत 1840 मे क्रमश 2610 रुपये 8 आने व 2264 रुपये 4 आने मेलो से आमदनी हुई थी।[87] अधिकाश ऐसे मेले भादवा, कार्तिक एव फाल्गुन माह मे भरते थे जबकि कृषक वग कृषि काय स कुछ निश्चि त हो जाया करता था किन्तु उन्नीसवी सदी के उत्तरार्द्ध मे धार्मिक मेलो का यह व्यापारी स्वरूप प्राय समाप्त होना शुरु हो गया। इसका मुख्य कारण राज्य का पारगमन व्यापार समाप्त होना था। इससे इन व्यापारी मेला मे बाहर के व्यापारियो न आना-जाना बन्द कर दिया। इसके बावजूद गोगामेडी का पशु मेला, पशु व्यापारियो की खरीद फरोख्त का केन्द्र बना रहा।[88]

दलाली एव सौदा

राज्य मे व्यापारी वग के अनेक लोग दलाली के काय मे सलग्न थे। राज्य की बहियो म ऊन की दलाली (ऊन के व्यापारियो के बीच दलाल लोग दलाली किया करते थे) ऊनी व सूती कपडे की दलाली (ऊनी व सूती कपडे के व्यापारियो के बीच दलाल दलाली करते थे), सोने चादी की दलाली[89] (सोने चादी के व्यापारियो के बीच दलाल दलाली करते थे), चारे पाले की दलाली (राज्य म मवेशियो के लिए घास लाने ले जाने का व्यापार करने वाले व्यापारियो के बीच दलाल दलाली करते थे), सिध के मुसलमाना की दलाली (बीकानेर से सिध के व्यापारी माग पर अधिकतर मुसलमान लोग माल लाते व ले जाते थे, म दलाल दलाली किया करते थे), कीयाली की दलाली[90] (राज्य की ओर से अधिकारिक रूप मे आयातित गल्ला आदि तौलन वाले कयाल (तौलने वाले व्यक्ति) काय के बदले लाभ (कियाली) प्राप्त करते थे, का ठेका होता था के बीच मे दलाल दलाली करत थे), पुणोत की दलाली (रुपयो-पैसो का धधा करने वाले व्यापारियो के बीच दलाल दलाली करते थे), ताकडी की दलाली (कियाली की दलाली का दूसरा नाम), खूटे की दलाली (मवशियो क व्यापारिया के बीच दलाल दलाली करत थ), दरवाजे की दलाली (घर आदि की खरीद व फरोख्त करने वाले व्यापारियो के बीच दलाल दलाली करत थे), जोखू की दलाली (बीमा लेन वाले व्यापारियो के बीच दलाल दलाली किया करत थे), अफीम की दलाली (कोटा की ओरस आने वाले अफीम क व्यापारिया के बीच दलाल दलाली किया करते थे), व किरयाणे की दलाली (किरयाणे व्यापारिया क बीच दलाल दलाली करत थे) आदि नामो का उल्लेख मिलता है।[91] इससे स्पष्ट है कि यहा के व्यापारी विविध प्रकार की दलाली क काय म व्यस्त थ। राज्य सरकार को उक्त प्रकार की दलाली मे लगे व्यापारियो पर शुल्क लगाने स अच्छी खासी आमदनी हुआ करती थी।[92] इसकी पुष्टि साहवा व जगात बहियो स होती है। दलाली काय का यह क्रम उन्नीसवी सदी क पूर्वार्द्ध तक बराबर चलता रहा किन्तु उन्नीसवी सदी के उत्तरार्द्ध म राज्य के पारगमन व्यापार क सीमित हो जाने से राज्य

मे दलाली का काय काफी सीमित हो गया।

दलाली की भाति राज्य मे अनेक व्यापारी अनेक वस्तुओ को माध्यम बनाकर सट्टे अथवा सौदे के काय मे सलग्न थे। मेह (वर्षा) का सौदा एव अफीम का सौदा तो राज्य मे काफी प्रचलित था।[93] वर्षा होगी अथवा नही को आधार बनाकर सौदे हुआ करत थे। अफीम के सौदे के अ तगत वास्तविक रूप मे अफीम की खरीद एव बिक्री नही हुआ करती थी बल्कि कलकत्ते मे इसके भाव की नीलामी हाती थी और उसी नीलामी के भाव की सूचना मिलने के साथ ही राज्य मे अफीम के सौद समाप्त हो जाया करते थे। कलकत्ते से सूचना न मिलने तक लोग बडी बेताबी से इसका इ तजार किया करत थे। इस समय तक राज्य म तार टेलीफोन का अभाव था। अत राज्य के अनेक बडे व्यापारियो ने अफीम के भावो की सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत 'चिलका डाक' की व्यवस्था कर रखी थी जो अजमेर से बीकानेर तक सीमित थी। चूरू जयपुर के बीच म 'चिलका डाक' की अपनी अलग व्यवस्था थी। वसे इस डाक का आरभ बीकानेर के भीमनाथ ने आरभ किया था। किन्तु सन 1873 मे भीमनाथ के भतीजे सेरनाथ ने इसे अजमेर से बीकानेर और जोधपुर मे बीच व्यावसायिक रूप म सवप्रथम आरभ की थी। चिलका डाक के माध्यम से अजमेर से अफीम के भाव आध घण्टे मे प्राप्त हो जात थे। सन 1886 म तो राजस्थान म सात स्थानो पर चिलका डाक की व्यवस्था हो गई थी।[94] राज्य सरकार का सौदा करने वाले व्यापारियो पर शुल्क लगाने के कारण अलग से आमदनी हाती थी। उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध मे राज्य म वर्षा से सौदे पर तो प्रतिब ध लगा दिया गया किन्तु अफीम का सौदा पूववत् चलता रहा। राज्य मे टेलीग्राफ लाइन एव टलीफोन की व्यवस्था हो जाने पर चिलका डाक का अस्तित्व समाप्त हो गया और व्यापारिया ने अफीम के साथ रुई, सोना व चादी के भावो का आधार मानकर, सौदा शुरू कर दिया।

व्यावसायिक एव व्यापारिक शुल्क

राज्य मे वाणिज्य व्यापार मे सलग्न व्यापारियो पर राज्य की ओर से अनेक प्रकार के व्यापारिक शुल्क लगे हुए थे। राज्य मे आमदनी की दृष्टि से जगात सबसे महत्त्वपूण शुल्क था। जगात मुख्य रूप म राज्य मे बाहर स आन वाली, बाहर जान वाली तथा राज्य से गुजरने वाली व बिकने वाली वस्तुओ पर वसूल की जाती थी। स्थानीय भाषा म आयात को पसार, निर्यात को नकाल व पारगमन को वहत अथवा वहतीवान के नाम से पुकारा जाता था। उन्नीसवी सदी के पूर्वाद्ध तक राज्य म पारगमन व्यापार का महत्व अधिक था। अत राज्य को वहतीवान (राहदारी) क रूप मे अच्छी आमदनी होती थी किन्तु उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध मे पारगमन व्यापार समाप्त होन पर आयात व निर्यात के समय लगने वाली चुगी की आमदनी बढ गई। रुपौटा—राज्य मे दुकानो, ऊट बेचन वालो व शहर म वस्तुए बेचने वाले व्यापारिया से वसूल होता था। राज्य म रुपौटा शुल्क वसूल करने का मुकाता होता था और सरकार को इससे अच्छी आमदनी होती थी।[96] साहूकारा माछ—राज्य म साहूकारी का ध धा करन वाले व्यापारियो से यह शुल्क वसूल किया जाता था।[97] यह प्रत्यक व्यापारी (साहूकार) की आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर वसूल होता था। साहूकार लोग इस शुल्क के भारी दबाव के कारण कभी दशनोक, जहा राज्य की कुलदवी करणी माता का मन्दिर था, चले जात अथवा राज्य छोडकर उससे बाहर चले जाते थे।[98]

ताकडी—यह शुल्क राज्य म घृत, कच्ची खांड, जरदा, तम्बाकू व किरयाणा बचने वाले व्यापारिया से वसूल हाता था।[99] सोने रुपे की छदामी—यह शुल्क राज्य म सोने का व्यापार एव परखन वाले व्यापारिया से वसूल किया जाता था।[100] दलाली—यह शुल्क राज्य मे ऊन, ऊनो व सूनी कपडे, घास चारे सोन चादी, जानवरों धन सम्पत्ति व घर आदि की दलाली करने वाले व्यापारियो से वसूल किया जाता था।[101] सौदा—यह शुल्क वर्षा की सभावना पर सौदा करन वाले एव अफीम का सौदा करने वाले व्यापारिया से मेह का सौदा एव अफीम का सौदा नाम से वसूल हाता था।[102] हुण्डावन—यह शुल्क राज्य म हुडी चिटठी लिखने वाले व्यापारी हुण्डावण के रूप मे जो कमीशन प्राप्त करत थ, उस पर वसूल किया

जाना था। जोलो की चोथाई—जो व्यापारी राज्य म बीमा व्यवसाय म सलग्न थ, उनस यह शुल्क प्रति सकडा क हिसाब म वसूल करती थी।[103] दलवाली माछ—वसे यह शुल्क गाजा और कस्बा म प्राय प्रत्यक व्यक्ति स उन सुरक्षा देने के नाम स वसूल किया जाता था परतु सर्वाधिक रूप से यह व्यापारिया से ही वसूल होता था।[104] व्यापारिया स 'चौकीदार माछ' भी वसूल की जाती थी। यह शुल्क रात के समय बाजार म दुकाना पर पहरा दन के नाम पर वसूल किया जाता था। साजा वही मरन सदर, बीकानेर म चौकीदारा माछ के साथ 'बाजार म चौकीदार आदमी दसरानहा दव' का उल्लेख मिलता है। पडत साजी—सज्जी (क्षार) बनाने वाल व्यापारिया स वसूल किया जान वाला शुल्क है।[105] घीयापी व घी की कूपा—राज्य म यह शुल्क घृत उत्पादन एव व्यापार करन वालो से वसूल किया जाता था।[106] तहबाजारी की जगात—बाजार म व्यापारिया द्वारा दुकान लगाने के एवज म लिया जाने वाला शुल्क।[107] तोलावटिया—यह शुल्क तोलाई का काय करन वाला स वसूल किया जाता था।[108] बोहरों की माछ—राज्य म बोहरगत म सलग्न व्यापारिया स वसूल किया जान वाला शुल्क।[109] रुत छदामी—रुई का व्यापार करने वाले व्यापारिया स वसूल किया जाने वाला शुल्क।[110] रेशम का लाजमा—राज्य म रशमी कपडे का व्यापार करने वाले स वसूल किया जाने वाला शुल्क।[111] फारखती—यह बोहरगत करने वाला म उधार रपय की सारी रकम अदा हा जाने पर वसूल किया जाता था।[112] टका घडाई का लाजमा—यह शुल्क राज्य की टकसाल म व्यापारियो द्वारा सिक्के ढलवान पर वसूल होता था।[113] विछावती माल पर चुगी—यह शुल्क बाजार अथवा हाट म खुल सामान बेचने, जिस स्थानीय भाषा मे विलायती माल के नाम से पुकारा जाता था बचन वाले व्यापारिया से वसूल किया जाता था। हाट भाडा—यह शुल्क भी व्यापारियो से दुकान किराय के रूप मे राज्य द्वारा वसूल किया जाता था।[114] लूण का नाडा—यह शुल्क नमक आगर अथवा मोड के लिए हुए नमक की बिक्री पर वसूल होता था।[115] मुकातिया—राज्य म यह शुल्क उन व्यापारियो स वसूल हुआ करता था जो विभिन्न प्रकार के मुकाते (ठेके) लिया करत थे।[116] पोखोण (पत्थर) मेट (मुल्तानी मिट्टी) व ताबे की खानो का जो व्यापारी किसी भी प्रकार का उपयोग करता था, उससे शुल्क वसूल होता था। उक्त शुल्क राज्य के शासक द्वारा उक्त खानो की जमा क रूप म वसूल किया जाता था।[117] इसी भाति राज्य के साथ-साथ जागीरदारो द्वारा भी अपने क्षेत्र के व्यापारियो स कुछ व्यापारी शुल्क वसूल हाते थे। इनम से कुछ प्रमुख व्यापारी शुल्क इस प्रकार है। भापा—जागीर और खालसा क्षेत्र के व्यापारी द्वारा किसी प्रकार का व्यापार करने पर बिक्री-कर के रूप म यह शुल्क वसूल किया जाता था। चुरू के पोद्दार व्यापारी घराने से सबधित सा० चतुर्भुज ताराचन्द वा० फतपुर तिजरे ऊटा पैसार रो लेखो मापो पत्र के अनुसार मारवाड की ओर व्यापारी माल से लद ऊटो जिनमे मुख्य रूप से कपडा, किराना, लाख, हाथी दात और नील थी तथा जिसकी कुल कीमत 34767 रु० थी, पर 332 रुपया मापा एव 43 रु० 10 आना राहदारी के वसूल होने का उल्लेख है।[118] सूद—पटटे म जब ऋणदाता अपने कर्जदार से ऋण वसूल करता था तब उस सूद का एक भाग जागीरदार को देना होता था।[119] कोडी माछ—यह शुल्क भी सूद से मिलता जुलता था।[120] रोजगार—कोई भी व्यापारी जागीर क्षेत्र म जब अपनी नई दुकान खोलता अथवा रोजगार प्रारभ करता उसे जागीरदार को रोजगार के रूप म शुल्क देना होता था।[121] राज्य मे व्यापारिक शुल्को के साथ अनेक व्यावसायिक शुल्क भी प्रचलित थे। उनम से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं कदोयो की लाग—मिष्ठान बनाने वाले हलवाइयो से वसूल किये जाने वाला शुल्क।[122] कलाला से दारू (शराब) की भट्ठी का—राज्य म शराब निकालन वालो स वसूल किया जाने वाला शुल्क।[123] किरायत लोको री माछ—विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण व उत्पादन करने वाली जातियो से वसूल किया जान वाला शुल्क।[124] खलगड री लाग—चमार जाति के लागो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।[125] चनगरा री माछ—चूना पकाने पर चूनगरा से वसूल किया जाने वाला शुल्क।[126] चेजारो से करणी की बेगार—यह निर्माण करने वाले कारीगरो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।[127] जुए के काटे एव फेंटे का—जुआ खेलने वाले व्यक्तियो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।[128] तेलियों की घाण—तल निकालने वालो स वसूल किया जाने वाला शुल्क।[129] रगारा री जगात—कपडो को रगने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।[130] रेगडों की कुड का—रेगर जाति म वसूल किया जाने वाला शुल्क।[131] सालसिलेडी की माछ—कारीगरा से वसूल होन वाला शुल्क।[132] सुथारा री माछ—लकडी का काम करने वाला से वसूल किया जाने वाला शुल्क। लोहारा री माछ—लोहे का

ाम करने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क। उठारा रे हथोडे रा—धातु के बतन बनान वालो से वसूल किया जान ला शुल्क।[133] इसी भाति मालियो की माछ[134]—माली का काय करने वालो से, नाइयों री माछ[135]—नाई जाति के क्तियो से, कुम्हारा री माछ[136]—मिट्टी के बतन बनाने वालो से, पजाबगरा री माछ[137]—इट बनाने वाला से, छींपा लाग[138]—कपडे छापने वालो से व, उस्ता री माछ—[139]रग कर्मियो से वसूल किये जाने वाले शुल्क थे।

उन्नीसवी सदी के पूर्वाद्ध तक उपर्युक्त शुल्क राज्य मे प्रचलित थे किन्तु उन्नीसवी सदी के अन्तिम दशक मे इनमे अनेक शुल्को को था तो कम कर दिया गया अथवा समाप्त कर दिया गया। कुछ शुल्को को कम करने से राज्य सरकार को घाटा हुआ, उसकी पूर्ति हेतु कुछ एक शुल्को की दरे बढा दी गइ तथा नय शुल्क लगा दिये गये। 1848 ई० मे राहदारी ल्क मे काफी कमी कर दी गई थी उसके स्थान पर चुगी की दरें बढा दी गइ। साहूकारा माछ, रुपोटा मेह का सौदा, कडी, कपडे की दलाली, सोन रुपये की छदामी व मुकातिया शुल्को को समाप्त करके व्यापारियो स नोता खोला, उत्तरा कार एव किला माछ के रूप मे भारी शुल्क वसूल किया जाने लगा।[140]

रिशिष्ट सख्या-1

उन्नीसवीं सदी मे मारवाडी व्यापारियो द्वारा लिखी जाने वाली मियादी हुडिया

1 2600) पुज चतरभुज जिदाराम रामरतन का जमा। मिती भादवा दूजा सुदि 4 हुडी 1 रु० 2400) की श्री जयपुर की भाई जिदाराम जोहरीमल ऊपर लिखी हमारी रखा सा० दानसिघ गुमानसिघ पास, मारफत सा० अमरचन्द बिरधीचन्द का मिती भादवा दूजा सुदी 4 दिन 45 पीछे, दलाल लजा सकर की मारफत दर 12॥), दलाली चुकाय देई।

2600) सा० अमरचन्द बिरधीचन्द के नावै
2400) हुडी 1 रु० 2400)
300) हुडावण का

2 2000) सा० मघजी लाभच द का जमा मिती भादवा दूजा सुदि 12, हुडी 1, रु० 2000) हमारे ऊपर, लिखी भावनगर बन्दर सु चि० रामरतन मिरजामल का, रखा सा० धनराज मेघजी पास, मिती भादुवा दूजा बदी 10 दिखाई भादवा दूजा सुदि 4 पकी मिती भादुवा दूजा सुदी 12।

2000) सा० रामरतन मिरजामल का जमा।

3 20,000) मेकेनजी साहब का जमा मिती माह सुदी 9 वार अदीत। हुडी 1 हमारे ऊपर लिखी श्री ममई बन्दर सु पुज जीदारामजी मिरजामल की, रखा पास, मगसर सुदी 15 था दिन 31 पछै दिन 3 मिती माह सुदी 4 वार सोम था दिन 34 पछे दणा, दिन 3 सुधा।

20,000) पुज जीदाराम नानगरामजी चुरू वाले क नाव।

स्रोत—नोध बही, जिदाराम मिजामल सवत, 1871 74 पृ० 1-2, रजनावे री बही, नानगरामजी मिरजामलजी, सवत 1883-1887, पृ० 56, मरु श्री, अक 2 3, 1980, प० 8, 13। (नगर श्री चुरू)

परिशिष्ट सख्या-2

उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध मे बीकानेर राज्य मे प्रचलित चुंगी (जगात) दर

श्री बीकानेर री सायर मेहसूल इयें भात लागै, सवत् 1926

1=) बाजरी, मोठ, जुवार ऊट 1 नैं (प्रति ऊट)
1।=।।) ।। मूग रे ऊट नु लागे (प्रति ऊट)
2 ☰) ।। गहू, चीणा (चना) ऊट 1 नु लागे (प्रति ऊट)
4=) ।। चावला (चावल) रे ऊट 1 नु लागे (प्रति ऊट)
4।) सीध (सिंध) सु चावल आवे तेने लागे (प्रति ऊट)
2।=) ।। तिल ऊट 1 नु लूणकरणसर री कूट सुधा लागे (प्रति ऊट)
2=)।। दूजा तिला रे ऊट नु लागे (प्रति ऊट)
।। ☰।।।) मण 1 घीरत (घृत) देश रे नु लागे (प्रति मन)
।।।=।।।) घीरत (घृत) मण 1 सीध (सिन्ध) रा नु लागे (प्रति मन)
।।।) ।। लूणकरणसर सु जावे घी (घत) नु लाग (प्रति मन)
।=।।।) खाड (चीनी)मण 1 नु भियाणी (भिवानी) सु आवे तनु लाग (प्रति मन)
।।) 12।। खाड (चीनी) मण 1 नु दूजी (दूसरे) जगा (स्थान) सू आवे तेनु लागे (प्रति मन)
☰ ।।) गुल (गुड) मण 1 नु भियाणी (भिवानी) सु आवे तनु लागे
।) गुल (गुड) दूजी जगह सु आवे तेनु पावला लागे (प्रति मन)
1।) ताबा (ताबा) मण 1 नु सवा रूपीयो लागे (प्रति मन)
3=) सन्दूकडे (सौ) कपडे रुपीया 1 लारे आयो आधो लागे (प्रति सैंकडा)
5) सोना चादी क्नारो (किनारी) मोटो (मोटा) पाच रुपीया सैंक्डा लागे छै (प्रति सैंक्डा)
1) जसद, कथीर, सीसो, पीतल, कासी वेने 1 लारे आना आधो लाग (प्रति सैंकडा)
3=) सौ रुपीया रे माल सादे कपडे नु लागे छ (प्रति सैंकडा)
2) मण 1 गुलाबजल नु लागे छै (प्रति मन)
3=) साजी (सज्जी) देश नैंकाल (राज्य से बाहर जाने पर) 100 रे माल लारे लाग फिटकडी, नासपाल मेट, लूण खजुरीया, आवली नालेर (नारियल) खोपरा, रुई, पखा, चटाई
।=।।) फिटकडी मण 1 ने (प्रति मन)
☰।।) नासपाल मण 1 नु (प्रति मन)
4।) मेट (मुल्तानी मिट्टी) ऊट 1 नु (प्रति ऊट)
=) साजी ऊट 1 नु (प्रति ऊट)
। ☰।।) लोह मण 1 नु (प्रति मन)
3) लूण (नमक) लारे सैंक्डा रैं लागे (प्रति सैंकडा)
।।=) खिजुरा (खजूर) मण 1 नु लाग (प्रति मन)
।। ☰) मण 1 पखीया (पखे) नु लागे (प्रति मन)
। ☰।।।) मण 1 नारेल (नारियल) नु (प्रति मन)
।। –।।) खोपरा नु गोटा (चिटकी) मण 1 नु (प्रति मन)

5।) रुई ऊट 1 नु ।- मण 1 नु लागे (प्रति मन)
चटाई नग 10 रे नग 1 रकीमो लागे (प्रति दस नग)
सीरका (सरकी) 20 नग रे नग 1 लागे (प्रति बीस नग)
बारा 20 नग रे 1 नग लागे छै (प्रति बीस नग)
ईस 20 नग 2 नग जोडी लागे छै (प्रति बीस नग)
6।) भेड, बकरी नग सैंक्डे लागे (प्रति सैंकडा)
।≡) नग 1 बलद (बैल) भैंसो, गाय रे लागे नही (प्रति नग)
10) सइकडो पठाणा रा घोडा आवे तेनु 300 रुपया हुवे तो रुपीया 30 लागे (प्रति सैंक्डा)
5) नातो (नावा) करे जीण नु लागे (प्रति नाता)
राड (विधवा) रुडी खातो दावे तेनु थरमल नु 4 हसा घर बेचे तो दरबार री चौथी पाती लेवाल नु लागे
2) बेटो तथा बेटी परणावे (विवाह करे) तेनु श्री गोकुलचन्द भाजी रो लागे
दरवाजा री लागे इण मुजब लागे छै
राहदारी कीराणो ऊट 1 लारे लागे पछे
12।।) पूछडी (ऊट) धाम नु लागे (प्रति ऊट)
4।) लाग लादा नु करोडी कड, मूगथण
4।) घूने कच्चे पक्के नु गाडा 1 नु लागे (प्रति गाडा)
2) गाडा रोहीडे नु लागे (प्रति गाडा)
2) घाण तेली मोल लावे रो नु लागे
18।) खेजडा रा कडा ऊट 1 नु (प्रति ऊट)
14।) खेजडा सेतीर 1 नु लागे छै (प्रति सहतीर)
18।) जाल री कीरमा ने लागे छै
6) अमल रा सौदा ने लागे छैं (प्रति सौदे)
।।=।।) 1। उडद ऊट 1 नु लागे
।) भूज मण 1 नु पावली लागे
। कडा पाटीया, सेतीर, सिंध सु आवे तेनु 25।12।। कडी नग 1 नु 1।25 पाटीयानु
1) वा सेतीर नु पागा (पागे) री जोडी 20 नु रुपीयो 1 लागे
1) सिन्ध सु आवे जेनु 10 जोडा लागे
।।।=) क्ली ऊट 1 नु लागे
।।) 12।। आवा (आम) मण 1 नु लागे
रसाल (फल) नीबू, साग, गन्डेरी, सकरकन्द, गाजर, नारगी, अनार
=) 12।। जोधपुर सु सीकर सु अरबी आवे तेनु मण 1 नु लागे (प्रति मन)
13।) गोवडे गोभी) 1 नु लागे
16।) भयसें (भैंसें) 1 नु लागे
।।।=) ऊट 1 सागरा (सागरी) री तेनु लागे (प्रति ऊट)
।) 25 उने (ऊन) मण 1 नु लागे (प्रति मन)
।≡) राजगढ नु ऊनो (ऊन) आवे तेनु लागे

॥ ☰) कुसुंबे मण 1 नु लागे
॥ ॥) सीगोडा (सिंघोडे) हलद (हल्दी) मण 1 नु लागे (प्रति मन)
॥ ॥) सारे (कडवा) तेल मण 1 नु लागे (प्रति मन)
॥) कादा (प्याज) ऊट 1 नु लागे छै (प्रति ऊट)
1 =) मेवो (मेवा) बीदाम (बादाम), किसमिस (दाख) खुरमाणा (खुरमाणी), नीजा, मीजी विदाम मण 1 नु लागे छ (प्रति मन)
1। =) पिसता (पिस्त) मण 1 नु लागे (प्रति मन)
5) पशमीना, रेशमी कपडो, रेशमी तणी, 100) माल नु हाथी दात नु पाच रपीया सैंकडा लागै छ (प्रति सैंकडा)

स्रोत महाजना री पीडिया री बही, बीकानेर, सवत 1926 (रा० रा० अ०)

परिशिष्ट सख्या-3

उन्नीसवीं सदी मे जोखम, हुडा भाडा (बीमा) लेने का जिदाराम मिर्जामल की बही से लिया गया लेख

1552।) मोला जाफरखान तथा सैयद राजू पास हुडो भाडो श्री रतनगीरजी महाराज के आसरे सेती (श्री जोधपुर ताई लेयो) मारफत खान साहब महमद अली (ससतर) पास (श्री जोधपुर) मोला जफर खान तथा सैयद राजू नै सोपियो छै मिती वैसाख सुदी 2, सवत 1872 का जिस माही पाती 2 आपणी पाती 3 भाई जोहरीमल भादरमल की छै, तैनी बीगत इसी भाते छै 4258।) कपडे की बिगत

9000) पेटी 1 चमडा मढी हुई जिस माही माल इसी भात छै
5000) पेश कब्ज 1 जडाऊ, 4000) पश कब्ज 4
26900) जडाव तथा जवाहर 1 माही (पूरी बिगत दी हुई है)
6000) डबो 1 जिस माही पना छे
5000) पना न० 553 रत्ती 975
1000) पनो 1 मोटो रत्ती 108
900) छोट
47058।)
1882।) जोखम रु० 47058।) दर दर 4) सैंकडो
61॥।) हुडे भाडे का मण 10।) दर 7)
8 =) बारदानो
1962 =)
1919) भाई जोहरीमल भादरमल पास तुमा रोकडी लिया
3881 =)
1552।) पाती 2 हमा तुमारे नावे माडी छ

स्रोत नाथ बही जिन्दाराम मिर्जामल, सवत 1871-74, पृ० 19, मरु श्री, अक 2-3, 1980 पृ० 14 15 (नगर श्री चुरू)

सन्दर्भ

1 शर्मा, डा० दशरथ—राजस्थान थ्रू दी ऐजेज, प्रथम भाग, पृ० 492, 740
2 गोएटज, हरमन, आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर, बीकानेर स्टेट, पृ० 49 50, चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ० 477
3 देश री जगात री बही, सवत 1858, न० 68 (नापासर चौकी का लेखा द्रष्टव्य है), राहदारी रे हासल मेडते व जोधपुर रा बही, सवत 1860 (भैयाजी सग्रह), बही श्री रतनगढ रे दुकाना गुवाडा री (जगात बही) सवत 1860, न० 81, पृ० 33, 39, सुजानगढ एजे सी रिपोर्ट, मई 31 सन् 1873, कागद बही, सवत 1897 न० 47, राजगढ री सावा बही, सवत 1881, न० 133, जगात बही, सवत 1879 न० 132 (परबारी जगात का लेखा) (रा० रा० अ०) जोहरीमल जगनाथ का पोद्दार चतुरभुज जिदाराम को सवत 1895 का पत्र, मरु श्री, जुलाई दिसम्बर, 1982
4 घोडो के व्यापारी निजामुद्दीन का टोक नवाब को लिखा पत्र दिनाक 24 रबी उल अमल (1858 ई०) मुन्शीखाना रिकाड टोक (राज० रा० अभि०), बही चूरू सू सिध कानी पाछे खच लाग्यो तरी विगत, सवत 1871 न० 31 (भैयाजी सग्रह), सी० क० 23 माच, 1844 न० 396 97 (रा० अ० दि), दयालदास की ख्यात, खण्ड 2, पृ० 147-48, कागद बही, सवत 1826, न० 3 (रा० रा०अ०), कागद बही, सवत 1896, न० 46,
5 नेणसी मारवाड रे परगना री विगत, ग्रन्थ 1, पृ० 143-144, बाकीदास की ख्यात, खण्ड 2, पृ० 284-286, श्री मण्डी री जगात बही, सवत 1864, न० 89, राजलदसर री जगात रो लेखो (रा० रा० अ०)
6 जगात बही, बीकानेर सवत 1829 न० 25 (अजीतसर की चौकी का लेखा द्रष्टव्य है), देश री जगात री बही, सवत 1858, न० 68 (गाव नापासर का लेखा द्रष्टव्य है), बही देश री जगात री, सवत 1859, न० 77 (जसरासर की चौकी का लेखा द्रष्टव्य है), सावा मण्डी सदर, सवत 1832, न० 31, नवी जगात री बही सम्वत, 1859, न० 74 (राजासर, केला व जेतपुर चौकी का लेखा) (रा० रा० अ)
7 सनद परवाना बही, मारवाड, सवत 1840, पृ० 65 (जोधपुर बहियात), सूरतगढ र जगात रो लेखो सवत 1862 न० 87, पृ० 2 4, कागद बही, सवत 1897, न० 46, पृ० 266, बही अदालत र कागदा री बीकानेर, सवत 1893, न० 43, पृ० 46, इन्दौर या भोपाल से दिल्ली या भावलपुर जानेवाला माग भी बीकानेर होकर गुजरता था, खरीता, इन्दोर से जयपुर को लिखा, मिती फाल्गुन बदी 10 सवत 1870 न० 174, मिती चैत्र सुदी 8, सवत 1851, न० 291, मिती चैत्र सुदी 10, सवत 1853, न० 303 (रा० रा० अ०)
8 बही नवी जगात, सवत 1859, न० 74, पूगल चौकी का लेखा द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०) नणसी मारवाड परगना री विगत, ग्रन्थ 2, पृ० 500
9 सुजानगढ के सहायक एजेण्ट की रिपोर्ट, मई 31 सन् 1873 कागद बही, बीकानेर, सवत 1897 न० 47, पृ० 266 (रा० रा० अ०)
10 विभिन्न व्यापारी केन्द्रो की पृथक-पृथक जगात एव सावा बहियो से इसकी पुष्टि होती है सावा बही, रिणी, सवत 1814 1900 न० 1 से 30, सावा बही, राजगढ, सवत 1847-57, न० 65, सवत 1828 55 न० 1 8, चूरू रे जगात री बही सवत 1832, न० 33, सावा बही चूरू, 1829, 1871-79 सवत न० 1 व 2, सावा बही नोहर सवत 1822-1862 न० 1 8, सुजानगढ र जगात री बही सवत 184 न० 46 सावा बही सुजानगढ सवत 1887 88, न० 1, बही श्री मण्डी सदर (सावा) सवत 1

1900, न० 1 45, सावा वही अनोपगढ, सवत 1818 1868, न० 1-8, सावा वही रतनगढ, सवत 1858 1875, न० 1-3, सावा वही सुजानगढ, सवत 1865-1887 न० 1-3, वही नवी जगात सवत 1859, न० 74, सावा बही हनुमानगढ, सवत 1862 67, न० 1, सावा गही भादरा, सवत 1875 1885, न० 1 (रा० रा० अ)

11 सावा मण्डी सदर, सवत 1818 21, न० 9, प० 1, 1821-22, न० 10 पृ० 1, 1858-59, न० 31, प० 1 (रा० रा० अ)

12 सहायक जगात चोकिया मे जसरासर, पूनरासर, गघीली, रावतसर, राजलदेसर खारवरा, झझू, कालू, मेहसर, मेसली, करणपुरा, हरदेसर जेतपुर, बीग्ना, साडवा, गीरद, रुही, बुचनाऊ, कुर्मांणा आदि चोकिया के नाम उल्लेखनीय थे वही याददास्त चोकी मे जगात लिया तेरी (जगात वही), सवत 1869, न० 92, पृ० 1-10 (रा० रा० अ)

13 श्री बीकानेर री जगात रो लेखा, सवत 1858, न० 69, पृ० 1 12, वही श्री रतनगढ रे दुकाना गुवाडा री, सवत 1860, न० 81, पृ० 1 9, जगात बही, सवत 1879 न० 132, वही जगात गाव जसरासर री चोकी री, सवत 1900, न० 184, पृष्ठ 1-30, कागद वही, बीकानेर, सवत 1896, न० 46 (रा०रा० अ)

14 वही जगात बीकानेर, सवत 1807, न० 7, पृ० 1 6, सावा मण्डी सदर, सवत 1822, न० 11, पृ०1-2, श्री बीकानेर री जगात री लेखो, सवत 1858 न०69, पृ०2-11, वही मूल्ताना सू घोडा खरीद किया तरी, सवत 1776, पृ० 1-3, बही महाजन रे पीढिया री, सवत 1926, प० 39 41, वही नवी जगात रो लेखा, सवत 1859, न० 74 (पूगल व महाजन चोकी के लेखे द्रष्टव्य है), कागद बही बीकानेर सवत 1896, न० 49 (रा० रा० अ)

15 मण्डी री जगात री बही, सवत 1805, न० 4 (राजलदेसर, साडवा व जेतपुर की जगात चोकियो के लेखे द्रष्टव्य है), सावा मण्डी सदर, सवत 1821-22, न० 10, पृ० 2, जगात बही बीकानेर, सवत 1821, न० 17, पष्ठ 3 8, मण्डी री जगात बही, सवत 1831, न० 32, प० 1-2, चूरू रे जगात री बही सवत 1831-2, न० 33, पृ० 1 8, कागज, मापा, चुगी व राहदारी का सवत 1866, मिती वैशाख वद 6 (पोतदार सग्रह), बही महाजना रे पीढिया री, सवत 1926, प० 36 41, कागद वही, बीकानर, सवत 1896, न० 46 (रा० रा० अ)

16 श्री मण्डी री जमा खच सवत 1834, न० 35, पृ० 1-2, बही देश रे जगात री सवत 1859, न० 77 (जसरासर चोकी का लेखा द्रष्टव्य है), श्री बीकानेर रा जगात री लेखो, सवत 1858, न० 69, पृ० 1 10, वही खारी रट्टी मगरे ही जगात री, सवत 1859, न० 75, (सोमलसर चोकी का लेखा द्रष्टव्य है), बही महाजन रे पीढिया री, सवत 1926, पृ० 39 41 (रा० रा० अ)

17 श्री बीकानेर री जगात रो लेखा, सवत 1858, न० 69, प० 2 6, सनद परवाना बही, मारवाड, सवत 1840, पृ० 65, जोधपुर बहियात, महाजन र पीढिया री बही, सवत 1926, प० 39 51, कागद बही सवत 1897, न० 47, पृ० 266 (रा० रा० अ)

18 वही नवी जगात रो लेखा, सवत 1859, न० 74 (पूगल व महाजन चोकी के लेखे द्रष्टव्य हैं), महाजन रे पीढिया री बही, सवत 1926, पृ० 39 41, कागद वही, सवत 1826, न० 3, पृ० 46, जगात बही, बीकानर, सवत, 1887, न० 143, पृ० 1-7 (रा० रा० अ)

19 जगात वही बीकानेर, सवत 1805, न० 4 (राजलदेसर, साण्डवा व जेतसर चोकी के लेखे द्रष्टव्य हैं), ऊन के लुकारे रे जगात री बही सवत 1844, न० 53, पृ० 1-7, श्री मण्डी री जगात रो लेखो, सवत 1900, न० 186, पृ० 1-10 (रा० रा० अ)

20 मगरे री खारी पट्टी री जगात बही, सवत 1858, न० 66, पृ० 7 10, सवत 1858, न० 67, प० 1-11, सावा मण्डी सदर, सवत 1832, न० 20, पृ० 1-3 (रा० रा० अ)

21 जगात बही, बीकानेर, सवत 1829, न० 25 (गौरीसर व अजीतसर चौकियो के लेखे द्रष्टव्य है), राजल दसर री जगात बही, सवत 1857, न० 64, हरदेसर की चौकी का लेखा द्रष्टव्य है, (रा० रा० अ)

22 श्री गजसिहपुरे री जगात वही, सवत 1815, न० 10, पृ० 1-5, सूरतगढ री जगात रो लेखो, सवत 1862, न० 87, प० 2 10, (रा० रा० अ)

23 पो० क० 26 अगस्त, 1848, न० 26 (रा० अ० दि०)

24 फ्रेंकलिन, विलियम मिलिटरी मेमोयर्स आफ जाज थामस (बीकानेर सम्ब धी विवरण द्रष्टव्य है)

25 हेमिल्टन सी० जे०—दी ट्रेड रिलेश स बिटविन इग्लैण्ड एण्ड इण्डिया (1600 1896 ई०), पृ० 218, काटन, सी० डब्ल्यू ई०—हैण्डबुक ऑफ कमर्शियल इनफारमेशन फार इण्डिया (1919), पृ० 28

26 टॉड एनाल्स एण्ड ए टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान, ग्र थ 2, पृ० 110

27 पो० क०, *15 नवम्बर 1851 न० 68 71 (रा० अ० दि०), जाज वाट ए डिक्शनरी आफ इकानामिक* प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया (1892), खण्ड 6, प० 94

28 इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया, खण्ड 21, प० 133

29 रिपोट ऑन दी पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आफ राजपूताना स्टेट, सन् 1875 79, पृ० 224

30 टाड, भाग 2, पृ० 1154 1155

31 सुजानगढ एजेन्सी रिपोट, 5 मई 1870, पृ० 140, अग्रवाल, गावि द—मरु श्री, जुलाई दिसम्बर 1982, पृ० 11

32 फेगन रिपोट ऑन दी सेटलमेंट ऑफ खालसा विलेजेज ऑफ दी बीकानेर स्टेट, 1893, पृ० 6, असकिन—दी वेस्ट राजपूताना स्टेट रेजीडे सी एण्ड दी बीकानेर स्टेट रेजीडे सी, 1909 पृ०, 352

33 पो० न० 26 अगस्त, 1848 न० 26, (रा० अ० दि०) रेव यू डिपाटमट, बीकानेर, 1934 न० बी 3967, प० 20 (रा० रा० अ)

34 एचीसन, ट्रीटीज एगेजम ट्स एण्ड सनदस, खण्ड-3, पृ० 184 189

35 रेव यू डिपाटमट, बीकानेर, 1934, न० बी 3967, पृ० 5-25, (रा० रा० अ)

36 पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1934 न०ए 1588 97, पृ० 73, रेवन्यू डिपाटमेट, बीकानर, 1934, न० बी 9667, प० 18 20 (रा० रा० अ०)

37 मु शी सोहनलाल—तवारीख राजश्री बीकानेर, प० 71-72

38 रेव यू डिपाटमेट बीकानेर, सन् 1934, न० बी 3967, पृ० 13 20 (रा० रा० अ)

39 मु शी साहनलाल—तवारीख राजश्री बीकानर, पृ० 14 44

40 बीकानेर गजल (राजस्थानी) नाहटा कलेक्शन बीकानेर (सन् 1709), प० 1-2

41 राज्य की प्राय हर व्यापारिक केन्द्र की जगात बही एव सावा बही म हाटो (दुकानो) के भाड की रकम के जमा किय जाने का उल्लेख मिलता है सावा मण्डी सदर, सवत 1802 4, न०2, पृ० 1-2, श्री म डी ही रे खाता तेरी वही, सवत 1818 न० 12, पृ०2-4, सावा राजगढ सवत 1831, न०2, पृ० 3, 1839-42, न० 4, प० 2-3 (रा० रा० अ) 'चौका पद्धति' की विशेष जानकारी के लिए देखें, विपिन० बे० गग—ट्रेड प्रेक्टिसेज एण्ड ट्रेडिसन्स, पृ० 97

42 जगात वसूल करते समय पूछडिया से ऊटा की गिनती की जाती थी। एक पूछडी मे एक ऊट माल व तीन पूछड़ियो से तीन ऊट माल गिना जाता था बही श्री रतनगढ़ रे दुकाना गुवाडा री, सवत 1860, न० 81,

पृ० 1-10, सा० चतुर्भुज ताराचन्द वा० फतेपुर तिणरे ऊटा पैसार रो लेखे रो कागज, सवत 1851 55 (रा० रा० अ)
पाउलेट गजेटियर आफ दी बीकानेर स्टेट, पृ० 142, बाहुरो के लेखे, कोटा भण्डार न० 2/2, बस्ता न० 129, सवत 1873 4 (रा० रा० अ०)

44 टाड—खण्ड-2, पृ० 1029, मण्डी रे आमदनी रे गोलक री बही, सवत 1889, न० 146, प० 3, जगात बही, सवत 1879, न० 132 पृ० 33, (रा० रा० अ)

45 चूरू मडल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ० 474, कागद बही बीकानेर, सवत 1873, न० 22, सावा बही मण्डी सदर, सवत 1802 4, न० 3, प० 31, राजस्थान से बाहर माल ढाने के लिए यहा का व्यापारी वर्ग माल ढोने वाली कम्पनियो का भी उपयोग कर रहा था। इन कम्पनिया मे 'गवनमेन्ट बुलक ट्रेन", 'बनारस बुलक टरलवा ', ' हिन्दुस्तान बुलक ट्रेन ट्राजिट कम्पनी" व "मनोहरलाल एण्ड को० करिंग एजेन्सी ' आदि उल्लेखनीय हैं, अग्रवाल, गोविन्द, शोध के सबल आधार हमारे उपेक्षित अभिलेखागार मरुभारती, अप्रल 1984, पृ० 19

46 बही परवाना, बीकानर, सवत 1800 1900, पृ० 226, झालरापाटन की टक्साल, कोटा भण्डार न०8, बस्ता न०1, सवत 1877 93 (रा० रा० अ)

47 राज्य म प्रचलित तांबे के सिक्को के बारे म सवत 1840 की जगात के चोपनिये (छोटी बही) म काफी प्रकाश पडता है। इसम बीकानर राज्य मे दडीबे की ताबा खान से तांबा आने व टक्साल म उसके सिक्क घडे जान व व्यापारिया द्वारा पुराने सिक्के बेचने व नय सिक्के घडवाने का विवरण है। इसके अतिरिक्त महाजना की पीढिया की बही मे भी सिक्के बनाने व घडने की सूचना मिलती है।

(1) जगात रो चोपनियो, सवत 1840, न० 42 (रा० रा० अ)
(2) महाजना रे पीढिया री बही, सवत 1926, टकसाल का विवरण, दखे (रा० रा० अ)
(3) चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ० 472

48 हिसाबी मुद्रा मुख्यतया हिसाब किताब रखने के काम आती थी। 100 टुकडे एक रुपय के बराबर होत व 50 दुकानी का एक रुपया होता था। इसी भाति 20 फुदिया का एक रुपया होता था। एक पैस क 25 दाम होते थे चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ० 472

49 डब्लू० वेब—करेंसीज ऑफ दी हिन्दु स्टेट्स ऑफ राजपूताना, पृ० 45 63, कागद री बही, सवत 1961, न० 20, प० 69

50 चूरू मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास, प० 472, बोहरो के लेखे, कोटा भण्डार न० 2/2, बस्ता न० 129, सवत 1871 (रा० रा० अ०)

51 इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया, खड 21, प० 145 146

52 सवत 1726 म बीकानेर राज्य मे आगरा नागौर, अहमदाबाद, मालपुरा, औरगाबाद, बुरहानपुर तक की हुडियो का प्रचलन था लसकरा नू नेणी हुडी मल्यी तेरे बीगत री बही, सवत 1726, न० 241, प० 1 10, (रा० रा० अ०)

53 तवारीख राव श्री बीकानेर पृ० 72, पोतेदार सग्रह मे इस घराने के व्यापारियो द्वारा भारत भर म अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानो म मुनीम व गुमाश्ता के माध्यम से व्यापार काय सचालन करने के सैंकडो उल्लेख मिलत हैं, अग्रवाल, गोविन्द—वाणिज्य-व्यापार मे मुनीम गुमाश्तो की भूमिका, पृ० 1 60

54 बही लेखापाड, सवत 1884, मिती वैशाख सुदी 6, पोतेदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, प० 13

55 माहेश्वरी जाति का इतिहास प० 252, ओझा गौरीशकर हीराचद—बीकानेर राज्य का इतिहास (भाग 2), पृ० 765

56 पोतेदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, प० 13,

57 (1) बोध वही, जिंदाराम मिर्जामल पोद्दार (बम्बई दुकान), सवत 1871 74, पृ० 11 13, मरु श्री, जनवरी जुलाई, 1980, पृ० 14, बाजे तालिक, कोटा (मुतफरकात), सवत 1745, भडार न० 1, बस्ता न० 6, क्र० स० 3`

(2) फलोदी परगने री जमा खच री वही, बीकानेर, सवत 1751, न० 32, परचून चिटठा री नक्ल बही, बीकानेर, सवत 1852, पृ० 4, चिट्ठा वा खता री वही, सवत 1890, पृ० 12, 142, अजदास्त, जयपुर, मिती सावण सुदी 3, सवत 1742 न० 282 (रा० रा० अ०) चूरू मडल का शोधपूर्ण इतिहास, प० 462, परचूण चिटठा र नकल री वही, सवत 1854, पृ० 4

58 गोयनका रामकुमार—सचित्र ऐतिहासिक लेख, चूरू की बही, पृ० 15, चूरू मडल का शोधपूर्ण इतिहास, प० 462, इस सम्बन्ध म बीकानेर की कागद व सावा बहिया के हुडावन सम्ब धी प्रलेख भी दृष्टव्य है, चिटठी वा खता री वही, बीकानेर, सवत 1890 पृ० 12, 142, परचूण चिट्ठा री नकल बही, बीकानर, सवत 1854, प० 4, 31 (रा० रा० अ०)

59 पोतेदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, प० 35, बोध वही, जि दाराम मिर्जामल (बम्बई दुकान), सवत 1871 4, मर श्री, जनवरी जून, 1980, पृ० 13

60 मरु श्री, जनवरी-जून 1980 प० 8, 14, सेठ रामसुखराय केजडीवाल की बही, सवत 1867, कार्तिक बद 14 (नगर श्री), चूरू मडल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ० 462, शर्मा, गिरिजा शकर—सोर्सेज आन हुडी विजनेस इन राजस्थान सेवनटी य टू नाइनटी य सनच्युरी दी इडियन आर्काइब्ज, वाल्यूम XXXIII, जुलाई दिसम्बर 1983, पृ० 1-14

61 इस सम्ब ध म राज्य के साहूकारा रे माछ री वहियो वे कागदो की बहियो म छूट के कागजो म विस्तार स प्रकाश पडता है कागद री बही सवत 1867, न० 16 प० 18 19, बही खाता वा चिटठा री, सवत 1880, पृ० 120, सवत 1882, प० 90, सवत 1884, पृ० 83, 134 (रा० रा० अ०)

62 मुशी सोहनलाल- —तवारीख राजश्री बीकानेर, पृ० 248, बीकानेर की चिटठा खतो, सावा व कागदा की बहियो मे साधु एव मह तो द्वारा राज्य को रपया उधार देने का स्थान स्थान पर उलेख मिलता है बही चिट्ठा वा खतारी, सवत 1888, न० 19, प० 3, सवत 1891, पृ० 133, सवत 1893, पृ० 87, भावा बही रतनगढ, सवत 1858 61, न० 63, पृ० 15 (रा० रा० अ०)

63 महाराजा रतनसिंह का मेहता मूलच द को दिया गया साहूकारी का परवाना सवत 1905, मिती बैशाख वद 3 (महता गोपालसिंह सग्रह)

64 कागद री बही, बीकानर सवत 1867, न० 16, प० 18-19, (रा० रा० अ०)

65 तनखच, कोटा भण्डार न० 19, बस्ता० न० 3, सवत 1826 32 (रा० रा० अ०), चूरू मडल का शोधपूर्ण इतिहास प० 460, खत री नक्ल री बही, सवत 1820, न० 1/1, पृ० 1 45, घर खेत, व दुकान आदि अडान रखकर रुपये उधार लेने की भी प्रथा थी। यथासमय ब्याज सहित रपया अदा न करने पर अडान रखी हुई वस्तु बेचकर उससे रपये वसूल करन का भी प्रावधान था। इसकी पुष्टि चूरू से मुहता भानीराम का रतनगढ के शिवजीराम सूरजमल को लिखे पत्र स होती है जिसम मिजामल हरभगत ने पोतेदार ठाकरसी को उसकी रामगढ स्थित दुकान को अडाने रखकर रुपये उधार दने का उल्लेख मिलता है, मुहता भानीराम का शिवजीराम सूरजमल को लिखा पत्र, सवत 1901, मिती काती सुद 9, मर श्री, वप 9, पृ० 25 26

66 खत पटटे गाव लिख दिया तेरी वही, बीकानर बही न० 216, सवत 1707 9, पृ० 1-16 (रा० रा० अ०) इस प्रकार का एक ऋण-पत्र सवत 1774 मि० भादवा बद 2 का मिलता ह जिस चार लाख एक रपये के

लिए बीकानेर महाराजा रतनसिंह न चूरू के सेठ मिर्जामल के पत्र म लिखा था। (इसकी मूल प्रति नगर श्री चूरू मे सुरक्षित है), कागद री वही, बीकानेर सवत 1859, पृ० 44-51, सवत 1874, पृ० 54 58 (रा० रा० अ०), पोतेदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ० 40 41, कागद वही, बीकानेर, सवत 1871 न० 20, पृ० 136, वोहरा लेखे, कोटा भडार न० 2/2 वस्ता न० 129, नत्थी न० 16, सवत 1871 (रा० रा० अ०)

67 पोतेदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ० 34 35

68 पोतेदार सग्रह के फारसी कागजात, पृ० 5, चूरू के पोतेदार घराने की वहियो मे नीव म 6 प्रतिशत स कम 3 प्रतिशत व्याज के उल्लेख उपलब्ध है तो ऊपर मे 36 प्रतिशत वार्षिक दर भी दखने को मिलता है, मरु श्री, वर्ष 9 अक 2 3 1980, पृ० 16, मरु भारती, अप्रैल 1984, पृ० 17

69 मरु श्री (फारसी कागजात, विशेषाक) दिसम्बर 1977, पृ० 5

70 रिपोर्ट आफ बीकानेर वैकिंग एनक्वायरी कमेटी, पृ० 109

71 वोहरा के लेखे कोटा भण्डार न० 2/2, वस्ता, न० 129, सवत 1871, नत्थी न० 10, वस्ता न० 129, सवत 1873 74, कागद वही, बीकानेर, सवत 1871, न० 20, पृ० 71 (रा० रा० अ०), पोद्दार प्रलेख मे उल्लेख मिलता है कि दो वक्स किनारी गोट की सेठ जगन्नाथ के हुडे भाडे यहा पहुच गई है।' मरु श्री, जुलाई दिसम्बर 1972 पृ० 12 पोतदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ० 9, चूरू मडल का शोधपूर्ण इतिहास, पृ० 481, सुजानगढ एजेन्सी रिपोर्ट, 5 मई 1870 ई० न० 140

72 दश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 137, चूरू के पोद्दार सग्रह मे इस तरह का एक प्रलेख उपलब्ध है जिसमे 1,501 रुपये कीमत क कपडे के 6 बडला का सहाजापुर स कराली के लिए बीमा किय जाने और माग म सामान का आग, बाढ व चोरी आदि से किसी का नुकसान हो जान पर, उसकी पूर्ति किये जाने का उल्लेख मिलता है। इसमे वीमा की दर 9 आना व 1 टका प्रति सैकडा वसूल की गई है। विश्वनाथ पोद्दार सग्रह, प्रलेख स० 276 (नगर श्री चूरू)

73 सेठ मिर्जामल मगनीराम की लेखापाड वही, सवत 1884, नोध वही, जिन्दाराम मिर्जामल की, सवत 1871 74, पृ० 19 मरु श्री, वष 9 अक 2-3, प० 14-15, अग्रवाल गोविन्द, शोध के सवल आधार हमारे उपक्षित अभिलेखागार, मरु भारती प० 18

74 शर्मा प० झावरमल पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ, प० 11, राजनावा वही, नानगराम मिर्जामल की, सवत, 1883 87 पष्ठ 184, 185, 199 201, मरु श्री वष 9, अक 2 3, प० 9 वोहरो के लेखे, कोटा, भण्डार न० 2/2, बस्ता न० 129 सवत 1873 4

75 सुजानगढ एजेन्सी रिपोर्ट 20 मई 1874 प० 228

76 बीकानेर राज्य की कागदो की बहियो मे हुवाला कागज इसकी पुष्टि करते है कागद री बही, बीकानेर सवत 1820 प० 2 6 8, 10, न० 2, सवत 1826 प० 3 4, न० 3, 1831, न० 4 1839, न० 6 1840, न० 7 1851 न० 9, 1854 न० 10, 1859 न 11 हुवाला सम्बन्धी कागज है (रा० रा० अ०)

77 फेगन रिपोर्ट आन दी सेटलमट आफ खालसा विलेजेज ऑफ दी बीकानेर स्टेट (1893), प० 16

78 राज्य की कागद, जगात, सावा व हासल बहियो मे मुकाता कागज द्रष्टव्य है। कागद री बही सवत 1831 मिती आसाढ सुदी 3, न० 4 सवत 1840, मिती काती वद 7, न० 6, 1854 न 10 प० 2 3, श्री मण्डी रे खाता तरी बही सवत 1818 न० 12 प० 2-3, बडी जगात रो सावो, सवत 1926 मिती चत सुद 1 सावा मण्डी सदर, सवत 1810 18, मिती मगसिर सुद 8, न० 6, मण्डी रे साहे रे वही, सवत 1806

न० 5, पृ० 3, बीकानेर तालके री मण्डी रो जमा जोड, सवत 1840, न० 43 पृ० 3 4, जगात के झाडे वा साहे, कोटा, भण्डार न० 14, बस्ता न० 21, सवत 1891-94 (रा० रा० अ०)। मरुश्री जुलाई दिसम्बर 1982, प० 15

79 श्री मण्डी रे खाता तेरी बही, सवत 1818, न० 12, पृ० 5 6, श्री मण्डी री जगात रो सावो, सवत 1843, प० 3, न० 48, (रा० रा० अ०)

80 कागद री बही, सवत 1820, आसोज वदी 1, न० 2, मवत 1839, आसोज सुदी 9, न० 9, सवत 1859 न० 12 (मुकाता सम्बन्धी लेखे), श्री मण्डी रे खतोने री बही, सवत् 1836, न० 38, पृ० 2, श्री मण्डी रो जमा खच, सवत 1840, न० 44, पृ० 2 3, सावा मण्डी सदर, सवत 1815 16, न० 8, सावा बही अनूपगढ, सवत 1889 न० 12, सवत 1890 94, न० 13, सावा बही सुजानगढ, सवत, 1887 94, न० 4, सावा बही सूरतगढ, सवत 1881 4, न० 4, मुकाते सम्बन्धी लेखे देखें (रा० रा० अ०)

81 फेगन रिपोट आन दी सेटलमेट ऑफ दी खालसा विलेजेज ऑफ दी बीकानेर स्टेट (1893), प० 26, 77

82 तवारीख राज श्री बीकानेर, पृ० 243

83 श्री मण्डी री जगात रो सावा सवत 1843, न० 48 पृ० 3 4, तवारीख राज श्री बीकानेर, पृ० 79 82 सावा मण्डी सदर, सवत 1802-4, न० 2, सवत 1818-29, न० 9, सवत 1822 23, न० 12, सवत 1867, न० 38, मेला की आय के लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ०)

84 श्री मण्डी रे खतौन री बही, सवत 1836, न० 38, पृ० 2, बीकानेर रे तालकै रो जमाजोड, सवत 1840, न० 43, पृ० 2-3, श्री मण्डी रो जमा खच, सवत 1840, न० 44, पृ० 2, श्री मण्डी रे जमा खच री बही, सवत् 1846, न० 54, पृ० 2-3, सावा बही मण्डी सदर, सवत् 1802 4, पृ० 3 4, न० 2, (रा० रा० अ०)

85 बीकानेर रे तालकै री मण्डी रो जमा जोड, सवत 1840, न० 43, पृ० 3 4, ग्रन्थ 2, पृ० 1156, सनद परवाना बही, मारवाड, सवत 1821, पृ० 5, खास रुक्का परवाना बही, मारवाड, सवत 1822 23, पृ० 10, 195, सनद परवाना बही, मारवाड, सवत 1940, प० 483, 51, 503, रावल मल्लीनाथ जी री मले री बही, जोधपुर (सिवाणा सग्रह), सवत 1695, नेणसी, मारवाड परगना री विगत, पाट 2, पृ० 324 आमदनी जगात के झाडे, काटा, भण्डार न० 20/2, बस्ता न० 8, सवत 1870, जगात कागजात, कोटा, भण्डार न० 14, बस्ता न० 24, सवत 1897, इन्दोर खरीता, (जयपुर अभिलख), मिती आसोज सुदी 14, सवत 1829, न० 157 (रा० रा० अ०)

86 श्री मण्डी रे जमा खच री बही (जगात बही), सवत 1831, न० 31, पृ० 3 4 (रा० रा० अ०)

87 श्री मण्डी रो जमा खच, सवत 1840, न० 44, पृ० 1-2 श्री मण्डी री जगात रो सावो, सवत 1843, न० 48, पृ० 2-3 (रा० रा० अ०)

88 तवारीख राज श्री बीकानेर, पृ० 35, 82, रेवेन्यू डिपाटमेण्ट बीकानर, 1932, न० बी 2169 81, (रा० रा० अ०)

89 बीकानेर रे तलकै री मण्डी रो जमा जोड (जगात बही), सवत 1840, न० 43, पृ० 2 3, श्री मण्डी र जमा खच री बही, सवत 1846, न० 54, पृ० 2-3 (रा० रा० अ०)

90 श्री मण्डी रो जमा खच, सवत 1834 न० 35 पृ० 2 4, श्री मण्डी रे जमा खच री बही, सवत 1831 न० 31, प० 3 4 बही जगात रे उबारजे री, सवत 1865, न 93 पृ० 1 मण्डी र आमदनी रे गोलक री बही, सवत 1889, न० 147, प० 50 (रा० रा० अ०)

91 श्री मण्डी रा जमा खच, सवत 1856, न० 93, पृ० 1, श्री मण्डी रे खाता तरी बही, सवत 1818,

न० 12, पृ० 1-2, कागद बही सवत 1854, न० 10, पृ० 3, चुरू थाणे री सावा बही, सवत 1887, न० 141 प० 63 खाता बही भादरा रे थाणे री, सवत, 1891, न० 156, पष्ठ 33, सावा बही मण्डी सदर सवत 1822, न० 11 सवत 1824, न 13, 1861 63 न० 33, 1864-65, न० 35, (सावा बहिया के दलाली सम्बन्धी लेखे द्रष्टव्य हैं), जगात के झाडे व स्याहे, कोटा, भण्डार न० 14, वस्ता न० 11, स० 1882, बस्ता न० 25, सवत 1897 99 (रा० रा० अ०)

92 श्री मण्डी री मालक रो लेखो, सवत 1855, न० 61, पृ० 1-2 (रा० रा० अ०)

93 श्री मण्डी रो उवारजो (जगात बही) सवत 1940 म अफीम के सौदे का कागज द्रष्टव्य है, पाउलेट गजेटियर आफ दी बीकानेर स्टेट, पृ० 145, महाजना रे पीढिया री बही, सवत 1926, चुगी दरो से सबधित कागज द्रष्टव्य (रा० रा० अ०)

94 चूरू और जयपुर के बीच 'चिलका डाक' का विस्तृत विवरण गोविन्द अग्रवाल ने दिया है कि कलकत्ता से अफीम के भाव जयपुर तक तार द्वारा आते थे और जयपुर से चूरू तक भाव भुगताने के लिए व्यापारियो न चिलका डाक की व्यवस्था कर रखी थी। उनके अनुसार चिलक के सकेत जयपुर से हुप की पहाडी (सीकर क निकट) पर, वहा स झुझनू की पहाडी पर और झुझनू की पहाडी से चूरू के 'घुमघ घोरे' पर पहुचा करते थे। इन सभी स्थानो पर कुशल व्यक्ति नियुक्त थे। शीशे का चमक बहुत दूर तक पहुचता था और चमक को समझ कर य व्यक्ति शहर म दौडकर आते और सौदे सट्टे वाला को खबर द दिया करते थे चूरू मण्डल का शोध पूर्ण इतिहास, प० 468 469, तवारीख राज श्री बीकानेर, पृ० 242, यहा यह भी उल्लेखनीय होगा कि 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक राज्य के व्यापारी अपने सभी प्रकार के समाचारो का आदान प्रदान कासिदो के माध्यम से ही करते थे। य कासिद पैदल अथवा ऊट पर सवार होकर बडी तेज गति से एक स्थान स दूसरे स्थान तक पहुचते थे। वे बीकानेर से जयपुर की 200 मील की दूरी को तीन दिन और तीन रात म पूरी कर लेते थे। आवश्यकता पडने पर वे उस दूरी को 42 घण्टे म भी तय कर लिया करते थे। पाउलेट गजेटियर ऑफ बीकानेर स्टेट, पृ० 106

95 राज्य की उन्नीसवीं सदी की सभी जगात सावा एव कागद बहियो मे जगात सम्बन्धी लेखे मिलते हैं। बीकानेर की सवत 1800 से 1900 तक की जगात बहिया जिनका पूर्व मे इसी अध्याय में उल्लेख किया गया है म इस शुल्क का विस्तार से विवरण उपलब्ध है (रा० रा० अ०)।

96 सवत 1802 मे राज्य की राजधानी बीकानेर मे रुपैटा शुल्क के 1320।) रुपये वसूल हुए, सावा मण्डी सदर, सवत 1802 1804 मिती काती वद 12, न० 2 मण्डी रे साह री बही, सवत 1806, न० 5, प० 2, राजगढ रे थाणे रा जमा खच, सवत 1861, न० 83, प० 2-3 (रा० रा० अ०)

97 बीकानेर सदर मे एक माह म साहूकारो से साहूकारा माछ क रुपये 205।0।।।) वसूल हुए। इसी प्रकार फलोदी (जब वह बीकानेर राज्यान्तगत था) से साहूकारा माछ के रूप म एक वर्ष के 5979।।।) रुपये वसूल हुए बही जगात रे उवारजे री, सवत 1865, न० 93, पृ० 2, फलोधी रे थाणे रो जमाखच रो साहो सवत 1864, न० 88, पृ० 2-3, साहूकारा री खाता बही, सवत 1861, न० 82, पृ० 1 (रा० रा० अ०)

98 कागदा री बही, बीकानेर, सवत 1866 न० 15, पृ० 9 व 19, 1867, न० 16, पृ० 18-19 (रा० रा० अ०)

99 लूणकरणसर म एक वर्ष म ताकडी के रूप म 82 रुपये 6 आना राजस्व मिला। इसी प्रकार राजगढ म एक वर्ष म 500 रुपये ताकडी शुल्क के रूप म वसूल हुए सावा बही लूणकरणसर, सवत 1887 88, मिती आषाढ सुद 1 न० 1 महाजन री पीढिया री बही सवत 1926, हजार के कागज म द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)

100 श्री मण्डी रे जमाखच री वही, सवत 1835, न० 37, प० 2, बीकानेर सदर मे एक माह मे क्रमश 681 रुपये व 212 रुपए 12 आना, 33 रुपय साने रूप की छदामी शुल्क क रूप मे वसूल हुए श्री मण्डी रे जमा खर्च, सवत 1840, न० 44, पृ० 2, श्री मण्डी रो जमाजोड, सवत 1840, न० 45, पृ० 1

101 श्री मण्डी के गोलक लेखे वही मे 10 रुपये ऊनी कपडे की दलाली का उल्लेख है तथा श्री मण्डी के जमाखच वही म 15) 61) 12) रुपया ऊटो की दलाली का विवरण उपलब्ध होता है श्री मण्डी री गालक रो लेखो, सवत 1855, न० 61, प० 1-2, श्री मण्डी रो जमाखच, सवत 1856, न० 63, पृ० 2 (रा० रा० अ०)

102 6 रुपया प्रति अफीम के सौद पर राज्य की ओर स वसूल होते थे महाजन रे पीढिया री वही, सवत 1926, जगात शुल्क द्रष्टव्य (रा० रा० अ०)

103 तवारीख राज श्री बीकानेर, पृ० 233 234, कागद वही, बीकानेर, सवत 1871, न० 20, पृ० 61 (रा० रा० अ)

104 राज्य म चौरे खेदडा की सात माह की रखवाली माच 737 रुपय 11 आना और सुजानगढ कस्बे की पाच माह की रखवाली माह 225 रुपया वसूल हुई सावा वही अडीचे कानी री, सवत 1868 69 न० 105, प० 2-3, सावा सुजानगढ, सवत 1875 1884 मिती माह बद 1, न० 2, सावा वही राजगढ, सवत 1839-42, सावा वही मण्डी सदर, 1860, न० 32, श्री मण्डी रो जमाखच रो उवारजो, सवत 1899, न० 178 (रा० रा० अ०)

105 सावा वही अनूपगढ, सवत 1834 43 न० 5, सवत 1885 88, न० 11, सवत 1895 1901, न० 14, घडत साजी का लेखा द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)

106 खाता वही मादरा रे थाणे री, सवत 1891, न० 155, घी की कूपा का लेखा द्रष्टव्य है (रा० रा० अ)

107 हाट भाडा व तहवाजारी की जगात सभवत एक प्रकार का ही शुल्क था।

108 सावा वही राजगढ, सवत 1885 89 न० 16, तोलावटियो के लेखे द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)

109 सावा मण्डी सदर, सवत 1802 1804 न० 2, सवत 1815 16 न० 8, सावा वही चूरू, सवत 1896-7, न० 10 वोहरा के जमा लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ०)

110 सावा मण्डी सदर सवत 1807-10 न० 4, 1815-16, न० 8, रुत की छदामी के लेखे द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)

111 सावा मण्डी सदर, सवत 1866, न० 36 रेशम के थाना सबधी लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ)

112 कागद वही, सवत 1820 से 1854 मे फारखती सबधी कागज द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)

113 वही परवाना सरदारान, बीकानेर सवत 1800 1900 प० 226, महाजना रे पीढिया री वही, सवत 1926, टकसाल की विगत द्रष्टव्य, सावा वही, अनूपगढ, सवत 1890 94, न० 13 (रा० रा० अ०)

114 बीकानेर सदर मे एक वष म 35 रुपया 15 आना विछायती माल पर शुल्क वसूल हुआ ? सावा वही मण्डी सदर सवत 1802-1804 मिती काती बद 12, न० 2, श्री मण्डी री जगात रो लेखो सवत 1843, न० 48, पृ० 2, विछायती माल एव हाथ भाडे के लेखे बीकानेर की सभी सावा वहियो मे द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)

115 सावा मण्डी सदर, सवत 1802 1804, मिती काती बद 12, न० 2, श्री मण्डी रे जमाखच री वही, सवत 1831, न० 31, पृ० 1, फलोदी रे थाणे रो जमा रो साहो, सवत 1864, न० 88, प० 2 (रा० रा० अ०)

116 मुशी साहनलाल—तवारीख राजश्री बीकानेर, प० 233 राज्य म प्रचलित मुकातो (ठेको) पर इसी अध्याय मे पूव म विस्तार से चर्चा की गई है।

117 कागद बही, बीकानेर, सवत 1831, न० 4 सवत 1838, न० 5, पृ०, 7, सवत 1856, न० 12, सवत 1867, न० 16, पृ० 26, सवत 1882, न० 31 सावा मडी सदर, सवत 1825, न० 14, सवत 1831 2 न० 18, इन बहियो मे पोखोण, मेट व दरीवे की तावा खानो से प्राप्त राशि की जमा द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
118 कागद री वही, बीकानेर, सवत 1820, मिती आसोज सुद 15, न० 2, सा० चतुभुज ताराचन्द वा० फतेपुर तिण रे ऊटा पसारे रो लेखो, सवत 1851-55, मरु श्री, वष 9, अक 2-3, पृ० 20 (रा० रा० अ०)
119 मुशी सोहनलाल—तवारीख राजश्री बीकानेर, पृ० 233 234
120 अग्रवाल गोविन्द—चूरू मण्डल का शोधपूण इतिहास, पृ० 471
121 मुशी सोहनलाल—तवारीख राज श्री बीकानेर, पृ० 234
122 कागद री बही, सवत 1878, न० 27 कन्दोइयो की लाग का लेना द्रष्टव्य ।
123 सावा बही, रतनगढ, सवत 1888 94 न० 7, सावा बही भादरा, सवत 1889 94, न० 3, रतनगढ रे थाणे री सावा बही सवत 1899, न० 181, दारू की भट्टी के लेखे द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
124 सावा बही चूरू, सवत 1883 84, न० 4, सवत 1887 89, न० 7, किरायत लोको की माल की लख द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
125 सावा बही, चूरू, सवत 1896 97, न० 10, सवत 1897-1900, न० 11, खलगढ का लेखा द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
126 वही वडे कमठाणे र कारीगरा मजूरा रे लेखापाड री सवत 1896, न० 43, चूनगरो का लेखा द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
127 सावा वही रतनगढ सवत 1895 1900, न० 8, चेजारो की करनी का लेखा द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
128 सावा वही राजगढ, सवत 1863 67, न० 11, जुए के काटे व फोटे के लेखे द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
129 सावा बही, राजगढ, सवत 1881-84, न० 15, सावा अनूपगढ, सवत 1885 6 न० 6, तेलियो के घाण सवधी लेखे द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
130 सावा वही भादरा, सवत 1885 89, न० 2 सावा राजगढ, सवत 1878 80 न० 14, रगारो व लीलगरा के लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ०)
131 सावा वही चूरू, सवत 1893 96, न० 9, सवत 1896 97, न० 10 रगारो व लीलगरो के लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ)
132 सावा वही सूरतगढ सवत 1885 86, न० 5, सालसिलेडी वसोले का लेखा द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)
133 वही बडे कमठाणे रे कारीगरा मजूरा रे लेखापाड री सवत 1896, न० 43, बही बडे कमठाणे रो साहो सवत 1894, न० 40 सुथार, लोहार ठठारो के लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ०)
134 कागद वही, बीकानेर सवत 1876, न० 16, पृ० 28 (रा० रा० अ०)
135 कागद वही बीकानेर, सवत 1886, न० 35 नाइयो की माल सवधी कागद द्रष्टव्य (रा० रा० अ०)
136 कागद वही बीकानेर, सवत 1888, न० 36, कुम्हारा की माल सम्बन्धी कागज द्रष्टव्य (रा० रा० अ०)
137 वही बडे कमठाणे री, सवत 1880, न० 20, पजाबगरा के लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ०)
138 वही बडे कमठाणे री, सवत 1879, न० 16, छीपा के लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ०)
139 वही बडे कमठाणे री, सवत 1879, न० 17 उस्ता के लेखे द्रष्टव्य हैं (रा० रा० अ०)
140 फाईनेन्स डिपाटमट बीकानेर 1935, न० बी 22 पृ० 44-45 रेवेन्यू डिपाटमट, बीकानेर, 1941, न० ए 512 627, पृ० 65/60 (रा० रा० अ)

अध्याय 3

राज्य के व्यापारी वर्ग का निष्क्रमण और उसकी नई भूमिका

राज्य से व्यापारी वग के भारत के विभिन्न भागो म निष्क्रमण सम्बन्धी नाा के लिए अंग्रेज अधिकारियो द्वारा यहा के व्यापारियो को समय समय पर दिय गये सुरक्षा सम्बन्धी रुक्के, परवान व तसल्लीनामे तथा निष्क्रमण किय हुए व्यापारी घरानो की दुकाना की पुरानी वहिया आदि महत्वपूर्ण साधन है।[1] बीकानेर राज्य की राजनीतिक व वित्त विभाग की पत्रावलियो से भी राज्य से निष्क्रमण किय हुए व्यापारियो की अच्छी जानकारी मिलती है।[2] इसके अतिरिक्त व्यापारियो के प्रवास का लगभग समय, स्थान एव व्यापार पद्धति की विश्वसनीय सूचना के लिए अंग्रजी भारत एव भारतीय राज्यो की जनगणना रिपोट, जिला गजेटियर, व्यापारी वग की परिचय पुस्तिकाए, पारिवारिक इतिहास, अभिनन्दन एव स्मति ग्रन्थ आदि भी अपना विशेष महत्व रखत हैं।

निष्क्रमण स्वरूप

राजस्थान से मारवाडी व्यापारियो के निष्क्रमण का क्रम मुगल काल मे 16वी सदी के अन्तिम दशका से आरम्भ हुआ माना जाता है। जब मारवाड (जोधपुर राज्य) के कुछ व्यापारी राजा मानसिंह के नेतत्व म राजपूत सेना के रसद जुटाने वाले विभाग (मादीखाने) के साथ बगाल पहुचे थे।[3] उसके बाद 17वी सदी मे तो मारवाड क्षेत्र के अनेक व्यापारी विहार व बगाल पहुच चुके थे। इनम जगत सेठो के पूवज भी थे जिन्होने 18वी सदी म बगाल के नवाबो के बकर के रूप मे ख्याति पाई।[4] यहा यह उल्लेखनीय है कि इस समय का निष्क्रमण केवल मारवाड क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए कालातर मे निष्क्रमण करने वाले राजस्थान के अन्य राज्या के व्यापारियो को भी मारवाडी नाम स पुकारा जाने लगा।

बीकानेर राज्य से हुए व्यापारियो के निष्क्रमण काल को दो मुख्य भागा म विभक्त किया जा सकता है पहले निष्क्रमण का समय 18वी सदी क उत्तराद्ध से 19वी सदी के पूर्वाद्ध तक का है। इस काल म राज्य के अधिकाश प्रवासी दिल्ली, पजाव, सयुक्त प्रात (आगरा, बनारस, मिर्जापुर) व मालवा क्षत्र म आकर रुक जाया करत थ। बहुत कम प्रवासी ही विहार, बगाल, आसाम व दक्षिण भारत के अन्यान्य भागा मे पहुचा करते थे।[5] यह निष्क्रमण अनियमित रूप से हुआ और इसमे भाग लेने वाले व्यापारिया मे अधिकतर नवयुवक ही हुआ करत थे। इस समय निष्क्रमण किय हुए व्यापारी अपन मूल राज्य से बराबर सम्पर्क बनाये रखते थे तथा अपनी वद्धावस्था को मूल निवास मे ही बिताना पसन्द करत थे। अधिकाश व्यापारियो ने अपने कारोबार का मुख्यालय बीकानेर राज्य मे स्थापित किया हुआ था जहा से व अपने गुमाश्ता के माध्यम से भारत स्थित अपने व्यापारी प्रतिष्ठानो का सचालन कर दिया करते थे।[6]

दूसरा निष्क्रमण 19वी सदी के उत्तराद्ध से आरम्भ हुआ जिसे 1860 ई० म दिल्ली-कलकत्ता रेल मार्ग के

निर्माण से अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। इस निष्क्रमण म प्रवासिया का एक वग बिहार, बगाल, आसाम व बर्मा तक जा पहुचा और दूसरा वग दक्षिण भारत म मालवा से आगे मध्य प्रात, बम्बई, हैदराबाद, मैसूर व मद्रास की ओर गया। यह निष्क्रमण नियमित और अबाध गति से हुआ। उपयुक्त प्रवासो म बीकानेर राज्य की अग्रवाल, ओसवाल, माहेश्वरी व सरावगी जाति के व्यक्तियो ने ही मुख्य रूप से भाग लिया।[7]

बीकानेर राज्य से प्रारम्भिक निष्क्रमण

18वी सदी के अतिम दशको मे राज्य के अनेक व्यापारियो ने राजस्थान से बाहर अपनी दुकानें स्थापित करनी शुरू कर दी। बीकानेर के प्रसिद्ध ढडढा परिवार के पूवज तिलोकसी ने लगभग दो सौ वष पूव बनारस मे 'तिलोकसी अमरसी' के नाम से अपनी फम स्थापित की। 19वी सदी के प्रारम्भ मे ही तिलोकसी के वशज अमरसी ने हैदराबाद में 'अमरसी सुजानमल के नाम से फर्म की स्थापना की। अमरसी के पुत्र सुजानमल ने इस फम का कारोबार पजाब म लाहौर और अमृतसर तक फैलाया। यह फम मुख्य रूप से बैंकिंग का काय करती थी।[8] राजलदसर से दुधोडिया हरजीमल भी दो सौ वष पूव अजीमगज म कपडे का व्यापार करने लगा। बीकानेर राज्य की मण्डी की जमा खच की बही से जानकारी मिलती है कि सन 1815 मे राज्य का व्यापारी द्वारका कोठारी मिर्जापुर म दुकान चला रहा था।[9] लगभग इसी समय चूरू का व्यापारी चतुर्भुज पोद्दार वाणिज्य व्यापार हेतु पजाब पहुच चुका था। उसके वशज 'सत पीढिया साह' कहलाये। चतुर्भुज पोद्दार का वशज मिर्जामल पोद्दार 19वी सदी के पूर्वार्द्ध म अपने वाणिज्य व्यापार एव बैंकिंग काय के लिए उत्तरी और दक्षिणी भारत म विख्यात हुआ। सन 1833 ई० मे तो मिर्जामल की बम्बई स्थित प्रतिष्ठान मे इग्लड को शाल, मसाले व हाथी दात आदि निर्यात होता था।[10] चूरू से सोजीराम भी 18वी सदी के उत्तरार्द्ध म मिर्जापुर पहुच गया और बाद म उसके वशजो ने अनन्तराम शिवप्रसाद' नाम की फम के व्यापार को बढाया और मिर्जापुर व फरुखाबाद आदि स्थानो पर अपनी व्यापारिक कोठिया स्थापित कर ली। यह फम सर्राफे व बीमे के व्यवसाय के साथ अफीम के व्यापार मे सलग्न थी। बीकानेर की कागद बही से पता चलता है कि इस समय चूरू के साहूकार लक्ष्मणदास की दुकान मिर्जापुर मे चल रही थी। इसी समय के लगभग बीकानेर से बशीलाल डागा नागपुर मे अपनी प्रसिद्ध बैंकिंग फम 'बशीलाल अबीरचन्द' के नाम से स्थापित कर चुका था। बाद मे इस फम की गिनती भारत की प्रमुख बैंकिंग फर्मो मे की जाने लगी।[11] चूरू का मोहनराम सरावगी इस समय खुर्जा मे अपना व्यापारिक सस्थान खोल चुका था। इसका बैंकिंग व्यापार भारतव्यापी था।[12] लगभग इसी समय बीकानेर का घमडसी सावणसुखा होल्करी सेना को रसद वितरण काय के लिए इन्दौर पहुच चुका था।[13] सेठ गजराज पारख सन् 1823 के लगभग चूरू से मिर्जापुर होता हुआ कलकत्ते पहुचा और दलाली के काम को अपनाया।[14] लगभग इसी समय सुजानगढ का पूणचन्द सिंधी भी कलकत्ते पहुच गया था। वहा उसने कपडे और पटसन का व्यापार किया। सन 1823 मे चूरू के सेठ रुक्मानन्द ने कलकत्ते म 'रुक्मानन्द वद्धिचन्द' नामक फम स्थापित कर बैंकिंग काय आरम्भ किया।[15] इसी समय चूरू व बीदासर के व्यापारी नौरगराम व सेठ जेसराज और चुन्नीलाल आसाम मे क्रमश तेजपुर और गोहाटी पहुचे। सन् 1829 ई० मे चूरू का व्यापारी जैतरूप कोठारी ने नमक के व्यापार मे भारत के विभिन्न भागो म अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए।[16] चूरू का व्यापारी गोरखराम खेमका कलकत्ते मे कपडे का व्यापार करने लगा।[17] सन् 1839 ई० म बीकानेर का सदासुख कोठारी कलकत्ते पहुच गया जिसने वहा पहुचकर 'सदासुख गम्भीरचन्द फम की स्थापना की। वहा उसने मूग व चादी सोने का व्यापार प्रारम्भ किया। सन् 1845 ई० मे राज्य का चेतराम ने कलकत्ता आकर किराना की दलाली प्रारम्भ की और 'चेतराम रामविलास नाम से एक फम की स्थापना की। सन 1846 ई० म नोहर का रघुनाथ पचीसिया कलकत्ते मे कपडे का व्यापार करने लगा और बाद मे उसने रघुनाथदास शिवलाल' नाम से एक फम की स्थापना की। सन 1847 ई० म रतनगढ के रामकिशनदास खेमका ने कलकत्ता म 'नाथूराम रामकृष्णदास नाम की फम की स्थापना की। लगभग इसी समय चूरू के बागला परिवार का सेठ रामदयाल सन् 1849 ई० मे और राजलदेसर से लच्छीराम वेद

कलकत्ता पहुच गये ।[18]

निष्क्रमण स्वरूप को निश्चित करते समय यह चर्चा की जा चुकी है कि 19वी सदी के पूर्वार्द्ध तक का निष्क्रमण बहुत सीमित था। क्याकि रेलो अथवा आवागमन की सुविधाओ के अभाव मे लम्बी लम्बी दूरी तक प्रवास करना बहुत कठिन काय था जो उस समय यात्रा म आने वाली कठिनाइयो से स्पष्ट हो जाता है। बीकानेर राज्य से भारत के पूव मे विशेष रूप से आसाम पहुचने की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती थी क्योकि इसमे ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के विरुद्ध नावा मे यात्रा करनी पडती थी। बीकानेर राज्य के चुरू नगर, जहा से उस समय आसाम मे सर्वाधिक व्यापारी पहुचे थे, तो आसाम के तेजपुर की दूरी लगभग 3000 मील की थी तथा यहा से आसाम पहुचने मे 3 माह का समय लगा करता था। राज्य का व्यापारी आसाम जाने के लिए पहले पैदल एव ऊट पर चढकर भिवानी पहुचा करता था और वहा से ऊट अथवा ऊटगाडी पर बैठकर दिल्ली जाता था। चूरू व रतनगढ के लोग जयपुर होकर भी दिल्ली पहुचा करते थे। दिल्ली से वह कानपुर पहुच जाया करता था। वहा से गगा नदी मे यात्रा कर कलकत्ता (बगाल) पहुचता। उसके बाद ग्वालदा से व्यापारी लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के विरुद्ध नावो पर चढकर यात्रा किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन नावो पर लम्बे रस्से बाध दिये जाते थे और मल्लाह लोग इन रस्सो को पकडकर नदी के किनारे किनारे पर जब तक चलते थे तब तक नाव को बहाव के रास्ते स अलग नही कर लेते थे। इस कठिन यात्रा को पार करके ही आसाम पहुचा जा सकता था।[19] इसी प्रकार की कुछ कठिनाइया दक्षिण एव पश्चिम म निष्क्रमण करने वाले व्यापारियो के सामने भी आती थी।

बीकानेर राज्य से दूसरा एव मुख्य निष्क्रमण

1860 ई० के पश्चात दिल्ली से कलकत्ता तक रेल माग बन जाने के पश्चात् बीकानेर राज्य से दूसरा एव मुख्य निष्क्रमण आरम्भ हुआ।[20] इसमे राजस्थान के अन्य राज्यो के साथ बीकानेर राज्य से निष्क्रमण करने वालो की सख्या अत्यधिक बढने लगी। 1900 ई० तक राज्य के व्यापारियो का सयुक्त प्रात के साथ पूर्वी भारत के बिहार, बगाल मे मुख्य रूप से कलकत्ता, आसाम एव बर्मा के विभिन्न भागो म निष्क्रमण का ताता लग गया।[21]

लगभग इसी समय दक्षिण भारत म मालवा से आगे मध्य प्रात बम्बई, दक्षिण हैदराबाद, मैसूर व मद्रास तथा पश्चिमी भारत म कराची की ओर भी निष्क्रमण मे तेजी आ गई।[22]

सन् 1901 ई० मे बीकानेर राज्य से निष्क्रमण करने वालों की स्थिति

सयुक्त बगाल	12,000
मध्य प्रात व मध्य भारत	2,200
सयुक्त प्रात	10,000
बम्बई प्रात	2,500

स्रोत सेंसस ऑफ इण्डिया, 1901, वाल्यूम XXV—राजपूताना एण्ड अजमेर मेरवाडा (लखनऊ 1903), असकिन—राजपूताना गजेटियर (इलाहाबाद 1909), वाल्यम III ए, पृ० 78-79

निष्क्रमण का यह क्रम निरतर चलता रहा। उक्त प्रातो एव दक्षिण राज्यो म निष्क्रमण करने वाले राज्य के व्यापारियो की विस्तृत चर्चा इसी अध्याय मे निष्क्रमण पश्चात नई भूमिका म की गई है।

राज्य के व्यापारी वर्ग के निष्क्रमण के कारण

राज्य के व्यापारियो का यह व्यापक निष्क्रमण कुछ मौलिक कारणो से प्रभावित था जिनमे से कुछ कारण तो प्रतिकूल तथ्यो से जुडे हुए थे जो बीकानेर राज्य मे व्याप्त थे तथा कुछ उन सहायक परिस्थितियो से सबंधित थे जिन्होंने निष्क्रमण की क्रिया को सरल व गतिमय बना दिया था। 19वी सदी के आरम्भ होने के पूर्व तक का निष्क्रमण आकस्मिक एव अनियमित था उसमे भाग लेने वाले व्यापारियो की सख्या बहुत कम थी। 19वी सदी के मध्य मे होने वाला निष्क्रमण मुख्य एव अनियमित था। मूल रूप मे यह कहा जा सकता है कि राज्य से निष्क्रमण सामान्यत जीविकोपार्जन के साधनों के अभाव से प्रेरित था। इन साधनो का अभाव प्राकृतिक मरु क्षेत्र होने के कारण न होकर इस पर राजनीतिक तथा व्यापारिक प्रक्रिया का प्रभाव था जो राज्य मे अग्रेजी सरक्षण के पश्चात प्रभावशाली होता गया जिसके फलस्वरूप राज्य के व्यापारिक वर्ग को निष्क्रमण के लिए बाध्य होना पडा। 19वी सदी के पूर्वार्द्ध तक राज्य का वाणिज्य व्यापार काफी उन्नत अवस्था मे था। उत्तर भारत के व्यापारी देश के अन्य भागो मे जाने के लिए बीकानेर राज्य से होकर जाया करते थे जिससे राज्य सरकार को भी राहदारी शुल्क के रूप मे पर्याप्त आमदनी हुआ करती थी। राज्य के व्यापारिक माल का आयात और निर्यात करने मे सलग्न थे। इनमे से अनेक लोग अपने सामान्य वाणिज्य व्यापार, लेन-देन व ब्याज बटट के साथ-साथ भू राजस्व व सायर वसूली का मुकाता (इजारा) लेने का काय भी करते थे। इन सब मे राज्य के व्यापारियों का अच्छा लाभ होता था किन्तु अग्रेजी सरकार ने भारत मे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेने के पश्चात कुछ ऐसी नीतिया अपनाई जिनसे राज्य के व्यापार की इस स्थिति मे परिवतन आना आरभ हो गया। यह काय उस चुगी नीति का परिणाम था जो अग्रेजो ने अपने अधीन भारतीय क्षेत्र मे लागू की इसके अनुसार उन्होने दो स्थानो पर चुगी वसूल करना प्रारम्भ कर दिया (1) विदेशो से माल के आयात और निर्यात पर बन्दरगाह पर लगाई जाती थी तथा (2) भारतीय राज्यो मे प्रवेश करते समय अथवा वहा से भारत मे प्रवेश करते समय ली जाती थी।[23] इससे राज्य के व्यापार को अग्रेजी क्षेत्र मे माल भेजना महगा पडने लगा। टॉड ने लिखा कि यद्यपि बनारस मे राजस्थान के नमक की बगाल मे उत्पादित समुद्री नमक की अपेक्षा अधिक माग थी किन्तु राजस्थान का नमक वहा पहुचते पहुचते काफी महगा पडता था। यह महगाई आवागमन की कठिनाइयों अथवा दूरी का परिणाम न होकर उस चुगी का परिणाम थी जो राजस्थान के व्यापारी को अग्रेजी क्षेत्र मे प्रवेश होते समय ही देनी पडती थी जबकि दूसरी ओर बगाल का नमक बनारस मे पहुचना सस्ता पडता था क्योकि दोनो स्थानो के बीच अग्रेजी चुगी चौकी नही थी।[24] यह चुगी व्यापार की अन्य सभी वस्तुओ पर भी लागू होती थी। ऐसी स्थिति मे राज्य के व्यापारी वर्ग के लिए यही आवश्यक हो गया कि अपने वाणिज्य व्यापार को फैलाने के लिए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानो को अग्रेजी चुगी चौकियो के उस पार क्षेत्र मे स्थापित करें जिससे चुगी चौकियो के कारण उसका माल महगा न बने। इस बात को ध्यान मे रखकर व अग्रेजी भारत के व्यापार के केन्द्रो मे जाकर वाणिज्य व्यापार करने लगे।[25] अग्रेजो की चुगी की इस नीति के कारण राज्य के परम्परागत व्यापारिक मार्गों का महत्व घटता गया और उत्तर भारत से आने वाले काफिले व्यापारी माल के साथ राज्य से गुजरने बन्द हो गये और उन्हे ऐसे क्षेत्र से होकर जाना पडा जो अग्रेजी नियन्त्रण मे न हो जिससे अग्रेजी चुगी न बच सकें। यह स्मरणीय है कि राज्य का व्यापार का काय पहले की अपेक्षा काफी अवनति पर चला गया। राज्य का व्यापार पारगमन (ट्राजिट) व्यापार था और पजाब तथा सिन्ध के अग्रेजी राज्य मे मिला लिये जाने के पश्चात बीकानेर राज्य से होकर जाने वाले व्यापारिक काफिले अग्रेजी क्षेत्र से ही होकर पश्चिम और उत्तर से पूर्वी भारत तक पहुच जाया करते थे।

अग्रेजी ढग के नये भूमि बन्दोबस्त एव सशोधित चुगी व्यवस्था के लागू हो जाने से राज्य मे व्यापारियो द्वारा भू राजस्व व सायर वसूली की इजारा व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इसी प्रकार राज्य मे आधुनिक ढग के खजाना आदि की स्थापना से लेन-देन व ब्याज बटटे के व्यापार को भी काफी हानि उठानी पडी।[26] इसमे राज्य के व्यापारियो केवल सम्पत्ति अर्जित करने के प्राय सभी परम्परागत साधन सीमित होते चले गये और नये साधनो का अभाव हो गया।

आय के साधनो के लुप्त होने की स्थिति म राज्य म लगातार पडने वाले दुर्भिक्षा का योगदान अब निष्क्रमण म सहायक हो गया।[27] राज्य म अनियमित वर्षा के कारण दुर्भिक्ष का पडना एक साधारण बात थी। लेकिन अग्रेजी व्यापारिक नीति लागू होने के पूव व्यापारिक वग अपने सम्प न व्यापार से उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करता रहता था लेकिन आय के साधनो के घटने, व्यापार के कम होने और भूमि व्यवस्था के नय नियमा से उसके लिए निष्क्रमण के अतिरिक्त और उपाय नहीं रहा। कृषक वग और साम त वग जो भूमि के साथ सबधित था वह निष्क्रमण नही कर सकता था। नई भूमि व्यवस्था का यह प्रभाव विशेष ध्यान देने योग्य है। व्यापारिक वग के निष्क्रमण और पारगमन व्यापार मे अवनति से यह तथ्य और स्पष्ट होता है कि 19वी सदी के अ तिम चतुर्थांश म जो अकाल राज्य म पडे उनका प्रकोप और प्रभाव अत्य त भयकर और विनाशकारी हुआ। 1868 ई० और 1900 ई० के बीच तो राज्य म अनक भयकर अकाल पडे। इस समय तक राज्य की वित्त व्यवस्था मे रुपयो का प्रचलन बढ चुका था जिनकी मात्रा सीमित थी तथा अकाल के समय मजदूरी काफी कम हो जाने के अतिरिक्त राज्य मे श्रम कार्यों की उपलब्धि भी कम रहती थी। व्यापारिक वग के निष्क्रमण कर जाने के पश्चात अकाल के हानिकारक प्रभाव को कम करन की राज्य की क्षमता भी कम हो गई थी। आरम्भ हुए निष्क्रमण की प्रक्रिया को राज्य की आर्थिक परिवतनो तथा नियमित रुप स पडने वाले दुर्भिक्षा ने और तेज कर दिया। छोटे छोटे व्यापारियो को भी अपने जीविकोपाजन मे कठिनाई अनुभव होने लगी। इन परिस्थितियो स बाध्य होकर भारत मे जीविकोपाजन के लिए निष्क्रमण करना पडा। इस प्रकार का निष्क्रमण बीकानेर के अतिरिक्त जोधपुर (मारवाड) से भी हुआ था। सन् 1811 के कोटा अभिलेखो से पता चलता है कि मारवाड मे अकाल के कारण वहा के व्यापारी कोटा म निष्क्रमण कर गये जहा उ ह वहा की सरकार ने आवश्यक सुविधा प्रदान की।[28]

अग्रेजों द्वारा नियन्त्रित भारतीय क्षेत्र मे अपक्षाकृत जीविकोपाजन के अधिक अवसर उपलब्ध थे। 1813 ई० मे अग्रेज व्यापारियो को भारत मे स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। अनेक अग्रेज व्यापारियो न कलकत्ता मे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर लिये थे। बगाल चेम्बर ऑफ कामस की वार्षिक रिपोर्टो के आधार पर यह पता चलता है कि बगाल की अनेक विदेशी कम्पनिया मे 'कुक एण्ड ग्रे कम्पनी', 'गिलण्डरस आरबथनोट कम्पनी', 'एगलि टन एण्ड कम्पनी', 'गिस बोस एण्ड कम्पनी', 'गाडन स्टूअट कम्पनी', 'स्टीयट फोड एण्ड कम्पनी', जार्डिन स्किनर एण्ड कम्पनी', 'टनर स्टोपफोड कम्पनी', 'ग्राह्म एण्ड कम्पनी', 'पिगफोड गाडन एण्ड कम्पनी', 'हु डरसन एण्ड कम्पनी', पित्तजेकब सोनी विलवन एण्ड कम्पनी', 'जाज्र ए डरसन कम्पनी', 'रोरा कम्पनी', 'रैली ब्रादस', 'प्ले टस कम्पमी', 'रोबिनशन एण्ड बासफोर कम्पनी आदि के नाम उल्लेखनीय थे।[29] ये प्रतिष्ठान इस बात का प्रयत्न करते थे कि इग्लैंड म बना माल यहा बेचें तथा भारत स कच्चा माल खरीद कर इग्लैंड को निर्यात किया जाये। इन दोना कार्यों के लिए उ ह भारत म बिचौलियो की आवश्यकता थी। उनके लिए इस काय को करन वाला को अच्छी दलाली दी जाती थी। परिणाम यह हुआ कि राज्य के प्रवासी व्यापारी दलाली के काय म अधिक सलग्न हो गये। इन व्यापारियो के निष्क्रमण के पूव अग्रेजी प्रतिष्ठाना मे बगाली और खत्री जाति के व्यापारी दलाली का काय बहुतायत से करते थे।[30] कि तु बाद मे मारवाडी व्यापारिया न यह काय करना शुरू कर दिया और बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र के व्यापारी अनक प्रतिष्ठानो के दलाल बन गये। इस परिवतन स अग्रेज व्यापारियो को अपने व्यापार सचालन म अधिक सुगमता अनुभव हुई क्योकि इन नये दलाला की सहायता स अग्रेजी माल की बिक्री बढ गई। इस व्यापारिक प्रगति का कारण मारवाडी दलाला की दश के विभिन्न भागा म बस हुए विख्यात व्यापारियो से अच्छा सम्पक तथा उनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व भी था। इन दलाला की उपयोगिता एक अ य प्रकार स भी थी। वे अपनी जमानत और अपन उत्तरदायित्व पर सामान उधार बेच देते थे। इस पद्धति को बनियनशिप (मुसद्दीगिरी) कहा जाता था। इस प्रकार उन्होन दलाली के अतिरिक्त मुसद्दीगिरी की परम्परा प्रारम्भ की।[31] इस प्रकार एक ओर धनी व्यापारी अपनी पूजी को व्यापार मे कमीशन के लाभ स लगाने लग दूसरी ओर व्यापारिया का उधार माल छोडने मे अग्रेजी प्रतिष्ठाना की जोखिम भी समाप्त हो गई क्योकि व्यापारिया को उधार माल दन म जोखिम के जिम्मेदार बेनियन रहते थे। इन प्रतिष्ठाना मे बेनियनो को कारोबार के अनुपात मे जमानत की राशि जमा करानी होती थी। इसके

बदले मे उचित व्याज के साथ एक रुपया सैकडा कमीशन दिया जाता था। इस व्यवस्था से प्रवासी व्यापारिया को अग्रजा प्रतिष्ठान के माध्यम से समस्त व्यापारिक कार्यों म विशिष्ट स्थान मिल गया। ये व्यापारी अग्रेजी प्रतिष्ठाना म दलाल क साथ साथ बेनियन भी बन गये।

राजस्थान के विभिन्न राज्यो से सम्पन्न व्यापारिया के निष्क्रमण को अग्रेज सरकार ने अत्यधिक प्रोत्साहन दिया क्योकि अग्रेजी भारत के प्रमुख नगरा एव बाजारा मे कृषको एव छोटे उद्यमी व्यापारिया के लिए धन की आवश्यकता को इन व्यापारियो से पूरा करवाया जा सकता था। अत बैकिंग काय मे सलग्न राज्य के व्यापारियो को आकर्षित करन के लिए अग्रेज सरकार ने उनके द्वारा उधार दिये जाने वाले पैसे की वसूली को सुरक्षित करन लिए कृषित भूमि को रहन रखन की व्यवस्था स्थापित की और हरसभव साधन से उनका रुपया वापस दिलवाने का प्रयत्न किया। बगाल प्रान्त म इस समय साधारण लेन देन की ब्याज दर को पौने नौ आना सैकडा निश्चित कर दिया जबकि इस समय राजस्थान के विभिन्न राज्यो मे साधारण लेन देन की ब्याज दर पौने आठ आना सैकडा ही थी।[32] इसके अतिरिक्त राज्य स अग्रेजी भारत म आने वाले व्यापारियो को भौतिक सुरक्षा का आश्वासन दिया।[33] इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के अन्य राज्यो की भाति बीकानेर राज्य से भी अग्रेजी क्षेत्र मे जाकर बैकिंग का धधा करने वालो का ताता लग गया। राज्य के साहूकार सारे भारत मे फैल गय।[34] अकेले कलकत्ते की 16 प्रतिष्ठित मारवाडी बैकिंग फर्मों मे से 6 केवल बीकानेर राज्य स सबधित व्यापारियो की थी। उनमे ताराचद घनश्यामदास, शिवलाल मोतीलाल, बशीलाल अबीरचद, मुल्तानचद डागा बेनरूप सम्पतराम व हजारीमल सागरमल आदि फर्मे उल्लेखनीय थी।[35]

इसके अतिरिक्त अग्रज व्यापारियो ने भारत के विभिन्न क्षेत्रो म अफीम, रुई, जूट, ऊन, चाय व सोने चादी के व्यापार के साथ सट्टा व शेयर आदि के धधो को विकसित किया।[36] राज्य के कुशल व्यापारी उक्त वस्तुओ क व्यापार की ओर आकर्षित हुए क्योकि इसमे आर्थिक लाभ की काफी सभावना थी। इस प्रकार राज्य के सैकडो व्यापारी उक्त वस्तुओं के व्यापार मे भाग लेने हेतु ब्रिटिश भारत मे निष्क्रमण कर गये।[37] राज्य के व्यापारियो द्वारा ब्रिटिश भारत में निष्क्रमण करने मे उपयुक्त कारण अपने आप मे काफी महत्वपूर्ण थे किन्तु 19वी सदी मे राज्य मे अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिनसे प्रभावित होकर यहा का व्यापारी वग निष्क्रमण मे गति लाने को बाध्य हो गया।

राज्य मे असुरक्षा तथा कर भार का अत्यधिक होना

प्रथम अध्याय मे इस बात पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है कि 19वी सदी मे अग्रेजी प्रभुत्व के पश्चात राज्य की शाति व्यवस्था पहले की अपेक्षा काफी खराब हो गई थी। वे सामन्त जो पहले अपनी जागीरो मे व्यापारियो का सुरक्षा का प्रबन्ध करते थे। बाद मे कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण धन प्राप्ति के लालच मे व्यापारियो को तग करने लगे थे। कुछ सामन्ता ने तो लूट मार एव डाके डालने के धधे को अपना पेशा बना लिया। सामन्ता की लूट मार के बारे म दयालदास जो स्वय महाराजा रतनसिह के शासनकाल मे राज्य मे उच्च पद पर पदासीन थे, ने लिखा है कि बीकानेर म सामन्तो का उत्पाद इतना अधिक बढ गया था कि वे गांवो व व्यापारी काफिलो को लूटने के अतिरिक्त भले घर की बहू बेटिया को भी पकड कर ले जाने लगे थे। जागीरदारो के साथ राज्य का शासक भी सम्पन्न व्यापारियो से धन लूटने में पीछे नही था। यद्यपि उसका धन वसूलने का तरीका व्यापारियो से कुछ भिन्न था। राज्य के शासक को जब धन की आवश्यकता होती थी तो वह इस बात की जाच पडताल कर लेता था कि राज्य मे किस व्यापारी अथवा अधिकारी ने अधिक धन कमाया है। इसके बाद वह उस व्यापारी से एक बडी धनराशि की माग करता था और वाछित राशि न मिलने पर उसे अनेक प्रकार की यातनायें, जिसम जेल म डालना अथवा उसके परिवार के सदस्या को पकडकर ले आना आदि भी था, दी जाती थी। शासक द्वारा इस प्रकार धनराशि मागने के पत्र को 'अटक भेजना कहा जाता था। चूरू के पोद्दार सग्रह म 'अटक सम्बन्धी अनेक पत्र उपलब्ध हैं। सेठ जवरीमल, भादरमल, स्यावरण चावाण व सेठ जीवणमल

पोद्दार पर बीकानेर के शासक ने बड़ी बड़ी धनराशियों की 'अटक' भेजी थी। जीवणराम को 11,000 रुपये न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। सेठ नथमल वद पर 24,000 रुपय की अटक भजन का उल्लेख मिलता है।[38] इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए राज्या तगत जागीर क्षेत्र क व्यापारियो ने भारत की ओर निष्क्रमण करना उचित समझा।

बीकानेर राज्य म राहदारी के माध्यम से अच्छी आय होती थी परन्तु 19वी सदी मे अग्रेज सरकार के दबाव फलस्वरूप राहदारी की दरा म काफी कमी करनी पडी जिससे बीकानर राज्य को आर्थिक क्षति एतदविषयक अच्छी जानकारी राहदारी की पुरानी और नई दरा की तुलना करने से हो जाती है जो इस प्रकार द्रष्टव्य है—

बीकानेर राज्य की सन् 1844 ई० से पूर्व व बाद की राहदारी दरो की तुलना की तालिका[39]

	पुरानी दरें					नई दरें		
	रु०	आ०	पा०			रु०	आ०	पाई०
1 नारियल, सोठ, खजूर, कसूम्बा या पीपल आदि	6	7	6	प्रति ऊट	1 एक ऊट बोझ पर	0	8	0
2 बादाम और सूखा मेवा	9	13	6		2 एक बैलगाडी बोझ पर	1	0	0
3 काला तम्बाकू	4	14	6	,,	3 एक खच्चर गधा, भैसा बोझ पर	0	4	0
4 यूरोपीय और पूर्वी कपडे	11	5	6	,,	4 ऊट, घोडा, बैल, बकरी, भेड पर	0 (अथवा मूल्य का दो प्रतिशत)	4	0
5 शक्कर	6	1	6	,				
6 हाथीदात का सामान	15	1	6	,,				
7 रेशमी वस्त्र	10	1	6	,,				
8 घी	5	7	6	,,				
8 चावल	2	10	6					
10 गेहू	1	7	6	,,				
11 चना	1	10	6	,				
12 ताबा	11	5	6	,,				
13 सीसा	2	1	6	,,				
14 लोहा और कपास	6	3	6	,				
15 मिश्री	8	12	6	,,				
16 अफीम	2	2	0	प्रति 6 सेर वजन पर				
17 ऊट, घोडे एव बैल	3	2	0	प्रति पशु				
18 भेड, बकरी	15	10	0	प्रति 100 पशुओ पर				

19वी सदी के अन्त मे तो ये चुगी दरें और अधिक बढा दी गई और राजस्थान के अन्य राज्य जयपुर और जोधपुर की अपेक्षा बीकानेर राज्य मे ये चुगी दरें कही अधिक हो गई थी।

बीकानेर, जोधपुर एव जयपुर राज्यो की चुगी दरो की तुलना की तालिका[42]

	बीकानेर				जोधपुर				जयपुर			
	रु०	आ०	पा०	प्रति	रु०	आ०	पा०	प्रति	रु०	आ	पा०	प्रति
1 घी	1	8	0	मन	0	0	0	मन	0	0	0	मन
2 माटी चीनी	1	5	3	,,	0	10	0	,	0	8	0	,,
3 बढिया चीनी	4	0	0	,,	2	0	0	,,	1	0	0	,,
4 गुड	1	0	0	,,	0	12	0	,	0	8	0	,,
5 फैसी गुडस	9	6	0	100 रु० पर	5	0	0	100 रु० पर	3	2	0	100रु० पर
6 किराना नं० 1	7	13	0	,,	1	14	0	,,	5	0	0	,,

चुगी की बढी हुई दरो का सीधा प्रभाव व्यापारियो पर ही पडा। चुगी क अतिरिक्त अन्य शुल्क जिनकी दरें बढा दी गइ उनमे 'चौथाई' शुल्क भी था जो राज्य मे अचल सम्पत्ति बेचने वाला से लिया जाता था यह सम्पत्ति के मूल्य का एक चौथा भाग (राजधानी मे) तथा अन्य स्थानो पर आठवा भाग होता था।[43] व्यापारी वग अपने वाणिज्य व्यापार म कठिनाई के समय अपनी अचल सम्पत्ति को बेचता अथवा अन्य अवसरो पर खरीदता था। इस कारण इस शुल्क का सर्वाधिक बोझ इस वग पर ही पडता था। चौथाई वसूल करने के लिये राज्य का शासक गुण्डागर्दी भी करवाने को तैयार रहता था। इसका पता चूरु क्षेत्र के साहूकारो को चौथाई वसूली मे राज्य अधिकारी को मदद दने सम्बन्धी लिखे पोद्दार सग्रह के एक कागज से चलता है। इसमे साहूकारो को धमकी दी गई थी कि अगर वे चौथाई का मामला शीघ्र नही सुलझायेंगे तो बीकानेर से चेले (गोले) भेज दिये जायेंगे जो जिस तरह भी होगा जोर जबरदस्ती से चौथाई वसूल करेंगे।[44] राज्य मे गोद लेने वाले व्यक्ति स खोला शुल्क के रूप मे 2 000 रुपये तक वसूल कर लिय जाते थे। महाराज सरदारसिंह के शासनकाल (सन 1852 1872 ई०) मे तो इस मद मे मनमाना धन वसूल किया जाने लगा था।[45] इससे गोद लेने वाले व्यक्तियो की कठिनाइया बढ गई थी। इसी प्रकार राज्य म उत्तराधिकार के रूप म सम्पत्ति प्राप्त करने वाले को बीस प्रतिशत उत्तराधिकार शुल्क चुकाना होता था। उक्त शुल्को से सामन्तो आदि के साथ राज्य का व्यापारी वग ही प्रभावित हुआ करता था।[46] उपर्युक्त शुल्को का भार कितना अधिक था, इसका अनुमान ब्रिटिश भारत मे प्रचलित इन्ही शुल्को की तुलना से लगाया जा सकता है।

बीकानेर राज्य तथा अ ग्रेजी भारत मे कर भार की तुलना की तालिका

		बीकानेर राज्य	अग्रेजी भारत
1	चल व अचल सम्पत्ति बेचने पर	25 प्रतिशत शुल्क	1 प्रतिशत शुल्क
2	खोला (गोद लेने पर)	2,000 रुपया शुल्क	20 रुपया शुल्क
3	बटवारा (सम्पत्ति का बटवारा करने पर)	75 ,, ,,	75 ,, ,,
4	उत्तराधिकार	20 प्रतिशत शुल्क	3 प्रतिशत शुल्क

इन शुल्को के अतिरिक्त राज्य मे न्योता, गईवाल व किलाबाछ आदि भारी शुल्क प्रचलन म थे। कहने को तो न्योता और किलाबाछ शुल्क इच्छापूवक दिये जाने वाले शुल्क कहे जाते थे किन्तु राज्य के व्यापारी वग स य बलपूवक व बडी-बडी रकमो मे वसूल किये जाते थे। बीकानेर राज्य मे सवत 1922 मे चूरू के साहूकारो से सात हजार रुपया न्योता भाग का 10 दिन मे भेजने के लिए दबाव डाला गया। पोद्दार सग्रह के मिती जेठ वदी 10, सवत् 1922 के प्रलेख म राज्य की ओर से इन साहूकारो को यह धमकी भी दी गई थी कि यदि इस काय म कोई व्यक्ति खलल डालेगा तो उसके हक म अच्छा नही होगा। चूरू के व्यापारी भजनलाल लोहिया स जब किलाबाछ वसूल करन का प्रयत्न किया तब उसने इसका कडा विरोध किया और बीकानेर राज्य छोड अग्रेजी भारत के नागरिक बनने की धमकी दी।[47] राज्य का कोई व्यक्ति किसी को गोद लेने के पूव ही मर जाता, तो उसकी सम्पत्ति राज्य सरकार 'गईवाल' शुल्क के नाम पर जब्त कर लेती थी। मुशी सोहनलाल ने इस शुल्क के विषय मे लिखा है कि राज्य सरकार धन के लालच मे किसी भी व्यक्ति को खोला लेने के अधिकार से वचित भी कर दिया करती थी। इससे राज्य के धनाढय व्यक्तियो म भय बना रहता था।[48] इन शुल्को का भार कितना अधिक था उसका अनुमान राज्य के कुछ व्यापारियो से वसूल किया गया किलाबाछ शुल्क की तालिका से लगता है—

बीकानेर राज्य के व्यापारियो से वसूल किये गये किलाबाछ शुल्क की तालिका[49]

	व्यापारियो के नाम		दिया गया शुल्क रुपयो मे
1	बहादुरमल हीरालाल	बीकानेर	9 000
2	प्रयागदास नरसिहदास	,,	7,501
3	रेखचन्द बुलाकीदास	,,	6,500
4	छोगमल बालकिशन	,,	5,001
5	गणेशीलाल मालू	,,	5 000
6	भगवानदास बागला	चूरू	5,001
7	बहादुरमल पानमल	बीकानेर	4,801
8	रिधनाथ शिवकिशन	,,	4,500
9	मोतीलाल सदासुख	,,	3,101
10	राजरूप हसराज	,,	3,500

नोट—2,500 रुपये से 1,000 रुपय किलाबाछ देने वाले तो राज्य मे सैकडा व्यापारी थे।

उपर्युक्त भारी शुल्को के अतिरिक्त राज्य के व्यापारियो द्वारा अन्य अनेक शुल्क भी लगे हुए थे जिनकी दूसरे अध्याय म विस्तत व्याख्या की जा चुकी है। राज्य मे प्रचलित व्यापारी शुल्का का भारत म या तो अस्तित्व ही नही था और यदि था तो उनका भार राज्य की अपेक्षा बहुत कम था। इस स्थिति ने राज्य के व्यापारी वग को भारत म निष्क्रमण करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया।[50]

व्यापारियो की राज्य मे सम्मान एव सुविधाए प्राप्त करने मे आपसी प्रतिस्पर्धा

बीकानेर राज्य का विशाल क्षेत्रफल जो कि भारतीय मरुस्थल के बीच मे स्थित होने के कारण सम्भवत भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र था। राज्य मे अच्छी वर्षा एव नियमित नदी एव नहर के अभाव मे इस रेतीले भाग म अकाल की सी स्थिति बन रहना एक साधारण बात थी। 19वी सदी मे राज्य मे आय के साधन भी काफी सीमित हो गये थे जिसकी दूसरे अध्याय मे विस्तत व्याख्या की जा चुकी है। अत ऐसी स्थिति मे राज्य के शासका को अपनी निजी आवश्यकताओ एव राज्य के विकास योजनाओ की पूर्ति हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता बनी रहती थी। इसकी पूर्ति कुछ हद तक राज्य के प्रवासी व्यापारी जो अग्रेजी भारत मे वाणिज्य व्यापार करते थे, के द्वारा की जाती थी। वे समय समय पर राज्य मे शासक को आर्थिक मदद करते एव अपने लाभ का कुछ भाग राज्य के जन कल्याणकारी कार्यो पर खच किया करते थे।[51] राज्य का शासक ऐसे व्यापारिया को अनेक सम्मान एव सुविधाए प्रदान किया करता था। ये सम्मान और सुविधाए काफी आकषक थी। राज्य का प्राय हर बडा व्यापारी शासक की ओर स उक्त सम्मान एव सुविधाए प्राप्त करने की इच्छा रखता था जिससे उसकी अपने समाज एव राज्य दोनो जगह प्रतिष्ठा बढ सके।[52] किन्तु इस इच्छा की पूर्ति व्यापारी बीकानेर राज्य मे रहकर नही ब्रिटिश भारत मे वाणिज्य व्यापार कर धन कमाकर ही कर सकता था। सम्मान एव सुविधाए प्राप्त करने की इस प्रतिस्पर्द्धा ने भी व्यापारियो को निष्क्रमण के लिए प्रोत्साहित किया।[53]

निष्क्रमण किये हुए व्यापारी स्वय निष्क्रमण मे गति लाने मे सहायक

निष्क्रमण का स्वरूप निश्चित करते समय पूव मे बतलाया गया है कि राज्य से किया जाने वाला निष्क्रमण क्रमिक रूप से हुआ। प्रारम्भ मे वह अनियमित अवश्य था किन्तु अवरुद्ध नही हुआ और उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध म तो अबाध गति से शुरू हो गया। इस निष्क्रमण मे ब्रिटिश भारत के विभिन्न भागा मे प्रवास किये व्यापारिया ने काफी महत्वपूण भूमिका निभाई। उन्होने जब अपना वाणिज्य व्यापार फैलाना शुरू किया, तब उन्हे अपने व्यापारी प्रतिष्ठाना के लिए मुनीमो एव एजेन्टो की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए उनकी सदैव यह इच्छा रहती थी कि उनके मूल राज्य के स्वजाति बन्धु ही यहा आकर उपर्युक्त पदो को सभालें।[53] इसका मुख्य कारण था कि वे अपरिचित लोगा की अपक्षा उन पर अधिक विश्वास कर सकते थे। राज्य म रोजगार के अभाव मे प्रवासी व्यापारी का नियन्त्रण मिलत ही उसके रिश्तदार व साथी सगी निष्क्रमण पर निकल जाया करते थे। इस प्रकार प्रवासी व्यापारी वग ने स्वय भी निष्क्रमण को बढावा दिया।[54]

भारत मे नये रेल मार्गों का विकास

20वी सदी के आरम्भ मे निष्क्रमण की गति बढने लगी क्योकि अब भारत के प्रमुख बन्दरगाहा एव व्यापारिक नगरा का सम्बन्ध रेल मार्गों से जुड गया था। अब राज्य के उन लोगो ने भी, जो भारत के पूव म बिहार बगाल व आसाम की कठिन यात्राओ से घबराते थे इन प्रातो की ओर निष्क्रमण आरम्भ कर दिया।[55] अब निष्क्रमण करने वाला मे कवल युवक ही नही बल्कि वृद्ध व स्त्रिया भी शामिल हो गई और देखते देखते बिहार, बगाल एव आसाम जाने वाले प्रवासिया

की सख्या अवाध गति से वढती चली गई। अग्रेजी भारत के अय प्रातो के मुख्य बन्दरगाहा एव नगरा को रेल माग द्वारा जोड दिय जाने के पश्चात् वहा भी राज्य के मारवाडी व्यापारी बढते चले गये। इसकी पुष्टि भारत की विभिन्न समयों म निकली जनगणना रिपोर्टों से होती है। ई० सन 1921 तक राज्य से केवल बगाल व आसाम मे क्रमश 20,105 व 5,954 व्यक्ति निष्क्रमण कर चुके थे।[56]

निष्क्रमण के पश्चात् व्यापारी वर्ग की नई भूमिका

अग्रेजी आफिसो (व्यापारी प्रतिष्ठान) का वेनियन बनकर जोखिम उठाने वाले के रूप मे

पूव म उल्लेख किया जा चुका है कि अग्रेजी ऑफिसो ने धनी व्यक्तियों के धन का, अपन व्यापार म विनियाग करवाने व दूसरे व्यापारिया को उधार माल छोडने मे जो जोखिम का खतरा रहता था उसस बचन क उद्देश्य स स्थानीय व्यापारिया को वेनियन नियुक्त करने की प्रथा को शुरू किया। राजस्थान के अय राज्यो के व्यापारिया क साथ बीकानेर राज्य के अनक व्यापारी, अग्रज, फ्रासीसी व इतालवी ऑफिसो क बेनियन बन गये। य व्यापारी 19वा सदी क आरम्भ से ही इन विदेशी प्रतिष्ठानो के माल की पहुच पर रुपयो का प्रबन्ध करते और दूसरे व्यापारिया को माल वेचते तथा उनके यहा रकम न डूबने की गारटी देते थे। ये लोग सिक्युरिटी के रूप मे इन आफिसो म कुछ धन जमा करा दिया करते थे जिस पर उन्हे आफिस की तरफ से एक रुपया सैकडा कमीशन मिलता था। आफिस वाले अपन माल की डिलीवरी केवल वेनियन के नाम पर छोडा करते थे और वेनियन जिन दूसरे व्यापारिया को माल छोडत, उसकी जोखिम व स्वय उठात थे।[57] कलकत्ता पहुचने वाले व्यापारिया ने सवप्रथम दलाली और बैंकिंग के काय को व्यापार का माध्यम बनाया और अग्रेजी व्यापारी फर्मो के वेनियन बनकर अच्छा लाभ कमाया।[58] राज्य के व्यापारी जगनाथ मोहता व जाधराज धानुका कारतारक कम्पनी के प्रमुख दलाल थे। चुरू के रिद्धकरण सुराणा व अर्जुनदास मादी क्रमश रेली ब्रादस व प्लटस आदि अग्रेजी व्यापारिक कम्पनियो के वनियन हो गये थे। इसी प्रकार सरदारशहर के चेनरूप दूगड हिउहरट, जी० पी० गन्नी व टेलर कम्पनी का वेनियन था। राजगढ का रामचन्द्र गोपीराम टीकमाणी, बीकानेर का गोवद्धनदास व मगलचन्द ढड्ढा भी क्रमश काम एण्ड काम (पेरिस), करतारक कम्पनी व जूलियस कारपलस (इटली) व्यापारिक कम्पनियो के प्रमुख दलाल एव वनियन बन हुए थे।[59]

बैंकिंग काय की पूर्ति करने वाले एव सरकारी ठेकेदारो के रूप मे

भारत मे रुपय की कमी की पूर्ति करवाने हेतु अग्रेज सरकार ने भारतीय राज्यो के बैंकिंग काय म सलग्न व्यापारिया को आकर्षित करन हेतु अनक सुविधाए प्रदान की। जिनसे आकर्षित हाकर बीकानेर राज्य के अनेक व्यापारी बकिंग काय करन क लिए भारत के विभिन्न भागा म फल गय।[60] वहा उन्होन सेना के खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था स लेकर अग्रज व्यापारिया द्वारा विकसित व्यापार म धन का विनियाग करने तथा छाटे उद्यमियो एव कृषको का उधार रुपया दन का काय किया। इस उद्देश्य हतु राज्य के अनक छाटे-बडे व्यापारिया ने ब्रिटिश भारत म बैंकिंग फर्में स्थापित की जिनकी भारत भर म भारी साख थी। राज्य के सकडा लेन देन करन वाले व्यापारी वहा के अविकसित ग्रामीण अचलों म पहुचकर बैंकिंग काय करन लग। कलकत्ता स ही राज्य के अनक व्यापारी दार्जिलिंग और भूटान म कालिमपोग (तिब्बत) पहुच गय। रतनी (चूरू) का प्रसिद्ध व्यापारी रायबहादुर रामचन्द्र मन्त्री कालिमपाग म रहकर तिब्बती ऊन के व्यापार एव यांगतुग और ग्या सी म ब्रिटिश ट्रेड एजेन्सी के बकर क रूप म काम करन वाला म उल्लेखनीय व्यक्ति था।[61] कलकत्ता स बमा पहुचन वाल राज्य क व्यापारिया न अपन सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त इमारती लकडी चावल व सरकारी

ठेके लेने का काय किया । इनमे चुरू के बागला परिवार के व्यापारी भगवानदास बागला रामबक्स सागरमल, शिवबक्स गगाधर व गणपतराय रुक्मान द बागला आदि इमारती लकडी व चावल के व्यापारी तथा सरकारी ठेकेदारो के रूप मे उल्लेखनीय व्यक्तियो मे आते थे ।[6-]

विदेशी माल के सीधे आयात करने एव स्वदेशी माल के निर्यात करने वाले (शिप्पर) के रूप मे

राज्य से निष्क्रमण के पश्चात् यहा के सर्वाधिक व्यापारियो ने विदेशी कपडे के व्यापार को अपनाया था। इनमे से अधिकाश व्यापारी तो विदेशी आफिसो से थोक कपडा खरीदकर उसे अग्रेजी भारत के बडे बडे नगरो एव वहा से उसे ग्राम स्तर तक पहुचाने का काय करते थे पर तु कुछ व्यापारी विदेशो से सीधे ही कपडे का आयात करने लगे। इस काय को सुचारु रूप से चलाने के लिए उ होने विदशो मे अपनी एजेंसिया स्थापित कर ली थी ।[63] उनके यहा इग्लैड, फ्रास, इटली व जापान से कोरा, मारकीन, नैनसुख, टुकडी व तिकडी नाम के कपडे आयात होते थे ।[64] कपडे के अतिरिक्त राज्य के अनेक व्यापारी इटली व जमनी से क्रमश मूगे व चादी का सीधा आयात भी करते थे। धीरे धीरे व्यापारिया ने कलकत्ते म पहुच कर आयातित कपडे का काम, सोने चादी, अफीम व शेयर का काम व जूट व सन के खरीदने एव बेचने के काम को करना शुरू कर दिया ।[65] आयातित कपडे का व्यापार करन वालो मे बीकानेर राज्य के सेठ जग नाथ मदनगोपाल मोहता, प्रेमच द माणकच द खजाची, हजारीमल हीरालाल रामपुरिया, रामविलास सागरमल, उदयच द प नालाल, हजारीमल सरदारमल, गोकुलदास मूधडा, हस्तुमल डागा, गुलाबच द हनुमन्तराम व मूलच द डागा आदि के नाम उल्लेखनीय थे ।[66] सोने चादी के काम को करने वाले राज्य के व्यापारियो मे हजारीमल सागरमल, आन दरूप नैनसुख डागा, सदासुख गम्भीरच द व रिद्धकरण सुराणा प्रमुख थे ।[67]

विदेशो से माल के आयात करने की भाति राज्य के अनेक व्यापारी भारत मे रहकर इग्लैड, जमनी, इटली व जापान आदि देशो को जूट तथा हेम्प से बनी वस्तुए, अभ्रक रुई, अफीम व चाय का निर्यात करत थे ।[68] यह निर्यात दूसरी जहाजी कम्पनियो के माध्यम से ही किया जाता था । 20वी सदी के आरम्भ होते होते इन्ही मे से अनेक व्यापारी जहाजरानी कम्पनियो पर अपना निय त्रण स्थापित कर शिप्पर के रूप मे विदेशो मे जूट व हेम्प आदि का नियात करने लगे और माल की औपचारिक निकासी की आवश्यक शर्तो की जिम्मेदारी स्वय लेने लगे ।[69] यही नही वे लोग विदेशा से व्यापार करते समय भारतीय बाजार से तालमेल बैठाने तथा एक्सचेंज के घटते बढते दर व जूट व अ य वस्तुआ के घटत-बढते दरो पर कठोर निय त्रण रखने मे कुशल हो गये। कलकत्ता म प्रथम विश्वयुद्ध के समय सट्टा करने वाले एव आयातित वस्तुओ का व्यापार करने वाले राज्य के व्यापारियो ने भारी मुनाफा कमाया। धीरे धीरे इनमे से अनेक लोग जूट बेलर (जूट की पक्की गाठ बाधने वाले कारखाना के मालिक) एव शिप्पर के साथ-साथ सूती कपडा मिल, जूट मिल, चीनी मिल व रग बनाने के कारखाना के मालिक बन गये । जूट बेलर एव शिप्पर के रूप मे बीकानेर राज्य के पनयच द सिंधी, सूरजमन नागरमल, भैरूदान, ईसरदास चोपडा चेतराम रामविलास, रघुनाथदास शिवलाल पचीसिया के नाम उल्लखनीय थे ।[70]

फाटका (सट्टा) व शेयर व्यापारी के रूप मे

अग्रेज भारत मे निष्क्रमण के बाद राज्य के अनेक व्यापारिया ने दलाली से साथ अफीम, पाट, हैसियन, रुई, चादी व गल्ले आदि को माध्यम बनाकर फाटका व्यवसाय करना शुरू कर दिया ।[71] अफीम म आखर दडे का फाटका काफी प्रसिद्ध था । सरकार द्वारा अफीम की पटिया प्रति महीने नीलाम की जाती थी । फाटका व्यापारी नीलामी के औसत का आधार बनाकर आखर दडे का फाटका किया करते थे । अ य वस्तुआ के फाटका व्यापारी बम्बई और कलकत्ता आदि स्थाना म जहा भाव पक्का सट्टा मिलता वही खरीद बिक्री कर लाभ उठा लिया करते थे ।[72] राज्य के फाटका व्यापारियो ने काफी धन

अर्जित किया। कलकत्ता आये इन्ही व्यापारियो मे से कुछ ने उपर्युक्त व्यापारिक वस्तुओ का माध्यम बनाकर फाटका (सट्टा) करना शुरू कर दिया। बीकानेर राज्य के व्यापारियो मे पनयचन्द सिंघी, सूरजमल नागरमल व कन्हैयालाल लोहिया फाटका व्यवसाय मे उल्लेखनीय थे।[73] बम्बई मे भी राज्य के अनेक व्यापारी रुई, सोने-चादी के फाटके (सट्टा) व्यापार म सलग्न थे। इनमे नारायणदास मोहता, शिवप्रसाद रामनारायण टीकमाणी, भीखमचन्द बालकिशनदास, गोपीराम, रामचन्द्र टीकमाणी व रामरतनदास बागडी ने काफी ख्याति प्राप्त की।[74] इसी भाति अनेक व्यापारी शेयर बाजार मे प्रवेश कर शेयरो की खरीद बिक्री करने लगे तथा उनकी दरो के घटने-बढने का लाभ उठाकर धन कमाने लगे। कुछ व्यापारी विदेशी कम्पनियो के शेयरों को खरीदकर उनसे डिविडेन्ड (लाभ) प्राप्त कर लाभ उठा रहे थे। शेयर का धन्धा करने वालो मे बीकानेर राज्य के बलदेव दास बसन्तीलाल व हजारीमल सागरमल ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी।[75]

जमींदारी एव चायबागान मालिको के रूप मे

अग्रेजी भारत मालवा व दक्षिण भारत की रियासतो म निष्क्रमण करने वाले अनेक व्यापारियो ने अपन सामान्य वाणिज्य व्यापार के साथ जमीदारी के काय को भी अपनाया और बडे-बडे जमीदारो के रूप मे प्रसिद्धि प्राप्त की। बिहार जाने वाले व्यापारियो ने आरभ म बैंकिंग व्यवसाय को अपनाया और इससे जब पूजी कमा ली तब वहा बडी-बडी जमीनें खरीदकर जमीदारी का काय प्रारभ किया।[76] इसी प्रकार मध्य प्रान्त मे राज्य के पूनमचन्द सावनसुखा, सुगनचन्द दम्माणी, मूलचद कोठारी व रामरतन बागडी आदि जो मालवा के प्रमुख अफीम व्यापारी म थे अनेक यहा जमीन खरीदकर बडे-बडे जमीदार बन गये।[77] मध्य प्रान्त मे जमीदारो के रूप मे बशीलाल अमीरचन्द डागा, भीखमचन्द रेखचन्द मोहता व मूलचन्द जगन्नाथ सादानी आदि राज्य के व्यापारियो ने काफी ख्याति प्राप्त की।[78] दक्षिण हैदराबाद, मद्रास और मैसूर क्षेत्र मे निष्क्रमण करने वाले अनेक व्यापारियो ने बैंकिंग एव गल्ला-व्यापार के साथ जमीदारी के काय को अपनाया। इनमे राज्य के मगनलाल कोठारी, केदारनाथ डागा, चादमल ढडढा व मुल्तानचद महेशचन्द डागा के नाम उल्लेखनीय थे।[79] बगाल म पहुच राज्य के प्रवासियो मे से अनेक व्यापारी आसाम तिब्बत व बर्मा मे निष्क्रमण कर गये। वहा उन्होंने अपने सामान्य व्यवसाय बैंकिंग व कमीशन एजेन्सी के साथ साथ स्थानीय वस्तुओ का व्यापार प्रारभ किया। आसाम मे इस समय अग्रेज व्यापारी चाय बगीचो के विकास म सलग्न थे।[80] उनम से अनेक व्यापारियो ने पहले आसाम के थोक व्यापार पर कब्जा किया और बगाल स्थित अपनी बैंकिंग फर्मों से आसाम के चाय उद्योग मे धन लगाने लगे। वे अग्रेजो बगीचो से चाय खरीदते और बेचा करत थे परन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद इन्ही व्यापारियो मे अनेक चाय बागानो के मालिक हो गये। चूरू का व्यापारी हरविलास अग्रवाल सन् 1868 ई० म आसाम के चाय उद्योग मे लग गया और धीरे धीरे ताम्बूलवाडी स्थित चाय बगीचो का मालिक बन गया। राज्य का हनुमानप्रसाद कनोई तो आसाम मे अनेक चाय बगीचो का मालिक हो गया था। चाय बागान के मालिक के रूप म सनहीराम डूगरमल लोहिया का नाम उल्लेखनीय है।[81]

उद्योगपतियो के रूप मे

बैंकिंग व फाटका व्यवसाय करने वाले राज्य के अनेक व्यापारी लखपतियो और करोडपतियो की श्रेणी म जा खडे हुए।[82] उनम से कुछ ने प्रथम महायुद्ध के बाद भारत मे बडे-बडे उद्योगो मे अपना धन विनियोग करना आरम्भ कर दिया और धीरे धीरे बडे-बडे उद्योगो के मालिक बन गये। ऐसे उद्योगो मे सूती कपडा मिल, जूट मिल, चीनी मिल, लोहा मिल, रग व छतरी बनाने के कारखाने उल्लेखनीय थे। इसी प्रकार कुछ व्यापारियो ने कोयला व अभ्रक की खानो को खरीदकर उनको विकसित किया और कोयला व अभ्रक उद्योग के अग्रणीय उद्योगपति बन गये। सन् 1880 ई० के बाद राज्य के अनेक व्यापारियो ने अपने सामान्य वाणिज्य-व्यापार के साथ-साथ बिहार के दक्षिणी भाग मे आदिवासी क्षेत्र म माइका व कोयले की खानों का विकास कर खान उद्योग म प्रवेश किया। राजगढ (चूरू) का गणपतराय तनसुखराय राजगढिया ने बिहार म अनेक मोहल

की खानो को विकसित कर इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारी बन गया । इसी प्रकार बीकानेर राज्य के ही सदासुख मोती लाल मोहता व गोपीचन्द्र रामचद्र टीकमाणी ने कोयले की खानो को विकसित किया और इस क्षेत्र मे अग्रणीय व्यापारी माने जान लगे ।[83] कलकत्ता मे बीकानेर का हजारीलाल रामपुरिया काटन (रुई) मिल का मालिक बन गया और अगरचन्द भेरूदान ने यही पर भारत का पहला रग का कारखाना स्थापित किया । रतनगढ (चूरू) के सूरजमल नागरमल व चूरू के तेजपाल वृद्धिचन्द सुराणा क्रमश जूट मिल, छतरी के कारखाने के मालिक हो गये ।[84] मालवा म अफीम के व्यापारी की सीमाए सीमित होती देखकर राज्य के अनेक व्यापारियो ने रुई का व्यापार आरभ कर दिया । कुछ व्यापारियो ने जो अब तक सम्पन्न हो चुके थे। मध्य प्रान्त के विभिन्न भागो मे कपडा बनाने की मिल स्थापित कर ली। इनमे बीकानेर की भीखमचन्द रेखचन्द मोहता और वशीलाल अमीरचन्द आदि फर्मों के मालिको के नाम उल्लेखनीय थे ।[85] इसी प्रकार कलकत्ता और बम्बई मे पहुचे राज्य के व्यापारियो मे से अनेक लोग भारत के पश्चिम मे स्थित कराची बन्दरगाह जिसे अग्रेज व्यापारी व्यापार केन्द्र के रूप मे विकसित कर रहे थे, म निष्क्रमण कर दिया। प्रारभ मे उन्होने वहा कपडे का व्यापार व जमीदारी का काय किया और धीरे-धीरे बडी-बडी जायदादा एव कारखानो के मालिक बन गये । कराची जाने वालो मे राज्य के मोहता घराने के लागा ने कराची के वाणिज्य-व्यापार एव उद्योग धन्धो मे महत्त्वपूण भूमिका निभाई । उन्होने मोतीलाल गोवद्धन दास मोहता, सदा सुख मोतीलाल मोहता व मोतीलाल लक्ष्मीचन्द नाम की फर्में वहा स्थापित कर कपडे का व्यापार, चीनी मिल व लोहे की मिल स्थापित की ।[86]

इस प्रकार आरभ म दलाल और ब्याज की आमदनी पर निभर राज्य का व्यापारी शीघ्र ही बैंकर, शिप्पर कपडे, गल्ले व पाट जूट के व्यापारी अचल सम्पत्तियो के मूल्य निर्णायक व प्रसिद्ध उद्योगपति बन गये ।

परिशिष्ट सख्या-4

उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध मे अग्रेजी भारत मे कायरत बीकानेर राज्य की प्रमुख दलाली एव बकिंग काय करने वाली फर्में

बीकानेर

'वशीलाल अमीरचन्द डागा', 'सदासुख गभीरचन्द कोठारी', 'पन्नालाल गणेशदास कोठारी', 'मोतीलाल गोवद्धनदास मोहता', 'सुगनचन्द केदारनाथ डागा', 'गभीरचन्द केदारनाथ डागा', 'सदासुख जानकीदास डागा', 'रतनचन्द सदासुख जानकीदास डागा', 'रिखनाथ शिवकिशन वागडी', भीखमचन्द रेखचन्द मोहता', 'नरसिंहदास मदनगोपाल मूधडा', मोहनलाल जौहरीलाल वाहेती', 'माधोदास कल्यानदास कोठारी', 'तिलोकचन्द रामगोपाल कोठारी', 'उदयमल चादमल', 'हजारीमल हीरालाल रामपुरिया', 'अगरचन्द भेरूदान सेठिया', 'हस्तमल डागा', 'मगलचन्द उदयमल ढडढा', 'मोजीलाल पन्नालाल बाठिया', गुलाबचन्द हनुमन्तराम मिन्नी', 'नारायणदास वशीलाल बागडी', मुल्तानचन्द कन्हैयालाल डागा', 'हरसुखदास बालकिशन डागा', 'मूलचन्द डागा', 'गोविन्द राम रामेश्वरदास मूधडा', 'महशदास चादमल बागडो शिवदास गिरधरदास बिन्नानी' ।

राजगढ

'गोपीराम बजरगदास टीकमाणी', 'गणपतराम केदारनाथ राजगडिया', 'भगतराम शिवप्रताप टीकमाणी ।

चूरू

जैतरूप भगवानदास बागला', 'भन्नालाल मोभागचन्द सुराणा', 'तेजपाल वृद्धिचन्द सुराणा, 'मगनीराम जय नारायण', हजारीमल सरदारमल कोठारी , 'चम्पालाल हजारीमल कोठारी', 'गुरुमुखराय तोलाराम', 'हजारीमल सागरमल', उदयचन्द पन्नालाल वेद', पन्नालाल सागरमल वेद', 'गणेशदास मालचन्द', 'रूपलाल रामप्रताप', 'रूपलाल घनश्यामदास', 'राम बक्श गगाधर बागला , 'मगनलाल महादेवमल लोहिया' ।

नोहर

'लच्छीराम लिछमीच द धिरानी', 'रघुनाथराय शिवलाल पचीसिया', 'मदनचन्द आईदान' ।

रेणी

'रामचन्द्र मत्री' ।

सुजानगढ मिजामत

'जेसराज गिरधारीलाल सिंधी' 'नत्थूराम रामकिशन खेमका', कालूराम मोहनलाल', 'ताराचन्द मेघराज', चेनरूप सम्पतराम दूगड' ।

[स्रोत पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट, बीकानेर, 1916, न० 369-378, पृ० 7-14 (रा० रा० अ०)]

सन्दर्भ

1 इस प्रकार के प्रलेख राज्य के पुराने व्यापारी घरानो के वशजो के पास अव्यवस्थित रूप मे पडे उपलब्ध होते ह किन्तु ऐसे प्रलेखा का व्यवस्थित सग्रह नगर श्री, चूरू लोक सस्कृति शोध सस्थान, चूरू म उपलब्ध है। मिर्जामल पोद्दार घराने का सग्रह इनमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ।

2 य पत्रावलिया बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार के बीकानेर सचिवालय अभिलेखो म उपलब्ध हैं। बीकानेर राज्य के अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कोटा राज्य की पत्रावलिया व बहिया भी निष्क्रमण सम्बन्धी सूचना देती हैं ।

3 गोल्डन जुबली सोवनियर (1900-1950), भारत चेम्बर आफ कामस, कलकत्ता, पृ० 2 3, मोदी बालचन्द—देश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 366

4 भट्टाचार्य, एस०—दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी एण्ड दी इकोनॉमी ऑफ बगाल (1704-1740), (लन्दन 1954), पृ० 108-110, राउ, बी० आर०—प्रैजेन्ट डे बैंकिंग इन इण्डिया (तीसरा खण्ड), कलकत्ता, 1930, पृ० 250 251

5 सेंसस ऑफ इण्डिया, 1901, वाल्यूम XVI—नार्थ वेस्ट प्रोविन्सज एण्ड अवध, पार्ट I (इलाहाबाद, 1902), पृ० 184 249

6 इसकी पुष्टि अकेले मिर्जामल पोद्दार घराने के कागजातो स ही हो जाती है। नगर श्री, चूरू म सुरक्षित पोद्दार घराने की मुनीम-गुमाश्ता की नियुक्ति सम्बन्धी बहिया से पता चलता है कि चूरू के पोद्दारो ने

निष्क्रमण के पश्चात निष्क्रमण स्थानो पर व्यापार की देखरेख के लिए गुमाश्तो को नियुक्त कर रखा था। सवत् 1863 म भावनगर बन्दरगाह पर पोद्दारो न रूपसी गोयन्दका को गुमाश्ता नियुक्त किया हुआ था। उनके अन्य गुमाश्तो म सवत् 1871 मे बम्बई की दुकान पर मालचन्द पारख, सवत् 1874 म कलकत्ता की दुकान पर भाऊराम पोद्दार, सवत् 1881 मे जालधर की दुकान पर दियानत राय पोद्दार, सवत 1881 म ही पटियाला मे सोजीराम झुनझुनवाला सवत् 1882 म जगाधरी म मगनीराम, सवत् 1882 म सामाद म रामगोपाल लोहिया, सवत 1882 मे अजमर मे तुगनराम, सवत् 1882 मे फरुखाबाद म लालचन्द मन्त्री, सवत 1882 मे चन्दौसी मे टोरमल रामनाथ, सवत् 1882 मे अमृतसर म मगनीराम, सवत 1883 मे काश्मीर मे राधाकृष्ण भरतिया, सवत 1883 मे जगराव मे टेकचन्द सावलका सवत् 1883 मे जयपुर मे खेतसी दास दूगड, सवत 1883 मे रोहतक मे तुगनराम, सवत 1884 म दिल्ली म रामधन, सवत 1881 मे मिर्जापुर मे जानकीदास सर्राफ, सवत 1885 म पाली मे सेवाराम सरावगी सवत 1886 मे कपूरथला मे पीरामल हिसारिया, सवत् 1887 म लाहौर म टेकचन्द सावलका, सवत् 1888 म बागपत म फकीरचन्द चौधरी, सवत 1890 म लुधियाना मे हुलासीराम पोद्दार, सवत 1890 मे नाभा म सोजीराम मन्त्री, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, मरु श्री (मुनीम गुमाश्ता विशेषाक) जुलाई दिसम्बर, 1981, पृ० 8-17

7 तवारीख राज श्री बीकानर, पृ० 46 48, टिमबर्ग ने अपनी पुस्तक 'दी मारवाडीज' म इसी निष्क्रमण की विस्तार से चर्चा की है, प० 85-123

8 भण्डारी सुखसम्पत्ति राय—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 266, ओझा गौरीशकर हीराचन्द—बीकानेर राज्य का इतिहास, (द्वितीय भाग) पृ० 763 764, मिश्रा, कमलप्रसाद—दी रोल आफ बनारस बैंक्स इन दी इकोनॉमी ऑफ 18 सेन्चुरी अपर इण्डिया(शोध पत्र), इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस, प्रोसिडिंग वाल्यूम II, चण्डीगढ, 1973

9 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 422, बही श्री मण्डी रे जमाखर्च री, बीकानर, सवत् 1872, न० 117 (रा०रा०अ०)

10 लण्दन की विभिन्न व्यापारिक कम्पनिया स मिर्जामल को इस सम्बन्ध मे भेजे गए पत्र नगर श्री', चूरू मे उपलब्ध हैं, अग्रवाल, गोविन्द—पोतदार सग्रह के फारसी कागजात, पृ० 61-63

11 कागद बही, बीकानेर, सवत् 1897, न० 47, पृ० 263 (रा० रा० अ०), देश के इतिहास मे मारवाडी *जाति का स्थान, प० 419 420, माहेश्वरी जाति का इतिहास (मानपुरा प्रकाशन), पृ० 253, बीकानेर* राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृ० 765, कागद बही, बीकानेर, सवत् 1888, न० 36, (रा० रा० अ०)

12 इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, जिल्द 15, प० 297

13 भण्डारी—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 277

14 देश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, प० 430

15 वही, पृ० 571 एव 435

16 सर एडवर्ड कोलब्रूक द्वारा सेठ जतरूप कोठारी को दिया गया तसल्लीनामा, मार्च 13, सन 1829 (नगर श्री चूरू)

17 बनर्जी, प्रजनानन्द डॉ०—कलकत्ता एण्ड इटस हिन्टरलण्ड (1833 1900), प० 156

18 माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 307, बनर्जी, प्रजनानन्द डॉ०—कलकत्ता एण्ड इट्स हिन्टरलैंड, (1833 1900) प० 158 159, देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान प० 480

19 विद्यालकार, सत्यदेव—*मारवाडी समाज का इतिहास एक सकल्प और निवदन पृ० 4*

20 सन् 1879 ई० के अंतिम तक ब्रिटिश भारत के मुख्य बन्दरगाह व व्यापारी नगरों को 8,303 मील लम्बी रेल लाइन द्वारा जोड दिया गया था कोटन सी०डब्लू०ई०—हैंडबुक आफ कर्मशियल इनफारमेशन फार इण्डिया, पृ० 8

21 सेंसस ऑफ इण्डिया, 1901, वाल्यूम XVI—नाथ वेस्ट प्रोविन्सेज एण्ड अवध, पार्ट I(इलाहाबाद 1902) पृ० 184, सेंसस आफ इण्डिया, 1911, वाल्यूम XXII, राजपूताना अजमेर मेरवाडा, पाट I, प० 72, रिपोर्ट ऑफ दी सेंसस ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, वाल्यूम I (लन्दन 1883), पृ० 221, सेंसस आफ इण्डिया, 1911, वाल्यूम V बगाल, बिहार एण्ड उडीसा एण्ड सिक्किम, पाट-I (कलकत्ता 1913), पृ० 586, 68, 85

22 रिपोट ऑफ दी सेसस आफ आसाम फोर 1881 (कलकत्ता 1883), सेंसस आफ इण्डिया 1921, वाल्यूम X, बर्मा पाट I (रगून 1923), पृ०98, एलन, बी० सी०—आसाम डिस्ट्रिक्ट गजेटियस, गोलपारा (कलकत्ता 1905), वाल्यूम II, प० 102, चक्रवर्ती एन० आर०—दी इण्डियन माइनोरिटी इन बर्मा—दी राइज एण्ड डिक्लाउन आफ एन एमीग्रेन्ट कम्यूनिटी (लन्दन 1971), पृ० 79 80, सेंसस आफ सेंट्रल प्रोविन्सेज 1881 (बम्बई 1882), वाल्यूम I, रिपोर्ट ऑफ दी सेसस ऑफ बरार 1881 (बम्बई 1882) प० 172, सेंसस ऑफ इण्डिया, 1901, वाल्यूम ए, बॉम्बे (टाउन एण्ड आइसलड) (बम्बई 1902), पृ० 88-119, फारेन पोलिटिकल डिपाटमट, बीकानेर, 1916, न० 369 378 पृ० 7-14

23 हमिल्टन, सी० जे०—दी ट्रेड रिलेशन्स बिटविन इग्लड एण्ड इण्डिया, (1600 1896), पृ० 218, कोटन, सी० डबल्यू० ई०—हैन्डबुक आफ कर्मशियल इनफोरमेशन फॉर इण्डिया, (1919), पृ० 18, रघुवीरसिंह, डा०—पूव आधुनिक राजस्थान, पृ० 275-276, पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1934, न० ए, 1588 1597, पृ० 33 (रा० रा० अ)

24 टाड भाग-2, पृ० 110

25 पालिटिक्ल डिपाटमट, बीकानेर, 1916, न० 396 378, प० 7-14, (रा० रा० अ०)

26 इस सम्बन्ध म 'राज्य के व्यापारी स्वरूप एव व्यापार पद्धति' सम्बन्धी अध्याय उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध म व्यापार पद्धति म हुए परिवतन द्रष्टव्य हैं।

27 शर्मा गिरिजाशकर—बीकानेर के व्यापारी वग का निष्क्रमण और उसके कारण राजस्थान हिस्ट्री काग्रेस, प्रासीडिंग्स, वाल्यूम 8, अजमेर अधिवशन, 1975

28 महकमाखास, बीकानर, 1900, न० 18, पृ 1-19 (रा० रा० अ०), इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया, जिल्द 8, प० 213, तालीक बही, कोटा, भन्डार न० 3, वस्ता न० 6/1, सवत 1868 (रा० रा० अ०)

29 मिश्र, आई० एच०—बगाल चेम्बर आफ कामस एन्ड इन्डस्ट्री 1834 1853, पृ० 15 21, बेवरली, एच—रिपोर्ट आन दी सेंस ऑफ दी टाउन आफ कलकत्ता, 1876, पृ० 61

30 सिन्हा एम० के०—दी इकानॉमिक हिस्ट्री आफ बगाल(1793 1848)वाल्यूम 3, पृ० 163 164, गोल्डन जुबली सोविनियर, भारत चेम्बर ऑफ कॉमस, पृ० 3 4

31 दश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, प० 409

32 दश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 529

33 इस सदभ म अग्रेज अधिकारिया द्वारा राज्य के व्यापारियो को समय समय पर दिये गय भौतिक सुरक्षा सबधी परवाने, तसल्लीनामे राज्य के 'व्यापारी वग का अग्रेज सरकार व अधिकारिया से सबध' सबधी अध्याय द्रष्टव्य हैं।

34 पालिटिकल डिपाटमट बीकानेर 1916 न० 369-378, पृ० 7-14, (रा० रा० अ०)

35 देश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 530 531
36 कौटन, सी० डबल्यू० ई०—हैंडबुक ऑफ कमर्शियल इनफॉरमेशन फॉर इण्डिया, प० 103 321
37 विश्वामित्र मारवाडी सम्मेलनाक, 11 मई 1943, पृ० 5-6
38 दयालदास की ख्यात, जिल्द 2, पृ० 133-134, इसके अतिरिक्त राज्य के साम त व्यापारियो के लेन दन के कार्यों मे भी दखल देने लगे थे पोलिटिकल डिपाटमेट, बीकानेर, 1919, न० 226 255, पृ० 43 (रा० रा० अ) मरु श्री, जुलाई दिसम्बर, 1982, पृ० 6-35
39 सी० क०, 23 माच 1844, न० 396, 412 व 415 (रा० अ० दि०)
40 मरु श्री, जुलाई दिसम्वर, 1982, पृ० 32 33
41 चिट्ठी दीवानी, सवत 1823, मिती फागण बदी 5(परवाना बही, बीकानेर, सवत 1800 1900), महाजरा रे पीढिया री बही, सवत 1926 (बीकानेर) मे बाद की चुगी दरो पर प्रकाश पडता है, पृ० 39 41, कागदा री बही, सवत 1859, न० 12, पृ० ˊ8, सवत 1867 न० 17, पृ० 120 एव 132 (रा० रा० अ०)
42 पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1934, न० ए 1588-1597, प० 35 (रा० रा० अ०)
43 तवारीख राज श्री बीकानेर, पृ० 241, पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1934, न० ए 1588-1597, प० 31 (रा० रा० अ०), कप्तान कोलरिज का चूरु के साहूकारो और पचो को मिती माह बद 4, सवत 1921 का लिखा पत्र, मरु श्री, जुलाई दिसम्बर 1982, पृ० 30 31
44 तवारीख राज श्री बीकानेर, प० 241, पी० एम० आफिस बीकानेर, 1934, न० ए 1588 1597, प० 31 (रा० रा० अ०)
45 वही
46 वही
47 मरु श्री, जुलाई दिसम्वर 1982, पृ० 31 32, रेवन्यू डिपाटमेट, बीकानेर, 1915 1928, न० बी० 98-108 पृ० 2 (रा०रा०अ०)
48 तवारीख राज श्री बीकानेर, प० 241-242
49 रेवन्यू डिपाटमट, बीकानर, 1941, न० ए 513 623, प० 65/60 66/69 (रा०रा०अ०)
50 शर्मा, गिरिजाशकर—बीकानेर के व्यापारी वग का निष्क्रमण और उसके कारण (रा० हि० का० पो०, वाल्यूम VIII) प० 73
51 रिपोट स आन दी पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी राजपूताना स्टेट्स, 1870 1871, पृ० 20, पालि टिकल डिपाटमेट, बीकानेर, 1919, न० 226-255 पृ० 43, स्टेट कौंसिल, बीकानेर 1923, न०ए 48, प० 1, पी० एम० आफिस, बीकानर, 1928 न० 275 280, पृ० 1-3 (रा०रा०अ०)
52 शर्मा, गिरिजाशकर—बीकानर व्यापारी वर्ग का निष्क्रमण और उसके कारण (रा० हि० का० पा० वाल्यूम VIII) पृ० 74
53 इसकी पुष्टि राज्य के व्यापारी वर्ग म सम्बन्धित लोगा के अभिनन्दन एव स्मृति-ग्रन्था म पारिवारिक इतिहासो से होती है विद्यालकार सत्यदेव—एक आदश समत्व योगी (रामगोपाल मोहता अभिनन्दन ग्रन्थ, बरुआ, मधुमगल श्री सूरजमल नागरमल (स्मति ग्रन्थ), वेद मानसिह सागरमल वेद एक आदश श्रावक (स्मति ग्रन्थ)
54 शर्मा गिरिजाशकर—बीकानेर के व्यापारी वग का निष्क्रमण और उसके कारण, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस, प्रोसीडिंग्स, वाल्यूम VIII अजमेर अधिवेशन, 1975
55 राजपूताना गजेटियर (कलकत्ता), 1879, वाल्यूम I, पृ० 91

56 सेंसस आफ इण्डिया, 1921, बीकानेर स्टेट, पृ० 12, सेंसस ऑफ इण्डिया, 1941, बीकानेर स्टेट पृ० 35

57 इनके नीचे छोटे दलाल होते थे जिनको छ आना सैकड़ा कमीशन मिलता था देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान, पृ० 410, बंगाल चाम्बर एण्ड प्रेजेण्ट डायमण्ड जुबली नम्बर (1967), पृ० 112 113

58 पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 7-14 (रा०रा०अ०), बनर्जी, प्रजनानन्द डॉ०—कलकत्ता एण्ड इटस हिन्टरलैन्ड (1833 1900), पृ० 21, गोल्डन जुबली सोविनियर, (1900-1950) भारत चेम्बर ऑफ कामर्स, कलकत्ता, पृ० 4

59 देश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान पृ० 417, 420, 436, 455, 502, 510, भण्डारी चन्द्रराज—भारत के व्यापारी, पृ० 43, विद्यालंकार सत्यदेव—एक आदर्श समत्व योगी, पृ० 64, भण्डारी सुखसम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास पृ० 272, इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, जिल्द 15, पृ० 297

60 पोलिटिकल डिपार्टमेंट बीकानेर, 1916, न० 369-378, पृ० 7-14 (रा०रा०अ०)

61 द आथर जूल्स—बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर दार्जिलिंग (अलीपुर 1945), पृ० 81, राजपूताना एण्ड अजमेर लिस्ट ऑफ रुलिंग प्रिंसेस चीफ्स एण्ड लीडिंग परसोनेज, ग्रन्थ 6, 1931, पृ० 56

62 पोलिटिकल डिपार्टमेंट बीकानेर, 1916, न० 369-378 पृ० 12-14 (रा०रा०अ०)

63 बीकानेर के सेठ बहादुरमल रामपुरिया की लन्दन व मैनचेस्टर व सेठ अमरचन्द भरूदान की जापान के ओसाका नगर म अपनी स्वय की फर्में थी पोलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1916, न० 369 378 पृ० 7 9 (रा०रा०अ०), भण्डारी, सुखसम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास पृ० 513 515

64 राज्य के सेठ शिवदास व जगन्नाथ मोहता नैनसुख कपडे का प्रमुख व्यापारी था विद्यालंकार, सत्यदेव—एक आदर्श समत्व योगी, पृ० 24

65 पोलिटिकल डिपार्टमेंट बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 7-14 (रा रा०अ०)

66 भण्डारी, चन्द्रराज—भारत के व्यापारी, पृ० 122-123, 131, 150, 156, 161, फॉरेन पोलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1916 न० 369 378, पृ० 7-14 (रा०रा०अ०)

67 भण्डारी, चन्द्रराज—भारत के व्यापारी, पृ० 120, 129, 161

68 *कोटन सी०डब्ल्यू०ई०—हैंडबुक आफ कमर्शियल इनफारमेशन फॉर इण्डिया,* पृ० 103 321

69 राज्य के व्यापारी सेठ सूरजमल नागरमल जालान की जूट के प्रमुख शिप्पर थे बनर्जी, प्रजनानन्द, डा०—कलकत्ता एण्ड इटस हिन्टरलैंड, पृ० 166, बरुआ—श्री सूरजमल जालान मधुमंगल श्री, पृ० 91

70 बनर्जी, प्रजनानन्द डॉ०—कलकत्ता एण्ड इट्स हिण्टरलैंड (1833-1900) पृ० 158, 164, देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान पृ० 568, 571

71 एडवर्ड्स एस० एम०—दी गजेटियर ऑफ बॉम्बे सिटी एण्ड आइसलैण्ड I, पृ० 299 300

72 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 554, 557

73 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान पृ० 568, 571 584

74 भण्डारी चन्द्रराज—भारत के व्यापारी पृ० 44 58, 123 व 200, एडवर्ड्स, एस०—गजेटियर आफ सिटी एण्ड आईसलैण्ड (बाम्बे 1907) वाल्यूम I पृ० 206-302, सेंसस ऑफ इण्डिया, 1911, वाल्यूम VI बाम्बे पार्ट II, इम्पीरियल टेबल्स, पृ० 216 217

75 मोदी बालचंद—देश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 436

76 ब्रिटिश भारत म इस समय राज्य की अनेक बैंकिंग फर्में लेन देन का धंधा कर रही थी पोलिटिकल डिपार्ट

मट, बीकानेर, 1916, न० 369-378, पृ० 7 14 (रा० रा० अ०) इण्डियल सेंट्रल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी, 1913, वाल्यूम II (कलकत्ता 1931), पृ० 148 152

77 फॉरेन पोलिटिकल डिपाटमेण्ट, बीकानर, 1911-1914, न० एफ 4/123, प० 45, 60, पोलिटिकल डिपाटमट, बीकानेर, 1916 न० 369 378, पृ० 7-10(रा० रा० अ०), मेलकम जान—ए मिनोयर आफ सेन्ट्रल इण्डिया एण्ड मालवा, वाल्यूम II, (लदन 1824) पृ० 159

78 रसल आर० वी०—डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, नागपुर (बॉम्बे 1908), रायपुर वाल्यूम ए' (बम्बई 1909) पृ० 162, भण्डारी चन्द्रराज—भारत के व्यापारी, प० 113, 115, 126

79 पोलिटिकल डिपाटमट, बीकानेर, 1916, न० 369-378, पृ० 7 14 (रा० रा० अ०), सेंसस आफ इडिया, 1911, वाल्यूम XII, मद्रास, पाट-I (मद्रास 1912), पृ० 45, सेंसर ऑफ इण्डिया, 1931 वाल्यूम XIV, मद्रास, पाट-I (मद्रास 1932), पृ० 96, पाट II, इम्पीरियल एण्ड प्रोविन्सियल टेबलस (मद्रास 1932), पृ० 25 41

80 कोटन, सी० डब्ल्यू० ई०—हैण्डबुक ऑफ कमशियल इनफोरमेशन फार इण्डिया (1919), पृ० 195

81 कनोई अभिनन्दन ग्रन्थ (हिन्दी अनुवाद) पृ० 18, एलेन बी० सी०—आसाम डिस्ट्रिक्ट गजेटियस *वाल्यूम VIII, लाखिमपुर (कलकत्ता) 1905, पृ० 236, भण्डारी चन्द्रराज—भारत के व्यापारी, प० 85,* चौधरी एम० के०—ट्रेण्डस ऑफ सोसियो इकोनामिक चेन्ज इन इण्डिया, 1871-1961 (शिमला 1969), पृ० 572

81 चूरू का सेठ भगवानदास बागला फाटका (सट्टा) खेल से करोडपति बनने वाला पहला मारवाडी व्यापारी था।

83 भण्डारी, चन्द्रराज—भारत के व्यापारी (भानपुरा प्रकाशन), प० 126, 154, 130 व 43

84 भण्डारी, सुखसम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 513, भण्डारी चन्द्रराज—भारत के व्यापारी, पृ० 119, बनर्जी, प्रजनानन्द, डॉ०—कलकत्ता एण्ड इटस हिन्टरलण्ड, (1833-1900) पृ० 167

85 भण्डारी, चन्द्रराज—भारत के व्यापारी, पृ० 113 व 115

86, माहेश्वरी जाति का इतिहास (भानुपुरा प्रकाशन), पृ० 3-10, पालिटिकल डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 8, विद्यालकार, सत्यदेव—एक आदश समत्व योगी, पृ० 63 68, दी सेंसस आफ इण्डिया, 1901, वाल्यूम IX ए, पाट II बाम्बे (बाम्बे 1802) मे कराची म 2 600 मारवाडी पहुच चुके थे, का उल्लेख है।

अध्याय 4

राज्य के व्यापारी वर्ग का अग्रेज सरकार व अधिकारियो से सबध

1818 ई० मे अग्रेज सरकार व बीकानेर राज्य के बीच सधि होने के पश्चात राज्य म अव्यवस्था, लूटमार तथा व्यापारिक मार्गों की असुरक्षा अत्यधिक बढ गई। इस समय राज्य का व्यापारी वग जो वैश्य जाति का प्रधान था व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की आवश्यकता, राज्य मे व्याप्त अशान्ति को दूर करवाने एव भारत मे फैले हुए अपने व्यापार को अधिक उन्नत करने के लिए अग्रेजी समथन एव आश्रय का इच्छुक था। अग्रेजी सरक्षण न केवल भारतीय राज्यो एव अग्रज सरक्षित प्रदेश मे व्यापारियो के लिए अपने पिछले ऋणो को वसूल करने मे सहायक था बल्कि भविष्य म भी वहा वे अपने लेन-देन का व्यवसाय जारी रख सकते थे।[1] इसके अतिरिक्त उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध मे होने वाले आर्थिक परिवतनो ने राज्य के व्यापारी वग के लिए अग्रेजी सरक्षण को और अधिक महत्त्वपूण बना दिया। भूमि-बन्दोबस्त एव चुगी नियमो ने क्रमश भू राजस्व और सायर वसूली की इजारेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जो राज्य के व्यापारियो का मुख्य व्यवसाय था। नमक व्यवसाय पर अग्रेजी एकाधिकार और यातायात के नये साधनो के विकास ने थोक सामान के क्रय विक्रय, लाने-ले जाने एव बीमा व्यवसाय को सीमित अथवा समाप्त कर दिया। दूसरी ओर राज्य मे सरकारी खजाने स्थापित हो जाने से राज्यो के साथ लेन-देन म भी कमी आ गई। इसके साथ ही व्यापारी वग का विदेशी वस्तुओ के व्यापार विनिमय से जो अग्रज अधिकारियो एव अग्रेज व्यापारियो के सहयोग के बिना सभव न था, से अपने कारोबार मे अत्यधिक वृद्धि की सभावना भी दिखलाई पडती थी। इसी भाति इग्लण्ड मे बना हुआ माल बेचने तथा भारत से कच्चा माल निर्यात करने म अग्रजी सरकार को भारतीय थोक व्यापारियो तथा दलालो की आवश्यकता थी।[2] थोक व्यापार एव एजेसी के लिए पूजी एव व्यावसायिक बुद्धि दाना ही वश्य समुदाय के इन व्यापारियो के सहयोग से सरलता से उपलब्ध हो सकती थी।[3] अग्रेजी सरकार सम्पन्न व्यापारियो को राज्यो से हटाकर अग्रेजी भारत म बसाना चाहती थी। इसस राज्य की आर्थिक सम्पन्नता का अपहरण कर कमजोर बनाकर उसके शासक को आश्रित बनाकर उसस और अधिक राजनीतिक सुविधाए प्राप्त की जा सकती थी। साथ ही राज्य के व्यापारियो की जमा पूजी का भारत म अग्रेज व्यापारियो की एजेसियो म विनियोग करवाया जा सकता था।[4] राजनीतिक दृष्टि स भी अग्रेज यह चाहते थे कि राज्य म कोई एसा वग अवश्य होना चाहिए जो शक्ति-सम्पन्न होने के साथ साथ राज्य म राजनीतिक दृष्टि स अग्रेज समथक हो। वैश्य समुदाय का यह व्यापारी वग इन दोनो बातो की पूर्ति करता था।

उपयुक्त उद्देश्यो को प्राप्त करने हेतु राज्य के व्यापारी वग और अग्रेजी सरकार मे एक-दूसरे के आर्थिक एव राजनीतिक हितो के समथन का क्रम आरम्भ हुआ। इसकी पुष्टि राज्य के वैश्य समुदाय के मुत्सद्दी एव व्यापारी वग के लोगो द्वारा बीकानेर राज्य एव उसके बाहर अग्रेजो के हितो का समथन करने जिनम आयात निर्यात व राहदारी शुल्को एव राज्य प्रशासन म अग्रजो द्वारा चाहे गए परिवतन की माग को प्रस्तुत करना अथवा समथन देना अग्रेज अधिकारियो द्वारा समय समय पर राज्य के व्यापारी वग के आर्थिक हितो को सरक्षण देने एव राज्य तथा व्यापारियो, सामन्तो और व्यापारियो तथा व्यापारियो के आपसी झगडो म हस्तक्षेप म होती है।

अंग्रेज सरकार ने राज्यों मे अपने हितो के सरक्षण के लिए ऐसे वर्गो तथा अधिकारियो का समर्थन किया जो उसके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। कुछ राज्यो मे अंग्रेज समर्थक सामन्तो के दलो का विकास होना शुरू हो गया जिनकी स्वामिभक्ति और निष्ठा अंग्रेज शासको के प्रति अधिक थी।[5] बीकानेर राज्य मे सामन्तो का इस प्रकार का वर्ग तो विकसित नही हो सका लेकिन मुत्सद्दी एवं व्यापारिक वर्ग ने यह भूमिका निभाई।

भारत की अंग्रेज सरकार सन् 1818 ई० की संधि सम्पन्न करने के समय से ही दिल्ली से सिंधु तक के मार्ग, जो बीकानेर राज्य में से होकर गुजरता था, पर राज्य से अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त करने को प्रयत्नशील थी।[6] वह यह चाहती थी कि राज्य सरकार इस मार्ग पर वसूल की जाने वाली राहदारी समाप्त कर दे। इसके लिए अनेक प्रयत्न करने पर भी अंग्रेज सरकार को कोई सफलता हाथ नही लगी क्योकि राज्य सरकार राहदारी को समाप्त करने से होने वाली आर्थिक क्षति का वहन करने को कदापि तैयार नही थी।[7] इस बीच महाराजा सूरतसिंह की मृत्यु के पश्चात् महाराजा रतनसिंह ने वैद मेहता घराने के मेहता हिन्दूमल को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। वह अंग्रेजो का विश्वासपात्र व्यक्ति था। वह अपने शासक के साथ राज्य मे अंग्रेजी हितो का भी पूरा ध्यान रखता था। उसे अंग्रेज सरकार व राज्य मे राहदारी समाप्त करवाने मे जो रुचि थी, उसका पूरा ध्यान था। इसका पता उसके द्वारा चूरू के साहूकार मिजामल को लिखे पत्र मे भी चलता है जिसमे उसने बीकानेर से सिन्ध की ओर जाने वाले व्यापारी मार्ग पर लगने वाली राहदारी को कम करवाने मे मिजामल से अपने व्यापार सम्बन्धी अभिलेखो मे सुरक्षित राहदारी की पुरानी दरो के आंकडे शीघ्र भेजने को लिखा है। उससे इस बात का भी आग्रह किया गया था कि राहदारी कम होने से तुम्हे भी लाभ होगा। इसलिए लाख काम छोडकर यह सूचना शीघ्र भेजना। वह राज्य के शासक महाराजा रतनसिंह पर बराबर इस बात के लिए जोर डालता रहा कि राहदारी की दरें या तो कम कर दी जायें अथवा समाप्त कर दिया जाय। अन्त में सन 1848 ई० मे हिन्दूमल के प्रयत्नो के कारण राज्य मे प्रचलित राहदारी की दरो मे भारी कमी कर दी गई और राहदारी नाममात्र की ही रह गई।[8] इसकी विस्तृत व्याख्या राज्य से व्यापारी वर्ग के निष्क्रमण के कारणो मे की गई है। राहदारी मे कमी करने के परिणामस्वरूप अंग्रेजो के लिए पंजाब तथा उत्तरी भारत मे अनाज आदि का निर्यात सुगम हो गया।[9]

राज्य मे आर्थिक परिवर्तनो की भांति प्रशासनिक परिवर्तन करवाने मे भी अंग्रेजो को अनेक कठिनाइयो का अनुभव हो रहा था किन्तु इन परिवर्तनो को करवाने मे अंग्रेज सरकार को राज्य के वैश्य समुदाय व मुत्सद्दियो से काफी समर्थन मिला। 1871 ई० मे महाराजा सरदारसिंह के शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए अंग्रेजो ने राज्य मे एक कौंसिल की स्थापना की। इसमे पण्डित मनफूल को छोडकर शेष सभी सदस्य राज्यवर्ती वैश्य समुदाय के थे।[10] इनमे मानमल राखेचा, शाहमल कोचर व धनसुखदास कोठारी के नाम उल्लेखनीय थे। यह कौंसिल 1887 ई० तक अस्तित्व मे रही और इसके बाद इसी कौंसिल को रीजेन्सी कौंसिल मे परिवर्तित कर दिया गया।[11] उक्त कौंसिल की सलाह पर अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किये गये जिनमे कुछ ऐसे परिवर्तन भी थे जिनके लिए अंग्रेज बहुत इच्छुक थे। राज्य पर नमक व्यापार करने पर प्रतिबन्ध की स्वीकृति देना।[12] राज्य मे न्याय के लिए अंग्रेजी ढंग के न्यायालयो की स्थापना करना व अंग्रेजी कानून कायदो को कार्यरूप देना, अंग्रेजी डाक व्यवस्था को लागू करना व राज्य के वैश्यो के बकाया ऋण को चुकाने की व्यवस्था करना आदि मुख्य कार्य थे।[13] राज्य मे 1911 ई० मे बीकानेर मे राज सभा की स्थापना के बाद उसके सदस्यो (राज्य के बड़े-बड़े व्यापारियो) ने भारत मे प्रचलित व्यवस्थाओ को लागू करवाने मे काफी सफलता प्राप्त की।[14]

राज्य की भांति राज्य के बाहर भी, राज्य के वैश्य समुदाय के दोनो वर्गों के लोगो ने समय-समय अंग्रेजी हितो का समर्थन किया। मेहता हिन्दूमल ने 1845 ई० के सिक्ख युद्ध मे राज्य की ओर से अंग्रेज सरकार की काफी मदद की। इस उप-लक्ष्य मे गवर्नर जनरल हार्डिंग्ज ने उसको व्यक्तिगत रूप मे शिमला मे बुलाकर एवं कीमती खिल्लत प्रदान कर उसकी अपूर्व कर्मनिष्ठा और राजभक्ति की सराहना की।[15] राज्य के प्रमुख ढागा घराने का राम रतनदास ढागा, जो माहोर मे अंग्रेज सरकार का खजांची भी था, ने अंग्रेजो द्वारा काबुल की चढ़ाई के अवसर पर तथा 1857 ई० मे विप्लव के समय अंग्रेज सरकार की जन धन से सहायता की। इसके उपलक्ष्य मे रामरतनदास ढागा व उसके भाई भगीरथचन्द ढागा को अंग्रेज

सरकार ने रायबहादुर की पदवी से सम्मानित किया।[16] विद्रोह के समय न तो राज्य के वैश्य समुदाय के लोग बीकानेर राज्य से लगते हुए भारत के क्षेत्र हासी हिसार म अंग्रेज परिवारो को विद्रोहिया से बचाने के लिए बीकानेरी सेना के साथ विद्रोहिया से लडने भी गये। इन लोगो मे मेहता हरीसिंह, गुमानसिंह वेद साह लक्ष्मीचन्द सुराणा, साह लालचन्द सुराणा व साह फतहचन्द सुराणा के नाम उल्लेखनीय थे।[17] प्रथम महायुद्ध के अवसर पर राज्य के व्यापारियो ने अंग्रेज सरकार का आर्थिक मन्द दन हेतु लाखा रुपयो के 'युद्ध बाण्ड' खरीदकर उसकी मदद की। बीकानेर के विश्नेसरदास डागा न इस अवसर पर अंग्रेजो की जन और धन दोनो से मदद की।[18]

जब कभी अंग्रेज सरकार को अपनी व्यापारिक नीति तय करन मे सहयोग की आवश्यकता पडी राज्य के व्यापारियो ने उसे अपना पूर्ण सहयोग दिया।[19] प्रथम महायुद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार की व्यापारिक नीति अन्य विकसित औद्योगिक देशो की वस्तुओ पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाकर उनके आयात पर प्रतिबन्ध लगान की थी। इस सबध म पश्चिमी राजपूताना राज्यो के रेजीडेण्ट कनल सी० जे० विण्डहम न बीकानेर राज्य के व्यापारी वग स विचार विमश किया। राज्य क व्यापारियो ने बताया कि किन वस्तुओ के आयात को प्रतिबंधित किया जा सकता था अथवा किस क्षेत्र मे ऐसा करना उचित नहीं होगा। जमनी और आस्ट्रियन चीनी का आयात आसानी से बन्द किया जा सकता था किन्तु जमन रगा का आयात पर प्रतिबंध लगाना आर्थिक दृष्टि से उचित नही बताया गया क्योकि इग्लैंड म उस कोटि के रगा का उत्पादन नही होता था। इसके लिए भारत मे सस्त रग बनाने की सभावनाओ पर विचार किया जाना आवश्यक था। चमडे, जूट व तिलहन पर अतिरिक्त नियात कर लगाया जा सकता था इससे भारतीय उद्योगो को लाभ हो सकता था। सूती कपडे के मामले म भारतीय वस्तुए जमनी म उत्पादित वस्तुओ की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होने की स्थिति म नही थी। वतमान में कपडे पर जो उत्पादक कर लगा हुआ था, उसको समाप्त करना भारतीय व्यापारियो को लाभदायक हो सकता था। ऊनी कपड के आयात क लिए जमनी ही मुख्य दश था। अत उस पर सुरक्षात्मक आयात शुल्क लगाने से निश्चय ही भारत म कपडा उद्योग स्थापित करने मे सहयोग मिल सकेगा।[20]

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद व्यापारिक वग के दृष्टिकोण से अंग्रेजी सरकार अपने हितो के अनुकूल नीति निर्धारित करती थी। विभिन्न सुझावो म से कुछ स्वीकृत हो जात थे और इस प्रकार दोनो मे पारस्परिक सहयोग अपने अपन दृष्टिकोण के अनुकूल बनता रहता था। राज्य के उद्योगपतियो ने जिन उद्योगो की स्थापना की वे इग्लैंड के उद्योगो के पूरक के रूप मे ही थे। बीकानेर राज्य मे अधिकतर ऊन, प्रेस व काटन जिनिंग उद्योग ही स्थापित किय गये। उनका उपयोग राज्य म उत्पादित कच्ची ऊन व रुई को साफ कर एव गाठ बाधकर भारत तथा इग्लड स्थित कपडे तथा ऊन के कारखानो म होता था। इसी भाति राज्य क व्यापारियो ने अंग्रेजी भारत, विशेष रूप से बगाल म, जूट बेलिंग फैक्टरिया स्थापित की। जिनका उपयोग जूट को ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशो मे भेजने मे होता था। इसकी विस्तृत चर्चा 'राज्य के औद्योगीकरण म व्यापारी वग का योगदान सबधी अध्याय मे की गई है।

भारत की अंग्रेज सरकार ने राज्य के व्यापारी वग के लोगो को सरक्षण देकर उनका अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। राज्य और राज्य के बाहर अंग्रेज अधिकृत क्षेत्रो म उनके व्यापारिक हितो की सुरक्षा प्रदान की। 1818 के पश्चात् राज्य म सामन्ता के विशेषाधिकारो म काफी कमी करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई। सामन्तो ने अव्यवस्था और लूटपाट को प्रोत्साहन देकर व्यापारी वग तथा आर्थिक जीवन के समुचित विकास की गति का अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया। अंग्रेजी सरकार न अपने प्रभाव का प्रयोग सामन्ता के विरुद्ध व्यापारिक वग के पक्ष म किया। राज्य म व्यापारियो की लूट द्वारा हानि का सामन्ता से पूरा करवाने के लिए राज्य के शासक पर दबाव डाला गया। मार्च 1831 म एक अंग्रेज अधिकारी न बीकानेर के शासक को व्यापारिया की गुड से भरी दस गाडियो को लूटने का मुआवजा 1,425 रुपय दिलवाए जाने क लिए लिखा।[21] इसी प्रकार अप्रैल 1831 के दो खरीतो म राज्य के शासक को लूटमार की घटनाओ के सबध म उसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए लिखा।[22] इनमे से एक घटना व्यापारिया का घत व अनाज लूटने की थी। बीकानेर राज्य म इन लूट-खसोट की घटनाओ की जाच के लिए भारतीय गवनर जनरल ने एक अंग्रेज कनल अब्राइम लाकेट को भेजा।[23]

1840 म अंग्रेज अधिकारी मेजर थार्स्बी ने अपने दो खरीतो म जीवनराम नामक व्यापारी व नन्दराम नामक व्यापारी की औरत को राज्य मे लूट लिये जाने का उल्लेख किया और उनके लूटे हुए माल को वापिस दिलवाने के लिए राज्य के शासक पर दबाव डाला।[24] कभी कभी अंग्रेज अधिकारी राज्य के बाहर के व्यापारियो को राज्य मे बसाने के लिए राज्य के शासक पर दबाव डाला करते थे। एक खरीते म राज्य के शासक को रामगढ के सेठ जौहरीमल को चूरू म बसाने क लिए लिखा गया था।[25]

अंग्रेजो ने राज्य के व्यापारियो को उनके वाणिज्य-व्यापार मे भी सहयोग दिया यह सहयोग राजाओ द्वारा ऋणो की अदायगी तथा राज्य द्वारा व्यापारियो पर कर-व्यवस्था से सम्बंधित था। 24 मार्च, 1824 को सर चार्ल्स इलियट ने राज्य के शासको को सेठ हरनारायण के 16,400 रुपये व्याज सहित वापिस लौटाने क लिए लिखा।[26] चूरू के व्यापारी मिर्जामल पोद्दार (जिसका बीकानेर के साथ साथ राजस्थान के अन्य राज्यो के शासको के साथ लेन देन का व्यवहार था) ने अपनी फसी हुई रकम को निकालने के लिए अंग्रेज अधिकारियो का सहयोग लिया।[27] 1872 ई० मे बीकानेर राज्य पर राज्य के सेठ साहूकारो का 39,63,987 रुपया उधार निकलता था। राज्य के शासक इस धन को वापिस लौटाने मे काफी लम्बे समय से आनाकानी कर रहे थे किन्तु अंग्रेज एजेन्ट कप्तान तालबाट ने ऋण की जाच पड़ताल करके व्यापारियो का समस्त वाजिब ऋण वापिस करवा दिया।[28] अंग्रेज अधिकारियो के पत्रो के अध्ययन से यह आभास होता है कि वे मारवाड़ी व्यापारियो को अत्यधिक प्रसन्न और सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे और उनके ऋण आदि वसूल करवाना अपना एक कर्त्तव्य समझते थे। ऐसा कार्य करके व अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति अनुभव करते थे। रजीडेन्ट कप्तान जार्ज कॉलरिज ने चूरू के व्यापारी गुरमुखराय को लिखा था कि तुम्हारा कामकाज अच्छी प्रकार से करवा दिया जायगा, मुलाहयजा बना रहेगा, उसमे किसी प्रकार की कमी नही आयेगी, यह उसका वचन है।[29]

अंग्रेज अधिकारियो ने राज्य के व्यापारियो से सख्ती से शुल्क वसूली न करने और उन पर नये शुल्क न लगाने के लिए भी राज्य के शासक पर दबाव डाला। पोद्दार संग्रह के एक पत्र म जिसे बीकानेर से कप्तान जार्ज कॉलरिज ने चूरू के साहूकारो को, उनकी राजकीय शुल्क वसूलने वाले रामानन्द नामक कर्मचारी द्वारा सख्ती से शुल्क वसूल करने की शिकायत के उत्तर मे लिखा था, मैं जार्ज कॉलरिज ने साहूकारो का आश्वासन दिया कि भविष्य मे उनके साथ गलत व्यवहार नही होगा। जिस समय बीकानेर राज्य म 1895 96 ई० के अकाल पड रहे थे, उस समय अकाल सहायता सम्बन्धी उपायो पर विचार करते समय जब राज्य सरकार क निर्यात शुल्क लागू करने का सुझाव रखा, तब राज्य क व्यापारियो ने इसका घोर विरोध किया। इस अवसर पर तत्कालीन पोलिटिकल एजेण्ट कप्तान वैला ने इस मामले म व्यापारियो का पक्ष लिया। इसका कारण एजेन्ट के पास इस सम्बन्ध मे व्यापारियो की ओर से मदद करने की अपील की थी।[30] इसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने निर्यात शुल्क स्थगित कर दिया जिससे चार वर्ष म 22 300 रुपया का घाटा हुआ।[31] राज्य मे अंग्रेज सरकार की ओर से कोई भी निर्माण कार्य करवाया जाता था, उसका ठेका व्यापारियो को दिया जाता था। जब राज्य म साभर से चूरू तक टलीग्राम लाइन डालने का प्रस्ताव आया, तब राज्य के रेजीडेन्ट मेजर एच० एम० टैम्पल ने इस कार्य को सम्पन्न करने का ठेका चूरू के भगवानदास बागला को देने का प्रस्ताव किया किन्तु दुर्भाग्यवश इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई।[32] इसके बाद जब उक्त लाइन चूरू से सरदारशहर व सरदारशहर से रतनगढ तक बनाने का प्रस्ताव आया तो इस कार्य के ठेके क्रमश चूरू व सरदारशहर के व्यापारियो को दिये गये।[33] व्यापारियो को आर्थिक संरक्षण देते समय अंग्रेज अधिकारी राज्य के प्रशासनिक मामलो मे भी हस्तक्षेप कर दिया करते थे। चूरू के प्रसिद्ध करोड़पति सेठ भगवानदास बागला की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा सेठानी बरजीदेवी एव सेठ भगवानदास बागला द्वारा गोद लिये पुत्र सेठ लक्ष्मीनारायण बागला के बीच सेठ भगवानदास की सम्पत्ति का झगडा चला।[34] सेठ लक्ष्मीनारायण बागला के, चूरू स्थित प्रतिनिधि हरखचन्द डागा ने चूरू के तहसीलदार से मिलकर चूरू स्थित भगवानदास बागला की हवेली पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। इस पर विधवा बरजीदेवी ने राज्य के पोलिटिकल एजेन्ट से [illegible] तहसीलदार की शिकायत की। इस पर एजेन्ट ने उक्त तहसीलदार को एव रैनी के नाजिम को सेठानी बरजीदेवी के

मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दे दिये।[35]

उपर्युक्त मामले में अंग्रेज अधिकारियो ने व्यापारियो को संरक्षण देने के लिए राज्य के शासक पर अपना दबाव डाला था। इसी प्रकार राज्य के सामन्तो पर भी अंग्रेजो द्वारा प्रभाव डाला गया। जागीरो मे रहने वाले व्यापारियो को सामन्तो के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए अंग्रेजी संरक्षण दिया गया। जब कभी सामन्तो एवं व्यापारियो के बीच कोई विवाद आदि उठे, उसमे अंग्रेजो ने हमेशा व्यापारियो का पक्ष लिया। 1870 ई० मे राज्य के एक प्रमुख ठिकाने बीदासर के ठाकुर के विरुद्ध वहा के व्यापारी समुदाय ने राज्य के शासक को शिकायत की, कि वह (ठाकुर) व उसका कामदार मिलकर उन्हे तंग करते है तथा वाणिज्य व्यापार व लेन देन की वसूली मे बाधा पहुचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्हे लूटने के लिए लुटेरो को उद्यत कर रहे थे। राज्य के शासक ने व्यापारियो की बात पर कोई ध्यान नही दिया। इस कारण उक्त सभी व्यापारी बीदासर छोडकर जोधपुर राज्य के लाडनू नामक स्थान मे जाकर बस गये और राज्य के पोलिटिकल एजेण्ट का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया। उसने इस मामले मे हस्तक्षेप कर बीदासर के कामदार रामबक्स को उसके पद से हटवा दिया तथा व्यापारियो को यह आश्वासन देकर वापिस बुलवा लिया कि भविष्य मे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा।[36] सीधमुख ठिकाने के सेठ शिवप्रसाद अग्रवाल ने राज्य के पोलिटिकल एजेन्ट से अपील की कि सीधमुख के सामन्त ने उसके मकान एवं दुकान जिसमे उसका सामान पडा हुआ था का ताला तोडकर अपने कब्जे मे कर लिया, जिसे उसे वापिस दिलाया जाये। पोलिटिकल एजेण्ट ने मामले की जाच कर उक्त व्यापारी को न्याय प्रदान करवाया।[37] उन्नीसवी सदी के अन्तिम दशको मे सामन्तो ने व्यापारियो से लिए हुए ऋण को वापिस देने मे आनाकानी करनी शुरू कर दी।[38] व्यापारी लोग राज्य के पोलिटिकल एजेण्ट से ऋण वापिस दिलवाने के लिए आग्रह कर रहे थे। बीकानेर के रामरतननाथ बागडी ने राज्य के पोलिटिकल एजेण्ट से प्रार्थना की, कि राज्य के सारवरा ठिकाने का सामन्त उससे उधार ली हुई रकम वापिस करने मे आनाकानी कर रहा है जिसे वापिस दिलवाया जाय। पोलिटिकल एजेण्ट ने इस समस्या का समाधान करने हेतु राज्य के ऋणग्रस्त सामन्तो को राज्य की ओर से 1,17,357 रुपयो की आर्थिक मदद दिलवाई जिससे वे व्यापारियों का ऋण वापस उतार सकें।[39] इससे स्पष्ट था कि अंग्रेज लोग व्यापारियो को उनका ऋण वापस दिलवाने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते थे।

राज्य मे व्यापारी वर्ग को अंग्रेजी संरक्षण आपसी झगडो को तय करने मे भी मिला था। अंग्रेजो की यह इच्छा थी कि व्यापारी लोग ज्यादा मुकदमेबाजी न करे और वमनस्य न बढायें। इस बात को ध्यान मे रखकर जब कभी व्यापारियो ने अपने आपस के मुकदमो की अपील राज्य के पोलिटिकल एजेण्ट के पास की, उसने इन मुकदमो मे हस्तक्षेप नही किया और जिन मुकदमो मे हस्तक्षेप किया उनकी सही जानकारी प्राप्त कर, निर्णय देने का प्रयत्न किया जिससे आपसी कटुता अधिक न बढने पाये। राज्य के सेठ भगवानदास व सेठ छोगमल के बीच 49,505 रुपयो के लेनदेन के मामले मे झगडा चला। सेठ छोगमल ने पोलिटिकल एजेण्ट से इस मामले मे अपने पक्ष में हस्तक्षेप करने की अपील की। पोलिटिकल एजेण्ट ने सारे मामले का अध्ययन कर लेने के बाद यह निर्णय दिया कि इस मामले मे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही थी अत आपस मे मिलकर इस मामले को सुलझा दिया जाये।[40] एक अन्य मामले मे सेठ किशनगोपाल मूधडा की विधवा नानीबाई और सेठ सोभागमल ढड्ढा के बीच मे स्वर्गीय सेठ किशनगोपाल मूधडा के दो मकानो को लेकर झगडा चला। विधवा नानीबाई अपने पति की मृत्यु के बाद उक्त मकानो से स्वर्गीय सेठ मूधडा की लेनदारिया चुकाना चाहती थी किन्तु उक्त मकान पहले से ही सेठ मूधडा द्वारा दस हजार रुपयो मे गिरवी (बन्धक) रखे हुए थे। विधवा नानीबाई ने राज्य के पोलिटिकल एजण्ट से अपील की कि इन मकानो मे जो मेरा हिस्सा बनता था वह मुझे दिलवाया जाय, जिससे स्वर्गीय सेठ की देनदारी चुका सकू। पोलिटिकल एजेण्ट ने इस मामले की पूरी तहकीकात कर, राज्य की कौंसिल को आदेश दिया—विधवा नानीबाई का स्त्रीधन के रूप मे जो भाग मिलना चाहिए वह उसे दिलवाया जाये क्योकि उसके पति की गलत कारगुजारी के कारण, उसे अपने स्त्रीधन से वंचित होना पड़ा था।[41] इस प्रकार के अन्य अनेक व्यापारियो के

आपसी झगडो के मुक्दमे पोलिटिक्ल, एजेण्ट के पास प्रस्तुत किय गय जिन पर पोलिटिक्ल एजेण्ट न उपयुक्त बाता का ध्यान मे रखकर अपने निणय दिये।[42]

भारत मे व्यापारियो को अग्रेजी सरक्षण

भारत की अग्रेजी सरकार राज्यो के व्यापारियो का अपने अधिकृत क्षेत्र मे वाणिज्य व्यापार करने के लिए अनेक सुविधाए दने को उत्सुक थी। राज्य से निष्क्रमण किये हुए व्यापारिया को सवप्रथम भौतिक सुरक्षा एव आर्थिक सरक्षण की आवश्यक्ता थी जिससे वे अग्रेजी क्षेत्र म अपने वाणिज्य व्यापार का विकसित कर सकें। अग्रजा न इन दोना बाता के लिए व्यापारियो का भरपूर सहयोग दिया और इस आशय के अधिकारिया द्वारा समय समय पर व्यापारियो को तसल्लीनामे एव परवाने लिखे गये। 13 माच 1829 ई० को सर एडवड कोलब्रुक ने चूरू के व्यापारी जेतरूप आसकरण व मुल्तानचद तथा रामगढ के कुछ अय व्यापारियो को एक परवाना दिया जिसम उन्हे आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा नुसार जयपुर के एजेण्ट को उनकी हर प्रकार की सहायता करन को लिख दिया गया है तथा सूरत, बम्बई, पूना, कलकत्ता मिर्जापुर, अजमेर, फरुखाबाद, अजीमगढ, शाहजानाबाद भिवानी एव भारत के अन्य स्थाना पर वे अपना वाणिज्य व्यापार बिना किसी रोक टोक पूण विश्वास के साथ करे। उन्हे यह आश्वासन भी दिया गया कि अगर व्यापारी लाग अपन परिवार के लागो को यहा लाना चाहे तो उन्हे पूण सुरक्षा प्रदान की जायेगी और व लाग अपन आपको अग्रेजी सरक्षण म मानत हुए वाणिज्य व्यापार का विकास करें।[43] भारत मे अग्रेजो द्वारा भौतिक सुरक्षा प्रदान करन क लिए अजमर स दिल्ली क बीच क माग पर स्थित, राहदारी की चौकिया पर तैनात चौकीदारा व अय बदोवस्त करने वालो को यह हिदायत दी गई थी कि चूरू के मिजामल पोद्दार जिसका अजमेर मे व्यापार था, वह अपने काय से जयपुर होकर दिल्ली जा रहा है। उसके साथ 30 आदमी 15 हथियार व 8 ऊट एव घोडे होगे। आते अथवा जाते समय उसके साथ माग म किसी प्रकार की गैरवाजिब बात न हो तथा उसे अपने अपने क्षेत्र से असुरक्षित पहुचा दिया जाये। इस प्रकार के राहदारी के परवाने अनेक अन्य अग्रेज अधिकारियो जिनमें अम्बाला का पोलिटिकल एजेण्ट मिस्टर मरे व चारस थियाफिरस मेटकाफ आदि प्रमुख हैं के द्वारा मिर्जामल पोद्दार को दिय जाने के उल्लेख मिलते है।[44] 4 दिसम्बर, 1829 को मिर्जामल पोद्दार द्वारा हिसार मे अपनी दुकान खोलने पर एक अग्रेज पोलिटिकल असिस्टेण्ट ने सेठ को हरसभव आश्वासन दिया—अगर मिजामल अपने मालो असबाब का लेन देन दिसावरात रो करे और राजाआ क इलाके मे माल की चारी हा जाय, या मालो असबाब लूट ले तो ऐसी परिस्थिति मे यहा से पूरी रिपोट जयपुर के रेजीडेण्ट साहब बहादुर और अम्बाला के रजीडेण्ट साहब बहादुर या बडे साहब बहादुर की सेवा मे दिल्ली उसक तदारुक के लिए तथा मालो असबाब वापिस दिलाने हेतु लिखा जायगा और इस जिले की सरकार के इलाके मे जहा पता लगगा, उसकी बराबर छानबीन की जायगी और तहकीकात के बाद म जा भी हुक्म मुनासिब होगा अदालत हाजा से दिया जायेगा। हासी हिसार म मिजामल की हवलिया दुकानें होगी। थानेदारो को ताकीदन आदेश द दिया जाये कि कोई भी बेजा दबाव न डालें। अगर कोइ व्यक्ति माना बेजा दबाव डाले मिर्जामल या उसक आदमी जज साहब बहादुर की सेवा म अर्जी पश कर तत्काल ही उसका निणय ल सकें।[45] भौतिक सुरक्षा प्रदान करने के सबध मे एक अन्य तसल्लीनामा मिलता है जो सन 1829 म लाहौर स एक अग्रेज अधिकारी द्वारा मिर्जामल पोद्दार को लिखा हुआ है। इसम मिर्जामल को शाहजादाबाद म दुकान खालने क लिए कहा गया—लिखा जाता है कि तुम पूरा विश्वास रखकर शाहजानाबाद म अपनी दुकान कायम करो। 1 जो कुछ नजदीक रईस व्यापारियो आदि म होगा और लेनदन की रकम बाकी रह जाये ता दिलवाने का प्रबन्ध कर बराबर दिलवा दी जायगी। और 2 अगर माल चोरी म चला जाये या उक्त मौजे की हदा मे खुदा न चाहे, लूट लिया जाय और नुक्सान हो जाय तो चोरी या लूट मे गया हुआ माल दिलवा दिया जायगा और अगर वसूल न हो ता ऐसी परिस्थिति म सरकार स दिलवाया जायगा और दुकान की इमारत म जो कुछ भी खच हागा, तुमसे मुजरा लिया जायगा और तुम्हारी दफ्तरेन्न मे हागा। इसके अलावा दुकान की आबादी की शत पर 500 रुपया खिलअत के तुम्हार गुमाश्त को बख्शे जायेंगे। इस लेख म किसी

प्रकार से कमी न होगी। लेन देन पूर्णतया विश्वास के साथ करें और दुकान की भी आबादी में बराबर लग जावें। इन्हीं कारणों से यह तसल्लीनामा लिखकर दिया है कि सनद और दस्तावेज अटल समझें। यह तमाम बातें बलवंतराय और महाराज स्वरूप जो तुम्हारे हैं उनके समक्ष ही लिखी गई हैं। पूरे विश्वास के साथ इनका पालन हो 25 माह फाल्गुन, संवत् 1885।[46] एक अन्य परवाना जिसे अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स थियोफिलस मैटकाफ ने थानेदारों, मार्गरक्षकों व चौकीदारों के लिए जारी किया था में सेठ मिर्जामल के लिए सुरक्षा व्यवस्था किये जाने का पता चलता है। थानेदार, मार्गरक्षक, चौकीदार और सब देखरेख रक्षा वाले लोगों जो सरकार वाला अंग्रेजी तआल्लुका के मुल्क में नियुक्त है, उन सबको सूचना दी जाती है कि राजा बख्तावरसिंह बहादुर की सरकार का पातदार मिर्जामल सेठ चूरू मुकाम से कुरुक्षेत्र (कुरुक्षेत्र) के स्नान के लिए जा रहा है और निम्नलिखित सामान उसके साथ है एवं लिखा जाता है कि कोई भी किसी प्रकार की रोक-टोक छेड़ छाड़ न कर बल्कि सब अपनी अपनी हदों से सुरक्षित तथा सावधानी से आगे पहुंचा दें। इस मामले में पूरी ताकीद समझें। अजमेर के अंग्रेज पदाधिकारी हेनरी मिडलटन के 30 अगस्त सन् 1826 के पत्र जिसे उसने मिर्जामल पोद्दार को लिखा था, से ज्ञात होता है कि उदयपुर क्षेत्र में मिर्जामल की अजमेर की दुकान के जो 22 000 रुपये लूट लिये गये थे, वे उसकी (मिडलटन) विशेष कोशिश से वापिस वसूल करवा दिये गये थे। 11 दिसम्बर सन 1829 के एक पत्र में कप्तान मार्टिन वेड ने मिर्जामल पोद्दार को लिखा कि राजा नाईल के पास जो तुम्हारा माल-असबाब लूट लिया गया था, उसका पूर्ण विवरण भेजो जिससे उसे तुम्हें शीघ्र दिलवाने का प्रयत्न किया जा सके।[47] व्यापारियों का माल लूट जाने पर उसे वापिस दिलवाने संबंधी कुछ और पत्र उपलब्ध होते हैं। 11 दिसम्बर, 1829 को लुधियाने के पोलिटिकल एजेन्ट ने सेठ मिर्जामल को लिखा था कि उसके (मिर्जामल) के गुमाश्ते जौहरीमल के आने पर लूटे हुए माल-असबाब को मूलतः वापिस दिलवाने की तजवीज या उसकी कीमत दिलवाने का प्रयत्न किया जावेगा। एक अन्य 3 जनवरी, 1835 के पत्र में जार्ज रसल क्लार्क ने सेठ मिर्जामल के गुमाश्ता को कैथल इलाके में 25,000 रुपये लूट जाने के बारे में पूर्ण जानकारी मांगी। इसी संदर्भ में 9 जनवरी, 1835 का एक अन्य पत्र कप्तान क्लाड मार्टिन का मिलता है जिसमें सेठ मिर्जामल के चोरी गये ऊंटों को वापिस दिलवाने के लिए लाहौर के वकील लाला किशनचन्द को आदेश दिये जाने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त व्यापारी वर्ग यह चाहता था कि उसके गुमाश्ते जो उसके वाणिज्य-व्यापार को संभालने के लिए भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, सुरक्षित और इज्जत के साथ रहें। उनके साथ अंग्रेज सरकार व राज्य के शासकों की ओर से किसी प्रकार की ज्यादती न हो और न ही उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स आदि से अधिक देने के लिए तंग किया जाय। इस उद्देश्य प्राप्ति हेतु व्यापारी वर्ग अंग्रेज अधिकारियों से गुमाश्तों को किसी प्रकार से तंग न किये जाने के आशय का लिखित आश्वासन ले लिया करते थे। मिर्जामल पोद्दार संग्रह में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दिये गये इस आशय के अनेक आश्वासन पत्र उपलब्ध हैं। दिनांक 20 दिसम्बर, 1822 ई० को सेठ मिर्जामल हरभगत फतेदार की ओर से अजमेर के साहब बहादुर से इस प्रकार का आश्वासन मांगा गया जिसे 29 दिसम्बर, 1822 को स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार का एक आश्वासन पत्र 22 अक्तूबर, 1944 को सेठ मिर्जामल के नाम शिमला स्थित कचहरी से जारी हुआ मिलता है।[48]

व्यापारियों को भौतिक सुरक्षा प्रदान करने की भांति वाणिज्य व्यापार में संरक्षण भी प्रदान किया करते थे। 22 फरवरी, 1829 के कलेक्टर साल्ट डिपार्टमेंट ने चूरू के व्यापारी जैतरूप को खासानूट में दुकान खोलने के लिए लिखा और नमक का व्यापार करने के लिए कहा। भविष्य में उसने स्वयं उसके वाणिज्य व्यापार के लाभ एवं संताप के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया।[49] 22 मई, 1834 को अंग्रेज अधिकारी कप्तान क्लाड मार्टिन वेड ने सेठ मिर्जामल को पंजाब व सिन्ध में अपने अफीम के व्यापार को फैलाने में आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। उसमें लिखा तुम्हारी अर्जी पहाड़ से अफमूम (अफीम) के ऊंट करवा लुधियाना में लाकर उस कच्चे अफीम को यहां तैयार करके किश्तियों में लदवाकर शिकारपुर आदि दिसावरों में भिजवाने हेतु और उसका महसूल सरकार वाला में सरिश्ता पुराने नियमानुसार जो लुधियाने में लिया जाता हो, उसके देने आदि के लिखित समाचार सब मुलाहिजा हुए। तुम्हें लाजिम है कि पहाड़ों से कच्चा

अफीम आदि मगवाकर कस्बा लुधियाना मे जा आसपास से आय हुए माल को दिसावरो म भिजवायो तो सरिश्ते के अनुसार लुधियान म पुरान लिय गय महसूल की तरह बाइज्जत सरकारवाला का महसूल इसका चुकात रहो और सिवाय इसरे किसी भी प्रकार की रोकथाम तुमने नही होगी और पहाडो से, आसपास से कच्चा माल बहुत ज्यादा आये और अफीम तयार हान के व्यापार तथा कारखान बढाने की सूरत मे महसूल म कमी करने का विचार किया जायेगा। तुमने इतमीनानपूर्ण विश्वास म आसपास से बहुत माल मगवाकर उसके लिए कारखाने तैयार करो ।[50] 10 अक्तूबर, 1822 ई० के पत्र म सेठ मिजामल का अजमेर म सायर वसूली का ठेका दिलवाने म सरकारी मदद का आश्वासन दिया हुआ था। सायर वसूली का ठेका दिलाने की भाति अग्रेज सरकार व्यापारी वर्ग को अग्रेजी भारत म फोतेदारी (खजानचीगीरी) का काम भी सौंप रही थी। इससे व्यापारी की प्रतिष्ठा बढने के साथ अच्छा आर्थिक लाभ भी होता था। पोद्दार सग्रह के प्रलेखो से सेठ मिर्जामल पोद्दार के राहतक व रेवाडी जिलो का खजानची होने का उल्लेख है ।[51] यह सरक्षण उन्ह राज्य से बाहर पुराने कर्जो की अदायगी म भी मिला ।[52] अक्तूबर 1843 के एक पत्र मे सर एच० एम० लारेंस ने अम्बाला से मिर्जापुर के जज को लिखा कि मिजामल के गुमाश्ते रामपत व भागमल जो इस समय मिजापुर मे रह रहे थे, मे व मिर्जामल के बीच 50 000 रुपया के लेन देन का मामला चल रहा है अत वह (जज) इस मामले मे न्याय प्रदान करे। एक अन्य मामले मे मिर्जामल की अर्जी पर कप्तान वेड ने कोटला के रईस नवाब अमीरअली खा को एक पत्र लिखकर दबाव डाला कि मिर्जामल को 2100 रुपय हुडी के कानूनी नियमो के अनुसार दिलवा दिये जाये ।[52] सेठ मिर्जामल के 5 000 रुपये पटियाला के धीरजसिंह व दयालसिंह पर निकल रहे थे जिन्ह देने मे वे आनाकानी कर रह थे। इस पर सेठ मिर्जामल ने अग्रेजी अधिकारी कप्तान वेड स इसकी शिकायत की। उसने पटियाला शासक को मिर्जामल के रुपये वापिस दिलवाने के आदेश दिये ।[53] एक पत्र से यह पता चलता है कि अग्रेज अधिकारी व्यापारियो को सरक्षण प्रदान करने हेतु न्यायपालिका को भी प्रभावित करने म नही चूकते थे। इस प्रकार एक पत्र नार्थ वेस्ट फ्रण्टियर स्थित गवनर जनरल के एजेण्ट का मिलता है जिसमे उसने मिर्जापुर के रायबाहदर जज मिस्टर ए० पी० क्यूरे एसक्वायर को अम्बाला के व्यापारी सेठ मिर्जामल का परिचय देते हुए लिखा था कि यद्यपि सेठ मिर्जामल इस समय अनेक मामलो मे कोट मे फसा हुआ है किन्तु लेनदेन मे उसकी अच्छी साख है। अत उसकी मन्द कर अनुगहीत करें। मारवाडी व्यापारी, जिनका वाणिज्य-व्यापार देश मे दूर दूर के क्षेत्रो म फैला हुआ था, अपने व्यापार पर नियत्रण रखने के लिए यह आवश्यक समझते थ कि दूर के क्षेत्रो मे नियुक्त उनके गुमाश्तो, जिनके माध्यम स वे वहा का व्यापार काय चलाते थे, पर उनका पूर्ण नियत्रण हो। उनकी यह इच्छा थी कि उनका कोई गुमाश्ता गबन करने क बाद कही सरकारी हस्तक्षेप के कारण बच न जाये। इसलिए अनेक व्यापारियो जिनम मिर्जामल पोद्दार प्रमुख था, ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कतिपय ब्रिटिश पदाधिकारियो से इस आशय के अधिकार प्राप्त कर लिय थे कि सेठ मिर्जामल पोद्दार अपने गुमाश्तो से स्वय फसला करें सरकार की ओर से उन दोनो के बीच हस्तक्षेप नही होगा। मिर्जामल पोद्दार को इस आशय के लिखित आश्वासन दने वाले अग्रेज अधिकारियो मे फासिस विल्डर, जाज क्लार्क जो क्रमश अजमेर व अम्बाला म नियुक्त थे, प्रमुख थे ।[54]

अग्रेज अधिकारी व्यापारियो को आवश्यक काय निकलवाने के लिए अग्रेज भारत म अन्य बडे बड अग्रेज अधिकारियो से परिचित करवा दिया करते थे जिससे व्यापारियो को कोई कठिनाई न हो। भारत म राज्य क व्यापारियो स सम्बन्धित अग्रेज अधिकारियो के अनेक परिचय पत्र उपलब्ध होत हैं। 10 अक्टूबर, 1814 ई० को अजमेर स्थित कमाण्डर ने दिल्ली स्थित रजीडेण्ट व कमाण्डर इन चीफ सर डेविड आक्टरलोनी को लिखे एक पत्र म सेठ मिर्जामल जो अजमेर स दिल्ली जा रहा था, का परिचय करवाया था ।[55] इसी प्रकार का अजमेर के एक अग्रेज अधिकारी मिस्टर एल्फिन्स्टन का लिखा परिचय पत्र भी मिलता है जो उसने सेठ मिर्जामल का परिचय देते हुए डेविड आक्टरलोनी को लिखा था ।[56] मई 1850 ई० मे ब्रिटिश कमाण्डर मिस्टर जी० गोहिण्डस ने चूरू के सेठ गुरमुख राय का परिचय कराते हुए एक पत्र म लिखा कि सेठ गुरमुखराय वाणिज्य-व्यापार म चतुर है तथा उसका लेन-देन का व्यवहार जो मुल्क भी होता रहा था उसम वे चतुर है ।[57] इसी सदर्भ म सेठ गुरमुखराय के लिए लिखे अग्रेज अधिकारियो के कुछ और परिचय पत्र उपलब्ध है। "अग्रेज अधिकारियो क

कुछ ऐसे पत्र भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि अंग्रेज अधिकारियों का जब भारत में कार्यकाल समाप्त हो जाता था तब वे अपने परिचित व्यापारियों को अपने स्थान पर आने वाले नये अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण में कर दिया करते थे। 12 नवम्बर, 1848 में अम्बाला स्थित ब्रिटिश कमाण्डर ने सेठ गुरमुखराय को अजमेर स्थित गवर्नर जनरल के एजेन्ट मिस्टर लोलोण्ड को परिचय कराते हुए लिखा कि जब मिस्टर क्लार्क भारत स्थित अपने पद को छोड़कर जा रहे थे तब उक्त सेठ की सुरक्षा का भार मुझे सौंप गये थे। अतः सेठ गुरमुखराय का परिचय कराते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मारवाड़ी व्यापारियों को अंग्रेजी संरक्षण इस हद तक दिया गया कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के अंग्रेज अधिकारी जब यह महसूस करते कि व्यापारियों का कार्य उनके प्रयत्न से संभव नहीं है तब वे कार्य को सम्पन्न करवाने के लिए वायसराय से सिफारिश करवाकर उस कार्य को करवाने में नहीं हिचकते थे। इसके अनेक उदाहरण सेठ और उनके परिजनों द्वारा भारत के दूरस्थ प्रदेशों में वाणिज्य व्यापार में कार्यरत सेठ मिर्जामल उनके गुमाश्तों को समय-समय पर लिखे गये पत्रों में मिलते हैं। इनमें भारत और देशी राज्यों में मिर्जामल की रकम अटकने पर उसे दिलवाने व मुकदमों के फैसले उसके पक्ष में करवाने के लिए लाटसाहब (वायसराय) तक की रुचि लेने का उल्लेख मिलता है।[59]

भारत में बीकानेर के व्यापारियों को उपर्युक्त अंग्रेजी संरक्षण भौतिक तथा आर्थिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि भारतीय समाज में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाकर सामाजिक संरक्षण भी प्रदान किया। भारत में, राज्य के व्यापारियों को, भारत की अंग्रेज सरकार ने अनेक प्रकार की उपाधियां, पद तथा सम्मान प्रदान किये जिनकी भारतीय राज्यों में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भारत में भारी प्रतिष्ठा थी। राज्य के व्यापारी जिनका भारत के विभिन्न प्रान्तों में वाणिज्य-व्यापार था को भारत की अंग्रेज सरकार द्वारा समय पर जिन उपाधियों से अलंकृत किया, उनमें से कुछ प्रमुख व्यापारियों के नाम व उनको मिली उपाधियों के नाम इस प्रकार है। राज्य के जिन व्यापारियों को भारत की अंग्रेज सरकार की तरफ से 'राय बहादुर' की पदवी मिली थी, उनमें सेठ अबीरचन्द डागा, रामरतनदास डागा, कस्तूरचन्द डागा, विश्वेश्वरदास डागा, गोवर्द्धनदास मोहता, शिवरतन मोहता, हरकिशनदास पन्नालाल भट्टड, भगवानदास बागला, शिवबक्षराय बागला, हजारीमल व बलदेवदास नाथानी व सेठ विलासराय तापड़िया आदि के नाम उल्लेखनीय थे।[60] सी० आई० ई० की उपाधि प्राप्त करने वालों में सेठ चांदमल ढढा व सेठ कस्तूर चंद डागा थे।[61] के० सी० आई० ई० दीवान बहादुर व केसर हिंद व सर की उपाधि सेठ कस्तूरचन्द डागा व सेठ विश्वेश्वरदास डागा को प्राप्त थी।[62] चूरू के सेठ शिवबक्षराय को अंग्रेजी सरकार की तरफ से 'राजा' का खिताब मिला हुआ था।[63] अनेक व्यापारियों को राय साहब की उपाधि भी प्राप्त थी।[64] राज्य के अनेक व्यापारियों को भारत की अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश भारत के प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त रखा था। सेठ रामरतनदास डागा लाहौर में अंग्रेजी सरकार का ट्रेजरार (कोषाध्यक्ष) था।[65] चूरू का सेठ शिवबक्ष बागला कलकत्ता का शेरीफ आनरेरी मजिस्ट्रेट, पोर्ट कमिश्नर व कारपोरेशन कमिश्नर था।[66]

उपाधियों और पदों पर नियुक्त करने के अतिरिक्त इन व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। सेठ कस्तूरचन्द डागा को मध्य प्रदेश में दीवानी अदालतों में स्वयं उपस्थित होने से मुक्त किया हुआ था।[67] भारत में जब भी भारत सरकार की ओर से बड़े समारोह आदि का आयोजन किया जाता था उनमें इन सम्मानित व्यापारियों को विशिष्ट व्यक्ति मानकर बैठने का स्थान दिया जाता था। यहां तक कि इन लोगों को ऐसे समारोहों में इनके राज्य के शासक से भी अधिक सम्मानित स्थान प्राप्त होता था। इसका पता सन 1911 के दिल्ली दरबार में सेठ कस्तूरचन्द डागा को राज्य के शासक महाराजा गंगासिंह से अधिक सम्मानित कुर्सी मिली थी, से चलता है।[68] सेठ कस्तूरचंद ने अपने प्रभाव से राज्य के शासक को अपने से अधिक सम्मानित स्थान पर बिठवाया। इस घटना से अंग्रेजी सरकार की दृष्टि में व्यापारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी थी, का पता चलता है।

सन्दर्भ

1 पो० क०, 11 मार्च 1831, न० 48, पो० क०, 18 फरवरी 1848 न० 65, पो० क० 3 मार्च 1849, न० 15-17 (रा० अ० दि०)
2 देश के इतिहास में मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 413
3 खत्री जाति के व्यापारियों के बाद मारवाडी जाति के व्यापारियों ने उनका स्थान ले लिया था बनर्जी, प्रजनानन्द—कलकत्ता एण्ड इट्स हिण्टरलैंड (1833 1900), पृ० 120, गोल्डन जुबली साविनियर (1900 1950) भारत चेम्बर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता पृ० 4
4 विद्यालंकार, सत्यदेव—एक आदर्श समत्व योगी, पृ० 25 26
5 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में राजस्थान की प्राय सभी रियासतों में अंग्रेजी समर्थक दलों का उदय हो चुका था शर्मा, कालूराम—उन्नीसवीं सदी का राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक जीवन (शोधग्रन्थ), पृ० 53
6 दयालदास की ख्यात, (द्वितीय भाग), पृ० 107 108
7 वही, पृ० 145-146
8 हनुमानगढ से मेहता हिन्दुमल का मिजामल को लिखा पत्र, मिती चैत्र सुदी 13, संवत 1904, विश्वम्भरा, जून सितम्बर 1982, पृ० 50 51, पो० क० 26 दिसम्बर 1846, न० 368 369, पार्लियामेण्टरी पेपर्स 1855 ई०, न० 255, पृ० 24 25 (रा० अ० दि०)
9 दयालदास की ख्यात, (द्वितीय भाग), पृ० 147-148
10 ट्रीटीज एंगेजमेन्टस एण्ड सनदस (तृतीय खण्ड), पृ० 279
11 रीजेंसी कौंसिल महाराजा गंगासिंह को पूर्ण राज्याधिकार मिलने (ई० सन् 1898) तक कार्यशील रही।
12 ट्रीटीज एंगेजमेण्ट एण्ड सनद्स (तृतीय खण्ड), पृ० 293 295
13 तवारीख राज बीकानेर, पृ० 228, 229 255, 293
14 कार्यवाही राजसभा, राज्य श्री बीकानेर 24 फरवरी 1914, पृ० 13 14, 7 मई 1923, पृ० 54 56 57, 17 दिसम्बर 1929, पृ० 35 37, 22 मार्च 1935, पृ० 21, 27 अप्रैल 1931, पृ० 4, 22 मार्च 1935, पृ० 21, 19 अगस्त 1942 पृ० 38-39 (रा० रा० अ०)
15 बीकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृ० 757
16 वही, पृ० 766
17 इनमें से साह लालचंद व लक्ष्मीचंद सुराणा तो विद्रोहियों के साथ लडते हुए मारे भी गये थे लेफ्टिनेण्ट ए० जी० एच० मार्टडेल का दिनांक 24 सितम्बर 1857 का खरीता (महाराजा बीकानेर के निजी कार्यालय में)
18 पोलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1919, न० 226 255, पृ० 43, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1923, न० बी-558-562, पृ० 7-8 (रा० रा० अ०) ओझा (दूसरा भाग) पृ० 768
19 पोलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1917, न० ए-7-13, पृ० 12 (रा० रा० अ०)
20 पोलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1917 न० ए-7 13, पृ० 14 (रा० रा० अ०)
21 मि० डब्ल्यू० बी० मार्टिन का 24 मार्च 1831 को बीकानेर शासक को लिखा खरीता (महाराजा बीकानेर के निजी कार्यालय में है)
22 वही, 7 अप्रैल 1831 का लिखा खरीता
23 वही, 18 अप्रैल 1831 को लिखा खरीता (महाराजा बीकानेर के निजी कार्यालय),

24 मेजर थार्स्बी के सन् 1840 ई० का मेहता हिन्दूमल का लिखे दो खरीते न० 35 व 41 (गोपालसिंह के संग्रह)

25 हेनरी मिडिलटन का बिना तारीख का खरीता (महाराजा बीकानेर, निजी कार्यालय),

26 सर चार्ल्स इलियट का 24 मार्च 1824 का बीकानेर शासक का लिखा खरीता (महाराजा बीकानेर, निजी कार्यालय)

27 मि० एच० एम० फोस्टर ब्रिगेड कमाण्डर शेखावाटी ने 14 जनवरी 1847 को मिर्जामल को पत्र लिखा जिसमे पूरा धन लौटाने के प्रयत्न का आश्वासन दिया। कालान्तर मे यह रुपया वापस मिल गया, पोतेदार संग्रह के फारसी कागजात, पृ० 51

28 तवारीख राज बीकानेर, पृ० 228

29 कप्तान जार्ज कालरिज का राजस्थानी मे पोह वदी 10, सवत् 1910 का लिखा रुक्का, पोतदार संग्रह के फारसी कागजात

30 कप्तान जार्ज कोलरिज का चूरू के साहूकारो को लिखा, मिती चेत सुद 2, सवत 1910 का पत्र, मरु श्री जुलाई दिसम्बर 1982, पृ० 29, कप्तान एस० एफ० बेली का 12 सितम्बर 1899 का बीकानेर शासक को लिखा पत्र (महाराजा बीकानेर, निजी कार्यालय)

31 रीजेंसी कौंसिल, बीकानेर, सन् 1900 न० 226।5 पृ० 1, (रा० रा० अ०)

32 पालिटिक्ल डिपाटमट, बीकानेर, 1896 98, न० 280-309।34, पृ०1-2 (रा० रा० अ०)

33 वही, पृ० 14 39

34 स्टट कौंसिल बीकानेर 1900, न० 226।5, पृ० 1, (रा० रा० अ०)

35 पोलिटिक्ल डिपाटमट, बीकानर, सन् 1896 98, न० 929 938।96, पृ० 1-10 (रा० रा० अ०)

36 रिपोट आन दी पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी राजपूताना स्टट्स, 1875 76, पृ० 216

37 पालिटिकल डिपाटमेट, बीकानेर, 1899, न० 38, पृ० 1-3 (रा० रा० अ०)

38 रीजेंसी कौंसिल बीकानेर, 1895 96, न० 1 19।1, पृ० 1, इसकी पुष्टि बीकानेर राज्य की तलबा अथवा तलबाणा बहियो स भी होती है जिनम जागीरदारो को व्यापारियो से उधार लिय रुपयो को वापिस करने का कहा गया है, बही तलबा री, सवत 1889, न० 11, पृ० 1 4, सवत 1898, न० 16, प० 3 7, सवत् 1899, न० 17, प० 1-3 (रा० रा० अ०)

39 रेवेन्यू डिपाटमेट, बीकानेर 1896 98, न० 764 774।37, पृ० 1-3, रीजेंसी कौंसिल, बीकानेर, 1895 96, न० 1-19।1, पृ० 3 (रा० रा० अ०)

40 लीगल डिपाटमेट, बीकानेर, 1896 98, न० 13 21।3, प० 6।11, (रा० रा० अ०)

41 वही न० 72 85।9, पृ० 11 16

42 वही, न० 101 102।15 पृ० 1-14

43 सर एडवड कोलब्रुक का दिया हुआ दिनाक 13 माच 1829 का परवाना (नगर श्री, चूरू)

44 अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस बेलूर का राहदारी परवाना, 10 जून 1822, पोतदार संग्रह के फारसी कागजात, प० 28 30

45 पोलिटिक्ल असिस्टेण्ट का आदेश पत्र 4 दिसम्बर 1829 (नगर श्री चूरू)

46 मिर्जामल को मिला तसल्लीनामा, दिनाक 25, माह फागुन, सवत 1885, पोतेदार संग्रह के फारसी कागजात, पृ० 20

47 थियोफिलस मेटकाफ का लिखा राहदारी परवाना, 1 माच 1827, मरु श्री, (मुनीम गुमाश्ता विशेषांक),

जुलाई दिसम्बर, 1981, पृ० 28

48 कप्तान मार्टिन वेड का मिर्जामल के नाम पत्र, 11 दिसम्बर सन् 1829, 9 जनवरी 1935, जाज रसल क्लाक का मिर्जामल के नाम पत्र, 3 जनवरी सन् 1835 (नगर श्री चूरू), मरु श्री, (मुनीम गुमाश्ता विशेपाक) जुलाई दिसम्बर 1981, पृष्ठ 34-35

49 मिस्टर जी० आर० कैम्पवेल, कलेक्टर, साल्ट डिपाटमेंट का 22 फरवरी 1829 का पत्र (नगर श्री, चुरू)

50 कप्तान क्लाड मार्टिन वेड का तसल्लीनामा, 22 मई सन् 1834, पोतेदार सग्रह के फारसी कागजात, पृ० 18

51 फ्रासिस वल्डर का मिर्जामल के नाम पत्र, 10 अक्टूबर सन् 1822, पातदार सग्रह क फारसी कागजात पृ० 6, 45

52 एच०एम० लारेंस—पोलिटिक्ल एजेण्ट टू दी गवनर जनरल का दिनाक 12 अक्टूबर, 1843 का मिर्जापुर के जज को लिखा पत्र (नगर श्री चूरु), पोतेदार सग्रह के फारसी कागजात पृ० 44 45

53 कप्तान मार्टिन वेड का आदेश पत्र, 3 अगस्त, 1835, पोतदार सग्रह के फारसी कागजात, पृ० 47

54 नाथ वेस्ट फ्रण्टियर के गवनर जनरल के एजेण्ट का दिनाक 17 जून, 1844 का मिजापुर के कायवाहक जज मि० ए० पी० क्यूरे का लिखा पत्र (नगर श्री, चूरु), फ्रासिस विल्डर का फारसी म मिर्जामल को लिखा दिनाक 29 दिसम्बर सन 1822 का पत्र, जाज क्लाक का फारसी मे मिर्जामल को लिखा दिनाक 26 नवबर, 1834 का पत्र, मुकाम हासी के कलेक्टर का फारसी मे मिर्जामल को लिखा दिनाक 4 दिसम्बर, 1829 का पत्र, मरु श्री, जुलाई दिसम्बर 1981, पृ० 52 53

55 अजमेर के ब्रिटिश कमाण्डर सर डेविड आक्टरलोनी का दिनाक 10 अक्टूबर, 1814 का पत्र (नगर श्री चुरू)

56 हैमिल्टन का सर डेविड आक्टरलोनी को दिनाक 1 अक्टूबर 1819 का लिखा पत्र, ट्रेवेलियन की ओर से लिखा गया पत्र, 20 जनवरी सन् 1831, पातेदार सग्रह के फारसी कागजात पृ० 60

57 मि० गोहिण्डस का सेठ गुरुमुखराय के लिए दिनाक मई 1850 का परिचय पत्र (नगर श्री, चुरू)

58 गुरमुखराय के लिए लिखा गया अग्रेज अधिकारी का परिचय पत्र, मई 1850, 22 माच सन 1880 (नगर श्री चूरू)

59 अम्बाला से ब्रिटिश कमाण्डर का अजमेर स्थित एजेण्ट मि० लोलोण्ड को 12 नवम्बर 1848 का परिचय पत्र (नगर श्री, चुरू), मरु श्री (मुनीम गुमाश्ता विशेपाक), जुलाई दिसम्बर 1981, पृ० 39 50

60 बीकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृ० 765 766, विद्यालकार सत्यदेव—एक आदश समत्व योगी, पृ० 63-64, भण्डारी—अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 449 451, मादी, बालचन्द—देश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 515

61 राजपूताना एड अजमेर लिस्ट ऑफ रूलिंग प्रि सेज, चीफ्स् एड लीडिंग परसोनेज, 1931, पृ० 56, ओझा, गौरीशकर हीराचद—बीकानर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग) पृ० 766

62 बीकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृ० 765 766

63 फॉरेन एण्ड पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1911-14, न० एफ IV 123, पृ० 1 (रा० रा० अ०)

64 सेठ गोवद्धनदास मोहता को 'ओ०बी०ई०' की उपाधि भी प्राप्त थी। विद्यालकार सत्यकेतु—एक आदश समत्व योगी, पृ० 55-56

65 बीकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृ० 765

66 भडारी—अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 449

67 बीकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृ० 767

68 सेठ कस्तूरचद डागा अग्रेजी भारत का प्रतिष्ठित नागरिक होने के कारण दिल्ली दरबार मे आमत्रित था। हिस्टोरिकल रिकाड ऑफ दी इम्पीरियल विजिट टू इडिया, 1911 (1914), पृ० 114, 313, 355

अध्याय 5

राज्यो के शासको का व्यापारी वर्ग के साथ सबध और व्यापारियो का प्रभावशाली वर्ग के रूप मे विकास

18वी सदी म राज्य के शासक इस बात का प्रयत्न करत थे कि अधिक से-अधिक व्यापारिया का अपन राज्य म वाणिज्य व्यापार के लिए आमन्त्रित कर। उन्हे वाणिज्य व्यापार के लिए अनेक सुविधाए दिया करते थ। बाहर स आय व्यापारिया को जगात म आधी व चौथाई की छूट तथा नि सकोच व्यापार को प्रोत्साहन दन का उल्लख मिलता है। 1767 ई० मे रूपनगर के मुहणोत दबीचन्द, हरिसिह, गजसिह, सूरतसिह, बाघसिह व आसकरण, भवरशिवदान खुशालचन्द श्रीचन्द तथा मोहते जयचन्द कुशलचन्द को राज्य मे अपना वाणिज्य व्यापार खोलने पर जगात म आधी माफी व व्यापार म किसी प्रकार की रुकावट न डालने का आश्वासन दिया गया था।[1] 1769 ई० मे जाजू बीरबल साह मेघराजाणी, हरिदास को नोहर वरेणी म, 1772 ई० म बिलाडे के कटारिया मनोहरदास गिरधरदासाणी व रामचन्द्र सुखाणी तथा 1773 ई० म जयपुर के कुछ व्यापारियो को राज्य के विभिन्न भागा मे अपना वाणिज्य व्यापार खोलने पर जगात म आधी छूट का परवाना दिया गया।[2] इसी भाति 1776 ई० व 1785 ई० क्रमश किशनगढ के मुहणोत फकीरदास बुधराम, मुहणोत थानसिह साभासिह तथा मुशी शिवदास को राज्य मे व्यापार करने के उपलक्ष्य म जगात मे आधी छूट के परवाने दिय गये। कागद बही बीकानेर से पता चलता हे कि सन् 1820 म बीकानेर के तत्कालीन शासक ने दिल्ली के सेठ हरनारायण जगन्नाथ को बीकानेर म अपना वाणिज्य व्यापार करने पर अनेक प्रकार की छूट प्रदान की।[3] व्यापारियो का अपने राज्य म आकर्षित करने का मुख्य उद्देश्य व्यापारी शुल्को से प्राप्त आय से राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदढ करना था। कभी कभी राज्य मे नये-नये नगरो की स्थापना करने के पश्चात शासक उन नगरा को व्यापारिया को सौप दिया करता था। वह व्यक्ति अपने रिश्तेदारो को वहा लाकर बसाता हो था साथ ही अन्य जाति के लोगो को भी बाहर से लाकर वहा बसाया करता था। व्यापारियो को नये कस्बो के प्रति आकर्षित करने क लिए उन्ह वहा जगात म आधी छूट, रहने व कृषि करने हेतु नि शुल्क आवासीय एव कृषि भूमि दी जाती थी।[4] जिस व्यक्ति पर कस्बे को बसान की जिम्मेदारी डाली जाती थी वह उस कस्बे का मुखिया होता था जो समय समय पर राज्य के शासक द्वारा बदल भी दिया जाता था। 1785 ई० के एक परवाने से ज्ञात होता है कि बीकानेर के शासक गजसिह ने जब गजसिहपुरा कस्बा बसाया तब उसे आबाद करने का उत्तरदायित्व मोहता जैतरूप को सौंप दिया। परवाने म उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वह वहा साहूकारा का लाकर तो बसायगा ही बल्कि राजपूत व अन्य जाति के लोगो को भी बाहर से लाकर बसायगा।[5] 1796 ई० मे महाराजा सूरतसिह ने गजसिहपुरे को आबाद करने का काय मोहता जैतरूप स लेकर उसे साह मुकनदास रामपुरिये को सौंप दिया।[6] धीरे धीरे राज्य के शासक व्यापारी वग के लोगो को कस्बा तथा गावो के चौधरी के पद पर नियुक्त करने लगे। वह ग्राम अथवा कस्बे का मुखिया होन के साथ सरकारी कमचारी की श्रेणी म आता था। वह नगर के लोगा से भू राजस्व व अन्य शुल्क वसूल करके राज्य म जमा करवाता था।[7] इसके

लम्य म उसे भू राजस्व म पचोत्तरा वसूल करने का अधिकार होता था। राज्य के अधिकाश प्रमुख नगरा व चौधरी व्यापारी ही होत थे। यह परम्परा राज्य म उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध तक प्रचलित थी। महाराजा डूगरसिंह ने सेठ नन्दराम को रतननगर कस्बे का चौधरी नियुक्त किया। सेठ नन्दराम ने अपन प्रयत्न से बहत्तर परिवारो को रतननगर कस्बे मे लाकर बसाया। इसी प्रकार 1876 ई० म राज्य के शासक न सेठिये सुन्दर कुभाणी व बोथरे मेले पदमाणी नामक व्यापारियो को शिवाडी नामक कस्बे का चौधरी नियुक्त किया।[9] सुजानगढ व भादरा कस्वो के चौधरी क्रमश कठोतिया व सराफ व्यापारिक घरानो के लोग थे।[10] राज्य के अन्य मुख्य कस्वो डूगरगढ, सरदार शहर, रतनगढ, राजलदेसर आदि के चौधरियो का भी इसी भाति इतिहास रहा है।[11]

शासक व व्यापारी वग के मध्य उपरोक्त आर्थिक व सामाजिक सबधो म उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध व 20वी सदी क आरम्भ म काफी परिवतन हो गया। निष्क्रमण पश्चात भारत म अपना वाणिज्य व्यापार फैलाने तथा अग्रेजी सरक्षण मिलने स इन व्यापारियो की आर्थिक स्थिति अत्यधिक सुदृढ हो गई। जब वे राज्य के शासक को युद्ध अथवा राज्य क आन्तरिक उपद्रव दबान म राज्य कोप मे हुए घाटे की पूर्ति करने, राज्य की योजनाओ (विशेष रूप से रेल विस्तार व नहर निर्माण) म होने वाले खच आदि की पूर्ति हेतु धन दे सकते थे। महाराजा सूरतसिंह के समय (1787-1828 ई० मे) म बीकानेर राज्य मे सामन्तो के विद्रोहो और जोधपुर के साथ लडाइयो मे राज्य को अत्यधिक आर्थिक हानि हुई।[12] इस लिए महाराजा सूरतसिंह ने राज्य एव बाहर के व्यापारियो स रुपया उधार लिया। 1827 ई० म चूरू के व्यापारी सेठ मिर्जामल पोतेदार व पुरोहित हरसाल न महाराजा सूरतसिंह का चार लाख एक रुपया उधार दिया। इसके बदले म महाराजा ने इन रुपयो के पेटे हुण्डी लिखकर राज्य की आय के प्रमुख स्रोत सेठ मिर्जामल पोतदार के लिए आरक्षित कर दिया।[13] सेठ सुगमचन्द ने भी महाराजा सूरतसिंह को एक लाख रुपया उधार दिया।[14] महाराजा सूरतसिंह की मृत्यु के पश्चात् महाराजा रत्नसिंह ने जैसलमेर के एक पटवी साहूकार से तीन लाख व रेणी के सेठ शिवजीराम चाचाण से दस हजार आठ सौ रुपय उधार लिये। चिट्ठा व खत बही, बीकानेर स पता लगता है कि महाराजा ने पोतदार हरसामल गुरसामल स भी रुपया उधार लिया था।[15] महाराजा सरदारसिंह ने सेठ अगरचन्द गोलछा से बीस हजार व सेठ अबीरचन्द डागा स पचास हजार रुपया उधार लिया।[16] महाराजा डूगरसिंह के शासन काल (1827 1887 ई०) मे राज्य पर व्यापारियो का ऋण 39, 63, 987 रुपया के लगभग था।[17]

महाराजा डूगरसिंह की मृत्यु के पश्चात् महाराजा गगासिंह के समय मे राज्य म रेल विस्तार व नहर निर्माण आरम्भ हुआ। इन योजनाओ को पूरा करने के लिए राज्य के शासक को व्यापारियो का सहयोग मागना पडा। 1903 ई० म जब राज्य को रेल विस्तार के लिए धन की आवश्यकता हुई, उस समय सेठ कस्तूर चन्द न डागा तीन लाख छियालीस हजार रुपया राज्य के शासक को ऋण दिया।[18] सन 1924 ई० मे गगनहर एव रेल विस्तार के लिए पुन धन की आवश्यकता हुई। इसके लिए जारी किये गय बीकानेर गवनमेट लोन' म राज्य के व्यापारियो ने खुलकर धन का विनियोग किया। व्यापारियो ने कुल मिलाकर 18,96,850 रुपयो के तीन वर्षीय बॉण्ड खरीदे।[19] इसके पाच वष बाद सन 1929 ई० म राज्य के 'बीकानर स्टेट पब्लिक लोन' पुन जारी किया। इस समय फिर राज्य के व्यापारियो न 25,63 000 रुपयो के बाण्ड खरीदकर राज्य की सहायता की।[20] शासक ने बडी बडी रकमे दन वाले व्यापारियो की आर्थिक सहायता से प्रसन्न होकर 'खास रुक्के' दिये जो आज भी उनके वशजो के यहा सुरक्षित ह।[21] इसी भाति प्रथम महायुद्ध के बाद राज्य के माध्यम से 'वार लोन' बाण्डो मे धन लगान की समस्या आई। उस समय राज्य के शासक की ओर से व्यापारियो स वार बॉण्ड खरीदन के लिए आग्रह किया गया। राज्य के प्राय सभी छोटे बडे व्यापारियो ने थोडा अधिक धन युद्ध बाण्ड खरीदन म लगाया।[22] युद्ध बॉण्डो मे सर्वाधिक खच करने वाले व्यापारियो मे सरदार शहर के सेठ चैनरूप सम्पतराम दूगड, बीकानेर के सेठ जयनारायण डागा, सुजानगढ के थानमल रामपुरिया व चूरू के सेठ केशरीचन्द कोठारी तथा सागरमल के नाम उल्लेखनीय थे।[23]

जिस प्रकार मे राज्य का व्यापारिक वग राज्य के शासक की आर्थिक सहायता व विकास योजनाओ म धन लगा

रहा था। उसी प्रकार व लोग राज्य के निष्क्रिय पडे धन को अपने वाणिज्य व्यापार मे लगाकर राज्य की आय बढाने म का महयोग दे रहे थे। राज्य म महाराजा गगासिंह के शासन काल म अनेक फण्ड (कोष) अस्तित्व म आये जिनम समय समय पर विभिन्न स्रोतो से धन जमा होता रहता था। पहले इन फण्डो मे पडा धन निष्क्रिय ही रहता था परन्तु बाद में उस क्रियाशील बनाने हेतु राज्य के प्रमुख व्यापारियो को सौंप दिया जाता था। व्यापारी उस धन का उपयोग अपने व्यापार म लगाकर करता तथा आवश्यक व्याज डालकर फण्ड की राशि म वद्धि करता रहता। सेठ चादमल ढड्ढा के पास राज्य के टम्पल फण्ड के 34,996 रुपये च द्र फण्ड गगारिसाले मे 37,2 3 रुपये, मेडिकल चरिटी फड के 2,977 रुपये सिविल आफिसर फड के 508 रुपये व आटलरी फड के 22 रुपये जमा थे।[21] इसी प्रकार राज्य के खजाने म रेलवे से प्राप्त दैनिक आय एकत्र होती रहती थी। उस पर व्याज अर्जित करने की दृष्टि स राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख व्यापारियों को वह राशि जमा करवानी आरभ कर दी जिसस जितने समय वह रकम व्यापारियो के यहा रहे उस पर व्याज मिलता रहे। राज्य के जिन व्यापारियो के यहा रकम जमा होनी थी उनम सेठ शिवरतन मोहता, सेठ चादमल ढढा, सेठ मगनलाल कोठारी सेठ केदारनाथ डागा, सेठ रामकृष्ण मदनगोपाल वागडी, सेठ आनन्दरूप, नरसिंह दास, सुखानन्ददास डागा, सेठ किशनचन्द भैरूदान सौभागमल सेठ चादमल तोलाराम, सेठ चौथमल अमोलकचन्द, सेठ फतहचन्द चतमल, सेठ नरसिंह साह मदनगोपाल सेठ सादुलसिंह बहादुरचन्द, भीखमचन्द सुखदव वागडी के नाम उल्लेखनीय हैं।[25] व्यापारियो की इस उपयोगिता को ध्यान म रखकर सन् 1921 ई० म राज्य के शासक ने अपने यहा के जिला कोषागारो की जिम्मेदारी भी जिलो के प्रमुख व्यापारियो को सौप दी। इससे कुछ व्यापारियो को जिला कोषाधिकारी बनाया गया।[26] जिला म जमा होने वाला राज्य का धन अब जिला कोषागारो म जमा न होकर व्यापारिक कोषाधिकारी की फम म जमा होने लगा। व्यापारिक कोषाधिकारी समय पर सरकारी धन को राज्य के मुख्य कोषागार मे जमा करवा देता था। सेठ पनचन्द सिंघी को सुजानगढ का कोषाधिकारी और सेठ केदारनाथ को सूरतगढ का कोषाधिकारी बनाया गया। राजगढ के प्रसिद्ध व्यापारी बजरगदास टीकमाणी को राजगढ का कोषाधिकारी नियुक्त किया गया।[27]

महाराजा गगासिंह एव उसके पूर्व के शासकों ने प्रतिष्ठित व्यापारियो की हवेलियो पर शादी विवाह अथवा मातमपुर्सी के समय भेट स्वरूप धन की थैलिया प्राप्त करने की परम्परा आरम्भ की। व्यापारियो के यहा यह प्रथा प्रचलित थी कि महाराजा के घर पर जाने पर उन्ह रुपये पैसा की बनी चौकी पर बिठलाया जाता था तथा चौकी म लगे धन को महाराजा को नजराने की भेंट स्वरूप दिया जाता था।[28] सवत 1817 मे साह मूलचन्द ने बीकानेर शासक को उसके घर आने पर 10 हजार रुपये नजर किये। सवत 1892 मे राज्य के शासक रत्नसिंह को सेठ जोरावरमल बहादुरमल ने अपने यहा बुलाकर 10 हजार नागौर के अखैसाही रुपयो की चौकी बनाकर उस पर बिठलाया। सवत 1921 मे सेठ अबार चन्द डागा ने शासक को बिठाने के लिए 21 हजार रुपयो की चौकी बनाई और सवत् 1955 मे बीकानेर के ही सेठ सार गाणी चादमल ने राज्य के शासक को 11 हजार रुपयो की चौकी बनाकर उस पर बिठलाया। इनके अतिरिक्त सवत 1909 म सेठ माणकचन्द गोलछे के यहा भोजन करने व सेठ सुमेरमल उदयमल यहा मातमपुर्सी पर जाने पर राज्य के शासक को इन सेठो ने नजराने के रूप म काफी बडी बडी धनराशिया भेंट की। महाराजा गगासिंह के सेठ विश्वेसरदास डागा के घर मातमपुर्सी पर जाने पर 51 हजार रुपये सेठ निहालचद के यहा जाने पर 15,151 रुपये भेट किये। सेठ साहूकारो के घर भोजन करने एव किसी की मृत्यु होने पर उसके घर मातमपुर्सी के लिए जाने के साथ सेठ साहूकारो को विभिन्न प्रकार की इज्जत बख्शी कर भी उनसे धन प्राप्त कर लेता था। महाराजा गगासिंह ने सरदार शहर के सम्पतराम दूगड बीकानेर के सेठ सेंसकरण सावणसुखा, पूनमचन्द सावणसुखा, चूरू के रामरिखदास अग्रवाल व सरदारशहर के भहलान भसाली आदि को इज्जत के परवाने देकर धनराशिया प्राप्त की।[29] इसके अतिरिक्त किसी काय के सम्पन्न करवाने म धन की आवश्यकता पडने पर महाराजा प्रमुख व्यापारियो की एक सभा बुलाता और काय सम्पन्न होने मे आर्थिक खच के भार को उठाने का आह्वान करता। इस पर अनेक व्यापारी आर्थिक भार उठाने को तैयार हो जाते थे। राज्य म सेठ किशनदास दम्माणी के पाच पुत्र इस प्रकार के बीडे उठाने म काफी प्रसिद्ध थे।[30] इस समय राज्य म व्यापारियो ने जन कल्याण

कारी कार्यों मे भी भारी धन खर्च करना शुरू कर दिया था जिसकी विस्तृत व्याख्या अलग अध्याय म की गई है। राज्य के शासकों को भारी आर्थिक सहायता देने के फलस्वरूप व्यापारिक वर्ग राज्य मे एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर गया। प्रमुख व्यापारियो को सम्मान एव सुविधाए देन के अतिरिक्त राज्य के प्रमुख प्रशासनिक पदो पर भी नियुक्त किये जाने लगे।

कुछ प्रमुख व्यापारियो को विशिष्ट अधिकार भी उपलब्ध थे। न्यायिक क्षेत्र म महाराजा सूरतसिंह ने अपने एक इकरारनाम म चूरू के सेठ मिजामल पोतेदार को यह विशेषाधिकार प्रदान किया कि अगर वह खून करने जैसे तीन गभीर अपराध भी कर देगा तो उसको स्वय को तथा उसके उत्तराधिकारियो को राज्य की ओर से कोई दण्ड नही दिया जायेगा।[31] राज्य के शासक ने अनेक व्यापारियो को अपने नौकर चाकरो से निपटन के लिए दीवानी व फौजदारी के अधिकार दिये। बीकानर के व्यापारी सेठ उदयमल ढढढा को अपने नौकर चाकरा से निपटन के लिए राज्य की ओर से दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त थे।[32] चूरू के सेठ मिजामल को यह विशेषाधिकार प्राप्त था कि अगर उसकी हवेली मे राज्य का कोई अपराधी शरण प्राप्त कर लेगा तो उसे पकडा नही जायेगा। पोद्दार सग्रह मे तो अनक एस प्रलेख देखने को मिलते है जिनम अपराधी ही नही राज्य के प्रतिष्ठित साहूकार व बडे अधिकारी जिनसे राज्य का शासक जबरदस्ती स धन वसूल करना चाहता था तथा वाछित धन राशि न मिलने पर उन्हे जेल मे डाल देता अथवा मारपीट करवाता था, से बचने के लिए मिजामल पोद्दार से सबधित ठिकानो मे शरण प्राप्त कर लिया करत थे। शरण लेने पर राज्य अधिकारी उनको तग नही कर सकते थे। क्योंकि मिजामल पोद्दार को जहा राज्य की तरफ से शरण देने का विशेषाधिकार प्राप्त था, वही वह इतना प्रभावशाली साहूकार था कि राज्य अधिकारी तो क्या राज्य का शासक भी उसकी बात मानन स इनकार करने की हिम्मत नही रखता था।[33] बीकानर के अनेक व्यापारियो को राज्य मे किसी भी दीवानी और फौजदारी मामला म न्यायालया म उपस्थित न होन की छूट थी। सेठ सम्पतमल बुधमल दूगड को पुश्तैनी रूप से, सेठ ईश्वरचद चौपडा व सेठ सोहनलाल बाठिया को व्यक्तिगत रूप से राज्य की दीवानी व कानूनी न्यायालया मे उपस्थित न होने की छूट थी।[34]

न्यायिक विशेषाधिकारा के अतिरिक्त राज्य के व्यापारियो को वाणिज्य व्यापार सबधी अनेक विशेषाधिकार एव सुविधाए प्राप्त थी। राज्य के बाहर सेठ मिर्जामल, चैनरूप, सम्पतराम दूगड व कस्तूरचन्द डागा आदि प्रमुख व्यापारियो को यह विशेषाधिकार प्राप्त था कि यदि उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानो म काम करने वाले मुनीम व गुमाश्त रुपयो के मामलो म यदि किसी प्रकार बेईमानी कर लेते तो व्यापारियो के कहे अनुसार राज्य का शासक उन मुनीम व गुमाश्तो से गबन की हुई रकम वापस दिलवाता था।[35] राज्य के कुछ व्यापारिया को जगात शुल्क व उसके लिए की जाने वाली तलाशी दोना से ही छूट मिली हुई थी। जगात अधिकारी एसे व्यापारियो द्वारा किये जाने वाले आयात निर्यात माल का निरीक्षण मूल्याकन एव उस पर शुल्क वसूल नही कर सकता था। जगात मे पूर्ण माफी का अधिकार पाने वालो मे सेठ कस्तूरचन्द डागा सम्पतराम दूगड व सेठ थानमल मुहनोत आदि मुख्य व्यक्ति थे।[36] सेठ शिवबक्स बागला व सेठ मगलराम फूलचन्द टीकमाणी को जगात वसूल करने मे होने वाली तलाशी माफ थी।[37] कुछ व्यापारियो को गुमाश्ता और नौकरो पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। ऐसे व्यापारियो की अपने गुमाश्तो और नौकरो की किसी प्रकार की शिकायत पर कोई ध्यान नही जा सकता था। चूरू के सेठ मिर्जामल पोतेदार को यह अधिकार प्राप्त था। वह चाहता था कि उसका कोई भी गुमाश्ता खयानत या अन्य किसी प्रकार की गडबडी करने पर सरकारी हस्तक्षेप के कारण बच न जाये। अत उसने राज्य के शासक स इस आशय के अधिकार प्राप्त कर लिये थे कि वह अपने गुमाश्तो से स्वय सलटे, राज्य की ओर से उन दोना के बीच हस्तक्षेप नही होगा। महाराजा सूरतसिंह और उसकी मृत्यु के बाद महाराजा रतनसिंह ने सेठ मिर्जामल पोद्दार व हर भगत के नाम इस आशय के अनेक इकरारनामे, परवाने व खास रुक्के जारी किये थे।[38] राज्य के शासक को रुपया उधार देने वाले व्यापारी का राज्य की आमदनी के कुछ स्रोतो पर अधिकार दे दिया जाता था जैसे महाराजा सूरतसिंह न पोतदार मिर्जामल व पुरोहित हरलाल स चार लाख रुपया उधार लेने के बाद राज्य की आमदनी के अनेक महत्त्वपूर्ण स्रोत उसके हवाले कर दिये जो रुपया उतरने तक उसके पास ही रहे।[39]

सामाजिक क्षेत्र म भी राज्य के व्यापारिया को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हो गये। राज्य के शासकों ने समय-

समय पर व्यापारी वर्ग के प्रमुख लोगो का 'बैठक का कुरब' (समीप बैठने का अधिकार) प्रदान कर सम्मानित किया। ऐसे व्यापारी राज्य के शासक के सिहासन के ठीक पीछे निकटतम प्रतिष्ठित चार कुर्सिया पर बैठने के अधिकारी हो जाते थे। राज्य मे महाराणा सरदारसिंह ने उदयमल ढडढा व उसके भाई को, महाराजा डूगरसिंह से सेठ कस्तूरचन्द डागा को महाराजा गगासिंह ने सेठ सम्पतराम दूगड, चादमल ढड्ढा व सेठ विश्वेसरदास डागा को बैठक का कुरब' दिया हुआ था।[40] व्यापारियो को सिरोपाव (सम्मानसूचक पोशाक) से सम्मानित करने की परम्परा थी। सेठ मिर्जामल के बीकानेर आने पर महाराजा सूरतसिंह ने उसे सिरोपाव के रूप मे सात सौ रुपयो का सिरपेंच, एक हजार सात सौ रुपया का एक दुशाला भेंट किया। मिर्जामल पोद्दार सग्रह के प्रलेखो से ज्ञात होता है कि राज्य के शासक बडे बडे व्यापारियो का ही नहीं, वरन गुमाश्तो और मुनीमो को भी सिरोपाव आदि से सम्मानित करते थे। सवत 1884 मे महाराजा सूरतसिंह ने मिर्जामल के साथ आये उसके गुमाश्ते मिघाणिय मिरजा, नाथूराम, जिदाराम, हरजीमल व शिवजी राम मजी को बख्शीशें देकर सम्मानित किया। राज्य के डागा दूगड घराना के लोगो को भी राज्य के शासको ने समय-समय पर सिरोपाव से सम्मानित किया।[41] राज्य के अनेक व्यापारियो को 'ताजीम' का सम्मान भी मिला हुआ था। ताजीम (विशिष्ट प्रकार का आभूषण परिधान आदि) प्राप्त व्यक्तियो मे सेठ चादमल ढडढा, कस्तूरचन्द डागा, भैरूदान भसाली, विश्वेसरदास डागा, पूरनचद भसाली, सेठ बन्शीराम नरसिहदास व रामनाथ डागा मुख्य व्यक्ति थे।[42] राज्य का शासक व्यापारियो को सम्मानार्थ स्वर्णाभरण (पुरुषो को स्वर्ण निर्मित कडा व स्त्रियो को स्वर्णाभूषण पैरो तक पहनने) की अनुमति दिया करता था। सेठ उदयमल ढडढा, कस्तूरचन्द डागा, सम्पतराम दूगड भैरूदान भसाली, पूरणचद भसाली गणपतराय केदारनाथ फतपुरिया व सेठ पन्नालाल आदि को सोने का कडा व स्त्रियो को सोने का कडा पैरो मे पहनने का अधिकार मिला हुआ था। इन लोगो को सोना पहनने का यह अधिकार पुश्तैनी रूप से मिला था।[43] व्यक्तिगत रूप मे सोने का कडा पहनने का अधिकार तो राज्य के अनेक व्यक्तियो को प्राप्त था। इसी भाति राज्य का शासक व्यापारियो को सोने की छडी व चादी की चपरास रखने का सम्मान दिया करता था। सेठ सम्पतराम दूगड, उदयमल ढडढा व सेठ कस्तूरचद डागा के घराना के व्यक्तियो के साथ सेठ पूरनचन्द भसाली पन्नालाल वैद भैरूदान भसाली, हजारीमल दूधवेवाला, बदरीदास डागा चिरजीलाल बाजोरिया, ईसरचद चोपडा मदनगोपाल दम्माणी सूरजमल वशीधर जालान, धानमल मुन्नोत, नरसिह डागा रामनाथ डागा, मथुरादास मोहता व सेठ गोकुलदास सूरिया को क्रमश सोने की छडी व चांदी की चपरास तथा केवल सोने की छडी रखने का सम्मान प्राप्त था।[44] राज्य के अनेक व्यापारियो को खास रुक्का (समय समय पर सम्मान प्रदान करते हुए शासको की मोहर से अंकित पत्र) प्राप्त करने का व कपिलत लिखने का अधिकार मिला हुआ था। ये दोनो सम्मान राज्य के प्राय सभी प्रतिष्ठित व्यापारी घरानो को प्राप्त थे।[45] राज्य के शासक ने अनेक व्यापारियो को बेगार की माफी भी दी हुई थी। महाराजा डूगरसिंह ने सेठ कस्तूरचन्द को यह अधिकार प्रदान किया कि उनके यहां मकान बनाने के लिए जो कारीगर व मजदूर काम करेंगे उन्हें राज्य की ओर से बेगार के लिए नहीं बुलाया जायगा। सेठ सम्पतराम दूगड को इसी सम्मान के अन्तर्गत राज्य मे भी उनके यहां उपस्थित गाडी व भारवाही पशु जैसे ऊट, घोडे आदि बेगार मे नहीं लिए जा सकते थे।[46] सेठ चादमल, सेठ कस्तूरचन्द डागा व उनके पुत्र को सवारी पर बैठकर किले मे सिंहपोल तक जाने का विशेषाधिकार प्राप्त था।[47] सेठ सम्पतराम चादमल ढडढा व सेठ कस्तूरचन्द डागा व उनके पुत्र राज्य मे चार पाटो की बग्घी मे बैठने के अधिकारी थे।[48] राज्य का शासक समय-समय पर व्यापारियो को सम्मानार्थ उपाधियां भी दिया करता था। महाराजा डूगरसिंह ने सेठ उदयमल ढडढा व उनके भाई को सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था।[49] महाराजा गगासिंह ने सेठ शिवरतन डागा को व्यक्तिगत रूप से 'राजा' की उपाधि प्रदान की थी। महाराजा गगासिंह ने ही राज्य के अनेक [illegible] को अपने राज्य मे आने [illegible] का विशेषाधिकार दिया था।[50] राज्य के अनेक व्यापारी घरानो के [illegible] को राज्य के शासको ने अपने निजी महोत्सवो मे सम्मिलित किया और उनके घर जाकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। [illegible] (भोजन करने) [illegible] और [illegible] निजी महोत्सवो मे सम्मिलित किया। [illegible] किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शासक स्वयं उनके घर मातमपुर्सी के लिए [illegible]

करता था। सेठ कस्तूरचन्द डागा की मृत्यु के बाद महाराजा गगासिंह उसके पुत्र सेठ विश्वेसरदास डागा के यहा मातमपुर्सी के लिए गया था।[51] मातमपुर्सी का यह सम्मान राज्य के अन्य प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना को भी प्राप्त था।

राज्य के शासक व्यापारिक वर्ग के लोगो को जिस प्रकार से सम्मान एव सुविधाए दे रहे थे उसी प्रकार से उन्हें राज्य के महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पदो पर भी नियुक्त करने लगे थे। इनमें मानार्थ मजिस्ट्रेट जस्टिस आफ पीस, जिला कोषाधिकारी, महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक समितियो के सदस्य, नगरपालिकाओ के अध्यक्ष एव सदस्य, राज्य सभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्य आदि के पद उल्लेखनीय थे।

बीकानेर राज्य म सर्वप्रथम जनसाधारण को न्याय दिलाने के लिए सन 1885 ई० मे 'स्माल काज कोर्ट' की स्थापना की गई थी। इनमे नाजिम न्यायाधीश के रूप म फैसले दिया करता था। धीरे धीरे राज्य म मुकदमो की सख्या बढने लगी तब राज्य म भी आनरेरी मजिस्ट्रेटो के न्यायालयो को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रारम्भ म राज्य मे मजिस्ट्रेट केवल राजधानी म नियुक्त किये गये तथा कस्बो मे आनरेरी बोर्ड बनाये गये। 1894 ई० म जो दो आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये वे दोना ही व्यापारी थे। इनके नाम सेठ राधाकृष्ण डागा व सेठ सुगनचद दम्माणी थे। इन लोगो को दो सौ रुपये तक के मामला की सुनवाई का अधिकार था और अगर दोना पक्ष आपस मे सहमत हो जाते तो पाच हजार रुपयो से सम्बधित मामला की भी सुनवाई कर सकते थे। फौजदारी के मामलो मे उन्हें द्वितीय श्रेणी तहसीलदार के अधिकार प्राप्त थे।[52] इसी समय राज्य के चूरू व नोहर कस्बो मे क्रमश सेठ भगवानदास बागला व सेठ जगन्नाथ थिरानी को आनररी बार्डो म आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।[53] राज्य मे अन्य व्यापारिया को जसे प्रतापचद बाठिया, अमरचद दुजारी, लूणकरण दस्साणी, पूनमचद कोठारी, मक्खनलाल दम्माणी भैरूदान सेठिया, लहरचद सेठिया, रूपचद सरावगी छोटूलाल मोहता, सिरेहमल सिराहिया, मथुरादास डागा, चम्पालाल बाठिया व सेठ शिवरतन मोहता अनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया।[54] राज्य की प्रमुख निजामतो मे जिन व्यापारिया को आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया उनम सेठ मालचद कोठारी, शुभकरण सुराणा, दानमल चोपडा, श्रीचन्द सेठिया व मोहनलाल कठोतिया के नाम उल्लेखनीय थे।[55] आनरेरी मजिस्ट्रेटो के अतिरिक्त राज्य का शासक व्यापारिया को जस्टिस ऑफ पीस व हाईकोर्ट' की जूरी के सदस्य भी नियुक्त करता था। सेठ शिवरतन मोहता 'जस्टिस ऑफ पीस' व सेठ बीजराज वैद राज्य की ओर से हाईकोर्ट की जूरी नियुक्त किया गया।[56]

सन् 1921 ई० से राज्य म जिला कोषागारो के कोषाधिकारी के पदो पर प्रतिष्ठित व्यापारियो को नियुक्त करना आरम्भ कर दिया गया जहा उन्हें राज्याधिकारियो की भाति सम्मान मिलता था।[57]

राज्य प्रशासन के विभिन्न पक्षो की देखभाल के लिए स्थापित कुछ समितिया के अधिकाश मनोनीत सदस्य राज्य के व्यापारी ही होते थे। राज्य मे मदिरो की देखभाल के लिए जो कमटी बनाई गई थी, उसम सेठ मेघराज बागडी व सेठ रामकृष्ण बागडी को राज्य की ओर से नियुक्त किया गया था।[58] चूरू का सेठ शुभकरण सुराणा राज्य की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रबन्धकारिणी समिति व धार्मिक और धमादा समिति का राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य था।[59] राज्य मे सन 1929 ई० मे ग्रामीण ऋण व बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी हेतु जो बैंकिंग जाच समिति बनाई गई उसम सेठ शिवरतन मोहता व सेठ रामरतनदास बागडी को नियुक्त किया गया।[60] राज्य के शासक महाराजा गगासिंह ने राज्य प्रबध के लिए एक प्रशासनिक सम्मेलन का गठन किया जिसमे राज्य प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिए इसके सदस्यो से विचार विमर्श किया जाता था। उसम सेठ शिवरतन मोहता को व उसकी अनुपस्थिति म सेठ रामगोपाल मोहता का नियुक्त किया।[61] सेठ घेवरचन्द रामपुरिया व रावतमल कोचर, सेठ रामगोपाल मोहता, सेठ चादरतन बागडी, सेठ बदरीदास डागा, विश्वेसरदास डागा व सेठ मदनगोपाल दम्माणी आदि को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक सस्थाओ की प्रबन्ध समितियो का सदस्य मनोनीत किया गया।[62]

बीकानेर राज्य म नगरपालिकाओ की स्थापना काल से ही प्रमुख व्यापारी निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य होते थे तथा कभी कभी वे अध्यक्ष भी बनाये जाते थे।[63] बीकानेर राज्य की राजधानी के अतिरिक्त राज्य के अन्य बडे कस्बो एव नगरो की नगरपालिकाओ म समय-समय पर व्यापारिक वर्ग के लोग चुने गये, उनम से कुछ इस प्रकार हैं—राजगढ

नगरपालिका के सेठ बजरगदास टीकमाणी, तनसुखराय फतपुरिया, राधाकृष्ण माहता, गुरमुखराय लोहारीवाला, डालराम सरावगी रामनारायण टीकमाणी, सुगनाराम गोयनका, मालमल सुराणा व सेठ शिवप्रसाद पसारी, चूरू नगरपालिका—सेठ मूलच द कोठारी, तोलाराम सुराणा, गणपतराय खेमका, सागरमल मन्त्री, चिरजीलाल काठारी, मालच द पारख, पन्नालाल वैद, तिलोकच द सुराणा व शिवबक्शराय गोयनका, सरदारशहर नगरपालिका—सेठ भैरुदान भसाली, रावतमल पींचा, भैरुदान पीचा सुजानमल बरडिया, चम्पालाल दूगड, शिवनारायण अग्रवाल, गिरधरलाल टाटिया, कन्हैयालाल करनाणी बुधमल पीचाव, रामनारायण मूधडा, रतनगढ नगरपालिका—सेठ जवाहरमल अग्रवाल, जेठमल नवलगढिया, हनूतमल अग्रवाल केदारबक्श अग्रवाल, घनश्यामदास अग्रवाल मालच द ओसवाल, मेघराज ओसवाल व सेठ विलासराय तापड़िया सुजानगढ नगरपालिका—सेठ पनेचद सिघी, जीवराज कठोतिया जीवनमल लोढा, रामकृष्ण अग्रवाल, सुखदवदास जाजोदिया, चादमल मूधडा बख्तावरमल माहेश्वरी व सेठ रामधन सरावगी, सूरतगढ नगरपालिका—सेठ सूरजमल सरावगी और गगाविशन सारडा हनुमानगढ नगरपालिका—सठ गिरधरलाल बियानी आदि। प्रत्येक नगरपालिका के इन्ही सदस्यो म एक एक सदस्य राज्य की प्रमुख विधान निर्माण करन वाली राज्यसभा के लिए भी चुने जाते थे।

महाराजा गगासिह ने सन् 1911 मे राज्य म लेजिस्लेटिव असेम्बली की स्थापना की। राज्य के बड-बडे व्यापारिया को ही मनोनीत सदस्यो के रूप मे नियुक्त किया गया। राज्यसभा मे ये व्यापारी लाग वाद विवाद म भाग लिया करते तथा इसकी प्राय सभी उप समितियो म गम्भीरता से विचार विमश किया करते थे। लेजिस्लेटिव असेम्बली (राज्यसभा) के समय समय पर जा व्यापारी लोग सदस्य रहे उनम सन 1913 ई० मे सठ कस्तूरच द डागा, चादमल ढड्ढा, रामरतनदास बागडी जगन्नाथ थिरानी, तोलाराम सुराणा व सेठ साहिबराम सराफ, सन् 1914 ई० म सेठ रामचन्द्र मन्त्री, भैरुदान छाजडा, सन् 1916 ई० मे सठ जवाहिरमल खेमका, सन् 1917 ई० म सेठ शिवरतन मोहता, रामप्रसाद जाजोदिया, गणशदास गदय्या, गुरमुखराय लाहारीवाला, दौलतराम भण्डारी व सठ लक्ष्मीच द नाहटा, सन् 1920 ई० मे सठ सीताराम मूधडा व हजारीमल दूधववाला सन् 1921 ई० मे सेठ पनेच द सिघी, बजरगदास टीकमाणी व सेठ हरकच द भादानी, सन् 1923 ई० मे सेठ फूसराज दूगड व सेठ मूलच द कोठारी, सन 1927 ई० म सेठ विश्वेसरदास डागा व रामलाल नाहटा, सन् 1928 ई० म सठ राधाकृष्ण मोहता, सन 1929 ई० मे सेठ शुभकरण सुराणा, मदनगोपाल दम्माणी, भालचन्द कोठारी, पूनमच द नाहटा, सूरजमल अग्रवाल व सठ आईदान हिसारिया, सन् 1934 ई० मे सेठ माणकच द नेवर, चन्नीलाल चोपडा कानीराम बाठिया, दवकिशन दम्माणी, भैरुदान सेठिया, आन दमल श्रीमाल, विलासराय तापडिया, सठ रामनारायण टीकमाणी सन 1935 ई० मे सोहनलाल, सन् 1937 ई० म सेठ कालूराम मत्री, सन् 1938 ई० म सठ चम्पालाल काठारी विरधीचन्द करवा, मोहनलाल वैद, दानमल चोपडा, सूरजमल सरावगी, सठ लहरच द सठिया, सन 1940 ई० म सठ भवरलाल रामपुरिया रामगोपाल मोहता, मूलच द भीमाणी चादरतन बागडी, ईसरदास चोपडा, चम्पालाल बाठिया श्रीच द सुराणा, सूरजमल मोहता, सुमरमल मोहता, सुमरमल दूगड, बिरधीच द गदहैया, आशाराम सवर, वशीधर जालान, पूनमच द वैद जैसराज कठातिया व सठ रगलाल बागडिया आदि के नाम उल्लेखनीय थे।[64]

1943 ई० म महाराजा शादूलसिह के राज्य मन्त्रिमडल म दो प्रतिष्ठित व्यापारिया का मत्री नियुक्त किया गया। रायबहादुर सेठ शिवरतन माहता को सिविल सप्लाई मत्री तथा सेठ सन्तोपच द बरडिया को लोकल सैल्फ व स्वास्थ्य मत्रालय का भार सौंपा गया।

राज्य के व्यापारी वग का प्रभावशाली वग के रूप मे विकास

उन्नीसवी सदी क उत्तराद्ध म राज्य का व्यापारिक वग भारत एव बीकानर राज्य म सम्मान व सुविधाए प्राप्त कर प्रशासन के महत्वपूण पदो पर आसीन होकर एक प्रभावशाली वग क रूप म उभरने लगा। 20वी सदी क आरम्भ हाने तक राज्य म यह वग इतना प्रभावशाली हो गया कि राज्य का शासक इस बात का ध्यान रखता कि उसकी किसी भी कायवाही स व्यापारिक वग क लोग रुष्ट न हो। अगर राज्य का शासक व्यापारिया क हितो के विरुद्ध कोई काय कर दता तो

व्यापारिक वग क दबाव डालने पर अपने पूव मे लिये हुए निणया को बदलने को बाध्य होना पडता था । व्यापारिक वग क लाग इस प्रकार का दबाव मुख्य रूप स व्यापारिक शुल्को को कम करवाने अथवा दिवालिया हो जान की स्थिति म व्यक्तिगत जीवन मे आने वाली बाधाआ को दूर करवाने के लिए डाला करत थे । इस प्रकार की कठिनाइयो और बाधाओ को दूर करवान क लिए व्यापारियो न कही व्यक्तिगत रूप से एव कही सामूहिक रूप से प्रयत्न किया । व्यक्तिगत रूप स दबाव डालन वाला म अधिकाशत वे लोग थे जिनका राज्य के शासक अथवा अग्रेजी अधिकारिया से निजी सम्पक था जस मिर्जामल पोतदार, सेठ चादमल ढड्ढा, सेठ कस्तूरचन्द डागा व सम्पतराम दूगड के नाम उल्लेखनीय थे । वे अपनी निजी बाधाआ का दूर करवा लिया करत थे । सामूहिक रूप से दबाव डालने वाला मे राज्य के प्रभावशाली एव साधारण दाना श्रणी क लोग हात थे । ये लाग राज्य के समस्त व्यापारी वग अथवा उसक एक वग विशेष के समक्ष आन वाली बाधाआ का दूर करवान का प्रयत्न करत थे । इसके लिए आवश्यकता पडने पर य लोग सगठित होकर राज्य के शासक व सरकार क प्रति कडा रुख भी अपना लिया करते थे । इसके अतिरिक्त राज्य की राज्यसभा, जिसके अधिकाश नामजद सदस्य राज्य के व्यापारी वग स सम्बन्धित होत थे, भी व्यापारिया द्वारा अपना विरोध प्रदर्शित करने का उपयुक्त स्थान थी । यहा उन मामला एव घटनाआ का उल्लेख करना असगत नही होगा जिनमें व्यापारिया द्वारा व्यक्तिगत एव सामूहिक रूप से दबाव डालने पर राज्य क शासक न या ता निणय बदल दिय अथवा स्थगित कर दिये ।

व्यापारिया का एसा प्रभाव 19वी सदी के आरम्भ से ही दखने को मिलता है । चूरु के सामत शिवजी सिंह एव पोतदार (चूरू क पोतदार घराने के व्यापारी) के बीच अमृतसर से चूरु आन वाले पशमीने की जगात वसूल करन क मामल को लकर अनबन हा गई । साम त द्वारा व्यापारिया की बात न मानने पर व्यापारी इसके विरोध म चूरू छाडकर, सीकर ठिकाने क नोशा की ढाणी' नामक स्थान पर चले गये जो बाद म रामगढ के नाम से जाना जान लगा ।[65] पोतदार व्यापारी रामगढ स बीकानेर राज्य मे तब तक वापस नही आये जब तक उनकी इच्छानुसार (जगात म) छूट नही दी गई । अन्त म राज्य क शासक महाराजा सूरतसिंह ने पोतदारो को, उनकी इच्छानुसार जगात मे छूट द दी तभी सेठ मिर्जामल वापस बीकानेर राज्य म आकर बसा ।[66] महाराजा सूरतसिंह की मृत्यु के बाद महाराजा रतनसिंह के शासनकाल म सेठ मिर्जामल शासक को उधार दिया रुपया समय पर वापस न मिलन के विरोध मे पुन रामगढ चला गया । इस पर महाराजा रतनसिंह न सेठ मिर्जामल का अनक खास रुक्को के माध्यम से उसके रुपये वापस करन एव भविष्य म एस मामला म ऐसा न करन का आश्वासन दिया । उसके बाद ही मिर्जामल वापस चूरू म आया । सवत् 1883 के एक परवाने स पता चलता है कि महाराजा सूरतसिंह धन प्राप्ति के लिए चूरू के सेठ सिरदारा सरबसुखा पर अटक भेजी थी । इसका चूरु के समस्त साहूकारा न सामूहिक विरोध किया । इसके परिणामस्वरूप महाराजा को झुकना पडा और सदासुख को जेल से छाडकर साहूकारा को भविष्य म एसी गलती न करने का आश्वासन दिया ।[67]

सन 1865 ई० म महाराजा सरदारसिंह के समय मे चूरू के ही अन्य अनेक व्यापारी जिनम सेठ रामानन्द तजपाल व वद्धिचन्द सुराणा भी थे, राज्य की जगात सम्बन्धी नीति से रुष्ट हो गय । इसके विरोध म व चूरू का छोडकर रामगढ जाकर बस गय । इस पर महाराजा न सुराणा घराने क इन व्यापारियो को महता मानमल व रावतमल शाकर क साथ जगात महसूल की माफी का परवाना भेजा, उसके बाद ही व्यापारी वापस चूरू आय । इसक बाद सुराणा घरान क इन्ही व्यापारिया न सन् 1868 ई० म पुन 'घूवा भाछ' (गृहकर) वसूल करन क विरोध म चूरू छाड दिया और मडणसर म जाकर बस गये । इस अवसर पर महाराजा ने उनकी बात मानत हुए पुन माहम्मद अब्बास खां को एक खास रुक्का देकर उनक पास भेजा । इसक बाद ही सुराणा घरान के य व्यापारी वापस चूरू आकर बसे । इसी भांति व्यापारिया का एक ऐसा वग भी था जा ऐस अवसरा पर राज्य से बाहर न जाकर राज्य के एस मन्दिरा म शरण ले लेता था जा राज्य क शासक के कुल देवी देवता स सम्बन्धित होते थे । व मन्दिर से तब तक नही हटत थे जब तक शासक उनकी मांग का न मान लिया करता था । बीकानेर राज्य म अनक साहूकारा स साहूकारी भाछ (कर) के रूप में साठ हजारी एक य दो मांग की भाछ (कर) वसूल किय जान क उल्लेख मिलत हैं । सन् 1820 म विहाणी जेत के पुत्र पर साठ हजार की साहूकारी भाछ बकाया थी ।

वह उसम वमी करवाना चाहता था किन्तु असफल रहा। इस पर वह शासक की कुसल्यो करणीजी क मन्दिर का शरण म देशनोक जाकर बैठ गया। वह वहां स तब तक वापस नही लौटा जब तक उस शासक की आर स छूट का परवाना नहीं मिल गया। सन् 1829 30 म कोठारी रूपचन्द सीपाणी साना, गुराणा जीतमल, डागा उतमा, गानछा जारावर आदि नग साहूकारा भाछ धूवा भाछ (गहकर) व हाट भाडा (दुकान किराया) का लेकर शासक स असन्तुष्ट थ। शासक न जब उनकी बात नही मानी तो व करणीजी के मन्दिर की शरण म चले गय। शासक से आवश्यक दिलासा पत्र मिलने पर ही वापस लौटे। इसी प्रकार सन 1840 ई० म दम्माणी गभीरचन्द करणीजी क मन्दिर म तभी वापस बीकानेर लौटे जबकि उन साहूकारा भाछ म वाछित छूट मिल गई।[68]

चूरू का व्यापारी सेठ शिवचन्द वागला जिसे अग्रेज सरकार न राजा की उपाधि देकर सम्मानित किया हुआ था जब कभी अपन मूल निवास स्थान चूरू आया करता था, उस समय वहां की जगात चौकी पर साधारण लोगा की तरह जगात वसूली के लिए उसके सामान की भी तलाशी ली जाती थी। राज्य सरकार की इस कार्यवाही को सेठ बागला अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत मानता था। अत उसने सरकार से अपना विरोध प्रकट किया और जगात अधिकारियो को उसके सामान की तलाशी न लेन के निर्देश देने को कहा। इस पर राज्य के शासक ने इसे विशेष मामला बनाकर सेठ बागला के माल की तलाशी न लेने के लिए सम्बधित विभाग को आदेश द दिया।[69]

बीकानेर राज्य का प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ चादमल ढड्ढा जिसका भारत एव दक्षिण की रियासतो म बडा कारोबार फैला हुआ था, अपने अन्तिम दिनो म व्यापार म घाटा लग जाने के कारण दिवालिया हो गया था। अन्य व्यापारियों के अतिरिक्त बीकानेर राज्य का भी डेढ लाख रुपया सेठ चादमल ढड्ढा पर बकाया निकलता था। अत राज्य क नियमों के अनुसार इसकी सूचना राज्य क राजपत्र म छपवाना आवश्यक था।[70] इस नियम के अन्तगत राज्य के राजपत्र म यह छपवा दिया गया कि सेठ चादमल ढड्ढा (जो दिवालिया हो गया), पर बीकानेर राज्य क करीब डेढ लाख रुपय बकाया निकलते हैं। राजपत्र म छपी राज्य सरकार की इस घोषणा स सेठ चादमल ढड्ढा की आर्थिक स्थिति और अधिक खराब होने की सम्भावना थी क्योकि इस खबर के फैलन पर भारत स्थित व्यापारी सेठ चांदमल ढड्ढा पर बकाया अपनी बडी-बडी रकमो को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता कर उसकी स्थिति और अधिक विषम बना देते। अत चांदमल ढड्ढा न राज्य के शासक महाराजा गगासिह पर दबाव डाला कि राज्य के राजपत्र मे उसके सबध म जो वाक्य लिखा गया था उसमे परिवतन कर उसके स्थान पर लिख दिया जाये कि सेठ चादमल ढड्ढा ने राज्य का समस्त ऋण उतार दिया है।' महाराजा को सेठ चान्दमल ढड्ढा के सामने झुकना पडा और उसने राज्य के राजपत्र म सेठ ढड्ढा के सुझाव अनुसार वाक्य को कुछ फर बदल कर छापने के आदश दे दिय।[71] यही नही महाराजा गगासिह न सेठ चादमल ढड्ढा की इस समय आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हैदराबाद के निजाम एव प्रधानमत्री का अलग अलग सिफारिशी पत्र भी लिखे।[72]

राज्य मे सेठ चादमल ढड्ढा की भांति बीकानेर राज्य म सेठ चम्पालाल व सेठ छगनलाल दम्माणी भी आर्थिक दृष्टि से काफी सम्पन्न व्यापारी थे। सन् 1902 ई० म वाणिज्य व्यापार मे घाटा लग जाने के फलस्वरूप दिवालिये हो गये। इस समय व्यापारियो ने राज्य के शासक पर दबाव डाला कि वह उन्हे जाति और जायदाद की माफी दे दे। राज्य के शासक ने व्यापारियो के दबाव मे आकर दम्माणी बन्धुओ को उनकी इच्छानुसार जो माफी प्रदान की उसके अनुसार राज्य म कोई भी व्यक्ति उक्त व्यापारियो को राज्य म न तो कैद करवा सकता था तथा न ही उनकी जायदाद कुर्क करवा सकता था।[73] एक अन्य मामले म सेठ भैरूदान ढड्ढा का पुत्र सेठ उदयमल ढड्ढा जब किसी आपसी लनदेन के मामले म फस गया तब उसने राज्य के शासक पर इस बात के लिए दबाव डाला कि उसके व्यक्ति जो उक्त मामले मे फस गये थे, को बन्दी न बनाये जाने की छूट दें। इस राज्य के शासक न नाजिम जिसके न्यायालय म सेठ उदयमल ढड्ढा का मामला चल रहा था, स बातचीत करके सेठ उदयमल के व्यक्तियो को उक्त मामले म बदी न बनाये जाने की छूट दे दी।[74]

राज्य मे सन् 1928 ई० मे हिन्दू अर्ली मेरिज प्रीवेन्शन एक्ट ऑफ 1928 के तहत छोटी अवस्था मे विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। गगाशहर के सेठ चुन्नीलाल मेघराज चौपडा अपने लड़के का विवाह सेठ दीपचन्द

बाठिया की लडकी स करना चाहता था किन्तु वर और वधु दानो ही ग्यारह वष से कम उम्र के होन के कारण इसमे बाधा पड रही थी। सेठ चौपडा ने राज्य के शासक पर इस मामले म छूट दन के लिए दबाव डाला। शासक सेठ चौपडा को नाराज करना नही चाहता था । अत उसने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके सेठ चौपडा को उक्त विवाह सम्पन्न करने की छूट द दी ।[75]

व्यक्तिगत रूप की भाति व्यापारियो ने अपने हित म बातें मनवाने के लिए राज्य के शासक पर सामूहिक रूप से भी दबाव डाला जिसका पता निम्न घटनाओ से चलता है। 1917 ई० म भारत सरकार की इच्छानुसार वेस्टन राजपूताना स्टेटस के रेजिडेण्ट ने राज्य के शासक से निवेदन किया कि वह दिल्ली मे सम्पन्न हुए भारतीय नरेशो के सम्मेलन मे लिये गय निणय के अनुसार काय करें। इस सम्मेलन मे यह निणय लिया गया कि राज्यो के प्रवासी व्यापारियो द्वारा अपने आपको भारत मे दिवालिया घोषित करन पर उनके ऋणदाताओ को उनके मूल राज्य स्थित सम्पत्ति म स कज की राशि दिलवाने क लिए एक कमेटी के निर्माण की व्यवस्था की गई थी। बीकानेर राज्य से भी इसमे अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए कहा गया । राज्य के शासक ने सभी प्रतिष्ठित व्यापारियो को इस मामले म विचार करने के लिए आमन्त्रित किया ।[76] उन्होने इसका घोर विरोध किया। उनका तक था कि अगर उक्त व्यवस्था लागू हो गई तो इस राज्य का व्यापारी जिसने अपनी राज्य स्थित अचल सम्पत्ति किसी अन्य व्यापारी को बन्धक रखी हुई थी, दुर्भाग्यवश दिवालिया हो जाता है तो अचल सम्पत्ति को बन्धक रखने वाले व्यापारी के लिए ऋण वसूल करना कठिन हो जायगा। इस व्यवस्था से राज्य के व्यापारियो को भारत क अन्य व्यापारियो की तुलना म बहुत घाटा रहेगा। भारत का व्यापारी राज्य के व्यापारी की अपेक्षा अधिक लाभदायक स्थिति मे रहेगा क्योकि राज्य के व्यापारी द्वारा दिवालिया हो जान पर भारत का व्यापारी राज्य स्थित उसकी सम्पत्ति म स अपना ऋण वसूल कर सकता था। इसके विपरीत भारत के किसी व्यापारी के दिवालिया हो जाने की स्थिति मे राज्य के व्यापारी को वह लाभ नही मिल सकता था क्योकि भारत के व्यापारी की विभिन्न प्रातो म स्थित अचल सम्पत्ति का पता लगाना उसके लिए अत्यन्त कठिन था। इस व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य के व्यापारियो की राज्य स्थित चल और अचल सम्पत्ति नीलाम होनी आरम्भ हो जायेगी, साथ ही इस सम्पत्ति के आधार पर रुपया उधार मिलना भी बन्द हो जायेगा। राज्य के शासक ने व्यापारियो के दबाव म आकर इस कमेटी म बीकानेर राज्य की ओर से अपना प्रतिनिधि भेजना स्थगित कर दिया।[77]

व्यापारिक वग के प्रभावशाली बन जाने का एक अन्य उदाहरण उन सुविधाओ से मिलता है जो ऋणग्रस्त व्यापारियो को प्रदान की गईं। राज्य के कुछ प्रमुख व्यापारी जैसे सुजानगढ का सेठ मोतीलाल धनराज कोठारी, राजलदेसर का सेठ मगलचन्द गरडिया तथा शिवरतन दम्माणी व्यापार म प्रतिकूल परिस्थितियो के कारण दिवालिये हो गये थे। ऋणदाता अपना रुपया वसूल करने के लिए उक्त व्यापारियो के विरुद्ध न्यायालय म जाने की तयारी करने लग। इस पर दिवालिया व्यापारियो ने मिलकर राज्य के शासक पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह ऋणदाताओ को न्यायालयो म जाने से रोके अन्यथा उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो जायगी और वे बर्बाद हो जायेंगे। राज्य का शासक व्यापारियो की बात मानन के लिए विवश हो गया और उसने राज्य के समस्त न्यायालयो के लिए एक आदेश प्रसारित किया जिसम न्यायालय को आदेश दिया गया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए दिवालिया व्यापारियो के विरुद्ध मुकदमा स्वीकार न कर और उन व्यापारियो को लेन देन के मामला को आपस म सुलझाने की राय दे।[78]

1923 ई० म राज्य सरकार ने राज्य म ब्याज दर निश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव राज्यसभा म रखा। इस प्रस्ताव म ब्याज दर एक रुपया सैंकडा निश्चित किया गया। राज्य के बडे व्यापारी एक रुपया सैंकडा की ब्याज दर से सहमत नही थे। उनकी ओर से सेठ शिवरतन मोहता ने राज्यसभा मे इस प्रस्ताव का विरोध किया और ब्याज दर दो रुपया सैंकडा निश्चित करन के लिए जोर डाला। उनका कहना था कि यदि दो रुपया सकडा स कम ब्याज निख (भाव) स्थिर कर दी जायगी तो राज्य के कृषको को, जिनकी रकम का वापस वसूल होना केवल उनकी अच्छी फसल पर ही निभर था, रुपया उधार मिलना मुश्किल हो जायगा। इस पर राज्य सरकार ने व्यापारियो के दबाव म आकर बिल म सुधार करन का

आश्वासन दिया।[79] राज्य के प्रमुख व्यापारी राज्य म 'चेम्बर आफ कामस' की स्थापना करवाना चाहत थे। सठ रामरतन दास वागडी, शिवरतन मोहता, आईदान हिसारिया, पूनमचन्द नाहटा व सेठ मालचन्द कोठारी आदि न समय-समय पर राज्यसभा म व्यापारियो की इस माग को उठाया। उनका कहना था कि राज्य म उनकी आपसी व्यापारिक समस्याओ एव विवादो की सुनवाइ राज्य की सामान्य न्यायालयो म न होकर चेम्बर आफ कामस' म हो जिससे राज्य क व्यापारी वग को कम खच पर सुविधापूवक न्याय मिल सके।[80] प्रारम्भ मे राज्य सरकार ने व्यापारियो की इस माग पर विशेष ध्यान नही दिया परन्तु व्यापारियो के बढते हुए दबाव के कारण राज्य सरकार ने एक सरकारी समिति को राज्य म 'चम्बर आफ कामस की स्थापना की सम्भावनाओ पर अपनी रिपोट देन के लिए कहा।[81] कमटी की रिपोट आने के बाद राज्य सरकार राज्य मे चेम्बर ऑफ कामस की स्थापना करन को तैयार हो गई किन्तु व्यापारियो मे इसके गठन के सम्बन्ध म कुछ मतभेद हो जाने के कारण 'चेम्बर ऑफ कामस' के स्थान पर बीकानेर स्टट ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज एसोसियशन' की स्थापना की गई।[82]

गगनहर क्षेत्र के व्यापारी चाहते थे कि गगानगर से भटिण्डा जाने वाली गाडी मे माल ढुलाई का किराया कम किया जाय जिससे उन्ह उक्त माग से पजाब माल भेजन एव मगवाने मे सुविधा हो सके। व्यापारियो की ओर से इस विषय को सेठ सोहनलाल न राज्यसभा मे उठाया। उसके अनुसार गगानगर व भटिण्डा के माग पर अधिक किराया होन के कारण व्यापारी अपना माल वाया हिन्दूमलकोट व अबोहर के रास्ते से लाते ले जात हैं जो काफी महगा पडता है। इस मामले म व्यापारियो की इस माग को सरकार टाल नही सकी और इस मामले का पूण अध्ययन कर आवश्यक कायवाही करने का आश्वासन दिया।[83] राज्य के व्यापारी चाहत थे कि व्यापारियो के हितो को ध्यान मे रखकर राज्य सरकार सूरतगढ, पीलि बगा, हनुमानगढ व सगरिया स्टेशनो पर शीघ्र माल गोदाम बनाये जायें तथा बीकानेर से दिल्ली की ओर जाने वाली गाडी मे कलकत्ता जाने वाले व्यापारियो के लिए मुहूत के दिनो मे एक से अधिक तृतीय श्रेणी के डिब्बे लगाये जायें। राज्य सरकार ने व्यापारियो की उक्त दोनो मागो को मान लिया और काय शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया।[84]

राज्य म जगात मामलो मे व्यापारियो से वसूल की गई चुगी के सम्बन्ध म आपत्तियो को व्यापारी एक माह म ही प्रस्तुत कर सकते थे इसके विपरीत राज्य के जगात कार्यालयो का व्यापारियो से कम वसूल की गई जगात की बकाया वर्षो बाद भी वसूल कर ली जाती थी। इससे व्यापारियो को काफी नुक्सान उठाना पडता था। इस मामले मे राज्य सरकार ने पुन व्यापारियो क दबाव मे आकर अधिक ली गई जगात की ऊजरदारी के लिए उन्ह एक माह के स्थान पर तीन माह के समय की सुविधा प्रदान कर दी।[85] इसी प्रकार राज्य के व्यापारी, राज्य के जगातघरो म उनके सामान की ली जाने वाली तलाशी की प्रक्रिया से भी अप्रसन्न थे। उनका कहना था कि जगात अधिकारियो को माल की तलाशी देते समय सामान का गुम हो जाना एक साधारण बात थी क्योकि गाडी से उतरने पर हर व्यापारी को अपने घर जाने की शीघ्रता रहती थी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि कीमती सामान (जेवरात आदि) जगात कमचारियो को दिखलाने क कारण जगात थाने से अपने घर पहुचने तक हमशा लुट जाने का भय बना रहता था। व्यापारियो की इस माग पर राज्य सरकार ने इस मामले को उच्च अधिकारियो की एक कमटी को सौंप दिया जिसने बाद म व्यापारियो को इस सम्बन्ध म अनेक सुविधाए द दी।[86] गगानगर क्षेत्र के व्यापारियो को कृषको से ऋण वसूल करने मे अनेक कठिनाइया आ रही थी। उन्होने इस सम्बन्ध म राज्य सरकार पर दबाव डाला कि कृषक के चाहत हुए भी सरकारी कानून कायदो के कारण उस ऋण क बदले मे अपनी भूमि को व्यापारियो को हस्तातरित करन मे अनेक कठिनाइया आती थी, जिन्हे सरकार को दूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये व्यापारी यह भी चाहत थे कि व्यापारियो द्वारा ऋणग्रस्त कृषको के विरुद्ध न्यायिक कायवाही करन पर सम्बन्धित न्यायालय कृषको को जुलाइ से नवम्बर माह के बीच मे ही तलब कर जिससे उन्ह कृषको से ऋण वसूल करने मे सुविधा मिल सके। राज्य सरकार ने व्यापारियो की उक्त मागो को काफी हद तक स्वीकार कर लिया।[87]

राज्य सरकार काफी लम्बे समय से बीकानेर राज्य म आयकर लगाने पर विचार कर रही थी। सवप्रथम उसने 1941 ई० म राज्य म आयकर लागू करने की घोषणा की। आयकर लागू करने की इस घोषणा का राज्य के व्यापारिक

वर्ग ने घोर विरोध किया। कलकत्ता स्थित मारवाडी चेम्बर ऑफ कामर्स ने राज्य मे आयकर के विरुद्ध एक विरोध प्रस्ताव पारित किया।[88] महाराजा गगासिह ने व्यापारियो के विरोध के कारण राज्य मे आयकर लागू करना स्थगित कर दिया।[89] परन्तु महाराजा गगासिह की मृत्यु के पश्चात् महाराजा शार्दूलसिह ने सन 1945 मे पुन राज्य मे आयकर लगान की घोषणा की। आयकर सम्बन्धी बिल के राज्यसभा मे प्रस्तावित होते ही राज्य का समस्त व्यापारी समुदाय इसके विरोध म उठ खडा हुआ और आयकर लागू करने के विरोध म एक आदोलन चलाया जो राज्य के प्रमुख कस्बों, शहरो तथा भारत मे कलकत्ता तथा बम्बई से सचालित किया गया।[90] आयकर बिल का विरोध करने के लिए बीकानेर राज्य के व्यापारियो न कलकत्ता म 'बीकानेर नागरिक सभा' का गठन किया। इस सभा ने राज्य के शासक एव राज्यसभा के सरकारी सदस्यो को समय समय पर आयकर बिल के विरोध मे अनेक प्रतिवेदन भेजे। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख कस्बा सरदारशहर, चूरू, सुजानगढ नोहर व बीकानेर के व्यापारिया ने बिल के विरोध मे अपनी अलग-अलग सभाए की और प्रस्ताव पारित करके राज्य के शासक व अन्य बडे अधिकारियो को भेजे।[91] व्यापारिया ने राज्य के शासक को इस बात की धमकी दी कि अगर राज्य म आयकर बिल पास कर दिया गया तो वे बीकानेर राज्य की अपेक्षा भारत के नागरिक बनना अधिक पसन्द करेंगे।[92] राज्य का शासक इस बार पुन व्यापारियो के दबाव के आगे झुक गया और राज्य मे आयकर लगाना स्थगित करन को मजबूर हुआ।[93]

राज्य का व्यापारिक वग जिस प्रकार से सामूहिक रूप स अपने वाणिज्य व्यापार म आने वाली बाधाओ को शासक पर दबाव डालकर दूर करवाते थे, उसी प्रकार वे अपने हित मे सामूहिक रूप मे राज्य प्रशासन म भी हस्तक्षेप करत थे। राज्य म रतननगर कस्बे का चौधरी प्रसिद्ध व्यापारी सेठ नन्दराम था। उसकी मत्यु के पश्चात राज्य का शासक उस पद को वहा के सामन्त के पुत्र को देना चाहता था। रतननगर के व्यापारियो को जब राज्य क शासक के इस निणय का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। व्यापारिक वग के लोग पहले चौधरी सेठ नन्दराम के पुत्र सेठ हरदेवदास को रतननगर का चौधरी नियुक्त करवाना चाहते थे। अन्त मे राज्य का शासक व्यापारिया के दबाव के आगे झुक गया और सेठ हरदेवदास को रतननगर का चौधरी नियुक्त करने को बाध्य हुआ।[94]

बीसवी सदी के आरम्भ तक राज्य का व्यापारिक वग इतना प्रभावशाली हो गया था कि वह अपन आर्थिक हितो के लिए राज्य की नीतिया मे अपनी इच्छानुसार परिवर्तन करवाने मे सक्षम हो गया। वह अपन व्यक्तिगत व्यावसायिक एव सामूहिक लाभ के लिए राज्य प्रशासन मे हस्तक्षेप करके उसमे परिवतन करवाने लगा।

परिशिष्ट सख्या-5

महाराजा सूरतसिह द्वारा पोतदार मिर्जामल एव पुरोहित हरलाल से रुपया उधार लेने के पश्चात उनको बदले म उन्हें सौंपे गये राज्य की आमदनी के मुख्य स्रोत सम्बन्धी इकरारनामा।

॥श्री दीवानजी वचनातु पोतदार मिरजामल प्रोहत हरलाल न खत श्री दरबार सु कर दीयो तैम श्रा मण्डी वालके रो पैदा री ठाह (स्रोत) ईया ने खत म माड दीवी छै, सु छतरी ठोडा (स्रोत) रो नावा पैदा हुसी सु ईरे खात म भरदोजसी, तरी ठोडा (स्रोत) रो बीगत (विवरण) छै—

। इत्तेरी ठोडा (स्रोत) रो आसी सु सरब (सब) अे लैसी।
। श्री मण्डी (जगात मुख्यालय) री गालक (गुल्लक)।
। सोलो (गाद सेन का शुल्क) रै कागदा रा।
। गईवाला री गुनेगारी व फरोही (जुर्माना) रा।
। सीध (सिंध) रे मुसलमानां री दलाली दुतरी छन्नामी, पटलीयां री जगात खरच राजगार टाला रा सी सु र जमा म छै।

। दरोगे वा बाबसता रो लाजमो श्री दरबार म जमा हुवै ।
। बीहा री साडी (विवाह पर लगन वाला शुल्क) रा आसी सु ।
। घरा (घर) हाटा (दुकान) रो भाडो मढी तालके आवे सु ।
। श्री कपल मुनीजी (कोलायत) रे मेले री जगात हाकम मढ़ीय रे खरच टलता रहसी सु ।
। वेतेती वाण (राहदारी) जगात ।
। धरती (जमीन) री ठोड (स्रोत) ते मैं श्री दरबार रे चाकरा री घर जमी हुसी सु प्रबारी छै, दूजी सरब (सब) ईयारी छै ।
। ऊन रो खुटो दलाली वा बलरा री जगात ।
। अमल रे पायले 1 लारे 8।4। लागे छै तीके रै रोजगार कटता ।
। सीक्दारा रो लाजमी वा धरती वा घाले र कागदा रो ।
। सोबत मे घोडा, ऊठ वा तर मेवे, सुके (सूखा) मेवे रो वा दूजी जीनस तने ग्पाट (व्यापारिक शुल्क) रो हासल लाग सु नीयारो छै ।
। बीछायती माल (व्यापारी शुल्क) रो बटो पुणोतरी ।
। रीठ (पुर्नविवाह का शुल्क) रा कागद मढी सु हुवै तेरा ।
। चारणा (चारण) रो भाडो (भाडा) सीधे (सिन्ध) रा मुसलमान ऊठ भाडे करे छै तेरा भाडो ऊठ 1 दर 1।) लागे छै तेरो ।
। उनै (ऊन) रे दलाला री व कपडे रे दलालो से (व्यापारी शुल्क) आसी सु ईय ठोड मे छ ।
। साहुकारा रे मरजीदरै कागदा री भाछ रा (व्यापारी शुल्क) ।
। कामदारा श्री दरबार रे चाकरा री घर जमी री ठोड हुसी तमे आधी तो श्री दरबार रे वरत म आसी, आधी ईय खत पटे भरीजसी ।
। ई तरी ठोडा (स्रोत) प्रबारी चूकसी तेरी जमी श्री दरबार मे आसी ।
। रुपोटो (व्यापारी शुल्क) श्री बडे कोट तालके दरवाजे रा मीरधा (डाक ले जान वाला) री खरची मे ।
। कोटवाल री जगात चोबुतरे (कार्यालय) ताल के खरच (खच) म ।
। गर्जसिहपुरे री जगात वा से हरकोट (किला) री जगात स हरकोट (किला) रै बदुकचीया री खरची (खच) री ठोड मे ।
। श्री गुणेसजी (गणेश जी) रे मेले री जगात हाकम मढी ये रै खरच वा (पतगा) टलता ।
। चुगी बीछायती माल (व्यापारी शुल्क) री और हुवालदार दरोगे रा रहे छै तेरो रोजगार री ठोड म ।
। हुवालदारा (राज्य अधिकारी) रो बडो लाजमो सरद रे पुरबीया री ठोड म ।
। हुवालदारा रो छोटो लाजमो (शुल्क) हुवालदारा रे रोजगार मे छै ।
। बाघचार रो लाजमो बडी बही मे जमा हुवो छै सु मढी तालकै तल, रसनाई पाठा सीहाई वा दुजो प्रचुण खरच लागे सु महीने रा महीने बाद हुसी ।
। घडसीसर री भाछ (शुल्क) उधकसी तो घडसीसर रै लाजमे मे छै ।
। बाहरली जगातो मे ईतरी ठोड प्रबारी छै ।
। राजलदेसर री जगात रतनगढ मे लागे छै, तीका प्रोहत दीपराम री ठाड मे छै ।
। देसणोक री जगात सेख ताहाज मोहमद री खरची मे छै ।
। ऊदे कपडे री जगात (व्यापारी शुल्क) सरद रे पुरबीया री खरची म छै ।
। दुजी बाहरली जगाता सरबश्री देवसथान रा महीनो छै वा जगातीया रे रोजगार खरच टलता आसी सु सरब ।

इयें भात ठोड नावापनाई माड दीवी छै, तै मुजब भरती हुसी। द मुहतो राव अमेसिंघ स० 1884 मीती भादवा सुद 4।
रजु दफ्तर

स्रोत—पोतेदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात (नगर श्री, चूरू), पृ० 40 41।

सन्दर्भ

1 मुहणोत देवीचन्द हरिसिंह, गजसिंह के नाम परवाना, सवत 1824, मिती आषाढ सुदी 6, क्वर शिवदान खुशालचद श्रीचन्द के नाम परवाना, सवत् 1824, मिती आषाढ वद 4, मोहते जचद कुशलचद के नाम परवाना, सवत् 1824, मिती माह सुद 9, बही परवाना सरदारान, बीकानेर, सवत् 1800 1900, पृ० 225 (रा० रा० अ०)

2 जाजू बीरबल को लिखी चिटठी, सवत 1826, मिती फागुण सुदी 2, साह मेघराजाणी हरिदास के नाम चिट्ठी, सवत् 1826, मिती आसोज सुद 12, कटारिया मनोहरदास गिरधरदासाणी व रामच द्र सुखाणी के नाम परवाना, सवत् 1830, मिती सावण वद 9, बही परवाना, सरदारान बीकानेर, सवत 1800 1900, पृ० 225-26 (रा० रा० अ०)

3 मुहणोत फकीरदास बुधराम के नाम परवाना, सवत् 1833, पोह सुदी 13, मुहणोत थानसिंह सांभासिह के नाम परवाना, सवत् 1833, फागण सुदी 8, मुशी शिवदास के नाम परवाना, सवत 1843 मिती फागण सुदी 8, बही परवाना, सरदारान बीकानेर, सवत 1800 1900, पृ० 225 26, कागद बही, बीकानेर, सवत् 1877, न० 26 (रा० रा० अ०)

4 सन् 1768 ई० मे नोहर मे आकर बसने वाले दो अग्रवाल जाति के वैश्य व्यापारियो को कृषि करने हेतु नि शुल्क कृषि भूमि के परवाने मिले, अग्रवाल पूरण जगी सक्लानी के नाम परवाना, सवत् 1823, मिती माह सुद 3, अग्रवाल नाथिया बगसीराम के नाम परवाना, सवत् 1823, मिती माह सुद 5, बही परवाना सरदारान, बीकानेर, सवत् 1800-1900, पृ० 231 (रा० रा० अ०)

5 मोहते जैतरूप के नाम परवाना, सवत 1841, मिती पोह वद 12, बही परवाना सरदारान, बीकानेर, 1800-1900, पृ० 226 (रा० रा० अ०)

6 मुकनदास राजपुरिये के नाम परवाना, सवत् 1853, मिती माह वदी 2, बही परवाना सरदारान, बीकानेर, 1800-1900, पृ० 226 (रा० रा० अ०)

7 फैगन रिपोट आन दी सेटलमेट आफ खालसा विलेजेज आफ बीकानेर स्टेट, पृ० 15 18

8 पोलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1896 1898 ई०, न० 570132, पृ० 1 (रा० रा० अ०)

9 सेठिये सुदर कुभाणी व बोथरे मेले पदमाणी के नाम परवाना, सवत 1933, मिती आसोज सुदी 5 (बही परवाना सरदारान, बीकानेर, सवत 1800 1900) पृ० 226 (रा० रा० अ०)

10 भडारी, सुख सम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 565

11 राजगढ व डूगरगढ के चौधरी क्रमश फ्तेपुरिया व भादानी व्यापारी घराना से सबधित थ, सरदारशहर कस्बे के बसाये जान की मजूरी सवत 1895 म भादर सेमका को मिली थी, मरु श्री जुलाई दिसम्बर, 1982, पृ० 10

12 वशीसिंह डा० बीकानेर के राजघराने का केन्द्रीय सत्ता से सबध, पृ० 145 148

13 सेठ मिजामल व पुरोहित हरलाल के नाम महाराजा सूरतसिंह की आर स लिखी चार लाख का हुण्डा, सवत 1884, मिती भादवा वद 2 (नगर श्री, चूरू), कागद वही, बीकानेर, सवत 1884, न० 33/2, सवत 1886 न० 35, वही खता व चिटठा री, सवत 1880, पृ० 120, सवत 1882, प० 90, 1884, प० 83, 184 (रा० रा० अ०)

14 रिपोट ऑन दी पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी राजपूताना स्टट्स, 1870 71, प० 10

15 वही सेठ शिवजीराम चाचाण के नाम परवाना, सवत 1906, मिती सावण वद 9, कागद वही, सवत 1871 न० 20, प० 31, सवत 1892, न० 42, चिटठा व खत वही, बीकानेर, सवत 1889, प० 157 (रा० रा० अ०)

16 रिपोट आन दी पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी राजपूताना स्टेटस, पृ० 10

17 ओझा गौरी शकर हीराचद—बीकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग) पृ० 489, जसे राज्य का शासक अपने राज्य की आय के स्रोतो को ऋण लेकर व्यापारियो के लिए आरक्षित कर दिया करते थे, वसे ही स्थानीय हाकिम भी अपने प्रब ध के अतगत आने वाले गावा की आय को ऋणदाताओ के लिए आरक्षित करके रुपये उधार लेते थे। चूरू के हाकिम मोतीचन्द न चूरू के व्यापारी पोतदार हरभगत, खेमके पुरषोत्तम दास, लोहिया करमचन्द, नैणसुखदास रामानन्द से 3402) रुपय दो रुपया सैकडा ब्याज की दर से उधार तौर पर उधार लिये, ऋण पत्र सवत 1911, मिती सावण सुद 13, मर श्री, वप 9, 1980, प० 24 25

18 *महकमाखास, बीकानेर, 1904 ई०, न० 126, पृ० 38 (रा० रा० अ०), रिपाट आन दी पोलिटिकल* एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी राजपूताना स्टेट्स, 1898-1899, पृ० 93

19 फाइनेन्स डिपाटमेट, बीकानेर, 1926 न० ए 204-210, प० 22 (रा० रा० अ०)

20 फाइनेन्स डिपाटमट, बीकानेर 1929, न० बी 658 690, पृ० 62 (रा० रा० अ०)

21 इस प्रकार का एक खास रुक्का सेठिये भैरूदान को मिला, उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है—रुक्को खास सेठी भैरूदान जेठमल श्री रामजी दिसी सु प्रसाद बचै अप्रच तै सरकारी करजे मे ठीक मदद दीनी तसू म्हे बोहत खुश हुवासु ओ खास रुक्को इनायत कियो छ सवत 1984, मिती आसोज सुदी 10 (सठिया लाइब्रेरी बीकानेर)

22 रेवन्यू डिपाटमेट, बीकानेर, सन 1923, न० बी 558-562, प० 7 8 (रा० रा० अ०)

23 पोलिटिकल डिपाटमट बीकानेर, 1919, न० 226 255, पृ० 43, स्टेट कौंसिल, बीकानेर, सन 1922, न० बी 388 438, पृ० 4 (रा० रा० अ०), भण्डारी, सुख सम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, प० 240, वद मानसिंह आदश श्रावक श्री सागरमल वैद, पृ० 33

24 फाइनेन्स डिपाटमट, बीकानेर सन् 1927, न० बी 317 328, पृ० 1 (रा० रा० अ०)

25 फाइनेन्स डिपाटमट, बीकानेर, 1921, न० बी 1092-1095, पृ० 27-28 (रा० रा० अ०)

26 फाइनेन्स डिपाटमेट, बीकानेर, 1921 न० बी 1076-1077, प० 25 (रा० रा० अ०)

27 वही, पृ० 25-26

28 सठ साहूकारा रे श्रीजी घरे गोठ अरोगण पधारा वा मातमी वा सिरोपाव वा इज्जत बगसी तेरा कागज न० 86 (शिव किशन व्यास सग्रह—राज० राज्य० अभिलेखागार, बीकानेर)

29 फाइनेन्स डिपाटमट बीकानेर, 1925, न० बी 1161-1168, पृ० 6, फाइनेन्स डिपाटमट, बीकानेर, 1933 न० बी 32 पृ० 1, शिवकिशन व्यास सग्रह, कागज स० 86 (रा० रा० अ०)

30 माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 85
31 पोतेदार मिर्जामल को लिखा इकरारनामा, मिती जेठ सुदी 13, सवत 1882 (रा० रा० अ०)
32 भण्डारी, सुख सम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 268, उदयमल के नाम रुक्का खास, सवत 1916, पोह वदी 4 (ढड्ढा परिवार सग्रह बीकानेर)
33 पोतेदार रामरतन मिर्जामल हरभगत के नाम रुक्का, सवत 1879, मिती चैत वद 6 (नगर श्री, चूरू), मरु श्री, जुलाई दिसम्बर, 1982 पृ० 6-30
34 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1941 न० 7, पृ० 71-72, बीकानेर राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी, शुक्रवार 19 दिसम्बर, 1947, न० 24, प० 2 (रा० रा० अ०)
35 पोतेदार मिर्जामल हरभगत के नाम परवाना, सवत 1882, मिती सावण बदी (नगर श्री चूरू), पोतेदार मिर्जामल हरभगत के नाम रुक्का खास, सवत 1887, फागुण वदी 11 (नगर श्री चूरू), डागा राव अबीर चन्द के नाम परवाना, सवत 1936, मिती दू० आसौज वदी 11 (डागा परिवार बीकानेर), दूगड सम्पतराम के नाम परवाना सवत 1969, मिती भादवा सुदी 13 (दूगड परिवार सग्रह, सरदार शहर)
36 डागा राव अबीरचन्द के नाम परवाना, सवत 1936, मिती आसौज वदी 11 (डागा परिवार, बीकानेर), दूगड सम्पतराम के नाम परवाना, सवत 1969, मिती भादवा सुदी 13 (दूगड घराना सग्रह, सरदार शहर), पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1941 न० 7 पृ० 103 (रा० रा० अ०)
37 महकमाखास, बीकानेर स्टेट, सन् 1904, न० 264, प० 3 (रा० रा० अ०)
38 पोतदार मिर्जामल के नाम इकरारनामा, सवत 1882, मिती जेठ सुदी 18, महाराजा सूरतसिंह का मिर्जामल हरभगत को लिखा परवाना, सवत 1882, मिती सावण दूजा वदी 3, महाराजा रत्नसिंह का मिजामल और हरभगत को लिखा, सवत 1887, मिती फागुण वदी 11 का खास रुक्का, मरु श्री, जुलाइ दिसम्बर, 1981, पृ० 51 52
39 पोतेदार मिर्जामल पुरोहित हरलाल के नाम दीवानी सनद, सवत 1884, मिती भादवा सुदी 4 (नगर श्री, चूरू)
40 महता उदयमल के नाम रुक्का खास, सवत 1916, मिती पोह वदी 4 (ढडढा परिवार सग्रह, बीकानर), रावबहादुर कस्तूरचद डागा के नाम परवाना सवत 1956, मिती फागुण सुदी 10 (डागा परिवार, सग्रह बीकानेर), पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1928, न० 310 314, प० 7, पी० एम० आफिस, बीकानर, 1928 न० 275 280, पृ० 1 3 (रा० रा० अ०)
41 पोतदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, पृ० 45 46, डागा राव अबीरचन्द क नाम परवाना, सवत 1936, मिती आसाज वदी 11 (डागा परिवार सग्रह बीकानर), दूगड सम्पतराम के नाम परवाना, सवत 1969, मिती भादवा सुदी 13 (दूगड परिवार सग्रह, सरदारशहर)
42 रायबहादुर सेठ सर विश्वसरदास डागा के नाम परवाना, सवत 1991, मिती पाह सुदी 8 (डागा परिवार सग्रह बीकानर), पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1941, न० 7, पृ० 15-16 (रा० रा० अ०)
43 मेहता उदयमल के नाम रुक्का खास, सवत 1916, पोह वदी 4, डागा राव अबीरचद के नाम परवाना, सवन 1936 मिती आसोज वदी 11, पी० एम० आफिस, बीकानेर 1941 न० 7, प० 21 (रा० रा० अ०)
44 मेहता उदयमल के नाम रुक्का खास, सवत 1916, पोह वदी 4, डागा राव अबीरचन्द के नाम परवाना, सवत 1936, मिती आसोज वदी 11, मिती फागुन सुदी 10, पी० एम० ऑफिस, बीकानर, 1941, न० 7, प० 26 30 (रा० रा० अ०)
45 पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1941, न० 7, पृ० 34, 35, 37, 45, 46 (रा० रा० अ०)

46 डागा राव अबीरचन्द के नाम परवाना, सवत 1936 मिती असोज वदी 11, श्री भवरलाल दूगड स्मृति ग्रन्थ, पृ० 344

47 रायबहादुर कस्तूरचन्द डागा के नाम परवाना, सवत 1957, मिती आसाज सुदी 10, खास रुक्का, सवत 1955, मिती चैत्र वद 12, सवत 1956, फागुन सुद 11, सवत 1964, मिती मगसिर सुदी 1 (डागा परिवार, बीकानेर)

48 सेठ कस्तूरचन्द डागा के नाम परवाना, सवत 1991, मिती पोह सुदी 10 (डागा सग्रह)

49 सेठ उदयमल ढड्ढा के नाम रुक्का खास, सवत 1916, पोह वदी 4 (ढडढा सग्रह)

50 पी० एम० आफिस, बीकानर, 1941, न० 7, पृ० 102, 9 (रा० रा० अ०)

51 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1928 न० 310 314, पृ० 7, राज्य के अन्य व्यापारिया को मिल सम्मान की सूची परिशिष्ट सख्या 6 म देखें (रा० रा० अ०)

52 लीगल डिपाटमेण्ट बीकानेर, 1896 98, न० ए 189 20414, पृ० 34, लीगल डिपाटमण्ट, बीकानर, 1896 98, न० ए 34 3515, पृ० 2, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोट, बीकानर, 1894 96, पृ० 10 11 (रा० रा० अ०)

53 एडमिनिस्ट्रेशन रिपोट, बीकानेर, 1896 98, प० 11 (रा० रा० अ०)

54 पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1935, न० ए-732-741, पृ० 5 (रा० रा० अ०)

55 भण्डारी, सुखसम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 239, 281, 432, 485 व 656

56 विद्यालकार, सत्यदेव—एक आदश समत्व योगी, पृ० 58, भण्डारी, सुखसम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 182

57 फाइनेन्स डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1921, न० बी 1076 77, पृ० 21 26, फाइनेन्स डिपाटमेण्ट, बीकानर, 1921, न० बी-737-740, पृ० 6 7 (रा० रा० अ०)

58 हजूर डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1896 98, न० 570132, पृ० 1 (रा० रा० अ०)

59 भण्डारी, सुखसम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, प० 281

60 रिपोट ऑफ बीकानेर बैंकिंग एनक्वायरी कमेटी, (1929), प० 1

61 विद्यालकार, सत्यदेव—एक आदश समत्व योगी, पृ० 56

62 सिविल लिस्ट, गवनमेण्ट आफ बीकानेर, 31 दिसम्बर, 1948, प० 51 55 (रा० रा० अ०)

63 सेठ बदरीदास डागा बीकानेर राजधानी की नगरपालिका के अध्यक्ष रहे।

64 कायवाही राजसभा—राज्य श्री बीकानेर, सन् 1913 1945, प० 1 (रा०रा०अ०)

65 गोयनका, रामकुमार—सचित्र ऐतिहासिक लेख—चूरू की बही, पृ० 11, देश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 464

66 साह जिदाराम रामरतन को दिया गया खास रक्का, सवत् 1877, मिती मगसिर सुदी 2, पोतेदार जवरीमल रामरतन हरसामल के नाम खास रुक्का, सवत मिती फागण खद 7 (नगरश्री, चूरू), पातदार सग्रह के अप्रकाशित कागजात, प० 20 21, कागद बही, बीकानेर सवत 1871, न० 20, प० 71 (रा०रा०अ०)

67 पोतदार मिर्जामल हरभगत के नाम खास रक्का सवत् 1887, मिती काती वदी 11, पोतेदार मिर्जामल के नाम खास रक्का, सवत 1887 मिती मगसिर सुदी 15, पोतेदार मिर्जामल के नाम खास रक्का, सवत 1887, मिती पोह सुदी 15, पोतेदार मिर्जामल हरभगत के नाम खास रुक्का, सवत् 1887, मिती फागुण वदी 11 (नगर श्री, चूरू), मरु श्री, जुलाई दिसम्बर 1985, पृ० 17

68 हुकमनामा साहूकारान समसुता चूरू के नाम, मिती भादवा सुदी 8, सवत 1925 (नगर श्री, चूरू), भण्डारी, सुखसम्पत्तिराय—आसवाल जाति का इतिहास, पृ० 278 व 677, कागद बही, बीकानर, सवत 1811, न० 1, पृ० 9, सवत् 1897, न० 47, पृ० 204, बही कूच मुकाम रे कागदा री, सवत 1886 98, न०1, पृ० 3, इस सम्ब ध मे विस्तृत जानकारी के लिए मेरा लेख "19वी सदी म राजस्थान के व्यापारी वग का अहिंसक सत्याग्रह" देखें (विश्वम्भरा, वप 13, अक 1, 1981)
69 महकमाखास, बीकानेर, 1904, न० 264, पृ० 3 (रा०रा०अ०)
70 पी०एम० ऑफिस बीकानेर, 1931, न० ए-798-809, प० 1-4 (रा०रा०अ०)
71 पी०एम० ऑफिस, बीकानेर, 1931, न० ए 798-809, प० 1 4 (रा०रा०अ०)
72 पॉलिटिक्ल डिपाटमट, बीकानेर, 1921, न० ए-1099 1104, प० 10 14 (रा०रा०अ०)
73 माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 86
74 स्टेट कौंसिल, बीकानेर, 1923, न० ए-48, पृ० 1 (रा०रा०अ०)
75 पी०एम० आफिस, बीकानेर, 1930, न० ए 235-251, प० 9 10 (रा०रा०अ०)
76 पालिटिक्ल डिपाटमट, बीकानेर, 1918, न० ए-968-1105 प० 132 (रा०रा०अ०)
77 पॉलिटिक्ल डिपाटमट, बीकानेर, 1918, न० ए 968 1105, प० 134 (रा०रा०अ०)
78 स्टेट कौसिल, बीकानर, 1923 न० ए-413 429, प० 55 59 (रा०रा०अ०)
79 कायवाही राज्यसभा—राज्य श्री बीकानेर, 7 मई, 1923, पृ० 54 (रा०रा०अ०)
80 वही, प० 56 57
81 कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर, 17 दिसम्बर, 1929, प० 35 37 (रा०रा०अ०)
82 रिपाट ऑफ बीकानर बैंकिग इक्वायरी कमेटी, पृ० 56-57, रेव यू डिपाटमेट, बीकानेर, 1942, न० ए 575 590, पृ० 113 (रा०रा०अ०)
83 कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर, 22 माच, 1935, प० 21 (रा०रा०अ०)
84 कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर 27 अप्रैल, 1931, प० 4, कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर, 22 माच, 1935, पृ० 21 (रा०रा०अ०)
85 कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर, 19 अगस्त, 1942, पृ० 38 39 (रा०रा०अ०)
86 कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर 24 फरवरी 1914, प० 13 14 (रा०रा०अ०)
87 पी०एम० आफिस, बीकानेर, 1935, न० ए 682 687, प० 5 7 (रा०रा०अ०)
88 एनुअल रिपोट ऑफ दी कमेटी ऑफ दी चेम्बर ऑफ कामस, कलकत्ता, 1941, प० 151-152
89 बीकानर इकम टैक्स बिल (पेम्फलेट न० 1), जनवरी 1946, प० 1 (रा०रा०अ०)
90 होम डिपाटमेट, बीकानेर 1945, न० सी० II (सीक्रेट), प० 1 20 (रा०रा०अ०)
91 बीकानेर इकम टैक्स बिल, (पैम्फलेट न० 1) जनवरी 1946, प० 3, होम डिपाटमट, बीकानर, 1945, न० सी० II (सीक्रेट), प० 20 22 (रा०रा०अ०)
92 बीकानेर इकम टैक्स बिल, (पेम्फलेट न० 3), फरवरी 1946, पृ० 3 4 (रा०रा०अ०)
93 कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर (रा०रा०अ०)
94 पॉलिटिक्ल डिपाटमट, बीकानेर, 1896 98, न० 570132, पृ० 1 4 (रा०रा०अ०)

अध्याय 6

राज्य के औद्योगीकरण मे व्यापारी वर्ग का योगदान

19वी सदी के आरम्भ मे राजस्थान के अन्य राज्यो की भाति बीकानेर राज्य मे भी स्थानीय उद्योग धन्धे काफी उन्नत अवस्था म थे। राज्य मे ऊनी, सूती कपडे विशेषकर ऊनी लुकार (कम्बल) चमडे के बने पानी के थल, कुप्पिया व बीटके (एक प्रकार का चमडे का ट्रक), हाथी दात का सामान, लाख के कगन, मिश्री व नमक का उत्पादन हुआ करता था।[1] उपयुक्त उद्योगो म कुछ उद्योग केवल स्थानीय आवश्यकताओ की पूर्ति तक सीमित थे लेकिन अनेक उद्योगो के उत्पादन की राजस्थान के अन्य राज्यो मे भी माग रहती थी। उनमे पीतल के पालिश किये बतन, चमडे का सामान हाथीदात व लाख की चूडिया व ऊनी लुकारे (कम्बल) आदि मुख्य वस्तुए थी। इनके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भागो विशेष रूप से लूणकरणसर व छापर मे तैयार किया जाने वाला नमक राजस्थान से बाहर भी निर्यात किया जाता था।[2] इन उद्योगो के अधिकाश उत्पादनकर्ता अपना माल तैयार कर सीधे ग्राहको को बेच दिया करते थे और कच्चे माल को खरीदने के लिए प्राय साहूकारो से लिये गये ऋण पर निभर रहत थे। इसके अतिरिक्त इन घरेलू उद्योग धन्धो के उत्पादन की स्थानीय माग भी सीमित रहती थी जिसके फलस्वरूप उत्पादनकर्ता विशेष सम्पन्न भी नही हो सके।[3] किन्तु उन्नीसवी सदी के उत्तराद्ध मे घरेलू उद्योग धन्धो की उक्त स्थिति मे पर्याप्त परिवतन आ गया। यूरोप से आने वाले सस्ते एव मशीन द्वारा तयार माल के राज्यो म आयात बढने के कारण इन स्थानीय उद्योग धन्धो पर बुरा प्रभाव पडा और चौपट होने की स्थिति मे आ गये। इसके अतिरिक्त रहे सहे नमक उद्योग को अग्रेज सरकार ने अपने नियन्त्रण म लेने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया। 1835 ई० म अग्रेजी सरकार ने जयपुर और जोधपुर राज्यो से बकाया खिराज चुकाने के बदले मे नमक की साभर झील को अपने नियन्त्रण म ले लिया।[4] 1856 ई० मे उसने राजस्थान के सभी राज्यो के नमक उत्पादन क्षेत्रो पर नियन्त्रण स्थापित करने की योजना बनाई।[5] और तदनुसार 1882 ई० तक राजस्थान के सभी राज्यो मे नमक क्षेत्रो को अपने नियन्त्रण म ले लिया।[6] 1879 ई० मे बीकानेर राज्य ने भी अग्रेजी सरकार के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार राज्य म छापर व लूणकरणसर के अतिरिक्त कही भी नमक बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा इन स्थानो पर भी नमक के उत्पादन की निश्चित मात्रा निर्धारित कर दी गई। बीकानेर राज्य को अपने लिए बीस हजार मन नमक आठ आने प्रति मन के हिसाब से डीडवाना व फलोदी से खरीदने के लिए मजबूर किया गया।[7] उन्नीसवी सदी के अन्त तक अग्रेजी सरकार ने नमक पर चुगी को बढाकर ढाई रुपया कर दिया।[8] बीकानेर राज्य के नमक समझौते का जनसाधारण पर बुरा प्रभाव पडा। स्थानीय व्यापारियो के स्थान पर अग्रेज सरकार द्वारा नियुक्त ठेकेदार नमक उत्पादन करवाने लगे जिससे स्थानीय व्यापारियो को आय से हाथ धोना पडा और साधारण जनता को सस्ते नमक के स्थान पर अब महगा नमक खरीदने को बाध्य होना पडा।[9]

इसी समय भारत के अन्य भागो की भाति राजस्थान के राज्यो मे भी एक औद्योगिक लहर आई जिसके अन्तगत दो प्रकार की श्रेणी के उद्योग अस्तित्व मे आये। पहली श्रेणी के उद्योग वे थे जिनका सबध सम्पन्न लोगो की सुख सुविधाओ को जुटाने अथवा स्थानीय कच्चे माल से स्थानीय आवश्यकताओ की पूर्ति करना था तथा दूसरी श्रेणी मे वे उद्योग थे जो

कृषि एव पशुपालन से उत्पादित वस्तुओं को निर्यात योग्य बनाने म लगे थे ।[10] पहली श्रेणी के उद्योगो म काच, सोडावाटर, बर्फ, चीनी व कपडे के कारखाने तथा दूसरी श्रेणी के उद्योगो मे ऊन व कपास ओटने व उनकी पक्की गाठें बाधने के कारखाने आदि मुख्य थे । प्रथम श्रेणी के उद्योग कुछ अपवादो का छोडकर प्रारम्भ करन के कुछ समय पश्चात बन्द कर दने पडे अथवा बडी कठनाई से चलाय जा सके क्योकि उन्हे अग्रेजी सरक्षण नही मिल सका जबकि दूसरी श्रेणी के उद्योगो को यह सरक्षण मिला । य उद्योग राज्य के कच्चे माल को भारतीय उद्योगो और इगलैंड के उद्योगो की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्यात करने मे मदद करते थ । इन दोना श्रेणी के उद्योगो मे पूजी की महत्त्वपूण भूमिका रही । यद्यपि बीकानेर राज्य मे उक्त दोनो ही श्रेणी के राज्य व निजी स्तर पर उद्योगो की स्थापना राजस्थान के अन्य प्रमुख राज्यो की अपेक्षा कुछ देरी से हुई थी ।[11] बीकानेर राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नही थी कि वह अपने स्तर पर यहा उद्योग स्थापित कर सकता । अत राज्य के औद्योगीकरण की एकमात्र आशा राज्य के वे प्रवासी व्यापारी ही थे जिन्होंने अग्रेजी भारत म अपना वाणिज्य व्यापार फैलाकर पर्याप्त पूजी कमाई थी । तदनुसार कुछ प्रवासी व्यापारिया ने राज्य मे उद्योग स्थापित भी किये किन्तु उनकी सख्या राज्य मे उपलब्ध उन औद्योगीकरण मे सहयोगी तत्वो जिनके आधार पर अनक उद्योग स्थापित किया जाना सभव था, की तुलना मे नगण्य थी ।

राज्य के औद्योगीकरण मे सहयोगी तत्व

पशुपालन

वर्षा के अभाव के कारण राज्य प्रारम्भ से ही विस्तत कृषि काय के लिए उपयुक्त प्रदेश नही था । इसलिए अधिकाश ग्रामीण लोग मुख्य रूप से अपने जीवनयापन के लिए पशुपालन पर निभर थे ।[12] राज्य के कुल निर्यात का एक चौथाई भाग केवल पशुपालन उद्योग के माध्यम से ही होता था । पशुपालन मे भेडो की सख्या सर्वाधिक थी । 1912-1913 ई० म राज्य मे भेडा की सख्या 15,13,411 के लगभग थी ।[13] भेड पशुपालन से राज्य ऊन उत्पादन का मुख्य केन्द्र बन गया था । यहा से हजारो मन ऊन का निर्यात होता था जिसका अनुमान सलग्न तालिका से लगाया जा सकता है ।[14]

बीकानेर राज्य के ऊन निर्यात आकडे

1910 1911 ई०	44,660 मन
1911-1912 ई०	38,548 मन
1912 1913 ई०	53,452 मन
1913 1914 ई०	40,627 मन
1914-1915 ई०	90,318 मन
1915-1916 ई०	38,099 मन
1916-1917 ई०	46,381 मन
1917-1918 ई०	49,760 मन

यहा की ऊन नमदा व गलीचा बनाने मे बहुत उपयोगी थी तथा अन्य स्थानो की ऊन की अपेक्षा सस्ती भी थी । इस कारण से यहा की ऊन की अग्रेजी भारत की मण्डियो एव फारस (ईरान), जमनी व अमेरिका जस विदेशी राष्ट्रो म भी काफी माग थी । 1896 ई० मे स्वेज नहर के खुलने से इगलैंड व भारत के सामुद्रिक माग मे कई हजार मील की दूरी घट जाने स राज्य से ऊन निर्यात को काफी प्रोत्साहन मिला था ।[15] भेडो की भाति गाय, बकरी, ऊट व भैंस भी बहुतायत स पाली जाती थी । 1926 27 ई० मे 3,84,273 गायें, 3,46,528 बकरी, 1,35,994 ऊट व 62,253 भैंस विद्यमान

थी। राज्य की दुधारू गायें अपने दूध के लिए भारत प्रसिद्ध थी। इनका दूध व घी राज्य के हर भाग म निकाला जाता था। यद्यपि इसका अधिकाश भाग तो उत्पादक अपने निजी उपयोग मे से लिया करते थे किन्तु शेष बच दिया करते थे जिसकी राज्य मे ही खपत हो जाया करती थी। दूध व घी की भाति पशुपालन के कारण राज्य म कच्ची खाल व चमड़ा का भी भारी उत्पादन होता था। हालाकि यह उद्योग बडे अव्यवस्थित ढग स चल रहा था और उत्पादक इसका उचित मूल्य भी प्राप्त नही कर सकते थे क्योकि यह काय कुछ एक पिछडी जातियो द्वारा सचालित होता था जो व्यापारिक शून्यता क साथ साथ अनपढ भी थे।[16] इस प्रकार से राज्य म पशुपालन पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हो सकते थे।

खनिज-पदार्थ

राज्य मे उपलब्ध खनिज पदार्थ भी उद्योग स्थापित करने मे सहयोगी हो सकत थे। कोयला—राजस्थान म कोयले का एक मात्र भण्डार बीकानेर राज्य म ही था। इस कोयले को लिगनाइट के नाम से पुकारा जाता था, जो बीकानेर से 10 मील दूर पलाना गाव मे निकलता था। 1896 ई० मे जियालॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया क सहयोग से कायला निकालने का काय प्रारम्भ किया गया। 1946 ई० तक करीबन 1,300,000 टन कायला निकाला जा चुका था। यह कोयला मोटर स्प्रिट, जलाने के तल, तारकोल एव गैस आदि बनाने के लिए भी बहुत उपयागी था।[17] जिप्सम (खड़िया)—राज्य म उपलब्ध जिप्सम का भडार समस्त भारत मे श्रेष्ठ था। इसका अनुमानित भडार दस लाख टन के लगभग था। यह जिप्सम मुख्य रूप से रिटाडर, बनावटी खाद, गधक का तजाब बनाने के लिए उपयोगी थी।[18] कोयला और जिप्सम के अतिरिक्त अन्य खनिजा म नमक, साल्टपीटर, बाक्साइट, कालसाइट, काच मिट्टी, तावा, मुल्तानी मिट्टी व बतन बनाने की मिट्टी बहुतायत से मिलते थे। जिनसे क्रमश कास्टिक सोडा, खाद, सफेदी, खनिज रग, काच का सामान, लाल पण्ट (रोगन), एनेमल रग, व दुग ध हटान वाले पदाथ, प्लास्टर ऑफ पैरिस व बटन बनाने वाल उद्याग स्थापित हान सभव थ।[19]

खनिजो की भाति राज्य की अनेक फसलें भी औद्योगीकरण म उपयागी थी। तिलहन—राज्य के उत्तरी भाग मे तिलहन के रूप मे सरसो एव तारामीरा भारी मात्रा मे उगाया जाता था। सरसा और तारामीरा के अतिरिक्त राज्य के प्राय समस्त भाग मे तेल प्राप्त करने के लिए रबी की फसल म तिल उगाया जाता था।[0] इस कारण यहा तेल मिल स्थापित करने की अच्छी सभावना थी। कपास—राज्य म गगनहर आने स पूव केवल 105 बीघा रुई ही उगाई जाती थी। परन्तु गगनहर आने के बाद 1935 36 म 1,36,767 बीघा जमीन म कपास का उत्पादन किया जान लगा और धीरे धीरे कपास का यह उत्पादन क्षेत्र बढता ही चला गया।[21] इसलिए राज्य म रुई स बिनोले अलग करन एव गाठ बाधन की फैक्टरी व कपडा मिल स्थापित हाने की सभावना थी। गन्ना—कपास की भाति राज्य के उत्तरी भाग मे गगनहर आन के बाद 11, 236 बीघा मे गन्ना उगाया जाने लगा और धीरे धीरे यह क्षेत्र बढता ही गया।[2-] गन्न की अधिकता के कारण चीनी मिल स्थापित हो सकती थी।

सस्ती मजदूरी

उद्योग स्थापना मे सस्ती मजदूरी का काफी महत्त्व होता है वह बीकानेर राज्य म उपलब्ध थी। राज्य के उत्तरी भाग को छोडकर जहा 1927 ई० म गगनहर आ जाने से सिंचित क्षेत्र हो गया था, राज्य का शेष क्षेत्र बजड व बरानी था। वर्षा की औसत भी 10 इच से 13 इच की थी। इसलिए राज्य मे रबी व खरीफ की साधारण फसलें ही होती थी तथा वे भी नियमित वर्षा के अभाव मे नष्ट हो जाया करती थी। अत यहा अकाल पडना एक साधारण बात थी।[23] इन परिस्थितिया म यहा का कृषक जलाने की लकडी के लादे बनाकर उनको बेचकर गुजारा किया करता था।[24] अगर राज्य म उद्योग स्थापित होते तो सस्त मजदूर मिलने मे कोई कठिनाई नही थी।

साहसी पूजीपति

उद्योग स्थापना मे पूजी का भारी महत्त्व होता है। बीकानेर राज्य से अग्रेजी भारत मे निष्क्रमण के बाद यहा के व्यापारिक घरानो ने वाणिज्य व्यापार करके अच्छा मुनाफा कमाया था और इन्ही मे से अनेक लोग अग्रेजी भारत के बडे बडे उद्योगपतियो के रूप मे विख्यात हुए। बीकानेर का मोहता परिवार भारत भर मे आयरन किंग के नाम से विख्यात था। इसके अतिरिक्त बागला, नाथानी, जालान, रामपुरिया, सेठिया, दम्माणी डागा, चौपडा व कनोई आदि करोडपति घराने यही के थे।[25] इन व्यापारिक घरानो की अपने मूल राज्य बीकानेर के आर्थिक विकास मे रुचि भी थी।[26] अत औद्योगीकरण के लिए जो पूजी की मुख्य आवश्यकता होती है वह भी यहा साहसिक पूजीपतियो के रूप मे भारी मात्रा मे उपलब्ध थी।

सूखी जमीन की अधिकता

औद्योगीकरण के लिए काफी बडे भूमि क्षेत्र की आवश्यकता रहती है। बीकानेर राज्य की उद्योग स्थापना मे भूमि की कोई समस्या नही थी। यह राज्य राजस्थान मे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बडा राज्य था।[27] इसका क्षेत्रफल 23,317 वर्ग मील था तथा जनसख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील मे केवल 28 व्यक्तियो का था।[28]

राज्य मे औद्योगीकरण के सहयोगी तत्वो के अध्ययन से स्पष्ट है कि यहा विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने की काफी प्रबल सभावनाए थी।

व्यापारिक वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग-धन्धे

राज्य मे 1924 ई० मे सर्वप्रथम राज्य के औद्योगीकरण मे व्यापारी वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसमे गैर सरकारी सदस्यो के रूप मे सेठ विश्वेसरदास डागा, चादमल ढड्ढा व शिवरतन मोहता को नियुक्त किया गया।[29] इसके कुछ समय बाद राज्य मे उद्योग धधो को खोलने वालो को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की ओर से अनेक सुविधाओ की घोषणा की गई। सस्ते दामो पर रेल लाइन के पास भूमि पानी व बिजली की सुविधा उद्योग स्थापित करने मे काम आने वाली वस्तुओ पर जगात मे माफी एव उद्योगो मे प्रतिस्पर्द्धा रोकने हेतु दस वर्ष तक का एकाधिकार देना आदि मुख्य सुविधाए थी।[30] इसके परिणामस्वरूप राज्य मे अनेक लघु व बडे पैमाने के उद्योग अस्तित्व मे आए। 1943 ई० मे महाराजा गगासिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी महाराजा शार्दूलसिंह ने राज्य के औद्योगिक विकास मे सलाह देने के लिए सर चार्ल्स टोढ्हटर को नियुक्त किया गया एव औद्योगिक विकास से सबधित प्रश्नो को सुलझाने हेतु एक सर्वाधिकार सम्पन्न डेवलपमेण्ट डिपार्टमेण्ट की स्थापना की। 8 अप्रल सन 1944 मे राज्य के व्यापारिक वर्ग के प्रमुख व्यक्तियो को औद्योगिक विकास के मामलो पर विचार करने का निमत्रण दिया। राज्य के बीस प्रतिष्ठित व्यापारियो ने मन्त्रिमण्डल की उपस्थिति मे मीटिंग मे भाग लिया।[31] राज्य सरकार ने राज्य मे पुन उद्योग खोलने वाले उद्योगपतियो के लिए अनेक सुविधाओ की घोषणा की।[32] इससे राज्य मे उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापारिक वर्ग के लोगो ने अनेक 'जाइण्ट स्टाक कम्पनिया' स्थापित की और उन्ही के माध्यम से अनेक बडे, मध्यम व लघु उद्योग अस्तित्व मे आए।[33]

बडे पैमाने के उद्योग

ग्लास (काच) फैक्टरी—1927 ई० मे बीकानेर के सेठ रायबहादुर बशीलाल अबीरचन्द डागा को राज्य मे प्रथम ग्लास फैक्टरी खोलने की इजाजत दी गई।[34] 1930 ई० मे इस फैक्टरी मे उत्पादन शुरू किया गया। दो वर्ष तक चलकर यह फैक्टरी 1932 ई० मे बन्द कर देनी पडी।[35] इसका मुख्य कारण इसके उत्पादन की माग का न बढना था। दो वर्ष बाद

सेठ बद्रीदास डागा को अनेक नई छूट एव दस वष का एकाधिकार दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 1945 ई० म इसम पुन उत्पादन प्रारभ किया गया। इस उद्योग की अधिकृत पूजी आठ लाख रुपया थी तथा इसमे लगभग 800 मजदूर काम करते थे। फैक्टरी प्रतिदिन का उत्पादन 30,000 यूनिट तक पहुच गया और इसम 125 प्रकार की काच की वस्तुए बनती थी।[36] 1947 ई० म इस पुन बन्द कर दी गई।

सुगर (चीनी) मिल—1937 ई० मे राज्य के व्यापारियो द्वारा स्थापित एक लिमिटेड कम्पनी को गगानगर मे चीनी मिल लगाने की इजाजत दी गई किन्तु पर्याप्त पूजी एव मशीनरी के अभाव मे इसमे उत्पादन नही हो सका।[37] इस प्रकार यह मिल आठ वष तक बन्द पडी रही। 1945 ई० मे इस मिल को दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंह ने साढे सात लाख रुपय म खरीदकर इसम उत्पादन शुरू किया। राज्य की ओर से सेठ को दस वष का एकाधिकार स्वीकृत किया गया। इस फैक्टरी को चलाने के लिए एक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना की गई जिसकी अधिकृत पूजी एक करोड रुपया थी। 24 फरवरी 1946 ई० से 26 माच, 1946 के एक माह के समय म करीब 74000 मन गन्ने का उपयोग म लेकर 1,172 मन बढिया सफेद चीनी, 295 खारी राव, 2,740 मन गुड का उत्पादन किया।[38]

मध्यम दर्जे के उद्योग

वूल बरिंग (ऊन से काटे अलग करने) फक्टरी—ऊन को राज्य से बाहर निर्यात करने योग्य बनाने के लिए उसके काटे आदि साफ करना आवश्यक था। इस उद्देश्य हेतु राज्य के अनेक व्यापारियो ने वूल बरिंग फैक्टरी स्थापित करने की स्वीकृति मागी।[39] किन्तु 1929 ई० म सेठ चादमल ढड्ढा को स्वीकृति मिली। स्वीकृति के साथ सेठ चादमल को राज्य की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि जब तक उसकी फैक्टरी राज्य की ऊन साफ करने की माग को पूरा करती रहेगी तब तक अन्य किसी व्यक्ति को इस प्रकार की फैक्टरी लगाने की स्वीकृति नही दी जायेगी।[40] 1935 ई० मे सेठ चादमल ढड्ढा की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण इस फक्टरी को सेठ भैरूदान सेठिया ने खरीद लिया।[41] यह फक्टरी राज्य म स्वतत्रता प्राप्ति तक चलती रही। इसके अतिरिक्त 1932 ई० मे गगानगर क्षेत्र के लिए सेठ शिवचन्द झावक को भी वूल बरिंग फैक्टरी लगाने की स्वीकृति मिली।[42] यह फैक्टरी भी बराबर चलती रही।

वूल (ऊन) प्रेस—राज्य की ऊन को अग्रेजी भारत की मण्डियो एव ब्रिटेन निर्यात करने के लिए जिस प्रकार से उसे साफ करना आवश्यक था, उसी प्रकार उसकी पक्की गाठे बाधना भी आवश्यक था।[43] इसलिए राज्य म अनेक ऊन प्रेस अस्तित्व म आये। 1926 ई० म सेठ शिवप्रसाद सादानी ने राज्य म सबसे पहल ऊन प्रेस की स्थापना की।[44] इसको 1934 ई० म सेठ भैरूदान सेठिया न खरीद लिया और वह बडी सफलतापूवक चलाता रहा।[45] इसके अतिरिक्त बाद म मेसर्स सिद्धकरण ताराचन्द डागा न पूगल म व सेठ जारमल पडीवाल न हनुमानगढ मे वूलन प्रेस स्थापित की।[46]

कॉटन जीनिंग (रुई से बिनोले अलग करने) एण्ड प्रेसिंग (दाब) फक्टरी—राज्य म गगनहर के आने के बाद रुई का काफी उत्पादन होने लगा था। यहा से अधिकाश रुई का अग्रेजी भारत म निर्यात होता था। अत रुई को आटकर उसकी पक्की गाठे बाधना आवश्यक था। इसलिए राज्य म अनेक जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फक्टरिया अस्तित्व म आई। 1930 ई० म गगानगर जिले म करणपुर, रायसिंहनगर व विजयनगर नामक स्थानो पर इस प्रकार की फैक्टरिया स्थापित की गई।[47] इसके बाद (1943 ई० के पश्चात्) राज्य के अनेक व्यापारियो न मिलकर जीनिंग व प्रेसिंग काय को सम्पन्न करने हेतु 'गगानगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड' कम्पनी की स्थापना की। इन व्यापारियो म सेठ पूरनचन्द चोपडा, रायबहादुर सेठ रामगोपाल मोहता, सेठ जयचन्दलाल पूगलिया, सेठ तेजपाल चोपडा, सेठ केशरीचन्द बाफना, सेठ चम्पालाल बद व सेठ छगनमल तोलाराम के नाम उल्लेखनीय थे। इस कम्पनी न गगानगर क्षेत्र म अनेक स्थानो पर कॉटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फक्टरियो की स्थापना की।[48]

आइस (बर्फ) फक्टरी—1929 ई० मे राज्य म सवप्रथम सेठ केदारनाथ डागा न नरसिंह डागा आइस फक्टरी स्थापित की।[49] 1943 ई० के बाद सेठ मोहनलाल रामपुरिया न 'रामपुरिया आइस फैक्टरी लिमिटेड' की स्थापना की। इसकी अधिकृत पूजी दस लाख रुपया थी। राज्य सरकार न इस फैक्टरी को पाच साल का एकाधिकार स्वीकृत किया था।

इसके अतिरिक्त गगानगर मे सेठ जोरमल पेडीवाल ने, चूरू मे सेठ धनपतसिंह कोठारी व रतनगढ मे सेठ एच०एम० माहेश्वरी ने बर्फ फैक्टरिया स्थापित की। इन तीनो फैक्टरियो को भी राज्य सरकार की तरफ से दो वर्ष का एकाधिकार स्वीकृत किया गया था।[50]

पावरलूम विविंग (बुनाई) फैक्ट्री—राज्य मे अनेक हैण्डलूम फैक्टरिया कार्य कर रही थी। परन्तु राज्य की प्रथम पावरलूम फैक्टरी सरदारशहर मे मैसर्स सागरमल स्वरूपचन्द ने स्थापित की थी। यद्यपि धागे की कठिनाई के कारण यह फैक्टरी अधिक तरक्की नही कर सकी फिर भी इसका कपडा अपने विभिन्न रगरूप और नमूनो के कारण से काफी प्रसिद्ध था।[51]

ओम फसिंग एण्ड बटन मेकिंग (हड्डी का चूरा व बटन बनाने) फक्टरी—मैसर्स पदमचन्द भागचन्द एण्ड कम्पनी ने राज्य मे हड्डी का चूरा व बटन बनाने की फैक्टरी स्थापित की। उसे पाच वर्ष का एकाधिकार स्वीकृत किया गया।[52]

आयरन (लोह) फक्टरी—राज्य मे सर्वप्रथम लोहे की जाली बनाने हेतु प्रथम लोहे का छोटा कारखाना सरदार शहर मे स्थापित किया गया था।[53] 1943 ई० के बाद बीकानेर मे सेठ मूधडा ने अन्य लोहे का कारखाना स्थापित किया जो स्वतत्रता प्राप्ति तक चलता रहा।[54]

इसके अतिरिक्त राज्य मे अनेक लघु उद्योग भी अस्तित्व मे आये। इनमे शाप फैक्टरी, टाइल फक्टरी, गोटा फक्टरी(चादी का गोटा बनाना), सोडावाटर फैक्टरी, चमडा फैक्टरी आटा दाल व तेल मिल आदि मुख्य लघु उद्योग थे।[55]

राज्य मे व्यापारी वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगो के अध्ययन से यह पुष्टि होती है कि राज्य मे वे ही उद्योग पनप सके जो अग्रेजी भारत अथवा ब्रिटेन मे यहा के कच्चे माल को पहुचाने मे सहयोगी थे। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग या तो अस्तित्व मे आते ही बन्द हो गये अथवा बडी कठिनाई से उन्हे चलाया जा सका।

राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछडे रहने के कारण

राज्य मे औद्योगीकरण के प्राय सभी सहयोगी तत्व उपलब्ध होने पर भी बीकानेर राज्य का औद्योगिक विकास न हो सका, यह एक विचारणीय प्रश्न है। राज्य के सीमित साधन तो इसका एक कारण थे ही किन्तु भारत की अग्रेजी सरकार की भारतीय राज्यो के प्रति औद्योगीकरण विरोधी नीति ने राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछडे रखने मे बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राज्य की भौगोलिक स्थिति भी गौण कारणो मे मुख्य थी। यहा इन सभी कारणो का विस्तार से वर्णन कर देना उचित होगा।

अग्रेजी सरकार की राज्य के औद्योगीकरण विरोधी नीति—अग्रेजी सरकार की औद्योगीकरण विरोधी नीति के दो पहलू थे। पहला भारत मे रहने वाले व्यापारियो पर भारतीय राज्यो के उद्योगो मे पूजी के विनियोग पर प्रतिबन्ध व दूसरा राज्यो के औद्योगीकरण मे अनेक प्रकार की रुकावटें खडी कर देना था। अग्रेजी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की जिससे भारतीय व्यापारी, भारतीय राज्यो के उद्योगो मे पूजी न लगा सकें।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वप्रथम अग्रेजी सरकार ने 8 जनवरी, 1891 ई० को पारित एक गश्ती चिट्ठी (सरक्यूलर) भारत के सभी राज्यो को भेजी।[56] इसमे इस बात की व्यवस्था थी कि भारत के पूजीपति तथा पूजी लगाने के इच्छुक व्यक्ति भारतीय राज्यो के साथ सीधी वार्ता नही कर सकते थे तथा भारतीय राज्यो के शासक भी भारत के पूजीपतियो से पूजी प्राप्त्यार्थ सीधी बात नही कर सकते थे। भारतीय राज्यो को स्पष्ट कर दिया गया कि जब भी वे ऐसी योजना हाथ मे लें, जिसके लिए राज्य के बाहर के पूजीपतियो से पूजी जुटानी आवश्यक हो तो पूजीपतियो से बात चीत कर, समझौते करने का काम उस राज्य की तरफ से स्वय अग्रेजी सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त इस गश्ती चिट्ठी मे यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत का कोई भी नागरिक भारतीय राज्यो के लिए रुपया जुटाने अथवा ऋण देने का काम नही करेगा। अग्रेजी सरकार ने किसी राज्य सरकार को अपनी जनता के सहयोग से उद्योग स्थापित करने के लिए अग्रेजी सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी थी किन्तु यदि उद्योग स्थापित करने मे अग्रेजी अथवा यूरोपीय विशेषज्ञो एव तकनीशियनो के सहयोग की भी बात हो तो, उस राज्य को इस सबध मे विस्तृत ब्योरा भारत

सरकार को देना होता था।

अन्तराज्यीय ऋणो अथवा एक शासक द्वारा दूसरे राज्य के शासक को दिये जाने वाले ऋण के लिए भारत सरकार से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था। 1930 के प्रस्ताव मे भारत स्थित किसी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी म सचालक का पद ग्रहण करना किसी भी राज्य के शासक के लिए निम्न स्तर की बात कही गई।[58] इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी कर दी गई कि किसी भी भारतीय राज्य द्वारा सार्वजनिक ऋण लेने से पूर्व अग्रेजी सरकार को इस प्रकार के ऋण लेने का प्रयोजन बतलाना आवश्यक कर दिया गया तथा अग्रेजी सरकार की लिखित स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य किसी भी नागरिक से धन प्राप्त नही कर सके ऐसी भी व्यवस्था कर दी गई।

1943 ई० म अग्रेजी सरकार ने भारतीय राज्या म उद्योगो के लिए पूजी जारी करने का अधिकार अपने नियत्रण म ही ले लिया। इस नई व्यवस्था के अन्तगत उसने डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल 94 ए' मे सशोधन कर दिया। इस व्यवस्था के अनुसार उद्योगो के लिए पूजी जारी करवाने के लिए सभी प्राथना पत्र सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधियों के साथ-साथ भारत सरकार के 'कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज व सप्लाई डिपाटमट' के प्रतिनिधि भी शामिल थे, के सम्मुख रखने की व्यवस्था की गई। यह समिति मामले के औचित्य को ध्यान म रखकर ही किसी उद्योग के लिए पूजी जारी करने की सिफारिश करती थी।[59] नरेन्द्र मण्डल की स्थायी समिति मे भारतीय राज्यो के शासको ने भारत सरकार की 'डिफेन्स इण्डिया रूल 94 ए' म परिवर्तन करने की नीति का विरोध किया और इसे भारत सरकार द्वारा राज्यो के औद्योगीकरण के माग म एक रुकावट डालने का प्रयत्न बतलाया।[60] उनका यह तक था कि 1939 40 ई० मे समस्त भारत (अग्रेजी भारत व भारतीय राज्य) मे कुल जॉइन्ट स्टाक कम्पनीज म जितनी पूजी लगी थी, उसम से केवल दो प्रतिशत भारतीय राज्यों मे लगी थी। नई व्यवस्था के लागू होने से तो राज्यो मे पूजी का लगना बिल्कुल ही बन्द हो जायेगा। स्थायी समिति के सदस्यो ने राजनीतिक अधिकारी को इस सबध मे अपना रोष भारत सरकार तक पहुचाने का अनुरोध किया।[61]

17 मई, 1943 के बाद से भारत के नागरिको पर भारतीय राज्यो के उद्योगो म पूजी विनियोग पर पाबन्दी लगा दी गई, चाहे वह इससे पूर्व भारतीय राज्यो की कम्पनी म अशधारक रहा हो। अग्रेजी सरकार की सलाह पर पूजी का निगमन अब भी सभव था।[62]

अग्रेजी सरकार ने जिस प्रकार से भारतीय राज्यो के उद्योगो म पूजी के निगमन करने के अधिकार को अपने नियत्रण म लिया हुआ था, उसी भाति 1943 ई० म राज्यो म उद्योगो को स्थापित करने की अनुमति देने का काय भी अपने पास सुरक्षित कर लिया। वह राज्यो के लिए अनेक प्रकार के उद्योगो के लिए लाइसेन्स तभी जारी करती थी, जब उसे यह विश्वास हो जाता था कि उस उद्योग के खुलने से भारत स्थित उद्योगो को कोई हानि की सभावना नहीं थी।[63] नरेन्द्र मण्डल के सचिव द्वारा राज्यो की औद्योगिक स्थिति से सबधित जारी प्रश्नावली के उत्तर म बीकानेर की तत्कालीन सरकार ने लिखा था कि बीकानेर राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछडे रहने मे अग्रेजी सरकार भी बाधक थी। राज्य में उद्योग स्थापना म आयातित मशीनो की आवश्यकता रहती थी। इन्हे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का सहयोग आवश्यक था, जो उन्हें बडी कठिनाई म मिल पाता था।[64] बीकानेर सरकार ने नरेन्द्र मण्डल के माध्यम म अग्रेजी सरकार से निवेदन किया कि बीकानेर म फर्टिलाइजर (खाद) फैक्टरी, सुगर (चीनी) मिल, काटन (रुई) मिल व ऊन मिल खोलने के लिए बहुत ही उपयुक्त परिस्थितिया विद्यमान हैं। अत अग्रेजी सरकार इनके खोलने मे रुकावट न डाले तो उचित होगा। इसके लिए उसने अग्रेजी सरकार से प्राथना भी की कि वह फर्टिलाइजर मिशन की सिफारिशो को लागू न करे तथा राज्य का कच्चा माल जो भारत स्थित रुई व चीनी मिलो के लिए जाता है उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय जिससे बीकानेर राज्य म भी खाद व अन्य उद्योगो को स्थापित एव विकसित किया जा सके।[65] राज्य सरकार की इस टिप्पणी से अग्रेजी सरकार की राज्यो के औद्योगीकरण के प्रति अनुदार नीति पर प्रकाश पडता है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अग्रेजी सरकार ने मुद्रा स्फीति रोकने के नाम पर अनेक नये शुल्क एव आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा की। इससे भी राज्यो के औद्योगीकरण पर बुरा प्रभाव पडा। सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर अतिरिक्त

लाभ कर (इ० पी० टी०) लागू कर दिया।[66] सभी राज्यों के शासकों ने इसे राज्यों के औद्योगीकरण में रुकावट डालने की नीति का एक अंश मानकर इसका विरोध किया। बीकानेर राज्य ने तो इसे राज्य के औद्योगीकरण में रुकावट डालने वाला शुल्क मानकर इस नतिकता के आधार पर भारत सरकार से समाप्त करने का निवेदन किया।[67] अतिरिक्त लाभ कर के अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्यों में नई पूजी के निगमन, नई सावजनिक प्रतिभूति (पब्लिक सिक्युरिटीज) के बेचन, नई कम्पनी के स्थापित करने व अग्रिम सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसका भी राज्य के औद्योगीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

राज्य सरकार की औद्योगीकरण एव बडे उद्योगो को स्थापित करने मे अरुचि

राज्य सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कोई भी उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपति को दो से दस वर्ष का एकाधिकार देने की व्यवस्था की हुई थी।[68] इस व्यवस्था के अन्तर्गत एकाधिकार की निश्चित अवधि में अन्य कोई इच्छुक उद्योगपति इस प्रकार का उद्योग स्थापित नही कर सकता था। बीकानेर राज्य ऊन के उत्पादन मे एक अग्रणी राज्य था तथा ऊन पर आधारित एक ही प्रकार का सम्पन्न करने वाले एक से अधिक उद्योग स्थापित करने मे कोई कठिनाई नही थी। ऊन के कांटे साफ करने वाली एक बहुत साधारण मशीन होती थी, जिसे राज्य की ऊन उत्पादन की क्षमता को देखते हुए राज्य के विभिन्न भागो मे स्थापित किया जा सकता था किन्तु यह देखा गया कि जब राज्य मे ऊन के कांटे अलग करने की फैक्टरी (वूल बरिंग फैक्टरी) स्थापित करने का मामला विचाराधीन था, उस समय राज्य के अनेक व्यापारी इस प्रकार की फैक्टरी लगाने को उत्सुक थे।[69] किन्तु राज्य सरकार ने इस प्रकार की फैक्टरी केवल सेठ चादमल ढढ्ढा को ही एकाधिकार के साथ लगाने की अनुमति दी।[70] इसी प्रकार की नीति ऊन की पक्की गाठे बाधने की मशीन (वूल प्रेस) लगाने में अपनाई गई। राज्य के अनेक व्यापारी ऊन प्रेस स्थापित करना चाहते थे किन्तु केवल सेठ भरूदान सठिया को एकाधिकार के साथ वूल प्रेस लगाने की अनुमति दी गई।[71] बीकानेर शासक गगासिंह ने सभवत उद्योगो को एकाधिकार प्रदान करने की नीति के दूरगामी परिणामों के बारे में विशेष ध्यान नही दिया। यद्यपि एकाधिकार देने की नीति उद्योगपतियों के पक्ष में अवश्य थी किन्तु औद्योगीकरण के विरुद्ध थी तथा व्यावहारिक रूप में वह राज्य में उद्योग स्थापित करने में सहायक नही थी। राज्य में ऊन में सम्बन्धित उद्योगो की इग्लैड व जापान से कोई प्रतिस्पर्द्धा नही थी, इसलिए राज्य में एकाधिकार प्रदान करना राज्य के औद्योगीकरण के विरुद्ध था।

राज्य सरकार राज्य में उद्योग स्थापना की भावना को प्रोत्साहित नही करती थी। इसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा उद्योगपतियों के आवेदनों पर निर्णय लेने मे विलम्ब करने से होती है। बम्बई की एक प्रमुख फर्म 'मैसर्स कराजी वाला' राज्य में ऊन मिल खोलने को काफी इच्छुक थी किन्तु राज्य सरकार ने काफी लम्बे समय तक उसके आवेदन पर कोई निर्णय नही लिया क्योंकि राज्य सरकार के ऊन मिल स्थापना में आर्थिक लाभ नही दिखाई पड़ा। जी० डी० रुडकिन रेवेन्यू कमिश्नर ने लिखा कि राज्य में कोई भी ऊन मिल तभी स्थापित करना उचित होगा जबकि राज्य को उसके उत्पादन शुल्क से डेढ लाख रुपये के लगभग आमदनी हो क्योंकि राज्य को अपने यहा से ऊन निर्यात करने पर शुल्क के रूप में डेढ लाख रुपये की आय प्रतिवर्ष पहले से ही हो रही थी।[72] राज्य में ऊन मिल की भांति अनेक उद्योगपतियों ने सीमेण्ट व चीनी मिल स्थापित करने हेतु महाराजा गगासिंह के शासन में आवेदन किये किन्तु महाराजा शार्दूलसिंह के शासन में 1946 ई० तक उन पर कोई निर्णय नही लिया जा सका।[73] निर्णय लेने मे अत्यधिक विलम्ब का कारण राज्य सरकार की उद्योगों को स्थापित करने में विशेष रुचि का अभाव था। राज्य सरकार द्वारा राज्य मे उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को राज्य में प्रचलित औद्योगिक शुल्को मे किसी प्रकार की छूट भी नही दी जाती थी। राज्य मे प्रचलित औद्योगिक शुल्क भारत में लगने वाले औद्योगिक शुल्को से कही अधिक थे। जिनमे छूट दिये बिना भारत के उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित करना सभव न था।[74] औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े रहने के स्थानीय कारणों में राज्य की भौगोलिक स्थिति भी एक कारण थी। राज्य के उत्तरी भाग जहा 1929 ई० में गगनहर का पानी लगने लगा था, वो

छोडकर सारे राज्य मे उद्योगो के लिए तो क्या पीने के पानी की भी भारी समस्या थी। यहा के लोग अधिकाशत कल जीवन के सामान्य कार्यों एव घरेलू उपयोग के लिए वर्षा के पानी पर ही निभर रहते थे जिस कुण्ड अथवा तालावों म इक्टठा करके रखते थे। इसके अतिरिक्त कुए जो दो सौ से तीन सौ हाथ गहरे होत थे, पानी के मुख्य स्रोत थे।[5] किन्तु इतने गहरे कुए खुदवाना आसान काय नही था। यद्यपि राज्य के शासक गगासिह न बीकानर के कुछ कुआ म बिजली लगवाकर, पीने के पानी का समाधान अवश्य कर दिया था किन्तु अन्य कार्यों के लिए पानी की कमी बनी ही रही।[6] राज्य सरकार समय समय पर उद्योग खोलने वालो के लिए अनेक सुविधाए प्रदान करती थी किन्तु पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्वय उद्योगपति को करनी होती थी।[77] पानी के अभाव मे बिजली का उत्पादन भी कम होता था। अगर वह उद्योगो के लिए उपलब्ध हा जाती तो बहुत महगी पडती थी।[8] पानी बिजली के अतिरिक्त बीकानर राज्य की स्थिति इस प्रकार की थी कि वह भारत के प्रमुख बन्दरगाहा एव व्यापारिक केन्द्रो स काफी दूर भी पडता था।[9] इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा की आर कोई ध्यान नही दिया जिसके फलस्वरूप राज्य म उद्योग खोलन वालो के लिए कुशल श्रमिकों का अभाव बना रहा।[80]

राज्य का औद्योगिक दृष्टि से पिछडे रहने के कारण का अध्ययन करने से यह निष्कष निकलता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अंग्रेजी भारत मे रहने वाले पूजीपतियो पर भारतीय राज्यो के उद्योगो मे पूजी लगाने पर प्रतिबन्ध की नीति अपनान के फलस्वरूप राज्य से अंग्रेजी भारत मे निष्क्रमण किय हुए उद्यमी व्यापारी व उनके साथ ल जाई गई पूजी से हा राज्य को हाथ नही धोना पडा वरन् उनके द्वारा वहा कमाई गई पूजी जिसका राज्य के औद्योगीकरण मे उपयोग सभव था से भी वचित रहना पडा। इसके अतिरिक्त बीसवी सदी के पूर्वार्द्ध म भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राज्यो के औद्योगीकरण सबधी महत्त्वपूर्ण मामलो को अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर लेने एव राज्य की भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न स्थानीय समस्याओ ने राज्य के औद्योगिक विकास मे अवरोध उत्पन्न कर दिया।

सन्दभ

1 टॉड कनल जेम्स—दी एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान, भाग 2, पृ० 1155, बीकानेर जगात बहियो मे भी इस सबध मे पर्याप्त प्रकाश पडता है (रा० रा० अ)

2 पाउलेट—गजेटियर ऑफ दी बीकानेर स्टेट, पृ० 82, कन्हैयाजू देव—बीकानेर राज्य का इतिहास, परिशिष्ट, प० 14, जन रै लुकारे रै जगात री बही, बीकानेर सवत 1844, न० 53, लूण र जगात री बही बीकानेर, सवत 1826 न० 23 (रा० रा० अ)

3 शर्मा, कालूराम—उन्नीसवी सदी राजस्थान का सामाजिक आर्थिक जीवन (शोध ग्रन्थ—राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर), प० 273

4 पो० क० 19 फरवरी 1835, न० 20 व 34, पो० क० 5, फरवरी 1835, न० 44 45 (रा० रा० अ)

5 मैनुअल ऑफ दी नादन इण्डिया, साल्ट रेवेन्यू डिपाटमट, खण्ड-1, पृ० 14

6, एचिसन खण्ड 3, प० 38 40, 112 117, 134, 137, 209, 221, 239, 247, 280, 289, 310 331, 349, 382, 401।

7 एचिसन खण्ड 3 पृ० 279 280 व 393 395

8 वाट—ए डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इण्डिया, खण्ड 4 पृ० 421।

9 पो० क० जुलाई 1880 न० 186-188 (रा० अ० दि)

10 उन्नीसवीं सदी राजस्थान का सामाजिक आर्थिक जीवन (शोध ग्रन्थ), पृ० 288
11 राज्य म उद्योग के रूप में सर्वप्रथम राज्य स्तर पर 1904 ई० म केन्द्रीय कारागह, बीकानर मे एक 'कारपेट फैक्टरी' स्थापित की गई थी पॉलिटिकल डिपाटमेट, बीकानेर, सन् 1906 12, न० एफ 14। 139, प० 24 (1), (रा० रा० अ)
12 रिपोट ऑफ बीकानेर बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी (1930), पृ० 70 (रा० रा० अ)
13 महकमाखास, बीकानेर, 1906 1910, न० ए 512, पृ० 117 (रा० रा० अ)
14 महकमाखास, बीकानर, 1906-1910, न० 512, प० 117-18 व 128, रिपोट आफ बीकानेर बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी, पृ० 72 (रा० रा० अ)
15 फोर डीकेड्स ऑफ प्रोग्रेस इन बीकानेर, पृ० 110
16 रिपोट ऑफ बीकानेर बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी, पृ० 72-73
17 रेवेन्यू, डिपाटमेट, बीकानेर, 1928, न० बी 1519 1520, पृ० 4, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेट इन दि बीकानेर स्टेट, पृ० 31-32 (रा० रा० अ)
18 रवेन्यू, डिपाटमेट, बीकानेर, 1928, न० बी 1519-1520, पृ० 2, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेट इन दि बीकानेर स्टेट, पृ० 33 (रा० रा० अ)
19 रेवेन्यू, डिपाटमेट, बीकानेर, 1928, न० बी 1519-1520, पृ० 1 4, इण्डस्ट्रियल डेवलपमट इन दि बीकानर स्टट, पृ० 33 54 (रा० रा० अ)
20 असक्नि—दी वेस्ट राजपूताना स्टेट्स रेजिडेंसी एण्ड दी बीकानेर एजेंसी, प० 344
21 फोर डीकेड्स ऑफ प्रोग्रेस इन बीकानेर, पृ० 33
22 वही
23 बीकानेर राज्य की जनगणना रिपोट, 1943, भाग-1, प० 3 7
24 रिपोट ऑफ बीकानेर बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी, पृ० 74
25 सत्यदेव विद्यालंकार—दी मारवाडीज ऑफ राजस्थान (कारवा, देहली, जनवरी 1961)
26 इसका पता राज्य के व्यापारियों द्वारा बीकानेर राज्य मे रेल व नहर निमाण में दी गई आर्थिक सहायता व विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को दिय गये आवेदन पत्रा से चलता है फाइनेन्स डिपाटमेट, बीकानेर, 1926, न० ए 204-210, पृ० 22, महकमाखास डिपाटमेट, बीकानेर 1906, न० ए-512, पृ० 19, 51, 54,64 (रा० रा० अ)
27 राजस्थान की रियासतों म केवल जोधपुर का क्षेत्रफल ही अधिक था अर्थात 35066 वगमील बीकानेर राज्य की जनगणना रिपोट, सन् 1921
28. वही
29 होम डिपाटमण्ट, बीकानेर, 1925, न० बी 3517-3518, पृ० 7 (रा० रा० अ०)
30 रवेन्यू डिपाटमेट, बीकानर, 1932, न० ए 1295 1335, पृ० 45, 46, 58, 59 व 82 (रा० रा० अ०)
31 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेट इन दि बीकानेर स्टट, प० 14 15
32 आफिस आफ दि प्राइममिनिस्टर, नोटीफिकेशन, लालगढ, 10 मई, 1944, पृ० 1 (रा० रा० अ०)
33 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट इन दि बीकानेर स्टेट, प० 58 65
34 होम डिपाटमेट, बीकानेर, 1919, न० बी-1198 1204, पृ० 1-19 (रा० रा० अ०)
35 फॉरेन एण्ड पालिटिकल डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1944, न०-I।बी०। 180, पृ० 2 (रा० रा० अ०)

36 इण्डस्ट्रियल डेवलपमण्ट इन दि बीकानेर स्टेट, पृ० 17 19
37 कालोनाइजेशन डिपाटमण्ट, बीकानेर, 1932, न० बी 42 45, पृ० 1 (रा० रा० अ०)
38 इण्डस्ट्रियल डेवलपमण्ट इन दि बीकानर स्टेट, पृ० 19 20
39 महकमाखास, बीकानेर, 1906 10, न० ए 512, पृ० 19, 51, 54, 64, होम डिपाटमण्ट, बीकानेर, 1926 न० बी-2337 2341, प० ,-10 (रा० रा० अ०)
40 रेवन्यू डिपाटमण्ट, बीकानेर, 1932, न० ए 1295 1335, पृ० 58 59 (रा० रा० अ०)
41 वही, पृ० 82
42 रेवन्यू डिपाटमेण्ट, बीकानर, 1932, न० ए-1295-1335, पृ० 58 59 (रा० रा० अ०)
43 राज्य म ऊन प्रस स्थापित होने से पूव यहां की ऊन की पक्की गांठें बांधने हेतु अग्रजी भारत क फाजिल्का नगर म भेजा जाता था
44 होम डिपाटमण्ट, बीकानेर, 1926, न० बी-2337 2341, पृ० 1 (रा० रा० अ०)
45 रेवेन्यू डिपाटमण्ट, बीकानेर, 1934, न० बी 907 910, पृ० 1-5 (रा० रा० अ०)
46 रिपोट आन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी बीकानर स्टट, 1943 44, पृ० 58
47 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1930, न० ए 487-490, पृ० 2 (रा० रा० अ०)
48 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट इन दि बीकानेर स्टेट, पृ० 58
49 रिपोट आन दी एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि बीकानेर स्टट, 1930 31, पृ० 28
50 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट इन दि बीकानेर स्टेट, पृ० 22
51 रिपोट आफ दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीकानेर स्टेट, 1944 45, पृ० 65
52 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट इन दि बीकानेर स्टेट, पृ० 23
53 रेवेन्यू डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1930, न० ए 857-877, पृ० 8 (रा० रा० अ०)
54 रिपोट आन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीकानेर स्टेट, 1946 48, पृ० 11
55 रिपोट आन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीकानर स्टेट 1930 31, पृ० 91, रेवेन्यू डिपाटमेण्ट, बीकानेर 1931, न० 695 718, प० 34, होम डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1921 न० बी 251 256, प० 3, रेवे डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1933, न० ए-1-57, पृ० 65 68, इण्डस्ट्रियल डेवलपमण्ट इन दि बीकानर स्टे प० 20 25 (रा० रा० अ०)
56 सरक्यूलर न० 81, भारत सरकार द्वारा माच 1891 म समस्त शासकों को भेजा गया था पो० क० इण्टर नल ब्री प्रोसिडिंग्स, दिसम्बर 1891, न० 161-171 (रा० अ० दि०)
57 गवनमण्ट ऑफ इंडिया, फॉरेन डिपाटमेण्ट, पत्र 2827 I, 14 अगस्त, 1893, फॉरेन पालिटिक डिपाटमट, बीकानेर, 1941 44, न० I बी I 175, पृ० 16 (रा० रा० अ०)
58 फॉरेन पालिटिकल डिपाटमण्ट रेजूलेशन, न० एफ 170 आर, 29 मई, 1930, सरक्यूलर न० 181 48 आफ 1930, फारेन पालिटिकल डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1946, न० I बी 199, पृ० 2 (रा रा० अ०)
59 फारेन पालिटिकल डिपाटमट, बीकानेर, 1944, न० I बी 180, पृ० 1-3, गोपनीय एजेण्डा, न० 17 मेमोरेण्डम एक्सप्लेनटेरी (रा० रा० अ०)
60 वही
61 गोपनीय एजेण्डा न० 17 मेमोरण्डम एक्सप्लेनेटरी फॉरेन पॉलिटिकल डिपाटमेट, बीकानेर, 1944, न० I बी 180, पृ० 1 3 (रा० रा० अ०)

62 फॉरेन पॉलिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1944 न० 1-बी-180, पृ० 1 (रा० रा० अ०)

63 वही

64 वही

65 वही, पृ० 14

66 17 मई 1943 को भारत सरकार के फाइनेन्स मेम्बर सर जैरमी रायसमैन ने अतिरिक्त लाभ कर (ई० पी० टी०) की एक प्रेस कान्फ्रेंस मे घोषणा की थी फॉरेन पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर 1944, न० 1।बी।180, पृ० 2 (रा० रा० अ०)

67 फॉरेन पॉलिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1944, न०-1।बी।180, पृ० 5 (रा० रा० अ)

68 होम डिपाटमेंट, बीकानेर, 1915, न० बी 1198 1204, पृ 1-19 (रा० रा० अ०)

69 इनमे सेठ चांदमल ढड्ढा, फतेहचन्द दम्माणी, श्रीनाथ बाहती, कृष्णगोपाल दादाणी, रामचन्दर जुगल किशोर डागा व सेठ शिवरतन मोहता मुख्य व्यापारी थे महकमाखास डिपाटमेंट बीकानेर 1906 10, न० ए-512, पृ० 19,51,54,64, रेवन्यू डिपाटमेंट बीकानेर, 1932, न० ए 1295 1335, प० 45 46 (रा० रा० अ०)

70 रेवन्यू डिपाटमेंट, बीकानेर, 1932, न० ए-1295 1335 पृ० 58 59 (रा० रा० अ०)

71 इनमे सेठ जीतमल फतेहचन्द दम्माणी व सेठ साहिबराम सराफ का नाम उल्लेखनीय था।

72 महकमाखास, बीकानेर, 1906 10, न० ए 512 पृ० 121 (रा० रा० अ०)

73 महकमाखास, बीकानेर, 1906-10, न० ए 512, पृ० 31, 64, होम डिपाटमेंट, बीकानेर, 1922, न० बी-375-380, पृ० 4 (रा० रा० अ०)

74 बीकानेर राज्य मे उद्योगों पर तीन प्रकार के शुल्क प्रचलन मे थे। पहला माल के आयात निर्यात पर जगात, दूसरा रॉयल्टी व तीसरा मुनाफे पर शुल्क था, मुनाफे पर यह शुल्क साढे बारह प्रतिशत था जबकि अंग्रेजी भारत मे उक्त शुल्क बहुत कम थे, फारेन पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1944, न० 1।बी०। 180, प० 12, 15 (रा० रा० अ०)

75 पाउलेट गजेटियर ऑफ दी बीकानेर स्टेट, 93, 149 फार डीकेड्स आफ प्रोग्रेस इन बीकानेर, प० 114

76 फॉर डीकेड्स ऑफ प्रोग्रेस इन बीकानेर, पृ० 114-115

77 रेवेन्यू डिपाटमेंट, बीकानेर, 1932, न० ए-1295 1335, पृ० 48, 58, 59, 82 (रा० रा० अ०)

78 राज्य मे उद्योगपतियो को बिजली की व्यवस्था स्वय करने को कहा गया था। अगर वे सरकारी बिजली का उपयोग करना चाहते तो राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार बिजली शुल्क वसूल कर सकती थी ऑफिस आफ दी प्राइममिनिस्टर, बीकानेर नोटिफिकेशन, 10 मई, 1944, प० 1 (रा० रा० अ०)

79 बीकानेर से बम्बई 763 मील, कलकत्ता 1195 मील, कराची 611 मील, कानपुर 562 मील, बनारस 758 मील, अहमदाबाद 453 मील व दिल्ली 331 मील दूरी पर स्थित थे। राज्य मे उद्योग स्थापित करने वालो को अधिकाश मशीनो का आयात या तो विदेशो से करना होता था अथवा ब्रिटिश भारत के मुख्य व्यापारिक केन्द्रो से। अत राज्य मे मशीनो के लाने के लिए भारी रेल भाडा देना होता था महकमा खास, बीकानेर, 1906-10, न० ए 512, पृ० 187, फॉरेन पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर 1944, न० 1।बी। 180, पृ० 17 (रा० रा० अ०)

80 राज्य सरकार के अतिरिक्त व्यापारी लोग भी राज्य म उद्योग खोलने म कुशल श्रम क अभाव को अडचन मानते थे। उद्योगपति मिस्टर एम० आर० करांजवाला न राज्य मे ऊन मिल स्थापित करन म जो अनक अडचनो का उल्लेख किया था, उनम कुशल श्रम का अभाव, पानी व बिजली का अभाव एव बन्दरगाहों स दूरी को भी राज्य को उद्योग स्थापित करन के लिए उचित स्थान नही माना था। उनके अनुसार कुशल श्रमिको को बम्बई, कलकत्ता आदि से बीकानेर लाना काफी महगा पडेगा महकमाखास, बीकानर, 1906 10, न० ए-512, पृ० 73 74, फॉरेन पॉलिटिकल डिपाटमट, बीकानेर, 1944, न० 1।बी। 180, प० 15 (रा० रा० अ)

अध्याय 7

बीकानेर क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी घरानो का परिचय एव इतिहास

19वी सदी मे बीकानेर राज्य अपने व्यापारी घराना के माध्यम से भारत म एक विशिष्ट स्थान बनाय हुए था। यहा के व्यापारी वाणिज्य-व्यापार विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र मे राजस्थान के अन्य राज्यो के व्यापारियो मे अग्रणीय रहे है। सचार एव यातायात की आधुनिक सुविधाओ के अभाव से उत्पन्न असुरक्षा की आशकाओ के बीच इन व्यापारी घरानो के सदस्यो ने भारत के विभिन्न भागो म निष्क्रमण कर अत्यन्त विषम परिस्थितियो मे भी अग्रेजी सरक्षण मे भारत के वाणिज्य व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुचाने से सफलता प्राप्त की। आगे चलकर बीसवी सदी के आरभ मे इन्ही घरानो के सदस्य भारत औद्योगीकरण मे महत्वपूण भूमिका निभाने के कारण भारत के बडे उद्योगपतियो की श्रेणी म गिने जाने लगे।[1] इनके द्वारा भारत भर मे जनकल्याणकारी कार्यों म अधिकाधिक पूजी लगाने एव भारत की अग्रेज सरकार तथा अपने मूल राज्य बीकानेर के शासको की आर्थिक सहायता करने के फलस्वरूप समस्त भारत मे अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। यहा बीकानेर राज्य के उन कुछ व्यापारी घरानो का विस्तृत परिचय आवश्यक है जिन्होने निष्क्रमण के पश्चात् वाणिज्य व्यापार मे पर्याप्त उन्नति की एव अग्रेजी प्रान्ता एव भारतीय राज्या म मारवाडी व्यापारिया की साख जमाने म महत्त्वपूण भूमिका निभाई।

सेठ मिर्जामल पोद्दार का घराना, चूरू

अग्रवाल जाति का चूरू का यह व्यापारी घराना राजस्थान के उन इने गिने घरानो मे से था जिसका वाणिज्य व्यापार 19वी सदी मे प्राय भारत के हर भाग म फैला हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस घराने का चतुभुज पोद्दार 18वी सदी के उत्तराद्ध मे लगभग बीकानेर राज्यान्तगत चूरू से वाणिज्य व्यापार हेतु पजाब के भटिण्डा नामक स्थान पर चला गया था। वहा पर उसने प्रचुर सम्पत्ति का अजन किया।' इन्ही दिनो मे इस घराने की पारगमन व्यापार पर जगात के प्रश्न को लेकर चूरू के सामन्त शिवजीसिंह से अनबन हो गई। फलत चतुभुज पोद्दार रुष्ट होकर अपने पूरे परिवार सहित चूरू से सीकर म नोशा ढाणी नामक ग्राम मे जाकर बस गया। यही ढाणी कालान्तर मे सेठो के रामगढ़ के नाम स प्रसिद्ध हुई।[3] चतुर्भुज के तीन पुत्र जिन्दाराम, नाराचन्द एव जौहरीमल थे।[4] रामगढ़ जाने पर इस परिवार ने देश के विभिन्न भागो मे अपने वाणिज्य व्यापार को फैलाया।' बीकानेर महाराजा सूरतसिंह को इस पोद्दार घराने द्वारा राज्य छोडकर चला जाना अच्छा नही लगा और वह उन्हे वापिस राज्य म लाने के लिए इस घराने के सदस्यो को खास रुक्के व परवाने लिखे।[6] अन्त मे महाराजा के विशेष आग्रह पर सन् 1823 ई० मे जिन्दाराम पोद्दार के तीन पुत्रो मे से दो नागरराम व मिर्जामल पूरे परिवार सहित चूरू आ गये।

पोद्दारो के इस घराने म मिर्जामल पोद्दार सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ। उसने अपने भतीजे हरभगतराय के साथ अपने व्यापार को काश्मीर से लगाकर मालवा तक एव मुल्तान से लगाकर कलकत्ता तक विस्तृत किया। उसकी फर्मों

मे बैंकिंग, बीमा, पोतदारी (खचाची), ठेके एवं वस्तुओं के आयात निर्यात का काय हुआ करता था। काश्मीरी शालो को बम्बई के बन्दरगाह के माध्यम से इंग्लैण्ड को भी निर्यात किया करता था।[7] इसका भारतीय राज्य विशेष रूप से राजस्थान एव पजाब के राज्यो के शासको से लेन देन का काम था। बीकानेर के शासक महाराजा सूरतसिंह को उसने 1825 ई० एवं 1827 ई० मे क्रमश 127000/- रुपये एव 40000।/ रुपया उधार दिया।[8] सीकर तथा खेतडी के शासको के साथ उसका लेन देन हुआ करता था।[9] पजाब केसरी महाराजा रणजीतसिंह के साथ सेठ मिर्जामल का घनिष्ठ सम्पर्क था। इनकी ओर से मिर्जामल को वाणिज्य व्यापार मे अनेक प्रकार की छूट तथा रियायतें मिली हुई थी। काश्मीर व मुल्तान की दुकानों के महसूल मे उसे महाराजा रणजीतसिंह की ओर से 25 प्रतिशत की छूट थी। महाराजा ने अपने पौत्र नौनिहालसिंह की शादी मे शामिल होने के लिए मिर्जामल को आमन्त्रित किया था। महाराजा रणजीतसिंह ने किसी विशेष अवसर पर मिर्जामल पोद्दार को मोतियो का एक बहुमूल्य कण्ठा उपहार स्वरूप प्रदान किया था। महाराजा रणजीतसिंह और मिर्जामल के आपसी सम्बन्धो के बारे मे सैकडो पत्र मिर्जामल के वशजो के यहा सुरक्षित है।[10] पजाब की रियासतो तथा मराठा राज्यो के शासको के साथ भी उसके व्यापारिक सबध थे।[11] भारत की अग्रेज सरकार एव उसके अधिकारियो के साथ भी मिर्जामल पोद्दार के घनिष्ट सम्पर्क थे। उन्नीसवी सदी मे अग्रेज सरकार ने भारतीय राज्यो के व्यापारियो को अग्रेजी भारत मे वाणिज्य-व्यापार फैलाने के लिए जो सरक्षण देने की नीति अपनायी हुई थी उसका मिर्जामल पोद्दार ने काफी लाभ उठाया था। उसे अग्रेज अधिकारियो से भौतिक एव नैतिक दोनो तरह का सरक्षण मिला था। अग्रेज अधिकारियो ने चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ, जार्ज रसल क्लार्क, एडवर्ड कालब्रुक, क्लाड मार्टिन वेड, एच० एम० लारेंस, फासिस विल्डर, हेनरी मिडिलटन एव ट्रेवलियन आदि से इस सबध मे उसका पत्र व्यवहार रहता था।[12]

बीकानेर राज्य मे मिर्जामल पोद्दार का भारी प्रभाव एव सम्मान दोनो थे। राज्य मे उसके प्रभाव एव सम्मान का अनुमान महाराजा सूरतसिंह के द्वारा दिये गये एक इकरारनामे से लगाया जा सकता है।[13] इकरारनामे के भाव इस प्रकार है— 'सेठ मिर्जामल गुरुमुख पोतदार ने बीकानेर राज्य की बहुत सेवाए की हैं। चूरू के बागी ठाकुर मूजा को मौजे के बाहर निकालने मे सेठ मिर्जामल ने सफल प्रयत्न किया है। उक्त सेठ ने चूरू के उजडे गाव को पुन 1882 (1825 ई०) मे बसाकर बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। सेठ मिर्जामल और उसके खानदान वाले न्याय विभाग तथा दूसरे विभागो की सब प्रकार की सजा से मुक्त कर दिये गये है। बीकानेर सरकार इनके तथा इनके खानदान वालो के साथ कृपापूर्ण व्यवहार करेगी। इनके शत्रु, चुगलखोर आदि व्यक्तियों के द्वारा उनके खिलाफ जो शिकायत आवेगी, उस पर बीकानेर सरकार कुछ भी ध्यान नही देगी। इन तथा इनके खानदान वालो को तीन खून तक का गुनाह माफ है। इनके खिलाफ जो कोई भी बात होगी उसका निपटारा वे स्वयं करेंगे। इनके कर्जदारो से कर्ज वसूले करने के लिए राज्य की कचहरियों का सख्त हिदायत दे दी गई है कि वे सरकार की तरफ से इनकी एक एक पाई वसूल करने की व्यवस्था करे। इन सम्मानो मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा।" इसके अतिरिक्त मिर्जामल को राज्य की अनेक सम्मान एव सुविधाए अलग मे प्राप्त थी। मिर्जामल का प्रभाव इतना बढ गया था कि राजस्थान के बडे बडे डाकू भी उसकी इच्छा के अनुसार कार्यवाही किया करते थे। इसका पता उस घटना से लगता है जिसके अनुसार सेठ मिर्जामल ने अपने गुमाश्ते जीतमल चमडिया द्वारा 966) रुपये की खयानत करने व रुपयो का हिसाब चुकता न करने के कारण, उसके बेटे और बहू का अपहरण सुप्रसिद्ध धाड़वी डूगजी जवाहरजी (डूगरसिंह जवाहरसिंह) के द्वारा गुप्त रूप से करवा दिया। इसकी जानकारी डूगजी जवाहरजी की ओर से मिर्जामल हरभगत के नाम लिखे गये दो गोपनीय पत्रो से होती है।[14] मिर्जामल पोद्दार की मृत्यु 1848 ई० मे नाभा मे हुई। राज्य मे मिर्जामल पोद्दार की मृत्यु के बाद उसके लडके गुरमुखराय पोद्दार एव महादयाल पोद्दार का विशेष सम्मान बना रहा। राज्य का शासक जब भी चूरू आता तब गुरमुखराय पोद्दार की हवेली के सामने आकर अपने हाथी को रोकता था और उसका सम्मान बढाता था।[15] इसी समय मिर्जामल पोद्दार के भाई नानगराम के पुत्र हरभगतराय एव मगनीराम ने भी इस पोद्दार घराने मे अपने वाणिज्य व्यापार के कारण काफी प्रसिद्धि प्राप्त की किन्तु बीसवी सदी मे इस घराने की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी कमजोर हो गई।

सेठ अमरसी सुजानमल ढड्ढा का घराना, बीकानेर

ओसवाल जाति के व्यापारियों में सेठ अमरसी सुजानमल ढड्ढा का घराना राज्य के प्रतिष्ठित घरानों में से एक था। इस घराने के पूर्व पुरुष सेठ तिलोकसी ने अट्ठारवी सदी के आरंभ में ही राज्य से निष्क्रमण कर बनारस में 'खेतसी तिलोकसी' नाम से एक व्यापारी फर्म की स्थापना की। बनारस में यह फर्म उस समय की मुख्य बैंकिंग फर्मों में अपना स्थान बनाए हुए थी।[16] तिलोकसी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अमरसी ने अपना कारोबार बीकानेर में प्रारंभ कर हैदराबाद (दक्षिण) में 'अमरसी सुजानमल' के नाम से एक फर्म स्थापित की।[17] हैदराबाद में अमरसी इतना प्रभावशाली हो गया था कि इसके मुकदमों के लिए निजाम सरकार ने एक विशेष न्यायालय स्थापित कर रखा था जिसका नाम मजलिसे साहुकान (साहूकारों का न्यायालय) रखा गया था। इस विशेष न्यायालय में सेठ अमरसी के घराने के लोगों के सभी मुकदमे बिना स्टाम्प फीस तथा निर्धारित समय (अवधि) के बाद भी सुने जाते थे।[18] सेठ अमरसी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी सेठ सुजानमल बना। उसने अपनी फर्म का कारोबार पंजाब में लाहौर व अमृतसर एवं राजस्थान में मेवाड़ तक फैला दिया। सेठ सुजानमल की मृत्यु के बाद सेठ उदयमल उसका उत्तराधिकारी बना। उसे हैदराबाद राज्य में अनेक सम्मान प्राप्त थे। इसी भांति बीकानेर राज्य की ओर से भी उसे अनेक सम्मान एवं सुविधाएं प्रदान की गई थी। राज्य के शासक महाराजा सरदार सिंह ने उसे 'सेठ' की उपाधि, घर की स्त्रियों के पैरों में स्वर्ण आभूषण पहनने की छूट तथा राज दरबार में उसके बैठने का स्थान नियत कर सम्मानित किया था।[19] उसे अपने नौकर-चाकरों से निपटने के लिए राज्य की ओर से दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त थे।[20]

सेठ उदयमल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र चांदमल जो अपने समय के ओसवाल समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से था, ने अपने व्यापार को विस्तृत करके मद्रास, कलकत्ता, सिलहट आदि स्थानों पर स्थापित किये। वह हैदराबाद (दक्षिण) के साथ जावरा राज्य का भी स्टेट बैंकर था। उसने बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त बड़े-बड़े ठेके एवं जमींदारी के कार्य को अपनाया।[21] भारत की अंग्रेज सरकार से उसके निकट के संबंध थे। अंग्रेज सरकार ने सेठ चांदमल को 'सी० आई० ई०' की उपाधि देकर सम्मानित किया था।[22] राज्य के शासक महाराजा गंगासिंह के शासनकाल में सेठ चांदमल को व्यापारियों को मिलने वाले सभी सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। इनमें बैठक का कुरब और किले में सिंहपोल दरवाजे तक बग्गी में बैठकर जाने की इजाजत भी थी।[23] महाराजा ने उसे ताजीम का सम्मान देकर उसे अपने निजी स्टाफ का सदस्य मनोनीत किया। अनेक अवसरों पर वह उसकी हवेली पर जाकर उसे सम्मान दिया करता था।[24] चांदमल ढड्ढा भी कस्तूरचंद डागा की भांति राज्य की राजसभा का प्रारंभ काल से ही प्रतिष्ठित मनोनीत सदस्य था।[25] चांदमल के पास राज्य के अनेक पदों का धन जमा रहा करता था जिसका उपयोग वह अपने वाणिज्य-व्यापार में किया करता था।[26] किन्तु सेठ चांदमल की आर्थिक स्थिति उसके अन्तिम समय में असाधारण रूप से बिगड़ गई थी। ऐसे समय में महाराजा गंगासिंह ने उसे इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए काफी प्रयत्न किया। उसने हैदराबाद के निजाम व प्रधानमंत्री को इस समय चांदमल की हर प्रकार की मदद करने का अनुरोध किया[27] तथा राज्य में उसकी सामाजिक स्थिति बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य के वित्तीय नियमों की अवहेलना कर उसकी मदद करने का प्रयत्न किया।[28] किन्तु इसके उपरान्त भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। 1933 ई० में सेठ चांदमल की मृत्यु हो गई।

सेठ चांदमल ने राज्य में जन कल्याणकारी कार्यों में धन खर्च करने के अतिरिक्त राज्य के आर्थिक विकास में भी योग दिया था। राज्य में जब निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने आरंभ हुए तब सर्वप्रथम चांदमल ढड्ढा ने ही ऊन में से कांटे निकालने की (वूल बरिंग) फैक्टरी स्थापित की।[29]

रायबहादुर बंशीलाल अबीरचंद डागा का घराना, बीकानेर

बीकानेर राज्य के व्यापारी वर्गीय इस घराने के सदस्यों ने अपने व्यवसाय में असाधारण ख्याति एवं सम्पत्ति का अर्जन किया। बंशीलाल डागा का पुत्र अबीरचंद उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में बीकानेर से व्यापार निमित्त मध्य प्रा

नागपुर तथा कामठी स्थाना पर चला गया। यहा उसने बशीलाल अबीरचन्द फम की स्थापना की।[30] अबीरचन्द ने अपने भाई रामरतनदास के साथ मिलकर इस फम की शाखाए बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास एव लाहौर आदि स्थानों पर स्थापित की। उन्नीसवी सदी म 'बशीलाल अबीरचन्द फम अपनी उक्त शाखाओ के साथ भारत म प्रथम श्रेणी क बैकर के रूप मे प्रसिद्ध थी तथा इसकी हुण्डी की प्रतिष्ठा समस्त भारत मे फैली हुई थी।[31] रामरतनदास डागा लाहौर म अपने बैंकिंग काय क साथ अग्रेज सरकार के ट्रेजरार के रूप म भी काय करता था। इन दोना भाइया न काबुल युद्ध व 1857 ई० के गदर के समय अग्रेज सरकार की अत्यधिक आर्थिक सहायता की।[32] अग्रेज सरकार न इन दोना भाइया की सेवा स प्रसन्न होकर उन्ह 'रायबहादुर' क खिताब म सम्मानित किया। इनम सेठ रामरतनदास डागा की मारवाडी व्यापारी समाज के अग्रणीय दानशील व्यक्तिया म गिनती थी। उसन इस काय के लिए अनुमानत 60 लाख रुपया खच किया था। भावलपुर और बीकानेर राज्य की सीमा पर सिन्ध के रगिस्तान मे जहा पचास मील तक पानी का नामानिशान न था, एक जलाशय का निर्माण करवाया। अबीरचन्द व रामरतनदास डागा की क्रमश सन 1878 ई० एव 1893 ई० म मत्यु हो गयी।[33]

इनकी मत्यु के बाद इस फम का उत्तराधिकारी कस्तूरचन्द डागा हुआ। उसने बहुत-सी जमीदारी व कायल की खाने खरीदकर व्यापार म पयाप्त वद्धि की। इसके अतिरिक्त रुई का प्रधान व्यापारी बन अनका स्थाना पर काटन जानिग एव प्रैसिग फैक्टरिया की स्थापना की। भारत सरकार मे उसका विशेष सम्मान था। उसकी आर स कस्तूरचन्द डागा को 'दीवान बहादुर सर', केसर ए हिन्द', 'रायबहादुर', 'सी० आई० ई०' व 'के० सी० आई० इ०' की सम्मानित उपाधिया प्राप्त थी। वह मध्य प्रान्त की कौंसिल का भी मनोनीत सदस्य था।[34] बीकानेर राज्य म भी उसका विशष सम्मान था। राज्य की तरफ से उसे प्रथम श्रेणी की ताजीम व स्त्रियो को पैरा म साना पहनने का सम्मान दिया गया था।[35] वह बीकानेर राज्य की राज्यसभा का उसके प्रारम्भ काल से ही मनोनीत सदस्य था।[36] उसकी मत्यु सन् 1916 ई० म हुई।

कस्तूरचन्द डागा की मत्यु के बाद बशीलाल अबीरचन्द फम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र विश्वश्वरदास डागा हुआ। उसने अपने समस्त व्यापार का सचालन बीकानर मे ही रहकर किया। इस समय तक इस फम की शाखाए रगन, हिंगनघाट, रायपुर, जबलपुर सिकन्दराबाद, गटूर, तरनाली परली पूना, निजामाबाद, मुदखेड, लोहा मलू, सागर जयपुर बगलौर आदि स्थानो पर भी स्थापित हो चुकी थी।[37] हिंगनघाट मे इसकी एक कपडा मिल थी। लाहौर एव मध्यप्रान्त का सरकारी खजाना उसके पास ही रहता था। प्रथम महायुद्ध के समय उसने अग्रेज सरकार की पर्याप्त आर्थिक मदद की।[38] अग्रेज सरकार ने कस्तूरचन्द डागा की भाति विश्वेश्वरदास डागा को 'रायबहादुर' 'सर', 'के० सी० आई०' तथा 'नाइट' की सम्मानित उपाधिया दी।[39] उसे मध्य प्रदेश की दीवानी अदालतो मे स्वय उपस्थित होने से मुक्त किय जाने की सुविधा प्राप्त थी। बम्बई, मध्य प्रदेश व पजाब प्रान्त की सरकारो ने तो इस फम की बहियो को न्यायालयो म बिना मगाय हुए इसके मुकदमा का तय करने का सम्मान प्रदान किया हुआ था। बीकानेर राज्य ने उसके पिता कस्तूरचन्द डागा को मिले सभी सम्मान एव सुविधाए उसे बहाल कर दिये थे। इसके अतिरिक्त राज्य की ओर से उसे राजा का खिताब भी दिया गया और कण महल के दरबार हॉल मे उसकी बैठक नियत कर दी गई। उसके निजी खच मे आने वाली वस्तुओ पर जगात माफी की सुविधा दी गई।[40] विश्वेश्वरदास डागा के अन्य तीन भाई नरसिंहदास, बद्रीदास व रामनाथ डागा ने भी इस घराने के व्यापार को बढाने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।[41]

यहा यह उल्लेखनीय है कि बीकानेर राज्य का अग्रेज सरकार व अन्य लोगो के साथ रुपया एव हुण्डियो के लेन देन का व्यवहार इसी फम क माध्यम से होता था जिसके उपलक्ष म उसे निश्चित कमीशन मिला करता था।[42] राज्य की आर्थिक परियोजनाओ को पूरा कराने मे इस घराने के सदस्यो ने विशेष रुचि ली। राज्य मे रेल निर्माण के समय जब राज्य के शासक को धन की आवश्यकता हुई उस समय इस घरान के कस्तूरचन्द डागा ने 3 86,000 रुपय की सहायता की।[43] राज्य म बडे उद्योग क रूप मे काच फैक्टरी इसी घरान के सदस्यो न स्थापित की।[44]

सेठ मोतीलाल मोहता का घराना, बीकानेर

माहेश्वरी जाति का मोहता घराना राज्य मे वशीलाल अबीरचन्द डागा के बाद विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त घरानो म स एक था। इस घराने का मोतीलाल मोहता सन् 1842 ई० मे बीकानेर से हैदराबाद (दक्षिण) गया और वहा सेठ हीरालाल मूणलाल ढड्ढा की दुकान पर मुनीमी का काय आरम्भ किया। उसके शिवदास जगन्नाथ, लक्ष्मीचद एव गोवद्धन दास मोहता नाम के चार पुत्र थे।[45] इनमे से सवप्रथम शिवदास व्यापार काय हेतु कलकत्ता गया। कुछ समय बाद जगन्नाथ और लक्ष्मीचन्द भी कलकत्ता चले गये और तीनो भाइयो ने मिलकर वहा कपडे का व्यापार आरम्भ किया।[46] इस समय कलकत्ता म विलायती कपडे के आयात का सारा काम अग्रेज व्यापारिया के हाथ म था। इनके अपने आयात कार्यालय थ जिन्हें 'हौस' क नाम से पुकारा जाता था। इसी प्रकार का एक आयात कार्यालय 'कारतारक कम्पनी' का था जो इगलड से लाल रग मे कपडे का आयात किया करती थी। उसके छोटे दलालो मे शिवदास एव जगन्नाथ मोहता भी थे।[47] दलाली के काय म दोनो भाइयो ने काफी धन का अजन किया और शिवदास जगन्नाथ' के नाम से लाल कपडे की दुकान खोल ली। सन 1875 के पास चौथा भाई गोवद्धनदास भी कलकत्ता चला गया और ग्राम कम्पनी का कपडा बेचना आरम्भ किया। चारो भाइयो ने दोनो दुकानो के माध्यम से पर्याप्त लाभ कमाया और सर्राफ का काय भी आरम्भ कर दिया। बीकानेर राज्य म उनकी हुण्डी चिटठी का भाव बहुत ऊचा रहता था और रकम भी उनको कम व्याज पर मिल जाती थी। व उसे दूसरो को ऊचे भाव मे देकर अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। बक वाले भी अन्य व्यापारिया की हुण्डिया न लेकर इनकी ही हुडिया लत थे।[48]

इनम से एक भाई गोवद्धनदास मोहता ने सन् 1883 ई० मे अपनी एक दुकान कराची मे स्थापित की। उसने पहले 'शिवदास गोवद्धनदास' नाम से सर्राफ का काम आरभ किया[49] और बाद मे यहा 'कारतारक कम्पनी का गारटी ब्रोकर (वेनियन) बन गया। कारतारक कम्पनी का लाल कपडा यहा खूब चल निकला और अच्छी खासी आमदनी शुरू हो गई। गोवद्धनदास मोहता ने अपने को व्यापार-व्यवसाय मे समृद्ध बनाने के साथ साथ कराची नगर के व्यापार व्यवसाय को उन्नत बनाने, विशाल भवनो का निर्माण करने और समुद्र को पीछे धकेल कर बसाई गई बस्ती को आवाद करने म योग दिया। उसने वहा विशाल कपडा बाजार भी बनाया।[50] गोवद्धनदास मोहता का अग्रेज सरकार एव अग्रेज अधिकारियो से गहरा सम्बन्ध था। अग्रेज सरकार ने उसे रायबहादुर एव ओ० बी० ई० की उपाधियो से सम्मानित किया था।[51]

गोवद्धनदास के दो पुत्र रामगोपाल मोहता और शिवरतन मोहता ने अपने पिता के व्यापार को और विस्तार किया। उन्होने कराची म बी० आर० हरमन मोहता एण्ड कम्पनी के नाम से विशाल लाहे का कारखाना खोला।[52] इसक अतिरिक्त वही पर मोहता नगर म गन्ने की खेती एव उस पर आधारित चीनी मिल भी स्थापित की। इन्होन अपनी दुकानें पजाब दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई एव प्राय समस्त उत्तर भारत मे खोल ली। इसके साथ उन्होंने देश के विविध स्थाना मे निर्माण के अनक बडे बडे ठेके लेने एव अभ्रक तथा कोयला खानो का काय भी आरभ किया।[53] अग्रेज सरकार न शिवरतन मोहता को 'रायबहादुर' के खिताब से सम्मानित किया। अंग्रेजी भारत की भाति इस परिवार के सदस्या का राज्य म अच्छा सम्मान था। अन्य सम्मान और सुविधाओ के साथ राज्य के शासका ने शिवरतन मोहता और रामगोपाल मोहता को राज्य की अनेक महत्त्वपूण समितियो एव प्रशासनिक पदो पर नियुक्त किया। 1913 ई० मे राज्य की प्रथम राज्यसभा म शिवरतन मोहता को मनोनीत सदस्य के रूप मे नियुक्त किया गया।[54] महाराजा गगासिह न राज्य प्रबन्ध के लिए एड मिनिस्ट्रेटिव कान्फ्रेंस की स्थापना की, उसम शिवरतन मोहता की अनुपस्थिति म रामगोपाल मोहता को मनोनीत सदस्य बनाया।[55] सन 1945 ई० मे महाराजा शार्दूलसिंह ने शिवरतन मोहता को राज्य मन्त्रिमण्डल म सिविल सप्लाई मत्री बनाया।[56] इस प्रकार यह मोहता परिवार राज्य एव कराची के अत्यन्त प्रभावशाली एव सम्पन्न घरानो मे गिना जाने लगा।

रामदयाब, मोतीलाल व भगवानदास बागला के घराने, चूरू

रामदयाल सन् 1847 मे चूरू से कलकत्ता गया। वहा उसने अपने दो भाई मोतीलाल व गुलाबराय के साथ मिलकर व्यापार काय आरभ किया। रामदयाल के पुत्र मिर्जामल बागला ने सवप्रथम बर्मा म जाकर सरकारी सना को रसद पहुचाने का ठेका लिया और बाद म वही लकडी का काय आरम्भ कर दिया।[57] रामदयाल के दूसरे पुत्र शिववक्षराय न भी बर्मा मे अपने भाई के पास लकडी का व्यापार आरभ किया। लकडी का व्यापार शनै शनै समस्त बागला परिवार का प्रधान व्यापार हो गया। शिववक्षराय ने इस व्यापार से लाखा रुपयो की सम्पत्ति अर्जित की।[58] उसके भारत की अग्रेज सरकार से गहरे सम्ब ध थे। सन 1873 ई० मे भारत ने उसे रायबहादुर की उपाधि प्रदान की। सन 1876 ई० में उसे मारवाडी व्यापारियो मे सवप्रथम कलकत्ता उच्च यायालय का शेरिफ नियुक्त किया गया। इसके साथ वह कलकत्ता का ऑनरेरी मजिस्ट्रेट पोट कमिश्नर, कारपोरेशन कमिश्नर और विभि न सभा सोसाइटिया का सभापति भी था। सन 1897 ई० मे तत्कालीन वाइसराय लाड लैंसडाउन ने शिववक्षराय बागला का 'राजा' की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया।[59] सन् 1908 मे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके कारोबार को गगाधर व हीरालाल बागला ने सभाला।[60] शिववक्षराय बागला ने अनेक म दिरो, धमशालाओ, सस्कृत पाठशालाओ दातव्य औषधालया, पिंजरापोल, कूआ एव तालाबा का निर्माण करवाया।

रामदयाल बागला के भाई मोतीलाल बागला जिसने अपना व्यापार स्वत त्र रूप से आरभ कर दिया था, क दो पुत्र गणपतराय व रवमान द ने अपने कारोबार से भी काफी धन का उपाजन किया। उ हाने बर्मा म मोलमीन म लकडी के बडे स्लीपर तैयार करने की एक मिल स्थापित की।[61] मोलमीन स्थित उनकी फम का नाम 'हरदेवदास रुवमानन्द' था तथा कलकत्ता की फम का नाम 'मोतीलाल राधाकृष्ण' के नाम से जाना जाता था। इ हाने सन् 1923 ई० म बम्बई मे भी गणपतराय रुवमान द के नाम से एक फम स्थापित कर ली थी। इस घरान के सदस्यो ने अग्रेजो भारत एव बीकानर राज्य मे जलकल्याणकारी लाखो रुपय खच किय।[62] इन सभी का राज्य मे भी विशेष सम्मान था।

भगवानदास बागला के घराने मे वह स्वय ही उ नसवी सदी के पूर्वाद्ध मे चूरू से कलकत्ता गया तथा वहा स अपने भाई के साथ रगून चला गया। रगून मे उसने सवप्रथम ठेकेदारी का काय आरम्भ किया जिसम उस काफी सफलता मिली। बाद म उसने स्वत त्र रूप से लकडी का व्यापार भी आरम्भ कर दिया। बर्मा म सागोन की लकडी क यापार व बैंकिंग काय म भगवानदास बागला न लाखा रुपये कमाय। उसने अपने व्यापार को माडले, मोलमीन मामू, कलकत्ता एव बम्बई तक फैलाया।[63] भगवा दास बागला को मारवाडी यापारियो मे प्रथम करोडपति बनन का श्रेय प्राप्त था।[64] भारत सरकार ने उसे रायबहादुर की पदवी से सम्मानित किया। सन् 1895 ई० म भगवानदास बागला की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके कारोबार को उसकी धमपत्नी बरजीदेवी व गोद लिये पुत्र मदनगोपाल ने सभाला।[65]

भगवानदास बागला न रगून, मुक्तामाघाट, काशी, वृ दावन, रामश्वरम् और चूरू म धमशाला, मंदिर, कूए एव तालाबा का निमाण करवाया। कलकत्ता एव बीकानर म बडे एलोपैथिक अस्पतालो की स्थापना की। बीकानेर राज्य म इसका काफी सम्मान था।

सेठ चैनरूप सम्पतराम दूगड का घराना, सरदारशहर

राज्य मे ओसवाल जाति के व्यापारिया म सरदारशहर का दूगड घराना भी काफी प्रतिष्ठा प्राप्त किय हुए था। इस परिवार का मुखिया चनरूप उ नीसवी सदी के प्रथम दशक म मुर्शिदाबाद (बगाल) चला गया। वहा से कुछ समय बाद कलकत्ता आकर दलाली का कार्य आरम्भ किया और एक कपडे की दुकान खोली। कपड क व्यापार म उसन पर्याप्त धन अर्जित किया।[66] सन् 1893 ई० म उसकी मृत्यु क पश्चात उसके पुत्र सम्पतराम न 'चनरूप सम्पतराम' फम पर इग्लैंड स सीधे कपडे का आयात करना आरम्भ कर दिया।[67] इस व्यापार म सम्पतराम को काफी लाभ हुआ। राज्य क

शासक को आवश्यकता के समय सम्पतराम से काफी आर्थिक सहायता मिलती थी।[68] बीकानेर राज्य की ओर से सम्पतराम दूगड़ को अनेक सम्मान, बख्शीशें और सुविधाएं प्राप्त थी। इनमे ताजीम, बैठक का कुरब, सिरोपाव असालतन माल व कानूनी अदालतो मे हाजिर होने की माफी, जगात की माफी, जगात की तलाशी की माफी, स्त्रियो को स्वर्णाभूषण पैरो मे पहनने का कुरब आदि सम्मान एव सुविधाएं मुख्य थी।[69] सम्पतराम उन व्यक्तियो मे से था कि जब कभी राज्य की ओर से सरदारशहर के निवासियो से किसी विशेष काय के लिए चन्दा वसूली होती थी तब सेठ साहूकारो को छोडकर शेष सभी लोगो के बदले सारा चन्दा स्वय चुका दिया करता था। सम्पतराम दूगड की मृत्यु सन 1928 ई० मे हो गई।

सम्पतराम दूगड के बाद इस घराने के कारोबार को उसके पुत्र सुमेरमल व बुद्धमल दूगड ने सभाला। इन्होने कपडे के काय के साथ मुख्य रूप से बैंकिंग काय को अपनाया।[70] राज्य की ओर से उन्हे वे सभी सम्मान एव सुविधाएं बहाल कर दी गई थी जो सम्पतराम को मिली हुई थी। बाद मे दोनो भाई अलग अलग हो गये। इस घराने मे सुमेरमल व उसके दो पुत्र भवरमल व कन्हैयालाल दूगड ने राज्य मे जनकल्याणकारी कार्यों मे काफी रुचि ली और राज्य मे अनेक शिक्षा सस्थाएं जिनमे सरदारशहर का गाधी विद्या मन्दिर भी है, की स्थापना की।[71]

सदासुख गभीरचन्द कोठारी का घराना, बीकानेर

राज्य मे महेश्वरी जाति के कोठारी व्यापारियो मे यह सर्वाधिक प्रतिष्ठित घराना था। इस घराने का पूव पुरुष सदासुख सन 1838 ई० मे बीकानेर से व्यापार हेतु कलकत्ता गया और मेसर्स गोविन्दराम सूरतराम की दुकान पर मुनीम का काय करना आरम्भ किया। एक वष के बाद ही उसने 'सदासुख गभीरचद' के नाम की अपनी स्वतन्त्र फम स्थापित कर उस पर सोने चादी व मणे का व्यापार प्रारम्भ कर दिया।[72] इस व्यापार मे सदासुख ने लाखो रुपयो की पूजी अर्जित की। सन 1902 ई० मे उसने कलकत्ते मे हरीसन रोड पर 'सदासुख कटरा' के नाम से एक विशाल इमारत बनवाई जिसमे आज भी सैकडो दुकाने लगती हैं।[73] इसके दो पुत्र गभीरचद व बुलाकीदास ने भी अपने पिता के व्यापार मे काफी सहयोग दिया किन्तु इन दोनो की मृत्यु सदासुख कोठारी के सामने ही हो गई। अत सदासुख ने अपने भाई के दो पुत्र रामचन्द्र व कस्तूरचन्द को दत्तक पुत्र बनाया।[74]

सन 1912 ई० मे सदासुख की मृत्यु के बाद रामचन्द्र के पुत्र दाऊदयाल कोठारी ने कस्तूरचन्द व भैरूबक्स कोठारी के साथ मिलकर 'सदासुख गभीरचन्द' फर्म के व्यापार का काफी विस्तार किया। उन्होने कलकत्ते के अतिरिक्त बम्बई, बीकानेर, मद्रास व दिल्ली मे बैंकिंग काय एव बडे बडे भवन बनाने का काय भी आरम्भ किया।[75] बीकानेर राज्य की ओर से इस घराने के सदस्यो को समय समय पर सम्मानित किया गया था।[76] इस घराने के सदस्यो ने राज्य के जनकल्याणकारी कार्यों मे लाखो रुपये व्यय करके मन्दिर, दातव्य औषधालय एव धमशालाओ का निमाण करवाया।

रुकमानन्द वृद्धिचन्द सुराणा का घराना, चूरू

ओसवाल जाति के चूरू के इस घराने का मुखिया रुकमानन्द सुराणा सन 1836 ई० मे कलकत्ता चला गया और 'रुकमानन्द वृद्धिचन्द' के नाम से फम स्थापित की। उस समय कलकत्ते मे मारवाडियो के बहुत कम व्यापारी प्रतिष्ठान स्थापित हुए थे।[77] इस फम पर बैंकिंग एव कपडे का काय होता था। सन 1905 ई० मे इस फम का बटवारा उसके पुत्रो के बीच मे हो गया तब से इस फम का नाम 'तेजपाल वृद्धिचन्द' पड गया।[78] इस व्यापारी प्रतिष्ठान मे कपडे और बैंकिंग काय के अतिरिक्त छत्रिया बनाने का काय भी था। इनके द्वारा चलाये जाने वाला छतरियो का यह कारखाना भारत मे अपने तरह का एक ही था। इसमे प्रतिदिन 500 दजन छतरियो का निमाण हुआ करता था। कलकत्ते के अतिरिक्त इस फम की दुकानें बम्बई, रगून फरुखाबाद व अहमदाबाद स्थानो पर थी।[79] इस परिवार मे रुकमानन्द, तेजपाल व वृद्धिचन्द के बाद तोलाराम सुराणा व ऋद्धकरण सुराणा ने राज्य व अग्रेजी भारत मे काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की।[80] तोलाराम सुराणा बीकानेर राजसभा का उसकी स्थापना के समय से ही मनोनीत सदस्य रहा।[81] उसे राज्य की ओर से अनेक सम्मान एव सुविधाएं प्राप्त थी।

उसने चूरू नगर म सुराणा पुस्तकालय' स्थापित किया जिसमे सस्कृत, हिन्दी, अग्रेजी, फारसी आदि भाषाओ की हजारा छपी हुई पुस्तको के अतिरिक्त 2500 हस्तलिखित प्राचीन ग्रथ थे।[82] तोलाराम सुराणा का पुत्र शुभकरण सुराणा राज्य म आनरेरी मजिस्ट्रेट के साथ राज्य की अनेक समितियो मे मनोनीत सदस्य था।[83]

वृद्धिचन्द के पुत्र ऋद्धकरण सुराणा ने कलकत्ता म सन् 1900 ई० मे मारवाडी चेम्बर आफ कामर्स की स्थापना मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह उसका प्रथम सचिव भी बना।[84] अखिल भारतीय श्वेताम्बर जैन तेरापथी सम्प्रदाय सभा की स्थापना पर उसका आजीवन सभापति रहा। उसका अग्रेजी सरकार मे बडा प्रभाव था। सन 1918 ई० म अग्रेजी सरकार ने कपडे के व्यवसाय को नियन्त्रित करने के लिए एक 'काटन एडवाइजरी कमेटी' का निर्माण किया जिसके सात सदस्यो म से एक ऋद्धकरण सुराणा भी था। उसे हावडा का आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया था।[85]

इस घराने के वशजो ने राज्य मे अनेक कल्याणकारी कार्यों मे धन खर्च किया।

अगरचन्द भैरोदान सेठिया का घराना, बीकानेर

इस परिवार का मुखिया भैरोदान सन् 1884 ई० मे बीकानेर से व्यापार के निमित्त बम्बई गया और जगन्नाथ मोहता की दुकान म मुनीमी का कार्य आरम्भ किया। इस दुकान पर उसके बडे भाई अगरचन्द सेठिया का पहले से ही साझा था। बम्बई म सात वर्ष रहने के बाद भैरोदान कलकत्ता चला गया और वहा अपनी सचित पूजी से मनिहारी और रग की दुकान खोली।[86] धीरे धीरे उसने प्रयत्न करके भारत से बाहर बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बर्लिन आदि के रग के कारखानो की एजेन्सिया प्राप्त कर ली।[87] इस कार्य म उसे काफी सफलता मिली और अपने बडे भाई अगरचन्द के साथ मे 'अगरचन्द भैरोदान सेठिया' नाम की फर्म स्थापित की।[88] इस फर्म ने हावडा मे 'दी सेठिया कमिकल वर्क्स लिमिटेड' नाम का रग बनाने का कारखाना जो इस व्यवसाय म भारत का पहला कारखाना था, स्थापित किया। इस कारखाने के तैयार माल की खपत के लिए भारत प्रमुख नगरो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कराची, कानपुर, देहली, अमृतसर, अहमदाबाद व जापान के ओसाका नगर मे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किये। प्रथम महायुद्ध के समय रग के भाव बढ जाने के फलस्वरूप इस फर्म को लाखो रुपया का लाभ हुआ।[89]

भैरोदान सेठिया ने सन 1930 ई० मे बीकानेर मे बिजली की शक्ति से चलने वाला ऊन की गाठें बाधने का बन्द पडा हुआ प्रेस खरीदकर राज्य के औद्योगीकरण म प्रवेश किया। सन् 1934 ई० मे उसने ऊन से काटे निकालकर उसे साफ करने की ऊन क्लीनिंग फैक्टरी स्थापित की[90] इन दोनो उद्योगो के माध्यम से राज्य से प्रतिवर्ष हजारो मन ऊन अमेरिका और लीवरपूल को निर्यात की जाने लगी। भैरोदान सेठिया की मृत्यु के बाद उसके पुत्रो ने अपने पिता के समस्त कारोबार का बटवारा करके उसका विस्तार किया। इस घराने का राज्य म काफी सम्मान था। भैरोदान सेठिया राज्य की राज्यसभा का सदस्य, नगरपरिषद (बीकानेर) का उपाध्यक्ष व आनरेरी मजिस्ट्रेट था।[91] उसे राज्य की आर्थिक सहायता के उपलक्ष्य म अनेक खास रुक्के प्राप्त हुए। उसके पुत्र जुगराज एव लहरचन्द सेठिया को राज्य की ओर से चादी की छडी व चादी की चपरास का सम्मान प्राप्त था।[92] लहरचन्द सेठिया भी राज्यसभा का सदस्य व ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था[93] इस घराने के सदस्यो ने राज्य म अनेक जनकल्याणकारी कार्य करवाये जिनकी सबधित अध्याय मे विस्तृत चर्चा की गई है।

सेठ रामकिशनदास बागडी का घराना, बीकानेर

माहेश्वरी जाति के इस परिवार का मुखिया राजरूप बागडी करीब डेढ सौ वर्ष पूर्व व्यापार के लिए बीकानेर से कोटा गया। उस समय कोटा एव मालवा प्रान्त अफीम के व्यापार का मुख्य केन्द्र था। कोटा म उसने अफीम के व्यापार म अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। उसका सन् 1857 ई० म स्वर्गवास हो गया।[94] उसके चार पुत्र हुए जिनम सेठ रामकिशनदास के परिवार ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पायी। रामकिशनदास भी सर्वप्रथम व्यापार हेतु कोटा गया किन्तु बाद म उन्होंने पाटन, उज्जैन, इन्दौर, अजमेर एव कलकत्ता म अपनी शाखाए स्थापित की तथा इन पर कहीं अफीम और कहीं बैंकिंग का व्यापार

आरम्भ किया। इनके मदनगोपाल, रामगोपालदास, ब्रजरतनदास एव सेठ चादरतनदास नामक चार पुत्र हुए। इनम सेठ मदनगोपाल के वशजो ने अपना स्वतन्त्र व्यापार किया तथा शेष तीनो भाइयो ने सम्मिलित रूप से व्यवसाय किया। इन्होने कानपुर, जौनपुर एव कलकत्ता आदि स्थानो म अपनी फम की शाखाए खोली। इसके अतिरिक्त बकिंग व्यापार क साथ ही साथ बारा (कोटा) म दाल मिल की स्थापना भी की तथा आसाम मे एक चाय का बगीचा तैयार करवाया।[95]

इस परिवार के लोगो का राज्य म काफी सम्मान था। सेठ रामकिशनदास बागडी को राज्य की ओर से छडी व चपरास का सम्मान प्राप्त था तथा सेठ रामरतनदास बागडी को राज्य की ओर से खास रुक्का, सिरोपाव एव कफियत लिखने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त सेठ रामरतनदास बागडी का राज्य की राज्यसभा म उसके प्रारभिक समय से ही उसका सदस्य मनोनीत किया हुआ था।[96] इस परिवार के लोगो ने राज्य के अनक कल्याणकारी कार्यो म धन लगाकर उनका स्थापना की।

गणपतराय राजगढिया का घराना, राजगढ

इस घराने का मुखिया गणपतराय सन 1878 ई० मे व्यापार निमित्त राजगढ स कलकत्ता गया और मिट्टी के तल का व्यापार आरभ किया। इसके कुछ दिनो ही बाद उसन विलायती कपडे एव अभ्रक क व्यापार को भी अपना लिया। वह बिहार म हजारीबाग व गया की खानो से अभ्रक निकलवाकर उसका विदशो म निर्यात करन लगा। उसने अभ्रक के निर्यात व्यापार का इतना बढाया कि मारवाडी व्यवसायियो म वह अभ्रक का प्रथम श्रेणी का व्यापारी माना जान लगा। इसी क साथ उसने सेमल व अकवान रुई को अपनी निजी फैक्टरी मे साफ करके विदशो मे निर्यात किया। उसे अपन व्यवसाय मे इतना लाभ हुआ कि उसने गया जिले मे बडी जमीदारी खरीद ली। सन 1918 ई० मे गणपतराय की मत्यु हो गई।[97]

गणपतराय की मत्यु के बाद उसके पुत्र केदारनाथ तनसुखराय, नागरमल व इन्द्रचन्द्र राजगढिया ने अपने पिता क व्यवसाय का अत्यधिक विस्तार किया। केदारनाथ राजगढिया ने कपडे के काय के साथ जूट का काय खोल लिया और सन 1930 ई० मे कलकत्ता मे 'केदारनाथ जूट मिल्स लिमिटड' की स्थापना की। हजारीबाग जिले मे उसने 'कदारनाथ बाबूलाल के माध्यम स अनेक अभ्रक की खानो का विस्तार किया। इसी प्रकार तनसुखराय व नागरमल ने कपडा बैंकिंग, अभ्रक व जमीदारी के काय म काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस घराने के सदस्यो को बीकानेर राज्य मे विशेष सम्मान प्राप्त था।[98] राज्य की ओर से उन्हें चौधरी का पद मिला हुआ था। गणपतराय को सोन का कडा, लगर व छडी तथा तनसुखराय को सेठ की उपाधि खास रुक्का, ताजीम व कैफियत का सम्मान प्राप्त था। तनसुखराय राज्य मे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी था।[99] नागरमल राजगढिया अखिल भारतीय अग्रवाल सभा का सभापति था।[100]

इस घराने के सदस्यो ने राज्य मे जनकल्याणकारी कार्यो म विशेष रुचि ली। इन्होन अनेक धमशालाओ तालाबो, दातव्य औषधालयो, हास्पिटलो, पाठशालाओ एव कूओ का निर्माण करवाया।[101]

सूरजमल जालान का घराना, रतनगढ

इस घराने का मुख्य व्यक्ति सूरजमल जालान सन् 1895 ई० मे रतनगढ स कलकत्ता पहुचा। वहा उसन सर्वप्रथम अपने मामा सेठ 'गुरुमुखराय शिवदत्तराय' की फम पर रोकड (हिसाब किताब) लिखने का काय आरभ किया। सन 1905 म अपने भाई बशीधर जालान के सहयोग से उसने अपना स्वतन्त्र व्यापार शुरू किया।[102] धीरे धीरे उसन नागरमल बाजोरिया व बजनाथ जालान के सहयोग से जूट क व्यापार मे उत्तरोत्तर उन्नति की और सन् 1912 व 1915 ई० म क्रमश इडिया जूट प्रेस व हनुमान जूट प्रेस की स्थापना की।[103] उसने अपन व्यवसाय का विशेष रूप से सगठन कर पटसन की खरीद के लिए बगाल मे स्थान स्थान पर एजेंसिया स्थापित की और उसका विलायत म निर्यात करन के काय को आरभ किया। इस समय वह मारवाडी व्यापारियो म प्रमुख शिकार बन गया। सन 1927 ई० मे सूरजमल ने हनुमान जूट मिल की स्थापना की। धीरे धीरे सूरजमल नागरमल नाम से प्रसिद्ध इस फम ने जूट के साथ हसियन व चीनी क कारखान खोल

2 इस घराने मे पूर्व पुरुष भगोतीराम हुआ है जो सभवत विक्रम की 18वी सदी के चौथे चरण म फतहपुर से चूरू आकर बस गया था। चतुर्भुज उसी के तीन लडको मे से एक था—पोतेदार सग्रह के अप्रकाशित काग जात मे पोद्दारा का परिचय, पृ० 5

3 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 464, शर्मा झाबरमल—पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० 10

4 'ताराचद घनश्यामदास' भारत विद्युत फम का मालिक चतुभुज का लडका ताराचन्द ही था।

5 बगाल हूरकारू, मई 10, 1834, प० 4-5

6 खास रुक्का साह जिन्दाराम रामरतनदास को सवत् 1877, मिती मगसर सुदी, खास रुक्का पोतदार जवरी मल रामरतन हुसामल को सवत् 1879, मिती फागण वदी 7, महाराजा रतनसिंह की ओरसे मिर्जामल पोद्दार को लिखा परवाना, सवत 1888, मिती चेत सुदी 1 मरु श्री, जुलाई दिसम्बर 1982, पृ० 28, कागद वही, बीकानेर, सवत् 1861, न० 20, पृ० 61, (रा० रा० अ०)

7 मिर्जामल जिंदाराम पोद्दार एव लन्दन की 'फिनले होजसन एण्ड कपनी' के बीच 26 जुलाई, 1830 10 सितम्बर, 1830, 7 मई, 1831, 5 नवम्बर, 1831, 11 नवम्बर, 1831, 25 जनवरी, 1833 के पत्र, पोतेदार सग्रह के फारसी कागजात, प० 60 61

8 मिर्जामल पोद्दार व पुरोहित हरलाल व महाराजा सूरतसिंह के बीच 400001 रुपये का सवत 1884 मिती भादवा वद 2 का लिखा ऋण पत्र, अग्रवाल गोविन्द—पोद्दार घराना व पोद्दार हाउस एक परिचय प० 3

9 सीकर के शासक लक्ष्मणसिंह का मिर्जामल को लिखा सवत 1883 मिती जेठ सुदी 13 का पत्र, खेतडी क कुवर बख्तावरसिंह के मिर्जामल हरभगतराय को लिखे सवत् 1882, मिती चैत वद 4, 1883, मिती काती सुदी 13 का पत्र (नगर श्री, चूरू), राजस्थान म अलवर मे भी मिर्जामल की दुकान थी। महाराजा श्री सवाई विनेसिंह की ओर से अलवर राज्य की सायर की हुदो के प्रत्यक सरकारी ओहदेदार, इजारेदार, मुशरफ, बट वाल चौकीदार, जमादार व जागीरदार को हुक्म दिया गया था कि मिर्जामल हरभगत स निश्चित की गई हासिल से अधिक वसूल न की जाये, महाराव राजाजी श्री सवाई बिनेसिहजी बहादर सेवण दीवाण सम्पत राम, स० 1888 मिती भादवा सुदी 3, मरु श्री, अक 2-3, 1980, पृ० 23

10 मिर्जामल व हरभगतराय के नाम महाराजा रणजीतसिंह का परवाना, सवत 1885 मिती अव्वल माह आसोज, मिर्जामल पोद्दार के नाम महाराजा रणजीतसिंह के परवाने, सवत 1883 मिती माह आसोज, 1883, मिती माह सावन (नगर श्री, चूरू), फकीर हकीम गुलाम दस्तगीर की ओर से तहरीर व तारीख 16 जून सन् 1832 दिन शुक्रवार खत दर कस्बा चूरू व मुतालमा सेठ साहब मिर्जामल सठ ज्युसल्लम-हुल्लाहुत आला, ब मुतालअ मुबाहजा सेठ साहब मुशफिक मेहरबान अलताफ निशान सेठ मिर्जामल साहब जादा लुतफूहू दरआयद, सन् 1865 (मरु श्री, अक 2 3, वष 19 1980, पृ० 31-33)

11 नाभा के शासक जसवन्तसिंह एव देवेन्द्रसिंह के मिर्जामल हरभगत के नाम पत्र क्रमश 1890, मिती माह वद 11 व सवत् 1900 मिती पोह सुदी 14, जिंद के शासक सरूपसिंह का सवत 1896 मिती फागुन सुदी 5 का आदेश पत्र, सिन्धिया का मिर्जामल को लिखा दिनाक 27 जनवरी 1836 का पत्र, पोतदार सग्रह के फारसी कागजात, पृ० 22 23

12 चार्ल्स थियोफिल्स मेटकाफ को मिर्जामल के नाम परवाना 1 माच, 1828, पोतदार सग्रह के फारसी काग जात, पृ० 7-59

13 महाराजा सूरतसिंह की ओर से मिर्जामल पोद्दार को लिखा इकरारनामा, सवत् 1822 मिती सेठ सुदी 13 (रा० रा० अ०)

14 शर्मा गिरिजाशकर उन्नीसवी सदी म राजस्थान म व्यापारी वग को प्राप्त विशेषाधिकार (राजस्थान हिस्ट्री

काग्रेस पोसिडिग्स, वाल्यूम X, उदयपुर सेसन (1977), पोनेदार सग्रह के फारसी कागजात, पृ० 66

15 भण्डारी—अग्रवाल जाति का इतिहास (दूसरा भाग), पृ० 314 315

16 डिस्ट्रिक्ट गजेटियस ऑफ दी यूनाइटेड प्रोविन्सेज एण्ड अवध, वाल्यूम XIIXI बनारस (इलाहाबाद 1911), मिश्रा, कमलप्रसाद—दी रोल ऑफ बनारस बैंक्स इन दि इकोनामी आफ एटीथ सन्चरी अपर इडिया (प्रोसीडिंग्स ऑफ दि इडियन हिस्ट्री काग्रेस 34, सेसन, चण्डीगढ, वाल्यूम 2, 1973)

17 भडारी सुखसम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 266

18 ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास, दूसरा भाग, पृ० 764

19 उदयमल के नाम खास रुक्का, सवत 1916, मिती पोह वद 4 (ढड्ढा परिवार सग्रह, बीकानर)

20 भडारी—ओसवाल जाति का इतिहास, प० 268

21 पालिटिकल डिपाटमेट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 7-14 (रा० रा० अ०)

22 राजपूताना एण्ड अजमेर, लिस्ट ऑफ रूलिग प्रिन्सज, चीफस एड लीडिंग परसोनेज, 1931, प० 56

23 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर 1928, न० 275-280, पृ० 2 3 (रा० रा० अ०)

24 पालिटिकल डिपाटमेट, बीकानेर, 1921, न० ए 1099 1104, पृ० 12, (रा० रा० अ०)

25 कायवाही राजसभा राज्य श्री बीकानेर, नवम्बर 1913, प० 1 (रा० रा० अ०)

26 फाईने स डिपाटमेट, बीकानेर, 1926, न० बी 317 328, प० 1 (रा० रा० अ०)

27 पॉलिटिकल डिपाटमेट, बीकानेर, 1921, न० ए 1099 1104 पृ० 10 14, (रा० रा० अ०)

28 पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1931, न० ए 798-809, पृ० 5 (रा० रा० अ०)

29 रेवेन्यू डिपाटमेट, बीकानेर, 1932, न० ए 1295-1335, पृ० 57 (रा० रा० अ०)

30 सैण्ट्रल प्रोविन्स डिस्ट्रिक्ट गजेटियर नागपुर (बम्बई 1908), रायपुर (बम्बई 1909), प० 162, काग वही, बीकानेर, सवत 1897, न० 47, प० 263 (रा० रा० अ०)

31 पॉलिटिकल डिपाटमेट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 7, रीजेन्सी कौंसिल, बीकानेर, 1896 9 न० 132 222, पृ० 85 111 (रा० रा० अ०)

32 भण्डारी—माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 252 254

33 बीकानेर राज्य का इतिहास, दूसरा भाग, पृ० 765 766

34 वही

35 सेठ कस्तूरचद डागा के नाम परवाने, सवत् 1936, मिती आसोज वदी 11, सवत 1956, मिती फागुन सुदी 11, सेठ कस्तूरचद डागा के नाम खास रुक्के, सवत् 1956, मिती फागुन सुदी 11, 1964, मिती मगसिर सुदी 1 (रा० रा० अ०)

36 कायवाही राजसभा राज्य श्री बीकानेर 1913 14, मनोनीत सदस्य की सूची द्रष्टव्य है (रा० रा० अ०)

37 भण्डारी—माहश्वरी जाति का इतिहास, प० 256-257

38 ओझा—दूसरा भाग, पृ० 766

39 राजपूताना एण्ड अजमेर लिस्ट ऑफ रूलिग प्रिन्सेज, चीफस एण्ड लीडिंग परसोनेज 1931, प० 56

40 सेठ विश्वेश्वरदास डागा के नाम परवाने, सवत 1976, मिती आसोज सुदी 10, सवत 1991, मिती पोह सुदी 8, नोटिफिकेशन न० 18 भजरिया दफ्तर साहब पसनल सेक्रेटरी श्री हुजूर साहब बहादुर दाम इकबाल हु० ता० 4 मई सन 1907 (रा० रा० अ०)

41 नरसिंह डागा को भी अंग्रेजी सरकार ने रायबहादुर का खिताब दिया था। वह अनेक लिमिटेड कम्पनियों का डाइरेक्टर था भण्डारी—माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 257

42 फाइनेंस डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1921, न० बी 709-724, पृ० 4, फाइनेंस डिपाटमट, बीकानेर, 1926, न० बी 385-398, पृ० 2-3 (रा० रा० अ०)
43 महकमाखास, बीकानेर, 1904, न० 126, पृ० 38 (रा० रा० अ०)
44 इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दी बीकानेर स्टेट, पृ० 18, 22
45 विद्यालकार सत्यकेतु—एक आदश समत्व योगी (रामगोपाल मोहता अभिनन्दन ग्रन्थ), पृ० 21
46 भण्डारी—माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 20(ब)
47 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 417
48 फॉरेन पॉलिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1911-14, न० ए IV 123, पालिटिकल डिपाटमट, बीकानेर, 1916, न० 369-378, पृ० 7 (रा० रा० अ०)
49 विद्यालकार, सत्यकेतु—एक आदश समत्व योगी, पृ० 64
50 वही
51 वही
52 भण्डारी—भारतीय व्यापारियो का परिचय (भाग-2), पृ० 17 18
53 विद्यालकार सत्यकेतु—एक आदश समत्व योगी, प० 63
54 कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर, 1913, प० 1 (रा० रा० अ०)
55 विद्यालकार सत्यकेतु—एक आदश समत्व योगी, प० 56
56 कायवाही राज्यसभा, राज्य श्री बीकानेर, सन् 1913, प० 1 (रा० रा० अ०)
57 भण्डारी—अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 449
58 पॉलिटिकल डिपाटमेंट, बीकानर, सन 1916, न० 369 378, प० 12 (रा० रा० अ०)
59 फॉरेन एड पॉलिटिकल डिपाटमट, बीकानेर, सन 1911-14, न० एफ IV/123, भण्डारी अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 449 (रा० रा० अ०)
60 पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, सन् 1916, न० 369 378, पृ० 12 (रा० रा० अ०), मोदी, बालचन्द देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, प० 482
61 भण्डारी—अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 450, भण्डारी—भारत के व्यापारी, पृ० 42 43
62 भण्डारी—अग्रवाल जाति का स्थान, पृ० 451
63 पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, प० 11 (रा० रा० अ०)
64 दश के इतिहास म मारवाडी जाति का स्थान, प० 483
65 भण्डारी—अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 452, भारत के व्यापारी, पृ० 53 54
66 भवरलाल दूगड—स्मति ग्रन्थ (गाधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, 1967), पृ 213
67 पॉलिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1916 न० 369 378, पृ० 22 (रा० रा० अ०)
68 फाइनेंस डिपाटमट, बीकानेर 1926, न० ए-204 210, पृ० 22, फाइनेन्स डिपाटमट, बीकानेर 1929 न० बी 658 690, पृ० 62, पॉलिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1919, न० 226 255, प० 7-8 (रा० रा० अ०)
69 सम्पतराम दूगड के नाम परवाना, सवत 1967, मिती आसोज सुदी 10, सवत 1969 मिती भादवा सुदी 13 (दूगड परिवार सग्रह, सरदारशहर)
70 भण्डारी, सुखसम्पत्तिराय—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 408
71 भवरलाल दूगड—स्मृति ग्रन्थ, पृ० 213, 315-330

72 बागची, ए० के०—प्राइवेट इनवेस्टमेण्ट इन इण्डिया, 1900-1939 (कैम्ब्रिज इंग्लैंड 1972), पृ० 242
73 बनर्जी, प्रजनानन्द, डॉ०—कलकत्ता एण्ड इट्स हिन्टरलैंड, पृ० 110, भण्डारी—भारतीय व्यापारियों का परिचय (दूसरा भाग), पृ० 229
74 माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 307
75 पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 7 (रा० रा० अ०)
76 बीकानेर राजपत्र, एक्स्ट्रा आर्डिनरी, शुक्रवार, 19 सितम्बर 1947, पृ० 2 5 (रा० रा० अ०)
77 भण्डारी—ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० 277
78 पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 11 (रा० रा० अ०)
79 भण्डारी—भारत के व्यापारी पृ० 158
80 फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1911-1914, न० एफ 41123 (रा० रा० अ०)
81 कार्यवाही राजसभा—राज्यश्री बीकानेर, 24 फरवरी 1914, पृ० 1-4 (रा० रा० अ०)
82 यह पुस्तकालय आज भी चूरू में तोलाराम सुराणा के पौत्र की देखरेख में चल रहा है।
83 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1935, न० ए-732-741, पृ० 5 (रा० रा० अ०)
84 गोल्डन जुबली सोविनियर, सन् 1900 1950, भारत चेम्बर ऑफ कामर्स, पृ० 5 6
85 भण्डारी— ओसवाल जाति का इतिहास, प० 283, भण्डारी—भारत के व्यापारी, प० 157-158
86 भण्डारी—भारत के व्यापारी, प० 116
87 श्रीमान धर्मभूषण दानवीर सेठ भैरोदान सेठिया की संक्षिप्त जीवनी, पृ० 1-3 (प्रकाशक, मंत्री, श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर, संवत् 2012)
88 पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 9 (रा० रा० अ०)
89 श्रीमान धर्मभूषण दानवीर सेठ भैरोदान जी सेठिया की संक्षिप्त जीवनी, पृ० 17-18
90 रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बीकानेर, सन् 1932, न० ए-1295 1335, पृ० 58-59, 1934 न० बी 907 910 पृ० 1-5 (रा० रा० अ०)
91 कार्यवाही राजसभा, राज्य श्री बीकानेर, सन 1939, पृ० 1-2, पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1935, न० ए 732 741, पृ० 5 (रा० रा० अ०)
92 महाराजा गंगासिंह का सेठ भैरोदान सेठिया को लिखा खास रुक्का, संवत 1984, मिती आसोज सुदी 10 (सेठिया घराने, बीकानेर के पास सुरक्षित है), बीकानेर राजपत्र, एक्स्ट्रा आर्डिनरी, मंगलवार 30 सितम्बर, 1941, पृ० 5 (रा० रा० अ०)
93 कार्यवाही राजसभा, राज्य श्री बीकानेर, सन् 1945, प० 1, पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1935 न० ए 732-741, पृ० 5 (रा० रा० अ०)
94 माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 469 470
95 इन भाइयों में सेठ रामरतन बागड़ी ने काफी प्रसिद्धि की पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 10, राजपूताना एण्ड अजमेर लिस्ट ऑफ रूलिंग प्रिंसेज, चीफ्स एण्ड लीडिंग परसोनेज 1931, पृ० 56 (रा० रा० अ०)
96 कार्यवाही राजसभा, राज्य श्री बीकानेर, नवम्बर 1913, पृ० 1
97 भण्डारी—अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 375
98 भण्डारी—भारत के व्यापारी, पृ० 126, 154
99 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, सन् 1941, न० 7, पृ० 41, फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर,

1917-1932 न० बी-255-99, प० 1-15 (रा० रा० अ०)
100 भण्डारी—अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 379
101 होम डिपाटमेंट, बीकानेर, 1928, न० बी-210 212, पृ० 6 (रा० रा० अ०)
102 भण्डारी—भारतीय व्यापारियो का परिचय (दूसरा भाग), पृ० 241
103 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 568, बरुआ, जामिनी ऋषि, मधुमगल श्री, पृ० 85 86
104 बरुआ, जैमिनी कृषि, मधुमगल श्री, पृ० 14-15, 55, 62, भण्डारी, भारतीय व्यापारियो का परिचय, पृ० 241
105 भण्डारी, सुखसम्पत्तिराय, ओसवाल जाति का इतिहास, प० 513 515
106, पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 9 (रा० रा० अ०)
107 भण्डारी, चन्द्रराज—भारत के व्यापारी, पृ० 242
108 पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1916, न० 369 378, पृ० 9 (रा० रा० अ०)
109 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1941, न० 7, पृ० 30 34, फारेन एण्ड पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, 1911-14, न० एफ IV/123 (रा० रा० अ०)
110 कायवाही राजसभा, राज्य श्री बीकानेर, 1940, पृ० 1-2 (रा० रा० अ०)
111 फाइनेन्स डिपाटमेंट, बीकानेर, 1929, न० बी 869 876, प० 17 (रा० रा० अ०)

अध्याय 8

बीकानेर क्षेत्र के व्यापारी वर्ग का भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन एव राज्य मे उत्तरदायी शासन के लिए हुए जन-आन्दोलन मे योगदान

बीकानेर क्षेत्र के व्यापारिक वर्ग का राष्ट्रीय आन्दोलन मे योगदान

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास पर जब दृष्टिपात करते हैं तो विदित होता है कि भारत की प्राय सभी जातियो एव सम्प्रदायो के लोगो ने देश को स्वतन्त्र करवाने म किसी-न किसी रूप म अपना योग दिया था। राजस्थान के प्रवासी मारवाडी व्यापारियो ने भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए हुए जन-आन्दोलनो म आर्थिक सहायता देकर उन्हे गति प्रदान की। उनके द्वारा दी गई इस आर्थिक सहायता की अनुमानित राशि को दस करोड रुपये के लगभग आका गया है।[1] आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त अनेक प्रवासी मारवाडी व्यापारियो ने महात्मा गाधी के 'असहयोग', 'भारत छोडो' व 'करो मरो' आन्दोलनो एव राजस्थान के राज्यो मे उत्तरदायी शासन प्राप्त करने हेतु जन-आन्दोलनो म सक्रिय भाग लेकर अनेक प्रकार की प्रताडनाए एव जेल यातनाए भी भोगी। यहा भारतीय राज्यो एव अग्रेजी भारत म वाणिज्य-व्यापार म रत उन्ही मारवाडी व्यापारियो के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिनका निवास स्थान बीकानेर राज्य था।

जब समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी आवश्यकताओ व विभिन्न शिकायतो को दूर करवाने के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन म भाग लेना आरभ किया, उस समय मारवाडी व्यापारी भी उसके अपवाद नही रहे। यद्यपि भारत म इस वर्ग ने अग्रेजो के सहयोग से ही अपने वाणिज्य-व्यापार मे आर्थिक लाभ प्राप्त किया किन्तु 20वी सदी के आरम्भ तक मारवाडी व्यापारी अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व बना चुका था और व्यापारिक क्षेत्र मे अग्रेज व्यापारियो से कुछ प्रश्नो को लेकर कडी प्रतिस्पर्द्धा म आ गया। इससे इनके आपसी सम्बन्धो म कटुता आरभ हो गई। ब्रिटेन से होने वाले आयात निर्यात व्यापार को लेकर अग्रेज और मारवाडी व्यापारियो के सबध काफी कटु हो गये थे। मारवाडी व्यापारी अन्य भारतीय व्यापारियो के साथ अग्रिम सौदो के रूप मे अग्रेज निर्यातको को उनके ब्रिटेन स्थित कारखानो के लिए भारत से कच्चा माल खरीदने के लिए काफी धन दे रहे थे। इसके बदले म जब वे उक्त कारखानो मे तैयार माल भारत मे प्राप्त करते तो उन्हे काफी निराशा हाथ लगती थी। जब वे इन सौदो म हुए आर्थिक नुकसान के सबध म अग्रेज निर्यातको के विरुद्ध बगाल चेम्बर आफ कामर्स, जिसकी सन् 1853 ई० मे अग्रेज व्यापारियो ने अपने व्यापारी हितो को दृष्टिगत रखकर स्थापना की थी, मे अपनी अपील कर उस पर निर्णय देने का कहते तब अधिकाशत बगाल चेम्बर ऑफ कामर्स के निर्णय भारतीय व्यापारियो के विरुद्ध और अग्रेज निर्यातको के पक्ष मे होते थे।[2] इस स्थिति से असतुष्ट होकर भारतीय व्यापारियो ने अपने व्यापारी हितो की सुरक्षा के लिए सन् 1887 ई० मे बगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स की स्थापना की और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को इसकी प्रथम कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया।[3] अपने व्यापारिक हितो की सुरक्षा के लिए मारवाडी व्यापारियो ने सन् 1900 ई० म

कलकत्ता में मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स की स्थापना कर ली।[4] अंग्रेजी सरकार व अंग्रेज व्यापारी दोनों ही यह चाहते थे कि भारतीय व्यापारी अधिक से अधिक मात्रा में इंग्लैण्ड से उत्पादित वस्तुओं के आयात और कच्चे माल के भारत से निर्यात में सहयोग दें। इसके लिए अंग्रेजी सरकार व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने को तत्पर थी किन्तु वे कच्चे माल के निर्यात में अंग्रेज व्यापारियों के एकाधिकार सुरक्षित रखना चाहते थे अर्थात भारतीय व्यापारियों को गौण स्थान ही प्रदान करना चाहते थे। बंगाल में पटसन की गांठ बांधने और उन्हें निर्यात करने वाली जहाजरानी कम्पनियों पर अंग्रेज व्यापारियों द्वारा एकाधिकार बनाये रखने की नीति थी। वहां अनेक मारवाड़ी व्यापारी भारत से होने वाले निर्यात व्यापार में प्रवेश करने को प्रयत्नशील थे। इसके लिए उन्हें अंग्रेज व्यापारियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ी। इससे इन दोनों में आपसी मनमुटाव स्वाभाविक था। सन 1905 ई० तक 'जूट बेलिंग' (जूट की गांठ बांधना) व शिप्पर (स्वदेशी माल को सीधे निर्यात करने) के कार्य पर अंग्रेज व्यापारियों का एकाधिकार बना हुआ था। इन दोनों का बंगाल से किये जाने वाले निर्यात व्यापार में भारी महत्त्व था। यूरोपीय व्यापारियों ने उक्त क्षेत्र में अपने व्यापारी हितों की रक्षा के लिए 'कलकत्ता जूट बेल्ड एसोसियेशन' बना रखी थी।[5] पहले इसका कोई भी भारतीय व्यापारी सदस्य नहीं बन सकता था।[6] परन्तु बाद में जूट बेलिंग के कार्य में प्रवेश करके अनेक मारवाड़ी व्यापारी भी इस एसोसियशन के सदस्य बन गये थे परन्तु एसोसियशन की तरफ से मारवाड़ी व्यापारियों पर यह प्रतिबन्ध था कि वे किसी विदेशी व्यापारी के साथ व्यापार नहीं करेंगे।[7] इस प्रतिबन्ध से मारवाड़ी व्यापारी काफी असन्तुष्ट थे। अन्त में सन 1918 ई० से मारवाड़ी व्यापारियों ने कड़े संघर्ष के बाद अपनी अलग 'जूट बेलर्स एसोसियेशन' बना ली और जूट बेलिंग के कार्य को बढ़ाने का कार्य शुरू किया। मारवाड़ी व्यापारियों में अंग्रेज व्यापारियों के प्रति असन्तोष सन 1930 ई० में पुनः उभर आया। ब्रिटेन के व्यापारी भारत में जो कपड़ा धोती व साड़ी के रूप में भेज रहे थे यह निर्धारित माप से दो से बाहर इंच कम आ रहा था। इसका मारवाड़ी व्यापारियों ने जो आयातीय कपड़े के मुख्य व्यापारी थे, मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स के माध्यम से विरोध किया। मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कामर्स ने बंगाल चेम्बर आफ कामर्स को इस विषय में अपना निर्णय देने का निवेदन किया किन्तु अंग्रेज व्यापारियों की संस्था होने के कारण उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कामर्स ने इसकी अपील मनचेस्टर चेम्बर ऑफ कामर्स को की जिसने आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उक्त कमी दूर करवाने का आश्वासन दिया।[8] मारवाड़ी व्यापारियों का अंग्रेज व्यापारियों के प्रति यह आक्रोश बढ़ता ही गया। इसकी पुष्टि सन् 1930 ई० में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार, आर्थिक कार्यक्रम व भविष्य में भारतीय संविधान के सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों का मारवाड़ी चेम्बर ऑफ कामर्स ने भी समर्थन किया।[9] आर्थिक हितों की दृष्टि से अंग्रेज व्यापारियों से टकराव के कारण व्यापारियों ने अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष को अपना समर्थन देना आरम्भ किया। महात्मा गांधी ने मारवाड़ी व्यापारियों की सभायें करके उनसे स्वाधीनता आन्दोलन को धन से सहायता करने तथा मनचेस्टर से आने वाले विदेशी कपड़े का व्यापार न करने की अपील की।[10] आसाम में मारवाड़ी व्यापारियों की एक सभा में महात्मा गांधी की उपस्थिति में सैंकड़ो मारवाड़ी व्यापारियों ने भविष्य में विदेशी कपड़े का व्यापार न करने की शपथ ली।[11] भारत के अन्य प्रान्तों में निवास करने वाले मारवाड़ी व्यापारियों पर जन जागृति का प्रभाव पड़ रहा था। इसकी पुष्टि बीकानेर राज्य के शासक महाराजा गंगासिंह ने राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते हुए की। उनके अनुसार बम्बई प्रेसिडेंसी के मारवाड़ी व्यापारियों पर भी देश के अन्य वर्गों की भांति राष्ट्रीय जनजागृति का भारी प्रभाव पड़ रहा था।[12] अंग्रेज व्यापारियों के व्यवहार से असन्तोष एवं राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित होकर अनेक मारवाड़ी व्यापारी भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय होने लगे।

मारवाड़ी व्यापारियों ने बंगाल, बिहार, आसाम व मध्य प्रान्तों में अधिक संख्या में होने के कारण स्वाधीनता आन्दोलनों में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। सन 1905 ई० बंग विच्छेद की घोषणा के समय बंगाल की स्वदेशी एसो-सियेशन ने मारवाड़ी व्यापारियों से, जो विदेशी कपड़ों का आयात करते थे उसका त्याग करने की अपील की। मारवाड़ी व्यापा-रियों ने मनचेस्टर चेम्बर ऑफ कामर्स के सदस्यों से अपील की कि वे अपनी सरकार पर बंग विच्छेद की घोषणा को वापिस

लेने के लिए दबाव डाले। परन्तु इस अपील पर कोई ध्यान नही दिया गया।[13] इन्ही दिनो कलकत्ता म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जिसम पहली बार स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा की गई। इस अधिवशन म अनक मारवाडी व्यापारियो ने इसके सदस्य के रूप मे भाग लिया।[14] मारवाडी व्यापारी भी उग्र और नरम दाना विचारधाराओ स प्रभावित हुए।

इस समय स्थान स्थान पर गुप्त समितियो का निर्माण होन लगा था। बगाल के जनजीवन म व्याप्त क्रान्ति की इन लपटो से मारवाडी युवक अप्रभावित नही रह सक। कलकत्ता म इनम से कुछ प्रगतिशील विचार के लोगा न एक गुप्त समिति स्थापित की। बीकानेर राज्य के सेठ हनुमान प्रसाद पोद्दार भी इसके सक्रिय सदस्य थे। सन् 1912 ई० में इन्हीं लोगो ने अन्य मारवाडी व्यापारियो के सहयोग से 'मारवाडी सहायक समिति' की स्थापना की। इसका मुख्य काय चिकित्सा, अकाल सेवा बाढ पीडिता की सहायता आदि लोकोपकारी कार्यों का आयोजन करना था। इसका मत्री सेठ ज्वालाप्रसाद कानोडिया था।[15] आगे चलकर इस समिति के कतिपय सदस्य जिनम प्रभुदयाल हिम्मतसिंह का, ज्वालाप्रसाद कानोडिया व सेठ हनुमान प्रसाद पोद्दार प्रमुख थे, विप्लववादी काय कलापो म सलग्न होन के कारण राजद्रोह के अपराधी घोषित कर दिये गये। इससे यह समिति सरकार की नजरा मे खटकने लगी परन्तु उस समय के अग्रेजी शासन के विश्वासपात्र डा० सर कैलाशचन्द बोस के प्रयत्नो से इसकी गुप्त समितियो का समाप्त कर दिया गया और इसका नाम 'मारवाडी रिलीफ सोसाइटी' कर दिया।[16] इसके बाद कुछ मारवाडी युवका ने एक अन्य समिति स्थापित की जिसका नाम 'साहित्य सवर्द्धिनी' था। इस समय क्रान्तिकारी सस्थाए अपने सदस्यो को धार्मिक शिक्षा के माध्यम से क्रान्तिकारी प्रशिक्षण दिया करते थे। उनमे गीता (भगवद), चण्डी व काली दवी प्रमुख माध्यम थी। इस समिति की ओर से प० बाबूराय विष्णु पराडकर क सम्पादन म गीता का सानुवाद प्रकाशन करवाया गया। इसके आवरण पृष्ठ पर भारतमाता के एक हाथ म गीता और दूसरे हाथ मे तलवार का चित्र छापा गया। इसके छपते ही इसकी हजारा प्रतिया विप्लववादियो मे बाट दी गइ। सरकार ने इस प्रकाशन को सशस्त्र क्रान्ति के लिए दशवासियो के लिए खुला आह्वान समझा। पुलिस ने छापा मार कर इसके कार्यालय स बची खुची सभी पुस्तके जब्त कर ली और सरकार ने इस सस्था को अवैध करार दे दिया।[17]

मारवाडी युवको का बगाल की अनक विप्लववादी सस्थाओ से सबध बना हुआ था। सेठ हनुमान प्रसाद पोद्दार तो 'स्वदेश बाधव' व अनुशीलन समिति जैसी क्रान्तिकारी सस्थाओ से सबध बनाये हुए थे।[18] मानिकतल्ला प्रसिद्ध बम्ब काण्ड के सबध मे जब विप्लववादियो पर मुकदमा चलाया गया, उस समय हनुमानप्रसाद पोद्दार ने उनकी बडी मदद की। क्रान्तिकारियो से घनिष्ठ सम्पर्क, उनके मुकदमो की सरेआम पैरवी तथा गुप्त समितियो म सक्रिय भाग लेने स सेठ पोद्दार का नाम पुलिस की डायरी मे आ गया।[19] सन् 1914 ई० मे पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली किन्तु कोई आपत्तिजनक सामग्री न मिलने के कारण वापस लौट गई। मानिकतल्ला अभियोग के लगभग छ वष बाद सन 1914 म 'राडा काण्ड हुआ उसम हनुमान प्रसाद पोद्दार के जमादार सुखलाल ने कारतूस की पेटियो को छुपान म बडी मदद की।[20] परन्तु सन 1916 ई० के माच महीने मे एक बगाली क्रान्तिकारी युवक ने पुलिस के सामने इसका भेद खोल दिया। इसके परिणामस्वरूप राजद्रोह का अभियोग लगाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 के अन्तगत सेठ फूलचन्द चौधरी प्रभु दयाल हिम्मतसिंह का, ज्वालाप्रसाद कानोडिया, घनश्यामदास बिडला, ओंकारमल सर्राफ व सेठ हनुमानप्रसाद पोद्दार के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारण्ट जारी कर दिये गये। लिलुआ की गुप्त समिति के दो सदस्य प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका व सेठ कन्हैयालाल चितलानिया पहले ही पकडे जा चुके थे। 16 जुलाई सन् 1916 को सेठ हनुमानप्रसाद पोद्दार व उनके अन्य तीन साथियो को गिरफ्तार कर राजद्रोह के अपराध मे जेल भेज दिया।[21] 21 अगस्त 1916 ई० को बगाल सरकार के सचिव सेठ पोद्दार को कलकत्ता स दूर नजरबन्द कर देने के आदेश दिये। सेठ पोद्दार को बाकुडा जिले के शिमलापाल नामक स्थान पर पौने दो वष तक नजरबन्द रखा गया। इसके बाद उन्हे बगाल छोडने के आदेश दिये गये और सेठ पोद्दार बीकानेर राज्यान्तगत रतनगढ आ गये। 14 मई 1918 ई० को सेठ हनुमानप्रसाद पोद्दार को बगाल से निकालने के बाद भी भारत की अग्रेज सरकार ने बीकानेर राज्य के प्रधानमत्री का उनकी गतिविधियो की जानकारी भेजते रहने का आग्रह किया। इस

समय कांग्रेस के नेता मदनमोहन मालवीय ने बीकानेर महाराजा गंगासिंह को एक पत्र लिखा जिसमें सेठ पोद्दार के साथ सम्भावनापूर्ण व्यवहार करने को कहा।[22]

मारवाड़ी व्यापारी वर्ग के लोग जिस प्रकार से विप्लववादियों का सहयोग कर रहे थे उसी भांति महात्मा गांधी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आन्दोलनों में आर्थिक सहायता व व्यक्तिगत रूप से उनमें शामिल होकर सहयोग दिया। सन् 1921 ई० में महात्मा गांधी जब तिलक स्वराज्य फण्ड के लिए धन संग्रहार्थ कलकत्ता आये तब उनके स्वागत में आयोजित सभा की अध्यक्षता बीकानेर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ रामकृष्ण मोहता ने की और गांधीजी की अपील पर 25 हजार रुपये तिलक स्वराज्य फंड में दिये।[23] इसी प्रकार आसाम में मारवाड़ी व्यापारियों की एक सभा में महात्मा गांधी ने अपने आन्दोलनों को धन से सहायता करने की अपील की और मैनचेस्टर से आयात किये जाने वाले कपड़े का व्यापार न करने की शपथ लेने का आग्रह किया। इससे प्रभावित होकर इस सभा के सैकड़ों व्यापारियों ने भविष्य में मैनचेस्टर कपड़े का व्यापार न करने की शपथ ली।[24] आर्थिक सहायता देने के साथ अनेक मारवाड़ी व्यापारियों ने गांधीजी के आन्दोलनों में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और अनेक प्रकार की यातनाएं एवं कष्ट उठाकर जेल गये। बंगाल में इन आन्दोलनों का चलाने में मारवाड़ी व्यापारियों की भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण थी इसकी पुष्टि बंगाल सरकार के एक बड़े पुलिस अधिकारी ए० एच० गजनवी द्वारा सन् 1930 ई० में शिमला स्थित भारत के वायसराय के प्रतिनिधि कनिंघम को लिखे एक निजी पत्र में होती है।[25] उसने अपने पत्र में तत्कालीन बंगाल की स्थिति के बारे में लिखा था कि अगर महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये आन्दोलनों में राजस्थान की देशी रियासतों के मारवाड़ी व्यापारियों को अलग किया जा सके तथा बंगाल का आन्दोलन बंगालवासियों के हाथों ही छोड़ दिया जाय तो नब्बे प्रतिशत आन्दोलन स्वतः ही समाप्त हो सकता था।[26] गजनवी ने कनिंघम को लिखे अपने पत्र के साथ बंगाल के उन मारवाड़ी व्यापारियों की दो सूचियां भी भेजी थीं जिनको या तो आन्दोलनों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर उनकी व्यापारी बही खातों को जब्त कर लिया गया था अथवा जो आन्दोलनों में बाद तक सक्रिय भूमिका को निभा रहे थे। इन दोनों प्रकार के व्यापारियों में बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र के सर्वाधिक लोग थे। गिरफ्तार किये गये व्यापारियों में सागरमल नाथानी, श्रीकृष्ण सीताराम, बिहारीलाल गोपीराम, पदमचन्द पन्नालाल, रामवल्लभ रामेश्वर रामकुमार, शिवचन्दराय, राधाकृष्ण नेवटिया, मगतूराम जयपुरिया, गिरधारीलाल लक्ष्मीनारायण, गणेशदास जवाहरमल हरिवंश ओंकारमल, नैनसुख गंभीरमल, बीजराज जवाहरमल, वल्लभदास भट्टड, शिवदयाल मदनगोपाल श्रीनिवास बालकिशन पोद्दार व सेठ गोविंदराम परसराम बजाज के नाम उल्लेखनीय थे। इनमें बीकानेर राज्य के सेठ सागरमल नाथानी पर अनेक आरोप थे। वह सविनय अवज्ञा आन्दोलन से सहानुभूति रखकर उसे आर्थिक सहायता ही दे रहा था बल्कि उसने अपने एक मकान में इस आन्दोलन को चलाने के लिए एक कार्यालय भी स्थापित कर रखा था। इसके अतिरिक्त उस पर यह आरोप भी था कि वह हड़तालों का समर्थन करता है और स्वयं स्टाक एक्सचेंज का सदस्य होने के नाते [illegible] व्यापारियों में जो हड़तालों का विरोध करते थे व्यापार न करने की धमकी देता था।[27] सेठ राधाकृष्ण नेवटिया, मगतूराम जयपुरिया व सेठ गोविंदराम परसराम बजाज पर बंगाल के क्रान्तिकारी आन्दोलनों एवं महात्मा गांधी के आन्दोलनों को गुप्त रूप से आर्थिक सहायता देने का आरोप था। इसी प्रकार सेठ श्रीनिवास बालकिशन पोद्दार पर सन् 1921 ई० में हो [illegible] के आन्दोलनों को आर्थिक सहायता देने व सविनय अवज्ञा आन्दोलन का एक कार्यालय अपने घर में चलाने का आरोप था।[28] इनके अतिरिक्त जिन व्यापारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तथा जो महात्मा गांधी के आन्दोलनों को आर्थिक सहायता दे रहे थे उनमें बीकानेर राज्य के सेठ बालचन्द मोदी, बसरी मल जोहरीमल [illegible] [illegible] नथमल रामपुरिया, शेखावाटी के सेठ घनश्यामदास बिड़ला, देवीप्रसाद दुर्गाप्रसाद खेतान, सीताराम [illegible] रामकुमार [illegible] हनुमानप्रसाद जालान, भागीरथ कानोड़िया, लक्ष्मीनारायण गेमाणी, बैजनाथ प्रसाद [illegible] [illegible] [illegible] रामचन्द्र गुरुप्रसाद पोद्दार, रामगोपाल सर्राफ, रामकुमार केजड़ीवाल [illegible] [illegible] [illegible] पोद्दार, दुर्गादास सावलका, मुरलीलाल मधुरी [illegible] [illegible] के नाम उल्लेखनीय थे।[29]

बंगाल की भांति मारवाड़ी व्यापारी भारत के अन्य भागों में भी गांधीजी के आन्दोलनों में भाग ले रहे थे। बिहार में चूरू के सेठ बैजनाथ प्रसाद मावसिंहका व उनके छोटे भाई सेठ राधाकृष्ण मावसिंहका ने इन आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया। सेठ बैजनाथ प्रसाद मावसिंहका व राधाकृष्ण मावसिंहका को क्रमशः डेढ़ वर्ष व दो माह की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ी।[30] बम्बई प्रेसीडेन्सी में इस समय मारवाड़ क्षेत्र के सेठ खुशीराम रूपराम, भोरामाल कन्हैयालाल व मूलचन्द जसराज, इन आन्दोलनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।[31] मध्य प्रान्त में बीकानेर राज्य के मारवाड़ी व्यापारियों में सेठ मगनलाल बागड़ी को नागपुर षड्यन्त्र केस में सन् 1932 ई० में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें चार वर्ष की सजा दी गई।[32]

मारवाड़ी व्यापारियों ने भारत के विभिन्न भागों में सन् 1942 ई० के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता नगर में बीकानेर राज्य के सेठ रामकुमार भुवालका, बालकृष्ण व उनका पुत्र ब्रह्मानन्द मोहता, सेठ रामनिरंजन सरावगी को भारत छोड़ो आन्दोलन की विभिन्न प्रवृत्तियों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। सेठ रामनिरंजन सरावगी को कलकत्ता की चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में तिरंगा झण्डा फहराने और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने में प्रोत्साहन देने के कारण जेल भेज दिया गया।[33] मध्य प्रान्त में बीकानेर के मगनलाल बागड़ी ने अपने प्रजा समाजवादियों के सहयोग से सन् 1939 ई० में 'लाल सेना' की स्थापना कर ली। भारत छोड़ो आन्दोलन के अवसर पर श्री बागड़ी व उनकी लाल सेना के स्वयंसेवक भूमिगत हो गये और पुलिस चौकियों, डाकखानों व सरकारी खजानों पर छापे मार कर लूटपाट करने लगे। सरकार ने मगनलाल बागड़ी की गिरफ्तारी के लिए पांच हजार रुपयों का इनाम घोषित किया। अन्ततः 1944 ई० में श्री बागड़ी बम्बई में पकड़ लिये गये और कुल मिलाकर अनेक मामलों में उसे 96 वर्ष का आजीवन कारावास दे दिया गया।[34] किन्तु सन् 1946 ई० में कांग्रेस का पुनः मन्त्रिमण्डल बनते ही छः वर्ष की अवधि के पश्चात् श्री बागड़ी को रिहा कर दिया गया। बीकानेर राज्य का अन्य व्यापारी सेठ सुगनचन्द तापड़िया भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण अकोला में गिरफ्तार कर लिया गया और अकोला व नागपुर की जेलों में चार वर्ष तक रखा गया।[35] मध्य प्रान्त में ही बीकानेर राज्य के एक गांव में जन्मे महात्मा गांधी के रचनात्मक प्रवृत्तियों के सहयोगी सेठ कृष्णदास जाजू को अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और सन् 1944 ई० तक प्रान्त के विभिन्न जेलों में रखा गया।[36] इसी भांति भारत के अन्य प्रान्तों में भी मारवाड़ी व्यापारी इस आन्दोलन से अछूते नहीं रहे। बिहार में चूरू के सेठ बैजनाथप्रसाद मावसिंहका को सन् 1942 ई० के आन्दोलन में भाग लेने के कारण तीन वर्ष का कारावास दिया गया।[37]

अंग्रेजी सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील थी कि मारवाड़ी व्यापारियों को महात्मा गांधी द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलनों से अलग रखा जाय। अंग्रेजी सरकार यह भलीभांति जानती थी कि राजस्थान के मारवाड़ी व्यापारी भारत के विभिन्न प्रान्तों में वाणिज्य-व्यापार करके धन अवश्य कमा रहे थे किन्तु वे अंग्रेज सरकार की अपेक्षा अपने मूल राज्य के शासकों के प्रति अधिक आज्ञाकारी एवं भक्तिभाव रखते थे। उन राज्यों में मारवाड़ी व्यापारियों की चल व अचल सम्पत्ति सुरक्षित थी। अतः भारत सरकार ने राजस्थान के शासकों पर इस बात के लिए दबाव डालना आरम्भ किया कि वे अपने अपने राज्य से आये हुए भारत में रहने वाले व्यापारियों पर, आन्दोलनों से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए दबाव डालें। जयपुर के रेजीडेंट लोथियान ने जयपुर की कौंसिल ऑफ स्टेट के अध्यक्ष बी० जे० ग्लासी को 12 अगस्त 1930 को पत्र लिखा जिसमें उसने ग्लासी को महाराजा जयपुर पर इस बात के लिए दबाव डालने के लिए कहा कि वह शेखावाटी क्षेत्र के सेठ साहूकारों पर महात्मा गांधी के आन्दोलनों से दूर रहने के लिए अपने प्रभाव को काम में लें।[38] इसी आशय का एक पत्र ग्लासी ने खेतड़ी के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट जी० ए० करौल को भी लिखा था।[39] किन्तु अंग्रेजों के इन प्रयत्नों का मारवाड़ी व्यापारियों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेना जारी रखा।

मारवाड़ी व्यापारियों का राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेना उनकी उस कठिनाई का द्योतक था जो उन्हें विदेशी पूंजीवाद की पोषक अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार के अधीन अनुभव हो रही थी। अंग्रेज व्यापारी अपने एकाधिकार को

अंग्रेज सरकार के सरक्षण मे बनाये हुए थे । यह सरक्षण भारतीय व्यापारियो के विकास म बाधा पैदा कर रहा था । इससे मारवाडी व्यापारिया ने राष्ट्रीय आन्दोलन मे सक्रिय सहयोग देना आरम्भ किया।

राज्य मे उत्तरदायी शासन के लिए जन-आन्दोलन मे व्यापारी वर्ग के समर्थन की पृष्ठभूमि

बीसवी सदी के पूर्वार्द्ध मे राजस्थान के व्यापारी वग के अनेक सदस्यो न राज्यो मे हुए उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलनो मे सक्रिय भाग लिया । इसकी पष्ठभूमि म राजस्थान के राज्यो मे भारत की अपेक्षा कर-भार मे असमानता बढे हुए शुल्क देने पर भी राज्यो मे जन सुविधाओ एव प्रशासनिक सुधारो का अभाव तथा भारत मे बढते हुए स्वाधीनता आन्दोलना का प्रभाव आदि अनेक प्रेरक तत्व थे।

उन्नीसवी सदी के मध्य की अपक्षा बीसवी सदी के आरम्भ मे राज्य मे व्यापारी वग की राजनीतिक एव सामाजिक स्थिति मे काफी परिवतन आ चुका था। उन्नीसवी सदी के उत्तरार्द्ध मे राज्य म अंग्रेजी प्रभुसत्ता के बढते हुए प्रभाव के फलस्वरूप सामन्ती वग की पूव की स्थिति म परिवतन हो चुका था । राज्य मे अंग्रेजी ढग के नये कानून कायदो के लागू होने क बाद व्यापारी वग अपने ऋणो की वसूली मे सामन्तो के चगुल से मुक्त हो चुका था। सामन्तो के आर्थिक व राजनीतिक विशेपाधिकार धीरे धीरे कम हो चुके थे। इसके विपरीत व्यापारी वग को अंग्रेजी सरक्षण तथा राज्य के शासक की आर्थिक सहायता करने के फलस्वरूप अनेक विशेपाधिकार मिलने लगे।[40] दूसरी ओर सामन्तो की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत काफी कमजोर हो गई थी। अत उन्होने जागीरी क्षेत्र के निवासियो पर अनेक नई प्रकार की लागें (शुल्क) व बगार आदि बढा दी।[41] तथा धन के लालच मे व्यापारियो को तग करना शुरू कर दिया और उनसे लिये हुए कज आदि को वापस दने म आनाकानी करने लगे।[42] सामन्तो द्वारा बढाई गई लाग बाग एव बेगार आदि का सर्वाधिक प्रभाव कृपक वग पर पडा। इस उत्पीडन को वह सहन नही कर सके और उन्होने सामन्तो के विरुद्ध विद्रोह कर दिये, जिनका लाभ उठाकर अन्य वर्गों न राज्या मे उदार शासन की माग प्रस्तुत की। मेवाड की अपेक्षा बीकानेर मे बिजोलिया और बेगू आन्दोलना की भाति आन्दोलन काफी देर स हुए परन्तु फिर भी कागड व दूधवाखारा के किसान आन्दोलन उसी भाति के थे।[43] यद्यपि अनेक व्यापारी अपने लेन देन, व्यवहार के कारण सामन्ती जागीरो म अशाति फैलाने के विरोधी थे किन्तु भारत के विभिन्न भागा म अपना वाणिज्य व्यापार करने वाले अनेक व्यापारियो ने सामन्तो के विरुद्ध आन्दोलनो को आर्थिक सहायता दी और सक्रिय भाग भी लिया । बीकानेर के लाला सत्यनारायण सर्राफ व सेठ खूबराम सर्राफ ने क्रमश महाजन के पट्टे व अन्य अनेक जागीरदारो द्वारा किए गये अत्याचारो के विरुद्ध वहा की जनता द्वारा किये गये जन-आन्दोलना मे सहयोग दिया।[44]

राज्य का शासक महाराजा गगासिह भारत मे स्वराज्य के सबध मे दोहरी नीति अपनाये हुआ था । वह जब कभी अंग्रेजी भारत अथवा ब्रिटेन प्रवास पर होता और उसे भारत के स्वराज्य सबधी मामले पर बोलने अथवा लिखने का मौका मिलता तब वह भारत को स्वराज्य प्रदान करने की वकालत किया करता था।[45] मई 1917 म भारत के तत्कालीन भारत सचिव आस्टिन चेम्बरलिन ने महाराजा से भारत सबधी विचार पूछे । उत्तर मे उसने भारत का अविलम्ब स्वराज्य प्रदान करने का आग्रह किया । उसके अनुसार स्वराज्य देने की तत्काल घोपणा करने से अत्यन्त हितकारी परिणाम तथा भारत म असन्तोप व आतक दूर हो सकता था।[46] प्रथम महायुद्ध के बाद महाराजा न भारत को राष्ट्रसघ का सदस्य बनाने का समथन किया।[47] इसी प्रकार सन 1930 ई० के प्रथम गोलमेज सम्मेलन मे उसने भारतीय सघ बनाने की वकालात की।[48] महाराजा क इस प्रकार के विचारो से भारतीय स्वतत्रता सग्राम के नेता जिन्होंने एक भारतीय नरश से इतन दृढ समथन की कदापि आशा नही की थी उसके उदार विचारो के प्रशसक बन गये किन्तु महाराजा बीकानेर म नागरिका को किसी प्रकार की स्वतत्रता देने के पक्ष म नही था। वहा निरकुश शासन का बोलबाला था तथा आम जनता भारी करो से दबी हुई थी। महाराजा गगासिह के शासनकाल मे बीकानेर राज्य मे जनसाधारण पर भारी कर लगा दिय गये और [illegible] म वृद्धि कर दी गई। महाराजा की इस नीति का सारे भारत मे विरोध हुआ और उसका नाम [illegible]

सिंह' पुकारा जाने लगा।[49] इस पर भी राज्य मे नये-नये कर लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही थी। जन सुविधाए जुटान एव प्रशासनिक सुधार के नाम पर महाराजा गगासिंह ने राज्य मे सन् 1913 ई० म 'बीकानर राज्यसभा' की स्थापना अवश्य कर दी थी जिसम कुछ वरिष्ठ सामन्तो के अतिरिक्त शासक द्वारा मनोनीत सदस्य ही होत थे।[50] अग्रजी भारत में राज्य से निष्क्रमण किया हुआ व्यापारी वग अपेक्षाकृत अनेक प्रशासनिक सुविधाओ तथा अधिकारो का उपभोग कर रहा था और स्वाधीनता के सबध मे राष्ट्रीय नेताओ के विचारो से परिचित भी था। अपने मूल निवास बीकानर राज्य म आन पर उसे यहा कठोर एव रूढिवादी स्थिति का भान होता था। यहा उसे शुल्क के चुकाने के अलावा सुविधाओ के रूप म कुछ भी नही मिलता था। देशी राज्य लोक परिषद् के विभिन्न वार्षिक अधिवेशनो मे बीकानेर राज्य म प्रशासनिक सुधारो के नाम पर कुछ न करने के कारण राज्य के शासक की प्राय आलोचना होती थी। इसके सातव वार्षिक अधिवशनो म तो स्वय प० जवाहर लाल नेहरू न इस सबध म बीकानेर राज्य की कडी आलोचना की थी।[51] ऐसी स्थिति म राज्य की जनता क विभिन्न वर्गो ने महाराजा गगासिंह के बहुचर्चित एव प्रकाशित विचारो के खोखलेपन का भण्डाफोड करन, राज्य क निरकुश शासन, बढे हुए शुल्क एव प्रशासनिक सुधारो के अभाव को स्पष्ट करने के लिए जन आदोलन छेड दिया। सन 1931 ई० का राज्य म प्रसिद्ध 'बीकानेर षडयन्त्र केस' इसी पृष्ठभूमि मे हुआ।

व्यापारिक वर्ग का राज्य के राजनीतिक जन-आदोलन मे योगदान

दिसम्बर 1927 ई० म आल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस के प्रथम अधिवेशन के साथ ही राजस्थान के प्राय समस्त राज्यो मे राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। इसके कुछ समय बाद ही कुछ राज्यो म प्रजामडल व प्रजा परिषद् की स्थापना होनी आरम्भ हुई और सन् 1930 ई० मे प्रशासनिक सुधारो एव करो म कमी करवाने के लिए आन्दोलन आरम्भ हो गये।[52] बीकानेर राज्य मे भी जागृति का श्रीगणेश इन्ही दिनो मे हुआ। इससे पूर्व भी बीकानर राज्य के अन्तर्गत कुछ राजनीतिक हलचल अवश्य शुरू हो चुकी थी। सन् 1907 ई० म चूरू नगर मे स्वामी गोपालदास ने व्यापारी वग के कुछ लोगो के सहयोग से, जिनम सेठ कृष्णलाल उन्हाली व सेठ तेजपाल सिंघी के नाम उल्लेखनीय है सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की। इस सभा भवन म लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय व विपिनचन्द्रपाल के लगे चित्रो को लेकर राज्य प्रशासन ने इस सस्था को राजनीतिक गतिविधियो का केन्द्र मानकर इसके विरुद्ध जाच समिति नियुक्त कर दी।[53] यद्यपि जाच समिति ने इस सस्था को राजनीतिक गतिविधियो पर कडी निगरानी रखने के लिए सुझाव अवश्य दिया।[54] इस सस्था की गतिविधिया एसी अवश्य थी जिनसे इसकी राजनीति के प्रति रुचि का पता चलता था। इस सस्था ने जब अपना निज का भवन बनवाया तब उसका शिलान्यास चूरू के सठ पीरामल गोयन्का से करवाया किन्तु भवन बन जान पर उसका उद्घाटन राजस्थान क वरिष्ठ राजनीतिक नता श्री अर्जुन लाल सेठी व चादकरण सारडा स करवाया।[55] यह सस्था अपन यहा भारत के विभिन्न भागो से उन पत्र पत्रिकाओ को मगवाती थी जिनका राज्य म प्रवेश राज्य सरकार अपन हित म नही समझती थी।[56] सस्था का सस्थापक स्वामी गोपालदास आगे चलकर बीकानेर के षडयन्त्र केस का प्रमुख अभियुक्त बना। सर्वहितकारिणी सभा की जाच सम्बन्धी पत्रावली के अवलोकन से पता चलता है कि चूरू क व्यापारी वग से सबधित लोग इसकी आर्थिक सहायता ही नही कर रह थे बल्कि इसके सक्रिय सदस्य भी थे। इसके सक्रिय सदस्यो म सठ सागरमल मत्रा शिवबख्श गोयन्का, पासीराम नाथानी, कुजलाल बजाज सागरमल टाईवाला, तोलाराम सुराणा, मूलचन्द कोठारी, त्रिलोकचन्द सुराणा, गणपतराय खेमका, द्वारकादास टीबडेवाला व सेठ शिवनारायण लखोटिया आदि के नाम उल्लेखनीय थे।[57]

सन् 1920 ई० म बीकानेर मे मुक्ताप्रसाद वकील ने स्थानीय व्यापारी वग के कुछ सदस्यो के सहयोग स 'सद्विद्या प्रचारिणी सभा' की स्थापना की। इस सस्था ने सवप्रथम राज्य के भ्रष्ट सामन्तो तथा अधिकारियो की रिश्वतखोरी और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठायी। उसन 'सत्यविजय' और 'धर्मविजय' नाम के दो नाटक जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जिनम राज्य म सामन्तो द्वारा किय जान वाले अन्याय का अनावरण किया गया था।[58] इस सस्था का मत्री सठ कानूराम बर्डिया था तथा प्रमुख कायकर्ताओ म रावतमल कोचर व सेठ फाल्गुन कोचर क नाम उल्लेखनीय थे।[59] यह वह समय था

जब राज्य का शासक महाराजा गगासिंह राज्य मे किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियो को सहन करने को तैयार न था। सन 1930 मे चूरू नगर म धमस्तूप पर तिरगा फहराने की घटना ने सरकार के कान खडे कर दिये और राज्य सरकार ने इस घटना के लिए चूरू के तहसीलदार व पुलिस अधीक्षक से जवाब मागा। झण्डा फहराने वालो म अन्य लोगो के अतिरिक्त सेठ घनश्याम दास पोद्दार भी था[60] इसी समय चूरू म ही व्यापारी वग के नौजवान भीवराज पुत्र जीतमल कोठारी व हापचन्द कोठारी आदि ने श्री सागरमल ब्राह्मण के साथ मिलकर नगर की दीवारो पर नारे लिख दिये, जिनम लिखा था 'खरा रुपयो चादी को, स्वराज्य महात्मा गाधी को।[61] राज्य की दमनकारी नीति का प्रथम प्रहार 7 मई 1931 को पचायत बोड के सरपच सेठ रामनारायण, जो राज्य के व्यापारी वग से सम्बधित था, पर हुआ। पुलिस ने उसको इसलिए बुरी तरह से पीटा क्योकि उसने एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना और राज्य म सामन्तो द्वारा बेगार लिये जाने के विरुद्ध आवाज उठायी।[62] इन घटनाओ के कुछ समय बाद ही राज्य म प्रसिद्ध 'बीकानेर षडयन्त्र केस' हुआ जिसके आठ अभियुक्तो म से चार राज्य के व्यापारी वग के सदस्य थे।

'बीकानेर षड्यन्त्र केस' महाराजा गगासिंह के भारत एव इग्लैंड मे भारत को स्वराज्य प्रदान करने सम्बन्धी भाषणो से उस जो एक प्रगतिशील उदारवादी शासक के रूप मे ख्याति मिल गई थी, की वास्तविकता से जनता को अवगत कराने के प्रयास का परिणाम था। राज्य के कुछ व्यापारियो एव लोक नेताओ ने यह प्रयत्न किया कि महाराजा गगासिंह के प्रशासन की वास्तविक स्थिति गोलमेज सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाये। यह प्रयत्न ही गगासिंह द्वारा एक षडयन्त्र समझा गया जो 'बीकानेर षड्यन्त्र केस' के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1931 ई० मे महाराजा गगासिंह लदन म हो रहे दूसरे गोलमेज सम्मेलन म भाग लेने हेतु लदन पहुचा। उसी समय अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का एक विशेष शिष्ट मण्डल लदन गया ताकि वह भारतीय राजाओ के मुकाबले मे भारतीय राज्यो की जनता के दृष्टिकोण को सम्मेलन के सदस्यो के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। इस शिष्टमण्डल मे 'जन्मभूमि' के सम्पादक अमृतलाल सेठ, सौराष्ट्र के प्रसिद्ध बरिस्टर चूगर और पूना के प्रोफेसर अभयकर थे। उन्होने बीकानेर और भोपाल राज्यो के सबध मे विशेष पुस्तिकाए तैयार की।[63] महात्मा गाधी के परामश पर, जो स्वय भी गोलमेज म भाग ले रहे थे भोपाल सम्बन्धी पैम्फलेट को तो प्रकाशित नही किया गया परन्तु बीकानेर सम्बन्धी पुस्तिका को साइक्लोस्टाइल करके सम्मेलन के सदस्यो मे बटवा दिया। इसके लिए आवश्यक सामग्री बीकानेर के व्यापारी सेठ खूबराम सर्राफ व लाला सत्यनारायण सर्राफ ने एकत्रित की थी।[64] गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लाड सैंकी ने वह पैम्फलेट महाराजा गगासिंह के सामने ठीक उस समय प्रस्तुत किया जब वह देशी राज्यो के भारतीय सघ म शामिल होने के ब्रिटिश सरकार की योजना के समथन और निजाम हैदराबाद के दीवान अकबर हैदरी के विरोध म जोशीला भाषण कर रहा था।[65] पुस्तिका की एक प्रति पर लाड सैंकी ने यह भी लिख दिया था कि बीकानेर महाराजा को इसका जवाब भी देना चाहिए। बीकानेर म निरकुश शासन का भण्डाफोड करने वाली पुस्तिका को देखकर महाराजा आप से बाहर हो गया।[66]

इसी समय राज्य सरकार ने बीकानेर राज्य म पजाब से आने वाले गेहू पर भारी जगात लगा दी और अन्य वस्तुओ पर जगात शुल्क को बढा दिया। गेहू पर लगी जगात का व्यापारी वग ने कडा विरोध किया। राज्य के व्यापारी सेठ रामकृष्ण अग्रवाल, रामकृष्ण माहेश्वरी व सेठ रामचन्द्र वैद ने इसके विरोध स्वरूप अपने मगाये हुए माल को छुडाने से इन्कार कर दिया।[67] चूरू मे 11 जनवरी सन् 1932 ई० को प्रसिद्ध सेठ मालचन्द कोठारी, जो बीकानेर राज्य की राज्य सभा का सदस्य था, की अध्यक्षता मे रोटी पर लगे टैक्स के विरोध मे एक आम सभा हुई। उसम व्यापारियो व आर्य स्वामी गोपालदास ने राज्य सरकार की तीव्र आलोचना की और अन्त म सवसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर महाराजा से जगात माफ करने की माग की गई।[68] इस सभा की कायवाही की रिपोट 'रियासती इन्डिया' नामक पत्र म भेजी गई। सभा की कायवाही का प्रस्ताव पाकर महाराजा का गुस्सा और अधिक बढ गया। राज्य के बडे सामन्त अधिकारी ... सिंह को चूरू भेजा गया और उसने नगर के सेठ साहूकारो को बुलाकर डराया धमकाया परन्तु उसका कुछ भी असर व्यापारी वग के अधिकाश लोगो एव स्वामी गोपालदास पर कोई प्रभाव नही पडा।[69]

महाराजा गगासिह जो गोलमेज सम्मेलन मे पैम्फलेट बाटने की कार्यवाही से राज्य के नेताओ से पहले से ही नाराज थे, जगात विरोधी आन्दोलन से और अधिक नाराज हो गये। महाराजा ने अपने इन विरोधियो को सबक सिखाने का निश्चय किया और इस प्रकार राज्य म इन लोगो की धड पकड शुरू हो गई। सवप्रथम स्वामी गोपालदास व उसके साथियो को तथा उसके बाद 13 जनवरी को लाला सत्यनारायण सर्राफ को रतनगढ मे, सेठ खूबराम सर्राफ को भादरा मे, बदरीप्रसाद सरावगी व श्री लक्ष्मीचन्द सुराणा को राजगढ म गिरफ्तार कर लिया गया। चूरू के चन्दनमल बहड को भी 15 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया।[70] ये लोग पूरे तीन माह पुलिस की हिरासत म रखे गये और 13 अप्रल, सन् 1932 ई० को इन सबके खिलाफ इस्तगासा पश हुआ और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 10 अगस्त तक मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत म चला और बाद मे एक वप पाच माह तक यह मुकदमा सेशन कोट मे चला। 15 जनवरी सन् 1933 ई० को सब अभियुक्तो को सजा सुना दी गई। लाला सत्यनारायण सर्राफ को दफा 377, 124 व 120 के अनुसार क्रमश 3 वप, 1 वप व 6 माह की कैद। सेठ खूबराम सर्राफ को तथा स्वामी गोपालदास व श्री चन्दनमल बहड को उपरोक्त दफाओ म ही क्रमश ढाई वप, एक वप व छ माह की कैद तथा प्यारेलाल और साहनलाल को दफाए 377 व 124 के अनुसार छ छ माह की कैद की सजाए सुनाई गइ। एक अन्य अभियुक्त लक्ष्मीचन्द सुराणा को राजकीय गवाह बन जाने के कारण माफ कर दिया गया।[71]

राजद्रोह के इस मुकदमे मे लाला सत्यनारायण सर्राफ व सेठ खूबराम सर्राफ पर मुख्य दोषी होने और अन्य सभी व्यक्तियो पर सेठ खूबराम व लाला सत्यनारायण सर्राफ का राज्य के प्रति पड्यन्त्र मे सहयोग देने से सम्बन्धित होने के आरोप लगाये गये। लाला सत्यनारायण सर्राफ व खूबराम सर्राफ पर राज्य सरकार की प्रारभ से ही वक्र दृष्टि थी क्योकि इन दोनो ने लोकनायक श्री जयनारायण व्यास का साथ देकर बीकानेर राज्य मे स्थान स्थान पर अखिल भारतीय देशी राज्य परिपद के सदस्य बनवाये और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को दिये स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर करवाये थे। इसके अतिरिक्त लदन मे गोलमेज मे जो पैम्फलेट बाटा गया उसके लिए आवश्यक सामग्री इन्ही दोनो ने एकत्र की थी।[72] इस्तगासा म खूबराम पर आरोप लगाया गया कि उसका भारतीय राज्य लोक परिपद से गहरा सबध था। वह परिपद आमतौर पर राज्य के शासको के खिलाफ व विशेप रूप से महाराजा बीकानेर के विरुद्ध भयकर प्रचार मे रत थी। उस पर यह आरोप भी लगाया गया कि उसने उक्त सस्था को 500 रुपयो की सहायता की तथा इसके सदस्यो के साथ राजद्रोह फलाने वाला पत्र व्यवहार किया। सन् 1828 ई० मे अजमेर म होने वाले राजपूताना प्रजा परिषद के अधिवेशन तथा कराची के काग्रेस अधिवेशन मे भाग लेने का आरोप भी उस पर लगाया गया।[73] इस्तगासा म उस पर जो अन्य आरोप लगाये गये थे, उनम लाला खूबराम द्वारा बीकानेर राज्य की जनता की ओर से एक मैमोरियल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को भेजने का आरोप भी था। इस मैमोरियल मे उसने काग्रेस को याद दिलाया था कि वह किसी प्रकार की शासन योजना को स्वीकार करने से पहले यह देख ले कि उक्त योजना मे भारतीय राज्यो की जनता की निम्नलिखित मागो का समावेश है अथवा नही। पहले, राज्य निवासियो को स्वतन्त्रतापूवक लिखने, बोलने और सम्मेलन का अधिकार होना चाहिए। दूसरे, सघ शासन की धारा सभाओ मे अग्रेजी भारत के नागरिको की भाति भारतीय राज्यो के निवासियो को भी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधियो को भेजने का अधिकार होना चाहिए। तीसरी, सघ के सर्वोच्च न्यायालय मे भारतीय राज्यो के निवासियो को भी अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए।[74] उस पर एक अन्य आरोप यह लगाया गया कि उसने उदू अखबार 'रियासत' म महाराजा गगासिह एव एक गरीब किसान का एक काटून मय एक कविता के छपवाया तथा 'प्रिसली इण्डिया' व 'त्यागभूमि' म अलग से एक लेख बीकानेर का नया बजट विहगम दृष्टि' छपवाया। अन्तिम आरोप उस पर यह लगाया गया कि उसने मेवाड के बिजोलिया ठिकाने मे किसान आन्दोलन को सहायता पहुचायी थी। सेठ खूबराम सर्राफ ने मुकदमे के दौरान उक्त आरोपों मे से एक दो को छोडकर सभी को स्वीकार किया था। इस मुकदमे से सेठ खूबराम सर्राफ द्वारा राज्य की राजनीति मे जो महत्वपूण भूमिका निभाई गई थी वह स्पष्ट हो जाती है।[75]

मुकदमे के दौरान बीकानेर पड्यन्त्र केस मे सभी अभियुक्तो को काफी तग किया गया था। सेठ खूबराम

सर्राफ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी भादरा स्थित दुकान की तमाम बहिया उठा ली और भ्रम फैला दिया कि सरकार ने बहिया जब्त कर ली। पुलिस ने करीब डेढ वर्ष तक इन बहियो को अपने कब्जे मे रखा जिससे उसका व्यापारी कारोबार ठप्प पड गया। इसके अतिरिक्त इन बहियो का एक भी अक्षर उसके खिलाफ पेश नही किया गया और जब सेठ सर्राफ ने इन्हे अपने पक्ष मे पेश कराना चाहा तब उन्हे पेश नही करने दिया गया। किसी भी अभियुक्त को अपनी सफाई के लिए राज्य के बाहर का वकील लाने की इजाजत नही दी गई।[76]

बीकानेर षड्यन्त्र केस की सारे भारत म बडी प्रतिक्रिया हुई। भारत के बडे एव मान्य नेताओ ने तो इसकी आलोचना की ही बल्कि अंग्रेजी भारत, विशेष रूप से बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद व ब्यावर आदि स्थानो म रहने वाले मारवाडी व्यापारियो ने इसके विरोध मे सभायें करके सरकार विरोधी भाषण दिये।[77] कलकत्ता के माहेश्वरी भवन मे सेठ मूलचन्द अग्रवाल व प्रभुदयाल हिम्मतसिंह की अध्यक्षता मे बीकानेर दिवस मनाया गया जिसमे सैकडो सेठ साहूकारो ने भाग लिया।[78] पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सेठ जमनादास बजाज व रामानन्द चटर्जी जैसे नेताओ ने अपने हस्ताक्षरो से इस मुकदमे के विरुद्ध लम्बी लम्बी अपीलें निकाली।[79] देशी राज्य लोक परिषद ने अपने अधिवेशन मे प्रस्ताव पास करके अभियुक्तो को बधाइयां दी व राज्य प्रशासन की आलोचना की।[80] जयनारायण व्यास जो स्वय लोक परिषद् के सचिव थ, वे स्वय बीकानेर आये और इस केस की आम लोगो को जानकारी देने के लिए एक पुस्तक 'बीकानेर षड्यन्त्र केस' के नाम से प्रकाशित की।

इसी समय राज्य के व्यापारी राजस्थान के राज्यो मे काग्रेस द्वारा आन्दोलन करने मे सहयोग देने हेतु उसकी आर्थिक सहायता करने म लगे थे। बीकानेर राज्य के सेठ रामगोपाल मोहता, पुरुषोत्तम मोहता, विट्ठलदास मोहता, जानकी दास राठी, सेठ अनन्तराम धरड, बलदेवदास कन्नोई, सूरजमल नागरमल, शिवचन्द्र राय खेमका, सागरमल मुहालका, गुलराज गनेरिया, केदारनाथ बाजोरिया, माधोप्रसाद, घावका, विलासराय तापडिया, केदारबख्श माहेश्वरी, गोविन्दराम पोद्दार, खूबराम ओसवाल, राधाकृष्ण बागला, शुभकरण सुराणा, बदरीदास खेमका, छगनलाल बागडी, घनश्यामदास व खूबराम हजारीमल बाईवाला एव सेठ प्यालीराम लोहारीवाला ने अजमेर स्थित प्रान्तीय काग्रेस कमेटी को चन्दा दिया।[81] सन् 1934 ई० मे बीकानेर षड्यन्त्र केस के फैसले के बाद राज्य मे एक बार राजनीतिक सरगर्मी काफी समय के लिए ठप्प हो गई। इसके बाद 22 जुलाई, 1942 ई० म बाबू रघुवरदयाल की अध्यक्षता मे बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई।[82] इससे राज्य का शासक महाराजा गगासिंह बौखला उठा। उस समय प्रजा परिषद् का उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया मे उत्तरदायी शासन प्राप्त करना था। इस समय फिर बीकानेर म राजनीतिक दमन का भीषण चक्र शुरू हुआ और प्रजा परिषद् के अध्यक्ष बाबू रघुवरदयाल गोयल को 29 जुलाई, 1942 ई० को गिरफ्तार करके निर्वासन का आदेश दे दिया गया।[83] उधर भारत भर म अगस्त 1942 ई० का भारत छोडो आन्दोलन जोर पकडने लगा था। व्यापारी वर्ग स सबधित राज्य के अनेक लोगो को इसम भाग लेने के कारण कडी यातनाए दी गई।

सेठ खूबराम सर्राफ जो बीकानेर षड्यन्त्र केस की पाच वर्ष की सजा काटकर सन् 1939 ई० मे जेल से रिहा हो चुका था, सन् 1942 ई० म अगस्त म होने वाली काग्रेस महासमिति की बैठक म भाग लेने बम्बई पहुचा। जब वह वहा स वापिस बीकानेर आया तब उन्हे 14 अगस्त, 1942 ई० को बीकानेर मे पुन गिरफ्तार कर लिया गया और डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स मे उन्हे अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द करके बीकानेर जेल मे रख दिया गया।[84] इसी समय अजमेर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक 'राजस्थान' मे बीकानेर शासन की अन्धेरगर्दी का अनावरण करने वाला एक तथ्यपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ। महाराजा गगासिंह ने इस राजद्रोहात्मक लेख के लिए सरदारशहर के सेठ नेमीचन्द आचलिया को दोषी ठहराया और राज्य मे भय और आतक फैलाने के लिए उसके हाथो म हथकडिया लगाकर उसका प्रदर्शन किया गया। बाद म उसे अपराधी ठहराकर 7 वर्ष के कारावास की सजा दे दी।[85] इसी प्रकार भादरा का एक अन्य व्यापारी सेठ मालचन्द हिसारिया जब अगस्त सन 1942 ई० की काग्रेस महासमिति की बैठक से भारत छोडो आन्दोलन मे करो या मरो का सन्देश लेकर बीकानेर आया तब राज्य के गृहमत्री ने उसे बुलाकर बहुत डराया धमकाया। इसके बाद पुलिस ने सेठ मालचन्द हिसारिया पर नाजायज चने का स्टाक रखने का झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार कर लिया और पचास दिन तक भादरा के थाने म रखा

परन्तु बाद मे हाई कोर्ट के आदेश से उसे छोड दिया गया।[86] सन् 1942 ई० मे मारवाड लोक परिषद के अधिवेशन म राज्य के व्यापारी वग के सैंकडा लोगो ने उसमे खुलकर भाग लिया। इनमे अधिकतर सुजानगढ के व्यापारी थे। छापर के सेठ बुधमल दुधारिया तो इसमे काफी सक्रिय रहे।[87] इसी समय बीकानेर राज्य म बढे हुए लगान क विरोध म राज्य के करीब 100 कृषक राजधानी म एकत्रित हुए। उनके समथन मे गये राज्य के अन्य काग्रेसी कायकर्ताओ के साथ सेठ गोपाल दम्माणी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।[88] राज्य मे अगस्त 1942 के आन्दोलन के कायक्रम सबधी पोस्टर व हैण्डबिल आदि बाटने मे व्यापारी वग के लोगो ने काफी सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त सन 1942 म राज्य मे व्यापारियो से सबधित छात्रो ने राज्य के शासक के जन्म दिन मनाने के लिए होने वाले समारोहो का बहिष्कार किया। सरदारशहर स्कूल मे दीपचन्द नाहटा पुत्र कुन्दनमल नाहटा, राधाकृष्ण चाण्डक पुत्र रामगोपाल चाण्डक व मूलचन्द सेठिया पुत्र हरचन्द सेठिया ने महाराजा गगासिंह के जन्म दिवस का बहिष्कार किया।[89]

26 जनवरी सन् 1943 ई० म राज्य म प्रजा परिषद् क कायकर्ताओ ने स्वतत्रता दिवस मनान के विचार से तिरगा झण्डा फहराया। इस कारण प्रजा परिषद् के अन्य कायकर्ताओ के साथ सेठ पन्नालाल राठी व जीवनलाल डागे को गिरफ्तार कर लिया गया।[90] इस समय राज्य प्रशासन इस चेष्टा म था कि प्रजा परिषद के कायक्रमो म भाग लेन वाले कायकर्ताओ को उल्टे सीधे मामले बनाकर तग किया जाये। इसी प्रकार का एक मामला राज्य म रेजगारी की कमी को लेकर बनाया गया। राज्य मे सन् 1943 ई० से ही रेजगारी की काफी कमी हो रही थी और आम लोगो को रेजगारी का मिलना मुश्किल हो रहा था। रेजगारी का काम करने वाले व्यापारियो ने 4 से 6 आना बट्टा लेना प्रारभ कर दिया। इस पर राज्य की ओर से अनेक व्यापारियो के घरो पर छापे मारे गये जिससे जमा रेजगारी का पता लगाया जा सके। इसम पुलिस को कुछ हाथ नही लगा परन्तु फिर भी पुलिस ने इन छापो के विरुद्ध निकले एक पैम्फलेट को लेकर वैद पन्नाराम व सेठ गोपालदास दम्माणी को गिरफ्तार कर लिया परन्तु बाद म तथ्यो क अभाव म उन्हे छोड देना पडा।[91] इस बीच प्रजा परिषद् म सदस्यो ने राज्य सरकार से माग की कि उसे वैधानिक मान्यता दी जाय। 26 अगस्त सन् 1944 ई० को बीकानेर के तत्कालीन नरेश महाराजा शार्दूलसिंह ने प्रजा परिषद के सदस्यो को वार्ता के लिए बुलाया।[92] किन्तु वार्ता विफल रही और प्रजा परिषद के अध्यक्ष रघुवरदयाल गोयल को पुन गिरफ्तार कर लूणकरणसर मे नजरबन्द कर दिया गया और 21 मई सन् 1945 ई० को बीकानेर राज्य की सीमा से देश निकाला दे दिया गया।[93] इस समय राज्य की नीतियो एव राजनीतिक घटनाओ से व्यापारी वग काफी असन्तुष्ट होता नजर आ रहा था। इसका पता व्यापारी वग के लोगो द्वारा राज्य की नीतियो का खुलकर विरोध करने से चलता है।

राज्य के प्रसिद्ध सेठ बदरीदास डागा जो बीकानेर नगरपालिका का मनोनीत अध्यक्ष था, ने सन 1944 ई० को राज्य सरकार की नीतियो के विरोध स्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते समय उसने अपने अन्तिम अध्यक्षीय भाषण मे राज्य सरकार की वित्तीय एव राजनीतिक नीति की कडी आलोचना की। सेठ डागा के इस आलोचनात्मक भाषण की भारतीय स्तर के अखबारो मे काफी चर्चा हुई।[94] इसी समय सन 1945 ई० से राज्य मे आयकर लागू करने के विरोध मे व्यापारी वग एक हो गया और राज्य की जनता को राजनीतिक अधिकार दिये बगर उन पर नये कर लगाने की नीति की कडी आलोचना की। इसका विरोध करने के लिए राज्य के व्यापारियो की एक समिति बनाई गई। इसका अध्यक्ष सेठ मोहनलाल जालान को बनाया गया। सेठ कन्हैयालाल लोहिया, शिवकिशन भट्टड, भवरलाल रामपुरिया, दाऊदयाल कोठारी व सेठ त्रिलोकचन्द सुराणा को उप सभापति तथा सेठ भागीरथ मोहता को सचिव बनाया गया। सेठ नेमीचन्द चोरडिया व बालकिशन गुप्ता को सहायक सचिव व सेठ छगनलाल तोलाराम को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी बडे-बडे सेठ साहूकार इस समिति के सदस्य थे।[95]

व्यापारियो द्वारा राज्य मे उत्तरदायी शासन की माग का समथन 3 माच 1946 ई० को राज्य के व्यापारियो द्वारा गठित उपर्युक्त समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्य के शासक से निवेदन किया—सभा की राय मे इस प्रजा की एकस्वरी राय का निरादर करना प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तो के, जिनके मानने की घोषणा हमारे महाराजा साहब द्वारा होती आ

रही है, बिल्कुल विरुद्ध एव प्रजा के हितो के लिए सवथा हानिकारक है। पजा का बिना किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्रदान किय बिना गैर उत्तरदायी सरकार के द्वारा इस प्रकार के जटिल और व्यापक टैक्स को लगाना यह सभा अनुचित समझती है और इसस बहुत त्रस्त एव सशक्ति है तथा इस बिल को घोर विरोध की दृष्टि से देखती हुई श्री बीकानेर महाराजा से प्राथना करती है कि जब तक राज्य मे आपकी छत्रछाया मे उत्तरदायी शासन की स्थापना न हो जाय किसी प्रकार का नया टैक्स वतमान सरकार द्वारा प्रजा पर न लगाने दे तथा इन्कम टक्स बिल को रद्द कर प्रजा हितपिता का परिचय दें। बीकानेर नागरिका की यह सभा महाराजा साहब से यह निवेदन करती है कि बीकानेर की प्रजा-परिषद के प्रधान रघुवरदयाल गोयल पर से बीकानेर राज्य म प्रवेश न करने की पाबन्दी हटाकर नरेन्द्र मण्डल म दिय गये भाषण को क्रियात्मक रूप दकर प्रजा क धन्यवाद के पात्र बने।[96] यह राज्य के व्यापारी वग की ओर से उत्तरदायी शासन के लिए स्पष्ट माग थी। इसका प्रभाव राज्य के प्रमुख कस्बो—सरदारशहर, चूरू व सुजानगढ जहा व्यापारी वग के लोगा की काफी सख्या थी, के स्कूली छात्रो पर भी पडा। व्यापारियो के लडको न तिरगे झण्डो को लेकर जुलूस निकाल और राष्ट्रीय नेताओ के जिन्दाबाद के नारे लगाये। सुजानगढ म तो लडका के एक जुलूस मे करीब चार सौ के लगभग व्यापारी वग क बडे लाग भी शामिल हुए जिन्होने राज्य शासन के विरुद्ध नारे लगाय। इस जुलूस म शामिल होने वाले छात्र नताओ म श्री पन्नालाल चौपडा, मागीलाल वद, दुर्गादत्त फतेहपुरिया, जयच द रामपुरिया, लालचन्द मूधडा, नेमीचन्द बागडिया, भवरलाल सरावगी व मोहनलाल सरावगी के नाम उल्लेखनीय थ। सेठ साहूकारो मे जो इस जुलूस मे आगे-आगे चलते हुए नारे लगा रह थे, उनम सेठ भगवतीप्रसाद, मदनलाल लालचन्द मूधडा व दुर्गादत्त चौरडिया के नाम उल्लेखनीय थे।[97] अब व्यापारी वग क लोग राज्य म प्रजा परिषद् द्वारा चलाय जा रह आन्दोलनो मे खुलकर भाग लेने लगे थे। 24 मई 1946 ई० को चूरू नगर म 'नवयुवक सेवा सघ' के तत्वावधान मे सेठ विश्वनाथ झुझनूवाला के सभापतित्व मे एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा मे सेठ बच्छराज सुराणा व सेठ सोहन कुमार बाठिया आदि के सरकार विरोधी भाषण हुए। इसके बाद तिरगा झण्डे क साथ एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतत्व सेठ बच्छराज सुराणा ने किया। इस पर पुलिस ने लाठी चाज किया। इसके विरोध मे एक आम सभा की गई जिसमे अन्य लोगो के अतिरिक्त सेठ बच्छराज सुराणा व सेठ पतराम कोठारी ने सरकार की दमनकारी नीति की आलोचना की।[98] इस समय राज्य के अनेक जिलो मे प्रजा परिषद की शाखाए खोली गईं जिनमे से अनेक पदाधिकारी राज्य के व्यापारी वग के सदस्य थे।[99] इनम चूरू प्रजा परिषद के सेठ बच्छराज सुराणा, रावतमल पारख, शुभकरण गोयन्का, निमलकुमार सुराणा सेठ भागीरथ मरदा, नोहर प्रजा परिषद् के भालचन्द हिमारिया पन्नालाल बिहानी, गोपीकृष्ण पचीसिया हनुमान कन्दोई मदनच द सहीवाला ब्रजलाल बिहानी, भालच द चाचाण, बजमोहन थिरानी, माधव मालानी आदि, रतनगढ प्रजा परिषद् के सेठ थाबरमल मोहालका, लूणीया बद रामगोपाल चौधरी, डालचन्द ओसवाल व सेठ माणकच द बद आदि के नाम उल्लेखनीय है।[100] इसी प्रकार सरदारशहर, सुजानगढ, भादरा व राजगढ आदि की प्रजा परिषदा म व्यापारी वग के लोगा का बाहुल्य था।

इसी समय बीकानेर राज्य म राज्य के कृपको न जागीरदारा की दमनकारी नीति के विरोध म आन्दोलन शुरू कर दिय। इसकी शुरुआत मई 1946 म राष्ट्रीय झण्डा लेकर कृपका द्वारा जागीरदारो के अत्याचारा क विरोध म निकाले एक जुलूस से हुई। पुलिस ने इस जुलूस म शामिल कृपका म से अनेक को बुरी तरह से मारा-पीटा व अनेक को गिरफ्तार कर लिया।[101] इसी क्रम म कागड एव दूधवाखारा गावा के कृपको ने भी अपन जागीरदारो की दमनकारी नीतिया के विरोध म आन्दोलन कर दिय जिनको वहा के जागीरदारों ने कृपको पर भारी अत्याचार करके दबाने का प्रयत्न किया। राज्य के व्यापारी वग के लोगा ने जागीरदारा व राज्य सरकार द्वारा कृपका पर किय जा रह जुल्मा का भारी विरोध किया। राजस्थान के अन्य भागा म विशेष रूप स बीकानेर राज्य से सट क्षेत्र रामगढ (सीकर) म तो व्यापारी वग के लागा न अपन क्षेत्र के जागीरदारो की दमनकारी नीति का विरोध इसम पूव सन 1944 ई० मे रामगढ नामक कस्बे म सीकर जिला राजनतिक सम्मेलन के तृतीय अधिवेशन म खुलकर किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कलकत्ता नगर के मदर गगगट निवासी सेठ आनन्दीलाल पोद्दार न की और सेठ रामनारायण गोयन्का इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थ। कलकत्ता और बम्बई म

रहने वाले राज्य के व्यापारियो ने राज्य के कृषको के समथन मे सभाओ का आयोजन किया। कलकत्ता मे ऐसी सभा स्वतत्रता सेनानी प० नेनूराम शर्मा की अध्यक्षता म की गई थी।[102] कागड एव दूधवाखारा के जागीरदारो द्वारा किसानो पर किये गय अत्याचारो की राज्य प्रजा परिषद् व व्यापारी वर्ग के लोगो मे विशेष रूप से निमलकुमार सुराणा आदि न कडी आलोचना की।[103]

इन परिस्थितिया म बीकानेर के शासक महाराजा शार्दूलसिह को बाध्य होकर राज्य शासन को अधिक जन तान्त्रिक बनाने के लिए घोषणा करनी पडी। सवप्रथम सन 1946 ई० मे राज्य की विधान सभा को अधिक लोकप्रिय आधार पर पुनगठित करने का निणय लिया गया।[104] राज्य प्रजा परिषद् ने इसे शका की दृष्टि स देखते हुए भी, इसके लिए राज्य सरकार से सहयोग करने का निणय किया। दिसम्बर, सन 1946 मे राज्य की तरफ से 'बीकानेर सविधान एक्ट' 1947 प्रकाशित किया गया।[105] इस एक्ट के तहत दो सदन वाली एक व्यवस्थापिका सभा अस्तित्व मे आयी। कुछ बातो को छोडकर सारा शासन एक परिषद को सौप दिया गया जो व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी थी। 18 माच, 1948 ई० मे एक मिले-जुले मत्रिमडल की घोषणा की गई और राज्य के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ कुशालचन्द डागा को इसम मन्त्री के रूप म मनोनीत किया गया। मिले जुले मन्त्रिमण्डल मे पहले तो काग्रेस के लोग शामिल हुए किन्तु बाद मे इसके क्रियाकलापो को देखकर प्रजा परिषद न अपने सदस्यो को इससे इस्तीफे देने के लिए आन्दोलन कर दिया। अत मे 7 सितम्बर, 1948 ई० को उक्त अन्तरिम मन्त्रिमण्डल को भग कर दिया गया और सन् 1949 ई० मे राजस्थान निर्माण के बाद 7 अप्रल, 1949 ई० को श्री हीरालाल शास्त्री के मुख्य मन्त्रित्व म प्रथम मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की।[106]

अन्त मे राज्य के व्यापारियो द्वारा राष्ट्रीय तथा जनतान्त्रिक अधिकारो के लिए किये गय आन्दोलन मे भाग लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह वग केवल आर्थिक सहयोग ही नही दे रहा था अपितु राज्य के सामती निरकुश प्रशासन क विरुद्ध आवाज उठा रहा था। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि व्यापारी वग राष्ट्रीय तथा राजकीय हितो के लिए बडी से बडी बलि देने म भी सकोच नही करता था।

सदर्भ

1 गोपालकृष्ण—'दी डेवलपमट ऑफ दि इडियन नेशनल काग्रेस एज ए मास आर्गेनाइजेशन', जनल आफ इडियन स्टडीज, XXV (मई 66), पृ० 426, हावड स्पाडक' आन दि ओरिजिन्स ऑफ गाधीजी पोलिटिकल मेथोडोलाजी, दि हरीटीज ऑफ काठियावाड एड गुजरात', जनल ऑफ एशियन स्टडीज XXV (फरवरी, 1971), पृ० 365 369, दि टाइम्स ऑफ इडिया, अप्रैल 16, 1978 पृ० 10

2 एनुअल रिपोट्स ऑफ दि बगाल चेम्बर ऑफ कामस, 1856-1900, गोल्डन जुबली साविनियर, 1900 1950, भारत चेम्बर ऑफ कामस कलकत्ता, प० 5

3 एनुअल रिपोट्स ऑफ दि बगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कामस, 1887 प० 1, कॉटन, सी० डब्ल्यू० ई०, हैंडबुक आफ कॉमशियल इनफॉरमेशन फॉर इडिया प० 31

4 कॉटन, सी० डब्ल्यू० ई० हैंडबुक ऑफ कामशियल इनफॉरमशन फॉर इडिया, पृ० 31, एनुअल रिपोट आफ कमेटी ऑफ दि मारवाडी चेम्बर ऑफ कामस, कलकत्ता, 1900, प० 1

5 एनुअल रिपोट्स ऑफ कलकत्ता वेल्ट जूट एसोसियशन, 1892 1901 दप्टव्य है

6 बरुआ, सूरजमल जालान, मधु मगल श्री, प० 83 85

7 कॉटन, सी० डब्ल्यू० सी०, हैंन्डबुक ऑफ कामशियल इनफॉरमशन फॉर इडिया प० 36

8 गोल्डन जुबली साविनियर, (1900 1950), भारत चेम्बर ऑफ कामस, कलकत्ता, पृ० 21 23

9 वही, पृ० 25 26
10 अमृत बाजार पत्रिका, दिनाक 31-1-1921, दि हिन्दू, दिनाक 1-2-1921
11 नवजीवन, दिनाक 4 9 1921, हरिजन, दिनाक 4 5 1931
12 दि ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल फोरसेज इन इडिया, स्पीचेज डिलिवड बाई लेफ्टिनेण्ट जनरल हिज हाइनेस दि महाराजा ऑफ बीकानेर, अप्रल 1917-1930, पृ० 111
13 ए नोट आन एजीटेशन अगेन्स्ट पार्टीशन ऑफ बगाल, पेपर न० 47, (बगाल अभि० कलकत्ता), होम डिपाटमेट, पब्लिक 'ए' प्रोसीडिग्स, जून 1906, न० 177, होम डिपाटमट, पब्लिक 'ए' प्रोसीडिंग्स, अक्टूबर 1907, न० 50 60 (रा० अ० दि०)
14 कविराज, गोपीनाथ, डा०—भाई जी पावन स्मरण (सेठ हनुमानप्रसाद पोद्दार, स्मृति ग्रन्थ), पृ० 406, मजूमदार, एच० आर० एण्ड बी० बी०, काग्रेस एण्ड काग्रेस मेन इन दी प्री गाधीयन एरा, 1885-1917 (1967 कलकत्ता), पृ० 67, 261 व 301
15 कविराज, गोपीनाथ, डॉ०—भाईजी पावन स्मरण, पृ० 423
16 वही, पृ० 424
17 वही, पृ० 424, कार, जे० सी०, पालिटिकल ट्रबल इन इडिया (1917), पृ० 48 62
18 एन एकाउण्ट ऑफ दी समितीज इन बगाल (1900 1908), पेपर न० 63 (बगाल-अभि० कलकत्ता), होम डिपाटमेट, पब्लिक 'ए' प्रोसीडिंग्स, मई 1909, न० 135-147 (रा० रा० अ०)
19 कविराज, गोपीनाथ, डॉ०, पृ० 432
20 एन एकाउण्ट ऑफ दी रेवेल्यूशनरी मूवमेट इन बगाल, पाट-1, पेपर न० 61 (बगाल अभि० कलकत्ता)
21 फॉरेन पॉलिटिकल डिपाटमट बीकानेर, 1928, न० 66 (गोपनीय), पृ० 1 (रा० रा० अ०), कविराज, गोपीनाथ, डॉ०, पृ० 433-435
22 फॉरेन पॉलिटिकल डिपाटमट, बीकानेर, 1928, न० 66 (गोपनीय), पृ० 1 (रा० रा० अ०)
23 शर्मा विश्वम्भरप्रसाद—स्वाधीनता आन्दोलन और माहश्वरी समाज, पृ० 27
24 दी कलेक्टेड वक्स ऑफ महात्मा गाधी, वाल्यूम (इक्कीस व सत्तावन), पृ० 56 57 व 421
25 ए० एच० गजनवी का कनिंघम को लिखा पत्र, दिनाक 27 अगस्त 1930, महकमाखास, जयपुर, 1930 न० 104 (4।ए), प० 9 (रा० रा० अ०)
26 शर्मा गिरिजाशकर—बगाल के प्रवासी राजस्थानी सेठ साहूकारो का गाधीजी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आन्दोलन म योगदान (शोधपत्र)—राजस्थानी हिस्ट्री प्रोसिडिंग्स, वाल्यूम IV, कोटा सत्र (1976), नवभारत टाइम्स (हिन्दी दैनिक) 11 अप्रैल, 1976
27 महकमाखास, जयपुर, सन् 1930, न० 104, (4।ए), पृ० 10-11 (रा० रा० अ०)
28 वही
29 इनम कुछ अन्य लोगो के साथ चूरू के सेठ बालचन्द मोदी को भारत की अग्रेजी सरकार ने खतरनाक लोगो की श्रेणी मे रखा हुआ था। महकमाखास, जयपुर, सन् 1930, न० 104 (4।ए) पृ० 10 11 (रा० रा० अ०)
30 नेवटिया, राधाकृष्ण—राजनीतिक क्षेत्र म मारवाडी समाज की आहुतिया, पृ० 175
31 मेवाड स्टेट, उदयपुर सप्लाई ऑफ वीकली रिपोट ऑन सिविल डिसऑबिडियन्स मूवमेट, 1932-1933, न० 80, पृ० 41-42 (रा० रा० अ०)
32 शर्मा, विश्वम्भरप्रसाद—स्वाधीनता आन्दोलन और माहश्वरी समाज, पृ० 15

33 नवटिया, राधाकृष्ण—राजनीतिक क्षेत्र मे मारवाडी समाज की आहुतिया, पृ० 104, 108, 135

34 शमा, विश्वम्भरप्रसाद—स्वाधीनता आन्दालन और माहेश्वरी समाज, पृ० 15-16

35 नेवटिया, राधाकृष्ण—राजनीतिक क्षेत्र म मारवाडी समाज की आहुतिया, प० 321

36 ते दुलकर, डी० जी०—महात्मा, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी (ग्रन्थ 6 7), पृ० 228, 306 व 382

37 नेवटिया, राधाकृष्ण, पृ० 175

38 जयपुर रेजीडेण्ट लोथियान का बी० जे० ग्लासी को दिनाक 12 अगस्त, 1930 को लिखा पत्र (रा० रा० अ०)

39 बी० जे० ग्लासी, प्रेसीडेण्ट ऑफ स्टेट, जयपुर का जी० ए० करोल, सुपरिटेन्डेन्ट, ठिकाना खेतडी (जयपुर) को दिनाक 1 अगस्त, 1930 का पत्र महकमाखास, जयपुर, सन 1930, न० 104 (4।ए), प० 5 7 (रा० रा० अ०)

40 शर्मा, गिरिजाशकर—उन्नीसवी सदी मे राजस्थान मे व्यापारी वग को प्राप्त विशेपाधिकार (शोध पत्र), राजस्थान हिस्टी काग्रेस, प्रोसीडिंग्स वाल्यूम X उदयपुर सेसन, 1977

41 शर्मा गिरिजाशकर—बीकानेर म जागीरदारी लागे (शाध पत्र) शोध पत्रिका उदयपुर, अक-1, वप 16, जनवरी 1965, प० 26

42 रेवेन्यू डिपाटमेट, बीकानेर, सन 1896 98, न० 764-774।37, पृ० 1-3

43 शर्मा, गिरिजाशकर—कामड काण्ड दी पीजेन्ट्स स्ट्रगल इन राजस्थान (राजस्थान हिस्ट्री काग्रेस, प्रो० वाल्यूम XI, जयपुर सेसन, 1978, पृ० 124-126

44 होम डिपाटमट बीकानेर 1942 (फाटनाइट इन्टेलीजेन्स रिपाट फार राजपूताना स्टेटस फार दी सैकिण्ड आफ नवम्बर 1941) न० 2, प० 1, ज्यूडिशियल मिसल, बीकानेर, 1933 (बीकानेर पडयन्त्र केस) न० क, प० 111642 (रा० रा० अ०)

45 दी ग्राथ आफ पालिटिकल फोरसज इन इण्डिया, सन 1917 से सन् 1930 तक के महाराजा गगासिह के भापणा का सकलन पनीक्कर, के० एस०—हिज हाइनेस दी महाराजा आफ बीकानेर, ए बायोग्राफी, पृ० 198

46 महाराजा गगासिह ने अपने पत्र दिनाक 15 मई, 1917 के साथ रोम (इटली) से एक नाट भेजा जो 'रोम नोट के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ करणीसिह, डॉ० बीकानेर राजघरान का केन्द्रीय सत्ता स सबध, प० 253

47 पनीक्कर, के० एम०—हिज हाइनेस दी महाराजा ऑफ बीकानर—ए बायाग्राफी, प० 198

48 प्रासिडिंग्स आफ दी राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस, 1930 31 प० 28 30

49 पी० एम०, बीकानेर, 1934, न० ए 1588-97, पृ० 1-74, होम डिपाटमट, बीकानेर, 1934, न० 30, पृ० 1 5, रियासत' दिनाक 1 मई 1933 (रा० रा० अ०)

50 पनीक्कर के० एम०—हिज हाइनेस दी महाराजा आफ बीकानेर—ए बायोग्राफी प० 130

51 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1945, न० 83, पृ० 19, एक बीकानरी की आखा से—अ० भा० देशी राज्य लोक परिपद् के सातवें अधिवशन उदयपुर के सस्मरण (श्री चित्रगुप्त प्रेस कलकत्ता), पृ० 7 (रा० रा० अ)

52 हाण्डा, आर० एल०—हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिसली स्टेट्स, पृ० 236

53 हजूर डिपाटमट बीकानर, 1914, न० वी 4, पृ० 35 39 (रा० रा० अ०), अग्रवाल, गोविन्द स्वामी गोपालदास जी का व्यक्तित्व व कृतित्व, पृ० 46

54 हजूर डिपार्टमेंट, बीकानेर, 1914, न० बी 4, पृ० 97 (रा० रा० अ०)
55 होम डिपाटमट, बीकानर, 1942, न० 45, पृ० 7, अग्रवाल, गोविन्द—स्वामी गोपालदास जी का व्यक्तित्व व कृतित्व, पृ० 77
56 हजूर डिपाटमट, बीकानर, 1914, न० बी 4, पृ० 132 (रा० रा० अ०)
57 वही, पृ० 96
58 होम डिपाटमट, बीकानर, 1924, न० सी 7, पृ० 1 3 (रा० रा० अ०)
59 विद्यालकार, सत्यदेव—बीकानेर का राजनीतिक विकास, प० 18
60 रेवेन्यू कमिश्नर सदर, बीकानर, 1929 30, न० 47 पृ० 3 (रा० रा० अ०), 'मरुश्री' स्वतत्रता रजत जयती अक, दिसम्बर 1972, प० 17
61 रेवेन्यू कमिश्नर सदर, बीकानर 1929 30, न० 47, पृ० 8 9 (रा० रा० अ०)
62 त्यागभूमि, दिनाक 22 मई, 1931
63 होम डिपाटमट, बीकानर, 1931, न० 19, प० 1-5, वही 1932 न० सी 13, पृ० 2 5 (रा०रा०अ०), अग्रवाल, गोविन्द—स्वामी गोपालदास जी का व्यक्तित्व एव कृतित्व, पृ० 204
64 ज्यूडिशियल मिसल, बीकानर, सन् 1933 न० क (26) प० 1-20 इसकी पुष्टि स्वय सेठ खूबराम सर्राफ न 'बीकानेर षड्यत्र केस' के मुकद्मे के दौरान की (रा० रा० अ०)
65 होम डिपाटमेट बीकानेर, 1932, न० सी 13, पृ० 2 5 (रा० रा० अ०)
66 विद्यालकार, सत्यदेव—धुन के धनी, पृ० 31-32
67 होम डिपाटमट, बीकानर, 1932, न० सी-3, पृ० 1-8, बीकानेर कटिंग फाइल, 1932, न० 131, पृ० 16 18 (रा० रा० अ०)
68 होम डिपाटमेट, बीकानर, 1932, न० सी 3, पृ० 7 (रा० रा० अ०), अग्रवाल, गोविन्द—स्वामी गोपाल दासजी का व्यक्तित्व एव कृतित्व, प० 206 208
69 बीकानर कटिंग फाइल, सन 1932, न० 131, पृ० 16 (रा० रा० अ०)
70 अग्रवाल गोविन्द—स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व एव कृतित्व, पृ० 208
71 प्रकाश, दिनाक 28 1-1934, लोकमान्य, दिनाक 2(-1-1934, विद्यालकार, सत्यदव—धुन क धनी, पृ० 32
72 ज्यडिशियल मिसल बीकानेर, सन् 1933, न० क (26), प० 1-20 (रा० रा० अ०)
73 ज्यूडिशियल मिसल शहादत गवाहान बयान पश करदा मुलजिमान, बीकानेर, 1933, न० (क) 26, प० 2।1642 (रा० रा० अ०)
74 ज्यूडिशियल मिसल शहादत गवाहान, बयान पेश करदा मुलजिमान, बीकानेर 1933, न० (क) 26, पृ० 10 11।1642, बीकानेर राजद्रोह और षड्यत्र का मुकदमा, कुछ ज्ञातव्य बातें, प० 1 9 (रा० रा० अ०)
75 ज्यूडिशियल मिसल बीकानर, सन् 1933, न० (क) 26, पृ० 11, 12-13।1642 (रा० रा० अ०)
76 ज्यूडिशियल मिसल बीकानर, सन् 1933, न० (क) 26, पृ० 13।1642, अर्जुन, दिनाक 21 1 1934, बीकानेर राजद्रोह और षडयत्र का मुकदमा, कुछ ज्ञातव्य बाते, पृ० 11 (रा० रा० अ०)
77 फ्री प्रेस जनरल दिनाक 19 12 33, अजुन, दिनाक 20 1-1934, मिलाप दिनाक 23 8 1933, हिन्दुस्तान टाइम्स, 12 9 1933, बाम्बे क्रानिकल, दिनाक 3 10 1933, स्वदशी भारत, दिनाक 15 9 1933, होम डिपाटमट, बीकानेर, 1933, न० सी 31, (रा० रा० अ०)
78 विश्वामित्र, दिनाक 17-12 1933, अजुन, दिनाक 21 12 1933, कलकत्ता की मारवाडी ट्रेड एसा

सियेशन, जो मारवाडी व्यापारियो की प्रमुख सस्था थी, ने राज्य सरकार के विरोध म एक हैण्डबिल निकाला (बीकानेर कटिग फाइल, 1933, न० 62) महकमाखास, राज० मारवाड, सन 1929 31, न० सी-11, प० 149, (रा० रा० अ०)

79 फ्री प्रेस जनरल, दिनाक 18 1-1934

80 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन (1945) उदयपुर की कायवाही, पृ० 1 5, (रा० रा० अ०)

81 होम डिपाटमेट, बीकानेर, सन् 1932, न० सी 28, पृ० 1-2, (रा० रा० अ०)

82 हाण्डा, आर० एस०—हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिसली स्टट्स, पृ० 231,

83 होम डिपाटमेट, बीकानेर, 1942, न० 2, पृ० 84, न० 77, पृ० 1, न० 60, पृ० 15 (रा० रा० अ०)

84 विश्वामित्र, दिनाक 30 8-1942, होम डिपाटमेट, बीकानेर, 1942, न० 75, पृ० 3 (रा० रा० अ०)

85 होम डिपाटमेट, बीकानेर 1942, न० 75, पृ० 3, जोशी, सुमनेश—राजस्थान मे स्वतत्रता सग्राम के सेनानी, पृ० 765

86 जोशी, सुमनेश—राजस्थान मे स्वतनता सग्राम के सेनानी, पृ० 769-770

87 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1942, न० 48, पृ० 4 (रा० रा० अ०)

88 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1942, न० 87, प० 1-4, वीर अर्जुन, दिनाक 27 अक्तूबर, 1942, (रा० रा० अ०)

89 होम डिपाटमेट, बीकानेर, 1942, न० 65, पृ० 1-5, न० 75, पृ० 29 (रा० रा० अ०)

90 विद्यालकार, सत्यदेव—बीकानेर का राजनीतिक विकास, पृ० 135-140

91 इसके लिए कहा जाता है कि यह मामला व्यापारियो को जन आन्दोलन मे भाग लेने से हटाने के उद्देश्य से बनाया गया। विद्यालकार, सत्यदेव—बीकानेर का राजनीतिक विकास, पृ० 141-142

92 इससे पहले महाराजा गगासिंह की मृत्यु हो जाने पर श्री रघुवरदयाल गोयल को 16 फरवरी 1943 को जेल से मुक्त कर दिया गया था बीकानेर राज्य मे स्वतत्रता सग्राम के सूत्रधार और जन नेता स्व० श्री रघुवरदयाल गोयल के विराट व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा, राष्ट्र प्रेम और रचनात्मक जीवन-कम की एक झाकी, प्रकाशक—खादी मदिर, पृ० 3

93 बीकानर राज्य मे स्वतत्रता सग्राम के सूत्रधार और जन नेता स्व० रघुवरदयाल गोयल के विराट व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा राष्ट्र प्रेम और रचनात्मक जीवन कम की एक झाकी, प्रकाशक—खादी मदिर, प० 4

94 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1944, न० 1, पृ० 1 7, (रा० रा० अ०)

95 बीकानेर इन्कम टैक्स बिल पैम्फलेट न० 1, पृ० 2 (प्रकाशक—भागीरथ मोहता, बीकानेर नागरिक सभा, 61 हरिजन रोड, कलकत्ता, जनवरी 1946)

96 इसके अतिरिक्त व्यापारियो ने बिल के विराध म राज्य में 22 माच 1946 को सभी दुकानें एव कारबार बन्द रखकर हडताल का आह्वान किया बीकानेर प्रजा की उत्तरदायी शासन की माग (हैण्ड बिल), प्रकाशक—मत्री, श्री बीकानेर नागरिक सभा, कलकत्ता, पृ० 1-2

97 सरदारशहर के छात्रो म बुद्धमल बरडिया व मालचन्द बैद के नेतृत्व म जुलूस निकाला गया होम डिपाटमट, बीकानेर, 1946, न० 12, पृ० 3,8,10 11 (रा० रा० अ०)

98 'मरुश्री'—स्वतत्रता रजत जयन्ती विशेषाक (जुलाई दिसम्बर 1972), पृ० 36 37

99 कलकत्ता म भी व्यापारियो ने बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद् की स्थापना की जिसके अध्यक्ष सेठ शिवकुमार भुवालका व सेठ ओमप्रकाश अग्रवाल रहे और मत्री सेठ सोहन कुमार बाठिया व सयुक्त मत्री सेठ विश्वनाथ

करानी थे 'मरुश्री'—स्वतत्रता रजत जयन्ती विशेपाक (जुलाई दिसम्बर 1972), पृ० 34 58

100 गगादास कौशिक सग्रह मे प्राप्त विभिन्न स्थानो की प्रजा-परिपद सदस्यो की सूचिया के आधार पर (रा० रा० अ०)

101 वेला, वी० डी०—राज्यो की जन जागति (1948), पृ० 207-208, वीर अजुन, दिनाक 5 मई 1946

102 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1944, न० XXVI (सीक्रेट), लोकमान्य, दिनाक 15 मई-जून, 1946 (रा० रा० अ०)

103 शर्मा गिरिजाशकर—वागड (कानगढ) काण्ड दी पीजेन्टस स्ट्रगल इन राजस्थान, राजस्थान हिस्ट्री काग्रेस, जयपुर सेसन, 1978, पृ० 124 26, होम डिपाटमन्ट, बीकानेर, 1947 (कॉन्फिडेंशियल) न० 37, प० 442 (रा० रा० अ०)

104 हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनाक 27 9 1946

105 महाराजा शार्दूलसिंह की दिनाक 4 12-1947 की घोपणा

106 महाराजा शार्दूलसिंह की दिनाक 4 12 1947 की घोपणा, स्वतत्रता सग्राम के सूत्रधार और जन नेता स्व० रघुवरदयाल गोयल, पृ० 5

अध्याय 9

शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एव समाज कल्याण के विकास मे व्यापारी वर्ग का योगदान

साम ती परम्परा मे राजनीतिक सत्ता जनसाधारण के कल्याण के लिए राज्यकोष से धन खच करना अपना कतव्य नही समझती थी। राज्य का हित शासक तथा उच्च साम तो के वैयक्तिक एव पारिवारिक हितो के साथ जुडा हुआ था तथा राज्य की समस्त आय का अधिकाश भाग राजपरिवार की सुख समृद्धि मे खच होता था। उसी भाति साम त वग भी अपनी जागीरो म प्रजा की भलाई के लिए जनकल्याणकारी कार्यो म कोई रुचि नही लेते थे। सावजनिक कार्यो के लिए उनके पास धनाभाव का तक बना रहता था। निस्सदेह अगर राज्य की आय अधिक होती या साम तो के पास पैसा होता तो वह साम ती ठाट-बाट पर खच होता, जन कल्याणकारी कार्यो म नही। 19वी सदी के अ तिम दशको म और उसके बाद अग्रेज शासको एव अग्रेज अधिकारियो ने अनेक बार इन शासको का ध्यान राज्य के कतव्यो की नई विचारधारा की ओर दिलवाया और आधुनिकीकरण का तक देकर उनको राज्य मे स्कूल, अस्पताल आदि खुलवाने पर विवश किया। शासको और साम तो ने न केवल अपने अपने क्षेत्र म जन कल्याणकारी कार्यो मे रुचि ही नही ली बल्कि इस प्रकार के कार्यों मे पूजी लगाने वाले लोगो के लिए यथाशक्ति अवरोध भी पैदा किये। प्राय ऐसा होता था कि जब भी कोई धनाढय व्यक्ति जागीर मे कुए, म दिर अथवा धमशाला आदि का निर्माण करवाता तब वहा का साम त उससे उसके बदले मे बढी चढी कीमत वसूल करन म नही चूकता था।[1] इसी भाति राज्य का शासक एव अ य उच्च अधिकारी भी राज्य मे धनाढ्यो द्वारा करवाय गय जन-कल्याणकारी कार्यो क उद्घाटन के अवसर पर उ ह चादी के बने ताल एव चाबी को भेंट म प्राप्त करन की अपेक्षा रखते थे।[2]

इ न परिस्थितियो के होते हुए भी राज्य प्रवासी व्यापारियो ने अग्रेजी भारत, जहा उनका वाणिज्य-व्यापार फला हुआ था, के साथ राज्य म भी जन कल्याणकारी कार्यों म धन का भारी विनियोग किया। राज्य म जन कल्याणकारी कार्यो म व्यापारियो द्वारा धन लगाने के पीछे उनकी धार्मिक एव समाजसेवा की भावना मात्र ही नही थी बल्कि उसके साथ अनक आर्थिक व सामाजिक प्रश्न जुडे हुए थे।

अग्रेज सरकार द्वारा लगाय गये पूजी विनियोग प्रतिब धो एव अग्रेज सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति उदासीनता के फलस्वरूप राज्य का धनाढ्य प्रवासी व्यापारी राज्य के औद्योगीकरण म धन नही लगा सका। किन्तु अग्रज सरकार ने ऐसी योजनाओ मे धन लगान की सुविधा अवश्य दी हुई थी जिससे औपनिवेशिक शोषण म सहायता मिलती हो। ऐसे क्षेत्रो मे राज्य के प्रवासी व्यापारियो न पूजी लगाई भी।[3] पर तु प्रवासी व्यापारी इतन से सतुष्ट नही थे। अग्रेजी भारत म अपने वाणिज्य व्यापार म सम्भावित आर्थिक सकट को ध्यान म रखकर, जिसका व्यापार मे घाटे की अवस्था म उत्पन्न हो जाना साधारण बात हुआ करती थी, प्रवासी व्यापारियो ने रा य म बडे बडे निर्माण कार्यो म धन खच करना प्रारम्भ

कर राज्य मे शिक्षा सस्थाओ की स्थापना की (तालिका सख्या 3)। रतनगढ की फम सेठ सूरजमल नागरमल ने शिक्षण सस्थाओ के खोलने के अतिरिक्त भी श्री हनुमान ग्राम पाठशाला समूह की योजना के अन्तगत 120 ग्रामो म ग्राम्य पाठशालाओ की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र म यह काफी बडा काय था।[9] हाई स्कूल की शिक्षा के बाद राज्य म उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजधानी मे डूगर महाविद्यालय एकमात्र सस्था थी किन्तु इसम भी वाणिज्य विषय की उच्च शिक्षा क लिए कोई प्रबन्ध नही था। एसी स्थिति म राज्य के अनेक सेठ साहूकारो न वाणिज्य विषय के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करन के उद्देश्य से राज्य मे इण्टरमीडिएट एव डिग्री कालेजो की स्थापना की। राज्य म सेठो द्वारा स्थापित महाविद्यालयो की सूची सलग्न है (तालिका सख्या 4)।

शिक्षा के प्रचार एव प्रसार म पुस्तकालय एव वाचनालयो का अपना महत्व है। राज्य की पुस्तकालय एव वाचनालयो को खोलने मे कोई रुचि नही थी। राज्य म कोई व्यक्ति ऐसी सस्थाए स्थापित करता तो उसे शका की दृष्टि स देखा जाता था परन्तु सेठ साहूकारो के राज्य म स्थान-स्थान पर पुस्तकालय एव वाचनालयो की स्थापना का विरोध न किया जा सकता। इनम से अनेक पुस्तकालय कालान्तर म प्रसिद्ध हो गय (तालिका सख्या 5)।

तालिका सख्या-1

राज्य के व्यापारियो द्वारा स्थापित सस्कृत पाठशाला

	व्यापारियो के नाम	पाठशाला का नाम	वष
(1)	भगवानदास बागला, चूरू	भगवानदास बागला सस्कृत पाठशाला, चूरू	1890
(2)	गोपीराम भगतराम टीकमानी, राजगढ	टीकमानी सस्कृत पाठशाला, राजगढ	1894
(3)	शिवलाल पचीसिया, नोहर	पचीसिया सस्कृत पाठशाला, नोहर	1902
(4)	बदरीनारायण मत्री, चूरू	मत्री सस्कृत पाठशाला, चूरू[10]	1905
(5)	कन्हैयालाल डागा, बीकानेर,	सस्कृत पाठशाला, बीकानेर	1910 से पूव
(6)	गोविन्दलाल डागा, बीकानेर	सस्कृत पाठशाला, बीकानेर	,,
(7)	जगन्नाथ मोहता, बीकानेर	मोहता सस्कृत पाठशाला, बीकानेर	,,
(8)	विलासराय महालका, रतनगढ	महालका सस्कृत पाठशाला, रतनगढ	,,
(9)	जेठमल नवलगढिया, रतनगढ	नवलगढिया सस्कृत पाठशाला, रतनगढ	,,
(10)	जोधराज धानुका, रतनगढ	धानुका सस्कृत पाठशाला, रतनगढ	,,
(11)	गुलाबराय एव सपतराय भरथिया, रतनगढ	भरथिया सस्कृत पाठशाला, रतनगढ	,,
(12)	अग्रवाल सेठ साहूकार चूरू	सरस्वती सस्कृत पाठशाला, चूरू	,
(13)	साखिराम, हनुमानगढ	सस्कृत पाठशाला, हनुमानगढ	,,
(14)	रामचन्द्र मत्री, रैंनी	सस्कृत पाठशाला, रैंनी	,,
(15)	जीवन्तराम रामपुरिया, तेजकरण सेठिया एव सुगनचद सावणसुखा, बीकानेर	सस्कृत पाठशाला, बीकानेर[11]	,,
(16)	जैन दिगम्बर सेठ, साहूकार, चूरू	जैन दिगम्बर सस्कृत पाठशाला, चूरू	1914
(17)	दिलसुख लुहारीवाला, भादरा	लुहारीवाला सस्कृत पाठशाला, भादरा[12]	1915
(18)	जयदयाल गोयन्का, चूरू	ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम (सस्कृत पाठशाला), चूरू	1918

(19) गोविन्दराम तापड़िया, रतनगढ	तापड़िया सस्कृत पाठशाला, रतनगढ	1926
(20) भगनीराम चौधरी, सरदारशहर	हनुमान सस्कृत विद्यालय, सरदारशहर[13]	1930
(21) वाहेती परिवार, बीकानेर	वाहेती सस्कृत विद्यालय, बीकानेर	,,
(22) रामकिशनलाल शिवदयाल खेमका, रतनगढ	खेमका सस्कृत पाठशाला, रतनगढ	,,
(23) सनहीराम डूगरमल, रतनगढ	रतनगढ ब्रह्मचय आश्रम के बनाने मे आठ कमरो का निर्माण करवाया[14]	,,

तालिका सख्या-2

राज्य के व्यापारियो द्वारा स्थापित एग्लो-वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल

व्यापारियो के नाम	प्राइमरी स्कूल का नाम	वष
टीकमानी परिवार, राजगढ	राजकीय एग्लो वर्नाकूलर प्रामइरी स्कल, राजगढ[15]	1892
खेमका परिवार, रतनगढ	धम सभा एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल, रतनगढ	1896
जैन ओसवाल, बीकानेर	जैन पाठशाला (एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल, बीकानेर	1907
गोवद्धनदास मोहता, बीकानेर	मोहता मूलच द विद्यालय (एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल), बीकानेर	1909
दुलीच द नेवर, नोहर	सेठ मदनचन्द नेवर विद्यालय (एग्लो-वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल) नोहर	1913
भैरूदान नेवर, नोहर,	नेवर कन्या पाठशाला (एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल) नोहर	1916
अर्जुनदास केडिया, रतनगढ	केडिया एग्लो-वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल, रतनगढ	1914
सेठ साहूकार, रतनगढ	रघुनाथ विद्यालय (एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल), रतनगढ[16]	1914
कानीराम वाठिया, भीनासर	एग्लो-वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल, भीनासर[17]	
किशारीलाल अग्रवाल, बाघेला (चूरू)	एग्ला वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल, बाघेला (चूरू)[18]	1916
सूरजमल नागरमल जालान, रतनगढ	हनुमान कन्या विद्यालय, रतनगढ एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल)[19]	1925
शिवराज डागा डूगरगढ	कन्या एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल, रतनगढ	1928
माहेश्वरी सेठ साहूकार, बीकानेर	मरूनायक कन्या पाठशाला (एग्लो-वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल), बीकानेर	
बागडी परिवार बीकानेर	श्रीकृष्ण विद्यालय (एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल) बीकानेर	

दफ्तरी परिवार, बीकानेर	दफ्तरी एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल, बीकानेर	
सूरजमल नागरमल, रतनगढ	राज्य के विभिन्न गावो म 120 ग्राम पाठशाला (प्राइमरी स्कूलो) की स्थापना की।[20]	1934
झूमरमल मुखराम सरावगी एव लिखमीचन्द सीधमुख	सीधमुख प्राइमरी स्कूल, सीधमुख	1940
रामगोपाल मोहता, बीकानेर	मेघरत्न मातृ पाठशाला (प्राइमरी स्कूल) बीकानेर[21]	
सचेती परिवार, मोमासर	एग्लो वर्नाकूलर प्राइमरी स्कूल, मामासर[22]	1933 से पूव

तालिका सख्या-3

राज्य के व्यापारियो द्वारा स्थापित मिडिल एव हाई स्कूल

व्यापारियो के नाम	शाला का नाम	वर्ष
बागला परिवार, चूरू	सेठ लक्ष्मीनारायण बागला मिडिल स्कूल, चूरू	1903
डागा परिवार, बीकानेर	बी० के० विद्यालय (मिडिल स्कूल), बीकानेर	1904
जैन ओसवाल, बीकानेर	जैन पाठशाला मिडिल स्कूल, बीकानेर[23]	1907
मोहता परिवार, बीकानेर	मोहता मूलचन्द मिडिल स्कूल, बीकानेर	1907
टीकमानी परिवार, राजगढ	राजकीय स्टेट मिडिल स्कूल, राजगढ का भवन बनवाकर दिया[24]	1928
बीजराज रामेश्वरलाल गनेडीवाला, रतनगढ	मिडिल स्कूल, रतनगढ[25]	1928
गणपतराय तनसुखराय फतेपुरिया, राजगढ	मिडिल स्कूल (बालिका), राजगढ[26]	1928
कानीराम बाठिया, बीकानेर	लोअर मिडिल स्कूल, भीनासर[27]	1933
चिरजीलाल बाजोरिया, रतनगढ	मिडिल स्कूल (बालिका) रतनगढ[28]	1934
इदरचद हीरालाल व गोविन्दराम सचेती, मोमासर	मिडिल स्कूल, मोमासर[29]	1935
ईसरचन्द चौपडा, गगाशहर	सेठ भैरूदान चोपडा एग्लो वर्नाकूलर मिडिल स्कूल, गगाशहर[30]	1935
मालचन्द मूधडा व उसके भाई, देशनोक	करनी स्टेट मिडिल स्कूल, देशनोक[31]	1942
जैन तेरापथी सेठ साहूकार, परिहारा	राजकीय स्टेट मिडिल स्कूल, परिहारा[32]	1942
जोरावरमल जालान, सुजानगढ	स्टेट गर्ल्स मिडिल स्कूल के भवन का निर्माण करवाया[33]	1943
उदयराम लक्ष्मीनारायण चादगोठी एव सेठ दतूराम जयदयाल सिघानिया, रतनगढ	गर्ल्स मिडिल स्कूल के निर्माण मे योग दिया[34]	1943
सेठानी सरस्वती देवी, दूधवाखारा	दूधवाखारा मिडिल स्कूल का भवन निर्माण करवाया[35]	1945

भट्टड परिवार, भीनासर	भट्टड मिडिल स्कूल, भीनासर	
रामपुरिया परिवार, बीकानेर	रामपुरिया हाई स्कूल बीकानेर	1933
प्रतापमल रगमल व गगाधर, सुजानगढ	हाइ स्कूल भवन का निर्माण करके दिया, सुजानगढ	1940
जैन श्वेताम्बर समाज, चूरू	जैन श्वेताम्बर हाई स्कूल चुरू	
डागा परिवार, बीकानेर	बी० के० हाई स्कूल, बीकानेर	
मोहता परिवार, बीकानेर	मोहता हाई स्कूल, बीकानेर	
चौपडा परिवार, बीकानेर	चौपडा हाई स्कूल, बीकानेर	

तालिका सख्या-4

राज्य के व्यापारियो द्वारा स्थापित इ टरमीडिएट कॉलेज

व्यापारियो के नाम	कालेज का नाम	वप
रामपुरिया परिवार, बीकानेर	इटरमीडिएट (रामपुरिया) कालेज, बीकानेर	1945
कन्हैयालाल लोहिया, चूरू	इटरमीडिएट (लोहिया) कालेज, चूरू	1945
जवरमल दूगड, सरदारशहर	सेठ बुधमल इटरमीडिएट कालेज, सरदारशहर	1950

तालिका सख्या-5

राज्य के व्यापारियो द्वारा स्थापित सावजनिक पुस्तकालय

व्यापारी अथवा परिवार का नाम	पुस्तकालय का नाम	वप
(1) मोहता परिवार, बीकानेर	गुणप्रकाश सज्जनालय, बीकानेर[36]	1902
(2) सरदार के सेठ साहूकारो ने आपसी सहयोग से	सावजनिक पुस्तकालय, सरदारशहर	1909
(3) चूरू के सेठ साहूकारा के सहयोग से सस्कृत पण्डितो ने	सनातन धम सभा पुस्तकालय, चूरू	1911
(4) भैरूदान सेठिया, बीकानेर	सेठिया पुस्तकालय, बीकानेर	1913
(5) मिश्रीलाल जैन, सुजानगढ	विद्या प्रचारिणी सभा, सुजानगढ	1913
(6) राजलदेसर के सेठ साहूकारा के सहयोग स	शांति पुस्तकालय, सरदारशहर	1918
(7) माहेश्वरी सठ साहूकार, बीकानर	श्रीकृष्ण माहश्वरी मण्डल पुस्तकालय	1919
(8) तोलाराम सुराणा, चूरू	सुराणा पुस्तकालय, चूरू	1920
(9) राजगढ के सेठ साहूकारो के सहयोग से	सवहितकारिणी सभा व पुस्तकालय, राजगढ	1920
(10) ओसवाल समाज, बीकानेर	श्री महावीर जन मण्डल पुस्तकालय बीकानेर	1922
(11) जैन सेठ साहूकार, बीकानेर	किशनचन्द पुस्तकालय, बीकानेर	1924
(12) नोहर के सेठ साहूकारा के सहयोग मे	सावजनिक पुस्तकालय नोहर	1924

(13) देशनोक के सेठ साहूकारो के सहयोग से	श्री करणी मण्डल, पुस्तकालय[37]	1925
(14) सूरजमल जालान, रतनगढ	हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ[38]	1926
(15) तुलसीदास सरावगी, तारा नगर	सार्वजनिक पुस्तकालय, तारानगर[39]	1926
(16) टीकमानी परिवार, राजगढ	स्कूल के पुस्तकालय[40]	1928
(17) कोचर परिवार, राजगढ	जैन परथान पुस्तकालय, बीकानेर	1928
(18) भादरा के सेठ साहूकारो के सहयोग से	श्रीकृष्ण पुस्तकालय, भादरा	1928
(19) शकरदान नाहटा, बीकानेर	अभय जैन पुस्तकालय, बीकानेर	1930
(20) दानचन्द चोपडा, सुजानगढ	चोपडा पुस्तकालय, सुजानगढ[41]	1931
(21) गोविन्दराम भसाली, बीकानेर	गोविन्द पुस्तकालय, बीकानेर	1931
(22) नानकराम डागा, सूरतगढ	पारसनाथ जैन पुस्तकालय, सूरतगढ	1933
(23) पाचू ग्राम के सेठ साहूकारो के सहयोग से	सरस्वती भवन पुस्तकालय, पाचू	1933
(24) नापासर के सेठ साहूकारो के सहयोग से	श्री सरस्वती पुस्तकालय, नापासर	1934
(25) भैरूदान सुराणा, बीकानेर	सुराणा जैन पुस्तकालय, बीकानेर	1935
(26) सुजानगढ के दिगम्बर सेठ साहूकार	श्री दिगम्बर जैन मित्र मण्डल पुस्तकालय, सुजानगढ	1937
(27) कालू ग्राम के सेठ साहूकारो के सहयोग से	सेवा सदन सावित्री पुस्तकालय, कालू	1938
(28) गर्जसिहपुर मण्डी के अग्रवाल सेठ साहूकारो के सहयोग से	अग्रवाल सभा पुस्तकालय, गर्जसिहपुर	1939
(29) सरदारशहर के सेठ साहूकारो के सहयोग से	श्री सादुल पुस्तकालर, सरदारशहर	1940
(30) सठ लक्ष्मीनारायण, रतननगर	नवजीवन पुस्तकालय, रतननगर	1940
(31) सूरजमल मोहता, राजगढ	मोहता पुस्तकालय, राजगढ	1940
(32) सुजानगढ के सेठ साहूकारो के सहयोग से	राजस्थानी साहित्य सदन, सुजानगढ	1940
(33) सादानी परिवार, गजनेर	बालकिशन मण्डल पुस्तकालय, गजनर	1940
(34) डूगरगढ के सेठ साहूकारो के सहयोग से	श्री डूगरगढ पुस्तकालय, डूगरगढ[42]	1941
(35) सेठ जयचन्दलाल सेठिया, सरदारशहर	श्री नरेन्द्रकर्णी पुस्तकालय, सरदारशहर	1947

सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी काय

सठ-साहूकारा ने राज्य मे सावजनिक स्वास्थ्य की सेवाओ को बढाने मे भी काफी रुचि ली। भारतीय सस्कृति की भांति भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का जीवित रखन हेतु अधिकाधिक आयुर्वेदिक औषधालयो को स्थापित किया (तालिका सख्या 6)। राज्य मे एलोपैथिक पद्धति के अस्पताल खोलने मे भी य सेठ-साहूकार अग्रणी थे। राज्य म आधुनिक ढग का अस्पताल सवप्रथम चूरू के सठ भगवानदास बागला ने 20 जुलाई सन् 1896 ई० म एक लाख रुपयो की लागत से निर्मित करवाया। इसम 70 मरीजो को एक साथ भर्ती करने की क्षमता थी व आधुनिक ढग की शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाए उपलब्ध थी। इसी अस्पताल मे आधुनिक ढग का ऑपरेशन थियेटर बनवाया गया। उस समय समस्त राजस्थान म उक्त ऑपरेशन थियेटर अपन ढग का एक ही था।[43] इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थाना पर एलोपैथिक डिस्पेसरिया व अस्पताल स्थापित करवाय। इनम अनेक अस्पताल तो केवल आखो के लिए ही थे (तालिका सख्या 7)। आयुर्वेदिक एव एलोपैथिक अस्पताला के साथ हाम्योपैथिक औषधालयो का भी प्रात्साहन दिया। सठ-साहूकार राज्य सरकार द्वारा स्थापित बड़े एलोपैथिक अस्पताला म भी आर्थिक सहायता एव वार्डो का निर्माण भी करवात थे। सन् 1933 ई० म

राजधानी के प्रमुख 'प्रिंस विजयसिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल फार मेन' एवं प्रिंस विजयसिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल फॉर वीमेन एण्ड चिल्डन' के निर्माण मे सेठो ने काफी धन एव वार्डों का निर्माण करवाकर मदद की (तालिका सख्या 8)।[44]

तालिका सख्या-6

राज्य के व्यापारियो द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक अस्पताल (1900-1942)

व्यापारियो के नाम	औषधालय का नाम
(1) सेठ भगराम बजरगदास टीकमानी, राजगढ	दातव्य औषधालय,[45] राजगढ
(2) सेठ रामगोपाल माहुता, बीकानेर	दातव्य औषधालय, बीकानेर[46]
(3) सेठ सूरजमल नागरमल, रतनगढ	दातव्य औषधालय, रतनगढ[47]
(4) सट दिल्सुखराय राजगढिया, भादरा	दातव्य औषधालय, भादरा[48]
(5) सेठ मातीलाल राधाकृष्ण बागला, चूरू	दातव्य औषधालय चूरू[49]
(6) सेठ भजनलाल लोहिया, व फूलच द गोयन्का, चूरू	नारायण दातव्य औषधालय, चूरू[50]
(7) सेठ रामकिशनलाल शिवदयाल खेमका, रतनगढ	दातव्य औषधालय, रतनगढ[51]
(8) सूरजमल मोहता परिवार, बीकानेर राजगढ	दातव्य औषधालय, राजगढ[52]
(9) सेठ दाऊदयाल कोठारी, बीकानेर	दातव्य औषधालय, बीकानेर[53]
(10) सेठ बिरधीच द सेठिया, सुजानगढ	दातव्य औषधालय, सुजानगढ[54]
(11) सेठ सुगनच द केदारनाथ डागा, बीकानेर	श्री जानकी नाथेश्वर दातव्य औषधालय, बीकानेर
(12) सेठ रामदेव सारदा, सुजानगढ	दात य औषधालय, सुजानगढ[55]
(13) सेठ मूलच द भीमानी, बीकानेर	श्रीकृष्ण दातव्य औषधालय, बीकानर
(14) सेठ भेरूदान कोठारी, बीकानेर	चादकवर जन दात य औषधालय, बीकानर
(15) सेठ ज्ञानच द कोचर व मगनलाल पारख, बीकानेर	ज्ञानच द मगनलाल जैन दातव्य औषधालय, बीकानेर
(16) सेठ बहादुरमल बाठिया, भीनासर	श्री स्थानकवासी जैन श्वताम्बर दातव्य औषधालय, भीनासर
(17) सेठ सोहनलाल बाठिया, भीनासर	बाठिया दातव्य औषधालय
(18) सेठ सूरजमल बिहाणी, लूणकरनसर	बिहाणी दातव्य औषधालय[56]
(19) सेठ रिद्धकरण ट्रस्ट, चूरू	रिद्धकरण दातव्य औषधालय, चूरू
(20) सेठ जयदयाल गोयन्का, चूरू	निष्काम दातव्य औषधालय, चूरू
(21) सेठ पन्नालाल रगलाल चौधरी, चूरू	श्री गणपति दातव्य औषधालय, चूरू
(22) सेठ माधोप्रसाद खेमका, चूरू	परोपकार दातव्य औषधालय, चूरू
(23) रायबहादुर सेठ शिवरामदास गगाप्रसाद केडिया, रतननगर	रघुनाथ दानव्य औषधालय, रतननगर
(24) सेठ नाथानी कष्ट निवारणी भण्डार, दूधवाखारा	नाथानी दातव्य औषधालय, दूधवाखारा
(25) सेठ नथमल सेठिया, सरदारशहर	सेठिया दातव्य औषधालय, सरदारशहर
(26) सामाणी परिवार, सरदारशहर	सोमाणी दातव्य औषधालय, सरदारशहर
(27) सेठ जयच दलाल सेठिया, सरदारशहर	श्री मगल आयुर्वेदिक फारमसी, सरदारशहर

(28) सेठ जगन्नाथ सागरमल जेतपुर	जगन्नाथ सागरमल दातव्य औषधालय, जेतपुर
(29) सेठ रावतमल, तारानगर	जैन दिगम्बर दातव्य औषधालय, तारानगर
(30) सेठ पूनमचन्द, राजलदेसर	पूनमचन्द औषधालय, राजलदेसर
(31) सेठ केसरीचन्द सोनी, राजलदेसर	केसरीचन्द औषधालय, राजलदेसर
(32) सेठ मुरलीधर सूरजमल, डूंगरगढ	विष्णु दातव्य औषधालय, डूंगरगढ
(33) सेठ बच्छराज, डूंगरगढ	बच्छराज औषधालय, डूंगरगढ
(34) सेठ रामवल्लभ रामेश्वर पसारी, सुजानगढ	जैन दिगम्बर दातव्य औषधालय, सुजानगढ
(35) सेठ ज्ञानचन्द जैन, छापर	जैन वीर औषधालय रतनगढ
(36) पेडीवाल परिवार, रतनगढ	पेडीवाल दातव्य औषधालय, छापर
(37) बिहाणी परिवार, हनुमानगढ	बिहाणी दातव्य औषधालय, हनुमानगढ[57]

तालिका संख्या-7

राज्य के व्यापारियो द्वारा स्थापित एलोपैथिक अस्पताल

व्यापारी अथवा परिवार का नाम	अस्पताल का नाम	वर्ष
(1) सेठ भगवानदास, बागला, चूरू	सेठ भगवानदास हॉस्पिटल, बीकानेर[58] भगवानदास बागला हास्पिटल, चूरू[59]	1896
(2) सेठ जोहरीमल मानमल खेमका, रतनगढ	सेठ नत्थूराम खेमका हास्पिटल, रतनगढ[60]	1916
(3) चूरू के सेठो की पचायत चूरू	रामनारायणदत्त हॉस्पिटल, चूरू[61]	1921
(4) सेठ केदारनाथ डागा, बीकानेर	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, बीकानेर	1924
(5) मोहता परिवार, बीकानेर	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, बीकानेर[62]	1924
(6) सेठ गोविन्दराम पेडीवाल छापर	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, छापर[63]	1929
(7) सेठ जौहरीमल बजाज, नोखा	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, नोखा[64]	1931
(8) रतनगढ के सेठ साहूकारो के सहयोग से	मारवाडी चेरिटेबिल डिस्पेन्सरी, रतनगढ[65]	1931
(9) सेठ दानचन्द चोपडा, सुजानगढ	जनाना अस्पताल, सुजानगढ[66]	1931
(10) सेठ मगलचन्द, देशनोक	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, देशनोक[67]	1932
(11) सेठ जसवन्तमल जगन्नाथ बजाज हिम्मटसर	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, हिम्मटसर[68]	1932
(12) सेठ शिवलाल मदनगोपाल झवर, नापासर	झवर हॉस्पिटल, नापासर[69]	1932
(13) सेठ कन्हैयालाल करणानी सरदारशहर	जनाना हॉस्पिटल, सरदारशहर[70]	1932
(14) सेठ विलासराम केडिया रतननगर	एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, रतननगर[71]	—
(15) सेठ रामगोपाल मोहता, बीकानेर	श्रीमती जीताबाई मातृ सेवासदन प्रसूति गृह, बीकानेर[72]	1941
(16) सेठ त्रिलोकचन्द व अभयसिंह सुराणा, चूरू	सुराणा आई हास्पिटल, चूरू	1944
(17) गोयन्का परिवार चूरू	चेरिटेबिल डिस्पेन्सरी, चूरू[73]	
(18) सेठ नरसिंह प्रयागदास व मथुरादास बिन्नाणी, बीकानेर	अणच्चाबाई बिन्नाणी हॉस्पिटल बीकानेर[74]	

(19) सेठ थानमल मोनोत, बीदासर	थानमल मोनोत हॉस्पिटल बीदासर [5]	1946
(20) सेठ साहूकार, रतनगढ	आई हॉस्पिटल, रतनगढ[76]	1946
(21) सेठ सूरजमल मोहता, राजगढ	भगवानी देवी वूमेन हॉस्पिटल एण्ड मेटरनिटी हास्पिटल, राजगढ[77]	1947
(22) नाथानी परिवार, दूधवाखारा	बसन्तलाल नाथानी मेमोरियल हॉस्पिटल, दूधवाखारा[78]	1947
(23) सेठ गगाबिसन झालरिया, सरदारशहर	सेठ बीजराज झालरिया मेमोरियल हास्पिटल, सरदारशहर[79]	1947
(24) भुवालका परिवार, रतनगढ	सेठ नन्दलाल भुवालका आई हास्पिटल, रतनगढ[80]	1948

तालिका सख्या-8

प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल बनाने मे राज्य के सेठ-साहूकारो द्वारा दी गई आर्थिक सहायता

यापारी का नाम (केवल हजार रुपये व उससे अधिक देने वाले)	दी गई सहायता की राशि (रुपयो मे)
(1) सेठ कस्तूरचन्द विश्वेसरदास डागा	5 000
(2) सेठ हीरालाल शिखरचन्द, नथमल भवरलाल	5,000
(3) सेठ भरूदान ईसरचन्द चौपडा	5,800
(4) सेठ मदनगोपाल दम्मानी	1,500
(5) सेठ देवकिशन दम्मानी	1,500
(6) सेठ रामलाल आचलिया	1,100
(7) सेठ जयनारायण व मोतीलाल डागा	1,100
(8) सेठ रामगोपाल शिवरतन मोहता	6,000
(9) सेठ कान्हीराम बहादुरमल चम्पालाल बाठिया	1,000
(10) सेठ भैरूदान सेठिया	1,000
(11) सेठ थानमल, बीदासर	1,000
(12) सेठ पन्नालाल मदनलाल कोठारी	1,000
(13) सेठ हस्तमल लिखमीचन्द डागा	1 000
(14) सेठ सुमेरमल बुधमल दुगड	5,002
(15) सेठ तनसुखराय फूसराज दुगड	1,101
(16) सेठ गणेशदास बिरधीचन्द गदहैया	1,101
(17) सेठ निहालचन्द	22,000
(18) सेठ घनश्यामदास सरावगी	15,151

तालिका सख्या-8 (अ)

प्रिंस विजयसिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल मे राज्य के सेठ-साहूकारो द्वारा वार्डों का निर्माण[82]

वार्ड का नाम	लागत
(1) सेठ निहालचन्द सरावगी	यह वार्ड सेठ निहालचद ने 37,151 रु० से बनाया।
(2) सर कस्तूरचन्द डागा	यह वार्ड सेठ विश्वेसरदास डागा एव उसके भाइयो ने 55,000 रु० स बनवाकर दिया।
(3) सेठ भगवानदास बागला	यह वार्ड 60,000 रु० से बनवाया।
(4) सेठ हजारीमल रामेश्वर नाथानी	यह वार्ड 52 000 रु० स बनवाया।
(5) भगवानदास बागला कॉटेज	यह वार्ड 60,000 रु० की शेष बची रकम से बनवाया।
(6) सेठ भैरूदान चोपडा	यह वार्ड चोपडा परिवार के 58,000 रु० देने पर बनवाया गया।

सेठ साहूकार अपने-अपने कस्बो की सफाई व्यवस्था मे भी योग देते थे। सन् 1927 ई० मे चूरू के सेठ रुक्मानन्द बागला ने चूरू शहर म 2000 रुपये लगाकर गन्दे पानी को निकालने के लिए नालियो का निर्माण करवाया।[83] राजगढ के सेठ भगतराम बजरगदास टीकमाणी ने राजगढ मे बरसात का पानी एक स्थान पर ठहरने (जिससे बीमारिया फैलने का डर रहता था) का रोकने के लिए 8000 रुपये की लागत से 7 फीट चौडा व 9 फीट गहरे नाल का निर्माण करवाया।[84] इनके अतिरिक्त जन साधारण को स्वास्थ्यवर्धक स्थान सुलभ करवाने हेतु सेठ साहूकारो ने पार्को का निर्माण भी करवाया। इस प्रकार का एक पार्क चूरू के सेठ रुक्मानन्द राधाकृष्ण बागला ने चूरू मे बनवाया।[85] सेठ ब्रजलाल रामेश्वरलाल गनेडीवाला ने रतनगढ मे एक पार्क का निर्माण करवाया।[86]

कुण्ड, कूप, तालाब एव धर्मशालाए बनाने मे व्यापारी वर्ग का सहयोग

बीकानेर राज्य मे विशेष रूप से कुण्डो, कूपो एव तालाबो के निर्माण का कार्य विशेष महत्त्व रखता था। सेठ साहूकारो को राज्य की जल समस्या के समाधान म कितनी रुचि थी, उसका अनुमान कूपो, कुण्डो एव तालाबो की तालिका सख्या 9 से स्पष्ट हो जाता है (तालिका सख्या 9)। धर्मशाला निर्माण परम्परा भी राज्य म काफी प्राचीन समय से प्रचलित थी किन्तु राज्य के सेठ-साहूकारो ने धर्मशाला निर्माण पर विशेष ध्यान 20वी सदी के प्रारम्भ म ही दिया। यद्यपि इससे पूर्व 19वी सदी म चूरू के पोद्दार एव बागला, बीकानेर के डागा परिवार के सदस्यो ने राज्य मे अनेक कूपो कुण्डो, तालाबो व धर्मशालाओ का निर्माण अवश्य करवा दिया था। व्यापारियो द्वारा निर्मित धर्मशालाओ की तालिका (सख्या 10) सलग्न है।

तालिका सख्या-9

राज्य के व्यापारियो द्वारा निर्मित कुण्ड, कूप एव सरोवर

व्यापारियो के नाम	कुण्ड, कूप एव सरोवर	वर्ष
(1) सेठ मोतीलाल महाजन, राजगढ	एक कुण्ड भीठडी ग्राम म बनवाया	1914
(2) सेठ भैरूदान भसाली, सरदारशहर	एक कुए का निर्माण करवाया	1814
(3) सेठ गिरधारीलाल अग्रवाल, सरदारशहर	एक तालाब का निर्माण करवाया	1914

(4)	सेठ पन्नालाल सारदा, सरदारशहर	एक कुण्ड एव मदिर बनवाया	1915
(5)	सेठ बालचन्द पूनमचन्द डागा, डूगरगढ	एक कुए का निर्माण करवाया	1915
(6)	सेठ गोविन्दराम रामगोपाल पोद्दार, रतनगढ	एक कुए का निर्माण करवाया	1915
(7)	सेठ दाना अग्रवाल, भादरा	डाबडी गाव मे एक कुए का निर्माण करवाया	1916
(8)	सेठ सदाराम, महाजन	डाबडी गाव मे एक कुए का निर्माण करवाया	1916
(9)	सेठ नन्दराम सरदारमल, नापासर	एक कुआ बनवाया	1916
(10)	सेठ हरदेवदास बदरीदास केडिया, रतननगर	एक कुआ बनवाया	1918
(11)	सेठ गिरधारीलाल, सरदारमल टाटिया, सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1919
(12)	सेठ बिरधीचन्द बीजराज अग्रवाला सुजानगढ	एक कुण्ड छारिया ग्राम म बनवाया	1921
(13)	सेठ साहूकार, लूणकरणसर	एक कुण्ड व एक मदिर देसलसर म बनवाया	1921
(14)	सेठ बलदेवदास, चूरू	एक कुआ बनवाया	1921
(15)	सेठ सुखराम सर्राफ, भादरा	एक कुआ गणेशपुराबास मे बनवाया	1921
(16)	सेठ रामचन्द्र मण्डावावाला, चूरू	एक कुआ बनवाया	1921
(17)	सेठ बदरीदास खेमका, चूरू	एक कुआ बनवाया	1921
(18)	सेठ रामनारायण मन्त्री, चूरू	एक कुआ बनवाया	1921
(19)	सेठ दिलसुखराय, भादरा	एक कुआ उतराधाबास म बनवाया	1921
(20)	मुसम्मा लूभा, धमपत्नी सेठ रामप्रताप, नोहर	एक कुआ निरवाल मे बनवाया	1921
(21)	सेठ जगन्नाथ थिरानी, नोहर	एक कुआ कमरसाना म बनवाया	1921
(22)	सेठ शिवजीराम चुन्नीलाल, नोहर	एक कुण्ड घनासिया मे बनवाया	1921
(23)	सेठ सूरजमल महाजन रतनगढ	एक कुआ बनवाया	1923
(24)	सेठ मानमल ओसवाल, सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1922
(25)	सेठ नरसिंह बुदालिया	एक कुआ मानधा म बनवाया	1923
(26)	सेठ दिलसुखराय, भादरा	एक कुआ आसन म बनवाया	1924
(27)	सेठ दिलसुखराय, भादरा	दो कुए उतराधाबास व मनाय म बनवाये	1924
(29)	सेठ छबीलदास मगलीवावाला भादरा	एक कुआ बनवाया	1924
(29)	सेठ घनश्यामदास पोद्दार डूगरगढ	एक कुआ गोगियासर म बनवाया	1924
(30)	सेठ किशनराम लखोटिया, डूगरगढ़	एक कुआ बनवाया	1924
(31)	सेठ शिव प्रतापराम नारायण टीकमाणी, सादुलपुर	एक कुआ बनवाया	1926
(32)	सेठ बिरधीचन्द सननाली, राजगढ	एक कुआ बनवाया	1926
(33)	सेठ घनश्यामदास गुसाइसर	एक कुआ गुसाइसर म बनवाया	1926
(34)	सेठ पूरनमल, सहूवाला (भादरा)	एक कुआ बनवाया	1926
(35)	सेठ हजारीमल अग्रवाल, नोहर	धनपुरा (नार) म एक कुआ बनवाया	1926
(36)	सेठ माल पुत्र कानीराम, सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1926
(37)	सेठ भीमराज भरतिया, चूरू	चूरू मे एक कुआ बनवाया	1927
(38)	सेठ रामकृष्ण गाडोदिया सुजानगढ़	एक तालाब बनवाया	1927

(39) सेठ रामजीदास धानुका रतनगढ	एक कुआं बनवाया	1927
(40) सेठ चुन्नीलाल अग्रवाल, जसरासर	एक कुआ बनवाया	1927
(41) सेठ कालूराम माहेश्वरी सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1931
(42) सेठ बदरीदास अग्रवाल, भोजरासर	एक कुआं बनवाया	1931
(43) सेठ रामगोपाल चाण्डक सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1931
(44) सेठ रुक्मानन्द राधाकृष्ण बागला, चूरू	एक पार्क एव कुआ बनवाया	1931
(45) सेठ विशनदयाल बिहारीलाल, रेणी	रोही मे एक कुण्ड बनवाया	1931
(46) सेठ भैरूदान ईसरचन्द चोपडा, गगाशहर	गुसाईसर मे एक कुआ बनवाया	1932
(47) सेठ भीमराज अग्रवाल, सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1932
(48) सेठ कान्हीराम बूकनसर	रोही मे एक कुण्ड बनवाया	1932
(49) सेठ गोविन्दराम अग्रवाल, रतननगर	एक कुआ बनवाया	1932
(50) सेठ रामजीदास ब्रजलाल, राजगढ	पाबावासी मे एक कुण्ड व एक जोहड बनवाया	1932
(51) सेठ रामानन्द महाजन, राजगढ	नागलबडी मे एक कुआ बनवाया	1932
(52) सेठ धमचन्द मूधडा, सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1933
(53) सेठ चिरजीलाल बाजोरिया सुरनाना	सुरनाना मे एक तालाब बनवाया	1934
(54) सेठ जगन्नाथ सारडा मलकीसर	बडा बास म एक कुण्ड बनवाया	1934
(55) सेठ लाधूराम, शिवचन्दराय सूरजमल व गणपत तापडिया	गोपालपुरी की डूगरी के पास तालाब बनवाया	1935
(56) सेठ धरमचन्द शोभागचद मूधडा	धुपालिया मे एक पक्का तालाब बनवाया	1935
(57) सेठ मोतीलाल अजनलाल गाडोदिया, सुजानगढ	एक कुण्ड बनवाया	1935
(58) सेठ ब्रजलाल अजनलाल गनेडीवाला, रतनगढ	एक पब्लिक पार्क व मदिर का निर्माण किया	1936
(59) सेठ ब्रह्मदत्त अग्रवाल रतननगर	एक कुआ बनवाया	1936
(60) सेठ बीझराज झालरिया सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1936
(61) सेठ रामेश्वरलाल पेडीवाल सरदारशहर	एक कुआ बनवाया	1937
(62) सेठा ठाकरसीदास अग्रवाल जसरासर	एक तालाब बनवाया	1938
(61) सेठ प्रभुदयाल सर्राफ, भादरा	एक कुआ बनवाया	1938
(64) सेठ कुलक्षेत्र अग्रवाल रेणी	एक कुण्ड व एक तालाब बनवाया	1938
(65) सेठ लखीराम अग्रवाल भादरा	एक कुआ बनवाया	1938
(66) सेठ नाहरमल बाजोरिया, डूगरगढ	एक तालाब बनवाया	1938
(67) सेठ घनश्यामदास व शिवदत्ती, चूरू	सारासला गाव मे एक तालाब बनवाया	1938
(68) सेठ जयदयाल गोयन्का, चूरू	गाव रीराखला म तालाब बनवाया	1938
(69) सेठ सूरजमल मोहता, राजगढ	राधा छोटी म कुण्ड बनवाया लम्बर गाव मे एक कुण्ड बनवाया हरपालू गाव मे मुण्डीताल मे कुण्ड बनवाय	1941
(70) सेठ रायबहादुर बलदेवदास दूधवाखारा	कनकपुरा मे एक कुआ बनवाया	1941
(71) सेठ हजारीमल माहेश्वरी गगानहर	पुरानी आबादी (रामनगर) म एक कुआ बनवाया	1942
(72) सेठ गणेशीलाल तलवारीवाला, गगानगर	गगानगर मे एक कुआ बनवाया	1942

तालिका सख्या 10

राज्य के व्यापारियो द्वारा बनवाई गई धर्मशालाए

	व्यापारियो के नाम	बनवाई गई धमशालाए	वष
(1)	सेठ छोगमल वैद, राजलदसर	राजलदेसर म एक धमशाला बनवाई	1915
(2)	सेठ गोविन्दराम नाहटा, छापर	छापर म एक धमशाला बनवाइ	1918
(3)	सेठ जवाहरमल सागरमल वैद, चूरू	चूरू म एक धमशाला बनवाई	1918
(4)	सेठ दिलसुखराय लाहारीवाला, भादरा	भादरा म एक धमशाला बनवाई	1918
(5)	सेठ कालूराम गोपीच द माहेश्वरी, कलाना गाव	कलाना गाव मे एक धमशाला बनवाई	1918
(6)	सेठ रामश्वर अग्रवाल, दूधवाखारा	पल्लु गाव मे एक धमशाला बनवाई	1918
(7)	सेठ रामजीदास अग्रवाल, राजगढ	राजगढ म एक धमशाला बनवाई	1918
(8)	सेठ बजरगदास टीरमाणी, राजगढ	राजगढ म एक धमशाला बनवाई	1918
(9)	सेठ छज्जूराम टीहलीवाला रतनगढ	रतनगढ मे एक धमशाला बनवाई[88]	1918
(10)	सठ जेसराज अग्रवाल, दूधवेवाला	सरदारशहर मे एक धमशाला बनवाई[89]	1620
(11)	सेठ मूलचन्द मदनचन्द कोठारी, चूरू	चूरू म एक धमशाला बनवाई	1921
(12)	सेठ सागरमल जोहरीमल, चूरू	चूरू म एक धमशाला बनवाइ	1921
(13)	सेठ दिलसुखराय, भादरा	भादरा मे एक धमशाला बनवाई[90]	1921
(14)	सेठ कालूराम, कलाना गाव	कलाना गाव म एक धमशाला बनवाई	1921
(15)	सेठ कालूराम अग्रवाल, रतनगढ	डोकवा गाव मे एक धमशाला बनवाई[91]	1930
(16)	सेठ गोविन्दराम पेडीवाल, छापर	छापर म एक धमशाला बनवाई[92]	1931
(17)	सेठ बालाबक्स अग्रवाल, सरदारशहर	सरदारशहर म एक धमशाला बनवाई[93]	1932
(18)	सेठ हरलाल पडीवाल, सरदारशहर	सरदारशहर म एक धमशाला बनवाई[94]	1934
(19)	सेठ ब्रह्मदत्त अग्रवाल, रतनगढ	रतनगढ म एक धमशाला बनवाइ[95]	1935
(20)	सेठ हजारीमल रामेश्वरलाल, दूधवेवाला	दूधवे मीठे म एक धमशाला बनवाई[96]	1937
(21)	सेठ रामश्वरलाल दूधवाखारा	दूधवखारे म एक धमशाला बनवाई[97]	1938

अकाल सहायता और राज्य का व्यापारी वग

राज्य म वर्षा की कमी व अनियमित रूप से होने के कारण छोटे व बडे अकाल पडना एक साधारण बात है। राज्य मे 10वी एव 11वी सदी से ही अकाला के वणन मिलत है लकिन 1899 1900 इ० का अकाल भयकरतम था जिसे 'छपनिया अकाल' (वि० स० 1956) के नाम से पुकारा जाता है। इस वष बीकानर राज्य म औसतन साढे तीन इच वर्षा हुई। इससे राज्य मे भयकर अकाल की स्थिति बन गई। अनक लोग इस क्षेत्र को छाडकर अन्यत्र चले गय तथा लगभग 70 प्रतिशत पशु मर गय। इस समय राज्य अपन सीमित साधनो मे इस भयकर अकाल से अकेल उबरन म असमय था। ऐसी स्थिति म राज्य का व्यापारी वग आग आया और राज्य सरकार द्वारा स्थापित अकाल सहायता काय म धन देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। राज्य सरकार न छपनिये अकाल पर 8 00 000) रुपया खच किया।[98] इसम स 2,66,6,96 रुपया राज्य क सेठ साहूकारा ने सरकार को सहायता के रूप म दिया।[99] (तालिका सख्या 11)। इसके अतिरिक्त सेठ साहूकारा न राज्य मे अनेक स्थाना पर अन्न क्षेत्र खाले जहा भूखो को भोजन दन की व्यवस्था की। छपनिय

अकाल के बाद सन 1938 39 एव 1939 40 म राज्य म एक भयकर अकाल पडा। इस अवसर पर राज्य के सेठ साहूकारो ने राज्य के जन एव पशुधन को बचाने के लिए भारी आर्थिक सहायता की। अनेक सेठो ने अकाल क्षेत्रा म कपडा अन्न व दवाइयो का वितरण करवाया तो कुछ ने कुआ की मरम्मत करवाई व गायो के लिए पानी, गुवार व चारे का व्यवस्था की (तालिका सख्या 12)। इन अकालो के बाद राज्य के भू भाग पर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक कोई बडा अकाल नहीं पडा।

तालिका सख्या-11

सन् 1899 1900 ई० के अकाल के अवसर पर राज्य के सेठ-साहूकारो द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

व्यापारी	आर्थिक सहायता की राशि (रु०)
(1) बीकानेर के सेठ साहूकारो द्वारा	1,41,750
(2) सरदारशहर के सेठ साहूकारो द्वारा	50,635
(3) चूरू के सेठ साहूकारो द्वारा	30 000
(4) सुजानगढ के सेठ साहूकारो द्वारा	10,060
(5) श्री डूगरगढ के सेठ साहूकारा द्वारा	2,339
(6) राजलदसर के सेठ साहूकारा द्वारा	13,043
(7) रतनगढ के सेठ साहूकारो द्वारा	18,869
कुल योग	2,66,696 रु०[100]

तालिका सख्या-12

सन् 1938 39 के अकाल के अवसर पर राज्य के सेठ साहूकारो द्वारा दी गई सहायता का विवरण

व्यापारियो के नाम	कार्य एव राशि का विवरण
(1) सेठ रामगोपाल मोहता, बीकानेर	40,000 रु० के कपडे एव भोजन गरीबो म बाटा
(2) सेठ सूरजमल जालान, रतनगढ	60,000 रु० का भोजन गरीबो म बाटा और कुओ की मरम्मत करवाई
(3) सेठ बलदेवदास, रामेश्वर, दूधवाखारा	6,000 रु० का धान गरीबो म बाटा
(4) सेठ मोहनलाल बैद, रतनगढ	2,100 रु० से कुए मे बिजली फिट करवाई
(5) सेठ विलासराय सागरमल भुवालका, रतनगढ	1 000 रु० का धान बाटा गया[101]
पशुधन की सहायता	
(6) सेठ रामगोपाल मोहता, बीकानेर	6,000 रु० लगाकर 500 गायो की रक्षा की

(7) सेठ भैरूदान मेठिया, बीकानेर	2,735 रु० लगाकर 1°0 गायो की रक्षा की
(8) सेठ जेठमल बोथरा, लूणकरनसर	3,200 रु० गायो पर खच किये
(9) सेठ शिवलाल जमनादास गोयन्का, रतनगढ	1,500 रु० लगाकर 100 गायो की रक्षा की
(10) सेठ गिरधारीलाल सरदार मल बर्गडिया, सरदारशहर	2 100 रु० गायो की रक्षा पर खच किये
(11) फतेहपुरिया सेठ परिवार, राजगढ	3,430 रु० लगाकर जानवरो की रक्षा की
(12) सेठ हनुमान मारोदिया, राजगढ	1,940 रु० का गुवार व चारा गायो को खिलाया
(13) सेठ सुगनचन्द पमारी, राजगढ	873 रु० लगाकर 80 गायो की रक्षा की
(14) धूरनचन्द चर्गोईवाला, राजगढ	1,441 रु० लगाकर 100 गायो की रक्षा की
(15) सेठ बलरामदास रामेश्वरलाल, दूधवाखारा	-2 000 रु० का गुवार व चारा गायो को खिलाया
(16) सेठ लखनलाल शिवप्रताप सरावगी, चूरू	5,590 रु० लगाकर 360 गायो की रक्षा की
(17) बालकिशन मरदा, चूरू	8,550 रु० लगाकर 500 गायो की रक्षा की
(18) सेठ देवीदत्त खेमका, चूरू	3,500 रु० लगाकर 122 गायो की रक्षा की
(19) सेठ रामजीदास लोहिया, चूरू	2 000 रु० लगाकर 180 गायो की रक्षा की
(20) सेठ मदनगोपाल गोयन्का, चूरू	1,600 रु० से 60 गायो की रक्षा की
(21) सेठ हीरालाल गोयन्का, चूरू	1 500 रु० से 50 गायो की रक्षा की
(22) सेठ शिवभगवान भिवानीवाला, चूरू	1,330 रु० से 112 गायो की रक्षा की
(23) सेठ जगन्नाथ सारडा, चूरू	800 रु० से 70 गायो की रक्षा की[10]

तालिका संख्या-13

सन् 1939-40 के अकाल के अवसर पर राज्य के सेठ-साहूकारो द्वारा जन एव धन की सहायता

व्यापारियो के नाम	कार्य एव राशि का विवरण
(1) सेठ रामगोपाल मोहता, बीकानेर	65,000 रु० का कपडा, धान व दवाइया बांटी
(2) सेठ मदनगोपाल दम्माणी, बीकानेर	300 रु० का धान बटवाया
(3) सेठ मगनलाल कोठारी, बीकानेर	200 रु० का धान बटवाया
(4) सेठ जेठमल ठाकरसीदास नथमल बोथरा लूणकरनसर	1,719 रु० के कपडे एव पानी की व्यवस्था की
(5) सेठ बदरीदास डागा बीकानेर	1,193 रु० के पानी की व्यवस्था की
(6) सेठ शंकरलाल बाजोरिया, डूगरगढ	1,000 रु० का धान बटवाया
(7) सेठ सूरजमल पसारी, सुजानगढ	15 000 रु० का धान बटवाया
(8) सेठ पन्नालाल सरावगी, सुजानगढ	8,00 रु० का धान बटवाया
(9) सेठ सूरजमल नागरमल, रतनगढ	19,320 रु० का धान बटवाया
(10) सेठ शंकरलाल बाजोरिया, रतनगढ	8 000 रु० का धान बटवाया
(11) सेठ तोरणराम किशनदयाल अग्रोनगरिया, रतनगढ	700 रु० का भोजन बटवाया
(12) सेठ हनूतराम गणाराम नापड़िया रतनगढ	8 माह तक 60 व्यक्तियो को रोज भोजन कराया

(13) सेठ अनन्तराम थड रतनगढ	600 रु० का धान वटवाया
(14) सेठ हरिवक्श अजीतसरिया, रतनगढ	600 रु० का धान वटवाया
(15) सेठ सूरजमल मोहता, राजगढ	6,500 रु० का धान व कपडा वटवाया
(16) सेठ शकरलाल घरूका, राजगढ	300 रु० का कपडा बाटा
(17) सेठ माधोप्रसाद खेमका, चूरू	4,031 रु० का धान बटवाया
(18) सेठ जयदयाल गोयनका चूरू	2 690 रु० का कपडा व धान बटवाया
(19) सेठ लक्ष्मणदास खबचन्द जोटिया, चूरू	1,000 रु० का धान बटवाया
(20) सेठ कन्हैयालाल लाहिया, चूरू	900 रु० का कपडा वटवाया
(21) सेठ सूरजमल नागरमल, रतनगढ	300 रु० का कपडा वटवाया
(22) सेठ बालकिशन मरदा	219 रु० का धान बटवाया
(23) सेठ परमानन्द मन्त्री	100 रु० का धान बटवाया
(24) सेठ नौरंगराय किशनदयाल अजीतसरिया	7,876 रु० का धान व कपडा वटवाया
(25) सेठ मालचन्द लाढा	2,900 रु० का धान वटवाया
(26) सेठ रावतमल श्रीराम सरावगी	1,253 रु० का धान बटवाया
(27) सेठ शिवलाल शम्भूलाल वाइवाला, भादरा	850 रु० का धान बटवाया
(28) सेठ सन्तुराम लोहारीवाला, मादरा	156 रु० का धान वटवाया
(29) सेठ शादीराम पचीसिया, नोहर	800 रु० का खाना वटवाया
(30) सेठ गजानन्द नेवार, नोहर	300 रु० का भोजन पर खर्च किया

पशुओ के लिए चारे व गुवार का प्रबन्ध

(31) सेठ रामगोपाल मोहता बीकानेर	30, 000 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(32) सेठ मदनगोपाल दम्मानी, बीकानेर	5, 000 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(33) सेठ मोतीलाल मोहता बीकानेर	1, 000 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(34) सेठ मगनलाल कोठारी, बीकानेर	100 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(35) सेठ जवाहरमल बजाज, हिम्मटसर	2, 000 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(36) सेठ जेठमल ठाकुरसीदास नयमल बोथरा, लूणकरनसर	1 600 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(37) सेठ शक्करमल नाहरमल वाजोरिया	1,000 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(38) सेठ प्रतापमल बाथरा, राजलदसर	871 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(39) सेठ नौरंगराय किशनदयाल अजीतसरिया	800 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(40) सेठ सूरजमल नागरमल जालान, रतनगढ	400 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(41) सेठ फतेहचन्द चन्दोई सुजानगढ	27,000 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(42) सेठ शिखरचन्द नथमल भवरीलाल रामपुरिया	1 000 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(43) सेठ बदरीदास चन्दोई, सुजानगढ	200 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(44) सेठ सूबचन्द चौधरी, सुजानगढ़	150 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(45) सेठ बालकिशन मरदा, चूरू	2,362 रु० का गुवार व चारा गिरवाया

(46) सेठ रामबल्लभ रामेश्वरलाल, चूरू — 501 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(47) सेठ हजारीमल पेडीवाल, नोहर — 4,700 रु० का गुवार व चारा गिरवाया
(48) सेठ गजानन्द नेवार, नोहर — 1,300 रु० का गुवार व चारा गिरवाया

राज्य मे जनकल्याणकारी कार्यो के सूक्ष्म अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनके प्रसार मे भारत म सत्ताधारी चाहे वह अंग्रेजी भारत म अंग्रेजी सरकार हो, राज्य मे शासक अथवा सामन्त हो इन तीनो पक्षो म अपने अपने क्षेत्र म जन साधारण को जनकल्याणकारी सुविधा प्रदान करने म कोई वास्तविक रुचि नही ली थी। ऐसी स्थिति म राज्य के प्रवासी सेठ-साहूकारो द्वारा किये गये जन कल्याणकारी कार्यो का महत्त्व और अधिक बढ जाता है।

सदर्भ

1 'वरुआ', ऋषि जेमिनी कौशिक—'मैं अपने मारवाडी समाज को प्यार करता हू,' भाग प्रथम, प० 100
2 बीकानेर राज्यान्तगत सरदारशहर के सेठ कन्हैयालाल जगन्नाथ करनानी न अपने द्वारा निर्मित अस्पताल के उदघाटन के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री को चादी का बना ताला एव चाबी भेंट की। राज्य क सेठ साहूकारा द्वारा बनवाये गये जनकल्याणकारी कार्यों के उदघाटन के अवसर पर इस प्रकार की भेंट दना एक सामान्य परम्परा थी पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, सन 1932, न० ए, 1108 1109, पृ० 1 2 (रा० रा० अ०)
3 इस सम्बन्ध मे 'राज्य के औद्योगीकरण मे व्यापारी वग का योगदान' सम्बन्धी अध्याय म विस्तृत जानकारी दी गई।
4 पॉलिटिक्स डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1918, न० ए, 968 1105, पृ० 134 (रा० रा० अ०)
5 बीकानेर राज्य मे कुछ मुख्य ट्रस्टा के नाम इस प्रकार थे, 24 जुलाई 1928 म 'सेठ रामगोपाल गोवद्धन दास मोहता ट्रस्ट' की स्थापना समाज कल्याण के कार्यों मे सहायता देने हेतु हुई। 28 अक्टूबर 1928 म 'मोहता ट्रस्ट' आयुर्वेदिक एव एलोपैथिक अस्पतालो म मुफ्त चिकित्सा हेतु स्थापित किया गया। 18 माच 1933 म रामपुरिया कॉलेज की व्यवस्था हेतु 'सेठ बहादुरमल जसकरण रिद्धकरण रामपुरिया ट्रस्ट' स्थापित किया गया। 1942 मे 'रिद्धकरण ट्रस्ट' दातव्य औषधालय की व्यवस्था हेतु चूरू म स्थापित किया गया। 6 नवम्बर 1943 म भैरवरतन पाठशाला की व्यवस्था हेतु 'श्री भैरूरतन मात पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना की गई।
6 पी० एम० आफिस, बीकानेर, सन 1941, न० 7, पृ० 1-100 (रा० रा० अ०)
7 व्यापारिया को मिलने वाल सामाजिक सम्मान एव सुविधाओ के सम्बन्ध म 'व्यापारी वग का राज्य के शासको क साथ सम्बन्ध तथा राज्य म एक प्रभावशाली वग के रूप म विकास' सम्बन्धी अध्याय म विस्तृत चचा द्रष्टव्य है।
8 यद्यपि इस समय राज्य म अनक प्रवासी व्यापारिया ने सस्कृत पाठशालाए अस्पताल, कुण्ड कूप व धम शालाए बनवायी थी जो सख्या की दृष्टि से नगण्य थी। इनका उल्लेख सलग्न विभिन्न तालिकाओं म यथा स्थान कर दिया गया है।
9 सेठ सूरजमल नागरमल द्वारा सचालित, रतनगढ (बीकानेर) कार्यालयान्तगत समस्त सस्थाओं का काय विवरण सन् 1948, पृ० 207 208
10 होम डिपाटमट, बीकानेर, न० ए 18 30, पृ० 97 119 (रा० रा० अ०)

11 महकमा खास, बीकानेर, 1910, न० 1501, पृ० 63 70 (रा० रा० अ०)
12 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1916, न० ए-18 30 प० 102, 122 (रा० रा० अ०)
13 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियस, चूरू, पृ० 286 287 (डिस्ट्रिक्ट गजेटियस, राजस्थान, जयपुर)
14 भण्डारी, च द्रराज—अग्रवाल जाति का इतिहास, प० 488 489
15 पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1928, न० ए 1-17, प० 3 (रा० रा० अ०)
16 होम डिपाटमेट, बीकानेर, 1916, न० ए 18 30, प० 101-118 (रा० रा० अ०)
17 वही, 1915, न० ए 40 42 प० 1
18 रेवेन्यू डिपाटमट, बीकानेर, 1933, न० बी 1725 1739, प० 18 (रा० रा० अ०)
19 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियस चूरू, पृ० 295
20 सूरजमल नागरमल द्वारा स्थापित सस्थाआ की काय विवरणिका, 1948
21 सत्यदेव, विद्यालकार—एक आदर्श समत्व योगी, प० 51
22 होम डिपाटमेट, बीकानेर, 1935, न० ए 173 177, पृ० 4 (रा० रा० अ०)
23 वही, 1916 न० ए 18 30, प० 106 107 1, 98
24 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1928, न० ए 1-17, पृ० 3 (रा० रा० अ०)
25 रेवेन्यू डिपाटमेट बीकानेर 1930 न० बी 780 837, पृ० 84 (रा० रा० अ०)
26 होम डिपाटमन्ट, बीकानेर, 1928, न० बी 210 212, प० 6 (रा० रा० अ०)
27 रेवेन्यू डिपाटमेट, बीकानेर, 1933, न० बी 1725 1739, पृ० 18 (रा० रा० अ०)
28 वही, न० 780 837, पृ० 121
29 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1935, न० बी० ए० 173 177, प० 4 (रा० रा० अ०)
30 रेवेन्यू डिपाटमेट, बीकानेर, 1935, बी० 3009 3023, पृ० 21 (रा० रा० अ०)
31 वही, 1930 न० बी० 780 837, पृ० 281
32 राजस्थान डिस्टिक्ट गजेटियस, चूरू, 278
33 रेवेन्यू डिपाटमट, बीकानेर, 1930 न० बी० 780 837, प० 281 (रा० रा० अ०)
34 वही
35 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियस चुरू, प० 297
36 सत्यदेव, विद्यालकार – एक आदश समत्व योगी, पृ० 35
37 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1935, न० 1, पृ० 1-20 (रा० रा० अ०)
38 पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1931, न० ए 156-164, पृ० 1 (रा० रा० अ०)
39 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1935, न० 1, पृ० 1 37 (रा० रा० अ०)
40 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1928, न० ए, 1 17, पृ० 9 (रा० रा० अ०)
41 रेवेन्यू डिपाटमट, बीकानेर, 1931, न० बी 224 229, प० 1 (रा० रा० अ०)
42 होम डिपाटमट बीकानेर, 1935 न० 1, पृ० 1-20 (रा० रा० अ०)
43 दी वस्ट राजपूताना स्टेट रजीडेन्सी एण्ड दी बीकानेर एजेन्सी, प० 377 378
44 फाईनेन्स मिनिस्टर बीकानेर, 1949, न० 58 प० 13-14 (रा० रा० अ०)
45 पी० एम० आफिस बीकानेर, 1928, न० ए, 1 17, प० 4 (रा० रा० अ०)
46 वही, 1933, न० बी०, 351-359, प० 1, रेवेन्यू डिपाटमण्ट, बीकानेर, 1932 न० बी, 2014 2022, प० 1 (रा० रा० अ०)

47 'बरआ', जेमिनी कौशिक—श्री सूरजमल जालान 'मधु मगलश्री', पृ० 208
48 भण्डारी, चन्द्रराज—अग्रवाल जाति का इतिहास, पृ० 100
49 वही
50 इसकी पूरी रिपाट दैनिक भारतमित्र, कलकत्ता, वि० स० 1974 म मिलती है।
51 भण्डारी, चन्द्रराज—अग्रवाल जाति का इतिहास
52 वही, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियस, चूरु, पृ० 311
53 माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 307
54 होम डिपाटमेण्ट, बीकानेर, सन् 1935, न० 1, पृ० 20 (रा० रा० अ०)
55 जैमिनी कौशिक बरआ, पृ० 15
56 आफिस ऑफ दी जनरल सैक्रेट्री, बीकानेर, 1942 न० 9, पृ० 7-10 (रा० रा० अ०)
57 वही, बडल न० 8, पृ० 7 14 (रा० रा० अ०)
58 दी वस्ट राजपूताना स्टेट रेजीडेन्सी एण्ड दी बीकानेर एजेन्सी, पृ० 377
59 रेवेन्यू डिपाटमेण्ट, बीकानेर, सन् 1930, न० बी, 780 837, पृ० 22 (रा० रा० अ०)
60 होम डिपाटमेण्ट, बीकानर 1927, न० बी, 201 215, पृ० 10 (रा० रा० अ०)
61 रेवन्यू डिपाटमण्ट बीकानेर, 1930, न० बी 780 837, प० 22 (रा० रा० अ०)
62 होम डिपाटमण्ट, बीकानर, 1924, न० 3499 3500, पृ० 2 (रा० रा० अ०)
63 रेवेन्यू डिपाटमण्ट, बीकानेर, 1930, न० बी 780-837, प० 84 (रा० रा० अ०)
84 वही, पृ० 94
65 पी० एम० आफिस, बीकानर, 1931, न० ए 156 164, पृ० 1 (रा० रा० अ०)
66 रवे यू डिपाटमण्ट, बीकानर, 1931, न० बी 224-229, पृ० 13 (रा० रा० अ०)
67 होम डिपाटमट, बीकानेर, 1932, न० ए, 725-806, प० 24 (रा० रा० अ०)
68 वही, 1932, न० ए 704-724, प० 1
69 रवन्यू डिपाटमेण्ट, बीकानेर, 1930, न० बी 780 837 प० 100 (रा० रा० अ०)
70 वही
71 राजस्थान गजेटियस, डिस्ट्रिक्ट, चूरू, पृ० 303
72 विद्यालकार सत्यदव—एक आदश समत्व योगी, पृ० 87
73 हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, दिनाक 15-1-45
74 पी० एच० एण्ड ई० मिनिस्टस आफिस, बीकानेर, 1948, न० 22, प० 1 (रा० रा० अ०)
75 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियस, चूरु, पृ० 303
76 वही, पृ० 304
77 पी० एच० एण्ड इ० मिनिस्टस आफिस, बीकानेर, 1948, न० 9, प० 1 (रा० रा० अ०)
78 वही, न० 16, पृ० 1 (रा० रा० अ०)
79 वही, न० 19, पृ० 1
80 वही, न० 23, पृ० 1
81 फाईनेन्स मिनिस्टर, बीकानर, 1949, न० 58, पृ० 13-14 (रा० रा० अ०)
82 दफ्तर साहब पब्लिक हैल्थ एण्ड एजूकेशन मिनिस्टर, नोटिफिकेशन, श्री लालगढ, दिनाक 4 जून 1941, पृ० 4 (रा० रा० अ)

83 रेवेन्यू डिपाटमेंट बीकानेर, सन् 1930 नं० बी 780 837, पृ० 73 (रा० रा० अ०)
84 पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, सन् 1928, नं० ए 1-17, प० 8 9 (रा० रा० अ०)
85 रेवेन्यू डिपाटमेंट, बीकानर, सन् 1930, नं० बी 780 837, पृ० 98 (रा० रा० अ०)
86 वही, प० 162
87 रेवे यू डिपाटमट, बीकानेर, सन 1930, नं० बी 780 837, पृ० 21 24, 29, 61 68, 99, 113, 121 131, 162, 179, 201, 219, 253, 281 व 292 (रा० रा० अ०)
88 रेवेन्यू डिपाटमेन्ट, बीकानेर, 1930, नं० बी, 780 837 पृ० 21-22 (रा० रा० अ०)
89 वही, पृ० 22
90 वही, पृ० 24 (रा० रा० अ०)
91 वही, पृ० 86
92 वही, पृ० 98
93 वही, पृ० 100
94 वही, पृ० 121
95 वही, पृ० 131
96 वही, पृ० 170
97 वही, पृ० 201
98 महकमाखास, बीकानेर, 1900, नं० 18, पृ० 678 (रा० रा० अ०)
99 वही, नं० 98, पृ० 1
100 महकमाखास, बीकानेर, सन् 1900 पृ० 1 (रा० रा० अ०)
101 रिपोट आन दी फमिन रिलीफ ऑपरेशन इन दी बीकानेर स्टेट, 1938 39, पृ० 21 (रा० रा० अ०)
102 वही, पृ० 41 42, (रा० रा० अ०)
103 वही, पृ० 100 99 100 (रा० रा० अ०)
104 वही, प० 103

अध्याय-10

व्यापारी वर्ग के बदलते मूल्य

राज्य के व्यापारी वर्ग ने अंग्रेजी भारत में निष्क्रमण करने के पश्चात् अंग्रेज व्यापारियों का सहयोग प्राप्त करने तथा उनकी आर्थिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देने में संकोच नहीं किया। अंग्रेजी संरक्षण तथा अंग्रेज अधिकारियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रश्रय मिल जाने से इस व्यापारी वर्ग के दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। इस वर्ग ने यथासंभव अंग्रेजों द्वारा स्थापित मान्यताओं को अपनाया। अंग्रेजी विधि प्रणाली में अनुबंध का अत्यधिक महत्त्व था तथा पारस्परिक झगड़ों के निपटारे के लिए अंग्रेजी न्यायालय थे। इन दोनों तथ्यों का प्रभाव इन व्यापारियों के मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन लाने में अत्यधिक सहायक रहा। इसके अतिरिक्त राज्य व जागीरदारों द्वारा उन्हें तंग किये जाने के भय की समाप्ति का प्रभाव व्यापारिक वर्ग के रहन सहन और सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। जहां पहले व्यापारी लोग अपनी धन सम्पत्ति को राज्य के शासक व जागीरदारों की नजरों से बचाने के लिए सादगी से रहना पसन्द करते थे, क्योंकि ये लोग आवश्यकता होने पर धनाढ्य व्यापारियों से जबरदस्ती धन प्राप्त करने की चेष्टा में रहते थे, वहां बाद में जागीरदारों की कमजोर स्थिति के कारण उस जीवन पद्धति की उपयोगिता ही समाप्त हो गई थी।

निष्क्रमण के पूर्व एवं निष्क्रमण किये जाने के कुछ समय बाद तक यह व्यापारी-वर्ग थोड़ा लाभ प्राप्त करना ही स्थायी लाभ मानता था। उसकी यह धारणा थी कि रसकस बढ़ाकर कम से कम नफा लेने पर वे बाजार में अपना माल अधिक से अधिक बेच सकता था। यह कहावत थी कि व्यापार में ड्योढ़ा और दूना करने वाले के यहां टोड (बड़ी हवेलियों में छज्जों के सहारे के लिए लगाये जाने वाले कटाईदार पत्थर) नहीं झुकते किन्तु आटे में नमक के समान नफा उठाने वाले व्यापारियों का थोड़ा नफा ठोस व स्थायी होता था।

इस समय कोई भी व्यापारी अपनी व्यक्तिगत साख पर वाणिज्य व्यापार करने के लिए हुण्डी-पुर्जे तथा खाते के रूप में रुपया उधार प्राप्त कर सकता था। मारवाड़ी प्रवासी जो अंग्रेजी भारत में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर चुके थे, बाद में आने वाले मारवाड़ी प्रवासियों को छोटा मोटा व्यापार खोलने हेतु उनकी व्यक्तिगत साख पर माल एवं रुपया उधार दे दिया करते थे।[1] लेन-देन में व्यापारियों की साख ही आधार थी तथा व्यापारी भी अपनी साख बनाये रखने को विशेष महत्त्व देते थे। वे वाणिज्य-व्यापार में इस बात का ध्यान रखते थे कि कहीं उनकी साख पर किसी प्रकार का धब्बा न लग जाय। साख बनाये रखने के लिए इस पर कोई भी भला व्यापारी लिये हुए ऋण को वापिस न करने एवं अपनी फर्म का दिवाला निकालने का साहस नहीं करता था। साख के साथ राज्य में प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था। बीकानेर राज्य में उन्नीसवीं सदी तक यह व्यवस्था थी कि व्यापारी स्वयं को अपना ऋण उतारने में असफल रहने तक सिर पर गहरे रंग की पगड़ी पहननी पड़ती थी तथा उसके घर की स्त्रियां रंगीन ओढ़ना नहीं पहन सकती थीं। अपनी लड़की के विवाह को छोड़कर उसके लिए अन्य किसी भी अवसर पर भोज आदि में खाण्ड (चीनी) से बना भोजन परोसने पर भी प्रतिबन्ध लगा हुआ था।[2] राज्य की ओर से यह व्यवस्था भी थी कि अगर कोई व्यापारी राज्य द्वारा निर्धारित उक्त नियमों की अनुपालना नहीं

करेगा तो उसकी राज्य स्थित अचल सम्पत्ति जब्त कर ली जायगी। यही नही राज्य मे यह परम्परा भी थी कि जब कोई बारात किसी दूसरे गाव जाती और उस बारात मे कोई व्यक्ति वहा के किसी व्यक्ति का कर्जदार या अपराधी होता तो गाव वाले पूरी बारात को रोक लेते थे। इसी प्रकार के मामले म चूरू के कुछ व्यक्तियो का छुडाने के लिए चूरू के मोहता सोमदत्त ने एक पत्र खेतडी के राजा बख्तावर सिंह को लिखा था। इन परिस्थितिया मे यह स्वाभाविक था कि राज्य के किसी व्यापारी के दिवालिया होने का उल्लेख नही मिलता है। इसी भाति ऋण देने वाला व्यक्ति भी किसी के नाम झूठमूठ रुपया नहीं लिखता था। कभी कभी तो ऋणदाता केवल याददास्त के लिए दी हुई राशि को किसी दीवार पर कोयले अथवा स्याही से लिख लेता था।[3]

मितव्ययी एव सादगी से जीवन बिताने और अपनी साख की रक्षा करने के कारण राज्य के व्यापारी अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे। 1813 ई० के बाद भारत स्थित अंग्रेजी व्यापारी फर्मो ने मारवाडी व्यापारिया को ही अधिक से अधिक सख्या मे अपने यहा दलाल व बेनियन नियुक्त किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक कर्मचारी जॉब चार्नेक ने अपनी निजी डायरी मे मारवाडी व्यापारियो के लिए लिखा, 'हिन्दुस्तान म मारवाडी नामक एक व्यापार पटु जाति है जिसके सम्बन्ध म यह कहा जा सकता है कि वह व्यापार पटु होने के साथ ही साथ परिश्रमशील और ईमानदार भी है। कम्पनी अगर चाहे तो इस जाति के व्यक्तियो मे सहयोग कर सकती है। जॉब चार्नेक सन् 1655 ई० म ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी पर आया था वह समय-समय पर कम्पनी की व्यापारिक कोठियो का अध्यक्ष रहा तथा सन 1693 ई० मे भारतवर्ष म ही उसकी मृत्यु हो गई।[4] इस वर्ग की ईमानदारी का प्रभाव उनके वाणिज्य-व्यापार पर भी था। व्यापारिया के मूल निवास से सैंकडो मील दूर उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानो को अधिकाशत उनके मुनीम गुमाश्ते ही सभाला करत थ। उन पर व्यापारियो का अटूट विश्वास होता था। वैधानिक तौर पर मालिक और वेतन प्राप्त कर्मचारी होन के बावजूद सेठ व गुमाश्ते का सम्बन्ध बहुत कुछ छोटे व बडे भाई जैसा होता था। मुनीम अपने मालिक की ओर से लाखा रुपया का लेन देन करता था तथा व्यापारी भी कभी कभी उसका साझा कर लिया करता था।[5] मारवाडी व्यापारिया की ईमानदारी पर लोगो का विश्वास इस सीमा तक था कि वे अपने लाखो रुपयो का कीमती सामान एक छोटे से कागज के टुकडे क एवज म बीमा लेने वाले व्यापारियो के हवाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुचान के लिए कर दिया करत थे।[6]

ईमानदारी के साथ इस समय इस वर्ग की यह प्रवृत्ति बनी हुई थी कि अपने आपस के झगडे पचायतो के माध्यम से ही सुलझाये जाये। बीकानेर म कागद की बहियो म समय-समय पर व्यापारी वर्ग की विभिन्न जाति पचायतो द्वारा आपसी झगडा का निपटाने के उल्लेख मिलते है। पचो के निर्णय को यह वर्ग काफी महत्त्व देता था। वाणिज्य व्यापार मे भी पचो के निर्णय को स्वीकार किया जाता था। हुण्डी की परपेठ गुम हो जाने पर मेजरनाम पर पच लोग ही हस्ताक्षर किया करत थे जिस सभी व्यापारी स्वीकार करते थे।

उन्नीसवी सदी के उत्तरार्द्ध से ही प्रवासी व्यापारी वर्ग बहुत सम्पन्न और प्रभावशाली बनना शुरू हो गया था। इसलिए इस वर्ग ने बीकानेर राज्य म भी अपने आपको प्रभावशाली वर्ग के रूप मे सगठित किया। अंग्रेजो के कृपापात्र बन जान के पश्चात् राज्य के सामन्तो से व्यापारी वर्ग को कोई भय नही रहा। इस वर्ग का यह प्रयत्न रहा कि वे अपने लिए राज्य मे वह सभी अधिकार प्राप्त करें जो 19वी सदी मे सामन्तो को प्राप्त थे। इन अधिकारो म राज्य के न्यायालयो म दीवानी व फौजदारी मामलो म व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की छूट, जगात मे छूट, अपराधियो को हवेलियो म शरण देन की छूट, खून जैसा अपराध करन पर भी राज्य की ओर से किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने की छूट, शासक के समीप बैठने की सुविधा एव शासक द्वारा विशेष अवसरो पर उनके घर जाकर, सम्मान देने की सुविधा, राज्य की प्रशासनिक तथा सलाहकार समितियो मे सदस्य एव मानाय मजिस्ट्रेट आदि के रूप मे मनोनीत किये जाने की सुविधाए आदि उल्लेखनीय थी।[7]

इस समय व्यापारिया की प्रवृत्ति मे परिवर्तन होता दिखाई देने लगा क्योकि अब व्यापारियो के लिए अपेक्षाकृत शीघ्र धनी बनने के अवसर अधिक हो गये। सट्टा (फाटका) व्यवसाय के प्रति अधिक आकर्षण और शीघ्र धनी बनने की

अभिलापा से पुराने मूल्यों की अवहेलना होती दिखाई पडी। जब तक वस्तु उत्पादन करने वाले व्यक्ति अपनी वस्तुआ को कुछ निश्चित अवधि के आधार पर बेचना और व्यापारी द्वारा आमदनी का माल खरीदना प्रचलित था तब तक व्यापार ठीक था क्योंकि माल बेचने वाला व्यक्ति वस्तु उत्पादन करने वाला होता था और उसी आधार पर माल बेचता था। खरीदने वाला व्यक्ति (व्यापारी) वर्तमान दर से कुछ मन्दी दर के आधार पर आमदनी पर माल खरीद करने मे समथ होता था परन्तु सट्टे (फाटके) मे विचित्र स्थिति थी। उसमे वस्तु-उत्पादन करने वाले के अतिरिक्त वे लोग भी आमदनी माल मत्थे पर बेचने लगे जिनके पास न तो उस वस्तु के उत्पादन करने का साधन होता था और न ही उनके पास उस माल का पहल से कोई स्टाक ही होता था। इसी प्रकार खरीद करने वाले व्यापारियो मे भी यह भावना पैदा हो गई कि समय पर माल डेलिवरी न लेकर केवल नफे और नुकसान से ही सम्बन्ध रखेंगे।[8] भारत मे अनेक मारवाडी व्यापारिया ने फाटका व्यवसाय अपनाया और कुछ ही दिनो मे लखपतियो की श्रेणी मे जा खडे हुए।[9]

प्रथम महायुद्ध की अवधि मे खाद्य-पदार्थ, वस्त्र, युद्ध-सामग्री व धन की माग काफी बढ गई थी और सेना को इन वस्तुआ को पूरा करने के लिए व्यापारी ठेकेदारा की आवश्यकता हुई। इस परिस्थिति ने व्यापारियो क लिए शीघ्र अत्यधिक धनी बनने के अवसर प्रस्तुत किये। विलायती माल का आना बहुत कम और सयोग पर निर्भर हो गया। उसी भाति भारत से कच्चे माल का निर्यात अनिश्चित हो गया। दोनो प्रकार की वस्तुआ की माग अधिक होने के कारण उनके मूल्य आशा से अधिक बढने लगे। मारवाडी व्यापारियो को जो विदेशी माल के आयात और कच्चे माल के निर्यात म सलग्न थे, इस अवसर से सर्वाधिक लाभ हुआ।[10] जिस व्यापारी के यहा जितना अधिक व्यापार होता था उसने उतना अधिक लाभ कमाया। इससे राज्य के अनेक व्यापारियो को भारी लाभ हुआ। कहा जाता है कि कलकत्ता के बडे बाजार म जहा मारवाडी व्यापारियो द्वारा सर्वाधिक व्यापार किया जाता था, धन बरसने लगा।[11] सेना को माल आपूर्ति करने म अग्रेज अधिकारिया से मिलकर मारवाडियो ने अत्यधिक लाभ अल्पल्प समय म कमाया।

फाटका (सट्टा) व्यवसाय और प्रथम महायुद्ध के समय उपलब्ध परिस्थितियो मे धन सम्पन्न हो जाने पर मारवाडी व्यापारियो ने भी अग्रेज की भाति अपने रहन सहन मे कुछ परिवतन आरभ किया। लेकिन यह परिवतन केवल सम्पत्ति के प्रदशन तक ही सीमित था। राज्य के अनेक बडे बडे व्यापारियों ने कलकत्ता, बम्बई, कराची एव भारत के अन्य बडे नगरो मे बडे बडे आधुनिक मकान, कटले, बाजार आदि का निर्माण करवाया। कलकत्ता मे बडे बाजार मे बीकानेर के सदासुख गभीरचद कोठारी का सदासुख कटला तथा कराची मे सेठ गोवर्द्धनलाल मोहता द्वारा निर्मित कपडा बाजार व जिमखाने (क्लब) आदि उल्लेखनीय थे।[12] बडे मारवाडी व्यापारियो ने अन्य अग्रेज व्यापारियो तथा अधिकारियो (जिनकी मित्रता से उन्ह लाभ हो सकता था) को प्रभावित करने के लिए फिजूलखर्ची शुरू कर दी। अपने मूल राज्य मे, जहा उन्ह अब राज्य के शासक व जागीरदारा से विशेष भय नही रह गया था वहा भी सुखमय जीवन व्यतीत करना आरभ कर दिया। विलासिता पूवक रहने के साथ साथ व्यापारी लोग धन का अपव्यय करने मे एक दूसरे से भी स्पर्द्धा करने लगे। यह स्पर्द्धा राज्य के शासक का प्रभावित करने के लिए उसको अपने घर पर बुलाकर कलदार रुपयो की चोकी पर बिठलाने और जाते समय चोकी का रुपया उसे देने मे होने लगी थी। इसकी मैंने पूव के अध्यायो मे विस्तार से चर्चा की है।[13]

जिस प्रकार इस समय व्यापारियो के लिए शीघ्र धनी बनने के अवसर अधिक हो गये, उसी अनुपात म उन्ह व्यापार म घाटा लगने की सभावनाए भी अधिक हो गइ। फाटका (सट्टा) करने वाले व्यापारियो को जहा लाखो करोडो का फायदा होना था वहा लाखो करोडो का नुकसान भी सभव था। अनेक व्यापारी लाख पचास हजार का नफा समझकर प्रात काल बाजार मे जाते और सायकाल को लाख पचास हजार का नुकसान देकर घर लौटते। राज्य की अनेक फर्मों को फाटको म भारी नुकसान उठाना पडा और अन्त मे बन्द करनी पडी। इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध के समय जिन व्यापारिया ने भारी आर्थिक लाभ प्राप्त किया था उन्ह 1918 ई० के पश्चात जब व्यापार का ह्रास आरम्भ हुआ तो काफी नुकसान भी उठाना पडा। जिन व्यापारिया ने युद्ध के समय धन पैदा कर व्यापार कम कर दिया था, वे तो किसी तरह बच गय पर जिन्होने व्यापार को बढ़ाय रखा, उनका प्राप्त किया हुआ धन जिस प्रकार आया था उसी प्रकार वापस जाने लगा। इसक

परिणाम स्वरूप व्यापारियो मे लिया हुआ ऋण न उतारने व अपने आपको दिवालिया घोषित करने की प्रवति बढन लगी। व्यापारियो की इस बढ़ती हुई प्रवत्ति के पीछे व्यापार म आर्थिक नुकसान के साथ अग्रेजी कानून कायदा का भी बडा योग था। राज्य मे प्रचलित ऋण न उतारने व दिवालिया घोषित करन पर प्रतिष्ठा विरोधी व्यवस्था राज्य म सन 1929 ई० म दिवालिया' कानून बन जाने के कारण स्वत ही समाप्त हो गई।[14] अब कोइ भी दिवालिया अग्रेजी कानून कायदो के माध्यम से यायालयो म जाकर अपना बचाव करने मे सक्षम हो गया। यही नही अनेक व्यापारियो न राज्य के शासक से यह छूट प्राप्त कर ली थी कि उनके दिवालिया होने पर भी उनके ऋणदाता राज्य मे न ता उनकी अचल सम्पत्ति कुरक ही करवा सकेंगे तथा न ही उन्हे न्यायालयो के निणयो के अनुसार जेल ही भिजवा सकेंगे। बीकानेर मे सेठ उदयमल ढडढा, पूनमचन्द सावनसुखा, सेठ मथुरादास बागडी, माधोदास व उधोदास बागडी व सेठ टीकमचन्द आदि को ऋण दाताओ का रुपया न चुकान पर भी न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकती थी।[15] कहने का तात्पय यह है कि व्यापारिया के लिए दिवाला निकालना एक साधारण बात हो गई और राज्य के अनेक प्रतिष्ठित व्यापारिया ने अपने आपको दिवा लिया घोषित करना आरम्भ कर दिया। सन 1919 ई० मे सरदारशहर के सेठ हरखचन्द, सुखलाल सेठिया ने अपनी फम का दिवाला निकाल लिया। अ य लागो मे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर उनकी दनदारिया को चुकाने म राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पडा, मे बीकानेर राज्य म सेठ चादमल ढडढा व सेठ पनयचन्द सिंघी व चम्पालाल छगन लाल दम्माणी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।[16]

पहले व्यापारी लोग अपने आपस के छोटे मोटे झगडे अपनी अपनी पचायतो के माध्यम से सुलटा लिया करते थे, वे अब उन्ही मामलो को अग्रेजी कानूनो का सरक्षण मिल जाने के कारण यायालया म ले जाने लग।[17] जहा साझेदार साथी, पडोसी, भाई भाई व यहा तक मा बेटे भी आपसी मुकदमा मे उलझ गये और अपन पक्ष मे फैसला करवान के लिए हजारो रुपये वकील और अधिकारी वग को देने लगे। इस सम्बन्ध म चूरू के प्रसिद्ध करोडपति व्यापारी भगवानदास बागला की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र एव धमपत्नी के बीच लम्बा चलने वाला मुकदमा उल्लेखनीय है। इससे राज्य के अनेक बडे बडे व्यापारी न केवल बर्बाद ही हुए साथ ही उन लोगो मे पीढिया तक की दुश्मनी भी पैदा हो गई। राज्य मे इस समय व्यापारी वग म आपसी मुकदमा की बाढ आ गई। इसके अतिरिक्त व्यापारी वग के अनेक समुदायो म छोटी छोटी बातो को लेकर मनमुटाव उत्पन्न हो गए और आपस मे घडेबन्दियो मे बट गये। राज्य के सरदारशहर, सुजानगढ व बीदासर के आस पास म आपसी घडेब दी इतनी अधिक बढ गई कि राज्य के शासक को उसमे हस्तक्षेप तक करना पडा।[18] व्यापारियो के अन्य माहेश्वरी समुदाय की भी यही स्थिति हो गई। इन लोगो मे स्थिति यहा तक पहुच गई कि वे एक दूसरे के सामाजिक समारोह का बहिष्कार करने और एक-दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करने लगे।[19] सामाजिक जीवन मे आई इस कटुता का प्रभाव व्यापार म साझा व्यवस्था पर भी पडे बिना नही रह सका। अधिकाश साझेदार एक दूसरे पर दोषा रोपण करन लगे और अपने कारबार सबधी लाभ का श्रेय आप लेन लगे और सब साधारण के सम्मुख हानि का जिम्मदार अपने साथी को कहने लगे। ये बातें साझेदारी व्यवसाय मे बहुत बडी बाधक ही नही रही बल्कि भविष्य के लिए उस कार बार को मटियामेट करने का साधन भी बन गई। इसकी पुष्टि राज्य की अनेक प्रसिद्ध फर्मो के क्रमिक इतिहास मे दृष्टि गोचर होती है। 19वी सदी के अन्त मे तथा बीसवी सदी के प्रारम्भ मे राज्य की अधिकाश बडी बडी फर्मों के इतिहास से पता चलता है कि उन्होने अपने पुराने साझे तोड दिये और स्वतत्र नाम से व्यापार करना शुरू कर दिया। मुनीम और गुमाश्ते भी अपने मालिको को धोखा देने लगे और व्यापार मे हजारो रुपयो का गोलमाल करने लग गये। अनेक मारवाडी व्यापारी फर्मों के अभिलेखा मे मुनीम गुमाश्तो की इस बढती हुई प्रवत्ति के उल्लेख मिलते ह।[20]

उपयुक्त सभी प्रकार की बदली हुई मनोवत्ति का व्यापारिया की ईमानदारी पर प्रभाव पडे बिना नहीं रह सका। जहां मारवाडी व्यापारी पहले अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वही लोग अब अग्रेज व्यापारिया और अधिकारियो, जो यन केन प्रकारेण धन कमाने के प्रयत्न मे थे, के सम्पक म आकर उनका अनुसरण करन लगे। अनेक व्यापारी अपना माल मिलावट करके बेचन लगे। ऊन व जूट के व्यापारी बढिया माल के साथ घटिया माल मिलाकर उसका निर्यात

करने लगे। बीकानेर राज्य म ऊन के व्यापारियो द्वारा विदशो म भेजी जाने वाली ऊन म मिलावट करने के कारण विदेशा म बीकानेरी ऊन की माग घट गई।[20] किसी वस्तु के ऊचे भाव वसूल करना एक साधारण बात हो गई। इन्ही म से जो व्यापारी लेन-देन व साहूकारी का धन्धा करते थे, उन्होने भी मनमाना ऊची दर पर सूद वसूल करना शुरू कर दिया। राज्य म व्यापारियो द्वारा 15 से 24 प्रतिशत ब्याज लेना एक साधारण बात हो गई थी।[21] फलस्वरूप समस्त भारत म जहा जहा मारवाडी व्यापारी अपने अपने वाणिज्य व्यापार म सलग्न थे वहा जन साधारण की दष्टि मे घणित हो गय और समस्त भारत मे समय समय पर मारवाडी व्यापारियो की आलोचना होने लगी।

सन्दभ

1 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृष्ठ 84-86, बनर्जी, प्रजानन्द, डा०—कलकत्ता एण्ड इटस हिण्टरलैण्ड, (1833-1900), पृ० 121
2 महाराजा सरदारसिह द्वारा राज्य के व्यापारियो और मुत्सद्दियो को दिया आदेश, सवत 1909 मिती काती सुद 13 (रा०रा०अ०) इस सम्बन्ध मे विस्तार से जानकारी के लिए देखे मेरा लेख 19 वी सदी म बीकानेर राज्य के सेठ साहूकारो के लिए लिखी आचार सहिता (अमल दस्तूर), राजस्थान भारती, अक 2, अप्रैल जून, पृ० 31-33 (शादुल राजस्थानी रिसच इन्स्टीच्यूट, बीकानेर)
३ वही, चूरू के मोहता सोमदत्त का खेतडी के राजा बख्तावरसिह को लिखा पत्र, सवत 1884, मिती पोह बद 4, मर श्री, अक 2-3, सन् 1980 पृ० 24, चूरू मण्डल का शोधपूण इतिहास प० 460
4 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 321, हेमिल्टन सी० जे०—दी ट्रेड रिलेशन्स बिटविन इग्लैण्ड एण्ड इण्डिया (1600 1896), पृ० 56 58
5 अग्रवाल, गोविन्द—वाणिज्य-व्यापार मे मुनीम गुमाश्तो की भूमिका, प० 22 23
6 देखें मेरा लेख—"सोर्सेज ऑन इन्श्योरेन्स बिजनेस इन राजस्थान (19 वी सदी)" प्रोसिडिंग्स आफ इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस, वदमान सेसन, 1983
7 इस सम्बन्ध मे व्यापारी वग का राज्य के शासको के साथ सबध तथा राज्य मे एक प्रभावशाली वग के रूप मे विकास सबधी अध्याय म व्यापारियो को मिले विशिष्ट विशेषाधिकार द्रष्टव्य हैं। अधिक जानकारी के लिए देखे मेरा लेख 19वी सदी मे व्यापारी वग को प्राप्त विशेषाधिकार, राज० इतिहास काग्रेस प्रा० वाल्यूम X, उदयपुर अधिवेशन,
8 देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 551
9 बीकानेर व राजस्थान के अन्य राज्यो के फाटका करने वाले प्रमुख व्यापारियो मे सेठ सूरजमल नागरमल, पन्ने चन्दसिघी व सेठ कन्हैयालाल लोहिण, सेठ हरदत्त चमडिया, जुगलकिशोर बिडला व सेठ घनश्यामदास बिडला, जोवनमल चदनमल बगानी मगनीराम रामकुमार बानड तथा केशोराम पोद्दार, श्रीलाल चमडिया, ज्वालाप्रसाद भरथिया व रामसहायमल मोर के नाम उल्लेखनीय है सर, ए० के०—डायमण्ड जुबली दी कलकत्ता स्टोक एक्सचेन्ज, 1908 1963 (कलकत्ता, 1968), पृ० 41 43, एडवड स, एस० एम०—दी गजेटियर ऑफ बाम्बे सिटी एण्ड आइसलैंड-1, पृ० 299 300
10 कलकत्ता मे अधिकाश मारवाडी व्यापारी विलायती कपडे व पीस गुडस के व्यापार मे सलग्न थे रिपोट आफ दी बगाल चेम्बर ऑफ कामर्स, 1 नवम्बर, 1864 से 30 अप्रैल, 1865 (3 जनवरी 1865 का

सचिव, बगाल चेम्बर आफ कामस को लिखा पत्र)

11 चाद (मारवाडी अक) नवम्बर, 1929, पृ० 209-210

12 विद्यालकार, सत्यदेव—एक आदश समत्व योगी, पृ० 63 69, माहेश्वरी जाति का इतिहास, पृ० 307

13 यह प्रतिस्पर्द्धा शादी विवाह एव मृत्यु भोजा पर अधिकाधिक धन खच करन में हुआ करती थी। कलदार रुपया की चोकी की विस्तृत जानकारी के लिए देखें आई० सी० एच० आर० द्वारा आयोजित डमाग्राफिक मोबीलिटी एण्ड सोसल इक्युलिब्रियम इन वेस्टन इण्डिया (इतिहास विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 1983), सेमीनार मे मेरे द्वारा पढा गया पत्र ' 19वी सदी मे मारवाडी व्यापारियो के बदलते मूल्य।"

14 कजदार साहूकारो की दादरसी का एक्ट, रियासत बीकानेर एक्ट, न० 4, सन 1929 ई०, व्यापारिक झगडा का एक्ट रियासत बीकानेर एक्ट, न० 2 सन् 1931 (रा० रा० अ०)

15 स्टट कौंसिल, बीकानेर सन् 1923 ई०, न ए 48, पी० एम० ऑफिस, बीकानर, सन 1930 ई०, न० बी 1083 84, 1938, न ए 1275-86, 1934, न० बी 514

16 रेवेन्यू डिपार्टमेट, बीकानेर, सन् 1919 न० बी-1970, स्टेट कौंसिल, बीकानेर, 1923, न० ए 413 429, पृ० 55 59, पी० एम० ऑफिस, बीकानेर, 1931, न० ए-798 809, पृ० 5 (रा० रा० अ०), मोदी बालचन्द—दश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, पृ० 572

17 बनर्जी—कलकत्ता एण्ड इट्स हिन्टरलड (1833 1900), पृ० 122

18 रिपोट ऑन पालिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी राजपूताना स्टेटस, 1879 1880, पृ० 285 286, बीकानर एडमिनिस्टेशन रिपोर्ट, 1904 1905, 1905-1906, पृ० 12 व 6, (रा० रा० अ०)

19 माहेश्वरी समाज मे 'कोलवार प्रकरण' आपसी घडेबदी का स्पष्ट उदाहरण है जिसके कारण यह समाज वर्षो तक दो धडो मे बटा रहा। 1928 ई० के पश्चात ही इनमे एकता हो सकी विद्यालकार, सत्यदव—एक आदश समत्व योगी, प० 79

20 विस्तृत व्याख्या के लिए मानपुरा से प्रकाशित अग्रवाल, ओसवाल एव माहेश्वरी जाति के इतिहासो म बीकानेर क्षेत्र की फर्मो का परिचय द्रष्टव्य है, अग्रवाल, गोविन्द—वाणिज्य व्यापार मे मुनीम गुमाश्ते की भूमिका पृ० 53 56

21 फोर डीकेडस ऑफ प्रोग्रेस इन बीकानर, पृ० 110

22 रिपोट आफ बीकानेर बैंकिग इनक्वायरी कमेटी, पृ० 109

परिशिष्ट 6

भारत की अग्रेज सरकार व बीकानेर के शासक महाराजा गगासिह द्वारा सम्मानित राज्य के व्यापारी

सम्मान प्राप्त करने वाले का नाम	दिनाक
राजा का निजी सम्मान	
1 राय बहादुर सेट सर, विश्वेश्वरदास डागा के० सी० आई० ई०, बीकानेर	14 2 1938

ताज़ीम का पतृक सम्मान पाने वाले — 24 9 1912

2 भैरूदान भमाली, सरदारशहर

ताज़ीम का व्यक्तिगत सम्मान पाने वाले — 30 9 1941

3 सेठ बदरीदास डागा, बीकानेर — 19 10 1942

4 रायबहादुर सेठ नरेन्द्रसिंह डागा, बीकानेर — 19 10-1942

5 सेठ रामनाथ डागा, बीकानेर — 3 12-1943

6 सेठ कुशालचन्द डागा — 20 10 1922

7 मेहता केसरी सिंह बैद — 25-10 1917

8 सेठ पूरन चन्द भमाली, सरदारशहर

सोने का कड़ा और लंगर का पतृक सम्मान पाने वाले — 24 9 1912

9 भैरूदान भमाली, सरदारशहर — 25 10 1917

10 सेठ पूरनचन्द भमाली, सरदारशहर — 15 10 1918

11 सेठ गनपतराय केदारनाथ झुनझुनुरिया (राजगढ़ के चौधरी) — 15 10-1918

12 सेठ पन्नालाल बैद, चूरू

सोने के कड़े का पैतृक सम्मान — 6-10-1927

13 सेठ बजरंगदास टीकमाणी, रामगढ़ — 6-10 1927

14 सेठ शिवप्रताप टीकमाणी, राजगढ़ — 6 10-1927

15 सेठ रामनारायण टीकमाणी, राजगढ़ — 6-10 1927

16 सेठ हीरालाल रामपुरिया — 6 10 1927

17 सेठ शेखरचन्द नथमल रामपुरिया — 6-10 1927

18 सेठ भवरलाल रामपुरिया — 28 9 1933

19 सेठ निहालचन्द सरावगी लालगढ़ तहसील सुजानगढ़ — 7-10 1935

20 रायबहादुर सेठ हजारीमल दूधवेवाला — 7 10-1935

21 रायबहादुर सेठ रामेश्वर नाथननी — 3 10-1937

22 सेठ थानमल मुनोत, बीदासर — 30 9 1941

23 सेठ पमचन्द खजांची, बीकानेर — 19 10 1942

24 रायबहादुर सेठ नरसिंहदास डागा, बीकानेर — 19 10-1942

25 सेठ बदरीदास जी डागा, बीकानेर — 19 10 1942

26 सेठ रामनाथ डागा, बीकानेर — 19 10 1942

27 सेठ राधाकिशन मेहता, बीकानेर

सोने के कड़े का व्यक्तिगत सम्मान — 9-10-1932

28 सेठ भैरूदान दूगड़, बीदासर — 9-10 1932

29 सेठ थानमल, बीदासर — 17-10 1934

30 सेठ कुशालचन्द डागा — 30 9 1941

31 सेठ बदरीदास डागा, बीकानेर

सोने की छडी और चादी की चपरास का पतृक सम्मान

32 सेठ पूरनचन्द मसाली, सरदारशहर 25 10 1917

सोने की छडी और चादी की चपरास का सम्मान

33 सेठ पन्नालाल बैंद, चूरू 15 10 1918
34 रायबहादुर सेठ सर बिश्वेसरदास डागा, के० सी० आई० ई० 17 10 1934

सोने की छडी का सम्मान

35 भैरूदान भसाली, सरदारशहर 24 9 1912
36 रायबहादुर सेठ हजारीमल दूधवेवाला 24 10 1936
37 सेठ बदरीदास डागा बीकानेर 30 10 1937
38 सेठ चिरजीलाल बाजोरिया रतनगढ 30 10 1937
39 सेठ ईसरचन्द चोपडा, गगाशहर 30 10 1937
40 सेठ मदनगोपाल दम्माणी, बीकानेर 30 10 1937
41 सेठ सूरजमल, वशीधर और बैजनाथ जालान, रतनगढ 30 10 1937
42 सेठ थानमल मुनोत, बीदासर 22 10 1939
43 राय बहादुर सेठ नरसिंहदास डागा बीकानेर 19 10 1942
44 सेठ रामनाथ डागा, बीकानेर 19 10 1942
45 सेठ मथरादास जी मोहता, बीकानेर 19 10 1942
46 सेठ सोहनलाल मूथिया, मीनासर 19 10 1942

चादी की छडी का सम्मान

47 रामलाल किशनलाल पचीसिया, नोहर 24 9 1912
48 सेठ जवाहरमल खेमका रतनगढ 17-10 1915
49 सेठ गनपतराय केदारनाथ फतेहपुरिया चौधरी, रतनगढ 17-10 1915
50 सेठ मथरादास मोहता 16 10 1926
51 सेठ निहालचन्द सरावगी, लालगढ गाव, तहसील सुजानगढ 30 10 1937
52 सेठ थानमल मुनोत, बीदासर 30 10 1937
53 सेठ चम्पालाल बाठिया, बीकानेर 22 10 1939
54 सेठ पेमचन्द खजाची, बीकानेर 30 9 1941
55 सेठ गोपालचन्द माहता, बीकानेर 19-10 1948

चादी की छडी और चादी की चपरास का सम्मान

56 सेठ बजरगदास टीकमाणी, राजगढ 6 10 1927
57 सेठ भगतराम टीकमाणी, राजगढ 6 10 1927
58 सेठ फूलचन्द टीकमाणी, राजगढ 6 10 1927
59 सेठ हीरालाल रामपुरिया 6 10 1927

	6 10 1927
60 सेठ सीतारचन्द नथमल रामपुरिया	6-10 1927
61 सेठ भवरलाल रामपुरिया	6 10 1927
62 सेठ मूलचन्द कोठारी, चूरू	9 10 1932
63 सेठ भैरूदान दुगड, बीदासर	9 10 1932
64 सेठ थवरमल जसवन्तमल और जगन्नाथ, हिम्मटसर	28 9 1933
65 सेठ घनश्यामदास सरावगी, लालगढ गाव, तहसील सुजानगढ	17-10 1934
66 रायबहादुर सेठ नरसिंहदास डागा	17-10 1934
67 सेठ बदरीदास डागा	17 10 1934
68 सेठ रामनाथ डागा	17 10 1934
69 सेठ ईसरचन्द चोपडा, गगाशहर	17 10 1934
70 सेठ पूरनचन्द चोपडा, गगाशहर	17 10 1934
71 सेठ तेजमाल चोपडा, गगाशहर	17 10 1934
72 सेठ हमराज चोपडा, गगाशहर	17 10 1934
73 सेठ लूणकरन चोपडा द्वितीय पुत्र स्व० सेठ चुन्नीलाल चोपडा गगाशहर	17 10 1934
74 सेठ नेमचन्द चोपडा, सबसे छोटा पुत्र स्व० सेठ चुन्नीलाल चोपडा गगाशहर	7-10 1935
75 रायबहादुर सेठ हजारीमल दूधवेवाला	7 10 1935
76 रायबहादुर सेठ रामश्वर नाथानी	7 10 1935
77 सेठ मदनगोपाल दम्माणी	30 10 1935
78 सेठ घनश्यामदास गाडिया, सरदारशहर	30 10 1937
79 सेठ मूलचन्द भेमानी, बीकानेर	30 10 1937
80 सेठ फूसराज दुग्गड, सरदारशहर	30 10 1937
81 सेठ प्रतापमल रगलाल, केदारमल और गगाधर बगरिया सुजानगढ	30 9 1941
82 सेठ लेहरचन्द और जुगराज सठिया, बीकानेर	19 10 1942
83 सेठ भैरूदान कोठारी, बीकानेर	
सालदक्का और शिरोपाव का सम्मान	6 10 1916
84 सेठ बालचन्द पूरनमल डागा, डूगरगढ	6 10 1916
85 सेठ गिरधारीलाल अग्रवाल, सरदारशहर	6-10 1916
86 सेठ गनपतराय तनसुखराय फतेहपुरिया चौधरी, राजगढ	6 10 1916
87 रामचन्द्र बामवाला अग्रवाल, सुजानगढ	19 10 1925
88 लक्ष्मीचन्द शिवदास माहता, बीकानेर	19 10 1925
89 दिलसुखराय लोहारीवाला, भादरा	19 10 1925
90 सागरमल जोहरीमल वैद, चूरू	19 10 1925
91 बजरगदास टीकमाणी, राजगढ	19 10 1925
92 जेसराज अग्रवाला दूधवा, सरदारशहर	19 10 1925
93 सुखदेवदास रामप्रसाद जाजोदिया और हजारीमल अग्रवाल, सुजानगढ	27 9 1925
94 तनसुखराय, फतहपुरिया, राजगढ	

95 सेठ मथरादास मोहता 27 9 1925
96 भैरूदान भसाली, सरदारशहर 16 10 1926
97 पन्नालाल शारदा, सरदारशहर 16-10 1926
98 रामजीदास अग्रवाल, राजगढ 16-10 1926
99 दिलसुखराय अग्रवाल, भादरा 16 10 1926
100 कालूराम मलाना, भादरा 16-10 1926
101 मन्दराम सरदारमल महाजन, नापासर 16 10 1926
102 भूपतराम ब्राह्मण, लूणकरणसर 16 10 1926
103 मूलचन्द मदनचन्द कोठारी, चूरू 16-10 1926
104 बदरीदास खेमका, चूरू 16-10 1926
105 सेठ भगतराम बजरंगदास और फूलचन्द टीकमाणी, राजगढ 24 10 1928
106 सेठ तनसुखराय फतहपुरिया, राजगढ 24-10 1928
107 सेठ बलदेवदास जुगलकिशोर बरडिया, पिलानी 24 10 1928
108 सेठ रामकिशनदास गाराडिया, सुजानगढ 24 10 1928
109 सेठ गोवर्द्धनदास पडीवाल, छापर 9 10 1933
110 सेट गोविन्दराम नाथा, छापर 9 10 1933
111 सेठ बिरजलाल रामेश्वरलाल गनेरीवाला, रतनगढ 9 10 1933
112 सेठ चिमनीराम भरतिया, चूरू 28 10 1933
113 सेठ रामजीदास धानुका, रतनगढ 28 9 1933
114 नानूराम महाजन, सीधमुख 28 9 1933
115 चोधरी रामरख, गाव धीरवास 28 9 1933
116 सठ गोविन्दरास पडीवाल, छापर 17 10 1934
117 सेठ बिरजलाल रामेश्वरलाल गनेरीवाला, रतनगढ 9 10 1933
118 सठ चिमनीराम भरतिया, चूरू 28 9 1933
119 सेठ रामजीदास धानुका, रतनगढ 28 9 1933
120 सेठ नानूराम महाजन, सीधमुख 28 9 1933
121 चोधरी रामरख धीरवास 28 9 1933
122 सठ गोविन्दराम पेडीवाल, छापर 17 10 1934
123 सठ बालाबक्श अग्रवाल, सरदारशहर 17 10 1934
124 सेठ रुक्मानन्द राधाकिशन बागला, चूरू 7-10 1935
125 सेठ चिरजीलाल बाजोरिया, रतनगढ 25 10 1936
126 सेठ हरलाल पेडीवाल, सरदारशहर 25 10 1936
127 सठ रामरतनदास बागरी, मेम्बर, बीकानेर लेजिस्लेटिव असेम्बली 30 10 1937
128 सेठ ब्रह्मदत्त, रतनगढ 30 10 1937
129 सेठ लाधूराम शिवचन्द राय सुरजमल और गनपतराम 30 10 1937
130 सेठ बहादुर सेठ रामेश्वरलाल, दूधवाखारा 10 10 1940
131 सेठ सूरजमल सागरमल पसारी, सुजानगढ 10 10 1940

	10 10 1940
132 सेठ सूरजमल मोहता, राजगढ	10 10 1940
133 सेठ नौरगराय किशनदयाल अजीतसरिया, रतनगढ	10 10 1940
134 सेठ मगूलाल तापडिया, रतनगढ	10 10 1940
135 सेठ हनुमान प्रसाद पोद्दार, रतनगढ	——
136 सेठ जेठमल बाथरा, लूणकरणसर	30 9 1941
137 सेठ मूलचन्द बोथरा, लूणकरणसर	30 9 1941
138 सेठ लक्ष्मीनारायण	30 9 1941
139 सेठ बदरीनारायण	30 9 1941
140 सेठ मुरलीधर मूदडा, देशनाक	19 9 1942
141 सेठ गोपालदास मोहता, बीकानेर	3-12 1943
142 सेठ चाद रतनदास बागरी, बीकानेर	

खास रुक्के का सम्मान	6 10-1927
143 सेठ हीरालाल रामपुरिया	6 10 1927
144 सेठ मूलचन्द मदनचन्द कोठारी, चूरू	6 10 1927
145 सेठ सागरमल जाहरीमल बैंद, चूरू	6 10 1927
146 सेठ चनरूप सम्पतराम दुग्गड, सरदारशहर	6 10 1927
147 सेठ भरूदास ईसरचन्द चौपडा, गगाशहर	6 10 1927
148 सेठ मौजीराम पन्नालाल बाठिया, भीनासर	6 10 1927
149 सेठ तनसुखदास, फूसराज और मानीराम दुग्गड, सरदारशहर	6 10 1927
150 सेठ रामगोपाल शिवरतनदास मोहता	6 10 1927
151 सेठ अगरचन्द भरूदास सेठिया	6 10 1928
152 सेठ सुमेरमल बुद्धमल दुग्गड, सरदारशहर	13-10 1929
153 सेठ (जस्टिस) लक्ष्मीनारायण प्यूनिक जज, हाईकोट	25 10 1936
154 सेठ मदनगोपाल बागला, चूरू	25 10 1936
155 सेठ रायबहादुर सेठ हजारीमल दूधवेवाला	30 10-1937
156 सेठ बन्शीदास डागा, बीकानेर	30 10-1937
157 राय बहादुर सेठ हजारीमल दूधवे वाला	30 10 1937
158 सेठ सुमेरमल बुद्धमल दुग्गड, सरदारशहर	22 10 1939
159 राय बहादुर सेठ हजारीमल और सेठ रामेश्वरदयाल दूधवेवाला	22 10 1939
160 रायबहादुर सेठ हजारीमल और सेठ रामेश्वरलाल दूधवेवाला	22 10 1939
161 सेठ मोहनलाल बैंद, रतनगढ	19 10 1942
162 सेठ दाऊराज थवर, नापासर	3-12-1943
163 राय बहादुर सेठ आशाराम, रुघलाल झवर, डूगरगढ	

चादी की चपरास का सम्मान	24 9 1942
164 भरूदान भसाली, सरदारशहर	

165	रामलाल किशनलाल पचीसिया, नोहर	24 9 1942
166	दूलीचन्द गजानन्द नेवर, नोहर	24 9 1942
167	सेठ नवरलाल खेमका रतनगढ	17 10 1915
168	सेठ गनपतराय केदारनाथ फतहपुरिया चौधरी, रतनगढ	17 10 1915
169	सेठ सागरमल जवरीमल वैद, चूरू	13 10 1929
170	मथरादास मोहता बीकानेर	30 10 1937
171	सेठ लक्ष्मणदास डागा, बीकानेर	30 10 1937
172	सेठ चिरजीलाल बाजोरिया रतनगढ	30 10 1937
173	सेठ चम्पालाल बाठिया, भीनासर	30 10 1937
174	सेठ सूरजमल, वसीधर, वैजनाथ जालान, रतनगढ	30 10 1937
175	सेठ थानमल मुनोत बीदासर	22 10 1939
176	सेठ सोहनलाल बाठिया, भीनासर	19 10 1939

शिरोपाव का सम्मान

177	सेठ पूनमचन्द नेहता, भाऊसरा	30 10 1937
178	सेठ दुलीचन्द मानकचन्द नेवर, नोहर	30 10 1937
179	सेठ बुद्धरमल, हजारीमल, मडी गगानगर	30 10 1937
180	सेठ सोहनलाल चौधरी चक न० 10 जैड गगानगर	30 10 1937

कैफियत का सम्मान

181	भैरूदान भसाली, सरदारशहर	4 9 1912
182	रामलाल किशनलाल पचीसिया, नाहर	4 9 1912
183	दुलीचन्द गजानन्द नेवर नाहर	4 9 1912
184	स्व० सेठ सदासुख कोठारी, बीकानेर	4 9 1912
185	सेठ कस्तूरचन्द कोठारी बीकानेर	4 9 1912
186	सेठ गनपतराय फतेहपुरिया चौधरी, राजगढ	6 10 1916
187	सेठ पन्नालाल वैद, चूरू	15 10 1918
188	सेठ हीरालाल रामपुरिया	24 10 1928
189	भवरलाल रामपुरिया	24 10 1928
190	शेखरचन्द रामपुरिया	24 10 1928
191	नथमल रामपुरिया	24 10 1928
192	सेठ भगतराम टीकमाणी, राजगढ	24 10 1928
193	सेठ फूलचन्द टीकमाणी, राजगढ	24 10 1928
194	सेठ बजरगदास टीकमाणी, राजगढ	24 10-1928
195	सेठ भैरूदान ईसरचन्द चौपडा, गगाशहर	24 10-1928
196	सेठ रामरतनदास बागडी, बीकानेर	13 10 1929
197	सेठ गुमरमल बायरा, बीकानेर	13-10 1929

	13 10 1929
198 सेठ तनसुखराय दुगड, सरदारशहर	13 10 1929
199 सेठ फूसराज दुगड, सरदारशहर	13-10 1929
200 सेठ बीजराज दुगड, सरदारशहर	13 10 1929
201 सेठ मूलचन्द कोठारी, चूरू	13 10 1929
202 सेठ मदनचन्द कोठारी, चूरू	13 10 1929
203 सेठ मालचन्द कोठारी, चूरू	13 10 1929
204 सेठ सुरजमल, रतनगढ	13-10 1929
205 सेठ नागरमल, रतनगढ	13 10-1929
206 सेठ तेजमल चोपडा, गगाशहर	13 10 1929
207 सेठ पूरन्चन्द चोपडा, गगाशहर	13 10 1929
208 सेठ हेमराज चोपडा, गगाशहर	13 10 1929
209 सेठ चुन्नीलाल चोपडा, गगाशहर	13 10 1929
210 सेठ कानीराम बाठिया	28 9 1933
211 सेठ मोतीलाल डागा, डूगरगढ	17 10 1934
212 सेठ बहादुर सेठ नरसिंहदास डागा	17-10 1934
213 सेठ बदरीदास डागा	17 10 1934
214 सेठ रामनाथ डागा	7-10 1935
215 सेठ मदनगोपाल दम्मानी	7 10 1935
216 सेठ गनशदास गाडिया, सरदारशहर	7 10 1935
217 सेठ विरधीचन्द गोडिया, सरदारशहर	7 10 1935
218 सेठ जसवन्त, हिम्मतसर (सुरपुरा)	7 10 1935
219 सेठ जगन्नाथ, रमतासर (सुरपुरा)	7 10 1935
220 सेठ लक्ष्मणदास डागा	2 10-1936
221 सेठ बहादुर सेठ हजारीमल दूधवेवाला	25 10 1936
222 सेठ आशाराम राठी, बीकानेर	25-10 1936
223 सेठ शिवबक्स बागडी, बीकानेर	25 10 1936
224 सेठ चम्पालाल बाठिया, भीनासर	30 9 1941
225 सेठ पूनमचन्द खजाची, बीकानेर	30 9-1941
226 सेठ लहरचन्द सेठिया, बीकानेर	30-9 1941
227 सेठ जुगराम सेठिया, बीकानेर	30 9 1941
228 सेठ थानमल मुनोत, बीदासर	30 9 1941
229 सेठ भरूदान कोठारी, बीकानेर	30 9 1941
230 सेठ सोहनलाल बाठिया, भीनासर	30 9 1941
231 सेठ तिलोकचन्द दुगड, बीकानेर	

सनद का सम्मान (योग्यता प्रमाणपत्र)	6 10 1916
232 राय साहब सेठ मूलचन्द कोठारी, बीकानेर	

233	गोविन्दराम नेयता, छापर	6-10 1916
234	जालिमचन्द ओसवाल, भीनासर	6 10 1916
235	बंशीधर जोशी, रतनगढ	6 10 1916
236	देवीदत्त भादरा	6 10 1916
237	तनसुख अग्रवाल, सरदारशहर	6 10 1916
238	कुंजमाली, सरदारशहर	6-10 1916

सनद का प्रथम श्रेणी का सम्मान

239	रामकिशन दास गोरोडिया, सुजानगढ	25 10 1917
240	विलासराय अग्रवाल चौधरी, रतनगढ	25 10 1917
241	रामप्रसाद अग्रवाल जाजोदिया, सुजानगढ	25-10 1917
242	खजांची पेमचन्द ज्वेलर, बीकानेर	25 10 1917
243	सेठ भागीरथ मोहता	25 10 1917, 30 9 1941
244	सेठ राधाकिशन मोहता	25 10 1917
245	सेठ मोहनलाल मोहता	25 10 1917
246	सेठ सदासुख गंभीरचन्द कोठारी	25 10 1917
247	सेठ बुलाकीदास कोठारी	25 10 1917
248	सेठ लिखमीचन्द मोहनलाल मोहता	25-10 1917
249	सेठ मूलचन्द शिवकिशनदास अग्रवाल	25-10 1917
250	श्री किशनदास जीथमल अग्रवाल	30 9 1941
251	श्री जुगलकिशोर शिवरतन कोठारी	30 9 1941
252	सेठ जीवनराम गंगाराम मिन्नी	30 9 1941
253	सेठ करणीदान रावतमल कोठारी	30 9 1941
254	सेठ नवलकिशोर माणकलाल डागा	30 9 1941
255	कन्हैयालाल डागा	30 9 1941
256	हरसुखदास बालकिशन डागा	30 9 1941
257	सेठ बालमुकन्ददास डागा	30 9 1941
258	सेठ बालमुकन्ददास रामपत डागा	30 9 1941
259	सेठ शिवकिशन डागा	30 9 1941
260	सेठ प्रतापदास मदनगोपाल कोठारी	30 9 1941
261	सेठ भीखमचन्द सुगनचन्द बागडी	30 9 1941
262	सेठ चांदरतनदास बागडी	30 9 1941
263	सेठ प्रयागदास मथरादास बागडी	30 9 1941
264	सेठ पुरुषोत्तमदास नरसिंहदास बिनाणी	30 9 1941
265	सेठ प्रयागदास गिरधरदास बिनाणी	30 9 1941
266	सेठ मेघराज कन्हैयालाल मुंदरा	30 9 1941
267	सेठ लक्ष्मणदास अमरचन्द सादानी	30 9 1941

268 सेठ रामरतनदास प्रेमरतनदास दम्माणी	30 9 1941
269 सेठ रामगोपाल चाडक	30 9 1941
270 सेठ जयसिंहदास डागा	30 9 1941
271 सेठ रावतमल भैरूदान सेठिया	30 9 1941
272 सेठ शिवदास गिरधरदास बिन्नानी	30 9 1941
273 सेठ हनुतराम मगलदास सारडा	30 9-1941
274 सेठ मूलचन्द बुलाकीदास कोठारी	30 9 1941
275 सेठ जयकिशनदास हरीकिशनदास हनुमानदासमल	30 9 1941
276 सेठ सुखो असार राम माधोदास कोठारी	30 9 1941
277 सेठ लक्ष्मीचन्द मेघराज माहुता	30 9 1941
278 सेठ जोथरमल हरदवदास डागा	30 9 1941
279 सेठ शिवलाल मदनगोपाल झवर	30 9 1941
280 सेठ जयदयाल खूबचन्द गोयनका, चूरू	30 9 1941
281 सेठ किशनदास, बीकानेर	30 9 1941

सनद का द्वितीय श्रेणी का सम्मान

282 सेठ गोविन्दराम रामगोपाल पोद्दार, रतनगढ	25 10 1917
283 सेठ झवरमल बजाज, हिम्मतसर	30 9 1941
284 सेठ मालचन्द मन्त्री, चूरू	30 9 1941
285 सेठ सोहनलाल गगानगर	30 9 1941
286 सेठ कन्दोई फतेहचन्द, सुजानगढ	30 9 1941
287 सेठ बालकिशन मरदा, चूरू	30 9 1941
288 सेठ हजारीमल पेरीवाल महेन्द्रपुरिया	30 9 1941
289 सेठ माधोप्रसाद, चूरू	30 9-1941
290 सेठ मालचन्द ढडढा, तारानगर	30 9-1941
291 सेठ छबीलदास रोशनलाल, गगानगर	30 9-1941

राजस्व एव न्यायिक न्यायालयो मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की छूट का सम्मान

292 सेठ ईसरचन्द चौपडा, गगाशहर	7-10 1935

राजस्व एव न्यायिक न्यायालयो मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की छूट का पत्रक सम्मान

293 सेठ सुमरमल बुद्धमल दुगड, सरदारशहर	30 10 1937

नाम के आगे 'जी' लगाने का सम्मान

294 सेठ बैजनाथ जालान, रतनगढ
295 सेठ बशीधर जालान, रतनगढ
296 सेठ विरधीचन्द गाडियाम, सरदारशहर
297 सेठ विरधीचन्द गाधी, सरदारशहर

298 सेठ चम्पालाल कोठारी, चूरु
299 सेठ दाऊदयाल कोठारी, बीकानेर
300 सेठ हेमराज चोपडा गगाशहर
301 सेठ ईसरचन्द चोपडा, गगाशहर
302 सेठ मगनमल कोठारी बीकानेर
303 सेठ मगनगोपाल दम्माणी, बीकानेर
304 सेठ मथरादास मोहता, बीकानेर
305 सेठ फूसराज दुग्गड, सरदारशहर
306 सेठ पूरनचन्द चोपडा, गगाशहर
307 सेठ रामरतनदास बागडी, बीकानेर
308 सेठ रूघलाल आचलिया, सरदारशहर
309 सेठ शिवरतन मोहता, बीकानेर
310 सेठ तेजमाल चोपडा, गगाशहर
311 सेठ सूरजमल जालान के सबसे बडे पुत्र, रतनगढ

घरू सामान के आयात करने पर जगात मे छूट का सम्मान

312 सेठ थानमल जी मुनोत, बीदासर

स्रोत—पी० एम० आफिस, बीकानेर, 1941 न० 7 (रा० रा० अ०)

सन्दभ सामग्री

अप्रकाशित शोध-सामग्री

(क) राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

(अ) बीकानेर बहियात

(1) जगात बही

मण्डी री जगात बही, सवत 1805 न० 4
मण्डी रे साहे री बही, सवत 1806, न० 5
जगात री बही, सवत 1807, न० 7
श्री गजसिहपुरे री जगात बही, सवत 1815, न० 10
श्री मण्डी रे खाता तेरी बही, सवत 1818, न० 12
जगात री बही, सवत 1821, न० 17
लूण रे जगात री बही, सवत 1826, न० 23
जगात री बही, सवत 1829, न० 25

श्री मण्डी रे जमाखरच री बही, सवत 1831, न० 31
मण्डी रे जगात री बही, सवत 1831, न० 32
चूरू री जगात री बही, सवत 1832, न० 33
श्री मण्डी री जगात री बही, सवत 1834, न० 37
श्री मण्डी रा जमाखरच, सवत 1834, न० 35
श्री मण्डी रे जमाजोड री बही, सवत 1834
मण्डी री सावा बही, सवत 1834
जगात रो चोपनिया, सवत 1840, न० 42
बीकानेर रे तालके री मण्डी रो जमाजोड, सवत 1840, न० 43
श्री मण्डी रो जमाखरच, सवत 1840, न० 44
श्री मण्डी रो जमाजोड, सवत 1840, न० 45
लूणकरणसर रे जगात री बही, सवत 1841, न० 46
श्री मण्डी री जगात री सावो, सवत 1843, न० 48
ऊन रे लुवारा रे जगात री बही, सवत 1844, न० 53
श्री मण्डी रे जमाखरच री बही, सवत 1846, न० 54
सावा बही, राजगढ, सवत 1847-57, न० 65
श्री मण्डी रो जमा खरच, सवत 1856, न० 63
राजलदसर री जगात री बही, सवत 1856, न० 64
मगरे री खारी पट्टी री जगात री बही, सवत 1858, न० 66 67
श्री मण्डी री जगात रो लेखो, सवत 1858, न० 69
बही नवी जगात रे लेखे री, सवत 1859, न० 74
बही खारी पट्टी मगरे री जगात री, सवत 1859, न० 75
बही श्री रतनगढ र दुकाना गुवाडा री, सवत 1860
राजगढ रे थाणे रो जमाखरच, सवत 1861, न० 82
बही साहूकारा र माप री, सवत 1861
सूरतगढ रे जगात रा लखा, सवत 1862, न० 87
फलोधी रे थाणे रो जमाखरच, सवत 1864, न० 88
श्री मण्डी री जगात बही, सवत 1864, न० 89
बही याददास्त चोकी म जगात लिया तरी, सवत 1865, न० 92
श्री मण्डी रे उवारजे री बही, सवत 1865, न० 93
सावा बही अडी चे कानी री, सवत 1868-69, न० 105
जगात बही, सवत, 1879, न० 132
चूरू थाणे रीसावा बही, सवत 1887, न० 141
जगात बही, सवत 1887, न० 143
मण्डी रे आमदनी रे गोलक री बही, सवत 1889, न० 147
खाता बही, भादरा रे थाणे री, सवत 1891, न० 156
बही जगात गाव असरासर री चोकी री, सवत 1900, न० 184

श्री मण्डी री जगात रो लेखो, सवत 1900, न० 186
सूरतगढ रे थाणे रे जमाखरच रो खातो, सवत 1923
साहो श्री सरदारशहर रो, सवत 1923
साहो श्री सिरदारगढ थाणे रे जमाखरच रो, सवत 1923,
श्री मेट (मुल्तानी मिट्टी) री बही, सवत 1924
बही नोहर रे बहुतीबाण रे जगात री, सवत 1925
बही जगात रे सावे री, सवत 1926
श्री मण्डी रो पैदा व खरच री बही, सवत 1926
श्री मण्डी रो उवारजो, सवत 1940

(2) सावा बही

सावा बही मण्डी सदर, सवत 1802, न० 1
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1802 4, न० 3
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1810 18, न० 5
सावा वही रेणी, सवत 1814, न० 1
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1815 16, न० 8
सावा बही अनूपगढ, सवत 1818, न० 1
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1821-22, न० 10
सारा बही नोहर, सवत 1822, न० 1
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1822, न० 11
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1822, न० 12
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1824, न० 13
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1825, न० 14
सावा बही चूरू, सवत 1829, न० 1
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1831-2, न० 18
सावा वही राजगढ, सवत 1831, न० 2
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1832, न० 31
सावा बही राजगढ, सवत 1839 42, न० 4
सावा बही राजगढ, सवत 1847, न० 8
सावा बही रतनगढ, सवत 1858, न० 1
सावा बही रतनगढ़, सवत 1858 61, न० 2
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1860, न० 32
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1861-3, न० 33
सावा बही हनुमानगढ, सवत 1862 67, न० 1
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1864-5, न० 35
सावा बही सुजानगढ, सवत 1865, न० 1
सावा बही मण्डी सदर, सवत 1867, न० 39

सावा वही अनूपगढ, सवत 1868, न० 8
सावा बही चूरू, सवत 1871, न० 2
सावा वही रतनगढ, सवत 1875, न० 3
सावा बही भादरा, सवत 1875 85, न० 1
सावा बही सूरतगढ सवत, 1881 4, न० 4
सावा बही सुजानगढ, सवत, 1887, न० 3
सावा बही सुजानगढ, सवत, 1887-94, न० 4
सावा बही अनूपगढ, सवत, 1889, न० 12
सावा बही अनूपगढ, सवत 1890 94, न० 13

(3) कागद बही

कागद बही, सवत 1820, न० 2
कागद बही, सवत 1826, न० 3
कागद बही, सवत 1831, न० 4
कागद बही, सवत 1838, न० 5
कागद बही, सवत 1839, न० 6
कागद बही, सवत 1840, न० 7
कागद बही, सवत 1854, न० 10
कागद बही, सवत 1857, न० 11
कागद बही, सवत 1859, न० 12
कागद बही, सवत 1866, न० 15
कागद बही, सवत 1867, न० 16 व 17
कागद बही, सवत 1871, न० 20
कागद बही, सवत 1874, न० 23
कागद बही, सवत 1873, न० 22
कागद बही, सवत 1882, न० 31
कागद बही, सवत 1884, न० 33/2
कागद बही, सवत 1886, न० 35
कागद बही, सवत 1892, न० 42
अदालता रे कागदा री बही, सवत 1893, न० 43
कागद बही, सवत 1896, न० 46
कागद बही, सवत 1896, न० 46

(4) हकूब बही

रखवाली भाछ री बही, सवत 1854
रखवाली भाछ री बही, सवत 1857
घोड़ारेख री बही, सवत 1875

घोडारेख री वही, सवत 1879
घोडारेख री वही, सवत 1880
घोडारेख री वही, सवत 1881
निजराणे री वही, सवत 1882
निजराणे री वही, सवत 1883
घोडारेख वा पेशक्शी री वही, सवत 1895

(5) चिट्ठा व खत वही

खता रे नक्ल री वही सवत 1820
परचूण चिट्ठ रे नक्ल री वही, सवत 1851
वही खता वा चिट्ठा री, सवत 1880
वही खता वा चिट्ठा री, सवत 1882
वही खतां वा चिटठा री, सवत 1884
वही खता वा चिटठा री, सवत 1888
वही खता वा चिट्ठा री, सवत 1891
वही खता वा चिटठा री, सवत, 1893

(6) परवाना वही

परवाना वही, बीकानेर, सवत 1749, न० 1
वही, नकल परवाना महाराज श्री गर्जसिह जी साहबा, सवत 1749, न० 1-2
वही, परवाना सरदारान, सवत 1800 1808 न० 2/1
वही परवाना सरदारान, बीकानेर, सवत 1800 1900, न० 2/2
वही, परवाना सरदारान, सवत 1880, न० 4

(7) कमठाणा वही

वही वडे कमठाणे रो साहो, सवत 1894, न० 40
वही बडे कमठाणे रे कारीगरा मजूरा रे लेखापाड री, सवत 1896, न० 43

(8) विविध वही

पट्टा वही, बीकानेर, सवत 1753
लसकरा मु० नेणो हुण्डी मेल्यी तेरे बीगत री वही, सवत 1726, न० 241
वही मुल्तान सु घोडा खरीद क्यिा तेरी, सवत 1776,
वही साहूकारा रे गुलक री, सवत 1861
वही महाजना रे पीढीया री, सवत 1926
वही कूच मुकाम रे कागदा री सवत 1886 98, न० 1

(आ) जोधपुर बहियात

अर्जी बही, मारवाड, न० 6
सनद परवाना बही, मारवाड, सवत 1821
सनद परवाना बही, मारवाड, सवत 1840
खास रुक्का परवाना बही, मारवाड, सवत 1822 82

(इ) वेद मेहता गोपालसिंह सग्रह

वद मेहता घराने के पट्टो एव रोजगार की विगत, सवत 1855 1935
महाराजा रतनसिंह का महाराय हिन्दूमल को लिखा खास रुक्का, सवत 1886, मिती आसोज सुदी 12
मेजर थारबी का मेहता हिन्दूमल को लिखा खरीता, सवत 1897, मिती जेठ सुदी 6
वही, मिती जेठ सुदी 3
वही, मिती भादवा वदी 6
वही, मिती भादवा सुदी 15
वही, आसाढ सुदी 6
महाराजा रतनसिंह का सर जोन सदरलैंड के नाम खरीता सवत 1904, मिती फागुन सुदी 14
कप्तान जेक्सन का लिखा खरीता, सवत 1904, मिती माघ सुदी 7
महाराजकुमार सरदारसिंह का कप्तान जेकसन के नाम खरीता, सवत 1904, मिती माघ सुदी 7
महाराजा रतनसिंह का कनल लो, एजे ट, गवनर जनरल के नाम खरीता, सवत 1909, मिती चेत सुदी 3
महाराजा रतनसिंह का मेहता मूलचन्द को दिया गया साहूकारी परवाना, सवत 1905, मिती वैशाख वदी 3
महाराजा डूगरसिंह का कनल जोन ब्रुक के नाम खरीता, सवत 1930, मिती जेठ सुदी 3
मेहता छोगमल के नाम खास रुक्का, सवत 1942, मिती आसाढ सुदी 8
मेहता छोगमल के नाम खास रुक्का, सवत 1943, मिती कार्तिक वदी 12
मेहता छोगमल के नाम खास रुक्का, सवत 1944, मिती कार्तिक वदी 11

(ई) करणीदानसिंह मोहता सग्रह

दीवान मोहता माधोराय को मिला दीवानगिरी का परवाना, सवत 1834, मिती वशाख वदी 6
दीवान मोहता लीलाधर को मिला दीवानगिरी का परवाना, सवत 1888, मिती भादवा सुदी 3
दीवान मोहता वख्तावरसिंह को मिला दीवानगिरी का परवाना, सवत 1909, मिती वैशाख सुदी 2
दीवान मोहता मेघराज को मिला दीवानगिरी का परवाना, सवत 1913, मिती मगसिर वदी 11

(उ) सक्रेटेरियट रिकार्ड (अग्रेजी), बीकानेर

(1) रेवन्यू डिपार्टमेंट

रेवन्यू डिपार्टमेंट, बीकानेर, सन् 1896 98, न० 764 774/37
वही, 1915 28, न० बी 98-108
वही, 1923, न० बी 558-562
वही, 1925, न० ए 94-111

वही, 1928, न० बी-1519-1520
वही, 1929, न० 47
वही, 1930, न० बी-780 837
वही, 1931, न० बी 224-229
वही 1931, न० 695-718
वही, 1932, न० ए 1225 1335
वही, 1932, न० 2014 2022
वही, 1932, न० बी 2169-81
वही, 1933 न० ए-1 57
वही, 1933 न० बी 1725-1739
वही, 1934, न० बी 904 910
वही, 1934, न० बी 3967
वही, 1935, न० बी-3009 3023
वही, 1941, न० ए 513 627
वही, 1942 न० ए 575 590
वही, 1943 44, न० 212

(2) फाइनेन्स डिपार्टमेंट

फाइनेन्स डिपार्टमेंट, बीकानेर, सन् 1921, न० बी 709 724
वही, 1921 न० बी 737-740
वही, 1921, न० बी 1076-1077
वही, 1921 न० बी-1092 1095
वही, 1923, न० बी 317 328
वही, 1925, न० बी 1116-1168
वही, 1926, न० ए 204 210
वही, 1926, न० बी 385 398
वही 1929, न० बी 658 690
वही, 1929, न० बी 869 876
वही, 1933, न० बी 32
वही, 1935, न० बी-22
वही, 1940 न० 2

(3) प्राइम मिनिस्टर आफिस, बीकानेर

पी० एम० आफिस, बीकानेर, सन 1928, न० 1-17
वही, 1928 न० 275-280
वही, 1928, न० 310 314
वही, 1930, न० ए 235 251

वही, 1930, न० ए 487-490
वही, 1930, न० ए 857-877
वही, 1931, न० ए 156-164
वही, 1931, न० ए-798 809
वही, 1933, न० बी 351-359
वही, 1934, न० ए-1588-1597
वही, 1935, न० 682 687
वही, 1935, न० 832 841
वही, 1941, न० 7

(4) पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर

पालिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर, सन् 1896 98, न० 280 309/34
वही, 1896 98, न० 570/32
वही, 1896 98, न० 929 938/96
वही, 1899, न० 38
वही, 1916, न० 369 378
वही, 1917, न० ए-7 13
वही, 1918, न० ए 968 1105
वही, 1919, न० ए-226-255
वही, 1921, न० ए 1099 1104

(5) फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपाटमेंट, बीकानेर

फॉरेन एण्ड पालिटिक्ल डिपाटमट, बीकानेर, सन् 1911 14, न० एफ 123
वहा, 1917-1932, न० बी-255-299
वही, 1928, न० 66 (गोपनीय)
वही, 1932 न० बी 124-140
वही, 1941 44, न० 1 बी 175
वही, 1944, न० 1 बी-180
वही, 1946, न० 1 बी 199

(6) होम डिपाटमेंट, बीकानेर

होम डिपाटमेंट बीकानेर, सन् 1915, न० 40 42
वही, 1916, न० ए-18 30
वही, 1919, न० बी 1168-1204
वही, 1921, न० बी-251-256
वही, 1922, न० बी 375-380

वही, 1924, न० सी 7 (गोपनीय)
वही, 1924, न० 3499 3500
वही, 1925, न० बी 3517-3518
वही, 1926, न० वी 2330 2336
वही, 1926, न० वी 2337-2341
वही, 1927 न० 209 215
वही, 1931, न० 19
वही, 1932, न० सी 3 (गोपनीय)
वही, 1932, न० सी 13 (गोपनीय)
वही, 1932, न० सी 28 (गोपनीय)
वही, 1932, न० 704 724
वही, 1932, न० 725 806
वही 1933, न० सी-31 (गोपनीय)
वही, 1934, न० 30
वही, 1935, न० 1
वही, 1935, न० 173-177
वही, 1942, न० 2
वही, 1942, न० 45
वही, 1942, न० 48
वही, 1942, न० 60
वही, 1942, न० 75
वही, 1942, न० 77
वही, 1942, न० 87
वही 1944, न० 1
वही, 1944, न० 26
वही, 1945, न० सी II (गोपनीय)
वही, 1945, न० 83
वही, 1946, न० 12
वही, 1947, न० 36

(7) महकमाखास, बीकानेर

महकमाखास, बीकानेर, सन् 1900, न० 18
वही, 1900, न० 98
वही, 1904, न० 120
वही, 1904, न० 264
वही, 1910, न० 1501

स्वदेश वाधव समिति एण्ड अदर एसोसियेशन्स आफ बारीसाल (1905-1909), पपर न० 55
अनुशीलन समिति, एन एकाउन्ट ऑफ दी समितीज इन बगाल (1900 1908), पपर न० 63
एन एकाउन्ट आफ दी स्वदेशी मूवमन्ट (1903-1907), पेपर न० 66
एन एकाउन्ट ऑफ दी रेवोल्यूशनरी मूवमेन्ट इन बगाल पाट I व II, पेपर न० 61
ए नोट ऑन एजिटेशन अगेन्स्ट पार्टिशन ऑफ बगाल, पेपर न० 47
फोटनाइटली सीक्रेट रिपोर्ट्स ऑफ दी गवनमेट आफ बगाल, पेपर न० 31-40 (1923 33)
नेटिव पेपस इन बगाल फोर दी वीक एण्डिग दी 6 जनवरी, 1906, पपर न० 18

(ग) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

(1) पॉलिटिकल कन्सलटेशन फॉरेन डिपाटमेंट
पो० क, 10 अक्तूबर, 1818, न० 4
वही, 4 दिसम्बर, 1819, न० 8
वही, 11 माच, 1831, न० 48
वही, 10 जनवरी, 1834, न० 7-8, व 16-18
वही, 19 फरवरी, 1935, न० 20 व 34, 44 45
वही, 8 अगस्त, 1938, न० 56-58 व 59
वही 10 जुलाई, 1839, न० 37
वही, 14 अगस्त, 1839, न० 19
वही, 26 दिसम्बर 1846, न० 368-369
वही, कनल सदरलैंड रिपोट, 7 अगस्त, 1847, न० 813 814
वही, 18 फरवरी, 1848 न० 65
वही, 26 अगस्त, 1848 न० 26
वही, 3 माच, 1849, न० 15 17
वही, 15 नवम्बर, 1851, न० 68 71
वही, जुलाई, 1880, न० 186 188
वही, अक्तूबर, 1884, न० 345 349
वही, जुलाई, 1885, न० 209
वही, अप्रैल, 1887, न० 205-220(इन्टरनल ए)
वही, इ टरनल 'ए', बी प्रोसीडिन्स, दिसम्बर 1891, न० 161-171
(2) सीक्रेट कन्सलटेशन फॉरेन डिपाटमेंट
सी० क० 23 माच, 1844, न० 396 व 412 415
(3) होम डिपाटमेंट
होम डिपाटमेंट, पब्लिक 'ए' प्रोसीडिंग्स, जून, 1906, न० 17
वही, अक्तूबर, 1907, न० 50 60
होम डिपाटमट, प्रोसीडिंग्स, मई 1909, न० 135 147

ट्रेवेलियन का मिर्जामल के नाम पत्र, 27 जनवरी, 1830
महाराजा रणजीतसिंह का मिर्जामल हरभगत के नाम परवाना, माह आसाज, सवत 1885
महाराजा रणजीतसिंह का मिर्जामल के नाम परवाना, 27 माह हार, 1888
फ्रासिस वेलूर का राहदारी परवाना, 10 जून, 1822
महाराजा सूरतसिंह का पोतेदारा को लिखा खास रक्का, सवत 1877, मिती मगसिर सुदी 2
महाराजा सूरतसिंह का पोतदारा को लिखा खास रक्का, सवत 1879, मिती फागण वदी 7
पोतेदार रामरतन मिर्जामल हरभगत के नाम परवाना, सवत 1879, मिती चैत वदी 7
महाराजा सूरतसिंह का पोतदारो को लिखा खास रक्का सवत 1880 मिती वैशाख सुदी 5
महाराजा सूरतसिंह का मिजामल क नाम खास रक्का, सवत 1881, मिती माह वदी 10
महाराजा सूरतसिंह का मिजामल के नाम खास रक्का, सवत 1882, मिती वैशाख वदी 6
महाराजा सूरतसिंह का मिजामल के नाम परवाना, सवत 1882, मिती सावण वदी 3
पोतेदार मिर्जामल हरभगत के नाम दीवानी सनद, सवत 1882, मिती सावण सुदी 5
महाराजा सूरतसिंह का मिजामल के नाम खास रक्का, सवत 1882 मिती भादवा वदी 13
महाराजा सूरतसिंह का मिर्जामल के नाम इकरारनामा सवत 1882, मिती जेठ सुदी 13
महाराजा सूरतसिंह का मिजामल के नाम खास रक्का, सवत 1883, मिती पोह सुदी 1
महाराजा सूरतसिंह का मिर्जामल के नाम खास रक्का, सवत 1884, मिती आसाढ़ वदी 5
महाराजा सूरतसिंह व मिर्जामल पोतेदार व पुरोहित हरलाल के बीच ऋण पत्र, सवत 1884, मिती भादो वदी 2
महाराजा सूरतसिंह का चूरू के पोद्दारा व कोठारिया के नाम परवाना, सवत 1884 मिती भादवा वदी 6
पोतदार मिजामल व पुरोहित हरलाल के नाम दीवानी सनद, सवत 1884, मिती भादवा सुदी 4
महाराजा रतनसिंह का पोतेदार मिर्जामल हरभगत के नाम खास रक्का, सवत 1885, मिती जेठ सुदी 6
महाराजा रतनसिंह का पोतेदार मिर्जामल व पुरोहित हरलाल के नाम खास रक्का, सवत 1885, मिती भादवा वदी 7
महाराजा रतनसिंह का पातेदार मिर्जामल के नाम खास रक्का, सवत 1887, मिती आसोज सुदी 2
महाराजा रतनसिंह का पोतेदार मिर्जामल हरभगत के नाम खास रक्का, सवत 1887, मिती फागुण वदी 11
महाराजा रतनसिंह का मिर्जामल के नाम परवाना, सवत 1888, मिती चैत सुदी 1
पोतदार मिर्जामल के नाम दीवानी सनद, सवत 1888, मिती मगसिर वदी 3
महाराजा रतनसिंह का चूरू के हवलदारो के नाम परवाना, 1890 मिती काती वदी 5
पोतेदार मिर्जामल के नाम दीवानी चिटठी, सवत 1891, मिती काती सुदी 9

(ड) डागा सग्रह, बीकानेर

डागा राव अबीरचन्द के नाम परवाना, सवत 1936 मिती आसोज वदी 11
रायबहादुर कस्तूरचन्द डागा के नाम खास रक्का, सवत 1955, मिती चैत वदी 12
रायबहादुर कस्तूरचन्द डागा के नाम परवाना, सवत 1956, मिती फागुण सुदी 10
रायबहादुर कस्तूरचन्द डागा के नाम खास रक्का, सवत 1956 मिती फागुण सुदी 11
रायबहादुर कस्तूरचन्द डागा के नाम परवाना, सवत 1957 मिती आसोज सुदी 10

रायबहादुर कस्तूरचन्द डागा के नाम खास रुक्का, सवत 1964, मिती मगसिर सुदी 1
रायबहादुर विश्वेश्वरदास डागा के नाम परवाना, सवत 1891, मिती पोह सुदी 8

अप्रकाशित एव प्रकाशित मौलिक सामग्री (हिन्दी)

बीकानेर रे धणिया री याद न वीजी फुटकर वाता, न० 225/1 (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर)
राठाडा री वशावली तथा पीढ़िया, न० 232/5 (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर)
भाटीया रे गावा री विगत, सवत 1849 (भैयाजी सग्रह, बीकानेर),
बीकानेर गजल (नाहटा कलेक्शन, बीकानेर)
दयालदास की ख्यात, भाग 2 (अनूप सस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर)
बाकीदास की ख्यात (जोधपुर, 1956)
नेणसी, मुहणोत, मारवाड परगना री विगत, खण्ड 1 व 2, (राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीटयूट, जोधपुर,)
बहादुरसिंह, बीदावता की ख्यात (अप्रकाशित)
सोहनलाल मुशी, तवारीख राज श्री बीकानेर (1898)

प्रकाशित मौलिक सामग्री (अग्रजी)

(अ) सेंसस रिपोट

रिपोट आफ दी सेंसस ऑफ दी टाउन ऑफ कलकत्ता (कलकत्ता, 1876)
वही, ऑफ दी टाउन एण्ड सबर्ज ऑफ कलकत्ता (1881)
वही, आफ आसाम फोर, 1881 (कलकत्ता, 1883)
वही आफ सेन्ट्रल प्रोविन्सज, 1881 (बम्बई 1882)
वही, वरार, 1881 (बम्बई, 1882)
वही, ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, वाल्यूम I (लन्दन, 1883)
रिपोट ऑफ दी सेंसस ऑफ इण्डिया 1901, वाल्यूम XVI, नार्थ वस्ट प्रोविन्सेज एण्ड अवध, पाट I (इलाहाबाद, 1902)
वही, 1901, वाल्यूम IX ए, पाट II, 'बॉम्बे' (बाम्बे, 1902)
वही, 1911, वाल्यूम XXII, राजपूताना, अजमेर, मेरवाडा, पाट I
रिपाट ऑफ दी सेंसस ऑफ इण्डिया, 1911, वाल्यूम V, बगाल, बिहार, उडीसा एण्ड सिक्किम, पाट I (कलकत्ता, 1913)
वही, 1911 वाल्यूम VI, बॉम्बे, पाट II
वही, 1911, वाल्यूम XIV, हैदराबाद स्टट, पाट I (बाम्बे, 1913)
वही, 1911, वाल्यूम XII मद्रास पार्ट I (मद्रास, 1912)
वही, 1921, वाल्यूम X बर्मा, पाट I (रगून, 1923)
वही, 1921, वाल्यूम XXI हैदराबाद स्टेट, पाट I (हैदराबाद, 1923)
वही, 1921 वाल्यूम I, बीकानेर स्टेट, पाट I (लाहौर 1927)
वही 1923 वाल्यूम XIV, पाट I मद्रास (मद्रास, 1932)

वही, 1941, वाल्यूम I, पाट I, (बीकानेर, 1943)

(आ) गजेटियस

राजपूताना गजेटियर वाल्यूम I, (कलकत्ता, 1879)
गजेटियर ऑफ बाम्बे प्रेसीडेंसी, वाल्यूम VII, पाट-I, थाना (बॉम्बे, 1882)
आसाम डिस्टिक्ट गजेटियस, गोलपारा (कलकत्ता, 1905)
वही, लाखिमपुर (कलकत्ता, 1905)
वही, कामरूप (कलकत्ता 1905)
वही, दाराग (इलाहाबाद, 1905)
वही नवगाव (कलकत्ता 1905)
वही, शिवसागर (इलाहाबाद, 1906)
इम्पीरियल गजेटियस प्रोविंसियल सीरीज, राजपूताना (यू० पी० 1906)
गजेटियर ऑफ बाम्बे सिटी एण्ड आईसलण्ड, वाल्यूम I (बॉम्बे, 1907)
डिस्टिक्ट गजेटियर, नागपुर (बम्बई, 1908)
डिस्टिक्ट गजेटियर, रायपुर, वाल्यूम ए (बॉम्बे 1909)
राजपूताना गजेटियर खण्ड 3 ए—दी वस्टन राजपूताना स्टटस रजीडेंसी एण्ड दी बीकानेर एजेंसी (इलाहाबाद 1909)
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ यूनाइटेड प्रोविन्सेज एण्ड अवध, वाल्यूम XIIXI बनारस, (इलाहाबाद, 1911)
गजेटियर आफ दी बीकानेर स्टट, 1874 (बीकानेर 1935)
बगाल डिस्टिक्ट गजेटियर, दार्जिलिंग (अलीपुर, 1945)
राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियस, बीकानेर (जयपुर, 1971)
राजस्थान डिस्टिक्ट गजेटियस, चूरू (जयपुर, 1970)

(इ) अन्य

पार्लियामटरी पेपस (1855), न० 225
मारवाड प्रेसी (कलकत्ता, 1875)
रिपोट ऑन दी पालिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूताना स्टेट्स (1867 1877)
रिपाट आन दी फेमिन, कमीशना 1880, खण्ड I (मेमोरण्डम ऑफ बम्बई चेम्बर ऑफ कामस, मई 1879)
रिपोट आन दी सटलमट आफ दी खालसा विलेजेज ऑफ बीकानेर स्टेट (1898)
रिपार्ट आन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी बीकानर स्टेट (1898 1948)
रिपोट ऑन इण्डियन सन्ट्रल बकिंग एनक्वायरी कमेटी 1931, वाल्यूम III (कलकत्ता 1939)
रिपाट ऑफ बीकानेर बैंकिंग एनक्वायरी कमेटी (बीकानर 1930)
रिपोट ऑन दी फेमिन रिलीफ आपरेशन इन दी बीकानेर स्टट 1938 39 (बीकानेर)
एचिसन ए कलेक्शन ऑफ ट्रिटीज, एगजमटस एण्ड सनदस रिलेटिंग इण्डिया एण्ड नेबरिंग कन्ट्रीज, खण्ड 3 (1909)
एनवल रिपोट ऑफ दी बगाल चेम्बर ऑफ कामस (1856 1900), कलकत्ता
एनवल रिपाट आफ दी बगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कामस 1887 (कलकत्ता)
एनवल रिपार्ट ऑफ दी कमेटी ऑफ दी चेम्बर ऑफ कामस (कलकत्ता, 1941)

मरु भारती, अप्रैल 1984 (पिलानी)
मोदी, बालच द—देश के इतिहास मे मारवाडी जाति का स्थान, (कलकत्ता, 1939)
राष्ट्रसेवी श्री हनुमानबक्श कनोई अभिन दन ग्र थ (डिब्रूगढ, 1969)
राजस्थान भारती, बीकानेर, अक 3 4, 1976
रेऊ—मारवाड का इतिहास खण्ड 2, (जोधपुर, 1940)
व्यापारिक झगडो का एक्ट, रियासत बीकानेर, एक्ट न० 2 (1931)
व्यास, जयनारायण—बीकानेर राजद्रोह और षडय न्त्र का मुकदमा, कुछ ज्ञातव्य बातें (1933)
विद्याधर शास्त्री—विश्वम्भरा, (त्रैमासिक शोध पत्रिका) अक 1, वर्ष 13,1981
विद्यालकार, सत्यदेव—बीकानर का राजनीतिक विकास और श्री मघाराम (नइ दिल्ली 1947)
विद्यालकार, सत्यदेव—धुन के धनी (नई दिल्ली, 1964)
विद्यालकार, सत्यदेव—एक आदश समत्व योगी (नई दिल्ली 1959)
विश्वम्भरा, विद्याधर शास्त्री स्मृति विशेषाक, हि दी विश्व भारती अनुसधान परिषद बीकानेर, अक 1 4
सन् 1984
वेद, मानसिंह—सागरमल वेद का एक आदश श्रावक, (कलकत्ता, 1970)
शर्मा, आचाय हरीश—नाथानी स्मृति ग्र थ (कलकत्ता, 1966)
शर्मा कालूराम डॉ०—उन्नीसवी सदी राजस्थान का सामाजिक आर्थिक जीवन (जयपुर, 1974)
शर्मा, झाबरमल—सीकर राज्य का इतिहास (कलकत्ता, 1922)
शर्मा, विश्वम्भरप्रसाद—स्वाधीनता आ दोलन और माहेश्वरी समाज (नागपुर, 1972)
सक्सेना, के० एस०—राजस्थान मे जन जागरण (जयपुर, 1971)
सक्सेना, शकर सहाय—बिजोलिया किसान आ दोलन (बीकानेर, 1976)
सि हा, पी०—जगत सेठ और बगाल मे अंग्रेजी राज्य की नीव (इलाहाबाद, 1930)
सूरजमल नागरमल द्वारा स्थापित सस्थाओ की काय विवणिका (कलकत्ता, 1948)
श्री भवरलाल दूगड स्मति ग्र थ (सरदारशहर, 1967)

अंग्रेजी

बगाल पास्ट एण्ड प्रजे ट डायमण्ड जुबली नम्बर (कलकत्ता, 1967)
बनर्जी ए० सी०—दी राजपूत स्टेटस एण्ड दी ईस्ट इडिया कम्पनी, (कलकत्ता, 1951)
बनर्जी, प्रजनान द—कलकत्ता एण्ड इटस हि टरलेण्ड, 1833 1900, (कलकत्ता, 1977)
भटटाचार्य एस०—दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी एण्ड दी इकॉनामी आफ बगाल 1707-1740 (ल दन, 1954)
विश्वास, सी०—बीकानेर दी लैण्ड आफ मारवाडीज (कलकत्ता, 1946)
बोयली, ए०एच० ई०—पसनल नरेटिव ऑफ ए टूर थ्रू दी वस्टन स्टेट ऑफ राजवाडा इन 1835 (कलकत्ता,
1837)
चक्रवर्ती, एम० आर०—दी इण्डियन माइनारिटी इन बरमा दी राईज एण्ड डिकलाइन ऑफ एन इमीग्रेंट
कम्यूनिटी (ल दन 1971)
चौधरी, एम० के०—ट्रेण्डस आफ सोसियो इकोनामिक चे ज इन इण्डिया, 1871 1961 (शिमला, 1969)
सिविल लिस्ट ऑफ बीकानेर स्टेट (बीकानेर, 1943)
फ्रक्लिन, विलियम, मिलीटरी मेमोयस ऑफ जॉज थामस
फोर डीकेडस ऑफ प्रोग्रेस इन बीकानेर स्टेट (बीकानेर, 1929)

गोल्डन जुबली सोवनियर, 1900 1950, भारत चेम्बर ऑफ कामस, (कलकत्ता, 1954)
हाण्डा, आर० एल०—हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टट्स (1967)
हिस्टोरिकल रिकाड ऑफ दी इम्पीरियल विजिट टू इण्डिया, 1911 (1914)
हेमिल्टन, सी० जे०—दी ट्रेड रिलेशन्स बिटविन इंगलैड एण्ड इण्डिया, (1600 1896)
इडिण्यन ईयर बुक एण्ड हूज हू, वाल्यूम 27 (कोलमन कम्पनी, 1940-44)
इडस्ट्रियल डेवलपमेण्ट इन दी बीकानेर स्टेट (बीकानेर, 1946)
जोन, फिलिप्स—ए गाइड टू दी कॉमस ऑफ बगाल (कलकत्ता, 1823)
खडगावत, नाथूराम—राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल आफ 1857, (जयपुर, 1957)
काका कालेलकर—ए गाधीयन केपीटलिस्ट, (बम्बई, 1946)
काटन, सी० डब्ल्यू० ई०—हैण्डबुक ऑफ कार्मशियल इनफारमेशन फॉर इण्डिया (कलकत्ता, 1918)
मजूमदार, एच० आर० एण्ड बी० बी०—काग्रेस एण्ड काग्रेसमन इन दी प्री गाधीयन एरा, 1885 1917, (कलकत्ता, 1967)
मुदालियर, एम० एस०—हैदराबाद आलमिनाक एण्ड डाईरक्ट्री फार 1874 न० II (मद्रास 1874)
मेलकम, जान—ए मेमोयर ऑफ सेन्ट्रल इण्डिया एण्ड मालवा, वाल्यूम I (लन्दन 1924)
मेहता, मोहनसिंह डॉ०—लाड हेस्टिंग एण्ड दी इण्डियन स्टेट्स, (बम्बइ, 1930)
मिश, आई० एच०—बगाल चेम्बर ऑफ कामस एण्ड इडस्ट्री (कलकत्ता) 1834 1854
पनीक्कर, के० एम०—हिज हाईनेस दि महाराजा ऑफ बीकानेर ए बायोग्राफी (लन्दन 1937)
प्रोसीडिंग्स ऑफ प्लेनरी सेसन्स ऑफ दी राउण्ड टेबल कान्फ्रेन्स, 1931
प्रोसीडिंग्स ऑफ दी चेम्बर ऑफ प्रिसेज, 1924 31
प्रोसीडिंग्स ऑफ दी राजस्थान हिस्ट्री काग्रेस, जयपुर (अजमर, उदयपुर, कोटा व जयपुर सेसन 1869 77)
राजपूताना एण्ड अजमेर, लिस्ट ऑफ रूलिग प्रिंसेज, चीफ्स एण्ड लीडिंग परसोनेज (1931)
राऊ, बी० आर०—प्रजेन्ट डे वर्किंग इन इण्डिया, तीसरा खण्ड, (कलकत्ता, 1930)
इटस इन बाम्बे कमाण्ड, आफिस ऑफ दी डिप्यूटी एडूजटन्ट जनरल (बम्बई, 1903)
शर्मा, दशरथ, डॉ०—राजस्थान थ्रू दी एजेज (बीकानेर, 1966)
सिन्हा, एन० के०—इण्डियन बिजनेस इन्टरप्राइजेज इट्स फेल्योर इन कलकत्ता (1800 1848)
सिन्हा, एन० के०—दी इकोनामिक हिस्ट्री आफ बगाल (1793 1848), वाल्यूम 3
टाड, कनल, जेम्स—एनल्स आफ राजपूताना, खण्ड 1 व 2, (लन्दन, 1829 व 1932)
जे० एच० लिटल—द हाउस आफ जगत सेठ, 'बगाल पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, वाल्यूम 20 (जनवरी जून 1920)
दी इडियन आकाइव्ज, वाल्यूम 32, जुलाई दिसम्बर, 1983, नेशनल आकाइव्ज ऑफ इडिया, न्यू दिल्ली
सुशील चौधरी—ट्रेड एड कॉमशियल आगनाइजेशन इन बगाल (1650 1720), कलकत्ता, 1975
दी कलेक्टेड वक्स आफ महात्मा गाधी, वाल्यूम 21 (1961)
दी ग्रोथ ऑफ पालिटिकल फोरमेज इन इण्डिया 1917-1930, लन्दन
दी आसाम डिक्सनरी एण्ड दी एरियाज हैण्डबुक 1860 61 (कलकत्ता)
तन्दुलकर, डी० जी०, महात्मा—लाईफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी, 1969
वाट जॉर्ज—ए डिक्सनरी ऑफ इकोनॉमिक प्राडक्टस आफ इडिया खण्ड-4 (1892)
थोमस ए० टिमबग—दी मारवाड़ीज, फाम ट्रेडर टू इडस्ट्रियलिस्ट (1978)
विपिन के० गग—ट्रेड प्रक्टिसज एड ट्रेडिशन्स—ओरिजन एड डेवलपमन्ट इन इन्डिया (1984)

इरफान हबीब एड तपनराय चौधरी—दी केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया I, केम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी प्रेस, 1982
नाइटइगल, पामला—ट्रेड एड एम्पायर इन वस्टन इडिया, 1784 टू 1906(साउथ एशियन स्टडीज न० 9), केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
पावलोव वी० आई०—दी इडियन केपिटेलिस्टिक क्लास ए हिस्टारिकल स्टडी, न्यू दिल्ली, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, 1964
रूगटा, राधेश्याम—राइज ऑफ बिजनेस कॉरपोरेशन इन इडिया 1851-1900 (साउथ एशियन स्टडीज न० 8), केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970
इरफान हबीब—पोटेन्सीलिटीज ऑफ केपिटेलिस्टिक डेवलपमेन्ट इन दी इकोनॉमी ऑफ मुगल इडिया, जनल ऑफ इकोनामिक हिस्ट्री (माच 1969)
द्विजेन्द्र त्रिपाठी एम० जे० मेहता—'दी नगरसठ ऑफ अहमदाबाद दी हिस्ट्री ऑफ एन अरबन इन्स्टीटयूशन इन गुजरात सिटी—प्रोसिडिंग, इण्डिया हिस्ट्री काग्रेस, 1978

हिन्दी पत्र

अजुन, दिनाक 21-1 1934
त्यागभूमि, दिनाक 22-5 1931
नवजीवन, दिनाक 4 9 1921
नवभारत टाइम्स, दिनाक 11 4 1976
प्रकाश, दिनाक 28-1-1934
भारत मित्र, सवत 1974
मिलाप, दिनाक 23-8 1934
लोकमान्य, दिनाक 26 1 1934
विश्वामित्र दिनाक 17-12-1933
स्वदेशी भारत, दिनाक 15 9-1933
हरिजन, दिनाक 1-2 1931
रियासत, दिनाक 1-5 1931

अग्रेजी

अमत बाजार पत्रिका, दिनाक 30-1-1921
फ्री प्रेस जरनल, दिनाक 18 1-1934
बॉम्बे क्रानिकल दिनाक 3-10 1933
टाइम्स आफ इण्डिया, दिनाक 16 4-1978
दी हिन्दू, दिनाक 1-2 1921
हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनाक 12 9 1923

शोध ग्रन्थ के उपयोग मे आये क्षेत्रीय शब्दो की भावार्थ-सूची

अटक —धनाढय व्यक्तियो से शासक द्वारा जबरदस्ती एक निश्चित बडी धन राशि वसूलने हेतु भेजा गया आदेश।

अफीम री सोदो —अफीम का सट्टा करने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।

अडाणो —गिरवी या रहन रखना।

आखर दडा —वस्तु नीलाम को औसत का आधार बनाकर किया (खेला) जाने वाला सट्टा।

आगडिया —वह व्यक्ति जो हीरे जवाहरात या महत्वपूर्ण डाक आदि अपने विशेष प्रकार के कोट म छिपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर।

आल —एक प्रकार का पौधा जिसकी जड और छाल से लाल रग बनता है।

इकरारनामा —शासको द्वारा व्यापारियो के साथ किसी प्रकार का इकरार और उसकी शर्तें लिखा हुआ पत्र।

उतारा —हिसाब किताब का लिखा प्रलेख।

उवारजा —भू राजस्व से सम्बन्धित आय व व्यय की पुस्तिका।

ऊन रा लुकारा —ऊन का बना मोटा वस्त्र जो ओढने के काम आता है तथा इकरगा होता है।

ओढणा —स्त्रियो के ओढने का परिधान।

कतार —व्यापारी माल से लदे ऊटो के समूह को कतार कहा जाता है।

कतारिया —ऊटो पर व्यापारी माल लादकर लाने वाले।

कंदाया री लाग —मिष्ठान बनाने वाला से वसूल किया जाने वाला शुल्क।

कपड की दलाली —कपडे की दलाली का काय करने वाले व्यापारियो स वसूल किया जाने वाला शुल्क।

करणशाही —महाराजा करणसिंह (बीकानेर) के समय म चलाया हुआ चादी का रुपया।

कलाल सू दारू री भटठी रा —शराब बनाने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।

काचरी खेलरा —स्थानीय सूखा साग।

किरयाणा —पसारी के यहा बिकने वाला विविध प्रकार का सामान।

किरायतलो का री भाछ —विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन एव निर्माण करन वालो स वसूल किया जाने वाला शुल्क।

किला भाछ —किले की मरम्मत के नाम पर वसूल किया जाने वाला शुल्क।

कुसुबा —केसर।

खत —रुपया उधार लेकर जो ग्रहणक पत्र लिखा जाता था उसे खत कहा जाता था।

खतावणी —खातेवार आय-व्यय का विवरण लिखी जाने वाली पुस्तिका।

खदी —किसी का दय धन चुकाने के लिए किस्त बाधना।

खरडा —हिसाब सम्बन्धी लम्बे पत्र।

खलगढ री लाग —चमार जाति के लोगो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।

खास रुक्का —समय-समय पर सम्मान प्रदान करते हुए राजाओ की मुहर से अंकित पत्र।

खारी पट्टी —लवणयुक्त भू भाग।

खूटे री दलाली	—पशुआ की दलाली करने वाला से वसूल किया जाने वाला शुल्क ।
खोलो	—गोद लेने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाने वाला शुल्क ।
गजशाही	—महाराजा गजसिंह (बीकानेर) के समय मे चलाया हुआ चादी का रुपया ।
गोलक रो लेखो	—साहूकारो स प्राप्त उधार रुपयो का हिसाब
घडत साजी	—सज्जी (क्षार) उत्पादन पर लगाया गया शुल्क।
घीयायी	—गाय व भैंस का घत निकालने वाला से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
घी री कुपा री जमा	—घत बेचने वाले व्यापारियो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
घोडारेख	—सामन्तो से पट्टो म उल्लिखित चाकरी के बदले मे उनस वसूल किया जाने वाला शुल्क ।
चलाणी	—व्यापारी माल को खरीदकर आगे बेचन का काय ।
चारणा रो भाडो	—माल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाने हतु चारण जाति के लागो को दिया जाने वाला किराया ।
चिट्ठी	—उधार रुपया की रकम का उल्लेखित पत्र।
चिलका टाक	—काच (शीशा) के अक्ष के माध्यम से भेजा जाने वाला समाचार।
चुगी	—व्यापारी माल के आयात और नियात पर वसूल किया जाने वाला शुल्क ।
चूनगरा री भाछ	—चूना पकान वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क ।
चेजारा सू करनी रा	—गह निर्माण म सलग्न कारीगरो से वसूल होने वाला शुल्क ।
चोकीदारा री भाछ	—रात के समय बाजार म पहरा देने के नाम पर व्यापारिया से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
चोथाई	—अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय पर उसकी कीमत का चौथा भाग वसूल किया जाने वाला शुल्क।
चोधरी	—ग्राम का अथवा कस्बे का मुखिया ।
चोपनियो	—हिसाब किताब की छोटी पुस्तिका।
छदाम	—एक पैसा का चौथा भाग।
जमाजोड	—आकडो का जोड ।
जमीयत	—एक खाप अथवा परिवार क सदस्य जा अपने परिवार या मुखिया के खाप या झण्डे के नीचे एकत्रित हो जाया करते थे ।
जात और जायदाद की माफी	—राज्य मे कैद व कुर्की से छूट का सम्मान।
जुए रे काहे रा	—जुआ खेलने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क ।
जाखो री चौथाई	—बीमा लेन वाले व्यापारिया से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
टका घडाई रो लाजमो	—व्यापारियो से सिक्के घडवान पर वसूल किया जाने वाला शुल्क।
टकीणो	—घास चारे के रूप म वसूल किया जाने का शुल्क।
टाडा	—हवेलियो म छज्जा के सहारे के लिए लगाए जाने वाले पत्थर।
ठोड	—स्रोत ।
तरकारी रो लाजमो	—साग-सब्जी बेचने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क ।

पेंठ	—स्वदेशी बैंकर द्वारा जारी की गई हुण्डी के खो जाने पर पुन लिखा गया भुगतान पत्र।
पेसार	—माल का आयात।
पेशकशी	—शासक द्वारा साम तो से वसूल की जाने वाली रकम।
पोखेण	—पत्थर की खान।
पोतेदार	—खजांची।
फारखती	—उधार के रुपये अदा करने या होने की रसीद (कुल हिसाब का निप टारा)।
फुदिया (फदिया)	—बीस फुदिये एक रुपये के बराबर होते थे।
बट्टो	—किसी वस्तु के लेन दन मे अथवा मुद्रा को भुनाने मे होने वाली कमी।
बहतीबाण	—पारगमन व्यापार मे वसूल की जान वाली चुगी।
बारदानो	—बोरी या जूट का कपडा आदि।
बालद	—बैलो का वह समूह जो देश-देशान्तर म व्यापार करन के लिए माल ढोने के काम आता था।
बाहरली जगात	—राज्य के बाहर से आने वाले व्यापारी माल पर वसूल की जान वाली जगात।
बिछायती माल	—बाजार म खुले मे माल बेचने पर वसूल किया जाने वाला शुल्क
बीटका	—एक प्रकार का चमडे का बना ट्रक।
बैठक रो कुरब	—शासक की निकटतम चार कुर्सियो पर बैठन का सम्मान।
बेनियन	—गारण्टी देने वाला दलाल।
बोलाई	—अपनी जिम्मेवारी पर माल को सुरक्षित स्थान पर पहुचाने वाला।
बोहरा री भाछ	—बोहरगत (उधार रुपया दने) का काय करने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
मण्डी	—जगात चौकी।
मगरा	—ककरयुक्त भू भाग।
मापा	—गाव से खरीदकर जो चीज बाहर ले जायी जाती थी, उस पर यह कर लगता था।
मातमपुर्सी	—शासक द्वारा मृतक के पीछे शोकाकुल व्यक्तियो को दी जाने वाली सात्वना।
मालन की छाबडी	—साक सब्जी बचने वाली मालना से वसूल होने वाला शुल्क।
मुकाता	—ठेका।
मुकातिया	—ठेकेदार।
मुतसद्दी	—वशानुगत राजकमचारी वग।
मुसरफ	—राज्य अधिकारी।
मेह रो सोदो	—वर्षा के होने न होन की सभावना पर सट्टा करने वाला से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
मोतियों रो चौकड़ा	—पुरुषो के कान का आभूषण जिसमे दो मोती तथा एक माणिक की

	लाल मणि होती थी।
मोतियो रा आखा	—मोतियो के दाने जो किसी मागलिक अवसर के निमित्त हो।
मोदी	—वह व्यापारी जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुए रखता था। शासक के निश्चित मोदी होते थे जिनका हिसाब किताब लम्बा चला करते थे।
रगारा री जगात	—वस्त्र रगने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
रातडो	—रात म पहरा देना।
रुखवाली भाछ	—सुरक्षा के नाम पर वसूल किया जाने वाला शुल्क।
रुत री छदामी	—रुई की बिक्री करने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
रुत रेबोरा री जगात	—रुई की गाठो पर वसूल की जाने वाली जगात।
रुपे सोने री छदामी	—चादी सोने की बिक्री तथा घडन पर वसूल किया जाने वाला शुल्क।
रुपे री टकसाल री हासल	—चादी के सिक्के घडवाने पर वसूल किया जाने वाला शुल्क।
रुपोटा	—ऊट बेचने वालो एव दुकानदारो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
रेगडा री कुड रा	—रेगर जाति के लोगो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
रेशम रो लाजमो	—रेशमी वस्त्रो के विक्रय पर वसूल किया जाने वाला शुल्क।
रोकड बही	—नकद रुपया के लेन देन के हिसाब लिखने की बही।
रोजनावो	—प्रतिदिन के कार्य का विवरण लिखने की बही।
लाडखानी	—कछवाहा वश की शेखावत शाखा के अन्तर्गत राजपूतो की एक शाखा।
लीलगरा री हासल	—वस्त्र रगने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
लेखापाड	—लेन देन का हिसाब या लेखा रखी जाने वाली बही जिसमे सूद आदि जोडा जाता था।
लेखे	—हिसाब मे, गिनती मे।
सर्राफ	—रुपयो का लेन-देन करने वाला।
स्वर्णाभरण	—पुरुषो को स्वर्ण निर्मित कडा एव स्त्रियो को स्वर्णाभूषण पैरो मे पहनने का सम्मान।
साण्ड	—मादा ऊट।
सालसिलेडो री भाछ	—कारीगरो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
सावा	—जगात वसूली क्षेत्र।
साहूकारा भाछ	—साहूकारो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
साहूकारी परवाना	—साहूकारी का काम करने का पट्टा (अनुमति पत्र)
सिंध रे मुसलमाना री दलाली	—सिन्धी मुसलमानो से दलाली के नाम पर वसूल किया जाने वाला शुल्क।
सिरोपाव	—शासक द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की सम्मान सूचक पोशाक।
सुथारा री भाछ	—लकडी का काम करने वालो से वसूल किया जाने वाला शुल्क।
सूरतशाही	—महाराजा सूरतसिंह (बीकानेर) के समय मे चलाया गया चादी का रुपया।
सौदो	—सट्टा।

शरण	—सामन्तो एव व्यापारियो को अपनी गढी अथवा हवेली मे घोर हत्यार को शरण देने का अधिकार।
शिप्पर	—जहाज के माध्यम से माल का आयात निर्यात करने वाला।
श्री मण्डी	—राज्य का जगात मुख्यालय।
हाट भाडा	—दुकान किराया।
हासल हिसावी	—निर्धारित शुल्क।
हुण्डी चिट्ठी	—स्वदशी बैंकर द्वारा जारी किया गया भुगतान माग पत्र जिसको दिखा कर उसमे अकित रुपये अथवा उतने रुपये की वस्तु प्राप्त की जा सकती थी।
हुडायण	—हुण्डी की दर, हुण्डी लिखने की क्रिया या भाव, हुण्डी की दस्तूरी, हुण्डी के लिए प्रदत्त मूल्य।
हुण्डा भाडा	—व्यापारी वस्तुओ का निश्चित स्थान पर पहुचाने का ठेका।
हुवाला	—दायित्व सुपुर्द करना।

••